सीमा-प्रान्तमें गफ्फार खाँ के साथ

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

६७

(१ अप्रैल से १४ अक्तूबर, १९३८)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

जुलाई, १९७७ (श्रावण १८९९)

रु10.00

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-११०००१ द्वारा प्रकाशित और
शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-३८००१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

इस खण्डमें १ अप्रैलसे १४ अक्तूबर, १९३८ तककी सामग्री दी गई है। जबसे कांग्रेस प्रान्तोंमें पदारूढ़ हुई थी, तभीसे देशमें एक प्रकारकी अकुलाहट और बेचैनीका वातावरण बनने लगा था। इस अवधिमें वह वातावरण और भी घनीभूत हो गया, और उसका विस्फोट किसानोंके कूचों और प्रदर्शनों, हड़तालों और धरनों तथा इसी प्रकारकी अन्य प्रवृत्तियोके रूपमें हुआ। देशी राज्योंकी प्रजा उत्तरदायी शासनकी माँग अधिक आग्रहपूर्वक करने लगी थी, जिसके फलस्वरूप उसे सरकारी दमन और प्रतिशोधकी कार्रवाइयोका सामना करना पड़ रहा था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमें भी अशान्ति छाई हुई थी, और ब्रिटिश सरकार जिस सीमा-नीतिका अनुसरण कर रही थी, वह मानो आगमें घी डालने के समान थी। उत्तर भारतके अनेक क्षेत्रोंमें साम्प्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। "भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता" तथा "छोटे-छोटे झगड़ों" (पृ० ९६) से कांग्रेसमें "अन्दरसे जो दुर्बलता आती जा रही" थी (पृ० ५४) उसके कारण परिस्थिति और भी विषम हो गई थी, और इस रोगके निदानकी तलाशमें गांधीजी के मनमें ऐसा विचार उठा कि कहीं "हम अपनी ही भूलोंके भारसे अथवा उससे भी बदतर चीजके बोझसे तो टूटे" नहीं जा रहे हैं (पृ० ९५)।

इन बातोंको लेकर गांधीजी का मन यों भी बहुत व्यथित था। तभी एक व्यक्तिगत किस्मकी घटना घटित हुई — एक दिन जाग्रतावस्थामें ही बरबस उन्हें स्खलन हो गया। इस घटनाने उनकी व्यथाको विषादमें परिणत कर दिया। यह मनःस्थिति अप्रैलके मध्यसे जूनके अन्ततक कायम रही। इसके प्रभावसे कुछ कालके लिए गांधीजी का आत्मविश्वास डिग गया। उन्होने अपनेको "निराशाके दलदल" में फँसा पाया, और उन्हें लगा कि वे कोई राजनीतिक वार्ता चलाने या किसी प्रकारकी सार्वजनिक सेवा करने योग्य नही रह गये हैं (पृ० ४३, ६३, ७४)। इस चीजसे गांधीजी के मनको ऐसा गम्भीर आघात इसलिए पहुँचा कि वे ब्रह्मचर्यको अपने जीवनमें सर्वोपरि महत्त्वकी वस्तु मानते थे। 'हरिजन' में एक लेखमें अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होने लिखा कि उन्होने "स्त्रीको कभी भी विषयतृप्तिके साधनके रूपमें नहीं देखा . . . बल्कि सदा वैसी ही श्रद्धासे देखा . . . जैसी श्रद्धासे अपनी माँ को देखना" उनका कर्त्तव्य था; अपने मनमें उन्होने कभी भी इस भ्रामक लोक-धारणाको स्थान नहीं दिया कि "सारे पाप तथा प्रलोभनका मूल" स्त्री है; और इसलिए स्त्री-सम्पर्कके विरुद्ध परम्परासे चले आ रहे प्रतिबन्धोंका कभी पालन नही किया (पृ० २२२)। यहाँतक कि किसी स्त्री द्वारा नग्नावस्थामें देख लिये जाने पर भी उन्हें किसी प्रकारके संकोचका अनुभव नहीं होता था (पृ० १३२)। अतएव अपने ब्रह्मचर्यमें इस गम्भीर दोषका पता चलने पर उन्हें जो अनुभूति हुई, उसे मीराबहनके नाम एक

पत्रमें अभिव्यक्ति देते हुए उन्होंने लिखा, "मुझे लगा कि मेरे काल्पनिक स्वर्गसे, जहाँ अपनी मलिन अवस्थामें रहने का मुझे कोई अधिकार न था, भगवान्‌ने मुझे नीचे फेंक दिया है।" ऐसे समय उनका ध्यान सहज ही उन बच्चोंकी ओर गया जिनके वे धर्म-पिता थे, और उन्होंने अपनी हार्दिक कामना व्यक्त की कि "उनमें से कोई मुझे सहारा देकर निराशाके अन्धकूपसे बाहर खींच लेगा" (पृ० ६८)। गांधीजी ने प्रयोगके तौरपर आश्रमकी बहनोंसे ऐसी सेवाएँ लेना बन्द कर दिया जिनके कारण उन लोगोसे उनका शारीरिक स्पर्श हो सकता था। किन्तु इस प्रयोगसे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे स्पर्शसे उनके "ब्रह्मचर्यको हानि नहीं हुई" थी (पृ० ४०३) और फलतः सितम्बर महीनेमें उन्होंने यह प्रयोग समाप्त कर दिया (पृ० ३९४)।

गांधीजी की ब्रह्मचर्य-साधना अहिंसा द्वारा सेवाकी उनकी लगनका अंग थी। उनकी मान्यता थी कि शुद्ध उपकरणसे ही सच्ची सेवा की जा सकती है। अमृतकौर को लिखे पत्रमें उन्होंने बताया: "अधिक शुद्धि प्राप्त करनेके लिए मैं आत्ममन्थन कर रहा हूँ। वैसी शुद्धिके बलपर ही मैं नारी-जाति और उसके माध्यमसे सम्पूर्ण मानव-जातिकी अधिक सेवा कर सकता हूँ।" उनकी "आधारशिला . . . अहिंसाकी . . . यही अपेक्षा" थी (पृ० १७६)। गांधीजी की दृष्टिमें, ब्रह्मचर्यका अर्थ केवल "सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर" ही नहीं, प्रत्युत् विचारोंपर भी "सम्पूर्ण नियन्त्रण" था, क्योंकि वे मानते थे, "मनमें बुरे विचार आने से ही नहीं, बल्कि असंगत, अव्यवस्थित और अवांछित विचार आने से भी . . . जीवनका सर्जन करनेवाले वीर्य . . .का सतत क्षय होता रहता है", और यह क्रिया प्रायः ऐसी रीतिसे चलती रहती है कि हमें इसका भान भी नहीं होता। इसके विपरीत, "पूर्ण मनोनिग्रहपूर्वक किया गया विचार अपने-आपमें अधिकसे-अधिक समर्थ शक्ति है", अर्थात् इस तरह विचार करनेवाले व्यक्तिकी अहिंसा "संक्रामक" होती है (पृ० २२०-२२)। गांधीजी ने देखा कि वे अभी ऐसा विचार-नियन्त्रण सिद्ध नही कर पाये हैं और तब उनके पूर्णता-प्राप्तिके लिए आकुल मनमें ये प्रश्न उठे: "मैं कहाँ हूँ, मेरा स्थान कहाँ है, विकारी पुरुष अहिंसा और सत्यका प्रतिनिधि कैसे बन सकता है?" (पृ० ६६)। किन्तु उन्होंने श्रद्धा नही छोड़ी। कदाचित् उनका नया जन्म होनेवाला था, और "उससे पहले" उन्हें "पर्याप्त पीड़ाके दौरसे तो गुजरना ही" था (पृ० ६६)। इसलिए अपने शोध-श्रमके क्रममें उन्हें यदा-कदा जिस पीड़ाकी अनुभूति होती थी, उसके बीच भी वे एक प्रकारके उल्लासका अनुभव करते थे और सदा इस विश्वाससे आपूरित रहते थे कि "भगवान्‌ने मेरा कभी त्याग नहीं किया है और वह मेरा अब भी त्याग नही करेगा" (पृ० ८१)। और १५ जुलाईको गांधीजी अमृतकौरको यह लिखने की मनःस्थितिमें पहुँच चुके थे: "अगर अब भी मुझे दुःख है तो वह सतही ही है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरी शान्ति हमेशा के लिए नही छीन सकता" (पृ० १९३)। अवसादसे निकलकर आस्थाकी इस मनःस्थितिमें गांधीजी का पुनःप्रवेश कदाचित् उनके द्वारा 'भगवद्गीता' की अनासक्तिकी शिक्षाके आचरणका परिणाम था। उन्होने मीराबहनको लिखा कि यद्यपि उनके सामने चिन्ता करने की बहुत-सी

बातें थी, तथापि कोई बात उन्हें चिन्तित करती नहीं जान पड़ती थी (पृ० ४३४); और अमृतकौरको लिखा : " . . . विषय-रूपी शैतान मुझपर हावी हो जाता है। जब वह आक्रमण करता है, मैं परेशान जरूर हो उठता हूँ, लेकिन यह स्थिति भी कालान्तरमें दूर हो जायेगी। . . . यह मुझे परेशान तो करता है, लेकिन मैं इससे घबरा जाता होऊँ या मेरे मनपर कोई अवसाद छा जाता हो, ऐसी बात नही है। ईश्वर-साक्षात्कारके लिए प्रयत्नशील रहता हूँ" (पृ० ४६४)। मानव-प्रकृतिकी मर्यादाओंको स्वीकार करते हुए गांधीजी ने अनासक्तिकी सिद्धिके प्रयत्नमें भी अनासक्तिसे काम लिया। एक सहकर्मीको उन्होंने लिखा, "...इतना वीतराग नहीं हूँ। हाँ, अपने इसी जीवनमें वीतराग होने की आकांक्षा मैं अवश्य रखता हूँ। न हो पाऊँ तो मैं दुःखी नहीं होऊँगा" (पृ० ३२२)।

इस जिल्द के आरम्भमें हम गांधीजी को कलकत्ता-प्रवास में देखते हैं। उनके इस प्रवास का प्रयोजन कलकत्ता, हावड़ा, मिदनापुर, अलीपुर, चटगाँव, हिजली तथा अन्य स्थानोंकी जेलोंमें बन्द राजनीतिक कैदियों और नजरबन्दोंको रिहा करवाना था। गांधीजी को लगता था, राजनीतिक कैदियोंकी रिहाई का काम, मानों, उनके "जीवनकी उत्तरावस्थामें" उन्हें "ईश्वर ने ही . . . . सौंपा" था (पृ० १००)। "अहिंसाके पालनका आश्वासन देने के" उनके "अनुरोधका" कैदियोंने जिस "उदारता-से उत्तर दिया", उससे सन्तुष्ट होकर गांधीजी ने विश्वासपूर्वक घोषणा की, "अब मैं अपने वचनका पालन करके दिखाऊँगा" (पृ० ४४१)। यह कार्य अत्यन्त दुष्कर था और धरतीके समान धैर्यशाली गांधीजी का धैर्य भी "लगभग समाप्त होने लगा था", किन्तु कलकत्तासे लौटते समय उन्हें "आशाकी किरण दिखाई देने लगी" थी (पृ० २०)। गांधीजी और गृह-मन्त्री नाजिमुद्दीनके बीच हुए लम्बे पत्र-व्यवहारके पश्चात् ३ अक्तूबर, १९३८ को बंगाल-सरकारने इस प्रश्नपर अपनी विज्ञप्ति जारी की; और यद्यपि गाधीजी ने कृतज्ञतापूर्वक यह स्वीकार किया कि सरकारने "अपने दृष्टिकोणसे" उनके प्रस्तावोंके "सम्बन्धमें कुछ करने की कोशिश की" थी, तथापि विज्ञप्तिसे उन्हें "गहरी निराशा हुई" (पृ० ४३९)।

ऐसा ही एक कठिन प्रश्न था भूमि-सुधारका। कांग्रेसमें कुछ अधीर लोग किसानों को हिंसाके लिए उत्तेजित कर रहे थे। आन्ध्रकी एक स्थानीय कांग्रेस कमेटीने तो एक जमीदारीके रैयतोंको जबरदस्ती जमीनपर कब्जा कर लेने के लिए भी भड़काया। इसी प्रकार संयुक्त प्रान्तके किसानोंका भी गद्य और पद्य, लेखनकी दोनों विधाओंके माध्यमसे हत्या और रक्तपातके लिए आह्वान किया जा रहा था (पृ० ३९१-९२), और बड़े पैमानेपर किसानोंके कूचों और प्रदर्शनोंका आयोजन किया जा रहा था। गांधीजी की अपनी स्थिति यह थी कि जमीदारी-प्रथाको "सुधारना चाहिए और यदि यह सुधारी न जा सकती हो तो यह अपने-आप मिट जायेगी" और "कुदरती मौत मर" जायेगी। सुधारकी यह प्रक्रिया बहुत लम्बी हो सकती थी, किन्तु गाधीजी मानते थे कि "ऊपरसे बहुत लम्बी दिखाई देनेवाली प्रक्रिया ही अकसर छोटीसे-छोटी सिद्ध होती है" (पृ० २७-२८)। "मिल्कियतके समाजवादी सिद्धान्तकी" गांधीजी

ताईद करते थे, लेकिन वे भूमिका पुर्नवितरण "खूनी क्रान्ति" के द्वारा नहीं, प्रत्युत "न्यायोचित कानूनों" द्वारा चाहते थे, क्योंकि "जबरदस्ती हथियाई सम्पत्तिपर कोई सदा काबिज नही रह सकता" (पृ० ३९१)।

किन्तु देशका सामान्य वातावरण ऐसी शान्तिपूर्ण और वैधानिक रीतिसे इस कार्यको सम्पन्न करने के अनुकूल नहीं था। कांग्रेसमें बढ़ती हुई वेअदबी, अनुशासन-हीनता, वल्कि खुली हिंसा तककी खबरें आ रही थीं (पृ० ३२०), और गांधीजी को वड़ी संख्यामें ऐसे पत्र मिल रहे थे जिनमें विभिन्न स्तरोंपर कांग्रेसके कार्य-व्यापारमें व्याप्त भ्रष्टाचारके अत्यन्त शोचनीय विवरण देखने को मिलते थे (पृ० ४१४ और ४८०-८१)। किन्तु साथ ही कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलके आलोचक भी "ऐसी झूठी बातें" कहते रहते थे "जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती" थी और इस तरहकी कई बातें "बिलकुल मनगढ़न्त" होती थीं (पृ० ३९२)। फलतः गांधीजी को कहना पड़ा, "यह तो नागरिक स्वतन्त्रता नही, वल्कि अपराधपूर्ण स्वैराचार है" (पृ० ३९२-९३)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए तैयार किये गये एक प्रस्तावके मसौदे में उन्होंने जनताको चेतावनी देते हुए कहा, "नागरिक स्वतन्त्रताका अर्थ हिंसात्मक कार्य या हिंसाके लिए उकसावा अथवा सरासर झूठका प्रचार नही है।" उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि "कांग्रेसी सरकारें जान और मालकी हिफाजतके लिए जो भी कदम उठायेंगी, कांग्रेस उन सबका समर्थन करेगी" (पृ० ४१०)। इसी प्रकार उन्होंने कांग्रेसजनोंको भी चेतावनी दी। लगता था जैसे "कांग्रेसियोंको जो सत्ता मिली" थी वह उन्हें "हजम नही हो रही" थी। अपने अनिश्चित कालके मौनके दौरान, जिसने उन्हें अवर्णनीय शान्ति और "प्रकृतिके साथ तादात्म्य स्थापित करने की शक्ति" प्रदान की थी, उन्होंने कांग्रेसियोंसे "मौनका स्वर" सुनने और "संस्थाकी शुद्धता" को कायम रखने का आकुल अनुरोध किया। लोकतन्त्रका मर्म समझाते हुए उन्होंने बताया, "पश्चिमी दुनियाका लोकतन्त्र नाम-मात्रका ही लोकतन्त्र है" और यदि भारत को सच्चे लोकतन्त्रका विकास करना है तो "वह हिंसा या असत्यको किसी भी रूपमें स्थान नही देगा" (पृ० ३४०-४१)।

कांग्रेसमें व्याप्त अनुशासनहीनताका सबसे ज्वलन्त उदाहरण मध्य प्रान्तके मन्त्रिमण्डलीय संकटके रूपमें सामने आया। मन्त्रियोंपर भ्रष्टाचारके इतने सारे आरोप लगाये गये थे कि कांग्रेस संसदीय बोर्डको तमाम मामलोंकी जाँच करके दोषोंको दूर करने का प्रयत्न करने को विवश होना पड़ा। किन्तु मुख्य मन्त्री डॉ० ना० भा० खरेने बोर्डकी अवहेलना करते हुए अपनी मर्जीसे ही अपना और कुछ अन्य मन्त्रियोंके त्यागपत्र दे दिये और शीघ्र ही कार्य-समितिकी जो बैठक होनेवाली थी, उसके निर्णयकी प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नही समझी। खरेकी कार्रवाईने गवर्नरको हस्तक्षेप करने का अवसर दिया और उसने उन मन्त्रियोंको भी बरखास्त कर दिया जिन्होंने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया था। कार्य-समितिने डॉ० खरेकी भर्त्सना करते हुए उन्हें कांग्रेसमें हर दायित्वपूर्ण पदके अयोग्य करार दिया। कुछ लोगोंने कमेटीकी कार्रवाईको अलोक-तान्त्रिक बताकर उसकी आलोचना की। उत्तरमें गांधीजी ने बड़े निर्भीक स्वरमें कहा

कि अपने आन्तरिक कार्य-व्यापारमें कांग्रेस लोकतान्त्रिक संस्था है, किन्तु ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्षके सन्दर्भमें वह एक सेनाके समान है और "इस रूपमें यह लोकतान्त्रिक नहीं रह जाती" (पृ० २५३)। डॉ० ना० भा० खरेके विरुद्ध की गई कार्रवाई इस सिद्धान्तको प्रतिष्ठित करने में सहायक हुई कि यद्यपि संविधानतः विभिन्न प्रान्त स्व-शासी थे, किन्तु उनका शासन एक अखिल भारतीय दलके नियन्त्रण और देख-रेखके अधीन होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना प्रान्तीय स्वशासनका परिणाम देशका राज-नीतिक विखण्डन ही हो सकता था। इस प्रकार स्वतन्त्र भारतकी राजनीतिक व्यवस्था का शिलान्यास हुआ — एक ऐसी व्यवस्थाका सूत्रपात हुआ जो प्रान्तीय स्वायत्तताके दावों तथा एक सुदृढ़ अखिल भारतीय राजनीतिक सत्ताकी आवश्यकताके बीच सामं-जस्य स्थापित कर सकती थी।

प्रान्तोंमें लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलोंके गठनसे देशी राज्योंकी प्रजाके उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के आन्दोलनको अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला था। गांधीजी के शब्दोंमें, "देशी राज्योंके लोगोंको अपनी कल्पनामें स्वतन्त्रताकी एक नई झाँकी मिलने लगी है। पहले उन्हें जो चीज एक अति दूरस्थ लक्ष्य जान पड़ती थी वही अब एक ऐसी अवधारणा मालूम हो रही है जिसे मानों कल ही साकार किया जा सकता हो" (पृ० ३८७-८८)। इस नई उमंग और उत्साहके फलस्वरूप मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, जयपुर, तालचर, ढेंकानल, हैदराबाद, राजकोट आदि राज्योंके नरेशोंके साथ वहाँकी प्रजाकी ठन गई। मैसूरमें राज्यकी पुलिसने भीड़पर गोलियाँ चलाईं, जिसमें ३२ लोग मारे गये और ४८ घायल हुए। इस परिस्थितिमें कांग्रेसको अपनी घोषित नीतिके विपरीत देशी राज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप करने को विवश होना पड़ा। मैसूरके दीवान मिर्जा इस्माइल "मित्रोंकी सलाह और सुझाव सुनने के लिए सदा तत्पर" रहते थे (पृ० ६०), सो वल्लभभाई पटेल और जे० बी० कृपलानीकी मध्यस्थताके फलस्वरूप इस प्रारम्भिक संघर्षके बाद वहाँ समझौता हो गया (पृ० ९७-९८)। किन्तु मैसूरकी प्रजाकी इस आंशिक सफलताका परिणाम यह हुआ कि उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के निमित्त चल रहे जन-आन्दोलनके प्रति अन्य राज्योका रुख बहुत कठोर हो गया। उन्होंने "भयंकर दमनकारी तरीकों" से काम लिया, और त्रावणकोरमें पुलिसने जनतापर अन्धाधुन्ध गोलियाँ बरसाईं (पृ० ३३७-३९ और ३४७-४८)।

गांधीजी की सलाहपर कांग्रेस अबतक "रियासतोंके प्रति मैत्रीकी" नीतिपर चल रही थी, क्योंकि उसे आशा थी कि "वे युग-धर्मको पहचानेंगी . . ." (पृ० ९८)। हरिपुरा कांग्रेस (फरवरी १९३८) में विधिवत् अपनाई गई यह नीति — जिसका मर्म था रियासतोंके आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करते हुए वहाँके जन-आन्दोलनों को बाहरसे मार्ग-दर्शन देना — वास्तवमें ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश भारत और देशी राज्योंके बीच खड़े किये गये संवैधानिक भेदकी स्वीकृति थी; और गांधीजी के अनुसार एक राजनीतिक तथ्यके रूपमें इस भेदकी स्वीकृति देशके लिए बहुत शुभ सिद्ध हो रही थी, क्योंकि उसके कारण भारतके इन दोनों हिस्सोंका "स्वाभाविक सम्बन्ध निर्बाध रूपसे अपना काम कर रहा" था। उनके विचारसे, "यही सत्याग्रह

या बुराईके अप्रतिरोधका रास्ता" था। जिस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धतिमें चिकित्सक "शरीरकी सभी प्राकृतिक शक्तियोंको सक्रिय बनाकर उन्हें अपना पूरा जोर दिखाने का अवसर देते हैं", उसी प्रकार अहस्तक्षेपके प्रस्ताव द्वारा "कांग्रेसने वहाँकी [देशी राज्योंकी] जनताको अपनी आनपर ला खड़ा किया; दूसरे शब्दोंमें, उसने प्राकृतिक शक्तियोंको, अर्थात् जनताके अन्दर छिपी शक्तियोंको, क्रियाशील बना दिया।" किन्तु गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कहा कि "सत्य और अहिंसाका पूर्ण पालन" इन शक्तियोंकी सफलताकी अनिवार्य शर्त थी (पृ० १७८-७९)। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जन-साधारणसे सत्य और अहिंसाके ऐसे पूर्ण पालनकी अपेक्षा नही की जा सकती, किन्तु तब यह भी सच था कि "जन-साधारण सत्याग्रह" आरम्भ नही कर सकता था, और यह काम तो "सत्याग्रहके नियमोंसे भली-भाँति अवगत . . . जिम्मेदार लोग ही कर सकते" थे (पृ० ५२)। साथ ही उन्होंने देशी राज्योंको भी चेतावनी दी कि यदि वे "अपने हठपर अड़े रहते हैं . . . तो निश्चित है कि वे अपने विनाशको आमन्त्रित कर रहे है" (पृ० ३८९)।

जिन्ना द्वारा कांग्रेसके विरुद्ध "युद्धकी घोषणा" (खण्ड ६६, पृ० २८६) के बाद साम्प्रदायिक परिस्थिति बड़ी तेजीसे बिगड़ती जा रही थी। आये दिन साम्प्रदायिक दंगे होते रहते थे और इस स्थितिके निराकरणके लिए कुछ करना आवश्यक हो गया था। पहले नेहरू तथा जिन्ना और फिर गांधीजी तथा जिन्नाके बीच पत्र-व्यवहारका लम्बा सिलसिला चला, जिसकी परिणति गांधीजी और जिन्नाकी दो मुलाकातोंके रूपमें हुई। पहली मुलाकात २८ अप्रैलको और दूसरी २० मईको हुई। "बातचीत मैत्रीपूर्ण होते हुए भी आशाजनक नही थी, लेकिन निराशाजनक भी नहीं थी" (पृ० १०३)। अमृतकौरको लिखे पत्रमें उन्होंने बताया कि जिन्नासे "सौदा करना आसान नहीं है — वे अपनी ही बातपर अड़े रहते है। अलबत्ता इकतरफा कार्रवाईके लिए द्वार खुला हुआ था, और गांधीजी के मनमें यह प्रश्न भी उठा कि क्या "मौजूदा हालतमें . . . इकतरफा कार्रवाई" परिस्थितिसे निबटनेका बेहतर तरीका नहीं होगा (पृ० १०५)।

पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमें स्थिति संकटापन्न बनी रही। डॉ० खानसाहबके नेतृत्वमें कांग्रेसके पदारूढ़ होने के बाद भी सीमा-पारके वजीरी कबायलियोंके हमलोंमें कोई कमी नही आई थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गांधीजी को दो बार — थोड़े दिनोंके लिए मईमें और फिर लम्बी अवधिके लिए अक्तूबर-नवम्बरमें — इस क्षेत्रका दौरा करना पड़ा। उन्होंने पठानोंको समझाया कि जिस भ्रातृत्वकी शिक्षा इस्लाममें दी गई है वह "सिर्फ मुसलमानोंका ही नही, बल्कि मनुष्य-मात्रका" भ्रातृत्व है (पृ० ७१)। खुदाई खिदमतगारोंके अनुशासनकी उन्होंने सराहना की, किन्तु साथ ही उन्हें यह चेतावनी भी दी कि "यदि इस अनुशासनकी जड़ अहिंसामें न हुई तो यह बेहद नुकसानदेह हो जायेगा" (पृ० ७६)।

और तब सितम्बर महीनेमें यूरोपीय संकट उपस्थित हुआ — म्यूनिख-समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और उसके साथ ही गांधीजी ने "यूरोपीय समस्या-सागरमें गोता

लगा" दिया (पृ० ४६५)। इस समझौतेको उन्होंने "सम्मान-रहित शान्ति" की संज्ञा दी। चेकोंकी दुर्दशाने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि उनका "शरीर और मस्तिष्क भी व्यथित हो उठा" और ऐसे ही व्यथा-विह्वल मनसे उन्होंने 'हरिजन' में "यदि मैं चेक होता" शीर्षकसे उस विपद्ग्रस्त राष्ट्रके नाम सीधी अपील जारी की। "संगठित नरसंहारकी प्रशस्तिमें काव्य-कलाका भण्डार रीता" कर देनेवाले तानाशाहोंसे लोहा लेने में लोकतन्त्रोंके मार्गमें बराबर उपस्थित होनेवाली कठिनाइयों का संकेत करते हुए उन्होंने चेकोंको इंग्लैण्ड और फ्रान्सको अपनी रक्षाके दायित्वसे मुक्त करके निःशस्त्र प्रतिरोधका रास्ता अपनाने की सलाह दी। इस सलाहसे असहमति प्रकट करनेवालों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा: "निहत्थे पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों द्वारा, अत्याचारियोंके प्रति मनमें कोई दुर्भावना रखे बिना, अहिंसक प्रतिरोध हिटलर-जैसे" उन लोगोंके लिए "एक नया अनुभव होगा" जो अबतक "जो-कुछ करते आये हैं वह अपने इस निरपवाद अनुभवके आधारपर करते आये हैं कि मनुष्य बल-प्रयोगके आगे झुक जाता है" (पृ० ४४९-५१)। गांधीजी यह मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसी वीरता मानव-स्वभावसे परे है। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा, "मनुष्य अपने सच्चे स्वभावका साक्षात्कार तो तभी कर पायेगा जब वह भली-भाँति समझ लेगा कि मनुष्य बनने के लिए पशुता या दानवताका त्याग करना आवश्यक है" (पृ० ४६०)।

जवाहरलाल नेहरू और गांधीजी के पारस्परिक मतभेद इतने बढ़ गये प्रतीत होते थे कि उनसे गांधीजी के मनको बहुत "व्यथा" और "अकेलेपन" का अनुभव होने लगा था। नेहरूके विद्रोहसे उनके प्रति गांधीजी के सम्मान-भावकी वृद्धि ही हुई थी, किन्तु दूसरी ओर उससे उनकी "अकेलेपनकी . . . व्यथा और भी गहरी हो गई . . ." (पृ० ५५)। संसदीय प्रयोगमें आस्थाकी दृष्टिसे मद्रासके मुख्य मन्त्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधीजी के अधिक निकट थे। उनके कुछ आलोचकोंको उत्तर देते हुए गांधीजी ने लिखा: "उनकी समझदारी, ईमानदारी और कमसे-कम कांग्रेसियोंकी हदतक संसदीय कार्यके मर्मको पहचानने और संसदीय दायित्वोंको निभाने की उनकी क्षमतामें मेरा असीम विश्वास है। . . . कोई सत्याग्रही बिना गर्जन-तर्जन, बिना वाद-विवादके, केवल अपने विरोधीका हृदय-परिवर्तन करके विजय प्राप्त करे, इसमें मुझे तो कोई हर्ज नही दिखाई देता। . . . विरोधीके मानसको शान्तिपूर्वक जितना अधिक बदला जाये, सत्याग्रहकी शोभा उतनी ही अधिक बढ़ती है" (पृ० ३६०-६१)।

इधर उनके अन्यतम सहायक महादेव देसाईमें कार्याधिक्यके कारण क्लान्तिके लक्षण प्रकट होने लगे थे। इससे गांधीजी बहुत चिन्तित हो उठे और उन्हें अपनी भूलका एहसास कराते हुए लिखा: "यह तो जानते हो न कि यदि तुम अपंग हो जाओगे तो मैं पंखहीन पक्षीकी तरह हो जाऊँगा?" उनकी सम्भावित रुग्णता गांधीजी को अपने काममें कटौती करने को विवश कर सकती थी। इस सम्भावनाका स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा: "तो यह कलेजा काट देने-जैसी बात होगी न?" (पृ० ३७६)।

इस बातको लेकर गांधीजी वास्तवमें इतने चिन्तित हो उठे कि उनकी नींद में भी बाधा पड़ने लगी। कहाँ तो उन्हें कभी कोई सपना आता ही नहीं था और कहाँ अब "छह-सात दिनोंसे काफी सपने" आ रहे थे और सब महादेव देसाईके बारेमें (पृ० ४०८)। अन्तमें वही हुआ जिसकी गांधीजी को आशंका थी; महादेव देसाई बीमार हो गये। तब पाठकोंसे महादेव देसाईकी रुग्णताके दौरान 'हरिजन' की "सम्पादनकी त्रुटियाँ . . . नजरअन्दाज कर" देने का अनुरोध करते हुए उन्होंने समझाया, ". . . मेरे जीते-जी तो 'हरिजन' तभीतक चल सकता है जबतक या तो खुद मैं उसमें लिखता रहूँ या फिर महादेव या प्यारेलाल सप्ताह-दर-सप्ताह मेरे विचारोंकी व्याख्या प्रस्तुत करते रहें" (पृ० ३९८)।

अपने चारों ओर धधकती हिंसा और "ईर्ष्या-द्वेष" की आगके बीच भी ईश्वरके प्रति गांधीजी की श्रद्धाकी ज्योति अविचल-अमन्द जलती रही (पृ० ४३७)। एक प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने कहा: ". . . जितना मुझे इस बातका विश्वास है कि आप और मैं इस कमरेमें बैठे हुए हैं, इससे कहीं ज्यादा मेरा ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास है। . . . मैं हवा और पानीके बिना तो जीवित रह सकता हूँ, पर ईश्वरके बिना जिन्दा नहीं रह सकता। आप मेरी आँखें निकाल लें, पर इससे मैं मर नहीं सकता। आप मेरी नाक काट डालें, इससे भी मैं मरूँगा नहीं। लेकिन आप ईश्वरपर से मेरा विश्वास उड़ा दें तो मैं उसी क्षण मर जाऊँगा" (पृ० ८३)। मानव-प्रकृतिके शील और सौष्ठवके प्रति गांधीजी का प्रेम उनकी इस भगवदास्थाको अक्षुण्ण रखने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। एक डेनिश मुलाकातीके विषयमें महादेव देसाईको लिखते हुए उन्होंने बताया: "डेनिश इंजीनियरने मेरा मन जीत लिया है। ऐसे भोले चेहरे बहुत अधिक नजर नहीं आते" (पृ० २०७)। उसी दिन एक अन्य पत्र में लिखा: "डेनमार्कवाले भाई मुझे बहुत अच्छे लगे। . . . उनका चेहरा मेरी आँखोंके सामने घूम रहा है" . . . (पृ० २११)।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओं, व्यक्तियों, पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोंके प्रकाशकोंके आभारी हैं :

संस्थाएँ : गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली; साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास एवं संग्रहालय, अहमदाबाद, और काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

व्यक्ति : श्रीमती लीलावती आसर, बम्बई; श्रीमती एफ० मेरी बार, कोट्ट-गिरि; श्री बनारसीलाल बजाज, वाराणसी; श्री बालकृष्ण भावे, उरूलीकांचन; श्रीमती शारदाबहन जी० चोखावाला, सूरत; श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्री नारायण देसाई, बारडोली; श्री वालजी गो० देसाई, पूना; श्री कान्तिलाल गांधी, बम्बई; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्री आनन्द तो० हिंगोरानी, इलाहाबाद; श्री डी० सी० झा, नई दिल्ली; श्रीमती प्रेमाबहन कंटक, सासवड़; श्रीमती लक्ष्मीबहन ना० खरे, अहमदाबाद; श्रीमती मनुबहन एस० मशरूवाला, बम्बई; श्रीमती चम्पाबहन मेहता, बम्बई; मीराबहन, आस्ट्रिया; श्री शान्तिकुमार मोरारजी, बम्बई; श्री श्रीधरण नैयर, श्रीमती विजयाबहन एम० पंचोली, सनोसरा; श्री मंगलदास पकवासा, बम्बई; श्री पृथ्वीसिंह, लालरू, पंजाब; श्री नारायण जे० सम्पत, अहमदाबाद; श्री ए० आर० सेन, कलकत्ता; श्री मुन्नालाल जी० शाह, सेवाग्राम; श्रीमती शारदाबहन शाह, सुरेन्द्रनगर; श्री श्यामजी सुन्दरदास और श्री सी० ए० तुलपुले, पूना।

पत्र-पत्रिकाएँ : 'अमृतबाजार पत्रिका', 'आर्यन पाथ', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'हरिजन', 'हरिजनबन्धु', 'हरिजन-सेवक', 'हिन्दू', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'स्टेट्समैन'।

पुस्तकें : 'बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष', 'बापूकी विराट वत्सलता', 'बापुना बाने पत्रो', 'बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने', 'बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने', 'बापुना पत्रो – ७ : श्री छगनलाल जोशीने', 'बापुनी प्रसादी', 'बेसिक नेशनल एज्युकेशन', '(ए) बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'मध्य प्रदेश और गांधीजी', 'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'पर्शियन मिस्टिक्स', 'पिलग्रिमेज फॉर पीस' और 'प्रेयर्स, प्रेजेज़ एण्ड साम्स'।

अनुसन्धान एवं सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओंके लिए सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करने में मदद देने के लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्ली के आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजी के स्वाक्षरोंमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलोंको सुधारकर दिया गया है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करने मे अनुवादको मूलके समीप रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनाने का भी पूरा ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारने के बाद अनुवाद किया गया है, और मूलमें शब्दोंके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखने की नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणोंमें संशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजी ने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजी ने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है, लेकिन यदि कोई ऐसा अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजी के कहे हुए नही हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये है। भाषण और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अंशोमें, जो गांधीजी के नही हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

इस ग्रंथमालामें प्रकाशित प्रथम खण्ड का जहाँ-जहाँ उल्लेख किया गया है, वह जून १९७० का संस्करण है।

साधन-सूत्रोमें 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका; 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्ली में उपलब्ध कागज-पत्रोका; 'एम० एम० यू०' मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिटका; 'एस० जी०' सेवाग्राममें सुरक्षित सामग्रीका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देने के लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट भी दिये गये है। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

प्रस्तुत खण्डसे 'शीर्षक-सांकेतिका' में नामोंके क्रममें परिवर्तन किया जा रहा है। अबतक नाम आद्याक्षरोंके क्रमसे दिये जाते रहे हैं, किन्तु आगामी खण्डोंमें जिन शीर्षकोंमें नामके साथ अल्ल (कुलनाम) दिया गया है, उन्हें ज्यों-का-त्यों न देकर अल्लको आधार मानकर अकारादि क्रमसे दिया जायेगा।

विषय-सूची

चित्र-सूची

१. तार : अमृतकौरको

कलकत्ता
१ अप्रैल, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
जालन्धर सिटी

स्वास्थ्य और ज्वरके सम्बन्धमें तार दो।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५१) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७००७ से भी।

२. पत्र : अमतुस्सलामको

[१ अप्रैल, १९३८][1]

चि० अमतुल सलाम,

तुम अस्पतालसे तुरन्त ही न भाग खड़ी होना। जब डॉक्टर इजाजत दे तभी आना। मेरे पास आनेका लोभ न करना। मैं मजेमें हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१५) से।

१. देखिए खण्ड ६६, "पत्र : अमतुस्सलामको", पृ० ५०० जिसमें गांधीजी ने अमतुस्सलामके टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के बाद उनकी तबियत के हालचाल पूछे थे।

३. तार : अमतुस्सलामको

कलकत्ता
१ अप्रैल, १९३८

अमतुस्सलाम
ईस्टरविला
सान्ताक्रुज

तुम्हारे [अस्पतालसे] घर आनेका समाचार सुनकर खुशी हुई। मेरा स्वास्थ्य ठीक है।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०८) से।

४. तार : अमृतकौरको

कलकत्ता
२ अप्रैल, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
जालन्धर सिटी

स्वास्थ्य ठीक है। मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। प्यार।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५२) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७००८ से भी।

५. पत्र : अमृतकौरको

कलकत्ता
२ अप्रैल, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मैंने तुम्हें कल एक तार[1] दिया था, लेकिन अभीतक उसका कोई उत्तर नहीं आया ! ! ! मैं आशा करता हूँ कि वहाँ सब ठीक है। तुम्हें यह जो बार-बार दौरे पड़ते हैं सो मुझे पसन्द नहीं। मैं जानता हूँ कि मिट्टी और पानी इसके दो इलाज हैं। बेशक, हवा और प्रकाश तो हैं ही और ये दोनों ही तुम्हें पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध हैं। लेकिन मिट्टी और पानी उपलब्ध नहीं हैं। तुम्हें कटि-स्नान और घर्षण-स्नान लेना चाहिए तथा पेड़ूपर और जहाँ कष्ट है वहाँपर मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए।

मेरे स्वास्थ्यमें कोई गिरावट नहीं आई है। लेकिन बा मूर्खतावश पुरी-मन्दिरमें गई इससे मेरा मन बहुत उद्विग्न हो गया।[2] तुम्हें पूरा इतिहास बतानेकी जरूरत नहीं है। मैं अभीतक इस सदमेसे उबर नहीं पाया हूँ। इसलिए रक्तचाप अभी १७५–८० और १०८–१०४ पर स्थिर हो गया है। मैंने जिस मानसिक थकावट पर काबू पा लिया था, वह फिर लौट आई है। मेरा वजन सम्भवतः ५ पौंड कम हो गया है। कलकत्तेके अपने कार्यमे निवृत्त हो जानेके बाद मैं सब घाटा पूरा कर लूँगा। मैं लम्बे समयके लिए मौन धारण कर लेता हूँ और फिलहाल मेरा इरादा इसे कुछ समयके लिए जारी रखनेका है। यह पत्र भी मैं तुम्हें मौनकी अवधिमें लिख रहा हूँ।

प्रभावती मेरे साथ है। देलांगमें जयप्रकाश मेरे साथ था। वह प्रभावतीको [अपने साथ][3] ले आया। जयप्रकाश ढाका गया है और वापसीपर प्रभावतीको लेता जायेगा। इस पत्रके साथ सम्भवतः प्रभावतीकी चिट्ठी भी होगी।

देलांगमें मुझे अकसर तुम्हारी याद आती थी और मैं सोचा करता था कि तुम साथ होतीं तो कितना अच्छा होता। वहाँपर देखने और सीखनेको बहुत-कुछ था।

सस्नेह,

डाकू

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. पुरी-मन्दिरमें उन दिनों हरिजनोंका प्रवेश निषिद्ध था।

३. साधन-सूत्रमें लिखा है: "वह प्र० को मेरे साथ ले आया।" लेकिन लेटर्स टु राजकुमारी अमृतकौर में इस प्रकार है: "मै प्र० को अपने साथ ले आया।"

[पुनश्च :]

तुम्हारा तार अभी-अभी मिला है।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५३) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७००९ से भी।

६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

३ अप्रैल, १९३८

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमने पत्थरफोड़ोका और टांगेवालोंका काम क्यों छोड़ा। मैं समजा नहीं हूं। थोड़े दिनोके लिये सेगांव आनेसे मैंने तुमको रोका लेकिन अगर हमेशाके लिये कुछ सेवा ही करनेके कारण रहना है तो दूसरी बात है मेरा कुछ विश्वास है कि थोडे हि दिनोंमें तुमको थकान पैदा हो जायेगा। सेगावमें क्या करेगा? मेरी सेवाके हि लिये आना मिथ्या मोह समजो। सेवा तो इतनी मिलती है कि मैं उकता जाता हूं और अपंग हो जानेका डर है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

डेका सेवाके हि लिये आवे तो उसको कहीं रख दुंगा।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६९) से।

७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

३ अप्रैल, १९३८

मेरा ध्यान समाचारपत्रोंकी उस रिपोर्टकी ओर आकृष्ट करवाया गया है जिसमें २ अप्रैल को मेरे और सर नाजिमुद्दीन[2] के बीच हुई बातचीतका निचोड़ देनेका दावा किया गया है। बातचीत पूर्णतः गुप्त थी, अतः रिपोर्ट किसी कल्पनाशील पत्रकारके दिमागकी उपज ही होनी चाहिए। जबसे मैंने राजनैतिक कैदियों तथा नजरबन्दोंकी ओरसे इस स्वगृहीत कार्यका बीड़ा उठाया है, तभीसे, जिन शर्तोंपर मैंने हस्तक्षेप किया है, वे शर्तें सबको बता दी ह। तथापि कैदियोंकी ओरसे, आजादीकी

१. यह लेख "कोई आश्वासन नहीं" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२. ख्वाजा नाजिमुद्दीन, बंगालके मुस्लिम लीगी मुख्यमंत्री।

कीमतके रूपमें, आश्वासन दिये जानेकी बात कभी मेरे दिमागमें नहीं आई। एक नविनय प्रतिरोधी होनेके नाते मैं किसी भी राजनैतिक कैदीको इस तरहके आश्वासन देनेके लिए प्रोत्साहित नहीं करूँगा। मैं यह भी कह सकता हूँ कि अलीपुर व हावड़ा जेल तथा हिजलीमें अधिनियम-३के कैदियोंसे हुई मेरी अपनी बातचीतके दौरान उन्होंने मुझे साफ-साफ बता दिया था कि वे अपनी आजादी खरीदनेके उद्देश्यसे किसीको भी कोई आश्वासन नहीं देंगे। हम जिस उद्देश्यको लेकर चल रहे हैं, उस उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए मैं चाहता हूँ कि अखबारवाले कल्पनासे भावी घटनाओंका चित्रण न करें। मेरे सम्मुख पहले ही बहुत कठिनाइयाँ हैं और हर अप्रामाणिक रिपोर्ट मेरी कठिनाइयों को और बढ़ा देती है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ९-४-१९३८

८. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

१ वुडबर्न पार्क
कलकत्ता
४ अप्रैल, १९३८

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

पत्रके[1] लिए धन्यवाद। उत्तर देनेमें मैंने एक दिन लगाया, क्योंकि क्या कहूँ, मैं जानता नहीं था। अभी भी नहीं जानता। मेरी गतिविधि बहुत अनिश्चित है। मैं बंगाल सरकारके हाथोंमें हूँ। १८ से पहले जितनी जल्दी भी आ सका, आऊँगा। क्या मैं केवल अपने दिल्ली पहुँचनेकी तारीख, बिना प्रेषकका नाम दिये, तारसे आपके सचिवके पास भेज दूँ? हो सकता है मैं एक-दो दिनमें ही यहाँसे रवाना हो सकूँ।

अब गोपनीयताकी बात लें। मैं क्या कर रहा हूँ, यह अपने कुछ मित्रोंको तो मुझे बताना ही होगा। इतनी मुझे अनुमति होगी, यह मैं माने लेता हूँ। बेशक, मैं इसका खयाल रखूँगा कि समाचारपत्रोंको कुछ पता न चले। कम-से-कम व्यक्तियोंको यह बात बताई जायेगी।

मेरा खयाल है कि आपका आशय यह है कि हमारी मुलाकातसे पहले यह बात गुप्त रहे। मुलाकातके बाद तो गोपनीयता क्या असम्भव नहीं होगी?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे : लिनलिथगो पेपर्स; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार।

१. ३१ मार्चका, जिसमें लॉर्ड लिनलिथगोने १८ अप्रैलको अपने दौरे पर रवाना होनेसे पहले गांधीजीसे एक बार फिर मिलने और बातचीत करनेकी इच्छा प्रकट की थी।

९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

४ अप्रैल, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

यह अन्तिम मसविदा[1] नही है। मै चाहता हूँ कि तुम इसे सहानुभूतिके साथ पढ़ जाओ। मैं यह महसूस करता हूँ कि जबतक हम ऐसा कुछ नही करते, तबतक तनाव जारी रहेगा। जो हो, मैं एक बजे तुम सबको हैरतमें नही डालूँगा। मैंने इस विषयपर मौलानासे विस्तारसे बातचीत की है।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

गाधी-नेहरू कागजात, १९३८; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय।

१०. पत्र : अमृतकौरको

कलकत्ता
४ अप्रैल, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मैं यह पत्र सिर्फ कामकाजके लिहाजसे लिख रहा हूँ। मेरे बीमार पड़नेपर तुम मुझसे पोस्टकार्डकी अपेक्षा रखती हो, जबकि मै तुम्हे पत्र भेजता हूँ यह कहनेके लिए कि मै सचमुच ठीक हूँ। मेरी बीमारी शारीरिक नही, मानसिक थी। और जैसाकि तुम्हें 'हरिजन' में पढनेको मिलेगा,[2] इस बीमारीके [अन्य कारणोके अलावा] मानसिक कारण भी थे। महादेवने जैसा मुझे देखा और पाया, वैसा विवरण इस लेखमें दिया है। मैंने जो-कुछ किया यदि उसमें उसे प्रेमका अभाव दिखाई दिया, तो निश्चय ही ऐसा रहा होगा। सच्चा प्रेम तो वही है कि जिस व्यक्तिसे प्रेम किया जाये, उस व्यक्तिको भी किसी-न-किसी समय उस प्रेमकी प्रतीति हो।

१. सम्भवतः यहाँ संकेत मध्यप्रान्तके संकटसे सम्बन्धित उस प्रस्तावकी ओर है जो बादमें क.ल.व.ताामें कार्य-समितिकी बैठकमें पास किया गया था।

२. ९-४-१९३८ के हरिजनमें "ए ट्रैजेडी" शीर्षकसे महादेव देसाई द्वारा लिखित एक लेख प्रकाशित हुआ था। कस्तूरबा और दुर्गा देसाई पुरी-मन्दिरमें हरिजन-प्रवेश पर रोक होनेके बावजूद दर्शनार्थ गई और उससे गांधीजीको जो मनोव्यथा हुई, उसीका विवरण उक्त लेखमें दिया गया है। महादेव देसाईके लेखके मूल पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १।

मुझपर जो बोझ पड रहा है उसे मैं बड़े मजेमे निभा रहा हूँ। मैंने ढेरों लिखा है और इसमें मुझपर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। हो सकता है कि कुछ दिनोंमे मुझे दिल्ली जाना पड़े। यदि जाना पड़ा तो तुम्हें सूचना मिल जायेगी।

तुमने पंजाबमें मेरा काम करनेकी जो बात मुझसे कही थी, उसके बारेमे क्या मैंने कुछ कहा था? मेरा खयाल है कि नही कहा था। लेकिन मैं तुम्हें लाहौरकी गर्मी बरदाश्त करनेके लिए कैसे कह सकता हूँ? और जबतक शम्मी[1] शिमलामें है तबतक मैं उससे तुम्हारी जुदाई कैसे बरदाश्त कर सकता हूँ? और वह भी किस लिए? हो सकता है कि यह बिलकुल व्यर्थका और प्रशसारहित कार्य सिद्ध हो। मुझमे साहस नही कि पंजाबकी गडबड़को सुधारनेके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँ। और फिर समय भी कहाँ है? तुम्हारे हाथ तो पहले ही जरूरतसे ज्यादा भरे हुए हैं।

यहाँ मेरा काम आगे नही बढ रहा है। इतना ही है कि मैंने उम्मीद नही छोड़ी है।

यदि मैं दिल्ली गया तो केवल चन्द घटो के लिए ही।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६२५) से, सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४३४ से भी।

११. पत्र : मीराबहनको

कलकत्ता
४ अप्रैल, १९३८

चि० मीरा,

मैं परेशान हूँ कि मेरी वापसीमें अत्यधिक देर होती जा रही है। अनिश्चय की यह स्थिति तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह होगी। लेकिन यदि तुम वहाँ अच्छी तरह जम गई हो तो तुम्हें उद्विग्नता नही होगी। अखबारोमें तथा अन्य सूत्रोसे भले ही तुम्हें मेरे बारेमें कुछ भी पढने-सुननेको मिले, मेरा विश्वास करो कि मैं बिलकुल ठीक हूँ। मैं मन-ही-मन यह महसूस करता हूँ कि मुझपर अभी जो बोझ पड़नेवाला है उसे मैं अच्छी तरह निभा ले जाऊँगा। लोग मेरा ध्यान रखते है और मुझे परेशान नहीं करते। मौसम भी बुरा नही है। यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि

1. कर्नल शमशेरबहादुर सिंह, अमृतकौर के भाई।

तुम मेरी वापसीमें होनेवाली देर अथवा मेरे स्वास्थ्यको लेकर चिन्तित नहीं हो तो मुझे खुशी होगी। अन्ततः तो सब-कुछ भगवानके हाथमें ही है।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३९९)से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९९९४ से भी।

१२. पत्र: ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

[५ अप्रैल, १९३८ से पूर्व][1]

चि० ब्रजकृष्ण,

हां, मैं कलकत्तामें हुं तबतक रहो। मेरे पर इतना विश्वास रखकर क्या करोगे? मैं कोई पूर्ण पुरुष नही हूं। न निर्विकार हुं। देखो कल ही रात्रिको मुझे गंदा स्वप्ना आया। यह कोई अच्छी बात न मानी जाय। ऐसे आदमीके निकट बेठनेसे क्या आशा रखते हो? मैं जैसा हुं ऐसा मुझे पहचानो। काल्पनिक बापुसे तुम्हारा उध्धार नही होगा। जो-कुछ मेरेमें है सो तो जग-जाहिर है। उसमें से तो कही भी बैठे हुए काफी पा शकते हो। निर्विकारता कि मेरी व्याख्या तो जानते हो ना? मनसा वाचा कर्मणा जागृतावस्थामें निद्रावस्थामें ऐसे-ऐसे मनुष्यमें शक्ति होते हुए भी जननेन्द्रीय जाग्रत नही होती है। इसी जन्ममें ऐसा बननेकी चेष्टा तो है। ऐसा बने तब मेरे पास रहनेसे [फायदा] उठाओगे। देखें ईश्वर क्या चाहता है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यह पत्र तुम किसीको भी दिखा सकते हो, इसे महादेव और अन्य लोगोको जरूर दिखाना।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६७)से।

१. यह पत्र महादेव देसाईकी डायरीमें ५ अप्रैल, १९३८ की तारीखमें दर्ज है; फिर भी देखिए अगला शीर्षक जो इस पत्रका उल्लेख करता प्रतीत होता है।

१३. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

५ अप्रैल, १९३८

चि० ब्रजकृष्ण,

मैंने मैं जैसे अपनेको पाता हूं ऐसा बताया।

हां, सेगांव दिल चाहे तब आना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६८) से।

१४. पत्र : मीराबहनको

६ अप्रैल, १९३८

चि० मीरा,

आज उपवास रखनेका दिन[1] है और मुझे तुम सबकी याद आ रही है। मैंने अस्थायी तौरपर यह निर्णय ले लिया है कि मेरा काम पूरा हो अथवा न हो, मैं १२ तारीखतक यहाँसे रवाना हो जाऊँगा। हो सकता है, मैं इससे भी पहले रवाना हो जाऊँ। मैं ज्यादा-से-ज्यादा १६ तारीखतक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। बेशक देर तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं बिलकुल लाचार हो गया हूँ। सेगाँवसे एक दिन भी बाहर रहनेका मतलब है एक दिन व्यर्थ ही खोना। लेकिन अब जो है सो है। ईश्वरकी इच्छा होकर रहेगी।

मैं ठीक हूँ। विस्तारसे तो तुम्हें जो-कुछ बतायेगी, सुशीला ही बतायेगी।

आशा है, बालकृष्ण ठीक होगा। यदि उसे गर्मी लगती है तो उसे ठंडकके लिए खसकी टट्टी लगवा लेनी चाहिए। उसे कटि-स्नान करना चाहिए। दोपहरको वह पेट पर पट्टी बाँध सकता है।

१. १९१९ से ही रौलट-अधिनियमके विरोधमें ६ अप्रैलका दिन सत्याग्रह-दिवस — उपवास और प्रार्थना-दिवस — के रूपमें मनाया जाता था। देखिए खण्ड १५, पृ० १८९ और खण्ड ३९, पृ० ३४५-४६।

मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें गर्मी बहुत ज्यादा नहीं सता रही है।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४००) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९९९५ से भी।

१५. पत्र: अमृतकौरको

कलकत्ता
७ अप्रैल, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

सु०[1] जो समाचार आज तुम्हे देगी, उम्मीद है, तुम उससे परेशान नही होगी। रक्त-चाप डॉक्टरोके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन इससे मरीजोंको कोई मदद नही मिलती। जब वे बीमार महसूस करते हैं, तब वे सचमुच बीमार होते हैं। कल रात मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। सिरके पिछले भागमें उसी तरहका दर्द था। लेकिन सुशीलाके धीरे-धीरे मालिश करनेसे कुछ मिनटोंमें दर्द जाता रहा और उसके बादसे फिर नही हुआ है। रक्त-चाप दोपहर १२ बजे १५४-९८ था। बादमें बढ़कर १७०-९८ अथवा ऐसा ही कुछ हो गया। इसलिए तुम्हें चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही। जब असली संकटकी घड़ी आयेगी तब तुम्हें उसकी सूचना संकट गुजर जानेके बादमें मिलेगी और तब व्यर्थ ही दुःखी होनेका प्रसंग नहीं रह जायेगा, बल्कि तब तो तुम्हें और भी निष्ठापूर्वक काम करना होगा।

सस्नेह,

अत्याचारी

[पुनश्च:]

क्या तुमने ६ अप्रैल मनाया था?

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६२६) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४३५ से भी।

१. डॉ० सुशीला नैयर।

१६. पत्र : अमृतकौरको

८ अप्रैल, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मैं यह पत्र तुम्हे पेंसिलसे लिख रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करना। तुम्हे पॉलको बता देना चाहिए कि चूँकि तुम्हारा सारा समय हमारे अपने ही कामोमे चला जाता है, इसलिए वह जो दौरे करनेको कहता है उनमें तुम्हे कोई दिलचस्पी नही है। तुम्हे चाहिए कि उसको १०० रु० भेज दो और यह भी लिख दो कि तुमने उससे यह अपेक्षा नही की थी कि वह तुम्हारी दानराशिको वार्षिक चन्दा समझे। इसलिए वर्तमान राशिको वह अन्तिम समझे और आगे जब वह पैसा मांगेगा, तब तुम उसकी मांगके औचित्य-अनौचित्य और अपनी तत्कालीन आर्थिक स्थितिका विचार करके ही पैसा दोगी।

मुझे जॉर्ज पसन्द है। मैंने अभी उसकी पुस्तिका नही पढ़ी है।

सर मिर्जा[1] की पुस्तिका भूल-सुधारके साथ भेज रहा हूँ।

बेचारी प्रभा! उसे पटना जाना पड़ा।

कामके बावजूद मैं स्वस्थ हूँ। हो सकता है मैं कल ही अथवा सोमवारको रवाना हो जाऊँ।

ये रहे कागजात।

सस्नेह, मैं जल्दीमें हूँ।

अत्याचारी

[पुनश्च :]

जॉर्जकी पुस्तिका ठीक है। वह आन्दोलन जारी रख सकता है।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५४)से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०१० से भी।

१. सर मिर्जा इस्माइल, मैसूरके दीवान।

१७. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

कलकत्ता
८ अप्रैल, १९३८

१४ राजबन्दियों और चार महिला राजनीतिक बन्दियोंके साथ लगभग तीन घंटेतक गुप्त परामर्श करनेके बाद ५ बजे महात्मा गांधी मुस्कराते हुए प्रेसिडेंसी जेलसे बाहर आये। जिस समय गांधीजी जेलके द्वारसे बाहर निकल रहे थे उस समय ऐसोसिएटेड प्रेसका प्रतिनिधि उनके पास पहुँचा। महात्मा गांधीने प्रतिनिधिको बताया कि कैदियोंके साथ मेरी लम्बी बातचीत हुई है लेकिन इस समय मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। यह पूछनेपर कि क्या वे फिर कैदियोंसे भेंट करनेवाले हैं, महात्मा गांधीने कहा:

हो सकता है मैं उनसे मिलूँ। लेकिन इस समय नहीं।

आगे प्रश्न पूछनेपर उन्होंने बताया कि वे अपनी समझौता-वार्ताको पूरा करनेके लिए सम्भवतः दो अथवा तीन बार गृह-मन्त्री सर नाजिमुद्दीनसे मिलेंगे, लेकिन अब फिर गवर्नरसे बातचीत होनेकी कोई सम्भावना नहीं है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-४-१९३८

१८. अहिंसा या हिंसा?

संयुक्त प्रान्तमें हालमें हुए दंगोंके सम्बन्धमें मैंने जो विचार प्रगट किये हैं उनकी तरफ बहुतोंका ध्यान गया है।[1] मित्रोंने मेरे पास अखबारोंकी कतरनें भेजी हैं। लिखित या जबानी आलोचनाओंमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:

(१) मेरा लेख मेरी खब्तुलहवासी जाहिर करता है।
(२) मैंने पूरी जानकारीके बगैर उसे लिखा है।
(३) असहयोग और सत्याग्रह सम्बन्धी अपने विचारोंसे मैं हट गया हूँ।
(४) मैं लिबरलों (नरम दलवालों) की नीतिपर आ गया हूँ।
(५) कांग्रेसियोंने आपसमें अहिंसाको कभी भी नहीं अपनाया था।
(६) मैं मानव-स्वभावसे असम्भव बातोंकी आशा कर रहा था।

१. देखिए खण्ड ६६, पृ० ४५०-५२।

(७) अगर मेरी बात मानी जाये, तो स्वराज्य हर्गिज हासिल नहीं होगा, क्योंकि सारा हिन्दुस्तान कभी भी अहिंसक नहीं बन सकता।

आलोचनामें से मैं और भी बहुत-कुछ ले सकता था, लेकिन मैंने केवल संगत अंश ही लिये हैं।

१. अगर मेरा लेख खब्तुलहवासी प्रकट करता है, तो उसके लक्षण तो अभी भी मुझमें मौजूद हैं, क्योंकि आलोचनाओंको ध्यानसे पढ़नेके बाद भी, मैंने जो रुख अपनाया है उसमें तबदीली करने-जैसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। आलोचकोंको यह याद रखना चाहिए कि मेरी तजवीज निश्चित और परिमित थी। अहिंसक उपायोंसे स्वराज्य तबतक हासिल नहीं हो सकता जबतक कि हमारी अहिंसा बहादुरोंकी अहिंसा न हो, और इस कोटिकी न हो कि वह सफलतापूर्वक हिंसाका मुकाबला कर सके। मैंने यह दावा कभी नहीं किया कि स्वराज्य और उपायोंसे हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसे अन्य किसी उपायसे प्राप्त किया जा सकता हो तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेनसे अपनी ताकतकी जोर-आजमाई करनेके लिए हम तैयार नहीं हैं।

२. जहाँतक जानकारीका सवाल है, इतनी जानकारी पर्याप्त थी कि दंगे हुए, फिर वे कितने ही छोटे पैमानेपर क्यों न हुए हों, और कांग्रेसजन अहिंसात्मक तरीकेसे उनका मुकाबला न कर सके और उन्हें शान्त करनेके लिए पुलिस व फौजकी मदद लेनी पड़ी। इन तीन मुख्य बातोंके बारेमें कोई मतभेद नहीं है, और मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा उसके लिए ये ही बातें काफी थीं। इसमें मन्त्रियोंपर कोई आक्षेप नहीं है। बल्कि, यह बात मैं खुद मंजूर कर चुका हूँ कि वे और कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन यह तथ्य तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि कांग्रेसकी अहिंसा जरूरतके वक्त कारगर साबित नहीं हुई।

३. मेरे लेखमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि असहयोग और सत्याग्रहमें मेरा विश्वास नहीं रह गया है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इनमें मेरा विश्वास आज पहलेसे भी ज्यादा हो गया है। स्वराज्य-प्राप्तिके लिए ये दोनों उपाय बहुत काफी हैं, बशर्ते कि जिस अहिंसापर अमल किया जाये वह बहादुरोंकी अहिंसा हो।

४. लिबरलोंकी नीतिपर मैं आ सकूँ, इससे मुझे खुशी ही होगी। क्योंकि लिबरलोंमें मेरे बहुत-से व्यक्तिगत मित्र हैं। लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं है, जबकि मैं इस बातका दावा करता हूँ कि मेरे पास अचूक ताकत है। मैंने वह लेख यह दिखलानेके लिए लिखा था कि दंगोंमें मेरी वह ताकत असफल नहीं रही, बल्कि वह संस्था असफल रही जिसने उस ताकतको — सक्रिय और रचनात्मक अहिंसाको — कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ले रखी है।

५. आलोचकोंका ध्यान मैं कांग्रेसके उन अनेक प्रस्तावोंकी ओर आकर्षित करता हूँ जिनमें अहिंसाके प्रयोगको केवल अंग्रेजोंतक ही सीमित नहीं रखा गया है; मुझे याद है कि कार्य-समितिकी बैठकमें होनेवाली बहसोंमें भी इस बातपर जोर दिया जाता रहा है कि हमें आपसमें भी अहिंसाकी जरूरत है।

६. मानव-स्वभावने तो अभीतक अहिंसाका बड़ी अच्छी तरह स्वागत किया है। मेरी चिन्ता तो कांग्रेसजनोंके स्वभावको लेकर है। कांग्रेसजनोको एक प्रतिज्ञापर दस्तखत करने पड़ते हैं, जो कि उन्हे अहिंसाके प्रति वचनबद्ध करती है।[1] मेरा सवाल पहले भी यही था और अब भी यही है कि क्या उनमें अहिंसा मौजूद है? अगर है, तो क्या वह बहादुरोंकी अहिंसा है? मेरा कहना यह है कि अगर वह बहादुरोंकी अहिंसा है, तो वह दंगोंसे निपटने तथा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

७. इसका जवाब ऊपर दिया जा चुका है।

लेकिन मुझे भय है कि हमारी अहिंसा बहादुरोंकी अहिंसा नहीं है। कांग्रेसजन मेरी इस चेतावनीकी उपेक्षा न करे। क्योंकि अहिंसाके बारेमें आखिर कांग्रेसी विशेषज्ञ मैं ही तो समझा जाता हूँ, फिर मेरी क्षमता कितनी ही कम क्यो न हो। मैंने जो-कुछ खयाल बनाये है और जो उपाय सुझाये है उनपर मुझे विश्वास है। अहमदाबाद और वीरमगामके दगे,[2] युवराजके आगमन पर हुआ बम्बईका दंगा[3] और बारडोली-सत्याग्रहके वक्तके चौरी चौरा काण्डको[4] मैं उदाहरणके रूपमे पेश करता हूँ। मेरे कहनेपर जो उपाय अपनाये गये, उनकी उस समय आलोचकोंने कुछ कम नुक्ता-चीनी नही की, लेकिन उनके परिणामोंने पूरी तरह यह साबित कर दिया है कि उन उपायोको अपनाना बिलकुल उचित था। मौजूदा निदान और उपायके बारेमें भी मुझे कोई सन्देह नहीं है। अहिंसा और उसकी प्रकृतिके विषयमें अगर हमारा जीता-जागता विश्वास हो, तो जो उपाय मैंने सुझाये है वे हमारी सामर्थ्यसे बाहरके नही हैं। उनमें से कुछ उपाय ये हैं:

१. हिन्दू-मुस्लिम समस्या कैसे हल हो, इसका कोई उपाय हमें ढूँढ़ना ही चाहिए। 'साम्प्रदायिक' के बजाय 'हिन्दू-मुस्लिम' मै जान-बूझकर इसलिए कहता हूँ, क्योकि अगर हमें उसका हल मिल जाये तो दूसरी समस्या अपने-आप सुलझ जायेगी।

२. कांग्रेस-रजिस्टरोंमें ऐसी आमूल शुद्धि होना आवश्यक है जिससे कोई फर्जी मतदाता न हो सके। क्योंकि मेरे पास जो विवरण आते रहते है उनसे मालूम पड़ता है कि हमारे रजिस्टरोंमें बहुत-से ऐसे फर्जी नाम होते है जिन्हें सही बिलकुल नही कहा जा सकता।

३. कांग्रेसजनोको इस बातका भय नही करना चाहिए कि हम अल्पमतमें आ जायेंगे।

१. १९१९ में रौलट-अधिनियमके विरुद्ध सत्याग्रहके दौरान यह पद्धति आरम्भ हुई थी। देखिए खण्ड १५, पृ० १२२-२३।

२. अप्रैल १९१९ में, रौलट-अधिनियमके खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान। देखिए खण्ड १५, पृ० २५१-५२।

३. १७ नवम्बर, १९२१ को; देखिए खण्ड २१, पृ० ४८५।

४. फरवरी १९२२ में; देखिए खण्ड २२, पृ० ३९९-४००।

४. हरएक प्रान्तीय समितिको तुरन्त ऐसे स्वयंसेवक-दल संगठित करने चाहिए जो मन, वचन और कर्मसे अहिंसाके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों। और उनके शिक्षणकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर तरहके उपयोगके लिए वे तैयार रहे।

इन सुझावोंमें कोई अति वीरतापूर्ण या अव्यावहारिक बात नहीं है। हाँ, जो लोग इन्हें अमलमें लायें उनका अहिंसामें जीता-जागता विश्वास न हो तो ये जरूर अव्यावहारिक हैं। लेकिन अगर अहिंसामें उनका ऐसा विश्वास न हो तो कांग्रेस और राष्ट्रके लिए यही बेहतर होगा कि कांग्रेसके शब्द-कोशसे अहिंसाको जितनी जल्दी हो सके हटा दिया जाये। निश्चय ही इसका मतलब यह नहीं कि अहिंसाके बदलेमें विशुद्ध हिंसाको अपना लिया जाये। दुनियामें हमारी कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जिसने, मेरे कहने पर, स्वराज्य-प्राप्तिके लिए विशुद्ध अहिंसाको अपनाया है। वही उसकी एकमात्र शक्ति है। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि अगर हमारी अहिंसा वैसी न हुई जैसी कि वह होनी चाहिए, तो राष्ट्रको उससे बड़ा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि उसकी आखिरी परीक्षामें हम बहादुरके बजाय कायर साबित होंगे। और आजादीके लिए लड़नेवालोंके लिए कायरतासे बढ़कर अपमानकी बात और कोई नहीं है। पीछे मुड़ जानेमें निश्चय ही शर्मकी कोई बात नहीं। अगर हम यह महसूस करें कि हिंसाकी लड़ाईके बगैर हम ब्रिटिश सत्ताको नहीं हटा सकते, तो हमें, अर्थात् कांग्रेसको राष्ट्रसे साफ-साफ यह कह देना चाहिए और उसे उसके लिए तैयार करना चाहिए। इसके बाद जो सारी दुनियामें हो रहा है वही हम भी करें, अर्थात् जब जरूरत हो खामोश रहें और जब मौका हो तब वार करें। अगर यही हमारा ध्येय या हमारी नीति होनी हो, तो कहना चाहिए कि पिछले बेशकीमती सत्रह साल हमने यों ही गँवा दिये। लेकिन समझकर भूल सुधार लेनेमें कभी भी कोई बुराई नहीं है। और किसी राष्ट्रके जीवनमें सत्रह साल हैं ही क्या? कांग्रेसजनोंने यह चेतावनी मिल जानेपर भी अगर अहिंसा और हिंसाके बीच चुनाव नहीं किया तो उन्हें बड़ी मुश्किलें पेश आयेंगी, यह निश्चित है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ९-४-१९३८

१९. तार : मुहम्मद अली जिन्नाको

९ अप्रैल, १९३८

मैं सम्भवतः १९ तारीखके आसपास दिल्लीमें होऊँगा। यदि सम्भव हो तो समय और शक्तिको बचानेके लिए मैं आपसे बम्बईके बजाय वहाँ मिलना चाहूँगा। यदि आप सहमत हों तो मौलाना मेरे साथ होंगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २-७-१९३८

२०. विजया एन० पटेलको

९ अप्रैल, १९३८

चि० विजया,

यदि तू रुक सके तो जबतक मैं आऊँ तबतक रुकना। यदि जाना अपना धर्म समझे तो चली जाना। यदि बात अभी भी तेरी समझमें न आई हो तो अमृतलालसे पूछना और वह जैसा कहे वैसा करना।

मैं थोड़े दिनोंमें पहुँचनेकी आशा रखता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०७९)से। सी० डब्ल्यू० ४५७१ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

२१. भाषण: खादी-प्रतिष्ठान, सोदपुरमें

१० अप्रैल, १९३८

गांधीजीने कहा कि मैं आश्रममें कम-से-कम एक दिन अवश्य बिताना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास कलकत्तेमें जो काम है उनके चलते मैं इस समय ऐसा नहीं कर सकूँगा। आश्रम और आश्रमवासियोंके प्रति मेरे मनमें जो प्रेम है उसे मैं शब्दोंमें नहीं कह सकता, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जन-साधारणमें खादीका प्रचार करनेके अपने कार्यमें लगे रहें।

गांधीजीने आगे कहा कि सोदपुरमें अपने कामके जरिये आप समस्त भारतकी सेवा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि देश-भरमें आपकी सेवाओंकी अधिकाधिक सराहना की जायेगी।[1]

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-४-१९३८

१. गांधीजी हिन्दी में बोले थे और हेमप्रभा देवी ने बँगला में उसका अनुवाद किया था।

२२. भेंट: पी० आर० ठाकुरको[1]

कलकत्ता
१० अप्रैल, १९३८

महात्माजीने श्री ठाकुरको अपनी शुभकामनाएँ दीं और इच्छा प्रकट की कि वे अपने दादा श्री गुरुचन्द ठाकुरके चरण-चिह्नोंपर चलें जिन्होंने अपना जीवन अनुसूचित जातियोंके उत्थान-कार्यमें समर्पित कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि बंगालकी भूमिसे अस्पृश्यताके पापको दूर करनेके लिए कांग्रेस भरसक प्रयत्न करेगी। उन्होंने श्री ठाकुरसे कहा कि वे विभिन्न कांग्रेस प्रान्तोंका दौरा करें और अनुसूचित जातियोंके उत्थानके लिए किये जानेवाले कांग्रेसी कार्यों और गतिविधियोंका अध्ययन करें तथा बंगालमें उसका प्रचार करें, जिससे बंगालकी अनुसूचित जातियाँ कांग्रेसका आह्वान सुनें और भारतको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करवानेकी कांग्रेसकी कोशिशोंमें सहयोग दें।

[अंग्रेजीसे]
अमृत बाजार पत्रिका, १२-४-१९३८

२३. सन्देश: मिदनापुरके लोगोंको

[११ अप्रैल, १९३८ से पूर्व][2]

मैं आशा करता हूँ कि मिदनापुरके लोग समस्त भारतको यह दिखा देंगे कि उनका विशुद्ध अहिंसामें पूरा-पूरा विश्वास है। मेरे खयालसे यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-४-१९३८

१. बंगाल विधान-सभा के सदस्य पी० आर० ठाकुरने गांधीजी को बताया कि कांग्रेसी मन्त्रीमण्डलों द्वारा हरिजनोद्धारका जो कार्य किया जा रहा है यदि वह कार्य यथाशीघ्र बंगालमें भी शुरू कर दिया जाये, तो बंगालकी अनुसूचित जातियाँ खुशी से उसमें सहयोग करेंगी।

२. यह सन्देश सुभाषचन्द्र बोसके हाथ भेजा गया था जो ११ अप्रैलको मिदनापुर गये थे।

२४. पत्र : डॉ० सैयद महमूदको

कलकत्ता
११ अप्रैल, १९३८

प्रिय डॉ० महमूद,

पेंसिलसे लिखनेके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।

आपके आह्वानका नौजवानों द्वारा उत्साहपूर्ण उत्तर देखनेके लिए, काश, मैं आपके साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है, यह उत्साह बना रहेगा और बिहारसे निरक्षरता जल्दी ही दूर हो जायेगी।

बेगम महमूदको मेरा प्यार कहिए और कहिए कि जबतक वे पर्दा नहीं छोड़तीं तबतक उन्हें मुझको आमन्त्रित करनेका कोई अधिकार नहीं है। क्या हजरत मुहम्मदने यह नहीं कहा है कि स्त्रीकी पवित्रता ही उसका सच्चा पर्दा है?

उम्मीद है, आप स्वस्थ होंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री सैयद महमूद
शिक्षा मन्त्री
पटना, बिहार

मूल अंग्रेजीसे: डॉ० सैयद महमूद पेपर्स; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय। जी० एन० ५०८३ से भी।

२५. बातचीत : कैदियोंके साथ[1]

[१२ अप्रैल, १९३८ या उससे पूर्व][2]

मुझसे तो अब कुछ करते नहीं बनता। हालाँकि यदि बंगाल सरकार चाहे तो मैं बंगाल लौटनेको तैयार हूँ, फिर भी बहुत-कुछ, मुझे भय है, मेरे स्वास्थ्य पर निर्भर है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २३-४-१९३८

१. महादेव देसाईके "वीकली लेटर" (साप्ताहिक पत्र) से उद्धृत।

२. अमृत बाजार पत्रिका, १३-४-१९३८ के अनुसार गांधीजी राजनैतिक कैदियों के पास अन्तिम बार १२ अप्रैल को गये थे।

२६. सन्देश : गुरुकुल काँगड़ीको

कलकत्ता
१२ अप्रैल, १९३८

गुरुकुलके शिक्षकगण और विद्यार्थीगणके सामने एक बड़ी समस्या है। देशकी और धर्मकी रक्षा कैसे हो सकती है—सत्य और अहिंसासे कि असत्य और हिंसासे? कैसा अच्छा हो यदि इस प्रश्नका उत्तर हृदय और बुद्धिसे गुरुकुलमें ही दिया जा सके।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई।

२७. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

१२ अप्रैल, १९३८

जब गांधीजी बाहर आये[1] तो उनकी प्रतीक्षामें खड़े पत्र-प्रतिनिधियोंने उन्हें घेर लिया। गांधीजीने उन लोगोंको बताया कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन और मेरे बीच जो बातचीत हुई, उसके बारेमें मैं आज शामको अथवा कल वक्तव्य जारी करूँगा।[2] पत्र-प्रतिनिधियों द्वारा फिर यह पूछे जानेपर कि कोई समझौता हुआ या नहीं, गांधीजीने सर नाजिमुद्दीनकी ओर इंगित किया और कहा कि आप यह उन्हींसे पूछें।

तथापि सर नाजिमुद्दीनने यह बतानेमें अपनी असमर्थता प्रकट की कि समझौता हुआ अथवा नहीं।

बाहर आनेपर सर नाजिमुद्दीनने गांधीजीका परिचय प्रजा पार्टीके एक नेता, बोगराके मौलाना अब्दुल रशीद तर्कवागीशके साथ करवाया। इसपर गांधीजीने विनोद करते हुए कहा कि यदि यह बात है तब तो मुझे मौलानाको खुश करना ही होगा।

[अंग्रेजीसे]
अमृत बाजार पत्रिका, १३-४-१९३८

१. ख्वाजा नाजिमुद्दीनसे भेंट करनेके पश्चात्।
२. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", पृ० २२-२३

२८. बातचीत : कांग्रेसजनोंके साथ[1]

कलकत्ता

[१३ अप्रैल, १९३८ या उससे पूर्व][2]

यहाँका मेरा कार्य अत्यन्त दुष्कर है और मुझे विश्वास है कि मेरे स्थानपर यदि कोई और व्यक्ति होता तो वह भाग खड़ा होगा। वैसे मुझे किसी भी कार्यको करनेका धीरज है, किन्तु वह भी लगभग समाप्त होने लगा था। लेकिन अब मुझे थोड़ी-सी आशाकी किरण दिखाई देने लगी है, जिसके प्रकाशमें मैं वर्धा लौट सकता हूँ। मैंने जो यह सुझाव रखा है कि सब तरहके प्रदर्शनों, स्वागत-समारोहों व भाषणोंको बन्द कर देना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसपर ऊपरी सहमति व्यक्त न कर हार्दिक स्वीकृति व्यक्त करें, ताकि मेरी आशाकी उस किरणमें सौ-गुणा विस्तार हो।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-४-१९३८

२९. तार : अमृतकौरको

कलकत्ता

१३ अप्रैल, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
मेनरविले
शिमला

कल रात दिल्ली पहुँच रहा हूँ। परसों रवाना होऊँगा। बिलकुल ठीक हूँ।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५६) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०१२ से भी।

१. महादेव देसाई के "वीकली नोटस्" (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत।

२. गांधीजी १३ अप्रैलको कलकत्तासे रवाना हुए थे।

३०. पत्र : प्रभावतीको

१३ अप्रैल, १९३८

चि० प्रभा,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। तुम्हारा इस तरह हर समय परेशान रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना चाहिए।

आशा है, जयप्रकाश अच्छा है। मुझे विस्तारसे लिखना। जबतक मैं न कहूँ, तबतक लिखना मुलतवी न करना। मैं एक दिनके लिए दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ से १५ को रवाना होकर १६ को वर्धा पहुँचूंगा। मैं ठीक हूँ। इस समय मेरा रक्त-चाप १५४/१०० है। आज[1] मैंने उपवास रखा था, लेकिन कोई थकावट महसूस नहीं हुई।

यहाँका काम अधूरा पड़ा है। कदाचित् मुझे यहाँ वापस आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि कोई भी समय ठीक होगा। लेकिन हम परिणामकी चिन्ता क्यों करें? मुझे नियमित रूपसे लिखती रहना। बा को भी लिखना। और अ० स० को नहीं भूलना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५११) से।

३१. पत्र : आनन्दी बुचको

१३ अप्रैल, १९३८

चि० आनन्दी,[2]

मेरी परिचर्याकी थकावट क्या अभी गई नहीं? तेरा घरेलू जीवन कैसा है? क्या तूने अपना अलगसे घर बसाया है? तुम दोनोंकी सेवाका परिमाण अब दुगुना नहीं, बल्कि चौगुना होना चाहिए। इस मामलेमें जमा-जोड़के सिद्धान्तकी जगह गुणाका सिद्धान्त लागू होना चाहिए।

१. जलियाँवाला बाग-दिवस होनेके कारण।

२. लक्ष्मीदास पी० आसरकी पुत्री।

पुरातन[1] और ललितजीके पत्र मिले थे। मैं उन्हें अलगसे नहीं लिखूंगा। तुझे लिखनेसे काम चल जायेगा न?

तुम दोनों १२वें अध्यायका[2] पाठ रोज करना और उसपर मनन करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१६३) से।

३२. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको[3]

कलकत्ता
१३ अप्रैल, १९३८

लोगोंको खेदपूर्वक सूचित करता हूँ कि सर नाजिमुद्दीनके माध्यमसे मैं बंगाल-सरकारके साथ जो वार्ता चला रहा हूँ, वह अभी सम्पन्न नहीं हुई है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं कलकत्ता ठीक समयपर नही पहुँचा, क्योंकि उस समय मन्त्रीगण विधान-सभाके कार्यमें व्यस्त थे; और चूँकि लोगोंको ऐसी जानकारी थी कि मैं मार्चके अन्तसे पूर्व ही वहाँ लौटूंगा, इसलिए अपने आनेके समयके बारेमें सर नाजिमुद्दीनकी इच्छा जानना मैंने बेकार समझा। यदि मैंने उन्हें पत्र लिखा होता तो मुझे इस अनुपयुक्त घड़ीमें कलकत्ता नही आना पड़ता। अब मुझे सर नाजुमुद्दीनको एक पत्र[4] लिखना है। उसमें मैं सार रूपमें अपने सुझाव पेश करूंगा, और मुझे भरोसा दिलाया गया है कि सरकार उनपर यथासम्भव जल्दी-से-जल्दी विचार करेगी और उनके सम्बन्धमें निश्चित निर्णय लेगी। आशा है, यह सारा काम एक महीनेमें निबटा दिया जायेगा। लेकिन आशा है कि निर्णय इससे बहुत पहले भी हो सकते हैं और अगर मेरे लिए फिर कलकत्ता आना जरूरी होता है तो मैं बेहिचक यहाँ आऊँगा, बशर्ते कि मेरा स्वास्थ्य इस लायक रहा।

इस बीच यह बात फिर कहूँगा कि जबतक वार्ता चल रही है, नजरबन्दों और कैदियोंको रिहा करानेका सारा आन्दोलन बन्द रखा जाये। मुझे यह भी बता देना चाहिए कि रिहा किये जानेवाले लोगोंके सम्मानमें सार्वजनिक प्रदर्शन करना शायद वार्ताकी सफलताके हकमें नहीं होगा। मेरी रायमें, कांग्रेसियोंके लिए संयमसे काम लेना अधिक शोभनीय होगा। अखबारोंमें मैंने ऐसे भाषणों आदिके अंश देखे हैं जिनसे अहिंसा-वृत्तिका परिचय नहीं मिलता।

१. पुरातन बुच, आनन्दी बुचके पति
२. गीता के; इसमें भक्ति-सिद्धान्तका निरूपण किया गया है।
३. हरिजन में "वार्ता सम्पन्न नहीं" शीर्षकसे प्रकाशित।
४. देखिए अगला शीर्षक।

मैं यह भी बता दूं कि मैं तो अपने मार्ग-दर्शनके लिए सजायाफ्ता कैदियोंसे मिलकर अहिंसाके सम्बन्धमें उनके रवैयेके विषयमें बातचीत करता रहा हूँ, लेकिन सरकारने यह स्पष्ट कर दिया है कि कैदी मुझसे जो-कुछ कहेंगे उनसे उसकी नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह सोचती है कि मेरे द्वारा जारी किये गये आश्वासनोंको अपनी कार्रवाईका आधार बनाना उसके लिए अनुचित होगा। मैं सरकारकी दृष्टिके औचित्यको समझता हूँ, इसलिए राजनीतिक कैदियोंके साथ मैं केवल अपने सन्तोषके लिए ही बातचीत कर रहा हूँ।

जहाँतक १४ रेगुलेशन क्षेत्रवाले कैदियोंका सम्बन्ध है, उनसे मेरी मुलाकातके दौरान उन्होंने मुझे निम्नलिखित पत्र दिया :

> आप जब पिछली बार यहाँ आये थे, तब आपने यह इच्छा व्यक्त की थी कि कुछ बातोंके सम्बन्धमें आप हमारे निश्चित विचार जानना चाहते हैं। इस मामलेपर पूरी तरह विचार करनेके बाद हम फिर वही बात कह रहे हैं जो हमने तब कही थी। जबतक हम कैदमें हैं, तबतक हम अपने अतीत या भविष्य अथवा राजनीतिक रायके सम्बन्धमें कोई चर्चा करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। खासकर यह देखते हुए कि अभी हमारी रिहाईकी चर्चा चल रही है, हमारा ऐसा-कुछ कहना जिसका सम्बन्ध हमारी ही रिहाईसे हो, हमारे लिए सम्मानजनक नहीं लगता। आशा है, आप हमारे दृष्टिकोणको समझेंगे और इस बातको आसानीसे स्वीकार कर लेंगे कि हम व्यक्तिगत रूपसे आपकी अवमानना नहीं करना चाहते।

इस पत्रपर नौ लोगोंके हस्ताक्षर थे। चार अन्य कैदियोंने हस्ताक्षर नहीं किये थे, लेकिन पत्रमें व्यक्त की गई भावनाओंसे वे सहमत थे और पाँचवेंने बहुत-कुछ इसी प्रकारका एक पत्र दिया था।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १६-४-१९३८

३३. पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको

[१३ अप्रैल, १९३८][1]

श्रीमान् सर नाजिमुद्दीन,

कल हममें परस्पर जो समझौता हुआ था उसके अनुसार मैं अपने सुझाव पेश कर रहा हूँ:

(१) मेरा खयाल है कि आजसे एक महीनेके अन्दर वैधानिक कैदियों सहित सभी बन्दियोंको रिहा कर दिया जायेगा और उनपर लगाये गये सभी प्रतिबन्ध हटा लिये जायेंगे।

मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि इस सिलसिलेमें मुझे कलकत्ता वापस नहीं लौटना पड़ेगा, फिर भी यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हुई तो आप जब चाहेंगे तब मैं सहर्ष आऊँगा।

(२) सजायाफ्ता राजनीतिक कैदियोंके विषयमें मेरे सुझाव ये हैं:

(क) बीमार कैदियोंको उनकी कैदकी अवधिकी परवाह किये बिना तुरन्त रिहा कर देना चाहिए।

(ख) जिन कैदियोंकी सजामें छह महीनेसे भी कमका समय रह गया हो उन्हें तुरन्त छोड़ देना चाहिए।

(ग) जिन कैदियोंकी सजा की अवधि १८ महीने अथवा उससे कम है लेकिन जिनके रिहा होनेमें केवल ६ महीने ही रह गये हों, उन्हें तीन महीनेके अन्दर ही रिहा कर देना चाहिए।

(घ) जिन कैदियोंकी सजाकी अवधि १८ माससे भी अधिक हैं, उन कैदियोंको अधिक-से-अधिक एक वर्षतक अवश्य रिहा कर देना चाहिए।

(३) ये रिहाइयाँ सरकार एवं विरोधी पक्ष, अर्थात् कांग्रेस-दलके बीच एक प्रकट समझौतेपर आधारित होंगी, जिसकी ये शर्तें होंगी:

(क) रिहा किये जानेवाले कैदियों या नजरबन्दियोंके सम्मानमें कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किये जायेंगे अथवा जुलूस नहीं निकाले जायेंगे।

(ख) जो समझौता हो, उसका त्याग करने या उसमें कोई सुधार करनेके लिए कांग्रेस प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे न कोई आन्दोलन चलाये और न किसी ऐसे आन्दोलनका समर्थन करे। दूसरे शब्दोंमें, कम-से-कम जहाँतक बंगालका

१. यद्यपि ख्वाजा नाजिमुद्दीनने गांधीजीको लिखे १७ अप्रैलके अपने पत्रमें इसकी प्राप्तिकी सूचना देते हुए इसे १२ अप्रैलका कहा है, पर जाहिर है कि यह "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", १३-४-१९३८के बाद ही लिखा गया था; देखिए पिछला शीर्षक।

सम्बन्ध है, नजरबन्दियों और राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईका सवाल दलगत प्रश्न या सार्वजनिक विवादका प्रश्न नही रह जायेगा।

ये जो सुझाव दिये गये हैं, इनके पक्षमें मैंने जानबूझकर कोई तर्क पेश नही किये हैं। इनके गुण-दोषको लेकर मैंने आपके साथ विस्तारसे चर्चा की और आपने अत्यन्त धीरजके साथ मेरी बात सुनी थी।

मेरी बातचीत और सुझावोंका चाहे जो परिणाम निकले, हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इस सम्बन्धमें बंगाल-सरकार कुछ दिनोंमें, आजसे एक महीनेके अन्दर तो निश्चय ही, अन्तिम निर्णय कर लेगी।

आपने मुझे बताया है कि कैदी या नजरबन्द लोग अहिंसाके लिए मुझे जो भी आश्वासन दें उससे सरकारके निर्णयपर कोई प्रभाव न तो पड़ सकता है और न सरकार पड़ने ही देगी। लेकिन, जैसाकि आप जानते ही हैं, मैं उनके मामलेमें जो दिलचस्पी ले रहा हूँ, उसका कारण यह है कि भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए उन्होंने हिंसाको छोड़ दिया है। इसलिए मैंने अपने सन्तोषके लिए इस प्रश्नपर उनसे बातचीत की। और हालाँकि वे इस भयसे कि कही उनकी रिहाईमें देर न हो जाये कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते थे, फिर भी उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भारतकी स्वतन्त्रता प्रप्तिके लिए हिंसाके प्रयोग परसे उनका विश्वास उठ गया है। मुझे उनके इस आश्वासनपर भरोसा है और यदि ऐसे व्यक्ति रिहा नहीं किये जाते तो यह दुःखकी बात होगी।

कलकी बातचीतमें मैं एक बातका उल्लेख करना भूल गया। दमदमम कैदियोंने मुझसे पूछा था कि उन्होंने आम पद्धतिसे मुझे जो अनेक सन्देश भेजे थे, क्या वे मुझे मिल गये थे? मिदनापुरकी बन्दिनियों द्वारा भेजे गये सन्देशोंके अतिरिक्त कोई और सन्देश मिलनेकी बात मुझे याद नहीं। अतीतमें चाहे कुछ भी हुआ हो, पर मैं विश्वास रखता हूँ कि भविष्यमें आप कृपाकर ऐसे निर्देश जारी करेंगे कि मुझे उनके सन्देश भेज दिये जायें, बशर्ते कि उनमें कोई आपत्तिजनक बात न हो।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-१०-१९३८। सी० डब्ल्यू० ९९१९ से भी।

१. १७ अप्रैलके अपने उत्तरमें सर नाजिमुद्दीनने लिखा था, "बन्दियोंसे सम्बन्धित आपके पत्रके प्रथम अनुच्छेदकी भाषाको देखते हुए, मेरे खयालसे यह वांछनीय होगा कि आपसे बातचीत शुरू करनेसे पहले मैंने जो कहा था उसे एक बार फिर दोहरा दूँ। मैंने कहा था कि बातचीतके दौरान व्यक्तिगत रूपसे मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं वे तभी अन्तिम हो सकते हैं जब पूरी बंगाल सरकार उन्हें मान्यता दे दे।

"दूसरे, अपनी पिछली मुलाकातके समय मैंने आपसे जो बात कहनेकी कोशिश की थी वह यह थी — जबतक सजायाफ्ता कैदियोंकी समस्याका कोई ऐसा हल नहीं निकल आता जो दोनों पक्षोंको मान्य हो, तबतक मुझे यकीन है कि राजनीतिक कैदियों और नजरबन्दियोंके सम्बन्धमें सरकार जो कार्रवाई करेगी, उससे आप असन्तुष्ट नहीं होंगे।"

३४. पत्र: अमृतकौरको

कलकत्ता
१३ अप्रैल, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मैंने तुम्हें एक तार भेजा है जिसमें मैंने लिखा है कि मैं ठीक हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ तथा वहाँसे तुरन्त ही वर्धाके लिए चल दूँगा। दिल्लीके बारेमें तुम्हें अखबारोंसे पता चल जायेगा अथवा काम समाप्त होनेपर मुझसे अथवा महादेवसे मालूम होगा।[1]

मैं सचमुच ठीक हूँ और मुझपर जो बोझ पड़ा उसे मैं खूब अच्छी तरहसे निभा ले गया।

मेरी समझौते[2] की बातचीत काफी दिक्कततलब रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह सफल होगी। मैंने संयमसे काम लेनेकी जो अपील[3] की है, सब-कुछ उसपर निर्भर करेगा। मुझे फिर दुबारा आना पड़ सकता है।

शीघ्र ही मैं अथवा महादेव तुम्हें लड़कियों[4] के साथ हुई मेरी बातचीतके बारेमें बतायेंगे, लेकिन मिलनेपर ही।

यदि तुम ऊटी जा सको और रास्तेमें एक दिनके लिए मेरे पास रहो तो अच्छा होगा।

सम्भव है जिन्नासे मिलनेके लिए मुझे २५ तारीखको बम्बई जाना पड़े।

तो श्रीमती सुब्बारायन विधान-सभामें आ ही गईं। तुम तो उनसे अकसर मिलती होगी।

शहीदगंजवाले मामलेमें मैं मध्यस्थता करूँ, इसकी कतई कोई सम्भावना नहीं है। उसका कोई तर्कसंगत हल निकलता नहीं दिखता।

संयुक्त प्रान्तमें डाके[5] की जो घटना हुई है, वह चिन्तोत्पादक है। भगवान जाने इस देशका क्या होगा।

१. गांधीजी १५ अप्रैलको वाइसरायसे मिलने जानेवाले थे।

२. बंगाल-सरकारके साथ।

३. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", पृ० २२-२३।

४. सम्भवत: बीना दास और उज्ज्वला मजूमदार, जिन्हें क्रमश: ९ तथा १० वर्ष की सजा हुई थी और जिनसे गांधीजी १२ अप्रैलको कलकत्ताके प्रेसिडेंसी-जेलमें मिले थे।

५. आतंकवादियोंने ११ अप्रैल को इलाहाबाद और कानपुर के बीच पीपरीबीहमें उत्तरपूर्वी रेल्वे पर डाका डाला था

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६२७) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४३६ से भी।

३५. बातचीत: बंगालके कांग्रेसजनोंके साथ[1]

कलकत्ता
[१३ अप्रैल, १९३८][2]

आपके और मेरे विचारोंके अन्तरका आधार इस प्रश्नपर है कि जमींदारी-प्रथा सुधारी जाये या मिटा दी जाये। मेरा कहना है कि इसे सुधारना चाहिए और यदि यह सुधारी न जा सकती हो तो यह अपने-आप मिट जायेगी। आप कहते हैं कि यह सुधारी नहीं जा सकती।

इन शब्दोंमें गांधीजीने कलकत्तेके कांग्रेसजनोंकी एक अनौपचारिक बैठकमें समाजवादी विचारधारा और जिसे सत्याग्रही विचारधारा कहा जा सकता है, उसके अन्तरका सार बताया।

प्रश्न: जमींदार और महाजन नौकरशाहीके हथियार हैं। उन्होंने सदा उसका साथ दिया है और वे हमारी प्रगति और आजादीके रास्तेमें रुकावट हैं। यह रुकावट दूर क्यों न कर दी जाये?

उत्तर: वे बेशक नौकरशाहीके ही अंग हैं। परन्तु वे उसके निःसहाय अस्त्र हैं। क्या उन्हें सदा ही ऐसा रहना चाहिए? हमें उन्हें अपनेसे दूर फेंकनेका कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर वे अपनी मनोवृत्ति बदल लेते हैं, तो राष्ट्रके लिए उनकी सेवाओंका उपयोग किया जा सकता है, और नहीं बदलते तो वे कुदरती मौत मर जायेंगे। हममें अहिंसा होगी तो हम उन्हें डरायेंगे नहीं। जब कांग्रेसके पास सत्ता है, तब तो हमें और भी सावधान रहना चाहिए।

प्रश्न: परन्तु क्या हम यह नहीं कह सकते कि जमींदारी-प्रथा बीते जमानेकी चीज है, जिसका अब कोई उपयोग नहीं है, और बेशक उसका अहिंसक उपायसे उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए?

उत्तर: जरूर कह सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हमें ऐसा कहना ही चाहिए। हम जमींदारोंसे यह क्यों नहीं कह सकते कि 'ये बुराइयाँ हैं, हम चाहते हैं कि

१. महादेव देसाई द्वारा लिखित "किसान और जमींदार" शीर्षक लेखसे उद्धृत। इस अनौपचारिक बैठकमें अन्य लोगोंके अलावा सुभाषचन्द्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल हुए थे।
२. हिन्दू, १४-४-१९३८ के अनुसार।

इन बुराइयोंको आप खुद मिटा दीजिए'? मैं मानता हूँ कि इसके लिए मानव-स्वभावमें विश्वास होना जरूरी है।

प्रश्न: क्या आप यह कहेंगे कि स्थायी बन्दोबस्त[1] कायम रहना चाहिए?

उत्तर: नहीं, वह उठना ही चाहिए। किसानोंको सुखी और खुशहाल बनानेका उपाय उन्हें ऐसी शिक्षा देना है जिससे उन्हें अपनी वर्तमान स्थितिके कारणों और उसे सुधारनेके उपायका ज्ञान हो जाये। हम उन्हें अहिंसक या हिंसक मार्ग दिखा सकते हैं। हिंसक मार्ग लुभावना दिखाई दे सकता है, परन्तु अन्तमें वह विनाशका पथ है।

प्रश्न: लेकिन क्या आप इस बातसे सहमत नहीं हैं कि भूमि उसीकी है जो उसे जोतता है?

उत्तर: मैं सहमत हूँ, परन्तु इसका जरूरी तौरपर यह अर्थ नहीं कि जमींदारको मिटा देना चाहिए। जो मनुष्य दिमाग और पूँजी देता है, वह वैसा ही किसान है जैसा अपने हाथ-पैरोंसे मेहनत करनेवाला। हमारा लक्ष्य यह है या होना चाहिए कि उनके बीचकी वर्तमान भयंकर असमानता दूर कर दी जाये।

प्रश्न: लेकिन सुधारकी यह प्रक्रिया बहुत लम्बी हो सकती है।

उत्तर: ऊपरसे बहुत लम्बी दिखाई पड़नेवाली प्रक्रिया ही अकसर छोटी-से-छोटी सिद्ध होती है।

प्रश्न: लेकिन किसानोंमें जमीन बाँट क्यों न दी जाये?

उत्तर: यह जल्दबाजीका विचार है। जमीन तो आज भी उन्हींके हाथोंमें है। परन्तु न तो उन्हें अपने अधिकारोंका ज्ञान है और न ही उन अधिकारोंको वे काममें लाना जानते हैं। मान लीजिए कि उनसे यह कह दिया जाये कि वे न तो जमीनसे हटें और न जमींदारोंको लगान दें, तो क्या आपके खयालसे उनकी विपत्तिका अन्त हो जायेगा? निःसन्देह उसके बाद भी बहुत-कुछ करना बाकी रहेगा। मेरा सुझाव है कि उस कामको अभीसे हाथमें ले लिया जाये, तो बाकी सब अपने-आप होता चला जायेगा, वैसे ही जैसे रातके बाद दिन होता है।

इस सिलसिलेमें किसान-सभाओंका, कांग्रेसके साथ उनके सम्बन्धोंका, उनके क्षेत्रका और उनके कामका प्रश्न पैदा हुआ। गांधीजीने कहा:

मेरी राय स्पष्ट है, क्योंकि मैंने जीवन-भर मजदूरों और किसानोंमें काम किया है। कांग्रेस किसान-सभाओंको स्वतन्त्र रूपसे काम करने दे या किसान-सभाओंके पदाधिकारियोंको कांग्रेसके पदाधिकारी बनने दे, तो इसमें कोई वैधानिक दोष नहीं है, क्योंकि यह सब साधारण रूपमें होगा। परन्तु किसानोंके अलग संगठनोंका अध्ययन करनेसे मैं निश्चित रूपसे इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि वे किसानोंकी भलाईके लिए काम नहीं करते, बल्कि केवल कांग्रेस-संगठनको हथियानेकी गरजसे ही उनका गठन किया जाता है। ऐसा वे किसानोंको ठीक मार्गपर चलाकर भी कर सकते हैं, परन्तु

१. इसकी शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिसने १७९३ में की थी।

मेरे खयालसे वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं। यदि किसान और उनके नेता अधिकृत कांग्रेस-कार्यके सिवाय और कुछ न करके कांग्रेसपर कब्जा कर ले तो कोई हर्ज नहीं। परन्तु यदि वे झूठे रजिस्टर बनाकर, सभाओंपर कब्जा करके और इसी प्रकारकी दूसरी कार्रवाइयाँ करके कांग्रेसको हथियाते हैं तो यह फासिज्म-जैसा ही कुछ होगा।

परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि आप यह चाहते हैं कि किसान-सभाएँ कांग्रेसको मजबूत करें या यह चाहते हैं कि वे उसे कमजोर बनायें? आप किसानोंके संगठनका उपयोग कांग्रेसपर कब्जा करनेके लिए करना चाहते हैं या किसानोंकी सेवाके लिए? किसान-सभा प्रगट रूपसे कांग्रेसके नामसे काम करनेवाली परन्तु असलमें उसकी प्रतियोगी संस्था होगी या वह सचमुच कांग्रेसके कार्यक्रम और नीतिको कार्यान्वित करेगी? यदि वह वास्तवमें प्रतियोगी संस्था है और कांग्रेसका सिर्फ नाम है तो उसका बल और उत्साह कांग्रेसका मुकाबला करनेमें इस्तेमाल किया जायेगा, और कांग्रेसके बल और उत्साहका उपयोग किसान-सभाका विरोध करनेमें किया जायेगा। नतीजा यह होगा कि गरीब किसान चक्कीके दो पाटोंके बीचमें पिस जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २३-४-१९३८

३६. प्रस्तावना : 'द पर्शियन मिस्टिक्स' के लिए

१४ अप्रैल, १९३८

सर जोगेन्द्रसिंहने अब्दुल्ला अंसारी[१] की पुस्तक 'सेयिंग्स ऑफ द मिस्टिक' का अंग्रेजीमें जो अनुवाद किया है उसके लिए वे बधाईके पात्र हैं। हिन्दू-धर्म या ईसाई धर्मने संसारको जितने रहस्यवादी दिये हैं, इस्लामने उनसे कोई कम रहस्यवादी नहीं दिये हैं। आज जबकि अधर्म धर्मका रूप धारण किये हुए है, संसारके सब धर्मोंके श्रेष्ठतम मनीषियोंके विचारों और वचनोंका पुनःस्मरण उचित ही है। हमें ब्रह्माण्डको कुएँकी दीवारोंतक ही सीमित समझनेवाले कूप-मण्डूकके समान यह नहीं समझना चाहिए कि केवल हमारा धर्म ही पूर्ण सत्यका प्रतिनिधित्व करता है और अन्य सब धर्म झूठे हैं। यदि हम आदर-भावके साथ संसारके अन्य धर्मोंका अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि वे भी हमारे धर्मके समान ही सच्चे हैं, हालाँकि सभी धर्म अनिवार्य रूपसे अपूर्ण हैं।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
द पर्शियन मिस्टिक्स

१. हिरातके शेख अब्दुल्ला अंसारी, सन् १००५-१०९०।

३७. पत्र : रतिलाल मेहताको

१४ अप्रैल, १९३८

भाई रतुभाई,[1]

चि० मगनलाल[2] लिखता है कि चि० छगनलालकी[3] स्थिति दयनीय है। कर्ज लिये बैठा है। व्यापारमें घाटा हुआ है। क्या आप इस वस्तुस्थितिसे परिचित हैं? क्या वह आपकी बात सुनता है? मैंने तो उसे लिखा है; लेकिन जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आशा है, आपका हालचाल ठीक होगा।

यह पत्र मैंने चलती गाड़ीसे लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१७६) से। सी० डब्ल्यू० ४६७२ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

३८. पत्र : नारणदास गांधीको

१४ अप्रैल, १९३८

चि० नारणदास,

साथका पत्र[4] रतुभाईको पहुँचा देना। कनैयो आनन्दपूर्वक है।

मुझे इस बातका दुःख अवश्य है कि मुझे उसपर जितना ध्यान देना चाहिए, मैं उतना नहीं दे पाता। यदि मैं वैसा कर सकूं, तो मैं उससे बहुत काम ले सकता हूँ। मैं ठीक रहता हूँ। यह पत्र मैं चलती ट्रेनसे लिख रहा हूँ।

उम्मीद है, तुम्हारा सब-कुछ ठीक चल रहा होगा। क्या तुम कमलासे पूरी तरह सन्तुष्ट हो? मैं परसों वर्धा वापस जा रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से। सी० डब्ल्यू० ८५४३ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

१. छगनलाल मेहताके श्वसुर।
२ और ३. डॉ० प्राणजीवनदास मेहताके पुत्र।
४. देखिए पिछला शीर्षक।

३९. पत्र: कान्तिलाल गांधीको

दिल्ली जाते हुए ट्रेनमें
१४ अप्रैल, १९३८

चि० कान्ति,

तूने जो किया वह तो अच्छा ही किया[1] और भविष्यमें भी ऐसा ही करना। अब ये रहे तेरे प्रश्नोंके[2] उत्तर।

(१) जीवनमें नित्य जो घटनाएँ होती हैं उनमें असत्य और बेईमानीकी ही विजय होती है, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। हमें ऐसे दृष्टान्त सहज ही मिल सकते हैं जहाँ इनकी विजय हुई हो, लेकिन गहराईमें जानेपर हम देखेंगे कि सच्ची विजय तो सत्यकी ही होती है। यदि सत्यकी विजय हमेशा स्वयंसिद्ध ही हो तो फिर उसकी क्या कीमत रह जायेगी? और सत्यका पालन करनेका क्या लाभ होगा? इसीसे वेदके समकक्ष माने जानेवाले 'ईशोपनिषद्' में यह मन्त्र आता है न कि सत्यका मुँह हिरण्यमय पात्रसे ढका हुआ है, उसके तेजसे हमारी आँखें चकाचौंध हो रही हैं।

(२) अब दूसरा प्रश्न। जरूरी नहीं कि हमारे भाग्यमें हमेशा कष्ट-सहन करना ही बदा हो; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें किसी मनुष्यको सत्यका संकरा और दिखनेमें कठिन लगनेवाला रास्ता नहीं बताना चाहिए। यदि बूढ़ा लुक-छिपकर कदाचित् मद्रास पहुँच भी जाता तो उससे क्या लाभ होता? वह कहीं पकड़ा न जाता, इस बातकी क्या गारन्टी है? और अन्ततः यदि उसे उतरना ही पड़ा तो हम ऐसा क्यों मानें कि उससे नुकसान ही हुआ? हमारा हित किस बातमें है, यह

१. कान्तिलाल गांधीने एक वृद्ध मुसलमान सहयात्रीकी रेलगाड़ीमें मदद की थी। वह व्यक्ति अपना टिकट खो बैठा था।

२. प्रश्न संक्षेपमें ये थे:

(१) क्या बिना टिकटवाले यात्रीका टिकट-चैकरसे बच निकलना उचित नहीं हुआ होता? क्या बेईमानी प्रायः लाभप्रद नहीं होती?

(२) कान्तिलाल गांधीका उस वृद्ध यात्रीको ईमानदार बननेकी सलाह देना कहाँतक उचित था।

(३) टिकट-चैकरको उस यात्रीको यूँ ही जाने देनेका क्या अधिकार था?

(४) जब कान्तिलाल गांधीके अपने पास देनेके लिए कोई पैसा नहीं था तो वह बिना टिकटवाले यात्रीका भाड़ा चुकानेके लिए दूसरे यात्रियोंसे भला क्योंकर आग्रह कर सकता था?

(५) यदि उक्त यात्री बिना टिकट मद्रास तक अपनी यात्रा पूरी कर लेता तो क्या कान्तिलाल गांधीके लिए उसे प्लेटफार्म-टिकट पर प्लेटफार्मसे बाहर ले जाना उचित होता?

हम सदा नहीं जान सकते और इसलिए हमें यह मानकर कि सत्य-मार्ग ही श्रेय है, आँख मूँदकर उसपर चलते चले जाना चाहिए।

(३) टिकट-चेकरको उस बुड्ढेको जाने देनेका अधिकार जरूर था; लेकिन यदि वह अपने इस अधिकारको स्वीकार नहीं करता है तो वह झूठी दयाके वश होकर अपने धर्मका त्याग नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसने अपने इस अधिकारको न माना हो तो भी वह अपनी जेबसे टिकट खरीदकर दे सकता था; अन्य सवारियों से टिकटके पैसे उगाह सकता था।

(४) और यदि टिकट-चैकर बुड्ढेको नहीं जाने देता है और अपने पैसे खर्च करके उसे टिकट नहीं देता, जिसके फलस्वरूप बुड्ढा ट्रेनसे चूक जाता है अथवा उसको जेल हो जाती है तो भी क्या हर्ज है? वह यदि सत्यका पुजारी है तो उसे हँसते-हँसते यह सब सहन करना चाहिए; क्योंकि हम यहाँपर सत्यके पुजारीके कर्त्तव्यके बारेमें विचार कर रहे हैं। यद्यपि तू अपने बाहुबलसे कमाकर गुजारा नहीं करता तथापि ऐसी किसी परिस्थितिके उत्पन्न होनेपर तू थोड़ी-सी रकम देकर अन्य लोगोंसे चन्दा उगाह सकता था। यदि सवारियाँ पैसा दे देतीं तो ठीक होता और यदि न देतीं तब भी तूने अपना कर्त्तव्य अदा कर दिया, ऐसा कह सकते थे। और तूने जितना किया उसमें कोई कसर रखी हो, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ।

(५) यदि उक्त टिकट-चैकरने उस बुड्ढेको मद्रास जाने दिया होता तो वह टिकट-कलक्टरसे कह सकता था कि अपने अधिकारकी रू से उसने उसे जाने दिया। लेकिन यदि ऐसी बात न हो तो प्लेटफॉर्मके टिकटका आश्रय लेकर वह बुड्ढा निकल नहीं सकता। लेकिन उसके लिए रास्ता सरल नहीं था। तू ही उसकी स्थितिके बारेमें टिकट-कलक्टरको समझा सकता था और यदि वह न समझता तो उसे हिरासतमें रखता। आजकल हिरासतमें रखनेका रिवाज नहीं है, क्योंकि इससे रेलवे-कम्पनीको घाटा होता है। इसलिए वे लोग ऐसे व्यक्तियोंको केवल लाल आँखें दिखाते हैं और जाने देते हैं।

यह तो हुए तेरे प्रश्नोंके उत्तर। तथापि यदि तेरे मनमें कोई आशंका रह गई हो तो फिर पूछना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३३४) से; सौजन्य: कान्तिलाल गांधी।

४०. पत्र : बाल कालेलकरको

१४ अप्रैल, १९३८

चि० बाल,

यह पत्र मैं दिल्ली जानेवाली ट्रेनपर से लिख रहा हूँ। हम दिल्लीसे कल ही रवाना होकर परसों वर्धा पहुँच जायेंगे। दिल्लीके बारेमें तो तुझे इस पत्रके मिलनेसे पहले ही अखबारोंसे मालूम हो जायेगा।

यह पत्र तो मैं सिर्फ लिखनेकी खातिर लिख रहा हूँ। तेरी याद मैं भूला नहीं हूँ। मेरे मनमें सदा यह इच्छा रहती है कि तू बुद्धिका जैसा विकास कर रहा है वैसा ही तेरी आत्मा और शरीरका विकास भी हो और इन तीनोंके विकासमें प्रत्येकका विकास तो निहित ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९६९) से।

४१. भेंट : 'प्रताप'[1] के प्रतिनिधिको

कानपुर
[१४ अप्रैल, १९३८][2]

प्रश्न : मध्य प्रान्तके मन्त्रीमण्डलीय संकटके बारेमें कांग्रेस कार्य-समितिने जो निर्णय किया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं ?

उत्तर : इस सम्बन्धमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य-समितिके निर्णयको मैं गलत नहीं बता सकता।

प्रश्न : क्या आप समझते हैं कि बंगालके राजनीतिक बन्दियोंको रिहा करवानेके अपने कार्यमें आप सफल हुए हैं ?

उत्तर : हम आशा तो यही रखें।

प्रश्न : क्या वाइसरायने आपको दिल्ली आमन्त्रित किया है ?

उत्तर : लगता है कि इस बारेमें जनताको मुझसे अधिक जानकारी है।

१. कानपुरका एक हिन्दी दैनिक।

२. गांधीजी १४ अप्रैलको दिल्ली जाते हुए कानपुरसे गुजरे थे।

प्रश्न: क्या आप दिल्लीमें राजनीतिक बन्दियोंके प्रश्नपर बातचीत करनेवाले हैं?

उत्तर: मैं नहीं जानता कि मैं दिल्लीमें क्या करूँगा?

प्रश्न: दिल्ली जानेका आपका उद्देश्य क्या है?

उत्तर: मुझे भय है कि मैं इस विषयमें कुछ नहीं कह सकता।

प्रश्न: क्या आप यह समझते हैं कि यदि फेडरेशन [संघ] में कुछ परिवर्तन कर दिये जायें तो कांग्रेस उसे स्वीकार कर लेगी?

उत्तर: इस विषयमें कांग्रेस क्या करेगी, यह मैं कैसे कह सकता हूँ?[1]

प्रश्न: यदि कुछ सुधार कर दिये जायें तो आप कांग्रेसको क्या सुझाव देंगे?

उत्तर: देखें, ये सुधार क्या हैं?

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-४-१९३८ और स्टेट्समैन, १५-४-१९३८

४२. पत्र: रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

१४ अप्रैल, १९३८

प्रिय अंगद,[2]

तुम्हारी परेशानीमें तुम्हारे साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। कुछ बातोंपर यदि हममें मतभेद है तो इससे क्या हुआ? फिर भी मैं एक सवाल पूछूंगा। तुमने एक विवाहित स्त्रीको विषय-लालसासे युक्त प्रेम किया, इसे क्या तुमने ठीक माना था, या तुम यह कहते हो कि यद्यपि वह गलत था फिर भी तुम अपनेको रोक न सके और चूंकि तुम गिर गये, तुम्हारे सामने एक ही सम्माननीय रास्ता था कि विवाह कर लेते।[3] यदि जानना सम्भव हो तो मुझे यह जाननेकी जरूरत इसलिए है कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि हम दोनों एक-दूसरेसे कितनी दूर हट गये हैं और हमारा पथ-प्रदर्शन कौन-सा जीवन-दर्शन करता है। तुम सत्यके अन्वेषक हो, यह तथ्य हमारे बीच सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए काफी है।

मुझे आशा है कि तुम बिलकुल स्वस्थ हो गये होगे।

१. इसके बादका अंश स्टेट्समैन से लिया गया है।

२. रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स २ मार्च, १९३० को वाइसराय लॉर्ड इर्विनको लिखा गांधीजीका पत्र लेकर गये थे, इसलिए गांधीजी उन्हें प्यारसे अंगद कहते थे। देखिए खण्ड ४३, पृ० २-९।

३. रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सने एथेल मैनिनसे, जिनका पहले विवाह और तलाक हो चुका था, शादी कर ली थी।

हम सबकी ओरसे सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

४३. तार : मुहम्मद अली जिन्नाको

दिल्ली
१५ अप्रैल, १९३८

यदि बम्बई वापस जाते समय आप एक दिनके लिए वर्धा रुक सकें तो आप मुझे बम्बईका सफर करनेकी तकलीफसे बचा लेंगे। यदि सम्भव हो तो मुझे शरीरको अविच्छिन्न विश्राम देनेकी जरूरत है। किसी भी सूरतमें क्या मुलाकातके समय मौलाना आजाद मेरे साथ रह सकते है? कृपया वर्धाके पतेपर तार देकर वतायें कि आप कल किस ट्रेनसे आ रहे हैं।[1]

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-६-१९३८

४४. पत्र : अमृतकौरको

ट्रेनमें
१६ अप्रैल, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

हम वर्धाकी ओर जा रहे हैं। मैं बिलकुल ठीक हूँ। आज सबेरे मेरा रक्त-चाप १६०–४/९८ था जो कि इन दिनों असामान्य माना जायेगा। और सो भी तब जब ग्वालियरतक लोगोंकी भीड़ने मुझे आराम नही करने दिया। उनके नारोंसे मेरे कान फट-फट जाते थे।

महादेवको मैंने स्थितिका अध्ययन करनेके लिए सीमा-प्रान्त भेजा है। वह वहाँ तीन-चार दिनतक रहेगा।

१. उत्तरमें जिन्नाने निम्न तार भेजा था: "मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अब कार्यक्रम नहीं बदल सकता। मैं आपसे पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार २५ तारीखको अथवा उसके बाद बम्बई में मिलूँगा। मैं आपसे अकेले मिलना चाहूँगा"।

वाइसरायके साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। बातचीतमें किसी निर्णयपर नहीं पहुँचा जा सका। निर्णायक बातचीत करनेका कोई इरादा भी नहीं था। यह तो केवल विचारोंका आदान-प्रदान था। बाकी मिलनेपर।

शिमलामें तुम्हें अपने स्वास्थ्यको सुधार लेना चाहिए। तुम्हें कटि-स्नान लेना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। मेजपर चिपककर काम करते रहना अपराध है। यदि टेनिस तुम्हें अनुकूल पड़े तो रोज टेनिस खेलो।

सुशीला दिल्लीमें रह गई है। उसने तुम्हें लिखा होगा।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६२८) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४३७ से भी।

४५. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको

[१७ अप्रैल, १९३८ के पश्चात्][1]

भाई घनश्यामदास,

आप लिखते हैं वह आर्थिकसे तो ठीक है मगर मेरी दृष्टि तो इसमें सिर्फ राज-प्रकरणी है[2] और होनी भी चाहिए। हम लैंकाशायरके साथ किसी प्रकारका समझोता नहीं कर सकते जिससे हम उनका कपडा लेनेके लिये मजबुर हों। "येन केन प्रकारेण" लैंकाशायरका कपडा आनेवाला ही है। यह बात यहाँ अप्रस्तुत होगी। लोगोंसे कांग्रेसने जो हमेशा लैंकाशायरके कपडेके बारेमें कहा है, इस नीतिमें आज

१ और २. घनश्यामदास बिड़लाने अपने १७ अप्रैलके पत्रमें लिखा था: "मैंने सोचा कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौतेसे सम्बन्धित मुद्दोंको मैं फिर स्पष्ट कर दूँ। संरक्षणकी अवधि अगले मार्चमें खत्म होती है और हर हालतमें संरक्षणके परिमाणमें तो परिवर्तन किया ही जायेगा। मेरा खयाल है कि लंकाशायर हर हालतमें चुंगीमें ५ प्रतिशत कटौतीका लाभ लेगा। इसलिए प्रश्न यह है: क्या हमें लंकाशायरको चुंगी-बोर्डकी सिफारिशोंके अनुसार बदलेमें किसी बातकी माँग किये बिना ५ प्रतिशतका अनुदान दे देना चाहिए, या हमें ५ प्रतिशतकी कटौती पर आधारित एक समझौतेका आग्रह करना चाहिए और लंकाशायरसे यह आश्वासन लेना चाहिए कि वह भारी मात्रामें भारतीय कपास खरीदेगा? शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोणसे इस ५ प्रतिशतका मुफ्त दान देनेकी बात नहीं सोचेंगे। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोणसे इस तरहका रुख अपनानेके कारण हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप फुरसतके समय ऐसी स्थितिके पक्षमें मुझे अपने विचार लिख भेजें, क्योंकि यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोणसे असंगत प्रतीत होती है, ऐसा तो आप भी मानेंगे। कारण, इस स्थितिमें लंकाशायरको, वह जो-कुछ चाहता है, वह बिना कुछ दिये मिल जायेगा।"

कोई फर्क नहीं हुआ है। इसलिये मुझे लगता है कि हम समझौता जैसे आपने बताया है नही कर सकते है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकलसे: पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास पेपर्स; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४६. तार: मुहम्मद अली जिन्नाको

वर्धा
१८ अप्रैल, १९३८

शुक्रिया। २५ तारीखको सोमवार है। यदि असुविधाजनक न हो तो २८ तारीखको बम्बई पहुँचूंगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-६-१९३८

४७. पत्र: जे० सी० कुमारप्पाको

१८ अप्रैल, १९३८

प्रिय कु[मारप्पा],

यदि सदस्योको सुभीता हो तो २१ तारीखको दोपहरके तीन बजे मिलेंगे। मै जानता हूँ कि उस समय काफी गर्मी होगी, लेकिन मै लाचार हूँ। क्या तुम सुबह ६-३० से ७-३० का समय पसन्द करोगे, अथवा मुझे २१ तारीखकी सुबह वर्धा जाना होगा?

मिलनेपर तुम मुझसे वित्तीय स्थितिके बारेमें बातचीत करना।

हाँ, संग्रहालयके लिए एक संयुक्त समिति होनी चाहिए।

राजकुमारी कलकत्ता मेलसे २२ तारीखको सबेरे सात बजे आ रही है। (क्या यह सच है?)। तुम समय-सारिणी देख लेना। क्या तुम उसे स्टेशनपर से लेकर यहाँके लिए रवाना कर दोगे? मै शायद यहाँसे किसी को न भेज सकूं।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१३४) से।

४८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव
१८ अप्रैल, १९३८

भाई वल्लभभाई,

कल प्यारेलालने तो तुम्हें पत्र लिखा ही है। आ जाओ तो हम कुछेक मामलों पर बात कर लेंगे। यदि न आ सको तो कोई हर्ज नहीं। गुजरातकी जमीनके बारेमें बातचीत हुई है। नागपुरके सम्बन्धमें ज्यादा अब कुछ कर सकना असम्भव समझता हूँ। रीतिके अनुसार जो-कुछ होता हो, होने दो। सारी नीति विचारणीय है। मुझे वहाँ जिन्नाभाईसे मिलनेके लिए २८ तारीखको तो आना ही है। उसी दिन मेरा वापस लौटनेका इरादा है। तुम जालभाईसे[1] मिलने गये थे क्या? क्या उसे पत्र लिखते हो?

मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मुझे बन्दरगाहपर न ले जाना। ६-७ मई तक तुम्हारी कमेटीकी बैठक वर्धामें ही है। मेरी तबियत सचमुच अच्छी रहती है। महादेवको २०, २१ तारीखको वापस लौटना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
पुरुषोत्तम बिल्डिंग
ओपेरा हाउसके सामने
बम्बई-४

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो - २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २१९

१. दादाभाई नौरोजीके पौत्र।

४९. तार : मुहम्मद अली जिन्नाको

वर्धा
२० अप्रैल, १९३८

यदि आपको असुविधा न हो तो आपके घर सुबह साढ़े ग्यारह बजे पहुँचना चाहता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-६-१९३८

५०. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

सेगाँव,
२० अप्रैल, १९३८

चि० पुरुषोत्तम,

तू अपने जन्म-दिवसको . . .[1] सफल बना रहा है। . . .[2] अपने शरीरके प्रति एकदम लापरवाह रहकर जैसे-तैसे काम चलानेकी नीति अनीति है, इतना निश्चित जानना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से।

५१. पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको

सेगाँव, वर्धा
२१ अप्रैल, १९३८

प्रिय सर नाजिमुद्दीन,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद।[3] हाँ, यह तो मैं अवश्य समझता हूँ कि मन्त्रि-मण्डल द्वारा मामलेपर विचार करनेके बाद ही अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा। मैंने जो सुझाव दिये थे, वे स्वतन्त्र रूपसे दिये थे और मैं चाहता था कि गुणावगुणके आधारपर उनके ऊपर विचार किया जाये। मेरा ऐसा खयाल जरूर था कि जहाँतक नजरबन्द कैदियोंका सवाल है, अभीतक जिस नीतिका पालन किया गया है वह

१ और २. यहाँके कुछ शब्द अस्पष्ट हैं।
३. देखिए "पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको", पृ० २४-२५ की पाद-टिप्पणी।

मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति ही है। मैं व्यग्रतापूर्वक आपके अन्तिम निर्णयकी प्रतीक्षामें हूँ। किन्तु निर्णय करनेसे पूर्व यदि मेरी उपस्थितिकी आवश्यकता महसूस हो तो मुझे एक पंक्ति लिखना या तार ही भेज देना पर्याप्त होगा।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-१०-१९३८; सी० डब्ल्यू० ९९२१ भी।

५२. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

सेगाँव
२१ अप्रैल, १९३८

प्रिय हरिभाऊ,

तुम्हारे दोनों पत्र बापुजीको मिले हैं। वह कहते हैं कि बा के भेजनेके बारेमें उन्होंने जमनालालजीसे बातचीत की है। अगर उन्हें भेजा जा सका तो जरूर भेजेंगे। उनकी — बापुजीकी — ओरसे कोई बाधा नहीं।

कैदियोंके बारेमें वह कहते हैं कि बंगालके कैदियोंके बारेमें क्या फैसला होता है यह अभी देखना है। वहाँ कुछ फैसला हो जाय पीछे स्पष्ट होगा कि बाक़ी अन्य प्रांतके कैदियोंके बारेमें क्या किया जा सकता है। वहाँके कैदियोंके बारेमें तो जब आप अवसर आनेपर लिखेंगे तो उसपर विचार कर लेंगे।

भवदीय,
प्यारेलाल

मूल पत्रसे : हरिभाऊ उपाध्याय कागजात; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१. ख्वाजा नाजिमुद्दीनने ६ मई को यह उत्तर दिया : "मुस्लिम-लीग के सम्मेलन के कारण विधान-सभाकी बैठक दार्जिलिंग में २० अप्रैल से पूर्व नहीं हो सकी। मन्त्रिमण्डल ने मामलेपर तत्काल विचार किया और निश्चित निर्णय किये हैं। हम आपको कुछ और खबर भेज सकें, ऐसी स्थितितक पहुँचने में कुछ देरी होगी, जिसका मुझे खेद है। आशा है कि ज्यादा देर नहीं होगी और आप विश्वास रखिए कि मैंने तथा मेरे सहयोगियोंने मामलेको शीघ्र निपटानेके लिए भरसक कोशिश की है और कर रहे हैं।"

५३. भाषण: विद्यामन्दिर ट्रेनिंग स्कूल, वर्धामें[1]

२१ अप्रैल, १९३८

आज विद्यामन्दिरके छात्रोंने पवित्र व्रत लिया है। यह व्रत बहुत कठिन है। उसका पूरा होना बडा कठिन है। १५ रुपये माहवार लेकर २५ वर्षतक लगातार सेवा करनेका यह व्रत है। पाँच हजारसे अधिक अर्जियों[2] का आना यह प्रगट करता है कि हमारे देशमें बेकारी हद दर्जे तक बढ़ गई है। कुछ लोग उच्च उद्देश्यसे काम करते हुए दाल-भाततक नही जुटा सकते। बहुत-से लोगोको अपना पेट भर सकने लायक काम नहीं मिल रहा है।[3] यह इस बातका भी प्रमाण है कि सरकारी नौकरी में क्या मोह होता है। मुझे मालूम है कि सिपाहियों और शिक्षकोंके पदके लिए लोग जो प्रार्थनापत्र देते है, वह इस आशासे देते है कि इससे वे अपने कानूनी वेतनमे गैर-कानूनी ढंगसे वृद्धि कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपमें से कोई ऐसी आशा नही रखता। मैं नही जानता कि राष्ट्रीय भावनासे ओतप्रोत होनेके बावजूद मैं १५ रुपये माहवारपर एक शिक्षकके रूपमें कार्य करता। आपको अपने दिमागसे यह विचार निकाल देना चाहिए कि आपके स्कूलोमें कोई लाभ हुआ है और जो आप सबमें बँटेगा। इसलिए अगर आपमें से किसीको अपने इस अनुबन्धपर पश्चात्ताप हो तो वह मन्त्रीसे कहकर अनुबन्धसे मुक्त हो सकता है। इसमें मैं आपकी सिफारिश करनेका वादा करता हूँ। यह सब कहनेके बाद मैं उन लोगोंको बधाई देता हूँ जो अनुबन्ध जारी रख रहे है। आशा है कि अपनी प्रतिज्ञाको पूरा करनेके लिए ईश्वर आपको शक्ति देगा।

आपका यह व्रत आत्म-त्यागका व्रत है। अगर आप अपनी प्रतिज्ञाके धनी साबित हुए, तो आप दुनियाके सामने एक नया आदर्श उपस्थित करेंगे, असफल हुए तो जगतमें मेरी और श्री रविशंकर शुक्लकी निन्दा की जायेगी। इसलिए यह अच्छा होगा कि डावाँडोल मन:स्थितिवाले लोग अभीसे अलग हो जायें।

यह योजना पूरी तरहसे भारतीय योजना है। इसके आदर्शका जन्म सेगाँवमें हुआ है। असली हिन्दुस्तान तो सात लाख गाँवोंमें बसता है, जो सेगाँवसे भी अधिक दीन-हीन दशामें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन गाँवोसे निरक्षरताको दूर भगा दें, ग्रामनिवासियोंके लिए अन्न और वस्त्रके साधन जुटायें और सत्य तथा अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेका सन्देश गाँवोंमें पहुँचायें। यह जिम्मेदारी आपके ऊपर है।

१. यह स्कूल, जो वर्धा-पद्धति तथा रविशंकर शुक्लके विद्यामन्दिरकी पद्धतिका सम्मिलित रूप था, हिन्दुस्तान तालीमी संघकी देखरेख में चलता था।

२. इनमें से १६६ प्रार्थियोंको चुना गया था।

३. अनुच्छेदका शेष अंश *हरिजन* से लिया गया है।

इस आदर्शको ध्यानमें रखते हुए काम करना आपका धर्म है। मैंने तो बहुत सोच-विचारके बाद अपनी यह योजना पेश की है। यदि यह योजना असफल हुई तो इसके लिए अध्यापक दोषी ठहराये जायेंगे। दस्तकारीके जरिये भूमिति, इतिहास, भूगोल और गणितकी शिक्षा दी जायेगी और छात्रोंके शरीर-श्रमसे स्कूलका खर्च निकालनेका प्रयत्न किया जायेगा।[1]

आप जानते हैं कि इस शिक्षाकी योजना कांग्रेस-कार्यक्रमके अनुरूप तैयार की गई है। अब कांग्रेस अहिंसा तथा सत्यके साधनों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए वचनबद्ध है। इसलिए इन मौलिक गुणोंका विकास करना ही इस योजनाका आधार है। और यदि आप शिक्षार्थियोंके साथ अपने दैनिक सम्पर्कमें इन गुणोंका और इनके अनुरूप चरित्रका परिचय नहीं देते तो आप असफल ठहरेंगे और आपका स्कूल भी। जर्मनीमें हिटलर जो-कुछ कर रहा है वह आपको मालूम है। उसका सिद्धान्त हिंसा का है जो किसीसे छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हमें बताया गया है कि तलवार ही उनकी आत्मा है। जर्मनीमें लड़कों और लड़कियोंको आरम्भसे ही हिंसाका पाठ पढाया जाता है। उन्हें अपने अंकगणितमें भी शत्रुके प्रति घृणाभाव रखनेका पाठ पढाया जाता है और आप यह देखेंगे कि उसमें जो उदाहरण दिये गये हैं वे हिंसा-वृत्तिको मनमें बैठानेकी दृष्टिसे ही दिये गये हैं। यदि हम उनके इस सिद्धान्तको स्वीकार करते हैं तो हमें बचपनसे ही हिंसाकी भावनाका विकास करनेकी आवश्यकताको स्वीकार कर लेना चाहिए। यही इटलीमें भी हो रहा है। हमें भी उन्हींकी तरह ईमानदार होना चाहिए। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यदि इस योजनाको समस्त फलितार्थोंके साथ कार्यान्वित किया जाता है और यह भारत-भरमें लोकप्रिय हो जाती है तो एक मूक क्रान्ति सम्पन्न हो जायेगी और स्व-राज्य-प्राप्ति निश्चित हो जायेगी।

हिटलर तलवारके बलपर अपने उद्देश्य पूरा कर रहा है; मैं आत्माके द्वारा पूरा करना चाहता हूँ। विदेशी विचारों और आदर्शोंका आवरण निकाल फेंकिए, अपने-आपको ग्रामवासियोंके साथ समरस बना दीजिए। पाश्चात्य जगत विनाशकारी शिक्षा दे रहा है; हमें अहिंसाके जरिये रचनात्मक शिक्षा देनी है। ईश्वर आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करनेकी शक्ति दे और आपने आज जो व्रत लिया है, उसे आप पूरा कर सकें।

हरिजन-सेवक, ३०-४-१९३८ तथा *हरिजन*, ३०-४-१९३८ से

१. इसके बादका अनुच्छेद *हरिजन* से लिया गया है।

५४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

२२ अप्रैल, १९३८

देखता हूँ कि मेरी और श्री जिन्नाकी आगामी मुलाकातने न केवल व्यापक रूपसे लोगोंका ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि इससे उन्हें बड़ी-बड़ी आशाएँ भी बँध रही हैं। फिर, कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो उनसे मेरी मुलाकातके खिलाफ मुझे गम्भीर चेतावनियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके सम्बन्धमें कोई आशा नहीं बाँधनी चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि मैं लोगोंको साफ-साफ बता दूँ कि मैं २८ अप्रैलको श्री जिन्नासे क्यों और कैसे मिल रहा हूँ।

मेरा पहला पत्र[1] उन्होंने खुद ही प्रकाशित किया है। उसमें साम्प्रदायिक एकताके सम्बन्धमें, जो मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, मेरे दृष्टिकोणका स्पष्टीकरण हुआ है। उस पत्रमें मैंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि अभी तो मेरे सामने अन्धकार-ही-अन्धकार है और मैं प्रकाशके लिए प्रभुसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर कुछ हुआ है तो यही कि अन्धकार और भी गहन हो गया है और मेरी प्रार्थनामें और अधिक उत्कटता आ गई है। इसमें इतनी बात और जोड़ लीजिए कि अपने सार्वजनिक तथा निजी जीवनमें पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। इसके कुछ कारण तो मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। लगता है, मुझे अपने अन्दर एक ऐसा दोष मिला है जो सत्य और अहिंसाके उपासकके लिए अशोभनीय है। मैं आत्म-निरीक्षणकी प्रक्रियासे गुजर रहा हूँ और नहीं जानता कि इसके परिणाम क्या होंगे। पिछले ५० वर्षोंमें मैं पहली बार अपनेको निराशाके दलदलमें फँसा पा रहा हूँ। अभी मैं अपनेको वार्ता या ऐसे किसी कामके लिए उपयुक्त नहीं मानता।

मेरी निराशाके कारणके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी अटकलबाजी करनेकी कोई जरूरत नहीं है। यह निराशा बिलकुल आन्तरिक है। यह अन्दरसे ही उठती है। इतनेसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आगामी मुलाकातको अगर मैं दो राजनीतिज्ञोंकी मुलाकात मानता तो इस निराशाकी मनोदशामें उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन इसके प्रति मेरी दृष्टि तनिक भी राजनीतिक नहीं है। इसकी ओर मैं विशुद्ध प्रार्थनापूर्ण मनसे और धार्मिक भावनासे प्रवृत्त हुआ हूँ। यहाँ 'प्रार्थनापूर्ण' और 'धार्मिक' इन दो विशेषणोंका प्रयोग मैं इनके व्यापकतम अर्थोंमें कर रहा हूँ।

मेरा हिन्दुत्व किसी सम्प्रदायकी सीमामें बँधा हुआ नहीं है। इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जरथुस्त धर्मकी जितनी भी अच्छाइयोंसे मैं अवगत हूँ, वे सब इसमें शामिल हैं। अन्य सभी विषयोंकी तरह राजनीतिके सम्बन्धमें भी मेरा दृष्टिकोण

१. देखिए खण्ड ६५, पृ० २४५।

धार्मिक है। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसकी प्राप्तिका एकमात्र रास्ता है। तलवारकी नीतिको मैंने सदाके लिए त्याग दिया है। निर्दोष लोगोंको चोरी-छिपे छुरा मारना और अखबारोंमें मैंने जैसे भाषण पढ़े हैं, वैसे भाषण शान्ति या सम्मानपूर्ण समझौतेकी राह बतानेवाले नहीं हैं।

फिर, आगामी मुलाकातके लिए मैं कोई प्रतिनिधिकी हैसियतसे नही जा रहा हूँ। ऐसी कोई हैसियत मैंने जान-बूझकर ही अख्तियार नही की है। अगर कोई औपचारिक वार्ता होनी है तो वह लीग और कांग्रेसके अध्यक्षोंके बीच होगी। मैं तो इस मुलाकातके लिए एक ऐसे कार्यकर्ताके रूपमें जा रहा हूँ जिसने अपना सारा जीवन हिन्दू-मुस्लिम एकताकी साधनाको समर्पित कर रखा हो। युवावस्थासे ही मुझे उसकी लगन रही है। मैं कतिपय श्रेष्ठतम मुसलमानोंको अपना मित्र मानता हूँ। इस्लाम धर्मकी एक पक्की अनुयायी मेरी पुत्री बल्कि मेरे लिए उससे भी बढ़कर है। वह उसी एकताके लिए जी रही है और जरूरत हुई तो उसीके लिए हँसते-हँसते अपने प्राणोंकी वलि दे देगी। बम्बईकी जामा मस्जिदके मरहूम मुअज्जिनके पुत्र मेरे आश्रमके एक सच्चे अन्तेवासी थे।[1] उनसे अच्छा आदमी मैंने आजतक नही देखा है। आश्रममे दी गई उनकी सुबहकी अजाँ इस मध्यरात्रिमे भी मेरे कानोमें गूंज रही है। इन्ही कारणोसे मैं श्री जिन्नासे मिलने जा रहा हूँ।

हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करनेके लिए मुझे कुछ भी उठा नही रखना है। ईश्वर अपनी इच्छाएँ जाने कैसे-कैसे पूरी करवाता है। हो सकता है, इस मुलाकात के माध्यमसे वह अपनी इच्छा भी किसी प्रकारसे — जिसका हमें कोई इल्म नही है — पूरी करवा ले और दोनो समुदायोंके बीच समझौते का कोई रास्ता भी खोल दे। आगामी मुलाकातकी ओर मैं इसी आशासे देख रहा हूँ। हम दोनों मित्र हैं, एक-दूसरेके लिए कोई अजनबी नहीं। हमारे दृष्टिकोण एक-दूसरेसे भिन्न हैं, इससे मुझे कोई फर्क नही पड़ता। लोगोसे मेरा यही अनुरोध है कि वे इस मुलाकातको जरूरत से ज्यादा महत्त्व न दें। लेकिन साम्प्रदायिक एकताके सभी प्रेमियोंसे मेरा निवेदन है कि वे प्रार्थना करें कि सत्य और प्रेममय ईश्वर हम दोनोंमे सही भावना जाग्रत करे और हमें अपनी अभिव्यक्तिके लिए सही शब्द दे तथा हमारा उपयोग भारतके करोड़ों मूक मानवोके हित-साधनमें करे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३०-४-१९३८

१. अब्दुल कादिर बावजीर।

५५. सन्देश : जयपुर राज्य प्रजा-मण्डलको[1]

[२३ अप्रैल, १९३८ से पूर्व][2]

आज हमारे देशमें जो-कुछ हो रहा है, उसका अध्ययन जो कोई भी व्यक्ति करना चाहेगा, वह देखेगा कि हमारा जो ध्येय है उसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम शान्तिमन्त्रको — अहिंसाके सिद्धान्तको — सिद्ध कर लें। अशान्तिसे शान्ति पैदा नही की जा सकती। ऐसा प्रयास तो काँटोसे अंगूर चुनने या बबूलसे अंजीर चुनने-जैसा होगा। जितना ही मैं इस प्रश्नकी गहराईमें जाता हूँ उतनी ही मेरे मनमें यह धारणा पक्की होती जाती है कि हमारा प्रथम कर्त्तव्य इस मूल तथ्यको समझनेका है। एक समय था जब मैं इस भ्रममें पडा हुआ था कि मैंने उस पाठको सीखनेका गुर हासिल कर लिया है। किन्तु आज मुझे शंकाने घेर लिया है। मैं नही जानता कि सच्ची शान्ति या अहिंसा प्राप्त करनेके लिए मुझमें पर्याप्त शुद्धता है। ऐसी मन.स्थितिमें मैं और कुछ नही सोच सकता हूँ और न ही मैं कोई और बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरी दशा चाहे जैसी भी हो, मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अहिंसा के बिना स्वराज्य नहीं हो सकता और न ही कोई रचनात्मक कार्य हो सकता है। रचनात्मक कार्य अहिंसाका ही सौम्य रूप है, लेकिन अहिंसाकी सच्ची कसौटी इस बातमें है कि हम अपने स्वीकृत ध्येयकी सेवा करते हुए निस्संकोच भावसे मृत्युका वरण करनेकी क्षमता अर्जित करे, ऐसी मृत्यु जो सर्वथा निर्दोष हो। अब प्रश्न यह है कि इस शक्तिको कैसे प्राप्त किया जाये। मैं चाहूँगा कि आप इसपर विचार करें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-६-१९३८

१. महादेव देसाई के "वीकली लेटर" (साप्ताहिक पत्र) से उद्धृत। यह सन्देश जमनालाल बजाजकी मार्फत भेजा गया था, जो इस सम्मेलनके अध्यक्ष थे।

२. यद्यपि जमनालाल बजाजने यह सन्देश सम्मेलनमें ३० अप्रैलको पढ़ा था, लेकिन स्पष्टत : इसका मसविदा २३ अप्रैलके पूर्व तैयार किया गया था। देखिए "पत्र : जमनालाल बजाजको", २३-४-१९३८।

५६. सैनिक बल बनाम नैतिक बल

अकसर हम यह भूल जाते हैं कि कांग्रेसको केवल नैतिक बलका आधार है। शासन करनेवाली सत्ताके पास सैनिक बल रहता है, हालाँकि वह अकसर अपने सैनिक बलके साथ नैतिक बलका भी सम्मिश्रण कर देती है। कांग्रेसने जबसे सात प्रान्तोंमें पद-ग्रहण किया है, तबसे इन दोनो बलोंका महत्त्वपूर्ण अन्तर सामने आ गया है। इस पद-ग्रहणका अर्थ या तो और भी अधिक प्रतिष्ठाकी ओर कदम बढ़ाना है, या फिर प्रतिष्ठासे बिलकुल हाथ धो बैठना है। यदि हम अपनी प्रतिष्ठाको बिलकुल खोना नही चाहते हैं, तो मन्त्रियो और विधान-मण्डलोके सदस्योको व्यक्तिगत और सार्वजनिक आचरणके प्रति जागरूक रहना ही होगा। सीज़रकी पत्नीके समान उन्हे भी सन्देहसे परे होना चाहिए। वे कोई ऐसा काम न करें जिससे खुद उन्हें या उनके सम्बन्धियो या मित्रोंको व्यक्तिगत रूपसे कोई लाभ पहुँचता हो। अगर वे अपने सम्बन्धियों या मित्रोकी किसी सरकारी पदपर नियुक्ति करें, तो उसकी वजह यही होनी चाहिए कि उस पदके उम्मीदवारोमें वे सबसे अधिक योग्य हैं, और सरकार उन्हें जो वेतन देती है उससे कही ज्यादा पानेकी उनमे योग्यता है। कांग्रेसी मन्त्रियों और विधान-मण्डलोंके सदस्योंको निडरताके साथ अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए। उन्हें अपनी सीटों या पदोंसे हाथ धो बैठनेका खतरा उठानेके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर इन पदों और विधान-मण्डलोंकी सदस्यतासे कांग्रेसकी प्रतिष्ठा और शक्तिमें वृद्धि नहीं हो सकती तो इनका कुछ भी मूल्य नही। और चूंकि ये दोनों चीजें सार्वजनिक और व्यक्तिगत आचरणपर पूरी तरहसे निर्भर करती हैं, इसलिए किसी भी प्रकारके नैतिक पतनका अर्थ होगा कांग्रेसको धक्का पहुँचाना। अहिंसाका यह आवश्यक फलितार्थ है। अगर कांग्रेसकी अहिंसा केवल इसी हदतक सीमित है कि अंग्रेज अधिकारियों और उनके मातहतोंको शारीरिक चोट न पहुँचाई जाये, तो ऐसी अहिंसासे कभी आजादी हासिल नही हो सकती। अन्तिम कसौटीपर यह अहिंसा निश्चय ही खरी नही उतरेगी। वस्तुतः ऐसी अहिंसा अन्तिम कसौटी पर कसे जानेसे बहुत पहले ही यदि निश्चित रूपसे हानिकर नहीं तो निरर्थक सिद्ध होगी।

जो लोग कांग्रेसकी अहिंसाको उसके संकुचित अर्थोंमें लेते हैं और ये कहते हैं कि इसपर भरोसा नही किया जा सकता, उनकी इस दलीलमें काफी बल है।

दूसरी तरफ यदि अहिंसा अपने सब फलितार्थों-सहित कांग्रेसकी नीति है, तो हरेक कांग्रेसीको आत्म-परीक्षण करना चाहिए और अपनेको फिरसे उसके अनुकूल बनाना चाहिए। उसे कार्य-समितिकी हिदायतोंका इन्तजार नहीं करना चाहिए। आखिर कार्य-समिति जनताके विचारोको जहाँतक समझती है, वहाँतक ही काम कर सकती है। और अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नही जो आज्ञानुसार गढ़ा जा सके या

व्यक्त हो सके। यह तो आन्तरिक विकासकी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्यंतिक व्यक्तिगत प्रयत्नसे ही विकसित होती है।

मुझे कुछ ऐसे पत्र मिले है जिनके लेखकोंने अपना नाम दंगे या ऐसे ही मौकोंपर कुर्बान होनेवालोंमें दर्ज कर लेनेको लिखा है। इन पत्र-लेखकोंको मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि वे अपने-आप ही अपने साथी चुनकर स्थानीय जत्थे वना ले और मेरे सुझावके अनुसार प्रशिक्षण आरम्भ कर दें। वे अपने-आपको सिर्फ संकटकालीन आवश्यकताओंके लिए तैयार करनेतक ही सीमित न रखें, बल्कि दैनिक जीवनके प्रत्येक क्षेत्र — व्यक्तिगत, घरेलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक सबके लिए तैयारी रखें। सिर्फ इसी रीतिसे वे अपनेको मुहल्लों या गश्ती इलाकोंमें जरूरत व संकटके वक्त काम करनेके लिए तैयार ही नहीं, बल्कि बढ़कर पायेंगे। अप्रत्यक्ष रूपसे भले ही प्रभाव पड़े, वैसे उन्हें अपने कार्यक्षेत्रसे सैकड़ों मील दूर होनेवाली घटनाओंपर प्रभाव डालनेकी बात मनमें नहीं लानी चाहिए। और यदि शुरूसे ही ठीक तरहसे काम किया जायेगा तो यह योग्यता उनमें स्वयमेव आ जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-४-१९३८

५७. पत्र : जमनालाल बजाजको

सेगाँव
२३ अप्रैल, १९३८

चि० जमनालाल,

मैंने लीलावती मुंशीको 'ना' लिख दिया है। २८ तारीखकी सुबह मेरी राह देखना। मैंने खानसाहबको जो तार दिया है, वह तुमने देखा होगा। साथमें वल्लभ-भाईके लिए पत्र[1] है। तुम उसे पढ़ लेना और फिर वल्लभभाईको दे देना। यदि वे वहाँ न हों तो जहाँ हों वहाँ भेज देना। स्वस्थ हो जाओ। मैंने तुम्हें जो भाषण[2] भेजा है, उसमें जो फेर-बदल करना ठीक लगे, करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९०)से।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. गांधीजीने जमनालालके लिए भाषणका मसविदा तैयार किया था। यह भाषण जमनालालजी जयपुर राज्य प्रजा-मण्डलके अध्यक्षीय पदसे देनेवाले थे; देखिए पृ० ४५।

५८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव
२३ अप्रैल, १९३८

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। महादेवको आज शामको पहुँचना चाहिए। मुझे २८ तारीखकी सुबह वहाँ पहुँचनेकी उम्मीद है। उसी दिन गवर्नरसे भी आसानीसे मिला जा सकता है। उनसे मैं ९ अथवा ९-३० बजे मिलनेके लिए तैयार हूँ।

वाइसरायके साथ उड़ीसा, खेड़ाकी जमीन, कैदियों आदिके बारेमें अच्छी तरहसे बातचीत हुई है। उड़ीसाका मामला विचार करने लायक है।[1]

गुजरातमें कुछ दिन बितानेकी व्यवस्था तो जब चाहें तब हो सकती है। कदाचित् मुझे मईमें सीमा-प्रान्त जाना पड़ेगा। आज खानसाहबको तार दिया है। महादेवके आनेपर ज्यादा बातें मालूम होंगी।

मेरा स्वास्थ्य इस समय तो अच्छा काम दे रहा है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

जिन्नाके बारेमें मेरा वक्तव्य[2] पढ़ना। यदि मैं उनसे नहीं मिलूँगा तो उसका उलटा अर्थ किया जायेगा।

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२०

१. उड़ीसामें सर जॉन हैबैककी छुट्टीके दौरान उनके स्थान पर एक सिविल अधिकारी श्री डेनको कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया था। देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", २९-४-१९३८।

२. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको" पृ० ४३-४४।

५९. पत्र : मनुबहन एस० मशरूवालाको

सेगाँव
२३ अप्रैल, १९३८

चि० मनुड़ी,[1]

तुझे पत्र लिख ही नही पाता। लेकिन तेरा समाचार तो मिलता ही रहता है। मैं नही लिखूं तो तू भी नही लिखे, ऐसा तो नही करेगी न? आज कान्ति और सरस्वती आये हैं। एक महीना रहेंगे।

मैं २८ को एक दिनके लिए बम्बई जा रहा हूँ। उसी शामको कदाचित् वापस आ जाऊँगा। आकर मिल जाना, सुरेन्द्रको[2] साथ लाना। मै ठीक रहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५६९)से; सौजन्य: मनुबहन एस० मशरूवाला।

६०. पत्र : शारदा चि० शाहको

सेगाँव
२३ अप्रैल, १९३८

चि० शारदा,

तेरी अकल ठीक काम करती जान पड़ती है। मैंने तो सचमुच यह मान लिया था कि मेरा पत्र मिलनेके बाद तूने अहमदाबाद जानेका विचार छोड़ दिया है। मतलब यह कि तुझे मुझे कहना चाहिए था। मेरी अनुमति तो थी, लेकिन मुझे मालूम तो होना चाहिए न? अब जी भरकर शकरीबहनसे[3] मिल लेना। उनसे यह भी कहना कि 'तुमने मुझसे जो बात की और तुम्हारे मनमें जो बात है, उन दोनोंमें बहुत अन्तर है। मेरे साथ निस्संकोच होकर बात करनी चाहिए। तुम्हारी जो इच्छा हो वह शारदाकी मार्फत कहना। तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध मैं कुछ नही करना चाहता।' अपने

१. गांधीजी की पोती, हरिलाल गांधी की पुत्री।
२. मनुबहन मशरूवाला के पति।
३. शारदा शाह की माँ।

स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए जितनी देर रहना उचित हो उतनी देर रहना। तू अपना समय कैसे बिताती है, इसका हिसाब तू मुझे भेजती रहना। मेरे पत्रकी बहुत ज्यादा प्रतीक्षा न करना।

सरस्वतीबहनको फुर्सतसे लिखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९९३)से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

६१. पत्र: मथुरादास त्रिकमजीको

सेगाँव
२३ अप्रैल, १९३८

तेरा पत्र मिला। दंगे तो नसीबमें लिखे ही हैं।[1] ऐसे समयमें तो हमें विशेष रूपसे मिलना चाहिए।[2] देखना यह होगा कि हम किस भावनासे मिलते हैं। मैंने आज समाचारपत्रोंके लिए एक वक्तव्य[3] जारी किया है जो कदाचित् तुम्हारे प्रश्नोंके उत्तरके लिए ही तैयार किया गया है। उसे पढ़ जाना और उसपर विचार करना।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० १६७

६२. पत्र: मैसूर-राज्य कांग्रेसके अध्यक्षको

[२४][4] अप्रैल, १९३८

प्रिय मित्र,

अभी हालमें मैसूर-राज्यमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसके सिलसिलेमें वी० चन्द्रशेखर, डी० चन्द्रशेखरैया और वी० रामचन्द्रन मुझसे मिले हैं। मुझे दुःख है कि ध्वज-सत्याग्रह आन्दोलनको लेकर सिद्धलिंगैया और सात अन्य मित्र जेलमें हैं। मैंने आशा की थी कि देलांगमें मित्रोंके साथ पूरी तरह बातचीत करनेके बाद,

१. संकेत इलाहाबादमें हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगोंकी ओर है।

२. यहाँ गांधीजी का आशय जिन्ना के साथ उनकी प्रस्तावित बातचीत से है।

३. देखिए पृ० ४३-४४।

४. साधन-सूत्रमें '१४' तारीख दी गई है, लेकिन १४ अप्रैल को गांधीजी कलकत्ता से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। सम्भवत: वे '२४' की जगह '१४' लिख गये। मैसूर के प्रतिनिधि गांधीजी से वर्धा में मिले थे, और मैसूर लौटते समय २६ तारीख को बम्बईमें थे।

जिनमें सिद्धलिंगैया भी शामिल हैं, राज्य-सरकार और कांग्रेसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। इन मित्रोंकी सहमतिसे और हृदयसे अनुमोदन करनेपर मैंने सर मिर्जाको इस बातचीतका लगभग पूरा विवरण भी भेजा था। हालाँकि सर मिर्जा मुझे हालातसे अवगत कराते रहे हैं, तथापि मैसूर-कांग्रेसकी ओरसे कुछ सुने बिना मैंने हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि यदि आपने अथवा किसी अन्य सदस्यने मुझे इस बारेमें कुछ लिखा होता तो भी बंगालमें अपने कामकी वजहसे मैं कदाचित् कुछ कर नहीं पाता। आज मैंने अपने मित्रोंसे काफी लम्बी बातचीत की है। मुझे लगता है कि अत्यधिक उत्साही कार्यकर्ताओंको कुछ गलतफहमी हुई है अथवा उन्होंने कुछ जल्दबाजीसे काम लिया है। और इस तरह मैंने देलांगमें लोगोंको साफ-साफ यह सलाह दी थी कि मैसूर-राज्य कांग्रेसकी सदस्यताको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रारम्भिक सदस्योंतक ही सीमित रखना बिलकुल गलत है और यह कि इसके फलस्वरूप राज्य-कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका ही एक संगठन बन जायेगी, फिर चाहे वह उससे असम्बद्ध ही क्यों न हो। मेरे विचारसे ऐसा करना इस विषयपर हरिपुरा कांग्रेस-प्रस्तावकी[1] भावनाके विपरीत है; उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी दृष्टिमें जो लक्ष्य है वह इससे विफल हो जायेगा। और चूँकि सर मिर्जा मेरे मतसे परिचित थे, इसलिए मेरी सलाहके बावजूद राज्य-कांग्रेसकी कार्यवाही स्पष्टतः गलतफहमीका पहला कारण बनी और कांग्रेस-ध्वजका फहराया जाना साफ तौरपर राज्य और राज्य-ध्वजको चुनौती देनेके समान माना गया। मेरे मनमें यह बात बिलकुल साफ है कि प्रदर्शनका आयोजन करनेवाले लोगोंका यह मंशा नहीं था। लेकिन हम राज्याधिकारियोंसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे हमारे कार्यकी तहमें जाकर व्यक्त अथवा अव्यक्त मन्तव्यके परिप्रेक्ष्यमें उसकी व्याख्या करें। बल्कि वे तो हमारे कार्यसे ही हमारा मंशा तय करेंगे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि राज्य कांग्रेस-संविधानमें तुरन्त ही आवश्यक परिवर्तन किये जायें और स्पष्ट रूपसे यह घोषणा

१. प्रस्ताव का प्रासंगिक अंश इस प्रकार था :

"चूँकि रियासतों और शेष भारत की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, इसलिए कांग्रेस की सामान्य नीति प्रायः रियासतोंके अनुरूप नहीं होती और इससे किसी रियासतके स्वतंत्रता-आन्दोलनके स्वाभाविक विकासमें रुकावट या बाधा पड़ सकती है। यदि इन आन्दोलनोंको रियासत की जनतासे ही बल मिले, इनसे वह स्वावलम्बी बने, और ये आन्दोलन वहाँकी परिस्थितियोंके अनुरूप हों और इन्हें किसी बाह्य सहायता या कांग्रेसके नामकी प्रतिष्ठाकी आवश्यकता न पड़े तो ये आन्दोलन और तेजीसे बढ़ सकते हैं और इनका आधार और विस्तृत हो सकता है। कांग्रेस ऐसे आन्दोलनोंका स्वागत करती है, लेकिन जैसाकि स्वाभाविक है और वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए स्वतन्त्रता-आन्दोलनको चलाते रहनेकी जिम्मेदारी रियासतके लोगोंको ही उठानी चाहिए। शान्तिपूर्ण और वैध तरीकोंसे चलाये जानेवाले ऐसे आन्दोलनोंको कांग्रेसकी सद्भावना और सहायता हमेशा उपलब्ध रहेगी लेकिन वर्तमान परिस्थितियोंमें वह केवल नैतिक समर्थन और सहानुभूति ही दे सकती है।"

की जाये कि राष्ट्रीय कांग्रेस-ध्वजको फहरानेमें राज्य-कांग्रेसका राज्य-ध्वजका अपमान करने अथवा उसके विरुद्ध प्रदर्शन करनेका कतई कोई इरादा नहीं था। यदि मैसूर भारतका एक अविभाज्य अंग है, जैसाकि वह वास्तवमें है, तो उसे अखिल भारतीय राष्ट्र-ध्वजपर ऐसे ही गर्व होना चाहिए जैसेकि वह अपना ही ध्वज हो।

आपके लिए यह भी साफ तौरपर कहना जरूरी होगा कि आप ऐसे अवसरों पर, जहाँ रजिस्टर्ड कांग्रेसी सदस्योंके अलावा अन्य लोग भी शामिल हों, तबतक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरायेंगे जबतक कि उसके साथ मैसूरका ध्वज भी नहीं फहराया जाये। याद रखें कि आप महाराजाके साथ विद्रोह करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपका उद्देश्य मैसूर-राज्यका विध्वंस करना नहीं है। आपका उद्देश्य तो आमूल-चूल सुधार करना है। यदि यह बात है तब विशेष अवसरोंपर राष्ट्रीय ध्वजको फहराते समय आप मैसूर-ध्वजकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते।

इसलिए यदि आप मेरी सलाहके मुताबिक कोई रास्ता निकाल सकें तो मेरा खयाल है कि राज्याधिकारी कैदियोंको रिहा कर देंगे, जैसाकि उन्हें कर देना चाहिए। जब झगड़ेका मूल कारण ही खत्म हो जायेगा, तब राजनीतिक बन्दियोंको जेलमें रखनेका कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। कृपया याद रखें कि सत्याग्रह मन, वचन और कर्मसे पूर्ण होना चाहिए। यदि मैंने हालातको ठीक समझा है तो मुझे स्वीकार करना होगा कि इसमें, बेशक बिलकुल अनजाने ही, सत्य और अहिंसाका सचमुच त्याग किया गया है। इसमें सत्यका तकाजा तो यह था कि मैंने आपको जो सलाह दी थी उसपर अमल किया जाता। और मेरा खयाल था कि उसपर अमल किया जायेगा तथा यही बात मैंने सर मिर्जासे भी कही थी। मैं जानता हूँ कि राज्य-कांग्रेस चाहती तो मेरी सलाहको माननेसे इनकार कर सकती थी।

लेकिन उस हालतमें मुझे उसके बारेमें बता दिया जाना चाहिए था, ताकि मैं तदनुसार सर मिर्जाको सूचित कर देता। राज्य-कांग्रेसकी इस कार्यवाहीमें हिंसाका पुट था, क्योंकि जल्दबाजीमें और बिना सोचे-समझे कोई भी काम करना अहिंसाको भंग करना है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जन-साधारणसे सत्य और अहिंसाका बारीकीसे पालन किये जानेकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन तब जन-साधारण सत्याग्रहका सूत्रपात नहीं कर सकता। इसका सूत्रपात तो जिम्मेदार लोग ही कर सकते हैं जो सत्याग्रहके नियमोंसे भली-भाँति अवगत हों।

मुझे मालूम हुआ है कि मैसूर-कांग्रेस काले झण्डे लेकर प्रदर्शन करनेवाली है। इससे हिंसाकी गन्ध आती है। मैं आशा करता हूँ कि यदि उसका ऐसा कोई विचार है तो वह उसे छोड़ देगी।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सत्याग्रह-विषयक अपने कथित विशिष्ट ज्ञानके आधारपर ही मैंने यह पत्र लिखा है। इसके अलावा इसके पीछे कोई अधिकार नहीं है। यदि आपको और राज्य-कांग्रेसके अन्य सदस्योंको मेरी सलाह नहीं जँचे तो आप उसे बिलकुल अस्वीकार कर सकते हैं।

यदि आप अनुमति प्राप्त कर सकते हैं तो आपको सिद्धलिंगैया और अन्य बन्दियोंसे मिलना चाहिए और यदि तनिक भी सम्भव हो तो आपको सर्वसम्मतिसे किसी निर्णयपर पहुँचना चाहिए।[1]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ७-५-१९३८

६३. भाषण: हिन्दुस्तानी तालीमी संघमें[2]

वर्धा
२४ अप्रैल, १९३८[3]

हमें इस प्रशिक्षणशालाको एक ऐसा विद्यालय बना देना है, जिसके जरिये हम आजादी हासिल कर सकें और अपनी तमाम बुराइयोंको, जिनमें कि हमारे कौमी झगड़े भी हैं, हमेशाके लिए मिटा सकें। इसके लिए हमें अपना सारा ध्यान अहिंसा पर केन्द्रित करना होगा। हिटलर और मुसोलिनीके स्कूलोंका मूल उद्देश्य हिंसा है। पर हमारा उद्देश्य कांग्रेसके अनुसार अहिंसा है। इसलिए हमें अपनी तमाम समस्याओं को अहिंसाके जरिये ही हल करना है। अपने गणितको, अपने विज्ञानको, अपने इतिहासको हम केवल अहिंसाकी दृष्टिसे देखेंगे और इन विषयोंसे सम्बन्धित समस्याएँ अहिंसाके ही रंगमें रँगी होंगी। तुर्किस्तानकी सुप्रसिद्ध महिला बेगम हालिदा अदीब हानुमने जब जामिया मिलिया इस्लामियामें तुर्कीके ऊपर अपने भाषण दिये थे, तब मैंने कहा था कि इतिहास अभीतक राजाओं और उनके युद्धोंका वर्णन-मात्र रहा है, पर भविष्यमें जो इतिहास बनेगा, वह मानवताका होगा।[4] वह इतिहास अहिंसाका ही हो सकता है, और है। फिर हमें शहरोंके उद्योग-धन्धोंको छोड़कर ग्रामोद्योगोंकी ओर सारा ध्यान देना होगा। मतलब यह कि अगर हम अपने ७ लाख गाँवोंको जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें गाँवोंकी दस्तकारियोंका पुनरुद्धार करना होगा। और आप यकीन रखें कि अगर इन उद्योगोंके जरिये हम शिक्षा दे सकें, तो हम एक क्रान्ति पैदा कर सकते हैं। हमें अपनी पाठ्यपुस्तकें भी इसी उद्देश्यको सामने रखकर तैयार करनी होंगी।

मैं चाहता हूँ कि मैं जो-कुछ कहता हूँ, उसपर आप अच्छी तरह गौर करें और जो बात आपको ठीक न जँचे उसे छोड़ दें। मेरी बातें हमारे मुसलमान भाइयोंको ठीक न जँचे, तो वे उन्हें खुशीसे नामंजूर कर सकते हैं। मैं जो अहिंसा

१. साधन-सूत्र के अनुसार मैसूरमें गोली चलनेका समाचार मिलनेके बाद यह पत्र रद्द कर दिया गया था।

२. महादेव देसाईके "वीकली लेटर" (साप्ताहिक पत्र) से लिया गया है।

३. हिन्दू, २५-४-१९३८ के अनुसार।

४. देखिए खण्ड ६०, पृ० १०४-५।

चाहता हूँ, वह सिर्फ अंग्रेजोंके साथके युद्धतक ही सीमित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे तमाम भीतरी सवालों और समस्याओंपर भी लागू हो। सच्ची और सक्रिय अहिंसा तो तभी होगी, जबकि वह हिन्दू और मुसलमानोंकी सजीव एकताको जन्म दे सकेगी, ऐसी एकता नहीं जिसका आधार आपसी भय हो, जैसेकि हिटलर और मुसोलिनीके बीच हुई सन्धि।

जब इस नई शिक्षा-योजनाका सूत्रपात हुआ था, तब मेरे अन्दर बहुत आत्म-विश्वास था। मुझे लगता है कि वह आत्मविश्वास अब मुझमें नहीं रहा। पहले मेरे शब्दोंमें जो शक्ति थी, वह मानो चली गई है। आत्मविश्वासकी इस कमीका कारण बाह्य नहीं, बल्कि आन्तरिक है। ऐसा नहीं कि मेरी चेतना कुंठित हो गई है। मेरी अवस्था देखते हुए मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है। यह भी नहीं है कि अहिंसापर से मेरा विश्वास उठ गया है। वह विश्वास तो और भी तीव्र हो गया है। लेकिन इस क्षण मैं आत्मविश्वास खो बैठा हूँ। इसलिए मैं यह नहीं चाहूँगा कि आप मेरी बातोंको बिना सोचे-समझे मान लें। आप तो उन्हीं बातोंको मानें जो आपके गले उतरें और आपको ठीक लगें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम दो स्कूल भी ठीक तरहसे चला सकें तो मैं हर्षके मारे नाच उठूँगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ७-५-१९३८

६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव
२५ अप्रैल, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

महादेव देसाईने अपनी सीमा-प्रान्तकी यात्राके दौरान कुछ टिप्पणियाँ लिखीं जिनकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। मैं तो जा नहीं सकता था और जब वहाँसे चिन्ता-जनक खबरें[1] मिलीं तो उसे भेजना उचित जँचा। वे टिप्पणियाँ मैं सभी सदस्योंको नहीं भेज रहा हूँ। उनकी प्रतियाँ मैं मौलाना और सुभाषको भेज रहा हूँ। उन टिप्पणियोंने मुझे हताश-सा कर दिया है। महादेवके पास तो बतानेको और बहुत-कुछ है। हाँ, एक प्रति मैं [खान-] बन्धुओंको भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि [खान-] बन्धुओंपर तुम्हारा जो जबर्दस्त प्रभाव है, तुम उसका प्रयोग करोगे। मैं तार द्वारा सम्पर्क तो रख ही रहा हूँ। इतना धक्का पहुँचनेके बावजूद यदि खान-साहब चाहेंगे तो मैं कुछ दिनोंके लिए सीमा-प्रान्त चला जाऊँगा। लगता है, हममें अन्दरसे दुर्बलता आती जा रही है। मुझे व्यथा होती है कि अपने इतिहासके इस

१. तात्पर्य सम्भवत: मर्दानमें हुए हत्याकाण्डसे है; देखिए "भाषण: मर्दानमें", ७-५-१९३८।

नाजुक अवसरपर हम महत्त्वपूर्ण विषयोंपर समान दृष्टि रखते नही दीखते। मैं तुम्हें बता नही सकता कि मुझे यह जानकर बहुत अकेलेपनका अनुभव होता है कि आजकल मैं तुम्हें अपने पक्षसे सहमत नही करा पाता। मैं जानता हूँ कि तुम प्रेमके नाते बहुत-कुछ कर दोगे। किन्तु राज-काजके मामलोंमें यदि विवेकबुद्धि विद्रोह करती हो, तब प्रेमके आगे आत्मसमर्पण नही हो सकता। तुम्हारे विद्रोहसे मेरे मनमें तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ा ही है, किन्तु उससे अकेलेपनकी मेरी व्यथा और गहरी हो गई है। लेकिन अब बस।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३८; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

६५. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव
२५ अप्रैल, १९३८

चि० प्रभा,

तू पत्र लिखनेमें आलसी हो गई है। आजकल मुझे तेरे पत्रकी प्रतीक्षा रहती है। तू बेहोश हो गई थी, मैं यह बात सहन नही कर सका। इसके अलावा, इस समय मेरे पास होनेपर भी तू शान्तचित्त न रह सकी, यह तो मेरी अयोग्यता हुई न? मैं मजाक नही कर रहा हूँ। आजकल मुझे अकसर अपनी अयोग्यता दिखाई देती है। इस कारणसे मेरा काम भी अटक जाता है। तुझे अपने प्रयत्नोंसे शान्ति प्राप्त करनी होगी। तू किसलिए अपने पत्र फाड़ डालनेकी बात मुझे लिखती है? तेरे पत्रोंमें क्या कोई गोपनीय बात होती है। लेकिन चूँकि तू ऐसा चाहती है, इसलिए मैं उन्हे फाड़ डालता हूँ। लेकिन तू इस संकोचको छोड दे। जो तेरे मनमें हो वह मुझे निस्संकोच होकर लिख। उम्मीद है, पिताजीकी तबीयत अच्छी होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५१२) से।

६६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

२५ अप्रैल, १९३८

भाई घनश्यामदास,

तुमारी बात समझा हूं।[1] ठीक भी है। सिर्फ आर्थिक दृष्टिको ही देखते हुए अवश्य अपनी सम्मति दो। मैंने तो इस दृष्टिसे कहा कि यदि बादमें कांग्रेसकी सम्मति की आशा की जाय तो वह नहि मिल सकती है। अंतमें तो आर्थिक और राज्य-प्रकरणमें विरोध होना हि नही चाहिये। दोनोंमें अभेद है। राज्यकर्ताने हमको भेद-नीतिका पाठ दिया है।

ग्रामशिक्षणके बारेमें मुझे ५०,००० की दरकार होगी। शायद इतनी ही उद्योग संघके लिये। हरिजन सेवक संघका बीज तो है हि। इस बारेमें और बातें करना होगा। ब्रजमोहन अच्छे होगे। कृष्णके खबर भी अच्छे होगे।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७९९२ से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

६७. पत्र : कृष्णचन्द्रको

२५ अप्रैल, १९३८

चि० कृष्णचंद्र,

जो करो सो विचार कर करो। मुझे अच्छा हि लगेगा। ईश्वर तुम्हें शांति दे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३००) से।

१. १७ अप्रैल, १९३८ के पश्चात् लिखे. गांधीजी के पत्रके संदर्भमें अन्य बातोंके साथ-साथ घनश्यामदास बिड़लाने लिखा था: "मुझे भय है कि यदि कांग्रेसने आपके सुझाये रुखको अख्तियार किया तो कांग्रेसके लिए अपनी स्थितिका औचित्य सिद्ध कर पाना बड़ा कठिन होगा। आर्थिक आधारपर समझौता सम्पन्न करनेसे इनकार करनेकी बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन चूँकि आपका आधार विशुद्धत: राजनीतिक हैं, इसलिए अब यदि अठारह महीने चुप रहनेके बाद कांग्रेस इन प्रस्तावोंको माननेसे इनकार करती है जो उसीकी माँगपर हाथमें लिये गये थे, तो यह कुछ अटपटा-सा जान पड़ेगा।"

६८. सन्देश : मैसूरके लिए

[२७ अप्रैल, १९३८][1]

आन्दोलनको सर्वथा अहिंसात्मक बनाये रखनेके लिए हर सम्भव प्रयत्न कीजिए।[2] इतनी बड़ी संख्यामें तीर्थयात्रियोंकी मृत्युकी बात यदि सच है, तो यह मूल्य बहुत ही महँगा है। भारत-भरमें मैं चाहे जहाँ भी होऊँ, किन्तु यदि आवश्यकता हो तो मैं स्वयं मैसूरके आन्दोलनका नेतृत्व करनेको तैयार हूँ।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-४-१९३८

६९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

वर्धागंज

२७ अप्रैल, १९३८

अपनी आगामी सीमा-प्रान्तकी यात्राके[3] विचारसे ही मुझे भय लग रहा है। स्टेशनोंपर जुटनेवाली भीड़से मैं घबराता हूँ। मेरी शारीरिक शक्ति सीमित है। अत मैं यात्रा-पथमें पड़नेवाली सभी कांग्रेस समितियोंसे आग्रह करता हूँ कि वे भीड़को स्टेशनोंपर आने, कोलाहलपूर्ण प्रदर्शन करने तथा रातमें चाहे जिस समय मुझसे उठनेकी जिद करनेसे रोकें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-४-१९३८

१. महादेव देसाईने २७ अप्रैलको समाचारपत्रोंको भेजे अपने तारमें लिखा था, "जनताके प्रतिनिधि भूपाल चन्द्रशेखरैया गांधीजीके सन्देशके साथ शामको मैसूरके लिए रवाना हो रहे हैं।"

२. कोलार जिलेके विदुरश्वातम् गाँवमें २६ अप्रैलको जब जनताने राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा सभाएँ करनेपर लगी निषेधाज्ञाकी अवहेलना की, तब पुलिसने गोली चलाई, जिसके फल-स्वरूप ३२ व्यक्ति मारे गये और ४८ गम्भीर रूपसे घायल हो गये।

३. गांधीजी सीमा-प्रान्तके लिए २९ अप्रैलको रवाना हुए थे।

७०. तार : अमृतकौरको

बम्बई
२८ अप्रैल, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
मार्फत : वाई० डब्ल्यू० सी० ए०
आनन्दगिरि, उटकमण्ड

वार्ताएँ[1] निराशाजनक नहीं। मैं अच्छा हूँ।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५७) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०१३ से भी।

७१. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[2]

२८ अप्रैल, १९३८

हमने तीन घंटेतक हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर मैत्रीपूर्ण वार्ता की, और इस विषयपर आगे भी चर्चा चलेगी। जनताको यथासमय इस दिशामें प्रगतिकी सूचना दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-४-१९३८

७२. पत्र : मंगलदास पकवासाको

जुहू
२९ अप्रैल, १९३८

भाई पकवासा,

तुम्हारे ऊपर जो दैवी प्रकोप बरसा है उसके बारेमें मुझे कल कल्याण जंक्शन पहुँचनेपर अखबारोंसे मालूम हुआ। लेकिन ईश्वरीय प्रकोप तो उसकी कृपाका ही दूसरा रूप है। उसने जो धन तुम्हें दिया था सो उसने वापस ले लिया। इसलिए मैं तुम्हें कोई आश्वासन देनेवाला नहीं हूँ। इसके विपरीत, मैं तो आगे यह माँगूंगा

१. मुहम्मद अली जिन्नाके साथ।
२. यह वक्तव्य गांधीजी तथा जिन्ना द्वारा संयुक्त रूपसे जारी किया गया था।

कि तुम अपना धीरज न खोना। मैं कामना करता हूँ कि यह वियोग तुम्हें और भी अधिक सेवापरायण बनाये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६७९) से; सौजन्य : मंगलदास पकवासा।

७३. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

२९ अप्रैल, १९३८

उड़ीसा-सरकारके एक अधीनस्थ अधिकारी श्री डेनकी कार्यवाहक गवर्नर-पद पर जो नियुक्ति की गई है, उससे एक बहुत बड़े संकटके उपस्थित होनेकी सम्भावना उठ खड़ी हुई है। ऊपरसे देखनेपर यह मामला बहुत साधारण दिखाई देता है। इस तथ्यको कि कार्यवाहक गवर्नर-पदकी अवधिके समाप्त होनेपर वे अवकाश ग्रहण कर लेंगे, इस मामलेमें हुई जानी-मानी भूलका पर्याप्त प्रायश्चित्त कहा गया है। मेरे विचारमें यह कोई प्रायश्चित्त नहीं है। यदि उन्हें उनके स्थायी पद पर वापस भेज दिया जाता है तो ऐसा करना गलत नही होगा, बल्कि जो मन्त्रीगण उनके साथ अशिष्ट व्यवहार करना चाहेंगे वे तो अपने भूतपूर्व कार्यवाहक गवर्नरके फिरसे अधीनस्थ अधिकारी बननेपर मन-ही-मन प्रसन्न होंगे। चुभने-लायक असली बात तो यही है कि एक अधीनस्थ अधिकारी प्रान्तका गवर्नर बन जाये और मन्त्रियोंको उसके साथ काम करना पड़े तथा करीब-करीब हर रोज उसके हस्ताक्षरोंके लिए दस्तावेज पेश करने पड़ें और वह व्यक्ति उनकी बैठकोंकी अध्यक्षता करे।

यह बहुत असंगत और अशोभनीय बात है और स्वायत्त-शासनको एक मखौल बनाकर रख देता है। यदि यह स्वायत्त शासन सच्चा है और यदि पूर्ण स्वतन्त्रतामें इसका विकास होना है तो वरिष्ठ अधिकारियोंको ऐसा रुख अख्तियार नही करना चाहिए जैसा उन्होंने श्री डेनके मामलेमें किया है। उनका प्रत्येक कार्य नियमानुसार और प्रचलित पद्धतिके अनुरूप होना चाहिए, गवर्नर-जनरल अथवा भारत-मन्त्री तककी सनकपर भी नही होना चाहिए। एक ओर जहाँ निरकुश शासनतन्त्रकी प्रतिष्ठा इस बातमें है कि शासित लोग इच्छा अथवा अनिच्छासे उसकी आज्ञाओंका पालन करें, वहाँ दूसरी ओर जिस वरिष्ठ सत्ताने निरंकुश शासन-तन्त्रका त्यागकर प्रान्तको स्वायत्त-शासन प्रदान किया है, उसकी प्रतिष्ठा इसी बातमें है कि वह हमेशा बहुमतको अपने साथ लेकर चले। स्वायत्त-शासनके स्वस्थ विकासके लिए और संघर्षसे बचनेके लिए मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता सुझाई नही देता।

वाइसराय और गवर्नरोंने भारतके सभी मन्त्रियोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। भारत सरकार अधिनियमके अन्तर्गत जो पुष्कल अधिकार सुरक्षित रखे गये है उन्होंने

१. यह "उड़ीसाके कार्यवाहक गवर्नरका पद" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

उनका उपयोग करनेका अवसर नही दिया है। बहुमत-प्राप्त दलकी प्रतिष्ठा इसी बातमें निहित है कि वह लोगोंके अधिकारोंके प्रति सदैव जागरूक रहे और वरिष्ठ सत्ताकी एक भी भूल उसकी चौकस निगाहोसे छिपी न रहे। इस दृष्टिसे देखने पर मुझे लगता है कि कांग्रेसको इस नियुक्तिका विरोध करना चाहिए।

मैंने सुना है कि उड़ीसा-मन्त्रिमण्डलने श्री डेनके गवर्नर-पदपर नियुक्त होनेके तुरन्त बाद त्यागपत्र देनेकी धमकी दी है। मुझे यह भी पता चला है कि सरकारको चलानेके लिए एक अन्तरिम मन्त्रिमण्डलकी नियुक्ति की जायेगी। मेरा खयाल है कि जब कार्यवाहक गवर्नर-पदकी अवधि समाप्त हो जायेगी और गवर्नर छुट्टीसे वापस आ जायेंगे तब वर्तमान मन्त्रिमण्डलको किसी-न-किसी तरह फिरसे बहाल किया जायेगा। यह एक अच्छी बात नहीं होगी। यदि कांग्रेस ऐसी किसी व्यवस्थाको स्वीकार कर लेती है तो उसकी स्थिति हास्यास्पद हो जायेगी। किसी प्रान्तका शासन चलाना कोई बच्चोंका खेल नही है। कांग्रेसको मालूम होता जा रहा है कि यह कार्य कितना असमादृत और गम्भीर कार्य है। उड़ीसा विधान-सभाके असली बहुमतके प्रतिनिधि, असली मन्त्री गवर्नर अथवा कार्यवाहक गवर्नरकी इच्छानुसार नियुक्त नये गैरजिम्मेदार व्यक्तियोंके हाथोंमें सत्ताके चले जानेकी बातपर चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि समय रहते इस भूलको सुधार लिया जायेगा। इसे शोभनीय ढंगसे सुधारनेके बहुत सारे तरीके है, लेकिन उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा जरूर होगा।[1]

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ७-५-१९३८

७४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[2]

२९ अप्रैल, १९३८

मुझे सर मिर्जा इस्माइलके साथ मैत्रीका सौभाग्य प्राप्त है। मैं जानता हूँ कि वे मैसूरके प्रशासनको उदार बनानेके लिए उत्सुक है। मैंने उन्हें मित्रोंकी सलाह और सुझाव सुननेके लिए सदा तत्पर पाया है। और मै जानता हूँ कि मैसूरमें जो दुःखद घटना[3] हुई है उसका उन्हें बहुत दुःख है।

१. इसके उत्तरमें उड़ीसाके गवर्नरके सेक्रेटरीने ४ मई, १९३८को निम्नलिखित विज्ञप्ति जारी की: "उड़ीसाके गवर्नर अपने उत्तराधिकारीके लिए जो अस्थिर राजनीतिक स्थिति छोड़ जायेंगे, उसे देखते हुए गवर्नर महोदय यह महसूस करते हैं कि उनका छुट्टी पर जाना उचित नहीं होगा और उनका विचार है कि प्रान्तके हितको ध्यानमें रखते हुए उनके पास छुट्टी रद करवानेके सिवा और कोई चारा नहीं है। भारतमन्त्रीने गवर्नर-जनरलकी सहमतिसे उनके इस अनुरोधको मंजूर कर लिया है।"

२. यह "स्वतन्त्रताका मूल्य" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

३. देखिए पृ० ५७, पाद-टिप्पणी २

मैसूर-सरकारने जो विज्ञप्ति जारी की है, उसे मैंने पढ़ा है। उसे पढ़कर मुझे सन्तोष नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो सलाह देनेवाला हूँ उसके लिए दुर्घटना विषयक पूरे-पूरे तथ्योंकी जानकारी प्राप्त करनेकी कोई जरूरत नही है। यह देखते हुए कि मैसूरके जिम्मेदार लोग पत्र, तार और शिष्टमण्डल भेजकर मुझसे इस बातका आग्रह कर रहे हैं कि मैं मैसूरके लोगोंका मार्ग-दर्शन करूँ, और यह भी देखते हुए कि मैं मैसूरके कई ऐसे कार्यकर्ताओंको जानता हूँ जो मुझसे अपनी कठिनाइयोका समाधान पानेकी अपेक्षा रखते हैं, यदि संकटके इस समयमे मैं केवल पत्र अथवा तार द्वारा सलाह देकर सन्तुष्ट रह जाता हूँ तो यह मेरे लिए गलत होगा।

दो-एक तथ्य मुख्य रूपसे दिखाई देते हैं। यह कि निहत्थी भीड़पर गोली चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोग मारे गये और अन्य अनेक घायल हुए। मैं माने लेता हूँ कि गोली भीड़के उत्तेजित हो जानेपर चलाई गई, हालाँकि जनता की ओरसे मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है वह इसके विपरीत है। हम कभी भी निश्चित रूपसे यह नहीं जान सकेंगे कि राज्यकी ओरसे गोली चलाया जाना उचित था या नही। ऐसा कोई विधान नहीं है जिसमें औचित्यकी सही परिभाषा दी गई हो। यह तो हमेशा व्यक्तिगत रायपर निर्भर करता है और व्यक्तियोंकी राय हमेशा भिन्न-भिन्न होती है।

इसलिए मैं मैसूर-सरकारको यह सुझाव देना चाहूँगा कि उसे केवल जाँच-समिति नियुक्त करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, फिर चाहे वह कितनी ही निष्पक्ष क्यों न हो? राष्ट्रीय ध्वजको लेकर मैसूर-राज्यमें जो प्रदर्शन हो रहा है, वह समयका प्रतीक है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैसूर-राज्यमें सचमुच जितने विस्तृत पैमानेपर जन-जागृति हो रही है उससे मैं अवगत नहीं था। यह देखकर मुझे खुशी हुई है और मुझे उम्मीद है कि मैसूर-राज्याधिकारी भी इस बातपर खुश होंगे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि मैसूरके महाराजा और उनके सलाहकार सर मिर्जा इस्माइलके लिए सबसे अच्छा और एकमात्र उपाय यह है कि वे राज्यके निरंकुश शासनको समाप्त कर दें और जनताके प्रतिनिधियोंको शासनकी जिम्मेदारी सौंप दें। यदि वे मैसूर-राज्यमें शान्ति स्थापित करना चाहते हैं तो यह जिम्मेदारी यथासम्भव व्यापक होनी चाहिए। यह कहा गया है कि राज्यके पिछड़े होनेके कारण जिम्मेदारी धीरे-धीरे ही दी जा सकती है। इस सिद्धान्तको मैंने कभी भी नहीं माना है। राज्योंके लिए यह कोई प्रशंसाकी बात नहीं है। आशा तो यही की जा सकती है कि चूँकि उन्हें सभी प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं इसलिए वहाँकी जनता ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रगति कर सकती है।

मैसूरके जननायकोंसे मैं यह कहूँगा कि निर्दोष व्यक्तियोंकी यह करुणाजनक मृत्यु और उन्हें जो शारीरिक यातना सहन करनी पड़ी है, यह स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए बहुत कम कीमत है। उन्हें जाँच करनी चाहिए और घायलों तथा मृतकोंके परि-वारोंको मदद पहुँचानी चाहिए। लेकिन यदि मैं मैसूर-निवासी होता तो मैं व्यक्तिगत

लाभपर जोर नहीं देता। बल्कि इच्छा अथवा अनिच्छासे किये गये इन बलिदानोंका उपयोग मैं उस स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए करता जिसके लिए ये दिये गये हैं। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर परिस्थितिमें सच्ची अहिंसाकी भावना और वातावरणको बनाये रखना सफलताकी एक शर्त है। मुझे बताया गया है कि लोगोंने अनुकरणीय अहिंसाका पालन किया है और भीड़ने बहुत बहादुरीके साथ गोलियोंकी बौछार सही है। यदि यह बात सच है तो लोगोंकी यह जो प्राण-हानि हुई है उसपर मैं तो कम-से-कम प्रसन्न ही होऊँगा। स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए इतनी कीमत देना जरूरी है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-५-१९३८

७५. बातचीत: सरदार वल्लभभाई पटेलके साथ[1]

२९ अप्रैल, १९३८

सरदार वल्लभभाईने लंकाशायरसे शिष्टमण्डलके आनेकी बात छेड़ते हुए महात्मा गांधीसे पूछा कि कांग्रेस इंग्लैंडके साथ समझौतेपर अपनी सहमति किस तरहसे दे सकती है। महात्मा गांधीने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस किन परिस्थितियोंमें भारतसे रुईके निर्यातके बदले लंकाशायरसे कपड़ा मँगवानेके समझौतेपर अपनी सहमति व्यक्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना तो निश्चित रूपसे कांग्रेसके सिद्धान्तके विरुद्ध होगा।

सरदार वल्लभभाईने बताया कि केन्द्रीय विधान-सभाकी सिफारिशपर सलाहकार-समितिकी नियुक्ति की गई थी और केन्द्रीय विधान-सभाने एकमतसे यह माँग रखी थी कि सलाहकार-समितिकी रिपोर्ट और भारत सरकारने उसपर जो सिफारिश की है वह, दोनों उसके सामने पेश की जायें। इसलिए वे समझते हैं कि केन्द्रीय विधान-सभाका कांग्रेस दल लंकाशायरके साथ बातचीत करनेके लिए वचनबद्ध है और उन्होंने कहा कि कांग्रेसका अपने वचनसे फिर जाना उचित नहीं होगा। महात्मा गांधीने कहा कि इस तरहके अनुरोध और माँगोंमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन जहाँतक सलाहकार समितिका ताल्लुक है मैं उससे यह कहना चाहूँगा:

(१) सलाहकार-समिति विशुद्ध रूपसे आर्थिक दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर इस व्यापार-समझौतेकी जाँच कर सकती है।

(२) यदि जाँच करनेके बाद सलाहकार समिति ईमानदारीके साथ इंग्लैंडके साथ व्यापार-समझौता करनेकी सलाह दे सकती है, इसमें लंकाशायरके साथ समझौता भी शामिल है, तो इसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

१. पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास द्वारा दिये गये विवरणके अनुसार।

(३) लेकिन इसके विपरीत, जाँच करनेके बाद यदि सलाहकार-समिति ऐसे किसी समझौतेकी सिफारिश करनेके लिए अपनेको असमर्थ पाती है तो मुझे कोई दुःख नहीं होगा।

(४) यह कि नियुक्त सलाहकार-समिति द्वारा की गई ऐसी किसी भी सिफारिशकी ओर मैं पूरा ध्यान दूंगा, लेकिन मैं सलाहकार समितिको यह सलाह दूंगा कि वह अपनी सिफारिशके अन्तमें एक अनुच्छेद और जोड़ दे कि उसने केवल आर्थिक दृष्टिसे ही समूचे प्रश्नकी जाँच की है, किसी अन्य दृष्टिसे नहीं।

(५) तथापि महात्मा गांधीने साफ-साफ शब्दोंमें यह कहा कि यदि सलाहकार-समिति यह महसूस करे कि वह अपने आत्म-सम्मानके विचारसे ऐसा कुछ नहीं लिखती तो बेशक न लिखे। उन्होंने कहा कि उस हालतमें कांग्रेस अपने मुद्दे उठा सकती है।

जब मैं वहाँसे चलने लगा तो उन्होंने कहा :

आप अपने मतानुसार जो ठीक समझें सो करें और हमें राजनीतिक दृष्टिसे जो उचित लगे, सो करने दीजिए।'

महात्मा गांधीने इसके आगे कहा कि विभिन्न दृष्टिकोणोंको ध्यानमें रखकर व्यक्त किये गये ये दोनों मत समान रूपसे महत्त्वपूर्ण और संगत होंगे।

[अंग्रेजीसे]

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास कागजात; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

७६. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

पेशावर जाते समय, ट्रेनमें
३० अप्रैल, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

जिन्नाके साथ ३½ घंटेकी बातचीतका जो संक्षिप्त विवरण लिख डाला है, उसकी नकल साथमें है। सम्भव है, तुम्हें और दूसरे सदस्योंको बातचीतका आधार पसन्द न आये। स्वयं मुझे तो और कोई चारा नहीं दिखता। आज मेरी कठिनाई यह है कि मैं तुम्हारी तरह देशमें इधर-उधर घूमता नहीं और इससे भी गम्भीर बाधा वह भीतरी निराशा है, जो मुझपर छा गई है। मैं काम चला रहा हूँ, परन्तु यह सोचकर आत्म-ग्लानि होती है कि मेरा वह आत्मविश्वास जाता रहा, जो मुझमें एक महीने पहलेतक था। मुझे आशा है कि मेरे जीवनमें यह सिर्फ एक अस्थायी घटना है। मैंने यह जिक्र इसलिए कर दिया है कि तुम्हें प्रस्तावोंको उनके

१. देखिए "पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको", पृ० ५६ भी।

गुणोंके आधारपर जाँचनेमें मदद मिले। मैं नहीं समझता कि पहले प्रस्तावके बारेमें कठिनाई पेश आयेगी। दूसरा प्रस्ताव अपने सारे फलितार्थों सहित अनोखा है। अगर वह तुम्हें न जँचे तो उसे यों ही अस्वीकार कर देनेमें संकोच न करना। इस मामलेमें तुम्हें आगे होना पड़ेगा।

मैं ११ तारीखको लौट आनेकी आशा रखता हूँ। मेरे इस तारके उत्तरमें कि सुभाषको जिन्नाके साथ जाब्तेसे समझौतेकी बातचीत शुरू करनी चाहिए, उनका तार है कि वह १० तारीखको बम्बईमें होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ जल्दी जा सको। मैं मौलाना साहबको इसी ढंगसे लिख रहा हूँ और इस पत्रकी नकल उन्हें भेज रहा हूँ।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३८; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

७७. तार: अमृतकौरको

२ मई, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
मार्फत: वाई० डब्ल्यू० सी० ए०
आनन्दगिरि
उटकमण्ड

स्वास्थ्य अच्छा है। मौसम अत्युत्तम है। बम्बईके लिए १० तारीख को रवाना होऊँगा। प्यार।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५८) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०१४ से भी।

बम्बईमें जिन्ना के साथ

७८. पत्र : महादेव देसाईको

२ मई, १९३८

खानसाहबसे कहना कि मेरा शरीर इतना सफर सहन नहीं कर सकता। इस बार तो हमें पेशावरमें बैठे-बैठे जो हो सके सो करना चाहिए। हमें उतमनजई एक दिनके लिए अवश्य जाना चाहिए। खैबर जानेका कार्यक्रम रद करना जरूरी हो तो करना। पेशावरमें जो लोग मुझसे मिलना चाहें उन्हें मिलने देना। स्त्रियोंकी भी एक सभा अवश्य होनी चाहिए। आजसे सितम्बर अथवा अक्तूबरका कार्यक्रम बनाया जा सकता है और चाहे तो एक ही व्यक्ति यह कार्यक्रम बनाये। यदि हम जल्दबाजीसे काम लेंगे तो तबीयत खराब हो जायेगी और पूर्व-निश्चित सारे काम अधूरे रह जायेंगे। इतना सब जाननेके बाद भी मुझे जो कार्यक्रम बताया गया है, यदि तुम उसे रखना चाहो तो रख सकते हो। ईश्वरकी जो इच्छा होगी वही होगा। पेशावरका कार्यक्रम यदि कलसे रखा जा सके तो रखना।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

७९. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

२ मई, १९३८

चि० अमृतलाल,

भगवान करे तुम हमेशा १८ या २२ वर्षके बने रहो। लेकिन मेरी ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? तुम विकारको जानते ही नही हो, मैं ३० वर्ष तक विकारग्रस्त ही रहा और उसे तृप्त करनेकी कोशिश करता रहा। इसके अलावा हाल ही में मुझे ऐसा अनुभव हुआ है जिससे लगता है कि मैं विकारोंपर विजय नहीं पा सका हूँ। पिछले ५० वर्षके जीवनमें मुझे जाग्रत अवस्थामें वीर्यपात होनेकी बात स्मरण नही आती। स्वप्नमें अथवा भोगेच्छासे जो वीर्यपात हुआ हो उसकी बात मैं यहाँ नही कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसी दीन और हीन स्थितिसे होकर गुजरना पड़ा कि लाख प्रयत्न करनेके बावजूद मैं पूर्ण जाग्रत अवस्थामें भी स्रावको रोक नहीं सका।[1] मुझे ऐसा लगता है कि मैं मन-ही-मन जिस निराशाका अनुभव करता रहता था, उसके पीछे यही कारण था। इस स्रावके बादसे मेरी बैचैनीका

१. देखिए "पत्र : मीराबहनको", पृ० ६७-६८ भी।

पार नही है। मै कहाँ हूँ, मेरा स्थान कहाँ है, विकारी पुरुष अहिंसा और सत्यका प्रतिनिधि कैसे बन सकता है, ये प्रश्न लगातार मेरे मनमें उठते रहते है। क्या मै तुम सब लोगोंका संगी होने लायक हूँ, क्या मुझमें तुम सबका मार्ग-दर्शन करनेकी योग्यता है? मेरे हृदयमे यह मन्थन होता रहता है। ईश्वरको जब जवाब देना होगा, तब देगा। निर्बलके बल राम ही है न?

तुम्हारे लिए कही-न-कहीं बैठनेकी जगह होनी चाहिए। जब मैं वापस आऊँगा, तब इसपर विचार करेंगे। तुम जो सुझाव देना चाहो उसपर विचार कर लेना।

विजयाको तार भेजा गया था। अब हमें उसके उत्तरकी राह देखनी होगी।

सूरतके बारेमें महादेव लिखेंगे।

यदि तुम्हारे मनमें देशी मशीनकी बात हो तो उसके सम्बन्धमें किसीसे कुछ पूछनेकी जरूरत नही है।

बुनाई-पाठशालाके बारेमें तुमने जो लिखा है वह ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७४७) से।

८०. पत्र : शारदा चि० शाहको[1]

पेशावर
२ मई, १९३८

चि० शारदा,

तेरा पत्र मिला। तू वहाँ शान्तिपूर्वक रहना। मैं जूनके शुरूमें सेगाँव पहुँचूंगा; कदाचित् दो दिन जल्दी ही। देखना अपनी तबीयत न बिगड़ने देना। जो जैनी सर्व सामान्य मन्दिरोंमें जाते हैं, वे हिन्दू-धर्मका पालन करते हैं। जैन-दर्शन हिन्दू-धर्मसे भिन्न नहीं है। मनुष्यको चाहिए कि जिस मन्दिरमें वह जाता है अगर उसमें अस्पृश्यों को जानेका अधिकार न हो तो वह भी जाना छोड़ दे; ऐसा करना चाहिए न?

वहाँ कुछ पढ़ाई होती है या नहीं? मेरा खयाल है कि हम सीमा-प्रान्तसे ९ तारीखको रवाना होगे। वापस बम्बई जाना होगा। इसका उत्तर तू बम्बईके पते पर देना। हम जुहूपर ही ठहरेंगे। शकरीबहनके साथ जो बातें हों सो मुझे लिखना। मेरी तबीयत तो ठीक ही रहती है।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९९४)से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

८१. तार : जमनालाल बजाजको

पेशावर
३ मई, १९३८

सेठ जमनालाल बजाज
जयपुर

बताना भूल गया था कि वल्लभभाई जयपुर नहीं जा सकते।[1] उन्हें मैसूर जाना है। स्वास्थ्य ठीक है, मौसम अत्युत्तम है, किन्तु दौरेका कार्यक्रम बहुत कठिन होनेके कारण रद्द कर दिया।

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १९५

८२. तार : अमृतकौरको

पेशावर
३ मई, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
उटकमण्ड

तुम जा सकती हो।[2] ध्यानपूर्वक सब-कुछ लिख लेना। निष्कर्ष मेरी सलाहसे लिखना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। सस्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८५९)से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०१५ से भी।

८३. पत्र : मीराबहनको

३ मई, १९३८

विशुद्ध प्रेमसे भरा तुम्हारा पत्र मुझे पसन्द आया। उसमें कोई नई बात नहीं कही गई है, लेकिन यह पत्र ऐसे समयपर आया है जब तुमने जो-कुछ इसमें कहा है, वह-सब सुननेके लिए मेरा मन प्रस्तुत है। तथापि समस्या इतनी आसान नहीं है जितनी आसान बताई है। यदि वर्तमान परिस्थितियोंमें पूर्ण ब्रह्मचर्यके पालनका

१. जयपुर-राज्य प्रजामण्डलकी बैठकके लिए।
२. तात्पर्य मैसूर जानेसे है; देखिए "पत्र: अमृतकौरको", १६-५-१९३८।

मेरा प्रयास चन्द्रमाकी पहाड़ियोंपर चढ़नेके प्रयासके समान है, तो नौ प्रकारकी रक्षाकी[1] आवश्यकतावाले इस मनुष्य शरीरका क्या लाभ? तुमने मेरे इस प्रयोगको नवीन प्रयोग कहा है, सो ठीक ही है। मेरा अहिंसाका प्रयोग भी तो नया है और दोनों परस्पर एक-दूसरेसे सम्बद्ध हैं। ध्यान रखो, मेरे प्रयोगकी नैसर्गिक मर्यादाएँ हैं। मुझे न तो भगवानको लुभाना है और न शैतानको लुभाना है। मेरे पास ज्यादा बहस करनेका समय नहीं है।

अपने अगले पत्रमें तुम मुझे स्पष्ट शब्दोंमें लिखना कि ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी धारणा अनुकूल बैठनेके लिए मुझे निश्चित रूपसे क्या परिवर्तन करने चाहिए। क्या मुझे सुशीलाकी सेवासे अपनेको वंचित रखना होगा? उदाहरणार्थ, क्या मुझे लीलावती या अमतुल सलामसे मालिश नही करवानी चाहिए? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मुझे कभी लड़कियोंके कन्धोंका सहारा नहीं लेना चाहिए? कहनेकी जरूरत नहीं कि अपनी इस भीषण निराशासे उबरनेका तुम स्पष्ट शब्दोंमें जो भी उपाय बताओगी, उससे मुझे कोई दुःख नहीं होगा। इस समय मुझे उन लोगोंकी मदद की जरूरत है जो मेरे इर्दगिर्द सेवा और प्रेमकी वर्षा किये हुए हैं, हालांकि इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी इस सेवा और प्रेमके योग्य नहीं हूँ। मेरा मार्ग-दर्शन करते हुए यह याद रखना कि इस समय मैं जो-कुछ कर रहा हूँ, तुम कह सकती हो कि वह मैं हमेशासे करता आया हूँ। और मेरे ब्रह्मचर्यमें दिनोदिन दृढ़ता और प्रबुद्धता आती गई है। बेशक मैं सम्पूर्णतासे तो अवश्य बहुत दूर था, लेकिन मैं समझता था कि मैं उन्नति कर रहा हूँ। लेकिन १४ अप्रैलके उस अपमानजनक, मलिन और कष्टदायक अनुभवने मुझे झकझोर दिया और मुझे लगा कि मेरे काल्पनिक स्वर्गसे, जहाँ अपनी मलिन अवस्थामें रहनेका मुझे कोई अधिकार न था, भगवानने मुझे नीचे फेंक दिया है।

खैर, इतने सारे बच्चोंका पिता होनेपर मैं गर्वका अनुभव करूँगा, यदि उनमें से कोई मुझे सहारा देकर निराशाके अन्धकूपसे बाहर खींच लेगा। स्वयंमें और अपने प्रयोगमें मेरी आस्था जाग उठेगी और अधिक जाज्वल्यमान हो उठेगी।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई।

१. नवरन्ध्र वाले मनुष्य-शरीर की समता नवद्वार वाले कोटसे की गई है।

८४. पत्र: कृष्णचन्द्रको

[स्थायी पता:] सेगाँव
४ मई, १९३८

चि० कृष्णचंद्र,

आज तो उत्तर देता हूं। हमेशा ऐसे न किया जाय। जब मौका मिले तब जबानसे पूछ लेना और जबानसे उत्तर देना मेरे लिये अच्छा है—समय बचानेकी यह बात है।

'स्वाभाविक' अर्थ तुमने ठीक निकाला है। विकारमात्र सर्वथा त्याज्य है, ऐसा न कहा जाये। किसी मनुष्य पर दया होती है यह भी विकार है। खराब वस्तु प्रति घृणा है यह भी विकार है—त्याज्य नही है। संसारचक्रको चलाना यदि स्तुत्य है, तो उस चक्रको चलाने तकका विकार स्वाभाविक है—आवश्यक भी है। प्रजोत्पत्तिके कारण भी पति-पत्नीको मिलनेमें वीर्यपात तो होता ही है, लेकिन वह निष्फल नही होता है। अधोगति सही। उर्ध्वगतिसे भी कुछ न कुछ उत्पत्ति तो होती है ऐसी इस अधोगतिसे भी हुई। प्रजोत्पत्ति हमेशा हानिकर ही है ऐसा तो कहा ही नही जा सकता है। क्योकि ऐसा कहनेमें ईश्वरका दोष निकालना है। जो दंपति प्रजोत्पत्तिकी आवश्यकता समझकर सिर्फ उसी कारण मिलते हैं अन्यथा हमेशा भाई बहिनसे रहते हैं—रह सकते है, विकारवश होते ही नही, वह करोड़ो-बार वंद्य है—पूर्ण ब्रह्मचारी भी है।

खर्चके बारेमें तुमने लिखा है वह बिलकुल ठीक है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९१) से।

८५. भाषण: इस्लामिया कॉलेज, पेशावरमें[1]

४ मई, १९३८

मैं खैबर यूनियनके संविधानको पढ़े बिना ही उसका सदस्य बन गया हूँ। यह पठानोंकी चाल है। हमारे लोग पठानका नाम सुनकर ही काँपने लगते हैं।

अपने भाषणको जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले दो-तीन वर्षोंसे बातचीतमें सक्रिय भाग लेनेमें असमर्थ रहा हूँ।

१. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्तकी टिप्पणियाँ-३" से उद्धृत। लेकिन इसे हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विवरणसे मिला लिया गया है।

मैं खड़े रहकर भाषण नही दे सकता यहाँतक कि जब मैं बैठे हुए बहुत देर तक बात करता हूँ तो मेरा सिर चकराने लगता है। यह तो खान-बन्धुओका प्रेम है जो मुझे यहाँ खींच लाया है।[1]

यह अच्छा हुआ कि आपने हिन्दू-मुस्लिम एकताके सवालका जिक्र किया है और आपसे मैं कहूँगा कि इस महान् कार्यको आगे बढानेके लिए आप लोग क्या-क्या कर सकते है, इस बारेमें आप विचार करें। इसमें शक नही कि यह काम खास करके आपके नौजवानोंका है। हम लोग तो अब बुड्ढे हो चले है और मौतके किनारेपर बैठे है। इसलिए यह बोझ अब आप ही लोगोंको उठाना है। यह महान् उद्देश्य किस तरह पूरा हो सकता है यह आपने खुद ही अपने मानपत्रमें अहिंसाकी और खानसाहबके कामकी तारीफ करके बता दिया है। मुझे यह पता नहीं कि आपने यह तारीफ जान-बूझकर की है या नही और आपने जो कहा है उसका ठीक-ठीक मतलब आप समझे है या नही। मुझे आशा है कि आपने जो कहा है उसका मतलब आप समझते है और आपने अपने शब्दोको मनमे तौल लिया होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ।

उन्हें सीमा-प्रान्तका दौरा करनेमें किन कारणोंसे देर हुई, इस सम्बन्धमें बोलते हुए महात्मा गांधीने कहा कि जब पहले-पहल लोगोंको मेरे सीमा-प्रान्तमें जानेके बारेमें मालूम हुआ तब उन्होंने कहा कि यह आदमी (महात्मा गांधी) लोगोंको बुजदिल बनानेके लिए जा रहा है। यदि अहिंसाका यही अर्थ है तो आपको उससे घृणा करनी चाहिए।[2]

एक उर्दू अखबारने लिखा है कि मैं यहाँ सरहदके पठानोंको नामर्द बनानेके लिए आया हूँ। सच बात तो यह है कि खानसाहबने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि पठान लोग मेरी ही जबानसे अहिंसाका पैगाम सुनें और मैं खुद अपनी आँखोसे यह देख सकूं कि पठानोंने अहिंसाको किस हदतक अपनाया है।[3] इसका मतलब यह है कि उस उर्दू अखबारने जो भय प्रकट किया है, बहरहाल, खानसाहबको वैसा कोई भय नहीं है। क्योकि उनको यह पता है कि सच्ची अहिंसामें इतनी ज्यादा ताकत है कि भीषण-से-भीषण हिंसा उसके मुकाबलेमें टिक नही सकती। इसलिए यदि आप अहिंसाके सच्चे स्वरूपको समझते है और खानसाहबके कार्यकी कद्र करते हैं तो आपको अहिंसाकी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। यद्यपि आजके वातावरणमें इतनी ज्यादा हिंसा भरी हुई है और हम रात-दिन फौजी दाँव-पेचों, हवाई बेड़ों, अस्त्र-शस्त्रोंकी तैयारियाँ और जंगी जहाजोंकी बाते किया करते है, तथापि आपको अहिंसाकी प्रतिज्ञा करनी होगी। आपको यह समझ लेना है कि निःशस्त्र अहिंसाकी शक्ति हर समय

१. यह और इसके पहलेके अनुच्छेद **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिये गये हैं।

२. यह अनुच्छेद **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिया गया है।

३. यहाँ **हिन्दुस्तान टाइम्स** मे लिखा है: "मेरे यहाँ आनेका और कोई कारण नहीं है। और भी छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन उनकी वजहसे मैं यहाँ नहीं आता। यदि आप सचमुच अहिंसाको समझते हैं, तो आपको जीवन-भर अहिंसक रहना होगा।"

शस्त्र-बलसे कहीं अधिक है। मैंने तो अहिंसाको अत्यन्त सहज भावसे स्वीकार किया था, मुझे बचपनमें ही इसकी तालीम मिली थी और घरका वातावरण भी इसके अनुकूल था। मैं पिछले ५० वर्षोंसे अहिंसाके सिद्धान्तका प्रचार करता आ रहा हूँ।[1] इसमें हिंसाकी अपेक्षा अधिक शक्ति निहित है, यह बात मैं दक्षिण आफ्रिकामें ही समझ पाया, जहाँ मुझे अहिंसाके द्वारा संगठित हिंसा और जातिगत द्वेषका मुकाबला करना पडा। मैंने दक्षिण आफ्रिकामें इसपर अमल किया, जहाँ पठानोंकी तरह हर व्यक्ति सशस्त्र होता है और सरकारने भी अनिवार्य भर्ती जारी कर रखी थी।[2] उस समय लोगोंने कहा कि मुट्ठी-भर भारतीय अहिंसासे दक्षिण आफ्रिकी सरकारका कैसे मुकाबला कर सकते हैं? मैं दक्षिण आफ्रिकासे यह दृढ धारणा लेकर लौटा कि हिंसाकी अपेक्षा अहिंसाका मार्ग श्रेष्ठ है। भारतमें भी हमने अपने अधिकारोंको प्राप्त करनेके लिए इसका प्रयोग किया है, और इसमें हमें कुछ सफलता भी मिली है।[3]

हिंसाके तरीकेके लिए यदि काफी तालीमकी जरूरत है तो अहिंसाके लिए तो उससे भी ज्यादा तालीमकी जरूरत है। और यह तालीम हिंसाकी तालीमसे बहुत-ज्यादा मुश्किल होती है। इस तालीममें पहली जरूरी चीज तो ईश्वरमें जीवन्त श्रद्धा का होना है। जिस व्यक्तिका ईश्वरमें जीवन्त विश्वास है वह भगवानका नाम लेकर कभी बुरे काम नहीं करेगा। वह तलवारपर भरोसा न कर केवल भगवानपर करेगा। लाखों मुसलमान खुदाके नामपर पाप करते हैं और लाखों हिन्दू भी जो रामका नाम लेते हैं, ऐसा ही करते हैं।[4] ईश्वरमें सच्चा विश्वास रखनेवाला व्यक्ति अपने हाथमें छड़ी लेकर नहीं चलता। जो ईश्वरके नामका जप करता है और कलमा पढ़ता है, वह अल्लाहका भक्त नहीं भी हो सकता है। ईश्वर-भक्त वही व्यक्ति है जो प्रत्येक जीवमें ईश्वरके दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्तिको मारनेके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आप शायद यह कहेंगे कि एक बुजदिल व्यक्ति भी यह कहकर ईश्वरके भक्तोंमें खप जायेगा कि वह तलवारसे काम नहीं लेता। कायरता ईश्वरमें आस्थाका परिचायक नहीं है। ईश्वरमें सच्ची आस्था रखनेवाले व्यक्तिमें तलवार चलानेकी ताकत तो होती है, लेकिन वह यह सोचकर उसका इस्तेमाल नहीं करता कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरकी ही प्रतिमा है।

कहते हैं कि इस्लाम मनुष्यमात्रके भ्रातृत्वमें विश्वास करता है। पर मैं आपसे कहता हूँ कि यह भ्रातृत्व सिर्फ मुसलमानोंका ही नहीं, बल्कि मनुष्यमात्रका है। इसके साथ मैं अहिंसाकी तालीमके लिए जो दूसरी जरूरी चीज है उसपर आता हूँ। हमें नीतिके रूपमें अहिंसामें विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्मके अंगके रूपमें उसका पालन करना चाहिए।[5] इस्लामका 'अल्लाह', ईसाइयोंका 'गॉड' और

१. यह वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्स से लिया गया है।
२. यह और अगला वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्स से लिये गये है।
३. यह वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्स से लिया गया है।
४. यह और अगले चार वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्स से लिये गये हैं।
५. यह वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्स से लिया गया है।

हिन्दुओंका 'ईश्वर' असलमें एक ही है। जिस तरह हिन्दू-धर्ममें ईश्वरके हजारों नाम हैं, इसी तरह इस्लाममें भी अल्लाहके अनेक नाम हैं। ये नाम अलग-अलग व्यक्तित्वको नहीं, बल्कि अलग-अलग गुणोंको बतलाते हैं, और इस छोटे-से इन्सानने नम्रभावसे ईश्वरमें गुणोंका आरोपण करके उसे बखाननेका प्रयत्न किया है, जबकि ईश्वर तो गुण-दोषसे परे है, अवर्णनीय है, अचिन्त्य और अप्रमेय है। ऐसे ईश्वरमें जीवन्त श्रद्धा होनेका अर्थ है — मनुष्यमात्रको अपना बन्धु मानना। इसका अर्थ यह भी है कि सब धर्मोंके विषयमें एक-सा आदरभाव रखना। यदि इस्लाम आपको प्यारा है, तो हिन्दू-धर्म मुझे प्यारा है और ईसाई धर्म ईसाइयोंको प्यारा है। और यह मानना कि आपका धर्म दूसरे धर्मोंसे श्रेष्ठ है, और दूसरोंसे अपना धर्म छोड़कर आपके धर्ममें आजानेके लिए कहना न्यायसंगत है, यह असहिष्णुताकी पराकाष्ठा है और असहिष्णुता एक प्रकारकी हिंसा है।

तीसरी जरूरी चीज है सत्य और पवित्रताको स्वीकार करना, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि जो मनुष्य ईश्वरमें सक्रिय विश्वास रखनेका दावा करता है वह पवित्र और सत्यनिष्ठ न हो।

अब मैं आपसे यह कह दूं कि आपने खानसाहबकी सेवाओंकी और अहिंसाकी तारीफ अगर सच्चे दिलसे की है तो इन चीजोंको मानना आपका फर्ज हो जाता है।

यदि आप भारतमें और कुल मिलाकर सारी दुनियामें अहिंसाका प्रचार करना चाहते हैं तो इस मामलेमें मुझे जो अनुभव है, उसके आधार पर आपको मेरी सलाह माननी होगी। यदि आप अहिंसाका त्याग करते हैं तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खाँका भी त्याग करना होगा। वे आपकी मददके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ईश्वर भी लोगोंके हृदयोंको अनुप्राणित करके उनके निमित्तसे मदद करता है। मैं सारी दुनियामें घूमा हूँ और मैंने देखा है कि लोग अहिंसाके मर्मको समझते-गुणते नही है। हमें अहिंसासे भारतकी सम्पत्तिकी रक्षा करनी है। हमारे देशके लाखों लोगोंको अहिंसाके मर्मको समझना होगा। अहिंसा सभी धर्मोंके लिए है।[1]

अहिंसाके समर्थकोंके रूपमें हम हिंसाको भूल जायेंगे। यदि इस्लाम धर्म आपको प्यारा है और हिन्दू-धर्म मुझे प्यारा है तो आपकी तर्कबुद्धि आपको इस निष्कर्षपर पहुँचनेपर मजबूर करेगी कि हमारे दिलोंमें एक-दूसरेके धर्मके लिए समान आदरभाव होना चाहिए।

जो लोग अगुआ होनेका दावा करते है, उन्हें इन सब चीजोंको स्वीकार करना पड़ेगा और अपने दैनिक जीवनमें इनपर अमल करना होगा। आपको समाजमें मामूली आदमी नही बनना है, आपको तो समाजका नेतृत्व करना है। अहिंसाके सेनापतियोंके रूपमें आपको मामूली लोगोंकी अपेक्षा विशेष साधना करनी होगी। वे लोग तो अधिक-से-अधिक सैनिक ही बन सकते हैं।[2] आपकी अहिंसा पागल अथवा

१. यह तथा अगला अनुच्छेद **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिये गये हैं।
२. यह तथा अगले दो वाक्य **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिये गये हैं।

सीमा-प्रान्त जाते हुए लाहौर रेल्वे स्टेशन पर

कायरोंकी अहिंसा नहीं होगी। यह तो जिन लोगोंके पास तलवार है उन लोगोंसे भी सशक्त होगी। यदि आप इस आदर्शका पालन कर सकें, तो यकीन रखिए, किसीके पास यह कहनेका कोई कारण नहीं रहेगा कि अहिंसा आपको नामर्द बना देगी। आपकी अहिंसा तो बड़े-से-बड़े बहादुरोंकी अहिंसा होगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-५-१९३८ और *हिन्दुस्तान टाइम्स*, ५-५-१९३८

८६. बातचीत: कांग्रेस-समाजवादियोंके साथ[1]

पेशावर

४ मई, १९३८

महात्मा गांधी ने उत्तर दिया कि जो समाजवादी कांग्रेसके सिद्धान्तोंमें विश्वास रखते हैं उन्हें अपनी समाजवादी विचारधाराके कारण कांग्रेससे अलग नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि गांधीजी ने कहा कि पंडित नेहरू और श्री सुभाषचन्द्र बोस समाजवादी हैं। जबतक समाजवादी लोग कांग्रेसके सिद्धान्तमें विश्वास रखते हैं और कांग्रेसके कार्यक्रमके अनुसार कार्य करते हैं, तबतक कांग्रेस-संगठनमें उनको शामिल करनेके बारेमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं देती। फिर भी कांग्रेसकी चालू कार्य-पद्धतिकी मेरी यह अपनी व्याख्या है। सीमा-प्रान्तमें विशेष स्थानीय परिस्थितियोंमें कोई दूसरा मार्ग अपनाना उचित है या नहीं, इसके बारेमें मैं कुछ नहीं कह सकता।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-५-१९३८

८७. भाषण: एडवर्ड्स मिशन कॉलेज, पेशावरमें[2]

५ मई, १९३८

मानपत्रका हिन्दुस्तानीमें उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा कि श्रोतावर्गके थोड़े-से अंग्रेजोंके लिए अंग्रेजीमें बोलनेसे मेरा हृदय विद्रोह करता है। और मुझे इस बातपर बड़ी आपत्ति है कि मुझे दिये जानेवाले मानपत्र अंग्रेजीमें होते हैं जब कि मैं अच्छी

१. स्थानीय कांग्रेस-समाजवादियोंके ग्यारह सदस्योंके प्रतिनिधि-मण्डलने गांधीजीका ध्यान समाचार-पत्रमें छपी उस खबरकी ओर खींचा, जिसमें कहा गया था कि सीमा-प्रान्तकी विशिष्ट परिस्थितियोंके कारण वहाँके कांग्रेसी नेताओंका इरादा समाजवादियोंको कांग्रेसमें न शामिल करनेका था।

२. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्तकी टिप्पणियाँ–३" से उद्धृत; इसे *हिन्दुस्तान टाइम्स* में प्रकाशित विवरणके साथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया है।

तरह उर्दू पढ़ सकता हूँ और जहाँ कहीं मुझे दिक्कत पेश आये वहाँ मैं खान अब्दुल गफ्फार खाँकी मदद ले सकता हूँ। भाषण जारी रखते हुए गांधीजी ने कहा:[1]

आपके मानपत्रमें मेरा स्तुति-गान ही है। यूँ तो ऐसी प्रशंसाको आसानीसे स्वीकार कर सकना मेरे लिए कभी भी सम्भव नहीं था, लेकिन मैं आपसे कह दूँ कि अपनी इस प्रशंसाको स्वीकार कर सकना मुझे आज जितना मुश्किल लग रहा है, उतना कभी नहीं लगा है, क्योंकि एक विचित्र-सी निराशा मेरे मनमें घर करती जा रही है और मैं अभी उससे मुक्त नहीं हो पाया हूँ। खैर, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ और मुझसे कहा गया था कि मुझे पाँच मिनटसे ज्यादा बोलनेकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपके मानपत्रमें एक ऐसा वाक्य है[2] जिसने मुझे अनुमानसे कुछ अधिक मिनटोंतक बोलनेके लिए मजबूर कर दिया है। आपके मानपत्रमें अहिंसक निष्क्रिय प्रतिरोधके बारेमें जो वाक्य है उससे मुझे १९०७ के[3] दक्षिण आफ्रिकाके जर्मिस्टन शहरकी याद ताजा हो आई है। निष्क्रिय प्रतिरोधके बारेमें मेरे विचार सुननेके लिए यूरोपीय मित्रोंकी एक सभा हुई थी। उस समय सत्याग्रह-आन्दोलन निष्क्रिय प्रतिरोधके नामसे जाना जाता था। सभामें अध्यक्षने भी ठीक वही बात कही थी जो आपने अपने इस मानपत्रमें कही है, अर्थात् निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल व्यक्तिका अस्त्र है। अध्यक्ष महोदयकी बातसे मुझे बहुत आघात पहुँचा था और मैंने उन्हे उसी समय निष्क्रिय प्रतिरोधका सही अर्थ समझा दिया था। और यह सचमुच एक अजीब बात है कि भारतमें इतने वर्षोंसे चले आ रहे सत्याग्रहको देखनेके बाद भी आपने वही भूल की है। हम कमजोर और उत्पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन अहिंसा दुर्बलका अस्त्र नहीं है।[4] यह तो सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर लोगोंका हथियार है। अहिंसामें हिटलर अथवा मुसोलिनीकी सैन्य शक्तिसे कहीं अधिक शक्ति है।[5] हाँ, कमजोर और उत्पीड़ित लोगोंका अस्त्र हिंसा हो सकती है। अहिंसाकी शक्तिसे अपरिचित होनेके कारण हिंसाके सिवाय उनके पास और कोई चारा भी नहीं रहता। तथापि यह सच है कि निष्क्रिय प्रतिरोधको कमजोर व्यक्तिका अस्त्र माना जाता रहा है। यही कारण है कि तत्कालीन दक्षिण आफ्रिकी आन्दोलन और निष्क्रिय प्रतिरोधमें भेद बतानेके लिए उसका नाम 'सत्याग्रह' रखा गया था।

१. यह अनुच्छेद **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिया गया है।

२. इसमें कहा गया था: "आपका जन्म ऐसे देशमें हुआ जहाँ आजसे हजारों साल पहले अहिंसाका प्रचार किया गया था। लेकिन आप पहले व्यक्ति है जिसने अपने अनोखे ढंगसे अहिंसक निष्क्रिय प्रतिरोधके सिद्धान्तका प्रतिपादन दुर्बल और दलित व्यक्तियोंके अत्यन्त दुर्निवार अस्त्रके रूपमें किया है।"

३. सम्भवत: गांधीजीका आशय १९०९ से है; देखिए खण्ड ९, पृ० २४२-४४।

४. यहाँ **हिन्दुस्तान टाइम्स** में लिखा है: "अहिंसा दुर्बलका अस्त्र नहीं है, क्योंकि जब दुर्बल व्यक्ति अहिंसाका उपयोग करता है, तब उसमें कोई प्रेम नहीं होता।"

५. यह वाक्य **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिया गया है।

निष्क्रिय प्रतिरोध तो नकारात्मक है और प्रेमके सक्रिय सिद्धान्तसे इसका कोई सम्बन्ध नही है। सत्याग्रह सक्रिय प्रेमके सिद्धान्तपर चलता है, जो कहता है "उन लोगोसे प्रेम करो जो द्वेष रखते हैं। अपने मित्रोसे प्यार करना तो आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओसे भी प्यार करो।" अगर सत्याग्रह दुर्बल का अस्त्र है तो मैं खान साहबको धोखा दे रहा हूँ, क्योकि आजतक किसी पठानने अपनी कमजोरीको नही माना है। खान साहबने ही मुझे बताया था कि स्वेच्छासे राइफल और लाठीका त्याग करनेके बाद उन्होंने अपने-आपको जितना बहादुर और शक्तिशाली महसूस किया उतना कभी नहीं किया। और यदि यह बहादुर लोगोका सर्वश्रेष्ठ अस्त्र नही होता तो मुझे पठानो-जैसी शूरवीर जातिके सम्मुख इसे पेश करनेमें निश्चय ही सकोच होता। इस अस्त्रसे खान साहब बहादुर अफ्रीदियो और अन्य कबाइलियोको अपना मित्र बना सकते हैं और उनका विचार-परिवर्तन कर सकते हैं। आपको मालूम ही है कि अफ्रीदी मौतसे नही डरता।[1] मुझे उसको और भी बहादुर बनाना है, कमजोर नही। यदि मैं ऐसा नही करूँगा तो खान साहब मुझसे नफरत करेंगे।

मुझे खुशी है जो आपकी भूल सुधारनेका मुझे यह अवसर मिला है। क्योकि जब आप अपनी भूल महसूस करेंगे तभी, जिस उद्देश्यके लिए मैं और खानसाहब काम कर रहे हैं, उसमें कार्यकर्ताओके रूपमें अपना नाम दर्ज करा लेंगे। मैं मानता हूँ कि इसपर सहज ही विश्वास करना कठिन है। पिछले ५० वर्षोसे लगातार इसपर अमल करनेके बावजूद मुझे ऐसा करना कठिन लगता है। इसके लिए हममें असीम धैर्य होना चाहिए — उतना धैर्य जितना घासके एक तिनकेसे समुद्र खाली करनेके लिए होना चाहिए। यदि हम भारतके लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह केवल अहिंसा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।[2]

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-५-१९३८ और **हिन्दुस्तान टाइम्स**, ६-५-१९३८

८८. भाषण : चारसद्दामें[3]

६ मई, १९३८[4]

जिन लोगोके बारेमें मैंने इतना सब सुन रखा था, उनसे मैं सचमुच परिचय प्राप्त करना चाहता था। खुदाई खिदमतगार कैसे रहते और काम करते हैं, यह सब मैं अपनी आँखोसे देखना चाहता था। खान साहब भी इस बातके लिए उत्सुक थे कि

१. यह और इसके बादके दो वाक्य **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिये गये हैं।

२. यह वाक्य **हिन्दुस्तान टाइम्स** से लिया गया है।

३. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्तकी टिप्पणियाँ–४" से उद्धृत। चारसद्दा तहसीलमें जहाँ खान साहबका गाँव उतमनजई है, रातके दस बजे एक सभा हुई जिसमें दस हजार लोगोंने भाग लिया।

४. **हिन्दू** के अनुसार।

मैं यह देखूँ और इस बातका साक्षी बनूँ कि उन्होंने अहिंसाको किस हदतक आत्मसात् कर लिया है। मुझे डर है कि इस छोटी-सी यात्राके दौरान इस बातकी जाँच तो नहीं की जा सकती। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोगोंके बीच रहने की मेरी ख्वाहिश बढ़ गई है। ईश्वरका आभार मानता हूँ कि मैं आज रातको उतमनजई और चारसद्दामें आकर आप सबसे मिल सका। खान साहब और डॉ० खान साहबसे तो मैं वर्धामें भी कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैं तो आप लोगोंसे मिलना चाहता था, आपसे परिचित होना चाहता था। आपके और खान साहबके सिरपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने जान-बूझकर ऐसा नाम पसन्द किया है, जिसमे बहुत बड़ा राज़ छिपा हुआ है। आप मुल्कके खिदमतगार या पठानोंके या इस्लामके खिदमतगार, इस तरहका कोई नाम धारण कर सकते थे। पर आपने तो 'खुदाई खिदमतगार' अर्थात् ईश्वरका सेवक, मनुष्य-जातिका सेवक, यह नाम धारण किया है। मनुष्य-जातिमें तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पंजाबी, गुजराती और हिन्दुस्तानके किसी भी भागके निवासियों तथा संसारके दूसरे देशोंके लोगोंका भी समावेश हो जाता है। आपने यह जो बहुत बड़ा नाम अख्तियार किया है इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आपने अहिंसाको स्वीकार कर लिया है। कोई भी व्यक्ति ईश्वरके नामपर तलवार द्वारा मानवताकी सेवा कैसे कर सकता है? यह सेवा तो ईश्वरने हमे जो शक्ति प्रदान की है और जो दुनियाकी दूसरी किसी भी ताकतसे बढ़कर है, उसीसे हो सकती है। अगर यह बात आप नही समझते तो विश्वास रखिए कि दुनिया खान साहबको और मुझको पाखंडी कहेगी और हमारी खिल्ली उडायेगी। इसलिए हालाँकि खुदाई खिदमतगारोंको देखकर मुझे बड़ी खुशी है, पर साथ ही दिलमें एक तरहका डर भी पैदा होता है। बहुतोंने मुझे आपके खिलाफ आगाह किया है। लेकिन यदि आप अपने सिद्धान्तके प्रति सच्चे हैं तो मैं उनकी इस चेतावनीकी कोई परवाह नही करता। याद रखिए कि सारे हिन्दुस्तान में जितने स्वयंसेवक हैं उन सबसे आपकी संख्या ज्यादा है और हिन्दुस्तानके किसी भी हिस्सेके स्वयसेवकोंसे आपमें अधिक अनुशासन है। लेकिन यदि इस अनुशासन की जड़ अहिंसामें न हुई तो यह बेहद नुकसानदेह हो जायेगा। यहाँकी सभाओंमें जो व्यवस्था और शान्ति देखनेंको मिलती है, अपनी यात्राके दौरान ऐसी शान्ति और व्यवस्था मैंने बहुत कम समाजोंमें देखी है। मैं आपको बधाई देता हूँ और आपने मेरे ऊपर प्रेमकी जो बौछार की है उसके लिए मै आभार प्रकट करता हूँ। अन्तमें मेरी ईश्वरसे यह प्रार्थना है कि सरहदके पठान केवल हिन्दुस्तानको ही आजाद न करें, बल्कि अहिंसाके तरीके से हिन्दुस्तानको आजाद कराकर सारी दुनियाको अहिंसाका अनमोल सबक सिखा दें।[1]

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-५-१९३८, और हिन्दू, ७-५-१९३८

१. गांधीजी के भाषणका पश्तोमें अनुवाद अब्दुल गफ्फार खाँने किया था।

८९. पत्र : अमृतकौरको

मर्दान
७ मई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

चूँकि सुशीला तुम्हे मेरे बारेमें सब जानकारी देती रही है, इसलिए मैंने तुम्हे लिखनेकी चिन्ता न की। यहाँ हमारा समय चिन्तामें ही बीता।

तुम्हारा विश्लेषण अच्छा है। बेशक मेरे उस अनुभवका कारण मेरी "दुर्बलता और विश्वासमें कमी" होना ही था।[1]

हम सब यही आशा करें कि निराशाके इस अन्धकूपसे मैं और भी अधिक दृढ़ और शुद्ध होकर निकलूँ। अभीतक तो संकटके खत्म होनेके कोई आसार दिखाई नहीं देते। अभी भी अन्धकार है। अभी भी मैं अपने-आपसे बहुत ज्यादा असन्तुष्ट हूँ, लेकिन ऐसा क्यो है सो समझमें नही आता। किसी मनोदशा विशेषके वशमें होना मेरे लिए बिल्कुल अस्वाभाविक है। मुझपर इसका बार-बार आक्रमण होता है, लेकिन मैं निरन्तर काम करता रहता हूँ और इस तरह इसे दबा देता हूँ। लेकिन मैं जितनी चाहता हूँ उतनी तत्परताके साथ मेरा शरीर मेरा साथ नही देता। किन्तु मैंने विश्वास नही छोड़ा है। मुझे कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते है जिनसे लगता है कि मैं इस दलदलसे निकल आऊँगा। सम्भव है, मैं धोखा खा जाऊँ। किन्तु मुझमें धीरज है, मैं विलम्बसे नही घबराता। यदि मेरा नया जन्म होना है — हर तरहसे नया जन्म — तो उससे पहले मुझे पर्याप्त पीड़ाके दौरसे तो गुजरना ही होगा।

तुम मेरी मौजूदा हालतसे परेशान नही होना। मेरे लिए कामेन्द्रियपर वश पाना सबसे कठिन रहा है, मैं इससे निरन्तर जूझता रहा हूँ। यह चमत्कार ही है कि मैं अभीतक इससे कैसे बचा हुआ हूँ। आज मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ, हो सकता है कि वह अन्तिम हो और होना भी चाहिए।

सस्नेह,

डाकू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६०) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०१६ से भी

१. देखिए "पत्र : मीराबहनको", पृ० ६७-६८।

९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

७ मई, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

गांधी सेवा संघके नये स्वरूपमें ऐसी कौन-सी बात है जो तुम्हें खटक रही है? मुझे यह मानना होगा कि इसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम निस्संकोच होकर मुझे यह बताओ कि इसमें तुम्हें कौन-सी बात बुरी लगी है। यदि मेरी गलती होगी तो तुम जानते ही हो कि मैं गलतीका पता लगते ही अपनी भूल सुधार लूँगा।

वैसे सामान्य ह्रासके सम्बन्धमें मैं तुमसे सहमत हूँ, हालाँकि खामियोंके बारेमें हमारी धारणा पृथक् हो सकती है।

बाकी मिलनेपर।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३८; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय।

९१. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

मर्दान
७ मई, १९३८

चि० अमृतलाल,

तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। गोकुलदास[1] वाले पैसोंका उपयोग पुस्तकोंके लिए ही करना ठीक होगा।

चकरैयाका जो वजन था यदि वही बना रहे तो अच्छा हो।

विजया अच्छी नहीं होती, यह दुःखकी बात है। यदि वह वहाँ न आई हो तो उसे मेरे पास बम्बई आनेके लिए लिखना। मैं भी लिख रहा हूँ। गुमशुदा पत्रकी तलाश करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७४६) से।

१. माण्डवी, कच्छके गोकुलदास खीमजी।

९२. भाषण : मर्दानमें[1]

७ मई, १९३८[2]

आपने मुझसे जो बात कही है यदि वह गम्भीर प्रतिज्ञाके रूपमें है और इस प्रतिज्ञाका आप पालन कर सकते हैं तो, विश्वास रखिए, हम हिन्दुस्तानकी आजादी ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और भी प्राप्त करेंगे। हम जब अहिंसाके लिए असंख्य व्यक्तियोंकी बलि देनेको तैयार हो जायेंगे, विश्वास रखिए, तब हम यूरोपमें इस समय युद्धका जो भयानक आतंक छाया हुआ है, उससे अछूते रह सकेंगे। आप हरएक काम खुदाके नामपर करनेकी बात करते हैं। आप अपनेको खुदाई खिदमतगार कहते हैं। आप तलवारका त्याग कर देनेका दावा करते हैं। इतनेपर भी अगर आपने दिलसे तलवार और खंजरका त्याग न किया, तो हमारी निश्चय ही बदनामी होगी, और 'खुदाई खिदमतगार' का नाम भी बदनाम हो जायेगा।

मैंने आज दोपहरको जो बात सुनी है[3] उससे मुझे बहुत आघात पहुँचा है और मैं अभीतक उसे भूल नहीं पाया हूँ। मयारके सिखोंने मुझे बताया कि वहाँ दिन-दहाड़े हत्याएँ की गई हैं। जहाँतक मैं जानता हूँ, हत्यारोंके इस तरह भड़क उठनेकी कोई वजह नहीं थी। हत्यारे दिन-दहाड़े हत्या करके भाग गये और किसीने उन्हें पकड़नेकी कोशिश भी नहीं की। यह विचारणीय है कि हम सब जब अहिंसाकी बात कर रहे हैं, तब ऐसा कैसे हो सकता है। इस गाँवमें खुदाई खिदमतगार और अहिंसाके सिद्धान्तमें विश्वास रखनेवाले अन्य लोग मौजूद थे; उनका फर्ज था कि वे अपराधियोंको पकड़ते। ऐसा काम फिर न होने देना उनका कर्त्तव्य है। आपका यह भी कर्त्तव्य है कि आप मृत व्यक्तियोंके परिवारोंसे मैत्री स्थापित करें और जो लोग भयभीत हो गये हैं उन्हें यह विश्वास दिलायें कि उनके साथ आपकी हमदर्दी है, और आप उनकी मदद करेंगे। हमारे बीचमें जबतक ऐसी घटनाएँ घटती रहेंगी, तबतक हमारी अहिंसाको लोग सन्देहकी दृष्टिसे देखते रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-५-१९३८

१. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्तकी टिप्पणियाँ–४" से उद्धृत।

२. ९-५-१९३८ के हिन्दू के अनुसार।

३. मर्दानसे दो मील दूर मयार गाँवमें तीन पठानोंने तीन सिखोंकी हत्या कर डाली थी। मृत व्यक्तियोंमें एक ग्यारह सालका लड़का, एक अस्सी वर्षका वृद्ध और एक पच्चीस वर्षका युवक थे।

९३. भाषण : कालूखाँमें[1]

७ मई, १९३८[2]

आपका भाषण दो हिस्सोंमें बँटा हुआ है—एकमें मेरी प्रशंसा की गई है और दूसरेमें अहिंसाकी चर्चा की गई है। पहले हिस्सेको दरगुजर किया जा सकता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि उससे किसीका भला नहीं होनेवाला है। वस्तुतः मुझे पूरा यकीन है कि यदि कोई व्यक्ति चौबीसों घंटे मेरा स्तुतिगान करनेकी बात करता है तो वह जल्दी ही थक जायेगा और मैं भी गहरी नींदमें सो जाऊँगा। ईश्वरकी कृपासे मैं जो-कुछ कर सका, वह मात्र अपने ऊपर चढ़े ऋणकी अदायगी ही है और ऋण अदा करके कोई प्रशंसाका अधिकारी भला कैसे बन सकता है। सच तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना ऋण अदा नहीं करता तो उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है।

आपने अहिंसाके बारेमें जो कहा है, मेरी ज्यादा दिलचस्पी तो उसमें है। मैं आपको बता दूँ कि आपने एक अहिंसावादी मनुष्यके जो गुण बताये हैं, वे मैं भी नहीं बता सकता था। लेकिन आपने अपने मानपत्रमें जो नहीं कहा वह मैं आपको बता देना चाहूँगा, और वह है अहिंसाके फलितार्थ। आपने इलाहाबाद और लखनऊके दंगोंके बारेमें सुना होगा।[3] यदि हममें सचमुच अहिंसा होती तो वे दंगे कभी न होते। कांग्रेसके रजिस्टरमें हजारों सदस्योंके नाम दर्ज हैं। यदि वे सचमुच अहिंसक होते तो दंगे कभी न हो पाते। लेकिन हम दंगोंको रोकनेमें असफल रहे। इतना ही नहीं, दंगोंको कुचलनेके लिए हमने पुलिस और सेनासे मदद माँगी। कुछ कांग्रेसियोंने मुझे यह दलील दी कि हमारी अहिंसा अंग्रेजोंके साथ हमारे व्यवहारतक ही सीमित है। तब मैं कहूँगा कि अहिंसा बलवानका नहीं निर्बलका ही अस्त्र है। शूरवीरोंकी सक्रिय अहिंसाके सम्मुख चोर, डाकू, हत्यारे भाग खड़े होते हैं, और उनकी अहिंसासे स्वयंसेवकोंकी एक ऐसी सेना तैयार होती है जो दंगोंको शान्त करनेके लिए, आग बुझाने और झगड़े मिटाने तथा इस तरहके अन्य कार्योंके लिए अपने प्राणोंकी आहुति देनेके लिए तत्पर रहती है। आपने कहा है कि अहिंसासे बेरोजगारीकी समस्या अपने-आप सुलझ जाती। आपका कहना ठीक है, क्योंकि इसमें शोषणको कोई स्थान नहीं है। एक अहिंसक व्यक्ति खुद-ब-खुद भगवानका सेवक बन जाता है। उसे ईश्वरको

१. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्तकी टिप्पणियाँ-४" से उद्धृत।

२. ९-५-१९३८ के हिन्दू के अनुसार।

३. मार्च, १९३८ में।

अपने समयके हर पलका हिसाब देनेके लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान करे कि आप सब भगवानके सच्चे सेवक और अहिंसाके सच्चे साधक बनें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-५-१९३८

९४. पत्र : मीराबहनको

पेशावर
८ मई, १९३८

आशा है, तुम्हारे पत्रके उत्तरमें मैंने अपने कटु अनुभवके विषयमें जो पत्र[1] भेजा था, वह तुम्हें मिल गया होगा। मेरी खोज अभी भी जारी है, उससे मुझे आनन्द मिलता है। श्रम करनेसे कभी-कभी मुझे जो पीड़ा होती है, उससे मुझे सुख ही मिलता है। भगवानने मेरा कभी त्याग नहीं किया है और वह मेरा अब भी त्याग नहीं करेगा। इसलिए मैं खोजके परिणामके प्रति उदासीन हूँ। लेकिन तुम्हें मुझे तबतक सावधान करते रहना चाहिए जबतक तुम यह समझो कि मैं अपने मार्गसे विचलित हो रहा हूँ।

तुम्हारे बहनोईका पत्र बहुत सुन्दर है। स्पष्टतः तुम्हारी बहन बड़ी श्रेष्ठ महिला थी और ऐसी विरल ही होती हैं। ऐसी बहनकी मृत्युसे तुम्हें जो दुःख पहुँचा है, उसे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसे ही अवसरोंपर हमारे विश्वासकी परीक्षा होती है। मृत्युके रहस्यको स्वीकार करनेके लिए हम अपने मनको तभी राजी कर सकते हैं जब हममें ऐसी निश्चित श्रद्धा हो कि मृत्यु भले लोगोंके लिए और भी अच्छे जीवनका द्वार खोलती है और बुरे लोगोंको बुराईसे बचनेका मार्ग दिखाती है।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

1. ३ मार्च, १९३८का; देखिए पृ० ९७-९८।

९५. भाषण: राजनीतिक परिषद्, पेशावरमें[1]

८ मई, १९३८

आपने अपने तीनों मानपत्रोंमें[2] मुझे बताया है कि सविनय-अवज्ञाकी लड़ाईके दौरान आपने अहिंसाका सफल और अपूर्व प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने अहिंसाको उसके सभी फलितार्थों सहित आत्मसात् किया है या नहीं। मेरे यहाँ आनेका मुख्य उद्देश्य यह है कि खान साहबने खुदाई खिदमतगारोंके बारेमें जो बातें कही हैं वे कहाँतक सच हैं। मुझे अफसोस है कि सत्यका पता लगानेके लिए जितना समय दिया जाना चाहिए उतना समय मेरे पास नहीं है। हाँ, एक बातका पक्का विश्वास लेकर मैं वापस जा रहा हूँ और वह यह कि अपने सेनापतिके रूपमें खान साहबके लिए लोगोंके दिलोंमें गजबका प्रेम और निष्ठा है। मैं जहाँ-जहाँ गया हूँ वहाँ-वहाँ मैंने देखा है कि न केवल खुदाई खिदमतगार, वरन् सभी पुरुष, स्त्री और बालक उन्हें जानते व चाहते हैं। वे बहुत स्नेहके साथ उनका अभिवादन करते हैं। ऐसा लगता था कि उनके स्पर्शसे उन्हें शान्ति मिलती है। खुदाई खिदमतगारोंकी फरमाबरदारीके बारेमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। यह सब देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। एक सेनापतिको ऐसी फरमाबरदारी प्राप्त करनेका अधिकार है। मामूली सेनापति लोगोंको डरा-धमकाकर उनसे अपनी आज्ञाका पालन करवाता है। जबकि खान साहब यह काम प्रेमके बलपर करवाते हैं। अब प्रश्न यह है कि खान साहबके हाथमें यह जो जबरदस्त ताकत है इसका वे कैसा उपयोग करेंगे? मैं इस समय इस प्रश्नका उत्तर नहीं दे सकता और न खान साहब ही दे सकते हैं। इसीलिए यदि ईश्वरने चाहा तो मैं फिर अक्तूबरके आसपास इस अद्भुत प्रान्तमें आना चाहूँगा और काफी दिनोंतक यहाँ ठहरूँगा तथा यहाँ अहिंसाका किस रूपमें पालन किया जा रहा है, इस बातका विस्तारसे अध्ययन करूँगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-५-१९३८

१. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्त की टिप्पणियाँ-४" से उद्धृत।
२. ये मानपत्र पेशावरके म्युनिसिपल और जिला-बोर्डों की ओरसे दिये गये थे।

९६. बातचीत: एक प्रोफेसरके साथ[1]

पेशावर
[९ मई, १९३८से पूर्व][2]

इस्लामिया कॉलेजके एक प्रोफेसर एक ऐसा प्रश्न लेकर पहुँचे जिससे वे परेशान थे और जिसने वर्तमान पीढ़ीके बहुत-से लोगोंको परेशान कर रखा है। वह प्रश्न था — 'ईश्वरमें विश्वास।' अगर गांधीजीका ईश्वरमें विश्वास है, जैसाकि वे जानते थे कि है, तो उनके इस विश्वासका क्या आधार है? उनका इस विषयमें क्या अनुभव है?

[गांधीजी:] यह ऐसा विषय नही कि जिसपर बहस की जा सके। यदि आप यह चाहेंगे कि मैं तर्क द्वारा लोगोंको इस बातका यकीन दिलाऊँ तो मैं हार मानता हूँ। पर मै आपसे इतना कह सकता हूँ कि जितना मुझे इस बातका विश्वास है कि आप और मैं इस कमरेमें बैठे हुए है, इससे कही ज्यादा मेरा विश्वास ईश्वरमें है। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं हवा और पानीके बिना तो जीवित रह सकता हूँ, पर ईश्वरके बिना जिन्दा नही रह सकता। आप मेरी आँखें निकाल ले, पर इसमे मै मर नहीं सकता। आप मेरी नाक काट डालें, इससे भी मैं मरूँगा नही। लेकिन आप ईश्वरपर से विश्वास उड़ा दें तो मैं उसी क्षण मर जाऊँगा। आप भले ही इसे अन्धविश्वास कहें, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि यह एक ऐसा अन्धविश्वास है जिसे मै बड़े प्रेमसे छातीसे चिपटाये हुए हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह बचपनमें किसी भय अथवा खतरेका कारण दिखाई देनेपर राम-नामका जाप किया करता था। यह एक बूढ़ी दाईने मुझे सिखाया था।[3]

पर क्या आपके विचारसे ऐसा अन्धविश्वास आपके लिए जरूरी है?

हाँ, मुझे जीवित रखनेके लिए यह जरूरी है।

सो तो ठीक है। क्या मैं अब आपसे यह पूछ सकता हूँ कि क्या आपको भविष्यसे सम्बन्धित दिव्य घटनाओंका अन्तर्दर्शन होता है।

मैं नही जानता कि भविष्यसे सम्बन्धित घटनाओं, अथवा अन्तर्दर्शनसे आपका क्या अभिप्राय है। लेकिन मैं आपको अपने जीवनका एक अनुभव सुना दूँ। जब मैंने जेलमें अपने २१ दिनके उपवासकी घोषणा की[4] तब उसके बारेमें मैंने कोई सोच-विचार नही किया था। मैं जब सोनेके लिए गया तब मुझे यह खयाल तक भी

१. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्त की टिप्पणियाँ-३" से उद्धृत।
२. गांधीजी ९ मई की सुबह पेशावरसे रवाना हो गये थे।
३. देखिए खण्ड ३९, पृ० २९।
४. ३० अप्रैल, १९३३ को; देखिए खण्ड ५५, पृ० ७४-७६।

नही था कि मैं कल सवेरे २१ दिनके उपवासकी घोषणा करने जा रहा हूँ। लेकिन आधी रातको एक आवाजने मुझे जगा दिया और कहा, "उपवास करो।" "कितने दिनका?" मैंने पूछा। उत्तर मिला, "२१ दिनका"। मैं आपसे कहता हूँ कि उपवासके लिए मेरा मन तैयार नही था, मेरा उधर कोई झुकाव भी नही था, पर यह चीज मेरे सामने बहुत ही स्पष्ट रूपमें आई। आपसे बस एक बात और कहूँगा। अपने जीवनमें मैंने जो भी आश्चर्यजनक काम किये है, सो तर्कबुद्धिसे नहीं, किन्तु 'सहज ज्ञान' से — मैं कहूँगा कि ईश्वरादेशसे प्रेरित होकर किये हैं। १९३० की दाण्डी-यात्राको ही ले लीजिए। नमक-कानूनका भंग किस तरह अपने-आप अमलमें आ जायेगा, इसका मुझे तनिक भी आभास न था। पंडित मोतीलालजी और अन्य मित्र परेशान थे और नही जानते थे कि मैं क्या करनेवाला हूँ। मैं उन्हे कुछ बता भी न सकता था, क्योंकि मैं खुद भी उसके बारेमें कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक बिजलीकी कौंधकी तरह वह चीज मेरे सामने आई, और यह तो आप जानते ही है कि देशको एक सिरेसे दूसरे सिरेतक हिला देनेके लिए वह काफी थी। अन्तमें, एक बात और। मुझे आखिरी दिनतक इस बातका कुछ भी पता न था कि मैं ६ अप्रैल, १९१९ को सारे देशमे उपवास और प्रार्थना करनेकी घोषणा करनेवाला हूँ। लेकिन मुझे उसका स्वप्न आया — १९३० की तरह यह अन्तरकी कोई आवाज या दृष्टि नहीं थी — और मुझे ऐसा लगा कि यही चीज की जानी चाहिए। सवेरे मैंने राजाजीसे इसके बारेमें बातचीत की और सार्वजनिक घोषणा कर दी। यह तो आप जानते ही है कि देशने कितनी आश्चर्यजनक रीतिसे स्वेच्छापूर्वक उसका जवाब दिया।[1]

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-५-१९३८

९७. बातचीत: एक प्रोफेसरके साथ[2]

पेशावर
[९ मई, १९३८ से पूर्व][3]

[प्रोफेसर:] यह क्या बात है कि बहुत-से अंग्रेज शान्तिवादी सैनिक रक्षा और उसकी विस्तृत योजनाओंकी बातें कर रहे है? . . . क्या शान्तिवादमें अतिरेक होने की सम्भावना नहीं है? फर्ज कीजिए कि अबीसीनियावालोंने मुकाबला करनेके बजाय इटलीसे सिर्फ यह कह दिया होता कि 'अपने बल-भर जो तुमसे हो सके, वह कर लो।' तो क्या इटलीवाले शर्माकर अपने इरादेसे बाज आ गये होते? लान्सबरीने कहा था कि वे ऐसा करते।

१. देखिए खण्ड १५, पृ० १८९-९४।
२. महादेव देसाई लिखित "सीमा-प्रान्त की टिप्पणियाँ—३" से उद्धृत। साधन-सूत्र में प्रोफेसर का नाम नहीं दिया गया है।
३. गांधीजी ९ मई की सुबह पेशावर से रवाना हो गये थे।

[गांधीजी:] पहले मैं अबीसीनियाके मामलेको लेता हूँ। मैं इसका जवाब सिर्फ सक्रिय प्रतिरोधात्मक अहिंसाके रूपमें दे सकता हूँ। अहिंसा तो संसारमें सबसे ज्यादा सक्रिय शक्ति है और मेरा विश्वास है कि वह कभी असफल नहीं हो सकती। लेकिन यदि अबीसीनियावालोंने बलवानोंकी अहिंसा यानी उस अहिंसाका रुख अपनाया होता जो खण्ड-खण्ड होकर भी कभी झुकना नहीं जानती, तो मुसोलिनीकी अबीसीनियामें कोई दिलचस्पी न रह जाती। इस प्रकार उन्होंने अगर सिर्फ यह कहा होता कि 'तुम चाहो तो हमें धूलमें मिला सकते हो, लेकिन तुम्हें एक भी अबीसीनियावासी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ सहयोग करनेको तैयार हो', तो भला मुसोलिनी क्या कर सकता था? वह रेगिस्तान तो चाहता नहीं था। मुसोलिनी तो मुकाबला नहीं, आत्मसमर्पण चाहता था, और अगर उसे, जैसे मुकाबलेका मैंने जिक्र किया है वैसे, शान्त और गम्भीर अहिंसक मुकाबलेका सामना करना पड़ता तो वह जरूर लौट जाता। यह बात निश्चय ही कोई भी कह सकता है कि आम तौरपर मानव-स्वभावको इतना ऊँचा उठते हुए देखा नहीं गया है। लेकिन अगर भौतिक विज्ञानमें हमने आशातीत प्रगति की है, तो आत्मिक विज्ञानमें हमें उससे पीछे क्यों रहना चाहिए?

अब अंग्रेज शान्तिवादियोंकी बात लीजिए। मैं जानता हूँ कि उनमें कुछ बहुत महान और सच्चे व्यक्ति हैं, लेकिन वे शान्तिवादके बारेमें इस तरह सोचते हैं मानो वह शुद्ध अहिंसासे कोई पृथक् चीज है। मैं तो मूलतः अहिंसक हूँ और ऐसे युद्धमें विश्वास रखता हूँ जिसमें किसी भी प्रकारकी हिंसाका लेशमात्र न हो। मूलतः अहिंसक आदमी परिणामोंका हिसाब नहीं लगाता। लेकिन जिन अंग्रेज शान्तिवादियोंके बारेमें आप कह रहे हैं वे परिणामोंका हिसाब लगाते हैं, और जब वे शान्तिवादकी बात करते हैं तो ऐसा मानकर करते हैं कि शान्तिवाद सफल न हुआ तो शस्त्रोंका उपयोग किया जा सकेगा। उनका आखिरी सहारा अहिंसा नहीं बल्कि हथियार हैं, जैसाकि वूड्रो विलसनके चौदह सिद्धान्तों[1]का हाल था। नहीं, इंग्लैंडमें किसी ऐसे व्यक्तिको आगे आना ही पड़ेगा जो जीवन्त विश्वासके साथ यह कह सके कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंग्लैंड हथियारोंका सहारा नहीं लेगा। उनका राष्ट्र हथियारोंसे पूरी तरह सुसज्जित राष्ट्र है, अतः यदि वे शक्ति होते हुए भी जान-बूझकर हथियारोंका उपयोग करनेसे इनकार कर दें, तो वे सामूहिक रूपसे ईसाइयतके क्रियात्मक आचरणका पहला उदाहरण पेश करेंगे। और वह एक वास्तविक चमत्कार होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-५-१९३८

१. इनकी रूपरेखा राष्ट्रपति वूड्रो विल्सनने अमेरिकी कांग्रेसके समक्ष ८ जनवरी, १९१८ के भाषणमें पेश की थी। जर्मनी और मित्र राष्ट्रोंके बीच युद्ध-विराम की जो अस्थायी सन्धि हुई और बादमें वरसाईमें जिस सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये, उनका आधार यही सिद्धान्त थे।

९८. एक तार[1]

[९ मई, १९३८ को या उससे पूर्व][2]

दोनोंसे कहो कि उनके उपवासका कोई नैतिक आधार नहीं है। यदि लोग इस तरह काल्पनिक अथवा वास्तविक अन्यायोंके विरुद्ध उपवास करने लगें और उनके उपवासके कारण विरोधी उनके आगे झुकने लगें तो समाज बिखर जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-५-१९३८

९९. तार: अमृतलाल टी० नानावटीको

पेशावर
९ मई, १९३८

नानावटी
मगनवाड़ी
वर्धा

तुम बुनाई कुटीर शुरू कर सकते हो। मैं ठीक हूँ। आज रवाना हो रहा हूँ। ११ तारीखको बम्बई पहुँच रहा हूँ।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७४८) से।

१. महादेव देसाई लिखित "वीकली लेटर" (साप्ताहिक पत्र) से उद्धृत। यह तार सालेम से मिले एक तार के उत्तर में भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि एक 'कट्टर कांग्रेसी' श्री ए० मणिक्कम् आमरण अनशन कर रहे हैं और उनकी गर्भवती पत्नीने भी सहानुभूतिमें उपवास आरम्भ कर दिया है।

२. महादेव देसाई के कथनानुसार, यह तार गांधीजी को उनकी सीमा-प्रान्तकी यात्रा के दौरान मिला था। गांधीजी ९ मई को सीमा-प्रान्त से रवाना हो गये थे।

१००. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

नई दिल्ली
१० मई, १९३८

आज सवेरे फ्रन्टियर मेलसे बम्बई जाते हुए जब महात्मा गांधी यहाँ पहुँचे तब एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिने उनसे भेंट की और झण्डेकी समस्या पर मैसूर सरकार और मैसूर कांग्रेसमें हुए समझौतेकी, जिसकी घोषणा सरदार वल्लभभाईने की थी, शर्तों[1] के बारेमें उनकी राय जाननी चाही।

महात्मा गांधी ने कहा कि मैं समझौतेकी शर्तोंसे पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हालातको देखते हुए यही निर्णय उचित था। जब उन्हें यह बताया गया कि कांग्रेस-ध्वजके साथ-साथ राज्य-ध्वज फहराने देनेके सरदार पटेलके निर्णय पर कुछ समाजवादियोंने आपत्ति प्रकट की है, तो उन्होंने कहा कि उनका कहना ठीक है, क्योंकि वे लोग राज्योंका उन्मूलन चाहते हैं और वह केवल सशस्त्र क्रान्ति द्वारा ही सम्भव है। महात्मा गांधी ने कहा कि उनके इस सिद्धान्तपर मुझे कोई विश्वास नहीं है।

जब उनसे यह पूछा गया कि यदि किसी हड़तालके समय कांग्रेस मजदूरोंके पक्षका समर्थन करती है तो उस हालतमें कांग्रेस-ध्वज और लाल (समाजवादी) ध्वजके प्रति आम जनताका क्या रवैया होना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे लिए तो एकमात्र कांग्रेसका ध्वज ही महत्त्व रखता है।

कांग्रेसमें विश्वास रखनेवाले किसी भी मजदूर संघको हर हालतमें कांग्रेसके झण्डेके नीचे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बहुत सारे झण्डे हुए तो मुझे भय है कि झगड़ा अवश्य होगा।

१. समझौते की शर्तें इस प्रकार थीं: (१) मैसूर कांग्रेस को मान्यता प्रदान की जाये; (२) मैसूर सरकार यह घोषणा करे कि सुधार-समिति मैसूर राज्य के लिए उत्तरदायी सरकार बनाये जाने की सम्भावना के बारे में विचार कर सकती है और उसकी सिफारिश कर सकती है; (३) जिन चार कांग्रेसियों ने सुधार-समिति से त्यागपत्र दे दिया था, उन्हें फिर से मनोनीत किया जाये और राज्य-कांग्रेस द्वारा चुने गये तीन और कांग्रेसियों को भी नियुक्त किया जाये; (४) राज्य-कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह वापस लिया जाये; (५) सभी राजनीतिक बन्दियों को क्षमादान दिया जाये और सभी दमनकारी आदेश वापस ले लिये जायें; और (६) झण्डा-सम्बन्धी विवाद को महात्मा गांधी द्वारा सुझाये गये तरीके से हल किया जाये—अर्थात् सभी विशिष्ट अवसरों पर राज्य-ध्वज के साथ-साथ कांग्रेसका झण्डा भी फहराया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अपने समारोह के अवसरपर केवल राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाना चाहिए।

दिल्लीके राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाईके सिलसिलेमें महात्मा गांधीने कहा कि उनकी रिहाईका प्रश्न मेरे सामने है। मैं उन्हें रिहा करवानेकी भरसक कोशिश करूँगा, लेकिन मैं उनके मामलेको कब हाथमें लूँगा इसके बारेमें फिलहाल मैं निश्चित रूपसे कुछ नहीं कह सकता।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-५-१९३८

१०१. पत्र: लीलावती आसरको

११ मई, १९३८

चि० लीला,

तुझे पत्र लिखनेकी इच्छा तो बहुत होती है लेकिन समय कहाँसे लाऊँ? तेरा ३१ वें वर्षमें पदार्पण करनेका पत्र मिला। धीरे-धीरे तू स्थिर हो जायेगी। तूने तरक्की तो जरूर की है, लेकिन अभी बहुत तरक्की करना बाकी है। सब चीजोंके बारेमें नियमका पालन करनेसे स्थिरता आ जायेगी। प्यारेलाल और सुशीलाको दिल्ली पहुँचा आया हूँ। वे थोड़े दिनोंमें वापस आयेंगे। अ० स० दिल्लीसे साथ हो ली है। कान्ति और सरस्वती आगरेसे आ मिले हैं। बा फिलहाल तो दिल्ली रहेगी।

मैं ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३७१) से। सी० डब्ल्यू० ६६४६ से भी; सौजन्य: लीलावती आसर।

१०२. तार: जमनालाल बजाजको

बम्बई
१२ मई, १९३८

जमनालाल बजाज
सीकर

आशा है सीकरकी जनता तुम्हारी अपील सुनेगी। वहाँ जबतक रुकनेकी जरूरत हो तबतक तुम्हें रुकना चाहिए।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १९६

१०३. तार: अमृतकौरको

बम्बई
१२ मई, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
गेस्ट हाउस
बंगलौर

मैं सकुशल पहुँच गया हूँ। सीमा-प्रान्तकी यात्रा अवश्य ही लाभदायक होगी। आशा है तुम अच्छी हो। मैं कम-से-कम १७ तारीख तक बम्बई में हूँ। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६१) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०१७ से भी।

१०४. पत्र: मीराबहनको

१२ मई, १९३८

तुम्हारा पत्र बड़े कामका है। मैं उसे एक आदर्श पत्र मानता यदि तुमने उसमें उतना रंग न पूरा होता जितना कि आम तौरपर तुम्हारे पत्रोंमें होता है। लेकिन तुम्हारे पत्रकी विवेचना करनेका मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे निजके अनुभवने मेरा मन पक्का कर दिया है। मुझे अपने व्यवहारको बदलना होगा। मैं काफी हद तक तुम्हारे सुझावोंपर अमल करूँगा। मुझे कौन-सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, इस बारेमें मैं रोज मगजपच्ची करता हूँ। परिवर्तनका क्या रूप होगा, इस बारेमें मैं अभी निश्चित रूपसे कुछ नहीं कह सकता।

लीलावतीके सम्बन्धमें तुमने जो-कुछ कहा है, उसके बारेमें मुझे कुछ भी याद नहीं है। किन्तु एक बार मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उसकी गर्दनमें बाँह डाली थी। जब मैंने उससे सवेरे पूछा तो उसने कहा कि उसे किसी स्पर्शका ज्ञान नहीं। फिर भी उस दिनसे मैंने उससे कहा कि वह मुझसे कुछ दूरीपर सोया करे। तुमने जिस घटनाका जिक्र किया है उसके बारेमें और जानकारी देना।

भविष्यमें भी तुम्हारे मनमें जो सुझाव आयें उनके बारेमें मुझे लिखती रहना। मैं अपने प्रयोगको रोकूँगा तो नहीं लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश है। मेरी समस्या

यह है: "१४ अप्रैलके उस भयावह अनुभवका कारण क्या नारी-सम्पर्क था अथवा उसका कारण कुछ और ही था।"

स्नेह (बहुत जल्दीमें हूँ)।

बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई

१०५. पुर्जा: द० बा० कालेलकरको[1]

[१४ मई, १९३८ से पूर्व][2]

मेरा मौन तुम्हारे आड़े नहीं आना चाहिए। नानावटीके बारेमें मुझे अपनी ओरसे कुछ नहीं कहना था; मुझे तो सुनना था। उसके अथवा किसीके जानेसे मुझे असुविधा हो, ऐसी मेरी व्यवस्था ही नहीं। नानावटीको मेरी उपस्थितिमें यहाँ रहनेकी तनिक भी जरूरत नहीं है। यदि वह तुम्हारी सुविधाका ध्यान रखता है तो उसमें मेरी सुविधाकी बात स्वयमेव आ जाती है। नानावटी यहाँ जो रह गया है सो यह जाननेके लिए कि ग्रामीण-जीवन कैसा है, और उसमें क्या-कुछ किया जा सकता है। वह मुख्यतः संगीतशास्त्रीके रूपमें उपयोगी है और जब सब लोग सेगाँव छोड़ जायेंगे तब भी वह यहीं रहेगा और सेगाँवमें ही मरेगा। ऐसे व्यक्तिका क्या उपयोग किया जा सकता है, यह बताना मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे पास रहते हुए भी यदि वह इतना याद रखे कि उसे सारा जीवन सेगाँवमें बिताना है, तो काफी है। इसीमें उसके आत्मसम्मानकी रक्षा होती है, उसके वचनकी लाज रहती है। इसलिए मेरा खयाल है कि तुम्हारी जरूरतको ध्यानमें रखते हुए यहाँसे चले जाना उसका कर्त्तव्य है। लेकिन यदि मन-ही-मन वह सेगाँवके प्रति उदासीन हो उठा है तो भले ही मनको भी अपने साथ ले जाये। तब उसके जीवनका ध्येय यह होगा कि वह तुम्हारा अनुकरणकर हिन्दीको वरे। इस समय उसकी ऐसी उम्र है जब उसे अपना ध्येय निर्धारित कर लेना चाहिए। जब मैं सेगाँवमें रहता हूँ तब उसका उपयोग कम-से-कम होता है; क्योंकि तब संगीतका सारा काम कनु सँभाल लेता है। उसका मुख्य कार्य तो फिलहाल सेगाँवमें बुनाई-प्रवृत्तिको व्यापक बनाना है और गाँवकी सफाईके बारेमें विचार करना और उस दिशामें प्रयोग करना है। ये दोनों अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। हो सकता है, इसका परिणाम आज दिखाई न दे। लेकिन अन्ततः यह बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जायेगा। लेकिन इस समय इसकी उपेक्षा की जा सकती है। यह अच्छा ही है कि मैं बोलता नहीं हूँ; इसलिए तुम इसपर अधिक विचार

१. पुर्जा बादमें नानावटीको भेजा गया था।

२. डाककी मुहरपर १४ मई, १९३८ की तारीख है।

कर सकते हो। तथापि इस बारेमें यदि तुम कुछ चर्चा करना चाहो तो मैं करनेके लिए तैयार हूँ। इस बारके मौनमें ऐसी बातोंके लिए गुंजाइश है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७८६) से।

१०६. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

१४ मई, १९३८

चि० मुन्नालाल,

मेरे मनस्तापके बारेमें तुमको अवश्य मालूम होगा। तुम इसके बारेमें मीराबहनसे जान सकते हो।

तुम्हारा और कंचनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए: तुम दोनोंको एकान्तका सेवन नहीं करना चाहिए; एक-दूसरेका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि दोनोंमें से किसी एकका मन दूसरेको देखकर विकारवश हो जाये और यदि फिलहाल तुम दोनों ब्रह्मचर्यका पालन करना ही चाहो तो तुम्हें अलग-अलग रहना चाहिए। विकारको बलपूर्वक नहीं दबाना। यदि तुम्हारे हृदयमें ब्रह्मचर्यकी उत्कट इच्छा होगी तो तुम विकारोंपर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। ब्रह्मचर्य एक अच्छी चीज है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए — यदि तुम्हारे मनमें केवल इतनी ही प्रेरणा है तो वह अपने-आपमें पर्याप्त नहीं है। यदि मनमें यह भावना हो कि ब्रह्मचर्यके बिना अच्छे जीवनका निर्माण नहीं होता, तभी उसका पालन करना सम्भव होगा; अन्यथा नहीं।

बाकी मिलने पर।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५७६) से।

१०७. पत्र : विजया एन० पटेलको

जुहू
१४ मई, १९३८

चि० विजया,

मैं तो तुझसे बम्बईमें मिलनेकी आशा किये बैठा था। अब तो जो हो गया सो हो गया। तुझे अपना शरीर कसना चाहिए। तू छाछ, दूध, चावल यदि पच सके तो, और मोसम्बी-जैसे रसदार फलोंपर रहना। किसी दवाकी जरूरत नहीं।

मेरे स्वास्थ्यके बारेमें मीराबहन लिखेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८०) से। सी० डब्ल्यू० ४५७२ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली

१०८. पत्र : शारदा चि० शाहको

जुहू, बम्बई
१४ मई, १९३८

चि० शारदा,

बम्बई जरूर आ। मैं जुहूमें हूँ। सूचना देगी तो कोई लेनेके लिए स्टेशनपर आयेगा। यहाँसे बहुत करके १७ अथवा १८ को रवाना होनेकी उम्मीद है।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९९५)से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

१०९. पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको

बम्बई
१५ मई, १९३८

प्रिय ख्वाजा साहब,

आपके ११ मईके पत्र[1] के लिए धन्यवाद; वह मुझे कल मिल गया था। आज मैंने उसे सुभाष बाबूको दिखाया। मुझे यह तो मानना होगा कि यह मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। साथ ही सरकारने इस प्रश्नपर जो परिश्रम किया है उसे मैं पूर्णतः स्वीकार करता हूँ। मैं उसकी अत्यधिक सावधानीके औचित्यको भी समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं जल्दबाजीमें कोई निर्णय नहीं लेनेवाला हूँ। किन्तु इससे पहले कि मैं आपके पत्रमें वर्णित नीतिके फलितार्थोंकी जाँच कर सकूँ, मैं उन कैदियों की संख्या जानना चाहूँगा जिनके मामलोंको पहली तीन धाराओंपर अमल हो जानेके बाद भी निबटाना शेष रह जायेगा। और किसी निष्कर्षपर पहुँचनेसे पूर्व मेरे लिए यह जान लेना बहुत जरूरी होगा कि सरकारने जो प्रस्ताव रखे हैं, उनके प्रति कैदियोंकी प्रतिक्रिया क्या होती है।

आपके दृष्टिकोणसे मैं यह बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि ऐसी कार्य-विधिको शायद आप स्वीकार न कर पायें। किन्तु मैं बंदियोंको दिये हुए वचनसे बँधा हुआ हूँ और उसका पालन करते हुए यदि सारा कार्यक्रम सुचारु रूपसे चलाना है तो मेरे लिए उन बंदियोंके विचार जान लेना जरूरी है। यदि मैं बिना किसी

१. देखिए परिशिष्ट २।

आपत्तिके बंदियोंकी तत्काल और बिना शर्त रिहाईसे कम किसी बातको मान लेता हूँ तो मेरी दृष्टिमें यह वचन-भंग होगा।

मुझे यकीन है कि इस कामके लिए आप मुझे कलकत्ता आनेको नही कहेंगे। इसलिए कृपया आप सुभाष बाबू या शरत बाबूको मेरे प्रतिनिधिके रूपमें कैदियोसे मिलनेकी इजाजत दे दें।

बेशक, आपने इस मामलेमें गोपनीयता बरतनेका जो अनुरोध किया है, उसका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

सुभाष बाबूने यह पत्र नही पढा है। वे मेरे निवासस्थानसे दूर कार्य-समिति की बैठकमें लगे है। किन्तु यदि वे यहाँ होते तो मुझे विश्वास है कि वे भी इस पत्रमें व्यक्त विचारोका ही समर्थन करते।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-१०-१९३८; सी० डब्ल्यू० ९९२२ भी

११०. पत्र : विजया गांधीको

१५ मई, १९३८

चि० विजया,

वर्षगाँठका तेरा सुन्दर पत्र मिला। तूने पत्र नही लिखा, उसके लिए मैं तुझे माफ करता हूँ।

पिछले वर्ष तो तूने 'गीता' कंठस्थ की थी। इस बार क्या करेगी? तेरे उच्चारणको क्या पुरुषोत्तम पास कर देता है? असलमें, पास तो मैं करूँगा। वह तो पक्षपात भी कर सकता है। तेरा शिक्षक जो ठहरा। लेकिन तू कब मेरी पकड़में आती है जो मैं तेरी परीक्षा लूँ?

हम सब समुद्रके सामने ही है, इसलिए मीठी मन्द बयार चलती रहती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से।

१११. पत्र : सुशीला गांधीको

१५ मई, १९३८

चि० सुशीला,

यदि तेरी इच्छा हो तो तुझे और बच्चोंको तथा मनुको भी मैं दिल्ली ले जानेके लिए तैयार हूँ। वहाँ तू जितने दिन रहना चाहे, उतने दिन रहना।

बापू

[पुनश्च :]

ईश्वरने सुरेन्द्रको बहुत दिया है और तेरा तो अपना स्वतन्त्र खजाना है। इसके अलावा, वहाँ खाना मुफ्त होगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५७०) से; सौजन्य : मनुबहन एस० मशरूवाला

११२. पत्र : अमृतकौरको

जुहू
१६ मई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी;

तुम्हारे बंगलौरसे लिखे हुए सब पत्र मुझे मिल गये। निस्सन्देह दूसरा पक्ष भी है, किन्तु जिम्मेदार सरकार बनाये बिना मिर्जाको चैन भी नहीं मिलनेवाला है। उन कागजातोंको मैं ध्यानपूर्वक पढ़ लूँगा।

मेरा स्वास्थ्य ठीक है। प्यारेलाल और सुशीला नई दिल्लीमें हैं — १९ राजा बाजार स्क्वेयरमें। उनको पत्र लिखो। मैं आज उन्हें मीरासे प्राप्त तीन पत्र भेज रहा हूँ; साथमें ताकीद कर रहा हूँ कि वे इन पत्रोंको पढ़नेके बाद तुम्हें भेज दें और तुम उन्हें नष्ट कर डालना। मीराकी उन्मादभरी उक्तियोंको छोड़ दें तो पत्र ठोस हैं। मैं कुछ परिवर्तन लानेका विचार कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ तय नहीं कर पाया हूँ। तुम भी यदि कोई सुझाव देना चाहो तो दे सकती हो। मन उदास तो जरूर है, लेकिन धीरे-धीरे आन्तरिक शान्ति भी आ रही है।

जि०[1] के साथ बातचीत भी चल रही है। सु०[2] बहुत धैर्यवान् है। वह अच्छा श्रोता है। सम्भव है, जहाँ और असफल रह जाते वहाँ वह सफल हो जाये। मैं चाहता हूँ कि वह सफल हो।

मैसूरके सम्बन्धमें जल्दबाजीमें कोई प्रस्ताव पास नही किया जायेगा।

तुम्हारी मसूरकी यात्रा अन्ततः लाभदायक ही रही। और तुम्हें वहाँ प्रचुर अनुभव प्राप्त हुआ।

वा दिल्लीमें है, अमतुल सलाम मेरे साथ है और मेरी देखरेख कर रही है।

सस्नेह,

डाकू

[पुनश्च:]

वर्धाके लिए १७ या १८ तारीखको रवाना हो जानेकी आशा है, इसलिए पत्र वर्धा ही भेजना।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६२) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०१८ से भी।

११३. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

विश्राम वाटिका
जुहू (डाकखाना सान्ताक्रूज)
बम्बई
१६ मई, १९३८

प्रिय च० रा०,

तुम्हारा करारा पत्र मैं पढ़ गया। यदि तुम्हारा आशय यह है कि मुझे उस लज्जाजनक उल्लंघनकी ओर ध्यान देना चाहिए, तो मैं ऐसा ही करूँगा। और यदि तुम्हारे कहनेका आशय कुछ और है तो साफ-साफ लिखो। क्या हम अपनी ही भूलों के भारसे अथवा उससे भी बदतर चीजके बोझसे टूटे जा रहे हैं? तुम्हें एक पल रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। यह मत कहो कि तुम्हारे पास समय नही है। मैं यहाँसे कामको देखते हुए कल अथवा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना चाहता हूँ।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०६९) से।

१. मुहम्मद अली जिन्ना।
२. सुभाषचन्द्र बोस।

११४. एक पत्र[1]

सोमवार [१६ मई, १९३८][2]

आज मुझे भाषणों और लेखोंमें जो हिंसा दिखाई देती है, कांग्रेसियोंमें जो भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता देखनेमें आती है तथा जो छोटे-मोटे झगड़े होते रहते हैं, उससे मन निराशासे भर उठता है। इस सबके बीच, हममें से जो लोग इन चीजो को अच्छी तरहसे जानते हैं, उनको इनके आगे झुकना नहीं चाहिए और असहयोगके स्वर्ण नियमका उपयोग करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-५-१९३८

११५. पत्र: कस्तूरबा गांधीको

जुहू
१६ मई, १९३८

बा,

तेरा पत्र भला क्यो आने लगा? तू जब जमनालालजीके साथ थी, तब पत्र लिखनेकी जरूरत थी भी नहीं। मैं ठीक हूँ। कान्ति और सरस्वती यहीं हैं। बहुत करके माटुंगा जायेंगे। हम १७ अथवा १८ तारीखको वर्धा जायेंगे। तेरा वर्धा ही आना ठीक होगा। देवदास लक्ष्मीको लेकर कदाचित् मद्रास जायेगा। इससे उसे कुछ ठंडक भी मिलेगी। यदि वह देहरादून जाता है तो मेरा खयाल है कि वह वहाँ एक-दो दिनसे ज्यादा नहीं रह सकेगा। प्यारेलाल और सुशीला तो वहाँ हैं ही। शायद ये दोनों अथवा प्यारेलाल अकेला तेरे साथ आयेगा। अन्ततः देवदासके साथ सलाह-मशविरा करके तुझे जो ठीक लगे सो करना। राजगोपालाचारी यहीं हैं। दो-तीन दिनोंमें वापस मद्रास जायेंगे। उम्मीद है, कानम मजेमें है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना बाने पत्रो, पृ० २८

१. महादेव देसाई लिखित "वीकली लेटर" (साप्ताहिक पत्र) से उद्धृत। यह पत्र जिस व्यक्ति को लिखा गया था, साधन-सूत्रमें उसका नाम नहीं बताया गया है।

२. २१ मईसे पहलेका सोमवार १६ मईको पड़ा था।

११६. तार : अमृतकौरको

बम्बई
१८ मई, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
मेनरविले
शिमला पश्चिमी

स्वास्थ्य कामचलाऊ है। २० तारीखसे पहले रवाना नही हो सकता। विपाद कम् हो रहा है।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६३) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०१९ से भी।

११७. प्रस्ताव : मैसूरके समझौतेपर[1]

[१८ मई, १९३८][2]

मैसूर-राज्यमें विदुराश्वत्थमके समीप नि.शस्त्र भीड़पर जो गोली चली थी उसके बारेमें जनता और सरकार, दोनोंके बयान कार्य-समितिने पढ़े हैं। कार्य-समिति को इस बातका दु:ख है कि राज्याधिकारियोंको गोली चलानेकी जरूरत महसूस हुई। यह देखते हुए कि मैसूर सरकारने गोली चलाये जानेके कारणोंकी जाँच करनेके लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाया है, कार्य-समिति इस हत्याकाण्डके सम्बन्धमें अपनी राय व्यक्त नही कर रही है। लेकिन कार्य-समितिका यह विचार है कि महाराजाको अपने राज्यमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि कानून और व्यवस्था बनाये रखनेकी जिम्मेदारी, और अगर जरूरत हो तो गोली चलानेकी भी जिम्मेदारी, जनताके प्रति उत्तरदायी सरकारके कन्धोंपर हो। कार्य-समिति मृतकोंके परिवारोको अपनी समवेदना भेजती है और घायलोंके साथ सहानुभूति प्रगट करती है।

सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य कृपलानीने मैसूर-राज्य और मैसूर राज्य-कांग्रेसमें जो समझौता[3] करवाया है, कार्य-समिति उसका अनुमोदन करती है।

१ और २. बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-५-१९३८ के अनुसार, गांधीजी द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर कार्य-समिति की बैठक में १८ मई को विचार-विमर्श हुआ था और अगले दिन उसे पारित किया गया था।

३. देखिए, पृ० ८७, पाद-टिप्पणी १।

कार्य-समितिको इस बातका सन्तोष है कि मैसूर सरकारने समझौतेपर अमल करनेके सम्बन्धमें एक विज्ञप्ति[1] जारी की है और महाराजा तथा उनके सलाहकार जिस मुस्तैदीके साथ समझौतेपर अमल कर रहे हैं, उसके लिए कार्य-समिति उन्हें बधाई देती है। कार्य-समिति आशा करती है कि मैसूर राज्य-कांग्रेस भी समझौतेपर दृढ़ता से अमल करेगी।

राष्ट्रीय ध्वज फहराये जानेके प्रश्नपर कार्य-समिति आशा रखती है कि राज्य कांग्रेस ऐसा कोई कार्य नही करेगी जिससे राज्यके ध्वजके अपमानका आभास हो, और राज्याधिकारी भी ऐसा कोई कार्य नही करेंगे जिससे राष्ट्रीय ध्वजके अपमानका आभास हो।[2] राष्ट्रीय ध्वजको अन्ततः सर्वोच्च दर्जा प्रदान करनेकी बात उसका बल-पूर्वक सम्मान करवानेकी शक्तिपर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि वह तो कांग्रेसियोंके शुद्ध आचरणपर और कांग्रेस देशमें जो सेवा-कार्य करेगी, उसपर निर्भर करेगी। यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय एकता और अहिंसाका प्रतीक है। और यह भी बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि हालांकि ऐसे कांग्रेसियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है जो मध्ययुगके अवशेष इन रियासतोंका पूरी तरहसे उन्मूलन चाहते हैं, तथापि कांग्रेसकी नीति अबतक कुल मिलाकर रियासतोंके प्रति मैत्रीकी रही है, क्योंकि उसे आशा रही है कि वे युग-धर्मको पहचानेंगी और अपनी सीमाओंमें उत्तरदायी सरकारकी स्थापना करेंगी और अपने अधिकार-क्षेत्रमें रहनेवाले लोगोंकी स्वतन्त्रताको दूसरी तरहसे भी और व्यापक बनायेंगी और उसकी रक्षा करेंगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-५-१९३८

१. मैसूर सरकार की १७ मई की विज्ञप्ति में कहा गया था :

(१) सरकार मैसूर राज्य-कांग्रेसको मान्यता दे देगी बशर्ते कि कांग्रेस सरकारके साथ संवैधानिक सुधारके कार्यमें सहयोग करे और अपनी गतिविधियाँ शान्तिपूर्ण और वैधानिक तरीकेसे चलाये।

(२) मैसूर राज्य-कांग्रेस द्वारा चुने गये तीन नये सदस्यों को सरकार संवैधानिक सुधार-समिति में जगह देगी।

(३) सभी औपचारिक अवसरोंपर मैसूर रियासत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों के ध्वज फहराये जायेंगे।

(४) मैसूर राज्य-कांग्रेस सविनय अवज्ञा और कर-विरोधी आन्दोलन वापस ले लेगी।

(५) सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिये जायेंगे और निषेधात्मक आदेश हटा दिये जायेंगे।

२. २०-५-१९३८ के *हिन्दू* में निम्न रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी: "महात्मा गांधीने मैसूर-राज्य के कांग्रेसियोंको यह निर्देश दिया है कि मैसूरके महाराजाके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनेके चिह्न-स्वरूप और कोई झगड़ा-विवाद न हो, इसके लिए वे विशेष अवसरोंपर राष्ट्रीय ध्वज फहरानेसे पहले राज्य-ध्वज फहरायें।"

११८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

वम्बई
२० मई, १९३८

सरदार पृथ्वीसिंहको, जिन्हें वम्वई उपनगर-जिलेके कलेक्टरने हाल ही में हिरासतमें ले लिया है, १९१५ के प्रथम लाहौर षड्यन्त्र-केसके सिलसिलेमें आजीवन कैदकी सजा मिली थी। इस सजाका कुछ हिस्सा उन्होंने कालेपानी (अण्डमान)में काटा। कुछ दिनो वाद जव सार्वजनिक आन्दोलनके फलस्वरूप कैदियोंको कालेपानी भेजनेकी प्रथा खत्म कर दी गई तव सरदार पृथ्वीसिंहको वहाँसे मद्रास भेज दिया गया और फिर मद्राससे राजमुन्द्री ले जाया गया। राजमुन्द्रीमें जेल-जीवनसे ऊवकर दो वार उन्होंने वहाँसे भाग निकलनेकी कोशिश की। १९२२ में दूसरी वार वे उसमें सफल रहे और तभीसे वे पुलिसको सफलतापूर्वक चकमा देते रहे हैं। वे जो-कुछ हैं, अपने प्रयत्नोंसे वने हैं। वे एक प्रमुख क्रान्तिकारी हैं। कुछ समयसे सशस्त्र क्रान्तिके वारेमें अपने विचारोंपर पुनर्विचार करते हुए अन्तमें, अपने मित्रोंकी सलाहसे, वे इस निश्चयपर पहुँचे कि मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें और जैसा मैं कहूँ वैसा करें। उनसे अच्छी तरह वातचीत करनेके वाद मैंने उन्हे अपनी देखभालमें लेनेका निश्चय किया और उनसे कहा कि जीवनका मेरा जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार कोई गोपनीयता नही हो सकती, और अधिकारियोंको स्वेच्छापूर्वक आत्मसमर्पण कर देना स्वयंमें एक प्रकारकी देश-सेवा है। उन्होने मेरी राय मान ली। वे १८ मईको सवेरे मेरे पास आये और १९ मईको मैंने जिला-मजिस्ट्रेटको लिख भेजा कि सरदार पृथ्वीसिंहने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और मैं उनकी रिहाईके वारेमें भारत-सरकारसे लिखा-पढ़ी करनेवाला हूँ; लेकिन अगर इस बीच जिला-मजिस्ट्रेट कानूनन सरदार पृथ्वीसिंहको मेरे साथ रहनेकी इजाजत न दे सकें, तो वे उन्हें हिरासतमें ले सकते हैं। इसपर जिला-मजिस्ट्रेटने मुझे लिखा कि उन्हें सरदार पृथ्वीसिंहको स्वतन्त्र रहने देनेका कोई अधिकार नहीं है। जिला-मजिस्ट्रेट पुलिस-अधीक्षकके साथ खुद ही आये और दोपहर के १ वजे जुहू-स्थित हमारे निवास-स्थानपर से उन्होने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।[2]

मुझे वताया गया है कि उनके साथ 'ए' क्लासके कैदीका व्यवहार किया जायेगा। मैंने सरदार पृथ्वीहिंसे अपनी आत्मकथा लिखनेके लिए कहा है। यह रोमाचकारी

१. यह "ए फेलो पिल्ग्रिम" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२. हरिजन, २८-५-१९३८ में प्रकाशित अपने "साप्ताहिक पत्र" में महादेव देसाईने लिखा है: "जब पुलिस-सुपरिंटेंडेंट और मजिस्ट्रेट पृथ्वीसिंहको ढकेलकर ले गये, तब गांधीजी प्रत्यक्षतः विचलित हो उठे और समाचारपत्रोंके लिए वक्तव्य लिखवानेके बाद उन्होंने कहा: "सरदार पृथ्वीसिंह-जैसे लोग ही सच्चे सत्याग्रही हो सकते हैं।"

कहानी है। जहाँतक मैं देख सकता हूँ, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए उन्हें लज्जित होना पड़े। वे तरुणावस्थामें कनाडा चले गये थे और वहीं उनमें क्रान्तिकारी विचारोंका विकास हुआ। कनाडाके समुद्र-तटसे 'कोमा गाटा मारू' जहाजको गैरकानूनी और लज्जाजनक तरीकेसे हटानेका दृश्य उन्होंने देखा और तभी उन्होंने तथा कनाडा-प्रवासी भारतीयोंके एक दलने हिन्दुस्तान लौटकर क्रान्ति करनेका निश्चय किया। यह स्पष्ट है कि जेलसे फरार होनेके बाद उन्होंने राष्ट्रकी बहुत तरहसे सेवा की है। वे बड़े हट्टे-कट्टे शरीरके राजपूत हैं। कालेपानीमें पाँच महीनेकी भूख-हड़ताल और पुलिसके साथ हुई मुठभेड़के समय अथवा जेलसे भागते समय उनको जो चोटें लगीं, उनके कारण उनके शरीरमें कोई कमजोरी नहीं आई दिखती। वे अव्वल दर्जेके व्यायाम-शिक्षक बन गये। उन्होंने मालिश करनेकी कला भी सीखी। उन्होंने कई स्कूलोंमें व्यायामकी शिक्षा भी दी।

अपने जीवनकी उत्तरावस्थामें राजनीतिक कैदियोंकी मददके लिए प्रयत्न करनेका मिशन मानो ईश्वरने ही मुझे सौंपा है। सरदार पृथ्वीसिंहकी शीघ्र रिहाईके लिए कोशिश करनेका यह काम मेरे इस मिशनमें सबसे नया जुड़ा है। सरदार पृथ्वीसिंहने मुझसे कहा है कि वे देशकी स्वतन्त्रताके लिए अहिंसाके तरीकेको आजमानेका प्रयत्न कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अनेक पुराने क्रान्तिकारी साथियोंके विचार भी इसी दिशामें जा रहे हैं। भारतकी आजादी ही उनके जीवनका एकमात्र उद्देश्य है। जिस सचाईके साथ उन्होंने मुझसे बातचीत की, उसका मुझपर इतना असर पड़ा कि उनकी बातोंपर पूरा विश्वास करनेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। स्वतन्त्रता-देवीके मन्दिरकी तीर्थयात्रामें इन-जैसे आदमियोंको अपने साथ तीर्थयात्रीके रूपमें देखकर मुझे आनन्द होगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-५-१९३८

११९. भेंट : जेम्स ए० मिल्सको[1]

जुहू
[२० मई, १९३८][2]

मैं भारतके स्वतन्त्र व एकता-बद्ध होनेतक जीवित रहनेकी आशा करता हूँ। जब ऐसा दिन आयेगा, तब अपनी चिरपोषित अमेरिका-यात्राकी अभिलाषाको पूरा करूँगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २३-५-१९३८

१२०. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा
२१ मई, १९३८

प्रिय मित्र,

सरदार पृथ्वीसिंह एक पुराने क्रान्तिकारी हैं। वे एक ऐसे दलसे सम्बद्ध थे जो सशस्त्र क्रान्तिमें आस्था रखता था। 'कोमा गाटा मारू' जहाजके यात्रियोके साथ, जबकि वे न्यायोचित ढंगसे कनाडाके समुद्र-तटपर उतरनेका प्रयास कर रहे थे, जो दुर्व्यवहार किया गया उससे क्रुद्ध हो सौसे ऊपर भारतीयोंने, मेरे खयालसे, गड़बड़ करनेके लिए ही भारतकी यात्रा की थी। वे भी उन्हींमें से एक थे। सरदार पृथ्वीसिंहपर मुकदमा चला और उन्हें दस सालकी सजा हुई। उनपर तब १९१५ के तथाकथित प्रथम लाहौर षड्यन्त्र केसके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था और उन्हें आजीवन कारावासकी सजा देकर अण्डमान भेजा गया था। वहाँका कारागार जब भंग हुआ तो उन्हे, बहुत-से अन्य वन्दियोके साथ, मद्रास लाया गया और फिर वहाँसे राजमुन्द्री भेजा गया। रास्तेमें वे फरार हो गये — यह १९२२ की बात है — और फिर पुलिसके हाथ नही आये। फरारीके इन सालोंमें उन्होने व्यायाम-शास्त्रका अध्ययन किया और सैकडो युवकोको उसकी शिक्षा दी। परन्तु इस जीवनसे उन्हे सन्तोष नही मिला। वे कुछ ऐसे लोगोके सम्पर्कमें आये जो अहिंसाकी पद्धतिमें आस्था रखते थे। ऐसा लगता है कि अहिंसामें उनकी भी आस्था हो गई है। १८ तारीखको

१ और २. २० मईको गांधीजी के जुहूसे वर्धा रवाना होनेसे कुछ ही समय पहले अमेरिकन एसोसिएटेड प्रेसके विशेष संवाददाताने उनसे भेंट की थी।

वे मेरे आगे आत्मसमर्पण कर मेरे आदेशानुसार चलनेको राजी हो गये। मैंने उनसे कहा कि यदि सरकार उन्हें स्वतन्त्र रहने दे तो मैं उन्हें बड़ी खुशीसे अपने पास अपनी देखरेखमें रखूँगा और रचनात्मक राष्ट्रीय कार्यमें लगाऊँगा। लेकिन मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि सरकारको सूचित किये बिना मैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकूँगा। अतः मैंने १९ तारीखको बम्बईके उपनगरीय जिला कलेक्टरको (क्योंकि मैं तब जुहूमें था) यह बता दिया कि यदि उन्हें सरदार पृथ्वीसिंहको मेरे पास रहने देनेका अधिकार न हो तो सरदार गिरफ्तार होनेके लिए तैयार है। जिला-मजिस्ट्रेट कल जुहू आये और उन्होंने सरदार पृथ्वीसिंहको गिरफ्तार कर थाना जेलमें 'ए' क्लास बन्दी बनाकर रखा है।[1]

सरदार पृथ्वीसिंहकी गतिविधियोंकी यह मैंने केवल रूपरेखा दी है। मेरा ऐसा खयाल है कि सरदार पृथ्वीसिंह-जैसे लोगोंको जेलमें रखनेकी बजाय उपयोगी जीवन बितानेका अवसर देना चाहिए, खासकर ऐसी हालतमें जबकि मेरे-जैसा कोई व्यक्ति, जिसे सरकार जानती है, उन्हें अपने पास रखने और उनके शान्तिपूर्ण आचरणकी जिम्मेदारी लेनेको तैयार हो। पता नहीं मेरा यह निवेदन आपको जँचता है या नहीं। यदि जँचे तो मैं यह आग्रह करूँगा कि मेरा रास्ता आसान कर दिया जाये और सरदार पृथ्वीसिंहको मुझे सौंप दिया जाये। मैं आपको यह बता दूँ कि राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाईमें दिलचस्पी लेनेके कारण मैं बहुत-से क्रान्तिकारियोंके सम्पर्कमें आया हूँ, और सम्बन्धित अधिकारियोंसे हार्दिक सहयोग मिलनेपर तो उनके हृदय-परिवर्तनकी मुझे पूरी आशा रही है।

नियमानुसार इस बारेमें मुझे किस अधिकारी, विभाग या प्रान्तीय सरकारको लिखना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। परन्तु क्योंकि हम एक-दूसरेको जान गये हैं और हममें मैत्रीपूर्ण सम्पर्क कायम हो गया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको, मूलाधारको ही लिखूँ।[2]

क्या मैं शीघ्र उत्तरकी आशा रखूँ? मैं जानता हूँ कि आप कितने व्यस्त हैं। पर आप शायद यह समझ जायेंगे कि यह विषय कितना महत्त्वपूर्ण है और इसलिए जो कष्ट मैं आपको दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे : लिनलिथगो कागजात; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार।

१. देखिए पृ० ९९-१००।

२. वाइसरायने १८ जून के अपने पत्रमें लिखा कि गांधीजी ने पृथ्वीसिंहके मामलेकी जिन शब्दोंमें पैरवी की, उनका उनपर बहुत असर पड़ा। परन्तु रिकार्डसे पता चला है कि पृथ्वीसिंह असाधारण हिंसाके अपराधोंके दोषी रहे हैं, जिनकी गंभीरता धोखादेहीके कारण और बढ़ जाती है। अतः गवर्नरसे उनका यह कहना कि वे उनकी रिहाईके लिए अपने मन्त्रियोंपर दबाव डालें, उचित नहीं होगा।

१२१. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सेगाँव (वर्धा)
२१ मई, १९३८

प्रिय च० रा०,

मैं कल ढाई घंटे जिन्नाके साथ रहा। हमारी बातचीत मैत्रीपूर्ण होते हुए भी आशापूर्ण नहीं थी, लेकिन निराशाजनक भी नहीं थी। मैं बातचीतकी तफसीलमें न जाकर इतना ही कहूँगा कि उन्होंने मद्रासके विशेष क्षेत्रोंके प्राइमरी स्कूलोंमें हिन्दीके थोपे जानेकी सख्त शिकायतकी थी। वैसे ठीक स्थिति क्या है? क्या मुसलमान लड़कोंपर इसका असर पड़ा है? कृपया जितनी जल्दी हो सके उत्तर दें और वह उत्तर ऐसा हो जिसे मैं लोगोंके सामने पेश कर सकूं।

कम्युनिस्ट पार्टीके सम्बन्धमें मेरी जवाहरलालसे लम्बी बातचीत हुई। मेरा खयाल है कि इस प्रश्न-विशेषपर हम एक-दूसरेको पहलेसे बेहतर समझने लगे हैं। उनका कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टीके कार्यक्रममें न तो हिंसा है और न छिपाव-दुराव ही। तब फिर इसपर इस तरह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है? अगर कोई कम्युनिस्ट या व्यक्ति हिंसाका खुलेआम या छिपकर सहारा लेता है अथवा हिंसाको भड़काता है तो ऐसे लोगोंके विरुद्ध किसी पार्टी-विशेषके प्रति निष्ठा रखनेके कारण नहीं, बल्कि हिंसाको भड़कानेके कारण कार्रवाई की जानी चाहिए। अतः वह लेख जो तुमने मुझे दिखाया था, उसके लेखकके विरुद्ध स्पष्टतः कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह इसलिए नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टीपर प्रतिबन्ध है, बल्कि इसलिए कि लेखमें अपराधकी झलक है। क्या तुम्हें इस तथ्यके विरोधमें कुछ कहना है। यदि प्रतिबन्ध हटा दिया जाये तो क्या होगा?

मुझे आशा है कि तुम्हें सुभाषसे प्रामाणिक उत्तर मिल गया होगा। इससे तुम्हें अपने पत्र-लेखकसे विचार-विमर्श करनेमें सहायता मिल सकती है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७०)से।

१२२. पत्र : डॉ० एन० बी० खरेको

सेगाँव, वर्धा होकर
२१ मई, १९३८

प्रिय डॉक्टर खरे[1]

हालाँकि आप मुसीबतमें हैं[2], फिर भी मैं जानता हूँ कि आप समाचारपत्रमें प्रकाशित साथके इस महत्त्वपूर्ण लेखकी उपेक्षा नहीं करेंगे। और चूँकि इसके प्रामाणिक होनेका दावा किया गया है, इसलिए इसका उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए। क्या आप कृपा करके लेखमें लगाये गये अभियोगकी जाँच कर जायेंगे और प्रत्येक अभियोगका विस्तारसे उत्तर लिख भेजेंगे? कितना अच्छा हो यदि सरकार आगामी विचार-विमर्श[3] में मार्गदर्शन करे। अपने घरका कूड़ा साफ कर उसे व्यवस्थित करनेके लिए बहुत ज्यादा साहसकी आवश्यकता होती है।

उस अभियोग-पत्रके उत्तरकी क्या मैं शीघ्र ही आशा रखूँ? उत्तर भेजते समय कृपया अखबार भी लौटा दीजियेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

अखबार अलगसे भेजा जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-खरे कागजात, फाइल सं० १०७, पृ० १; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार।

१. मध्यप्रान्तके तत्कालीन मुख्य मन्त्री।

२. मध्यप्रान्त के मन्त्रिमण्डल में गहरा आपसी मतभेद उठ खड़ा हुआ था और तीन मन्त्रियों ने इस्तीफा दे दिया था।

३. गांधीजी का आशय २४ मई को पचमढ़ी में होनेवाली मध्यप्रान्त कांग्रेस विधान परिषद् दल की बैठकसे है। यह बैठक संसदीय समिति द्वारा "मन्त्रियोंमें उठ खड़े हुए मतभेदको दूर करने और कार्य-समितिके सम्मुख पेश किये गये आरोपोंकी जाँच करने के लिए" बुलाई गई थी।

१२३. पत्र: अमृतकौरको

सेगाँव
२२ मई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मेरे नाम तुमने कलकत्तेके पतेपर एक स्नातकके विषयमें जो पत्र लिखा था, वह जगह-जगह भटकता हुआ कल ही मेरे पास पहुँचा है। तुमने ट्रेनसे जो पत्र लिखा था, वह मुझे यथासमय मिल गया था और उसे पढ़नेमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब तुम्हारा १९ तारीखका पत्र आ पहुँचा है।

सेगाँव पहुँचकर तबीयत ठीक लग रही है और मैं चैन भी महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने दिमागको आराम देना चाहता हूँ। दिमागसे बहुत ज्यादा काम लिया गया है। और मैंने अनुभवसे यह जाना है कि मुझे वैसा आराम केवल यही मिल सकता है।

गर्मी बेशक बहुत कष्टकारी है, लेकिन अन्य सब आश्रमवासियोंके साथ रहनेमें जो सुख है उसे मैं अनुभव करता हूँ। मैं जल्दी ही हर रोज कुछ घंटोंके लिए मौन रखा करूँगा।

कल मेरा वजन १०६ पौंड निकला — जितना स्वास्थ्य बनाये रख सका उस लिहाजसे कुछ विशेष नुकसान नही हुआ।

हाँ, मैसूरकी विज्ञप्ति[१] स्पष्ट रूपसे अच्छी है। तुम्हें कार्य-समितिका प्रस्ताव[२] पसन्द आया होगा। तुम्हारा मैसूर जाना अच्छा रहा।

हाँ, तुम जो-कुछ भी भेजोगी मैं उसकी जाँच कर दूंगा।

पृथ्वीसिंह-सम्बन्धी मेरे कारनामेके विषयमें तुम्हारा क्या विचार है?

जिन्ना और मेरे बीच जो बातचीत हुई उसकी एक प्रति तुम्हें भेजूंगा। उनसे सौदा करना आसान नही है — वे अपनी ही बातपर अड़े रहते हैं। यदि लीगके अन्य सदस्य भी उनके ही जैसे हैं, तब तो कोई समझौता होना असम्भव है। किन्तु इकतरफा कार्रवाई करनेके लिए द्वार खुला है। समझौता तो इकतरफा नही हो सकता। कह नहीं सकता कि मौजूदा हालातमें परिस्थितिका सामना करनेके लिए इकतरफा कार्रवाई एक कारगर तरीका होगा या नही। फिर भी आपसी मतभेद मिटानेकी हरेक कोशिश की जानी चाहिए।

मैंने अभीतक मिर्जाको पत्र नहीं लिखा है, दो-एक दिनमें लिखूंगा। मेरे बारेमें तो तुम्हारा कहना ठीक है। तुम तथा अन्य लोग सिर्फ प्रार्थनासे ही मेरी मदद कर

१ और २. देखिए "प्रस्ताव: मैसूरके समझौतेपर", पृ० ९७-९८।

सकते हैं। मुझे लगता है कि बादल छँट रहे हैं। मालूम नहीं कि मैं क्यों इतना हलका महसूस कर रहा हूँ। किन्तु मैं इस बातकी चिन्ता क्यों करूँ? भगवानकी गतिविधियाँ हमारे लिए रहस्यमय हैं।

उन्नीस तारीखको मैंने जवाहरलालके साथ एक घंटेतक बातचीत की; बातचीत अच्छी रही। तुम्हारा विश्लेषण ठीक है। यूरोपकी यात्रा उसके लिए लाभदायक रहेगी। बेशक वह मन-ही-मन धार्मिक है, हालाँकि ऊपरसे वह उसकी भर्त्सना करता है। 'गीता' पढ़ता है, उसके सोनेके कमरेमें बुद्धकी मूर्ति विराजमान है। वह जो-कुछ भी करता है और चाहे जहाँ भी है, सब ठीक ही है।

क्या तुम्हें मैंने कभी बताया था कि जिन्नाके नाम तुम्हारा पत्र मैंने उन्हें नहीं दिया। मुझे पसन्द नहीं आया। तुम्हें उसमें मेरा उल्लेख नहीं करना चाहिए था और उसे तुम्हें केवल प्रश्न-चर्चा तक ही सीमित रखना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं।

तुम्हारा क्या हाल है? एक्जीमा कैसा है? और गलेका क्या हाल है?

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६२९) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४३८ से भी।

१२४. पत्र: अमृतकौरको[1]

सेगाँव
२३ मई, १९३८

तुम्हारा तार मिला। मैं पत्रकी प्रतीक्षामें हूँ। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६४) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०२० से भी।

१. यह मीराबहन द्वारा अमृतकौर को भेजे गये पत्रके अन्त में है।

१२५. पत्र : जमनालाल बजाजको

२३ मई, १९३८

चि० जमनालाल,

गोसीबहनका तार आया है। उसकी माँका देहावसान हो गया है। मैंने तार दिया है। तुम भी तार अथवा पत्र लिखना। राजेन्द्रबाबू आनन्दपूर्वक होंगे। यदि कोई व्यक्ति आ रहा हो तो मुझे टेम्परेचर कह भेजना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९११) से।

१२६. पत्र : शान्तिकुमार एन० मोरारजीको

सेगांव, वर्धा
२३ मई, १९३८

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हारा पत्र मुझे आज ही मिल पाया। दीर्घायु होओ। तुम्हारी कर्त्तव्य-परायणता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७२७) से; सौजन्य : शान्तिकुमार एन० मोरारजी।

१२७. पुर्जा : जमनालाल बजाजको

[सोमवार दोपहर १-३० बजे, २३ मई, १९३८][1]

कुछ कहनेका नहीं है। जाजूजीको ले जाना अनावश्यक है। वहां जाकर बैठना है।[2] जब कुछ करनेका मौका मिले तब हिस्सा लेना। अन्यथा मौन धारण करना। वहाँ जानेका धर्म है इसमें मुझे सन्देह नही है। अगर गंदके दूर नहि हो सकती है तो प्रांतिक समितिको[3] छोड़ना होगा।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९२) से।

१२८. पत्र : विजया एन० पटेलको

सेगाँव
२४ मई, १९३८

चि० विजया,

तो अब यह बात सीख ले कि हम चाहे कहीं भी क्यों न जायें, अखाद्य न खायें। तेरे स्वास्थ्यमें कब सुधार होगा और कब तू पहले-जैसी हो जायेगी? यदि तुझे अमृतलालकी सेवा अधिक पसन्द है तो उसे रोककर अ० स० को वापस भेजना। चाहे जैसे भी हो, तू जल्दी चंगी हो जा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८४) से। सी० डब्ल्यू० ४५७६ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली।

१. पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १९६ में जमनालाल बजाज द्वारा दी गई तारीख के आधारपर।

२. मध्यप्रान्त कांग्रेस विधान परिषद् दलकी बैठकमें, जो २४ मईको पचमढ़ीमें होनेवाली थी; देखिए पृ० १०४, पाद-टिप्पणी ३।

३. नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, जिसके जमनालालजी अध्यक्ष थे।

१२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
२६ मई, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

तुम कितने तत्पर और व्यवहारकुशल हो! मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने गुड़गाँव जिला कांग्रेस कमेटीके मामलोंकी जाँच की। मुझे आशा है कि तुम्हारी सलाह दोनो पक्षके लोगोंको स्वीकार्य होगी, जोकि उन्हें होनी भी चाहिए।

जिन्नाके साथ हुई मेरी बातचीतसे सम्बन्धित अपनी टिप्पणियोके बारेमें आज तुम्हारा पत्र मिला।[1] मेरे विचारमें उनसे मेरी दूसरी बातचीत अनिवार्य थी। मेरा खयाल है कि इससे कोई हानि नही होगी। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं चाहूँगा कि तुम जालसे मिलनेके बाद उसके बारेमें मुझे एक पंक्ति लिख देना। मेरी कितनी इच्छा है कि तुम अपनी यूरोप-यात्राके दौरान आराम करो और भाग-दौड़ नहीं करो जैसाकि तुम यहाँ हर समय करते रहे हो।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]
ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स, पृ० २७९

१३०. पत्र : विजया एन० पटेलको

२६ मई, १९३८

चि० विजया,

तेरे बुखारके बारेमें मालूम हुआ। तू हिम्मत न हारना। सब-कुछ ठीक हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८१) से। सी० डब्ल्यू० ४५७३ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली।

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", पृ० ६३-६४।

१३१. पत्र : अमतुस्सलामको

२६ मई, १९३८

प्यारी बेटी,[1]

मैं अच्छा हूं। शारदा ठीक सेवा कर रही है। तुमारे अब तो विजियाको वही रखना है। बुखार उतरना चाहीये। तुमारे खानेका ठीक इंतजाम कर लिया होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३९९) से।

१३२. पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको

मगनवाड़ी, वर्धा
२७ मई, १९३८

प्रिय ख्वाजा साहब,

२४ तारीखके आपके विस्तृत पत्रके लिए धन्यवाद।[2] स्पष्ट है कि मेरी स्थितिको गलत समझा गया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरी या कांग्रेसकी रायके मुकाबले कैदियोंकी रायको तरजीह दी जायेगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अन्तिम निर्णय करूँ, सर्व-सामान्य हितकी दृष्टिसे यह जरूरी है कि मैं कैदियोंकी राय जान लूं। अगर मैं इस प्रारम्भिक निष्कर्षपर नहीं पहुँचा होता — हालाँकि तफसीलकी जाँच करके उस निष्कर्षकी पुष्टि करना आवश्यक है — कि बंगाल सरकार द्वारा सुझाया समाधान स्वीकार करने-योग्य हो सकता है, तो मैंने कैदियोंसे मुलाकात करनेकी बात सोची ही नहीं होती। मेरा विचार है कि समाधानकी बारीकीसे जाँच करनेके बाद मैं कैदियोंको यकीन दिलाऊँ कि समाधानको स्वीकार कर लेना उनके हितमें है। इसलिए प्रस्तावित समाधानको अन्तिम रूपसे स्वीकार करनेसे पहले मैं कैदियोंकी राय जान लेना जरूरी समझता हूँ। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सर्व-सामान्य उद्देश्यकी खातिर, अर्थात् जहाँतक कैदियोंकी रिहाईके पेचीदा सवालका सम्बन्ध है, शान्ति बनाये रखनेकी खातिर, आप मेरी इस बातसे सहमत होंगे।

१. ये शब्द उर्दूमें लिखे हुए हैं।

२. ख्वाजा नाजिमुद्दीनने अपने पत्रमें लिखा था कि गांधीजी के इस सुझावसे कि राजनीतिक कैदियों और नजरबन्दोंकी रिहाई के प्रस्तावके बारेमें पहले कैदियोंसे चर्चा कर ली जाये,. कैदियों और जनता दोनोंमें गलतफहमी को बढ़ावा मिलेगा।

मैं समझता हूँ कि नजरबन्दोंका मामला सन्तोषजनक ढंगसे सुलझ गया होगा। उसके बारेमें आप यदि दो शब्द लिख सकें, तो आभारी होऊँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-१०-१९३८; सी० डब्ल्यू० ९९२५ भी।

१३३. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव, वर्धा
२७ मई, १९३८

चि० प्रभा,

मैंने, कान्तिने और कनुने तुझे १५ तारीखके आसपास पत्र लिखे थे। यदि वे तुझे नही मिले तो इसमें हमारा क्या दोष?

तू बराबर लिखती रहना। मैं ठीक हूँ। अभी एक बैठक हो रही है। कान्ति और सरस्वती कल त्रिवेन्द्रम गये। बा कल दिल्लीसे आ गई हैं। शेष तो तुझसे सुननेके बाद।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५१४) से।

१३४. पत्र : विजया एन० पटेलको

सेवाग्राम
२७ मई, १९३८

चि० विजया,

विनोबाने जो तुझसे कहा उसका तूने क्या उत्तर दिया? बीमारी कहाँसे ले आई? लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तुरन्त स्वस्थ होकर आ जा। हम बीती बातें भुला देंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८२) से। सी० डब्ल्यू० ४५७४ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली।

१३५. पत्र: सुभाषचन्द्र बोसको

[२७ मई, १९३८ के आसपास][1]

प्रिय सुभाष बाबू,

मैं तुम्हें श्री दयालसिंहके बारेमें लिख रहा हूँ। उनका कहना है कि वे राष्ट्रीय सेवाका मौका ढूंढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं . . .[2]

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५७५) से; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली

१३६. प्रस्तावना: "बेसिक नेशनल एजुकेशन" के लिए

सेगाँव, वर्धा
२८ मई, १९३८

इस पुस्तिकाकी पहली एक हजार प्रतियाँ बिक गईं, इससे प्रकट होता है कि डॉ० जाकिर हुसैन और उनकी समितिने जिसे 'बेसिक नेशनल एजुकेशन' कहा है, वह चीज भारत तथा बाहरके लोगोको भी आकृष्ट कर रही है। इस शिक्षा-पद्धतिका अधिक सही, किन्तु कम आकर्षक, नाम होगा—ग्रामोद्योगोंके माध्यमसे ग्रामीण राष्ट्रीय शिक्षा। 'ग्रामीण' में तथाकथित उच्च अथवा अंग्रेजी शिक्षा शामिल नहीं है। 'राष्ट्रीय' का अर्थ इस समय सत्य और अहिंसा है। और 'ग्रामोद्योगोके माध्यम' का तात्पर्य यह है कि इस योजनावाले लोग अध्यापकोसे अपेक्षा करते है कि वे ग्रामीण बच्चोंको उनके गाँवोंमें ही और इस तरह पढ़ायेंगे कि ऊपरसे लादे गये प्रतिबन्धों और हस्तक्षेपसे मुक्त वातावरणमें किन्ही चुने हुए ग्रामोद्योगों द्वारा उन बच्चोंकी अन्तर्निहित शक्तियोंका समुचित रूपसे विकास किया जा सके। इस तरह विचार करनेपर यह योजना ग्रामीण बच्चोंकी शिक्षाके क्षेत्रमें एक क्रान्ति है। यह किसी भी तरहसे पश्चिमसे आयात की गई चीज नहीं है। यदि पाठकगण इस तथ्यको अपने ध्यानमें रखेंगे तो वे इस योजनाको, जिसे देशके कुछेक बेहतरीन शिक्षाशास्त्रियोंने अपना पूरा ध्यान लगाकर तैयार किया है, ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
बेसिक नेशनल एजुकेशन

१. यह पिछले शीर्षककी ही दूसरी ओर लिखा हुआ है।
२. पत्र अधूरा है।

१३७. पत्र : विजया एन० पटेलको

२८ मई, १९३८

चि० विजया,

मैं आज अ० स०को भेज रहा हूँ। डॉक्टर जैसा कहे तुझे अक्षरशः वैसा करना है। तेरा कर्त्तव्य है कि तू जल्दी ठीक हो जा। मैंने आज नारणभाई और मनुभाईको पत्र लिखे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८५) से। सी० डब्ल्यू० ४५७७ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

१३८. पत्र : अमतुस्सलामको

२८ मई, १९३८

चि० अ० स०,

मुझे तो आराम है। जबतक दाकतर इजाजत न देवे तबतक विजियाको रहना है—६ दिनसे अधिक होगा तो तुमको वापिस बुला लूंगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]
झीनाका जवाब नहीं आया है।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६५९) से।

१३९. पत्र : अमतुस्सलामको

[२८ मई, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० अ० स०,

तुमारा खत मिला। तबीयत नहीं बिगारेगी तो अच्छा ही है। विजीयाको दा० छोडे तब ही लाना। वहां कोई थोडे घंटे रहे तो तुमारे आनेमें कोई हरज नहीं है। विजीयाको भूख लगे तो ही छाछ दी जाये। भणसालीभाई मोटरमें बैठेंगे। इसलिये जब बा आवे तब मोटरमें बिठा दीजीये अथवा मोटरमें लइये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६३१) से।

१४०. पत्र : विजया एन० पटेलको

२९ मई, १९३८

चि० विजया,

मुझे उम्मीद है कि तू आज भी अच्छी होगी। मैं कल अ० स० की बदली करना चाहता हूँ। लीलावतीको भेजनेका इरादा है। तुझे यदि अपनी ओरसे कोई सुझाव देना हो तो देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८६) से। सी० डब्ल्यू० ४५७८ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

१४१. पत्र : अन्नपूर्णाको

सेगांव
२९ मई, १९३८

चि० अन्नपूर्णा,

तेरा पत्र मिला। तुझे कौन-सा वर्ष लगा, यह तो तूने लिखा ही नहीं। और इस तरह तू कितनी सयानी हो गई, यह कैसे कहा जा सकता है? तेरी प्रसादी मिली है। आज मैंने तेरी खादीका ही जांघिया पहना है। तेरी लिखावटमें अभी सुधारकी गुंजाइश है; यों तूने अच्छे अक्षर लिखनेका प्रयत्न तो जरूर किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९४२४) से।

१४२. पत्र : अमतुस्सलामको

२९ मई, १९३८

प्यारी बेटी,[1]

अगर विजीयाको ज्यादा रहना पड़े तब ही लीलावतीको भेजनेकी बात है। अगर कल छुटी मिल जाय तो कुछ करनेका नहीं रहता।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४००) से।

१. ये शब्द उर्दू में लिखे हुए हैं।

१४३. पत्र : कृष्णचन्द्रको

३० मई, १९३८

चि० कृष्णचंद्र,

तुमारा समय-पत्रकमें अब तो कुछ परिवर्तन नहीं करूंगा। बातें कम करो।

शारदाकी पढ़ाईसे तुमको मुक्त रखूगा। मैं तुमको बचाया करुंगा। मुझे ठीक चेतावणी दी।

तुमारा खानेका खर्च तो भले यहांसे निकले। पुस्तकका खर्च बहुत हो जाता है। पुस्तक घरवाले भेजा करें तो अच्छा ही है। क्या हमारे पास जो हैं उससे संतोष नहीं है? महादेवके पास भी पुस्तक रहते हैं। उसे देखो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९२) से।

१४४. तार : अगाथा हैरिसनको[1]

वर्धा

[३१ मई, १९३८][2]

अगाथा हैरिसन
२४०० बैटरसी
२, क्रैनबोर्न कोर्ट
एल्बर्ट ब्रिज रोड, एस० डब्ल्यू० १

निराधार।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५०१) से।

१. यह अगाथा हैरिसनके तारके उत्तरमें था जो इस प्रकार था: "क्या यह अफवाह सत्य है कि आपका शीघ्र ही यहाँ आनेका इरादा है। तार दें।"

२. अगाथा हैरिसन के तारपर अमृतकौर ने यह लिखा हुआ है: "मंगलवार, ३१ मई, १९३८ को ७-३० बजे भेज दिया गया।"

१४५. पत्र : महादेव देसाईको

३१ मई, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र पढ़ा। मेरा पत्र जाने देना। तुमने जो लिखा है सो मैं समझा। मैंने समझनेमें कोई भूल नही की है। मुझे इस समय तो मैं जैसा चाहूँ वैसा करने दो। मैंने जो-कुछ कहना था, उसे अपने मनमें ठीक सोच-समझ लेनेके बाद ही कहा है। "किस्मतसे जिसको राम मिले उसने यह तीन जगह पाई।" इसमे मुझे ईश्वरकी अपार कृपा दीख पड़ती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५९६) से।

१४६. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१ जून, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

तुमारे प्रश्न बिल्कुल ठीक हैं। मेरी दृष्टिमें धर्म यह बताता है कि यदि रिश्तेदार खुशीसे पैसे देना चाहे तो उसका त्याग कर जाहेर [सार्वजनिक] पैसेका उपयोग न किया जाय। अगर वे लोग नाखुश होकर मजबूरन देना चाहें तो न लिया जाय। इसका निर्णय तो तुम ही कर सकते हो। अगर वहांसे कुछ भी मदद नहीं लेनेका धर्म समजा जाय तो तुमारी खाने-पहननेकी और मामुल डाककी खर्चकी व्यवस्था यहांसे की जाय। रही बात पुस्तकोंकी। यदि रुपे-दो रुपेकी ही बात हो तो यहांसे पैसे लेनेमे कोई हरज नही पाता। इस बारेमें मेरी सम्मति लेते रहना अच्छा होगा।

अब तो सब चीज स्पष्ट हो जाती है ना?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९३) से। एम० जी० ६३ से भी।

१४७. पत्र : डॉ० सैयद महमूदको

सेगाँव, वर्धा
२ जून, १९३८

प्रिय सैयद महमूद,

आते-आते तुमने आनेमें बहुत देर कर दी। यदि अब आये तो मैं तुम्हें वे सुविधाएँ भी नहीं दे सकूँगा जो तुम्हें तुम्हारे स्वास्थ्यके खयालसे मिलनी चाहिए। अब तुम बरसात बीत जाने दो।

अशिक्षाके खिलाफ तुम्हारी मुहिम तेजीसे बढ़ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजीसे: सैयद महमूद कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय। जी० एन० ५१११ से भी।

१४८. पत्र : ई० राघवेन्द्र रावको

सेगाँव, वर्धा
२ जून, १९३८

प्रिय राघवेन्द्र राव,

स्पष्टवादिताके साथ लिखे आपके पत्र[1] के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने देखा ही होगा कि आपकी जिन आपत्तियोंमें दम है उनके बारेमें कार्य-समिति पहले ही विचार कर चुकी है। पर, मुझे लगता है, आप कुछ-एक सदस्योंके दोषोंके आधारपर ही एक बड़ी संस्थाके बारेमें अपनी राय बना रहे हैं। कांग्रेसके बारेमें कोई राय विदेशियों द्वारा किये जा रहे शोषणका विरोध करनेकी उसकी क्षमताके आधारपर बनानी चाहिए। और मेरा खयाल है कि इस कसौटीपर तो कांग्रेस मन्त्री-मण्डल भी खरा ही उतरेगा। मैं तो कहूँगा कि आप पुनः कांग्रेसमें आ जायें और आपको इसमें जहाँ-कहीं दोष दिखे, उसे दूर करनेमें अपना पूरा जोर लगा दें।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मध्यप्रदेश और गांधीजी, पृ० १३१-३२ की अंग्रेजीकी प्रतिकृति से।

१. देखिए "एक आलोचना", पृ० १३९-४१।

२. देखिए "पत्र : ई० राघवेन्द्ररावको", पृ० १२६-२७।

१४९. आश्रमवासियोंके लिए[1]

[२ जून, १९३८][2]

. . . इनके अतिरिक्त कल मुझे यह बात दीपकके प्रकाशके समान स्पष्ट हो गई कि मैंने जो छूट ली थी वह छूट, मेरे जीवन-कालमें, मेरे साथी कार्यकर्ता न ले —यह पाबन्दी जो मैंने लगाई थी वह बहुत दोषपूर्ण थी। मुझे समझमें नहीं आता कि मैंने इतने वर्षोंतक इस चीजको कैसे चलने दिया? मुझे लगता है कि मैंने जो यह पाबन्दी लगाई उसके मूलमें मेरा अभिमान था, द्वेष था। यदि मेरा प्रयोग बहुत खतरनाक था तो मुझे वह प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और यदि वह करने लायक था तो मुझे अपनी शर्तोंके अनुसार अपने सभी साथियोंको भी उक्त प्रयोग करनेके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था। मेरा प्रयोग ब्रह्मचर्यकी सर्वमान्य मर्यादाओं का उल्लंघन था। और ऐसा करनेका अधिकार तो शुकदेवजी-जैसे मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों कालमें निर्विकार रहनेवाले मुनिको ही हो सकता है। इस तरह विचार करते-करते मैं कल उपरोक्त निर्णयपर पहुँचा।

डाह्याभाई और अन्य लोगोंको साबरमतीमें जो कड़वे अनुभव हुए, उनका जिम्मेदार मेरा यह प्रयोग था, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे कितने अनाचारोंके लिए मेरा आचरण जिम्मेदार होगा, यह कौन कह सकता है?

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ८११) से; सौजन्य: बालकृष्ण भावे।

१५०. पत्र: लीलावती आसरको

३ जून, १९३८

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। धीरे-धीरे सब समझमें आ जायेगा। अभी तो धीरज रखना।

वहाँसे जल्दी मत भागना। जबतक दुर्गा बिलकुल स्वस्थ न हो जाये, तबतक रहना। यहाँ कंचन सब काम ठीक चला रही है। रोटी भी ठीक बनाती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३७२) से। सी० डब्ल्यू० ६६४७ से भी; सौजन्य: लीलावती आसर।

१. गांधीजी द्वारा १९३८ में आश्रमवासियों को प्रेषित एक गोपनीय परिपत्र का अंश, जिसे बालकृष्ण भावेने गांधीजी के नाम ५-९-१९४४ के अपने पत्रमें उद्धृत किया था।

२. देखिए "पत्र: छगनलाल जोशीको", पृ० १५०-५१।

१५१. पत्र : विपिन डी० पटेलको[1]

सेगाँव, वर्धा
३ जून, १९३८

चि० बाबा,

तेरा पत्र आज ही मिला। यह तेरी कौन-सी वर्षगाँठ होगी? यह लिखना तू क्यों भूल गया? और जो कोई आशीर्वाद माँगता है, क्या वह बदलेमें कुछ देता नहीं? तू क्या देगा? नये सालमें तू कौन-सी नयी चीज करेगा?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहन पटेलने, पृ० १६२

१५२. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

सेगाँव
४ जून, १९३८

चि० मुन्नालाल,

शुकदेवजी मेरे आदर्श हैं, इस कथनका अर्थ यह नहीं है कि मेरा मुँह उन-जैसा होना चाहिए या मुझे उनकी तरह सोना, बैठना या खाना चाहिए और उनकी तरह हिमालय चले जाना चाहिए। इसका अर्थ इतना ही है कि मेरा ब्रह्मचर्य उनकी कोटिका होना चाहिए। और यदि तुम ऐसा कहो कि संसारमें रहकर सेवा करनेवालेका यह आदर्श नहीं हो सकता या कि ऐसा व्यक्ति उक्त आदर्शतक पहुँच नहीं सकता, तो फिर शुकदेवजी-जैसे ब्रह्मचर्यकी कोई कीमत नहीं रह जाती। पूर्ण ब्रह्मचारी की अविकारिता चाहे जैसी स्थितिमें टिक सकनी चाहिए। यदि तुम ऐसा कहो कि ऐसी अविकारिताको किसी मनुष्यने आजतक प्राप्त ही नहीं किया और प्राप्त कर भी नहीं सकता, तो यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्यकी सिद्धिका प्रयत्न हमें छोड़ देना चाहिए। और यदि यह सही हो तो फिर पूर्ण अहिंसाको भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

अपने अनुभव[2] से मैं चौंका हूँ या चौंका था, उसका कारण यह था कि मेरी समझमें नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अब बात समझमें आ गई

१. वल्लभभाई पटेल के पौत्र।
२. देखिए "पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको" पृ० ६५-६६।

है इसलिए डरका कारण नहीं रह जाता। बात समझमें आ गई है, यह कहनेमें ऐसा कोई आशय नहीं है कि मुझे जो कड़वा अनुभव हुआ उसका एक कारण या एकमात्र कारण स्त्रियोंका स्पर्श था। किन्तु यह तो मुझे दिनके प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो गया है कि जो बात मैं दूसरोंमें सहनेके लिए तैयार नहीं था, वह मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी। अब चूंकि मैंने इस आदतका त्याग कर दिया है, इसलिए पता चल जायेगा कि मेरी प्रगतिको स्त्रियोंका स्पर्श ही रोक रहा था या कोई और कारण था। इसलिए स्पर्श-त्यागके इस प्रयोगकी पूरी परीक्षा करनेके लिए फिलहाल तो स्पर्शका पूरा-पूरा त्याग चलते ही रहना चाहिए। इसमें कम या ज्यादाका सवाल नहीं उठता।

आशा है, इतनेसे तुम सब समझ जाओगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५७४) से। सी० डब्ल्यू० ७०२८ से भी; सौजन्य : मुन्नालाल जी० शाह।

१५३. पत्र : मणिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
५ जून, १९३८

दुबारा नहीं पढ़ा

चि० मणिलाल,

तू बुधवारको रवाना हो जायेगा। तू आया सही, किन्तु मुझे तो ऐसा लगता है कि तू बिना आये ही चला गया। बातचीत तो काफी हुई लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि सावकाश हुई। अवकाश-जैसी चीज ही अब मेरे पास नहीं रह गई है। जो भी निर्णय करो धीरजसे करना। 'इंडियन ओपिनियन' को चला सको तो चलाना। चलानेका जो अर्थ मैंने बताया है उसे याद रखना। विज्ञापन लेकर पत्र चलानेको मैं चलाना नहीं कहता। इसका मतलब यह नहीं कि तुझे विज्ञापन लेना बन्द कर देना चाहिए। लेकिन यदि कोई पत्र विज्ञापनोंके ही बलपर चलता है तो यह स्थिति उस पत्रके लिए दयनीय ही कही जायेगी। विज्ञापन नफा बढ़ानेके लिए या चन्देकी राशि कम करनेके लिए लिये जाते हैं। ऐसे अखबार भी निकलते हैं जिनका मूल्य केवल एक पैसा होता है लेकिन उस एक पैसेमें तो उनके कागजका खर्च भी वसूल नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें विज्ञापन मिलते हैं। इसलिए नाममात्र चन्दा लेकर उन्हें लाखों व्यक्तियोंतक पहुँचाना सम्भव हो जाता है। यदि विज्ञापन लेनेकी नीति स्वीकार की जाये तो इस तरह उन विज्ञापनोंका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। अतः तेरे लिए तो उत्तम मार्ग यही होगा कि जितने ग्राहक बनने

वाले हों, उनकी संख्याका भाग खर्चकी राशिमें देनेसे जो अंक आये, उसके अनुसार चन्दा पेहलेसे ही निश्चित कर दिया जाये। यदि उस चन्देमें पर्याप्त ग्राहक न मिलें तो ऐसा समझना कि 'इंडियन ओपिनियन' बन्द होना चाहिए। फिर क्या करना है यह तू जानता ही है। पैसा कमाना हो तो वही स्थिर हो जाओ। इसमें मैं कोई दोष नहीं मानता। और यदि स्वदेश वापस आना हो तो जितना मिले उससे सन्तोष मानते हुए सेवापरायण जीवन बितानेका निश्चय करना। यह सब तो मेरी सलाह है; करना तू वही जो तुझे ठीक लगे।

केलनबैकके साथ मिठाससे बातचीत करना।

सुशीला और बच्चोंकी चिन्ता साथ लेकर न जाना। विजयालक्ष्मी और नाना-भाई तो हैं ही। इसके सिवा, उन्हें अकोलामें जितना रहना होगा उतना रहेंगे, बादमें यहाँ आ जायेंगे। यह भी याद रखना कि बच्चे यहाँ भारतके वातावरणसे जो अनायास ही सीख सकते हैं, वह वे विदेशमें प्रयत्न करके भी नहीं पा सकते। इसलिए बालकोंकी शिक्षाके विषयमें चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। सुशीलाको सेगाँव जल्दी ही आना होगा। कारण, अक्तूबरमें तो मैं बहुत करके सीमा-प्रान्तमें रहूँगा। और वहाँ कितना समय लग जायेगा, यह कहा नहीं जा सकता। मेरी तबीयत ठीक है। प्यारेलाल और सुशीला अभी तो दिल्लीमें हैं। शायद, कुछ ही दिनोंमें आ जायें। पत्र लिखनेमें आलस्य न करना।

मेरा सन्देश[1] यदि अभी गया नहीं है तो इस पत्रके साथ ही जायेगा। यह रामदासको देना। साथका पत्र[2] रामदासके लिए है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७१) से।

१५४. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको

५ जून, १९३८

चि० प्रेमा,

कैसी मूर्ख है तू? 'मुझे प्रति माह पाँच रुपये चाहिए; भेजिए"[3]—इतना-सा लिखनेकी जरूरत थी; उसके बजाय तूने कितना बड़ा पत्र लिख भेजा है। अब बता कैसे भेजूं? मनीआर्डरसे भेजूं या जैसे मुझे ठीक लगे वैसे? प्रति माह भेजता जाऊँ या तीन-चार माहका इकट्ठा?

१. देखिए, "सन्देश: दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों के लिए", पृ० १२३।

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

३. प्रेमाबहन ने अपने निजी खर्च के लिए पाँच रुपये माँगे थे।

और कुछ लिखनेके लिए समय नहीं है। तेरा पत्र फाड़ दिया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३९४) से। सी० डब्ल्यू० ६८३३ से भी; सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक।

१५५. पत्र: मणिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
[६ जून, १९३८][1]

चि० मणिलाल,

कल कानमके लिए पत्र रखना भूल गया। उसे भेजता हूँ। सन्देश[2] भी भेज रहा हूँ। मैं तो भूला ही जा रहा था।

तुम मेरी चिन्ता मत करना। वियोगका दुःख तो अवश्य होता है, लेकिन उसे सह लेना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७४) से।

१५६. सन्देश: दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए

सेगांव
६ जून, १९३८

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ। स्वार्थका त्याग किये बिना हम कभी भी दक्षिण आफ्रिकामें आत्मसम्मानपूर्वक नहीं रह सकेंगे। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, मद्रासी, गुजराती या पंजाबी जैसे भेद तो होने ही नहीं चाहिए।

मो० क० गांधी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७२) से।

१ और २. देखिए अगला शीर्षक।

१५७. सेगाँवके कार्यकर्ताओंके लिए

६ जून, १९३८

इसमें लिखा जाय उसे व्यवस्थापक लिख लें और दूसरोंको सुना देवें। यह पोथी हमेशा मेरे सामने रहनी चाहिये।

*　　　*　　　*

मुझे पूछा गया है यहा किसी बारेमें कुछ नियम है क्या? है, क्योंकि जब साबरमति आश्रम बंध किया तब मैंने बताया कि हम सब जंगम आश्रम बनते हैं और कहां भी जांय, आश्रम-जीवन और उसके नियम साथ लेकर चलते हैं। ईसीलिये प्रार्थना इ० ज्यों-की-त्यों कायम है, उठनेका समय भी कायम रहा है। अवश्य संजोग-वशात्। सिद्धांतों को छोड़कर दूसरी बातोंमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि यहा किया है। हम जान-बूझकर हरिजन नोकरोके रखते हैं। क्योकि उसमें उनकी सेवाकी भावना है। लेकिन यद्यपि नोकर रखते हैं तो भी उनको हमारे तो हमारे भाई समझ-कर उनसे वर्ताव करना है।

*　　　*　　　*

इसलिये जो कार्य मजदुरीका भी हम कर सकते है वह हम ही करें, जो हमसे न हो सके सो हम दूसरे साथीके मार्फत करावे। उनसे भी न हो सके वही हरिजनों से लेवे।

सी० डब्ल्यू० ४६७४ से। जी० एन० ६८६६ से भी।

१५८. पत्र : अतुलानन्द चक्रवर्तीको

सेगाँव, वर्धा
८ जून, १९३८

प्रिय अतुलानन्द,

२० मईके आपके पत्रका जवाब मैं इससे पहले न दे सका। आपका २२ अप्रैलका पत्र तो मैं आज ही देख पाया हूँ। विलम्बका कारण आप जानते ही हैं।

'वर्ष-कोष' (इयर-बुक) के बारेमें आपको सुभाष बाबू जैसा कहें वैसा करना है। मेरा पहल करना ठीक नहीं होगा और मुझे नहीं ही करनी चाहिए। मैं निमन्त्रण नहीं भेज सकता। यह काम कांग्रेसको करना है। मैंने तो यह कहा था कि सही विवरणोंसे युक्त 'वर्ष-कोष' एक सच्ची आवश्यकताकी पूर्ति करेगा।

यह किसी एक व्यक्तिका काम नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस यह काम आपको सौंपे तो आप सम्पादकके रूपमें इसकी जिम्मेदारी अपने सिर ले सकते हैं।

इस बातकी मुझे खुशी है कि आपने मासिक पत्रिकाका खयाल छोड़ दिया है। आशा है, आपकी बेटी अब पूरी तरह भली-चंगी हो गई होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १४७९)से; सौजन्य : अ० कु० सेन।

१५९. पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको

सेगाँव, वर्धा
९ जून, १९३८

प्रिय ख्वाजा साहब,

इसी १ तारीखके आपके पत्रके लिए आभारी हूँ। अगर आप मेरे पिछले महीनेकी २७ तारीखके पत्रको एक बार फिर देखनेका कष्ट करें तो समझ जायेंगे कि जिस वाक्यमें और गहरी प्रतीति करानेकी बात कही गई है उसका बिलकुल गलत अर्थ लगाया गया है। आप यह भी समझ जायेंगे कि उसका अर्थ वह नहीं है जो आपने लगाया है। सन्दर्भसे यह बात स्पष्ट है कि सरकार द्वारा सुझाये समाधान[1] की और बारीकीसे जाँच करनेपर अगर वह मुझे स्वीकार्य लगता है, तो मैं कैदियोंको भी इस बातकी प्रतीति करवाना चाहूँगा कि उनके द्वारा उसका स्वीकार किया जाना वाछनीय है। अधिक बारीकीसे जाँच करनेके लिए मुझे और सामग्री चाहिए। अभी पर्याप्त सामग्री सुलभ नहीं है और आपसे तथा अन्य स्रोतोंसे मैं उसी की माँग कर रहा हूँ। मैं या शरत बाबू अथवा सुभाष बाबू कैदियोंसे मिलें, इससे पहले अगर हम तीनों इस निष्कर्षपर पहुँच जाते हैं कि सरकारका प्रस्ताव ठीक है, तो जहाँतक मेरी बात है, मैं तो उसपर दृढ रहूँगा, भले ही उसपर कैदियोंकी सहमति प्राप्त न कर सकूँ। हाँ, अगर मुझे वे यह समझा दें कि मेरा सोचना गलत है तो बात और है। लेकिन आपको यह बता दूँ कि सरकार द्वारा सुझाये समाधानका मैं जितनी ज्यादा बारीकीसे अध्ययन करता हूँ, उसके कारगर होनेमें मेरा विश्वास उतना ही हिलता जाता है। स्वाभाविक है कि मैं हर समाधानको उसी कसौटीपर आँकूँ जो मैंने अपने मार्ग-दर्शनके लिए चुनी है और जिसके आधारपर मैंने कलकत्तासे

१. राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के लिए देखिए परिशिष्ट २।

चलनेसे पहले आपके सामने अपनी मान्यताएँ पेश की थीं। प्रत्येक कैदीको एक सालके अन्दर या लगभग इतने ही समयमे रिहा करवानेका लक्ष्य किस युक्तिसे या किस साधनके जरिये पूरा होता है, इसकी परवाह मैं नहीं करता।

अब नजरबन्दों और राजबन्दियोंके सम्बन्धमें मुझे वह अनुच्छेद याद है जिसका जिक्र आपने अपने १७ अप्रैलके पत्रमें किया है। वह बात, आप अबतक जो-कुछ कहते आये थे, उसके सन्दर्भमें मुझे नई तो जरूर लगी थी, लेकिन उसपर कोई आपत्ति मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे आशा थी कि कैदियोकी समस्याका समाधान जल्दी ही हो जायेगा। आपको यह याद दिलानेकी धृष्टता करूँगा कि बातचीत के आरम्भमे ही इस बातपर सहमति हो गई थी कि नजरबन्दों और बिना मुकदमा चलाये जेलोंमें भेजे गये लोगोंके मामलेपर उन लोगोंके मामलेसे अलग विचार किया जायेगा जिन्हें मुकदमेमें दोषी पाये जानेके बाद कारावास दिया गया है। यदि नजरबन्दों और राजबन्दियोंकी रिहाईको मुकदमेमें दोषी पाये गये कैदियोके प्रश्नके सर्वसम्मत समाधानके साथ जोड़ दिया जाता है, तो मेरे विचारसे यह एक गम्भीर अन्याय होगा।

और क्या मैं आपको यह भी याद दिला दूँ कि नजरबन्दोंसे सम्बन्धित नीतिकी घोषणा तो आपने पहले ही कर दी है। इसलिए यदि दोषी पाये गये कैदियोंकी रिहाईके लिए चल रही वार्ताकी सम्भावित विफलताके कारण नजरबन्दो और राजबन्दियोंकी रिहाईमें देर की जाती है या इस प्रश्नको आगेके लिए टाल दिया जाता है, तो यह बड़े दुःखकी बात होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९९२७)से।

१६०. पत्र : ई० राघवेन्द्र रावको

सेगाँव, वर्धा
१० जून, १९३८

प्रिय राघवेन्द्र राव,

इसी महीनेकी ६ तारीखका आपका पत्र मिला। महादेव आपको पहले ही लिख चुका है कि आप अपने पहले पत्र[1] की नकल भेज दें। आपका नाम किसी भी तरह प्रकाशित किये बिना मैं इस सम्बन्धमें कुछ करना चाहता हूँ।[2] फिलहाल तो मैं

१. देखिए "पत्र: ई० राघवेन्द्र रावको", पृ० ११८ भी।
२. देखिए "एक आलोचना", पृ० १३९-४१।

आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने निष्कर्षोंके समर्थनमें तथ्य और आंकड़े भेजने चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मध्य प्रदेश और गांधीजी, पृ० १३० पर प्रकाशित अंग्रेजी की प्रतिकृतिसे

१६१. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१० जून, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

भले बहिने रहे तो भी एक भाई मेरे साथ होना ही चाहिये। टेका लुं या न लुं यह प्रश्न नहिं हैं। न लेनेका प्रयोग कर रहा हूं। कब लेना पडे सो कैसे कहा जाय?

मालीशके बारेमें देखता हूं सुशीलाबहेन तो प्रत्येक नस और स्नायुको पहचानती है इसी कारण वह भी जल्दी मालीश छोडनेकी हिम्मत नहीं रखती है। देखा जायगा, तुमारे कनुको मालीश करके सीख लेना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९४)से; एस० जी० ६४ से भी।

१६२. व्यावसायिक शिक्षापर व्यक्त किये गये कुछ विचार[1]

[११ जून, १९३८ से पूर्व]

मेरे दक्षिण आफ्रिकासे लौटनेपर बहुत-से विद्यार्थी मुझसे मिलने आये थे। उनसे हुई बातचीतसे मुझे पता चला कि आधुनिक शिक्षा किस प्रकार विफल हो गई है। तभीसे मुझे इस क्षेत्रमें भारी परिवर्तन करनेकी जरूरत महसूस होती रही है। अतः, मैंने आश्रम-शालामें दस्तकारीका प्रशिक्षण आरम्भ करवा कर इस दिशामें कदम उठाया। सच तो यह है कि शारीरिक श्रम और प्रशिक्षणपर बहुत अधिक जोर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि विद्यार्थी शीघ्र ही इस प्रशिक्षणसे ऊब गये और सोचने लगे

१. महादेव देसाई के "एजुकेशन थ्रू वोकेशन — ए सिंथेसिस" (धन्धों के माध्यम से शिक्षा — एक संश्लेषण) शीर्षक लेखसे उद्धृत। लेखक ने यह नहीं बताया है कि गांधीजी ने ये बातें कब और कहाँ कही थीं।

कि हमें तो साहित्यिक शिक्षासे वंचित रखा जा रहा है। उनका यह खयाल गलत था, क्योंकि उन्हे जो थोड़ा-बहुत लाभ हुआ था वह, परम्परागत ढंगपर चलाई जानेवाली पाठशालाओंके विद्यार्थी जितना-कुछ जान-सीख पाते हैं, उससे अधिक ही था। मगर इससे मैं इस विषयपर अधिक विचार करनेको प्रेरित हुआ। अन्तमें, मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि जरूरत धन्धों और साहित्यिक शिक्षाकी नही, बल्कि धन्धोंकी शिक्षाके माध्यमसे साहित्यिक शिक्षा देनेकी है। इसे अपना लेनेसे व्यावसायिक शिक्षाका मतलब रोज-रोज उबानेवाली मशक्कत करते रहना नही रह जायेगा और साहित्यिक शिक्षामें भी एक नये विषयका समावेश होगा, उसमें एक नई उपयोगिता आ जायेगी। जब कांग्रेसने मन्त्रीमण्डलीय और संसदीय पद स्वीकार कर लिये, तो मैंने सहज प्रेरणासे यह विचार उसके सामने रखा और मुझे इस बातकी बड़ी खुशी है कि कई क्षेत्रोंमें लोगोंने उसका स्वागत भी किया।

हमने अंग्रेजीको स्थान न देनका निश्चय किया, क्योंकि हमें मालूम था कि बच्चोंका ज्यादातर समय अंग्रेजी शब्दों और मुहावरोको रटनेमें ही निकल जाता है, और इतनेपर भी न तो वे सीखी बातोको अपनी अंग्रेजीमें व्यक्त कर सकते हैं और न शिक्षकका पढ़ाना ही ठीक तरहसे समझ सकते हैं। दूसरी ओर, अपनी भाषाकी उपेक्षा करनेके कारण वे उसे भी भूल जाते हैं। इन दोनों बुराइयोंसे बचनेका एकमात्र उपाय व्यावसायिक प्रशिक्षणके माध्यमसे शिक्षा देना ही जान पड़ा।

बच्चोंकी योग्यताका — अर्थात् वे कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं या नही, उन्हें भूगोलका कोई ज्ञान है अथवा नहीं, इस सबका — पता करके मैं पहले दिनसे ही इस दिशामें शुरूआत कर देनेके पक्षमें हूँ। बस, उनकी योग्यताको परखा और तकलीसे उनका परिचय कराकर उसकी वृद्धिके लिए प्रयत्न शुरू कर दिया।

अब इसपर आप पूछ सकते हैं कि और भी तो बहुत-सी दस्तकारियाँ हैं, फिर आपने तकलीको ही क्यों चुना। मेरा जवाब होगा — तकली उन दस्तकारियोंमें से है जिन्हें हमने सबसे पहले सीखा और इतने युगोंके बाद आज भी यह हमारे बीच जीवित है। आरम्भिक युगोंमे हमारे सभी कपड़े तकलीपर काते सूतसे ही तैयार होते थे। चरखा बादमें आया, लेकिन चरखेके आ जानेके बाद भी बहुत बारीक सूत कातनेके लिए तकलीका ही सहारा लेना पड़ता था, क्योकि चरखेपर वैसा सूत नहीं काता जा सकता था। तकलीका आविष्कार करनेमें मनुष्यकी खोजकी प्रतिभाने एक नई ऊँचाई छू ली। उँगलियोंकी कुशलताका सबसे अच्छा उपयोग शुरू हो गया। लेकिन तकलीका प्रयोग ऐसे दस्तकार ही करते थे जिन्हें कभी शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए उसका उपयोग बन्द हो गया। यदि हम इसे इसके पूरे गौरवके साथ पुनः जीवनदान देना चाहते हैं, यदि हम ग्राम-जीवनका जीर्णोद्धार करना चाहते है तो हमें बच्चोंकी शिक्षा तकलीसे ही शुरू करनी चाहिए। इसलिए तकली चलाना सिखानेके बाद मैं बच्चोंको यह बताना चाहूँगा कि हमारे नित्यके जीवनमें तकलीका क्या स्थान था। फिर, मैं उन्हें इसका छोटा-सा इतिहास बताऊँगा और यह समझाऊँगा कि इस दस्तकारीका ह्रास कैसे हुआ। इसके बाद आयेगा भारतके इतिहासका एक संक्षिप्त

पाठ्यक्रम। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कम्पनीसे, या उससे भी पहले मुस्लिम शासन-कालसे होनी चाहिए। उसमें उन्हें उस शोषणका वृत्तान्त बताया जाना चाहिए जो ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सबसे बड़ी पूंजी था। उन्हें यह समझाना चाहिए कि किस प्रकार सुनियोजित ढंगसे हमारी इस मुख्य दस्तकारीका गला घोटकर अन्तमें इसे समाप्त ही कर दिया गया। इसके बाद थोड़ी-सी यान्त्रिक शिक्षा दी जायेगी — तकली बनानेके कौशलकी शिक्षा। निश्चय ही आरम्भमें तकली मिट्टीके या आटेके भी छोटे-से गोले और बाँसकी कमानीसे बनाई जाती होगी — कमानीको गीले गोले के बीचोंबीच घुसेड़ दिया और फिर उस गोलेको सुखा लिया। आज भी बंगाल और बिहारके कुछ क्षेत्रोंमें इस तरहसे तकली बनाई जाती है। बादमें कच्ची मिट्टीके गोलेके स्थानपर ईंट-खपड़ेके गोल टुकड़ेका प्रयोग होने लगा। अब हमारे समयमें तो ईंट खपड़ेके गोल टुकड़ेका स्थान लोहे, इस्पात या पीतलकी गोल चक्रीने ले लिया है और बाँसकी कमानीके बदले लोहेके तारका प्रयोग किया जाने लगा है। अब यहाँ भी चक्री और तारके आकारपर — उनका जो आकार है वही क्यों है, उससे कम या अधिक क्यों नही है, इस विषयपर — विचार और विवेचन लाभदायक हो सकता है। इस सबके बाद कपास, उसकी किस्मों, उन किस्मोंके मूल उत्पादनस्थानों, कपास पैदा करनेवाले देशों और भारतके कपास पैदा करनेवाले प्रदेशो आदि के सम्बन्धमें कुछ व्याख्यान होने चाहिए। फिर, उसकी खेतीका ज्ञान, उसके लिए उपयुक्त सबसे अच्छी मिट्टीकी जानकारी, आदि भी आवश्यक है। इसके लिए हमें थोड़ी खेती भी करनी पड़ेगी।

इस तरह आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियोंको शिक्षक ये तमाम बातें तभी बता सकता है जब उसने खुद इन विषयोंका काफी ज्ञान प्राप्त करके उसे आत्मसात् कर लिया हो। काते हुए सूतकी लम्बाई मापने, उसके अंकका पता करने, लच्छियाँ बनाने, बुनकरके पास भेजनेके लिए उसे तैयार करने, किस प्रकारकी बनावटका कपड़ा तैयार करनेमें कितने ताने और कितने बाने होने चाहिए, यह तय करने आदिमें पूरा प्रारम्भिक गणित सीखा जा सकता है। कपास उगानेसे लेकर कपड़ा तैयार करने तककी क्रियाओंमें — अर्थात् कपास चुनने, लोढ़ने, धुनकने, कातने, सूतमें माँड़ देने, बुनने आदिमें — यन्त्रशास्त्र, इतिहास और गणितके कुछ-न-कुछ तत्त्व है ही और इन क्रियाओंको करते हुए इन सबका भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि बच्चोंको जो दस्तकारी सिखाई जाये उसीके माध्यमसे उसे शरीर, मन और आत्मा तीनोंकी शिक्षा दी जाये। इस दस्तकारीकी सभी क्रियाएँ सिखाते हुए शिक्षकको, बच्चोंमें जो भी गुण हैं, उन सबको प्रकाशमें ले आना है। बच्चोंको इतिहास, भूगोल, गणित आदिके जो भी पाठ सिखाने हैं, सभी इसी दस्तकारीसे सम्बद्ध होंगे।

यदि ऐसी शिक्षा दी जाये तो उसका सीधा परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा स्वावलम्बी होगी। लेकिन इसकी सफलताकी कसौटी इसका स्वावलम्बी रूप नहीं, बल्कि यह है कि इस दस्तकारीकी शास्त्रीय ढंगसे शिक्षाके फलस्वरूप बच्चोंके अन्दर

विद्यमान सम्पूर्ण मानव प्रकाशमें आता है या नही। सच तो यह है कि जो शिक्षक इस शिक्षाको चाहे जिस परिस्थितिमें स्वावलम्बी बनानेका वचन देगा, उसे रखनेसे मैं इनकार कर दूंगा। इसका स्वावलम्बी होना तो इस बातका एक सहज फलित परिणाम होगा कि विद्यार्थीने अपनी सभी शक्तियोंका उपयोग करना सीख लिया है। यदि कोई लड़का प्रति-दिन तीन घंटे दस्तकारीका कोई काम करके अपनी आजीविकाके लायक कमा सकता है, तो ज़रा सोचिये कि अगर वह इस कामके साथ-साथ मन और आत्माका विकास भी साधता चले तो उसको कितना अधिक लाभ होगा!

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-६-१९३८

१६३. पत्र : जमनालाल बजाजको

सेगाँव, वर्धा
११ जून, १९३८

चि० जमनालाल,

महादेवके नाम तुम्हारा पत्र[1] देखा। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कदम उस व्यथाको, थोड़े-बहुत अंशमें ही क्यों न हो, कम करने में सहायक बने। मैंने अखबारोंके लिए अंग्रेजीमें एक लेख[2] लिख तो रखा है, पर अभी छपवाया नही। तुम्हारा सुझाव विचारणीय तो है ही। मेरे स्वभावके अनुकूल दूसरी वस्तु है। ऐसी बातें जब मैं प्रकट करता हूँ, तभी मुझे अधिक शान्ति मिलती है। तुम्हारे पत्रमें जो भय प्रकट किया गया है, उसमें व्यावहारिक दृष्टि है। विचार-पूर्वक और धर्म समझकर जो कदम मैं उठाऊँ, उसपर दृढ़ रहनेकी शक्ति मैं खो बैठा हूँ, ऐसा मुझे नही लगता। फिर भी छपवानेकी जल्दी नहीं करूँगा। वह स्थगित रहा तो भी जो लोग गुजराती नही समझते, उनके लिए तो गुजराती-जैसा वक्तव्य अंग्रेजी में होना ही चाहिए।

१. पत्र उपलब्ध नहीं है। गांधीजी को सैर के लिए जाते समय लड़कियों के कन्धोंपर हाथ रखकर चलने की जो आदत थी और उन्होंने उसका त्याग कर देने का जो निर्णय किया था, उसको लेकर कुछ आश्रमवासियों ने कुछ अनुचित टीका-टिप्पणी की थी, अपने पत्र में जमनालालजी ने उसीकी चर्चा की थी।

२. गांधीजी ने अपने निर्णय के बारे में *हरिजन* में प्रकाशनार्थ एक लेख लिखा था। लेकिन चूँकि कुछ आश्रमवासियों को इस बातपर आपत्ति थी कि गांधीजी अपने इस निर्णयको खुले आम चर्चा करें, इसलिए वह लेख कभी प्रकाशित नहीं किया गया।

सावित्री[1] के पुत्र-जन्मका समाचार कल गोवर्धनदासके द्वारा मिल गया था। लक्ष्मणप्रसाद[2] को पत्र[3] लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९३) से।

१६४. पत्र : बलवन्तसिंहको

सेगाँव
११ जून, १९३८

चि० बलवंतसिंह,

तुमारा पत्र बहुत ही अच्छा है, निर्मल है। और तुमारी सब शंका उचित है। भय भी स्थानपर है। और सावधानी आवकारदायक [स्वागत-योग्य] है।

१९३५ की प्रतिज्ञा[4] लिखी गई है अंग्रेजीमें। गुजराती अथवा हिंदी अनुवाद मैंने पढा नहिं था। मूल अंग्रेजीका अर्थ यह है कि बहनोके कंधेपे हाथ रखनेका महावरा मैंने कर रखा है उसका मैं त्याग करता हुं। उस वक्त भी मैंने उसमें कुछ दोष महसुस नहिं किया। न अब करता हूं। लेकिन लोकसंग्रहकी दृष्टिसे उसका त्याग किया। मेरे दिलमें कहिं यह अर्थ नहिं था कि मैं कभी किसी लड़कीके कंधेपर हाथ नहिं रखुंगा। मुझे खयाल नहिं है कि सेगाँवमें कंधों पर हाथ रखनेका मैंने किस लड़कीसे शुरू किया। लेकिन मुझे इतना ख्याल है कि मुझको ३५ की प्रतिज्ञाका पूरा स्मरण था और ये स्मरण होते हुए मैंने उस लड़कीके कंधों पर हाथ रखा। हो सकता है कि उस लड़कीके आग्रहको मैं रोक न सका अथवा मुझे उसके कंधेके टेकेका दरकार था। ऐसा तो मैं कैसे कह सकता कि दुर्बलताके कारण ही मैंने सहारा लिया और अगर ऐसा ही था तो मैंने प्रतिज्ञाके कायम रखनेके लिये किसी भाईका सहारा ले सकता था, लेकिन मेरी प्रतिज्ञाका ऐसा व्यापक अर्थ था नहिं। मैंने कभी किया नहीं। पहले से ही जैसे बा का ऐसे ही सुशीलाबहनका मैंने अपवाद मान रखा है। इसमें भी मेरी कोमलता काम कर रही है। मेरेसे बन सके तो मैं इन दोनों स्पर्श का भी त्याग करना चाहता हुं। लेकिन जब तक इन स्पर्शोंको मैं पापकर्म नहिं समझता हुं तब तक अति दुःख देकर त्याग करना नहिं चाहता हुं। यहाकी लड़कियोके साथ भी काफी बहस करनेके बाद कुछ हंसाकर कुछ खुशामत करके मैंने निर्णय किया। बा को मैंने काफी दुःख दिया है। अभी भी कोई-कोई बार दे देता हूं। बा को अधिक

१. जमनालाल बजाज की पुत्रवधू।
२. सावित्री के पिता।
३. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
४. देखिए खण्ड ६१, "आत्मत्याग", पृ० ४७०-७२।

दु:ख देनकी हिंमत मेरेमें नहीं रही। न इच्छा भी है। सुशीला बाल ब्रह्मचारिणी है। ऐसे ही रहना चाहती है। लेकिन बचपनसे ही ब्रह्मचर्यमें निर्दोष पुरुष स्पर्शके त्यागको उसने स्थान नहि दिया है। प्यारेलाल भी ब्रह्मचारी है। मेरे पास आनेमें ये भी उसका कारण रहा है कि मेरे ब्रह्मचर्यमें निर्दोष स्त्री-स्पर्शका त्यागको स्थान नहि है। और मुझको एक हदतक सफलता भी मिली है। एक वख्त सुशीलाकी सब सेवाका त्याग करनेका मैंने इरादा किया। लेकिन फिर भी मेरी कोमलताने मेरे इरादेको बारा घंटेमें शांत कर दिया। प्रभावतीका मूर्छित हो जाना और सुशीलाके रूदनकी मेरेसे बरदास्त न हो सकी, न मैं करना चाहता था। मेरे त्यागका सबसे बड़ा आघात इन भाई-बहनोंको हुआ है और इसी कारन मैंने उनको तार देकर बुलाये। अब मैं मेरे कार्यमें उनका हार्दिक साथ चाहता हु। स्नानघरमें जब मैं नंगे बदन स्नान करता था तब सुशीला आई है। जब ओ हाजर नहि रही है तब बा, अथवा प्रभावती अथवा लीलावती आई है। इसमें मैंने कुछ दोष नहीं पाया है। मेरे साथ किसीका रहना उसके वख्त जरूरी था, किसी भाईको मैं बुला सकता था। प्यारेलाल कई दफा आया है। लेकिन मुझको किसी स्त्रीके मुझे नंगे बदन देखनेमें संकोच नहीं हुआ है। ऐसा व्यवहार उसी स्त्रीको मैं करने दु जिसके बारेमें मेरे साथके संबंधमें कुछ भी शंकाको स्थान न हो।

अब रही अमलकी बात। मैंने मेरे निर्ण[य] का अमल शुरू किया उसके बाद ही भाष्य चला। प्रथम भाष्यमें जो अमल तिन-चार दिनके बाद करनेकी बात थी उसको मैंने दूसरे ही दिन शुरू कर दिया। जहा तक मेरी निर्विकारता अधुरी रहेगी वहां तक भाष्यको होना ही है। शायद वह आवश्यक भी है। संपूर्ण ज्ञान मौनसे ज्यादा प्रगट होता है, क्योंकि भाषा कभी पूर्ण विचारको प्रगट नही कर सकती। अज्ञान विचारकी निरंकुशताका सूचक है। इसलिये उसे भाषारूपी वाहन चाहिये। इस कारन ऐसा अवश्य समझो कि जहां तक मुझे कुछ भी समझानेकी आवश्यकता रहती है वहां तक मेरेमें अपूर्णता भरी है, अर्थात विकार भी है। मेरा दावा बहोत छोटा है और हमेशा छोटा ही रहा है। विचारोंपर पूर्ण अंकुश पानेका अर्थात् हर स्थितिमें निर्विकार होनेका सतत प्रयत्न करता हुं। काफी जाग्रत रहता हुं। परिणाम ईश्वरके हाथमें है। मैं निश्चित रहता हुं। अगर अब कुछ चीज बाकी रह जाती है अथवा कुछ नई चीज याद आती है तो मुझे अवश्य लिखो। तुमारा खत वापिस करता हुं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९०४) से।

१६५. पत्र : अमृतकौरको

[११ जून, १९३८ के आसपास][1]

तुम्हारी दलीलोका[2] सदा स्वागत है। मगर तुम्हारे साथ मै दलील करूँ, इसके लिए मेरे पास समय नही है।

सुशीला[3]का तो कोई सवाल ही नही उठता। डॉक्टर होनेके नाते उसे अपवाद मानना चाहिए। लेकिन इस दृष्टिसे तुम्हारी दलील ठीक है कि प्रयोगको कोई एक स्त्री भी बिगाड सकती है। मै तो बा को भी अलग करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। सुशीला खुद ही अलग हो गई है। जो दूसरोको नही मिल सकता, उसे लेना उसको पसन्द नहीं है। इसलिए वह एक पुरुष परिचारकको प्रशिक्षित कर रही है।

तुम्हारा यह कहना भी सही है कि स्त्रीका सामीप्य, उसकी वाणी, उसका चेहरा, उसका पत्र आदि भी उसके स्पर्शके समान बुरा प्रभाव डाल सकते है। लेकिन मुझे तो अपने बारेमें सोचना था। अगर मुझे कोई खतरा दिखाई देता है तो अपने अन्दर उस पशुको सर उठाने देनेके बजाय मुझे तो अपनी आँखें ही फोड लेनी चाहिए।

असली मुद्देकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नही गया। दोष स्त्रीका नही है। अपराधी तो मै हूँ। मुझे आवश्यक शुद्धि प्राप्त करनी है। यह प्रयोग तो एक तरीका-भर है, जिसे आजमा कर देखना है।

लेख अभी प्रेसको नही भेजा गया है। हो सकता है, कभी न भेजा जाये, यद्यपि [स्पर्शका] निषेध लागू है। अगर तुम मेरे निर्णयके कारण मुझसे कटती रहोगी तो यह सरासर गलत बात होगी। अगर तुम यहाँ होती तो मै तुम्हें समझा देता कि यह निर्णय क्यो जरूरी था, भले ही इसमें तुम्हें दोष दिखाई दें।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

१. पत्रमें गांधीजी कहते हैं कि लेख प्रेसको नहीं भेजा गया है। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने ११-६-१९३८ को जमनालाल बजाजको लिखे पत्रमें भी कही है इसलिए यह पत्र शायद ११ जूनके आसपास ही लिखा गया है।

२. अमृतकौरने गांधीजी के स्त्री-स्पर्श न करनेके निश्चयके बारेमें लिखा था।

३. डॉ० सुशीला नैयर।

१६६. पत्र : सुशीला गांधीको

सेगाँव
१२ जून, १९३८

चि० सुशीला,

तेरा पत्र मिला। जो कार्य हम धर्म मानकर करें, उसके विषयमें दुःख करना बहुत बड़ा दोष है। अत: वियोगका दुःख भूल जाना। सेवा करनेके उद्देश्यसे अकोलामें जबतक रहना आवश्यक हो, तबतक तेरा वहाँ रहना और मेरा तुझे वहाँ रखना धर्म है। किन्तु यदि इसकी आवश्यकता न हो तो जितनेमें माता-पिताको सन्तोष हो जाये, उतने दिन अकोला रहकर यहाँ आ जाना। अपनी तबीयत ठीक रखना; बालकोंकी भी। बम्बईमें रुकनेका कोई विशेष कारण न हो तो अकोलाको तू उतना अधिक समय दे सकेगी।

बापूके आशीर्वाद

श्री सुशीलाबहन गांधी
मार्फत: मशरूवाला, टोपीवाला बिल्डिंग

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७५) से।

१६७. सेगाँवके कार्यकर्ताओंके लिए

१२ जून, १९३८

मेरी आशा है कि मेरी तबीयत अच्छी रही तो मैं नित्य तकली-यज्ञमें आऊंगा।

यह यज्ञ किसीके लिये फरजीयात नहीं है, लेकिन इस संस्थामें रहनेवाले सबके लिये आवश्यक समझता हूं। तकली-यज्ञ सामाजिक और सार्वजनिक यज्ञ है। इस यज्ञमें चर्खाको स्थान नहीं है। तकली हमें मूक सेवा सिखाती है। करोड़ो तो तकलीसे हि यज्ञ कर सकते हैं। चर्खाकी आवाज तकली यज्ञमें विघ्नकर्ता है। इसलिए जो तकली-यज्ञ समझते हैं वे तकली ही चलावें।

जिस कमरेमें हम बैठते हैं उसमें सुघड़ता नहीं है। बहुत सामान मैंने देखा वह निकम्मा है। निरीक्षण करके उसे हटाना चाहीये। जिध[र] मैं बैठाता वहां जो केस पड़ी है वह अनावश्यक है। संदूक पर सब सामान जा सकता है। हमारा परिग्रह कमसे-कम होना चाहिये। याद रखा जाय कि ११ व्रतमें अपरिग्रह भी है।

बापु

सी० डब्ल्यू० ४६७४ से।

१६८. पत्र : पृथ्वीसिंहको

मगनवाड़ी
वर्धा, म० प्रा०
१३ जून, १९३८

प्रिय पृथ्वीसिंह,

तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम वहाँ काफी आरामसे हो।

तुमने मुझसे यह प्रश्न पूछकर बहुत ठीक किया कि सत्य और अहिंसाका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले किसी कैदीको जेलमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारा वर्तमान व्यवहार काफी प्रशंसनीय है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ सिद्धान्त लिख देने चाहिए :

(१) सत्य और अहिंसाके पुजारीके पास कुछ भी गोपनीय नहीं होना चाहिए।

(२) वह जेलके सभी नियमोंका प्रसन्नतापूर्वक पालन करेगा।

(३) वह जेलके अधिकारियोंका ध्यान उन नियमोंकी ओर दिला सकता है जो उसे अनुचित या कड़े प्रतीत हों।

(४) उसे अधिकार है और यह उसका कर्त्तव्य भी हो सकता है कि वह ऐसे नियमोंका उल्लघन करे जो उसके आत्मसम्मानपर चोट करें। लेकिन उसका कर्त्तव्य है कि ऐसे नियमोंके प्रति पहले एक प्रतिवेदन अधिकारियोंको दे। न्याय पानेमें असफल होनेपर वह उनका उल्लंघन कर सकता है और तब उसे उसके नतीजे भुगतनेके लिए तैयार रहना होगा।

(५) ऐसा कैदी अपने-आपको किसी भी तरह बाकी कैदियोंसे श्रेष्ठ नहीं मानेगा और ऐसी सुविधाएँ पानेके लिए आन्दोलन नहीं करेगा जो अन्य लोगोंको न मिलती हों।

(६) ऐसा कैदी जेलको स्वतन्त्रताका मन्दिर मानेगा और इसलिए गम्भीर अध्ययन व चिन्तन द्वारा अपनी बुद्धि तथा आत्माके विकासके लिए प्रयत्न करेगा। वह एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेगा।

(७) ऐसा कैदी जेलके हर कामको अपना काम समझेगा और उसे उसी लगन के साथ करेगा। वह नया काम सीखनेके हर अवसरका उपयोग करनेके लिए उद्यत रहेगा।

(८) ऐसा कैदी हमेशा ईश्वरका ध्यान रखेगा, कभी निराश नहीं होगा और सारी कठिनाइयों और यातनाओंको प्रसन्नतापूर्वक झेलेगा।

और अधिक क्या कहूँ? मैं जानता हूँ कि शेष सब तुम स्वयं जोड़ लोगे और इसे पूरा कर लोगे।

मैं तुम्हारी रिहाईके सम्बन्धमें अधिकारियोंसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। परिणाम ईश्वरके हाथोंमें।

जब भी पत्र लिख सको, अवश्य लिखो। मुझे शान्तिलाल और जमनादाससे तुम्हारे बारेमें खबर मिलती रहती है। तुम्हारे पिताको सूचना दे दी गई है। मुझे जब उनका जवाब मिलेगा, तुम्हें बताऊँगा।

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१६९. तार: मुहम्मदअली जिन्नाको[1]

१५ जून, १९३८

बेशक प्रकाशनकी इजाजत नही है। लेकिन आप हमारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर सकते हैं।

गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-६-१९३८

१७०. पत्र: जेठालाल जी० सम्पतको

सेगाँव, वर्धा
१६ जून, १९३८

भाई जेठालाल,

पारनेरकरने तुम्हारी दुग्धालयकी प्रवृत्तिके विषयमें सब-कुछ बताया। किन्तु घी आदिके विषयमें उन्होंने जो कहा, वह आशाजनक प्रतीत नहीं हुआ। अलबत्ता, उनके पास जो जानकारी थी वह तो नौ माह पूर्वकी थी। आजकल क्या स्थिति है? उन्होंने यह भी कहा कि दुग्धालयके सुचारु संचालनके लिए सात हजार रुपयेकी पूँजी चाहिए। यह कहाँसे आयेगी और मिल जायें तो भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा कोई बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी। इसलिए तुम्हें तो जो भी साधन

१. यह मुहम्मदअली जिन्नाके १४ जूनके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: "मेरे और जवाहरलाल के बीच हुए पत्र-व्यवहार का प्रकाशन विश्वास-भंग है। लगता है, बात कांग्रेसी हल्के से निकली। अब शेष पत्रोंके साथ आपके पत्रको प्रकाशित करना मेरे लिए जरूरी हो गया है। आशा है, आप सहमत होंगे।"

तुम्हारे पास है, उनके आधारपर ही स्वावलम्बी बननेकी कला सिद्ध करनी होगी। इस समय क्या-क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८६५) से; सौजन्य: नारायण जे० सम्पत।

१७१. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव, वर्धा
१७ जून, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

हमारे देशकी स्त्रियाँ अपनी मुक्तिकी लड़ाईमें विदेशोकी सहायता पानेकी कोशिश करें, यह बात मुझे कभी भी पसन्द नही रही है। इसलिए, मैं नही चाहता कि लीग[1] भारतकी स्त्रियोंकी स्थिति या अवस्थाके बारेमें पूछताछ करे। इस तरहके प्रचारसे हमारे देशकी स्त्रियोंका ध्यान स्वयं अपनी ओरसे हटता है। उनकी लड़ाई तो भारतके पुरुषोंके भी खिलाफ नही है। यह लड़ाई वे अपने बीच और स्वयं अपने खिलाफ लड़ रही हैं, और ऐसा ही होना भी चाहिए। गोलमेज-परिषद्में स्त्रियोंके पक्षको लेकर लड़नेका विचार मुझे कभी ठीक नहीं लगा है। इस विषयमें जब मेरे विचार इतने उग्र हैं तो लीग क्या करती है या नही करती है, इसके प्रति मेरी उदासीनता तुम सहज ही समझ सकती हो। लेकिन अगर मुझे उसके दृष्टिकोणपर विचार करना ही है तो यह नही हो सकता कि जहाँ कोई खास कार्रवाई करनेके लिए दूसरे बुद्धिसंगत कारण मौजूद हो, वहाँ भी मैं रंग-विद्वेषको ही कारण मानकर चलूँ। पता नहीं, मेरी बात तुम्हारी समझमें आई या नही। अभी तुम भले मुझसे सहमत न होओ, पर अन्तमें होगी जरूर। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, बिलकुल ठीक कह रहा हूँ। दक्षिण आफ्रिकाकी स्त्रियाँ अपने ही प्रयत्नसे एकाएक उठ खड़ी हुईं। क्या यहाँ भी ग्रामीण स्त्रियोंने वैसा ही नही किया है?

पार्किन्सनके पुर्जेके बारेमें आशालतासे मेरी लम्बी बातचीत हुई। मेरा खयाल है, वह मेरी बात ठीक-ठीक समझ गई है।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६५) से; सौजन्य अमृतकौर। जी० एन० ७०२१ से भी।

१. वीमन्स इन्टरनेशनल लीग फॉर पीस एण्ड फ्रीडम।

१७२. बातचीत: कालिदास नागके साथ[1]

[१८ जून, १९३८ से पूर्व]

कालिदास नाग: मैं तो जहाँ भी गया हूँ, सर्वत्र ही सबसे बड़ा प्रश्न अहिंसा बनी हुई है। . . . वहाँ लोग मुझसे पूछते हैं कि . . . क्या बौद्ध धर्मने बड़े व्यापक पैमानेपर मनुष्यको पुंसत्वहीन नहीं बना दिया है। और अहिंसामें चाहे जितनी शक्ति हो, क्या आत्मरक्षाके शस्त्रके रूपमें वह व्यर्थ नहीं है?

गांधीजी: इन प्रश्नोंके उत्तर आपने दे दिये या इनके उत्तर आप मुझसे माँगते हैं?

का० ना०: इतिहासके अध्येताके नाते इनके उत्तर मैं तो अपने तरीकेसे देता रहा हूँ। लेकिन इनके उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आपके उत्तर प्रामाणिक होंगे . . .।

गां०: इस प्रश्नका उत्तर भारतमें व्यवहारमें दिया जा रहा है। चीन और जापानका उदाहरण देना व्यर्थ है। अगर इसका उत्तर दिया जाना है, तो वह केवल भारतमें ही दिया जा सकता है। यहाँका अनुभव काफी उत्साहवर्धक है। बौद्धिक रूपसे तो पश्चिमी दुनियामें भी बहुत-से लोग हिंसाकी व्यर्थता स्वीकार करने लगे हैं और उनकी ओरसे भी यह सवाल उठने लगा है कि क्या अहिंसाको एक बार आजमाकर नहीं देखा जा सकता है। डॉ० स्टेनली जोन्सने अपने हालके एक लेख "गांधीयन सॉल्यूशन ऑफ द चाइनीज ट्रबल" (चीनकी समस्याका गांधीवादी हल) की एक प्रति भेजी है। उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकारके जो असहयोग सफलतापूर्वक अपनाये जा सकते हैं, उनका गम्भीर विवेचन किया है। एक समय ऐसा था जब डॉ० जोन्सका असहयोगमें कोई खास विश्वास नहीं था, लेकिन अब वे असहयोगके एक अहिंसक समाधानके रूपमें अपनाये जानेका सुझाव गम्भीरतापूर्वक दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे यूरोप जाकर वहाँ लोगोंको शान्तिकी शिक्षा देनेका आग्रह किया है। लेकिन जबतक भारतमें मेरा काम पूरा नहीं होता, तबतक शान्तिका सन्देश देने के लिए मेरा यूरोप जाना व्यर्थ ही होगा। यह सच है कि भारतमें अहिंसाका जोर काफी बढ़ा है, लेकिन बाहरी दुनियावालों और उनमें भी खासकर किसी आलोचकके लिए उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

१. महादेव देसाई के "वीकली लेटर" (साप्ताहिक पत्र) से उद्धृत। कालिदास नाग संस्कृति-विषयक भाषण देनेके लिए कई बार विदेश हो आये थे। इस बार वे आस्ट्रेलिया जा रहे थे। जहाज पकड़नेके लिए बम्बईसे कलकत्ता जाते हुए वे रास्ते में गांधीजी से मिलने वर्धा उतर गये थे।

का० ना०: आपकी बात बिलकुल ठीक है — यह बात कि इसका उत्तर दिया जा रहा है और अगर वह उत्तर सचमुच उतने ही बड़े पैमानेपर दिया गया जितना बड़ा हमारा देश है तो वह बहुत ही प्रभावकारी होगा। कारण, आज तो वे अहिंसा और असहयोगको बौद्धिक धरातलपर भी जो स्वीकार कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ऐसा भाव दिखाई देता है, मानो वे कोई बहुत बड़ी कृपा कर रहे हों।

गा०: जो बात तत्त्वत. आत्माके प्रदेशकी है, उसे कभी भी बुद्धिके स्तरपर किसीको समझाया जा सके, यह असम्भव ही है। यह तो कुछ वैसा ही है जैसे कोई बुद्धिपूर्वक तर्क करके किसीमें ईश्वरके प्रति श्रद्धा जगानेका प्रयत्न करे। उसमें इस तरह श्रद्धा नही जगाई जा सकती, क्योंकि श्रद्धा तो तत्त्वत हृदयकी चीज है। श्रद्धाको अनुभव द्वारा ज्ञानमें परिवर्तित किया जा सकता है, और श्रद्धा बुद्धिके माध्यमसे नही, हृदयके माध्यमसे जगती है। जहाँ बात श्रद्धाकी हो वहाँ यदि बुद्धिकी कोई भूमिका हो सकती है तो वह बाधक तत्त्वकी ही हो सकती है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १८-६-१९३८

१७३. एक आलोचना

एक भाईने मध्यप्रान्तसे वहाँके मन्त्रिमण्डलकी बड़ी कटु आलोचना करते हुए, मुझे एक पत्र लिखा है।[1] पत्रके कटुतम अंशको कुछ नरम बनाकर, संक्षेपमें नीचे दे रहा हूँ:

> इधर कुछ दिनोंसे आपको पत्र लिखना चाहता रहा हूँ, लेकिन अबतक जान-बूझकर नहीं लिखा। अब मैं एक ऐसे व्यक्तिकी हैसियतसे यह पत्र लिख रहा हूँ, जिसे इस बातकी बड़ी चिन्ता है कि उसके प्रान्तमें सुशासन हो। और वैसे तो मैं मानता हूँ कि इस प्रान्तको अब आपने भी शेष जीवनके लिए अपने घरकी तरह अपना लिया है। हम लोग ऐसा मान रहे थे कि जब शासन कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके हाथोंमें आयेगा तो उसके सारे दाग धुल जायेंगे, उसके खिलाफ कहनेको कुछ नहीं रह जायेगा और उसका संचालन सदा सद्विवेकसे और नैतिक मूल्योंके अनुसार ही किया जायेगा। लेकिन हमें तो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलका मुख्य प्रयोजन यही जान पड़ता है कि —
>
> (क) जनताके सामने आपकी [अर्थात् गांधीजीकी] प्रतिमाकी पूजा करो और जनताकी पीठ पीछे उसे भंग करो;
>
> (ख) साम्राज्यवादके प्रतीकोंकी छिपकर पूजा करो और जनताके सामने उनकी निन्दा करो;

1. देखिए "पत्र: ई० राघवेन्द्र रावको", पृ० ११८।

(ग) जिन विरोधियोंको सत्यमय और उचित उपायोंसे नहीं जीत सको, उनके खिलाफ दुष्टता और बेईमानीसे भी काम लो;

(घ) कानून बनाने और सरकारी पदोंके वितरणमें खूब सौदेबाजी करो, खूब चाँदी बनाओ।

जनताकी सरकार खुशहालीके थोथे वादोंकी सामान्य युक्तिके बलपर और निर्वाचकोंमें झूठी आशाएँ जगा-जगाकर उनके मानसको दूषित करके नहीं चलाई जा सकती। लेकिन लगता है, मध्यप्रान्तके कांग्रेसी मन्त्री मानते हैं कि उसे इसी तरह चलाया जा सकता है। पिछले दस महीनोंमें आपके मन्त्रियोंने इस प्रान्तके सुशासनकी नैतिक नींवको खोखला करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखा है। मन्त्रिमण्डल और उसके घटक साजिश और भ्रष्टाचारसे भयंकर रूपसे ग्रस्त हैं। संक्षेपमें, मेरा निष्कर्ष यह है — और यह निष्कर्ष मैं आपको भी बताना चाहता हूँ — कि अगर कांग्रेस-पार्टीने सत्ता और जिम्मेदारी कभी अपने हाथोंमें न ली होती, तभी उसे शासन करने-चलाने योग्य माना जाता। सत्ता प्राप्त करनेके बाद उसको छोड़नेकी जिम्मेदारी आती है। आश्चर्य है कि ऐसे लुटेरे मन्त्रिमण्डलको देखकर आपकी आत्माके अन्दर खलबली नहीं मचती, क्योंकि इस मन्त्रिमण्डलके निर्माणकी नैतिक जिम्मेदारी तो पूरी तरहसे आपपर ही है।

मन्त्रिमण्डलके खिलाफ लगाये सारे आरोप कार्य-समितिने संसदीय बोर्डके विचारार्थ सौंप दिये और बोर्डने मौकेपर जाकर पूरी जाँच-पड़ताल की। उसकी रिपोर्ट[1] जनताके सामने है। कांग्रेस पूर्ण रूपसे लोकतांत्रिक संस्था है और इसमें मताधिकार यथासम्भव अधिक-से-अधिक व्यापक है। कार्य-समिति वही कहती और करती है जो पूरी कांग्रेस चाहती है। कांग्रेसके संविधानके अनुसार उसपर कुछ मर्यादाएँ लगाई गई हैं और समितिको उन मर्यादाओंके अधीन ही काम करना पड़ता है। कांग्रेसके मध्य-

१. संसदीय बोर्डने मध्यप्रान्त कांग्रेस विधानसभा दल और मध्यप्रान्त प्रान्तीय कांग्रेस समिति के तीन अध्यक्षोंकी एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उसने मध्यप्रान्त में कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे, उनमें कुछ मन्त्रियोंके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप भी था, उनकी जाँच की। वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजादने एक वक्तव्य में कहा कि "समिति को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे मन्त्रियोंके विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचारके आरोपकी पुष्टि होती हो, तथापि कुछ शिकायतें जो सुनने को मिली हैं, वे निराधार नहीं हैं। उदाहरण के तौपरर ऋण निपटारा अधिनियम की १५,००० रुपयेकी जो सीमा है उसे बढ़ाकर १,०००,०० रुपयेतक कर दिया जाना और विश्वविद्यालयमें अयोग्य व्यक्तियोंकी प्राध्यापकके पदोंपर नियुक्तियाँ करना उन्होंने कहा कि सम्बन्धित व्यक्तियोंमें भूल स्वीकार करनेकी और तदनुरूप अपने-अपने आचरणमें सुधार करने की जो तत्परता दिखाई देती है, उसे देखकर हमें बड़ी खुशी हुई है और हमें उम्मीद है कि उन्होंने तुरन्त ही भूल सुधारने की जो प्रतिज्ञा की है, उससे उनकी आज जो आलोचना की जा रही है, वह सब शान्त हो जायेगी।"

प्रान्तके प्रतिनिधियोको मन्त्रिमण्डलसे त्यागपत्रकी माँग करनेका पूरा अधिकार था, लेकिन उसकी माँग नही की। इसके विपरीत, वे चाहते थे कि वर्तमान मन्त्रिगण अपने मत-भेद मिटाकर सरकार चलायें। संसदीय बोर्ड उन प्रतिनिधियोकी इच्छाका अनादर नही कर सकता था। उसे ऐसा करनेका अधिकार नही था। लेकिन मन्त्रिमण्डलमें जो भी दोष दिखाई दिये उन्हें दूर करनेके लिए बोर्ड जो-कुछ भी कर सकता था, उसने किया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि बोर्डने जो-कुछ करना चाहा, उसमें उसका विरोध मन्त्रियोंने बिलकुल नही किया। अब देखना है कि नई व्यवस्थाके अधीन काम कैसे चलता है।

लेकिन मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वह यह है कि कार्य-समिति कांग्रेस-संगठनमें पाई जानेवाली किसी भी बुराईपर परदा डालनेकी कोशिश नही करती, उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई करनेमें कोई हिचक नही होती और अधिकांशतः उसके आदेशोंका तत्परतासे पालन भी किया जाता है।

मैं पत्र-लेखकको इस बातसे पूर्णतः सहमत हूँ कि कांग्रेस "सद्विवेकसे और नैतिक मूल्योंके अनुसार ही" शासन कर सकती है। वे और उन-जैसे अन्य आलोचक आश्वस्त रहें कि जिस दिन कांग्रेस सद्विवेक और नैतिक मूल्योंको त्यागकर गुण्डा-गर्दीसे काम लेने लगेगी, उस दिन वह अपनी स्वाभाविक मौत मर जायेगी और वह उस मृत्युके योग्य ही होगी।

एक बात और, कांग्रेसमें साधारण मर्त्य लोग ही तो हैं। जिस राष्ट्रका प्रति-निधित्व करनेकी वे कोशिश कर रहे हैं, उसके गुण-दोष उनमें भी विद्यमान है। लेकिन हम चाहे जो कहें, जो करें, इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह देशकी सबसे पुरानी राजनीतिक सस्था है, यह अधिक-से-अधिक प्रातिनिधिक भी है। देशके बड़े-से-बड़े प्रतिभावान् व्यक्ति इसके सदस्य रहे हैं, इसको सबसे अधिक त्याग-बलिदान करनेका श्रेय प्राप्त है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यही एक संस्था है जो विदेशी शासन और शोषणके विरुद्ध खड़ी हुई है। वैसे तो ईमानदारीके साथ की गई सारी आलोचनाका स्वागत है, लेकिन मैं पत्र-लेखक और अन्य आलोचकोंको यह याद दिलाना चाहूँगा कि उन्हें कांग्रेसमें शामिल होनेसे कोई रोकता तो नहीं है। तो वे इसमें शामिल होकर इसके भीतरसे इसकी आलोचना करें और इस तरह इसमें दिखाई देनेवाले उन दोषोंको दूर करनेकी कोशिश करें जिन्हें दूर किया जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १८-६-१९३८

१७४. शान्ति-सेनाके लिए अपेक्षित गुण

कुछ समय पहले मैंने ऐसे लोगोंकी एक शान्ति-सेना गठित करनेका सुझाव[1] दिया था जो अपनी जानें जोखिममें डालकर लड़ाई-झगड़े, खासकर साम्प्रदायिक झगड़े, शान्त करेंगे। इसके पीछे विचार यह था कि ऐसी परिस्थितियोंमें जो काम पुलिसके लोग करते हैं वह काम ये लोग करें। इतना ही नहीं, इन मौकोंपर जो काम सैनिक करते हैं, वह भी ये करें। ऐसी सेना गठित करना शायद असम्भव साबित हो। फिर भी, इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कांग्रेसको अपनी अहिंसक लड़ाईमें सफल होना है, तो यह जरूरी है कि वह अपने अन्दर ऐसी परिस्थितियोंका निराकरण शान्तिमय उपायोंसे करनेकी शक्ति विकसित करे। साम्प्रदायिक झगड़े राजनीतिक प्रवृत्तिवाले लोग करवाते हैं। इनमें शरीक होनेवाले बहुत-से लोग ऐसे राजनीतिक प्रवृत्तिवाले लोगोंके प्रभावमें होते हैं। निश्चय ही ऐसे साम्प्रदायिक झगड़ोंको शान्तिमय उपायोंसे टालनेका कोई एक तरीका या अनेक तरीके ढूंढ़ निकालना कांग्रेसियोंकी सूझ-बूझसे बाहरकी बात नहीं होनी चाहिए। कोई साम्प्रदायिक समझौता होता है या नहीं, इसका कोई खयाल किये बिना मैं यह बात कह रहा हूँ। कोई भी पक्ष हिंसात्मक तरीकोंके सहारे समझौतेकी स्थिति लानेकी कोशिश करे, यह होने-वाला नहीं है। अगर इसके बलपर कोई समझौता हो भी जाये, तो उसका मूल्य जिस कागजपर वह लिखा जायेगा उसके बराबर भी नहीं होगा। कारण, ऐसे समझौतेके पीछे कोई आपसी मेल-जोलकी भावना नहीं होगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा समझौता हो जानेपर भी ऐसी आशा करना बेकार ही होगा कि भविष्यमें साम्प्रदायिक झगड़े न होंगे।

इसलिए जिस शान्ति-सेनाके गठनकी बात सोची जा रही है, उसके सदस्योंके लिए अपेक्षित गुणोंका यहाँ तनिक विचार कर लें।

(१) ऐसे सदस्य या सदस्योंमें अहिंसाके प्रति सजीव श्रद्धा होनी चाहिए। और जबतक ईश्वरमें उसकी ऐसी ही सजीव श्रद्धा न होगी, तबतक अहिंसामें ऐसी श्रद्धा होना असम्भव है। अहिंसाके मार्गपर चलनेवाला आदमी ईश्वरकी शक्ति और कृपाका आश्रय लिये बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके बिना उसमें क्रोध, भय और प्रतिकारमें हाथ उठानेकी इच्छासे मुक्त रहकर खुशी-खुशी मर मिटनेका साहस नहीं आ सकता। ऐसा साहस तो इस विश्वाससे प्राप्त होता है कि ईश्वर सबके हृदयमें बसता है और ईश्वरकी उपस्थितिमें डर किस बातका। ईश्वरकी सर्वव्यापकताका मत-लब यह भी है कि जिन्हें हम अपना विरोधी या गुण्डा कहते हैं, उनके प्राणोंकी भी हमें चिन्ता है। इस योजनाके अधीन जिस प्रकारका बीच-बचाव करनेकी तजवीज है

१. देखिए खण्ड ६६, "हमारी विफलता", पृ० ४५०-५२।

उसका मतलब है — जब मनुष्यके अन्दरका पशु उसपर हावी हो जाता है, तब उसके क्रोधको शान्त करना।

(२) इस शान्ति-दूतके मनमें संसारके सभी धर्मोंके प्रति समान रूपसे आदरका भाव होना चाहिए। इस प्रकार, यदि वह हिन्दू है तो हिन्दुस्तानके दूसरे धर्मोंका भी आदर करेगा। इसलिए इस देशमें जितने भी धर्मोंके लोग रहते हैं, उन सबके मोटे-मोटे सिद्धान्तोंका ज्ञान उसे होना चाहिए।

(३) मोटे तौरपर कहें तो शान्ति-स्थापनाका यह कार्य लोग अपने-अपने क्षेत्रोंमें ही, जहाँ वे रहते हैं वहीं कर सकते हैं।

(४) यह काम व्यक्ति अकेले भी कर सकता है और मण्डलियाँ बनाकर भी। इसलिए साथियोंके लिए प्रतीक्षा करते रहनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी स्वभावतः हर आदमी यह तो चाहेगा ही कि इस काममें उसका साथ देनेवाले और भी लोग हों और इसलिए वह एक स्थानीय दल तैयार करनेकी कोशिश करेगा।

(५) यह शान्ति-दूत लोगोंकी व्यक्तिशः सेवा करके अपने इलाके या चुने हुए हल्केके लोगोंसे अच्छा सम्पर्क स्थापित करेगा, ताकि जब वह किसी अशोभन परिस्थिति का मुकाबला करनेके लिए सामने आये तो उपद्रवी लोगोंके लिए वह कोई अजनबी न हो। यदि वह उनके लिए अजनबी रह जाता है तो सम्भव है कि लोग उसे भी शंकाकी दृष्टिसे देखें या उसे अपने बीच आ गया कोई अवांछनीय आदमी समझ लें।

(६) कहनेकी जरूरत नहीं कि ऐसे शान्ति-दूतका चरित्र सर्वथा निष्कलंक होना चाहिए और उसकी निष्पक्षता जानी-मानी होनी चाहिए।

(७) आम तौरपर ऐसे उपद्रवोंका पूर्वाभास मिल ही जाता है। अगर ऐसा कोई आभास मिल जाये तो शान्ति-सेनाको आग भड़क उठनेका इन्तजार करते बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि पहलेसे ही उस परिस्थितिको टालनेकी कोशिशमें लग जाना चाहिए।

(८) यदि यह प्रवृत्ति फैल जाती है तो यह तो बेहतर होगा ही कि इस सेनामें कुछ ऐसे सदस्य भी हों जो पूरा समय इसी कामको दें, लेकिन यह बात सर्वथा अनिवार्य नहीं है। खयाल सिर्फ इस बातका रखना है कि इसमें जितने भी नेक और सच्चे स्त्री-पुरुष शामिल हो सकें, हों। यह तभी हो सकता है जब स्वयंसेवक ऐसे लोगोंके बीचसे जुटाये जायें जिनके पास अपना-अपना काम-धन्धा करते हुए भी इतना अवकाश हो कि वे अपने हल्केके लोगोंसे मेल-जोल और मैत्रीका सम्बन्ध स्थापित कर सकें और जिनमें शान्ति-सेनाके सदस्योंके लिए अपेक्षित अन्य गुण मौजूद हों।

(९) जिस शान्ति-सेनाकी बात सोची जा रही है उसके सदस्योंकी एक अलग ढंगकी पोशाक होनी चाहिए, ताकि कालान्तरमें उनको पहचाननेमें किसीको कोई कठिनाई नहीं हो।

ये तो सामान्य ढंगके कुछ मोटे-मोटे सुझाव हैं। वैसे यहाँ जो-कुछ सुझाया गया है, उसके आधारपर हर केन्द्र अपने अलग नियम-कायदे बना सकता है।

मगर कार्यकर्ताओंके मनमें कोई झूठी आशा न जगे, इसलिए मैं उन्हें आगाह किये देता हूँ कि वे मुझसे शान्ति-सेनाओंके गठनमें सक्रिय रूपसे कुछ करनेकी उम्मीद न रखें। न मेरा ऐसा स्वास्थ्य है, न मुझमें इतनी शक्ति है और न मेरे पास इतना समय ही है कि मैं इस काममें पड़ूँ। जिन कार्योंसे मैं चाहकर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, उन्हींको कर पाना मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा है। मैं तो केवल पत्र-व्यवहार द्वारा या इन स्तम्भोंके जरिये सुझाव देता रह सकता हूँ और मार्गदर्शन करता रह सकता हूँ। इसलिए जिन लोगोंको यह योजना अच्छी लगती हो और जिन्हें लगता हो कि उनमें यह सब करनेकी योग्यता है, वे इस दिशामें पहल करें। इतना मैं जानता हूँ कि प्रस्तावित सेनाकी बड़ी-बड़ी सम्भावनाएँ हैं और इसके पीछे जो विचार है, उसे कार्यरूप देना सर्वथा सम्भव है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १८-६-१९३८

१७५. पत्र : महादेव देसाईको

१८ जून, १९३८

चि० महादेव,

आज अपने दो लेख भेज रहा हूँ। हिन्दीका अभी न छापा जाये। उसके प्रकाशनसे राजाको नुकसान होनेकी सम्भावना है। सरकारी टिप्पणीके नीचे मैंने जितना अभी लिखा है उतना फिलहाल तो काफी है। राजाको निजी तौरपर इसकी सूचना दे देना।

बावलाको तालीम दे रहे हो, यह बात मुझे अच्छी लगी। उसे पूरा सन्तोष होना चाहिए। इस बातका ध्यान रखना कि वह अंग्रेजीमें तो कुशलता प्राप्त करे, किन्तु साथ ही गुजराती, हिन्दी और संस्कृत भी न भूले। और उसे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि जो-कुछ है सब अंग्रेजीमें ही है, बाकी सब निस्सार है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५९७) से।

१७६. पत्र : महादेव देसाईको

[२० जून, १९३८ से पूर्व][1]

चि० महादेव,

उम्मीद है, तुम अब अपनेको शान्त कर सके होगे। कान्तिको, इस पत्रके साथ तारका जो मसविदा है, उसके अनुसार तार देना। उसकी नौका मझधारमें है। आजके 'टाइम्स' में जो सुभाषित है, वह हम सबके लिए हृदयगम कर लेने योग्य है। मैं 'धम्मपद' पढ़ रहा हूँ। यह पुस्तक भी ऐसी है जो काफी मदद कर सकती है। पत्र और लेख साथमें हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

रक्तचापके बारेमें तो सुशीला बतायेगी। यह कान्तिके लिए है: "अवश्य आओ। प्यार, बापू।" तुम्हारी डाक अभी-अभी मिली है। अभी पढ़ूँगा। यह तुम्हारी चिट्ठी कैसी? खैर, कोई बात नहीं। रक्तचापके बारेमें बताना ही भूल गया। आज १६४/१०२ है। कल भी यही था। बीचमें १७६/१०६ हो गया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६००) से।

१७७. पत्र : कोतवालको

सेगाँव
२० जून, १९३८

भाई कोतवाल,

तुम्हारा पिछला पत्र तो मिला नहीं मालूम होता। जहाँ हरिजनोंको स्थान न हो वहाँ तुम निश्चिन्त नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि दूसरोंका सहयोग मिले तो तुम मन्दिर हरिजनोंके लिए खोल सकते हो। इसके सम्बन्धमें निश्चयात्मक निर्णय तो स्थानीय कानूनको जाननेवाला व्यक्ति ही दे सकता है।

१. यह पत्र स्पष्टतः "पत्र : प्रभावतीको," २०-६-१९३८ से पहले लिखा गया था, जिसमें गांधीजी कहते हैं कि "कान्तिके सरस्वतीके साथ एक-दो दिनमें आ जानेकी उम्मीद है।"

वर्षाऋतुके बाद तुम आ सकते हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३६०२) से।

१७८. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव, वर्धा
२० जून, १९३८

चि० प्रभा

इन दिनों मैं तुझे स्वयं नहीं लिख सका हूँ। किन्तु लिखनेसे फायदा भी क्या? तू कहाँ एक जगह रहती है? ऐसा लगता है कि सीवानके पतेपर जो पत्र तुझे भेजे गये थे वे तुझे मिले नहीं हैं। और तू शिकायत करती है कि मैं तुझे पत्र नहीं लिखता। बोल अब क्या करूँ? किस पतेपर लिखूं कि पत्र तुझे तुरन्त मिल जायें।

तू बहुत चिन्तित रहती है—यद्यपि 'गीता' तो यह कहती है कि चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिए। जो हो उसे सहन कर लेना चाहिए। जहाँ उपाय किया जा सकता है वहाँ अवश्य करें, लेकिन यदि वह विफल हो जाये तो निश्चिन्त रहें। तू अपनी बात मुक्त मनसे पूरी-पूरी लिखे तो मैं तेरा ज्यादा मार्गदर्शन कर सकता हूँ।

सुशीला यहीं है। सेवा कर रही है। उससे एक पत्र लिखवाया है। अमतुल सलाम भी यहीं है। प्यारेलाल तो है ही।

मेरी तबीयत ठीक रहती है। भोजन लगभग वही है जो था। घूमने जाता हूँ और काम भी ठीक-ठीक कर लेता हूँ।

'हरिजनबन्धु' तुझे भेजा ही जाता है।

भोजनमें तुझे जो चाहिए वह सब तुझे मिल तो जाता है न?

तेरे यहाँ कबतक आनेकी आशा करूँ। कान्तिके सरस्वतीके साथ एक-दो दिनमें आ जानेकी उम्मीद है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५१५) से।

१७९. पत्र : फूलचन्द कस्तूरचन्द शाहको

सेगाँव
२० जून, १९३८

भाई फूलचन्द,

तुम दोनोंके पत्र मिले। उन सज्जनको मैंने लिखा तो है। वे अनुमति देंगे तो मैं नाम भेज दूंगा। यदि उन्होंने अनुमति नही दी तो फिर जाँच कैसे की जा सकती है? जिस बातका कोई प्रमाण न हो उसके विषयमें जाँच-पड़ताल हो भी नहीं सकती। आशा है, तुम्हारी तबीयत बिलकुल ठीक हो गई होगी।

बापूके आशीर्वाद

फूलचन्द कस्तूरचन्द शाह
केलवणी मण्डल
वढवाण सिटी, काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९२००)से। सी० डब्ल्यू० २८५३ से भी; सौजन्य : शारदाबहन शाह।

१८०. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव, वर्धा
[२० जून, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० प्रभा,

तू अकारण दुःखी हो रही है। मेरा निवेदन अभी जिस रूपमें है उस रूपमें प्रकाशित नही किया जायेगा। यदि ऐसा-कुछ प्रकाशित हुआ भी तो भी, तुझे दुःख माननेका उसमें क्या कारण है? तुझे एकान्त-सेवनके लिए कहीं नही जाना है। तेरा एकान्त तो मेरे पास है। जितनी जल्दी आ सके उतनी जल्दी चली आना। तू मन-ही-मन दुःखी होती रहती है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। पत्र नियमपूर्वक लिखती रहना। आलस्य मत करना। अपना सारा दुःख कह डालना और इस तरह अपना

१. पत्र में सरस्वतीके आगमनका जो उल्लेख है, उसीसे तिथि निश्चित की गई है। गांधीजीने प्रभावतीको २० जूनको लिखा था कि सरस्वती के एक-दो दिनमें आ जानेकी उम्मीद है।

मन हलका करना। कान्ति सरस्वतीको यहाँ छोड़कर चला गया है अब वह कान्तिके बिना रह ही नही सकती। देखें क्या होता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३३१०)से।

१८१. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव, वर्धा
[२० जून, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० प्रभा,

कैसा गुस्सेसे भरा पत्र लिखा है तूने। तेरा यह गुस्सा तेरे दुःखकी उपज है। तू पढ़ी नही है, इसका तू यही अर्थ करती है न कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं है। लेकिन मुझे इसका पश्चात्ताप नही है। यह हो सकता है कि वहाँ किसी कामके लिए तू उपयोगी न हो। लेकिन मैंने तुझे वहाँके कामके लिए तैयार ही नही किया। मैंने तो तुझे जनसेवाके लिए तैयार किया है; अपने साथ काम करनेके लिए तैयार किया है। यहाँका तो कोई काम ऐसा नही है जिसके लिए तू योग्य न हो। तू हर तरहके लोगोंके बीच रहनेकी योग्यता रखती है। तुझे कही भी भेजनेमें मुझे संकोच नहीं होगा। मुझे इस बातका भय नहीं है कि तू कोई गलत काम करेगी। तू तो इतनी योग्य हो गई है कि फाँसीपर हँसते-हँसते चढ़ सकती है। इससे ज्यादा और तू क्या बनना चाहती है? अंग्रेजी सीखनी ही हो तो जब चाहे सीख सकती है। मेरे पास तो तेरे लिए जगह है ही। सितम्बरमें आ सके तो जरूर आ जाना। तेरा दुखी होना मैं नहीं सह सकता। तुझे दुखी होनेका कोई कारण ही नही है। तेरा धर्म अभी वही रहनेका है। जयप्रकाशकी जो सेवा तू कर सकती हो, करती रह। पिताजी के पास कोई काम न हो और जयप्रकाश तुझे भेज सकता हो, तब तो तुझे यहाँ चले ही आना है। तेरा स्थान अन्ततः यही है। तेरे लिए काम तो यहाँ है ही। इससे ज्यादा तू क्या चाहती है? अकारण क्यों दुखी होती है?

मेरी तबीयत ठीक है। रक्तचाप काबूमें रहता है। आजकल भोजनमें दूध, खजूर और नीबूका प्रयोग चल रहा है। आम मिलते हैं तब आम भी लेता हूँ। इससे तबीयत ठीक रहती मालूम होती है। आज अभी इस प्रयोगको तीन दिन हुए हैं।

सरस्वती यहीं है। कान्ति बंगलौरमें है। सुशीला और प्यारेलाल अभी यही हैं। कैलेनबैककी भाई आयी है। घर बिलकुल भर गया है। कह सकते हैं कि खड़े होने

1. सेगाँव में सरस्वती की उपस्थितिके प्रसंगसे लगता है कि यह पत्र भी प्रायः तभी लिखा गया था जबकि पिछला पत्र।

की जगह नहीं रह गई है। प्रतिदिन तकली-यज्ञ होता है, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। बहुत अच्छा लगता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३३११)से।

१८२. बातचीत : कांग्रेसी प्रान्तोंके प्रतिनिधियोंके साथ[1]

वर्धा
२१ जून, १९३८

सीमाप्रान्तसे आये प्रतिनिधियोंने विशेष रूपसे विदेशी आक्रमणके सन्दर्भमें अहिंसाके सम्बन्धमें कुछ प्रश्न पूछे। महात्मा गांधीने उत्तर देते हुए कहा कि हिंसा तो जय-पराजयका ऐसा कुचक्र है जिससे कहीं कोई छुटकारा ही नहीं है। सच्ची स्वतन्त्रता अहिंसाके सहारे ही सम्भव है और धर्मका आधार अहिंसा ही है।

महात्मा गांधीने आगे कहा कि खेती कोई ऐसा काम नहीं है जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियोंपर निर्भर हो। दस्तकारीका प्रशिक्षण भारतीय गाँवोंके लिए आवश्यक है। वर्धा [शिक्षा]-योजना मुख्यतः गाँवोंके लिए है और इसे ऐसे छोटे और सुगठित इलाकेमें ही लागू किया जा सकता है जहाँ पहले कोई स्कूल नहीं रहा हो और काफी राष्ट्रीय कार्य किया गया हो। किंचित् परिवर्तनोंके साथ यही चीज शहरी इलाकोंपर भी लागू होगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-६-१९३८

१८३. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा
२ जून, १९३८

प्रिय मित्र,

पत्रके लिए हृदयसे आभारी हूँ। उससे मुझे निराशा नही हुई। इसके विपरीत, जहाँ परस्पर विश्वास है, वहाँ एकतरफा साक्ष्यसे यदि मनपर गलत छाप पड़ गई हो तो उसे सुधारा जा सकता है।

म जानता हूँ कि आप शीघ्र ही इंग्लैंडके लिए रवाना होनेवाले हैं। परन्तु यदि आपकी व्यस्ततामें अत्यधिक बाधा न पड़े और यदि मेरी प्रार्थना न्यायोचित

१. ये लोग वर्धा शिक्षा-योजनाके अधीन शिक्षाधिकारियोंकी हैसियतसे एक पखवाड़ेका प्रशिक्षण प्राप्त करने वर्धा आये थे।

हो, तो सरदार पृथ्वीसिंहके विरुद्ध जो साक्ष्य है मैं उसे देखना चाहूँगा, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ और यह जान सकूँ कि मुझे क्या कदम उठाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे : लिनलिथगो कागजात; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार।

१८४. पत्र : छगनलाल जोशीको

सेगांव, वर्धा
२२ जून, १९३८

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। जवाब देनेमें देर हो जाती है।

१४ तारीखको जो दृश्य[1] देखा गया, उसके पीछे तुमने जिन कारणोंका उल्लेख किया है, वे भी हो सकते हैं। किन्तु जिनकी सबसे ज्यादा सम्भावना है उन्हें हाथमें लेकर ही कोई बड़ा प्रयोग किया जा सकता है। और ऐसा करते रहनेसे ही सत्यकी उपलब्धि हो सकती है। आज मैं यह स्पष्ट देख सकता हूँ कि अपने प्रयोगमें मेरा अपने अन्य साथियोंको शामिल न करना बिलकुल गलत था। मुझे ऐसे लोगोंकी खोज करनी चाहिए थी जो मेरी शर्तोंके अनुसार प्रयोग कर सकते। किन्तु ऐसे लोगोंकी खोज करनेके बजाय अपने प्रयोगके लिए मैंने केवल अपनेको ही चुना। मेरे इस निर्णयमें भारी अज्ञान था। अभिमान तो था ही। इसका परिणाम यह हुआ कि साथी-गण जितनी छूट लेते थे, मैं उसे सहन नही करता था, जबकि मैं मनचाही छूट लेता रहा। इसे तो असहिष्णुताकी पराकाष्ठा ही कहा जायेगा। एक ओर तो मुझे मेरे इस मनोभावमें जो अनुदारता थी वह बुरी तरह खलती है, और दूसरी ओर आप सब साथियोंने मेरे प्रति जो उदारता दिखाई, वह अपनी सुगन्धसे मुझे आनन्दित करती है। संक्षेपमें यह स्थिति है।

नया प्रयोग[2] दूसरी तारीखसे शुरू हुआ, किन्तु अभी तो उसका आरम्भ ही माना जायेगा। नौका धीरे-धीरे बन्दरगाहसे बाहर निकल रही है। विगत चालीस वर्षोंसे जो नौका अपनी यात्रा एक विशेष मौसममें ही करती रही हो, उसके लिए किसी अन्य मौसममें यात्रा करना आसान नहीं है। इसलिए नौकाके बन्दरगाहसे निकलनेकी गति बहुत धीमी है।

१. देखिए, "पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको", पृ० ६५-६६।

२. नवयुवतियों को साथ न रखने का। गांधीजीने निश्चय किया था कि चलते समय लड़कियों का सहारा नहीं लिया करेंगे।

गिजुभाईके विषयमें मैं तुम्हें ज्यादा सलाह नहीं दे सकता। किन्तु मैं तुमसे एक बातका विचार करनेको अवश्य कहूँगा। गिजुभाई मोन्टेसरी-पद्धतिके अनुयायी हैं। मैं इस पद्धतिके बुनियादी सिद्धान्तको जानता हूँ। इस सिद्धान्तका अनुसरण करनेसे तो यहाँ काम नहीं चलता। यदि तुम और नारणदास वर्धा-पद्धतिको समझ गये हो और वह तुम्हारे गले उतर गई है तो मुझे लगता है कि शायद गिजुभाई तुम्हारे साथ सहयोग नहीं कर सकेंगे। कारण, मैं जहाँतक उन्हें जानता हूँ, वे वर्धा-पद्धतिको पूरी तरह सहयोग नहीं दे सकते।

यह पत्र नारणदासको दिखाना। तुम्हें कुछ लिखना हो तो लिखना। यहाँ जब आना हो तब आ जाना।[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५४४) से। **बापुना पत्रो – ७ : श्री छगनलाल जोशीने**, पृ० २६७-६८ से भी।

१८५. पत्र : अमृतकौरको

२३ जून, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

बहिष्कारके पीछे मेरा विचार यह है कि वह एक सर्वथा अहिंसक उपाय हो सकता है। और जब बहिष्कार अहिंसक हो तब वह कर्त्तव्य हो जाता है। इसलिए जो लोग यह मानते हों कि जापान सरासर गलतीपर है उनके लिए जापानी माल का बहिष्कार करना कर्त्तव्य है। और जब वह कर्त्तव्य हो जाता है तो फिर उसके परिणामोंके बारेमें सोचनेकी गुंजाइश ही नहीं रह जाती। कर्त्तव्य तो हर हालतमें करना है—चाहे कोई साथ देनेवाला हो या न हो। इस विषयपर तुमने क्या स्टेनले जोन्सका प्रबन्ध पढ़ा है?

आज इतना ही।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३०) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ६४३९ से भी।

१. अन्तिम दो वाक्य पुस्तक से लिये गये हैं।

१८६. बातचीत: मजदूर-संगठनका प्रशिक्षण लेनेवाले स्नातकोंके साथ[1]

[२५ जून, १९३८से पूर्व]

उत्तरमें उन्होंने उनको बताया कि किस प्रकार दक्षिण आफ्रिकामें अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ करनेके समयसे ही मजदूरोंके साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था। [उन्होंने कहा] जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें वकालत करनेको बसा, तभी मैंने निश्चय कर लिया कि अपने अवकाशका सारा समय मैं वहाँ बसे भारतीयोंकी सेवामें लगाऊँगा। मुझसे मदद लेने जो पहला आदमी आया वह एक गिरमिटिया मजदूर था। इस मामलेको हाथमें लेते ही मैं मजदूरोंके सम्पर्कमें आ गया। मजदूर मेरे पास अपने मालिकोंके साथ होनेवाले विवाद और व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्याएँ लेकर भी आते थे। इससे मुझे उनके जीवनकी ऐसी अन्तरंग झाँकी मिली जैसी अन्यथा नहीं मिल पाती। उनके सामने मैंने सबसे पहले अहिंसाकी ही बात रखी और जब सत्याग्रह-आन्दोलनके एक नाजुक दौरमें लगभग ६०,००० मजदूरोंने हड़ताल करके जेल जानेकी तत्परता दिखाई उस समय वे केवल एक ही बातके लिए प्रतिबद्ध थे — अहिंसाका पालन करनेके लिए। उन्होंने अपार कष्ट सहे, असीम यातनाएँ भोगीं, फाकाकशी की और कुछ तो मृत्युके भी ग्रास हो गये; किन्तु अहिंसापर वे अन्त तक दृढ़ रहे। उनकी स्थिति विशेष रूपसे कठिन थी और एक दृष्टिसे यहाँके मजदूरोंसे भी बदतर। वे स्वतन्त्र नहीं थे, गिरमिटमें बँधे थे। उन्हें न्यायके लिए केवल अपने मालिकोंसे ही नहीं लड़ना था, बल्कि उस बदनाम तीन पौण्डी कर की समाप्तिके लिए भी संघर्ष करना था जिससे उनके सम्पूर्ण विनाशका खतरा उपस्थित हो गया था। लेकिन इस मुसीबतका पार पानेमें अहिंसाने उनकी मदद की। अपने चम्पारनके कामके बारेमें उन्होंने कहा कि वहाँके किसानोंकी स्थिति भी गिरमिटिया मजदूरों-जैसी ही थी। वे लगभग आधी सदीसे संघर्ष करते चले आ रहे थे, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी, क्योंकि उनको संगठित रखनेके लिए आवश्यक अहिंसाकी शक्ति उनके पास नहीं थी। कई बार मार-पीट हुई थी, लेकिन उनकी हालत साल-दर-साल बदतर ही होती चली गई थी। लेकिन अहिंसाका स्वाद लेते ही उनमें एक नई

1. महादेव देसाईके "नोट्स" (टिप्पणियाँ) से उद्धृत। अपना जीवन मजदूर-सेवाके निमित्त अर्पित कर देनेवाले विश्वविद्यालयोंके कुछ स्नातक मजदूर-संगठनका प्रशिक्षण लेने अहमदाबाद गये हुए थे। वहाँसे लौटते समय वे गांधीजी से मिलने वर्धा गये। उन्होंने गांधीजी से कई प्रश्न किये।

चेतना आ गई, और फिर तो एक बहुत ही छोटी लड़ाईके बाद ही उन्हें मुक्ति मिल गई।

अहिंसाकी इस आवश्यक शिक्षाके बिना उनमें सदा आपसी कलह होते रहते और फिर वे अपने अन्दर वह बल सँजोनेको तैयार नही होते जो उन्हें उनकी शक्ति का वास्तविक बोध करानेके लिए आवश्यक था। अहिंसाके इस आधार-रूप सिद्धान्तको स्वीकार करनेके बाद संगठन-शक्ति, संघर्ष चलानेकी कुशलता तथा अन्य गुण तो अपने-आप आ जाते हैं। इसको स्वीकार कर लेनेपर मजदूर-वर्गमें आपसी सहयोगकी भावना भी स्वभावतः आ ही जायेगी। उनकी सख्या इतनी बडी हैं, फिर भी वे अपनेको इतना अधिक पराधीन, मालिकोकी दयापर इतना अधिक निर्भर मानते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें कौन-सी शक्ति छिपी हुई है, इसका भान उन्हे नही है। यदि ऐसी बात न होती तो भला कौन-सी ऐसी शक्ति है जो उन्हे अपनी सारी शक्ति सचित करके अपनी बात उसी तरह मनवानेसे रोक सके जिस तरह आज पूँजीपति करते हैं? जो बात उन्हे समझ लेनी है वह यही कि जैसे पैसा पूँजी है वैसे ही श्रम भी पूँजी है। और यह समझ उनमें अहिंसाको स्वीकार करनेसे ही आ सकती है।

लेकिन उनमें यह समझ आ जाने और उनके अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेनेके बाद अहिंसाकी जरूरत नही रह जायेगी, सो बात नही है। अगर वे इसको त्याग देंगे तो वे भी उतने ही बुरे बन जायेंगे जितने बुरे आज पूँजीपति हैं। उस हालतमें वे खुद ही शोषक बन जायेंगे। उनमें अपनी शक्तिका बोध आने और साथ-ही-साथ उनके अहिंसाका पालन करते रहनेसे उनके लिए पूँजीपतियोके साथ सहयोग करना और ऐसी स्थिति उत्पन्न करना सम्भव होगा जिससे पूँजीका सदुपयोग हो सके। फिर वे पूँजीको एक ऐसे हितके रूपमें नही देखेंगे जो उनके अपने हितके विरुद्ध है। तब वे मिलो और मशीनोको शोषकोके हाथोका खिलौना, उन्हें पीसनेवाली चक्की नही मानेंगे। इसके बजाय वे उन्हें अपने हाथोमें उत्पादनका साधन मानेंगे और उनकी उसी तरह हिफाजत करेगे जैसे वे अपनी सम्पत्तिकी हिफाजत करते हैं। फिर वे समयकी चोरी नही करेंगे, सामर्थ्यसे कम काम नही करेंगे, बल्कि अपनी शक्ति-भर अधिकसे-अधिक काम करेंगे। सच तो यह है कि तब पूँजिपति और श्रमिक एक-दूसरे के न्यासी बन जायेंगे और दोनों मिलकर उपभोक्ताओके संयुक्त न्यासी बन जायेंगे। मेरा न्यासीपनका सिद्धान्त, जैसाकि मैंने समझाया है, एक पारस्परिक और उभयपक्षी चीज है; इसमें प्रत्येक सम्बन्धित पक्ष यही मानता है कि दूसरे पक्षके हितोकी रक्षामें ही उसका अपना सबसे अधिक हित है। 'भगवद्गीता' का वचन है: "तुम यज्ञ द्वारा देवताओका पोषण करो और देवगण तुम्हारा पोषण करें, और इस पारस्परिक पोषणके द्वारा तुम परम कल्याणको साधो।"[1] विश्वमें देवताओकी कोई अलग योनि नहीं है, बल्कि जिनमें कुछ पैदा करनेकी क्षमता है और जिनमें उस क्षमताका उपयोग

१. भगवद्गीता अध्याय ३, श्लोक ११।

करके समाजकी सेवा करनेकी साध है वे सब — अर्थात् पूँजीपति भी और उन्हींकी तरह श्रमिक भी — देवता ही हैं।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-६-१९३८

१८७. पत्र : द० बा० कालेलकरको

[२५ जून, १९३८ से पूर्व][1]

चि० काका,

वह विवाह-पद्धतिकी पुस्तक मुझे चाहिए। दो-तीन प्रतियाँ भेजना। विजयाका विवाह मनुभाईके साथ कुछ ही दिनोंमें करनेकी आशा रखता हूँ। उस समय बहुत करके नानाभाई उपस्थित रहेंगे। और विवाह-विधि भी वे ही करायेंगे। किन्तु वे कहते हैं कि विधि तुम्हारी पुस्तकके अनुसार करवाना ठीक रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें पुस्तककी एक प्रति भेजी जानी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६८६) से।

१८८. तार : कान्तिलाल गांधीको

वर्धागंज
२५ जून, १९३८

कान्ति गांधी
हरिजन-सेवक संघ
बंगलौर

सरस्वती व्यग्र है। तुम्हारी उपस्थिति चाहती है। कहती है, तुम्हारे विना नही रह सकती। मेरा सुझाव है कि तुम उसे तार करके अपना वचनपालन करने को कहो। वैसे तुम जैसा ठीक समझो करो।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३३६) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

१. देखिए "पत्र : महादेव देसाईको", पृ० १५७।

१८९. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव
२५ जून, १९३८

दुबारा नहीं पढ़ा

प्रिय मूर्खा रानी,

तुम्हारे पत्रोंके उत्तर देनेमें इन दिनों नियमितता नहीं बरत रहा हूँ। बात यह है कि मैंने मीरासे नियमित रूपसे कोई-न-कोई पत्र या पोस्टकार्ड लिखते रहनेको नही कहा है। लेकिन तुम चाहो तो नियमित रूपसे भेजा जायेगा।

पत्रोंके बारेमें डाक-विभाग कोई लापरवाही नहीं बरतता। बात यह है कि यह पत्र मैं रातमें लिख रहा हूँ। उसे डाकमें कल डाला जायेगा, लेकिन उसपर डाककी मुहर लगेगी परसोंकी तारीखमें। पत्रपर आगेकी तिथि डालना मुझे बिलकुल नापसन्द है।

तुम्हें यह लिखना तो हर बार भूल ही जाता हूँ कि सुशीलाके सम्बन्धमें जो एक अपवाद रखा गया था, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। उसे मेरी परिचर्या करनी पड़ी तो इसी कारण कि वह इस काममें कुशल है। यहाँ पक्षपातकी कोई बात नही है, यह तो आवश्यकताकी बात है, और अपनी टिप्पणीमें, जो अभीतक प्रकाशित नही हुई है, मैंने इसी चीजका प्रतिपादन किया है।

उसके प्रकाशनके बारेमें मैं अबतक अन्तिम रूपसे कोई निर्णय नही कर पाया हूँ। खुद मेरा मन तो उसे छापनेका हो रहा है। उसे अभी मैंने अन्तिम रूप नही दिया है। मुझे कोई जल्दी नही है।

हाँ, मैंने शास्त्रीका भाषण पढ़ा। समय मिला तो उसपर लिखनेका इरादा है।

सुभाष वर्धामें है। स्वास्थ्यकी साकार प्रतिमा-सा दिखता है। उसे जरूरत सिर्फ मनपसन्द कामकी थी। वैसा काम उसे मिल गया, सो वह प्रसन्न है।

सस्नेह,

डाकू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६६) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०२२ से भी।

१९०. पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको

सेगाँव, वर्धा
२५ जून, १९३८

प्रिय ख्वाजा साहब,

आपके १८ जूनके पत्र[1] और कैदियोंके २१ मई तथा २६ मईके पत्रोंके लिए भी आपको धन्यवाद। बड़ा अच्छा होता, अगर कैदियोंके पत्र मुझे इससे पहले भेज दिये होते। उनके पत्रोंके उत्तर[2] मैं साथ भेज रहा हूँ। आशा है ये उन्हें शीघ्र ही भेज दिये जायेंगे।

कैदियोके बारेमें सुभाष बाबूसे मेरी काफी लम्बी बातचीत हुई थी। लौटने पर वे आपसे मिल सकनेकी उम्मीद करते हैं और फिर अगर जरूरी हुआ तो वे कैदियोंसे मिलनेकी भी अनुमति माँगेंगे। चूँकि उनकी और शरत बाबूकी स्वीकृति आवश्यक मानी जा रही है — और यह उचित भी है — इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आगे उन दोनोमें से कोई वार्ता चलाये। इसके अलावा, इससे मैं फिर बंगाल जानेकी परेशानीसे भी बच जाऊँगा। आपको दुःखके साथ सूचित कर रहा हूँ कि इधर फिर मेरा स्वास्थ्य बिगड गया है। कारण यह है कि हालमें मैं अपने ऊपर कामका ज्यादा बोझ लेता रहा हूँ।

हम तीनों इस प्रस्तावित योजनाको स्वीकार करें, इसके लिए यह जरूरी है कि यदि सरकारी योजनाके तरीकेका सहारा लिया जाये तो भी परिणाम ऐसा आये जो मेरे गत १३ अप्रैलके पत्रमें कही बातोंसे मेल खाता हो। अगर इससे कुछ कमपर मैं राजी होता हूँ तो मैं कैदियोंके प्रति विश्वास-भंगका दोषी बनूँगा, क्योंकि उन्हें मैंने इस बातका पूर्ण आश्वासन दिया है और इस आश्वासनको अकसर दोहराया भी है कि यदि वे अहिंसाका पालन करेंगे तो मैं उनमेंसे प्रत्येकको यथासम्भव जल्दी-से-जल्दी रिहा करवानेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखूँगा। इसलिए जिस योजनामें सभी कैदियोंकी ऐसी रिहाईकी तजवीज न हो, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। अगर असली बात मान ली जाती है तो उस लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए कौन-सा तरीका अपनाया जाता है, इस बातको लेकर कोई कठिनाई नहीं होगी।

१. ख्वाजा नाजिमुद्दीनने अपने इस पत्रमें कहा था कि नजरबन्दोंके मामलेमें बंगाल सरकार चुप नहीं बैठी हुई है और उनके मामलोंके बारेमें जो निर्णय किया जायेगा, उसका औचित्य उन्हें समझानेकी सुविधा देनेको सरकार सहर्ष तैयार है।

२. ये उपलब्ध नहीं हैं।

आशा है, सुभाष बाबूके आपसे मिलनेपर कोई सन्तोषजनक समाधान निकल आयेगा। अगर आप कभी मेरी हाजिरी चाहें और उससे बात बननेकी सम्भावना हो तो मुझे बेझिझक दो पंक्तियाँ लिख दीजियेगा। फिर अगर मेरा स्वास्थ्य आने लायक रहा तो मैं खुशी-खुशी बंगाल पहुँच जाऊँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

माननीय ख्वाजा सर नाजिमुद्दीन
७, हंगरफोर्ड स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९९२९)से।

१९१. पत्र : महादेव देसाईको

२५ जून, १९३८

चि० महादेव,

कान्तिका पत्र देखना। साथका तार[1] रामचन्द्रनको भेजना। कान्तिको जो तार[2] भेजा जाना था वह तो कल चला ही गया होगा।

रातको सर्पगधा [दवा] ली थी। प्रातःकाल ३-३० पर रक्तचाप ११०/११२ था। इस समय कम होगा। इसलिए कोई खास उपाय करनेकी जरूरत नहीं है। काम कुछ कम करना होगा। साथका तार हेना[3] को भेजना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

क्या तुमने विवाह-विधिसे सम्बन्धित पत्र काकाको दे दिया? फिलहाल ६-३० बजे [रक्तचाप] १८०/१०२ है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५९९) से।

१. यह तार उपलब्ध नहीं है।
२. देखिए "तार : कान्तिलाल गांधीको", पृ० १५४।
३. कैलेनबैक की भतीजी। उसके लिए भेजा गया तार उपलब्ध नहीं है।

१९२. पत्र : महादेव देसाईको

[२६ जून, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० महादेव,

यदि नींद आती है तो उसे आने देना। इस बार सम्पादकीय लेखका झंझट तो है ही नहीं। हेना शीघ्र ही पूरा कर लेगी। तुम्हारी नींदका कारण मैं समझता हूँ। तुम्हारा मन कुछ हलका हो सका है। नहीं आये, यह तुमने ठीक ही किया। अपने ऊपर जोर डालनेकी जरूरत है ही नहीं। चेक वापिस भेज रहा हूँ।

कोई सहायक ढूँढूँ क्या? तुम लीलावतीको सँभाल सकोगे क्या? यहाँ तो वह बिलकुल बेकार बैठी है और भोजनालयके कामसे अलग होनेका दुखड़ा रोती रहती है। वहाँ आयेगी तो उसे कुछ सुख तो मिलेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३८) से।

१९३. तार : कान्तिलाल गांधीको

वर्धागंज
२७ जून, १९३८

कान्ति गांधी
हरिजन-सेवक संघ
बंगलौर

तुम्हारा पत्र मिला। सरस्वती चाहती है तुम छुट्टी ले लो। तुम दृढ़ रहो। उससे कहो कि उसे सेगाँवमें रहनेका वचन पूरा करना ही है। तुम बंगलौर नहीं छोड़ सकते। स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३३५) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

१. पत्रमें हेनाके उल्लेखसे; वह २६ जूनको आई थी।

१९४. पत्र : अमृतकौरको

२७ जून, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

फिर पेंसिलसे दो पंक्तियाँ घसीट रहा हूँ। पीठके बल पड़ा हुआ हूँ, पेटपर मिट्टीकी पट्टी बँधी हुई है।

अगर 'रिफार्मर'[1] नही पढती हो तो यह अंक तो देख ही लेना। उसमें हंसाका लेख छपा है। उस आन्दोलनकी कोई जानकारी तुम्हें है क्या?

हमारे यहाँ एक नई अतिथिका आगमन हुआ है—कैलेनबैककी भतीजी है। बड़ी अच्छी स्त्री है। लेकिन हमारे यहाँकी आबोहवा शायद उसे रास न आये। कल ही आई है।

अभी तो मौसम ठंडा है।

मेरा रक्तचाप बहुत चढ़ जाता है, लेकिन फिर उतर जाता है। काममें कोई बाधा नही पड़ती।

सस्नेह,

डाकू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६७) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०२३ से भी।

१९५. पत्र: द० बा० कालेलकरको

२७ जून, १९३८

चि० काका,

तुम्हारा पत्र पढ़ा; लेख भी पढ़ा। यदि लेख 'तालीमी संघ' के कार्यके बारेमें है तो हिन्दीसे सम्बन्धित वाक्य निकाल देना चाहिए। लेकिन यदि वह हिन्दी-प्रचार-कार्यके बारेमें है तो उक्त वाक्य नही निकाला जा सकता। यह भेद तो स्पष्ट है। अधिक, मिलनेपर।

१. इंडियन सोशल रिफार्मर।

मदनमोहन कौन है? उसने अपना पता तुम्हारे मार्फत दिया है। उसके पत्रका जवाब[1] साथमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६८७) से।

१९६. पत्र: विजया एन० पटेलको

सेगाँव
२९ जून, १९३८

चि० विजया,

दोष तेरा भी नहीं है; अमतुस्सलामका भी नहीं है। यदि छः दिनसे ज्यादा रहनेकी जरूरत हो तो अमतुस्सलामकी बदली कर दूँ, इसके सिवा मेरा कोई और हेतु नहीं था। मेरे हेतुओंके बारेमें किसी तरहका अनुमान करनेकी मनाही है। डॉक्टर पूरी अनुमति दे तो ही आना है। लीलावतीको तो आसानीसे भेजा जा सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४५७९) से; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

१९७. पत्र: विजया एन० पटेलको

मौनवार [२९ जून, १९३८के पश्चात्][2]

चि० विजया,

आशा है, मजेमें होगी। मणिलालभाई शामको तुझे यहाँ ले आयेंगे—यदि डॉक्टरने अनुमति दे दी तो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०९) से। सी० डब्ल्यू० ४६०१ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

१. यह उपलब्ध नहीं है।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

१९८. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव
३० जून, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

पत्र लिखनेमें यदा-कदा एक-आध दिनके विलम्बका बुरा तो नही मानोगी न?

मेरा वक्तव्य अभीतक अधरमें ही लटका हुआ है। उसमें सुधार नही किये जा सके हैं। लोग उसके बारेमें मुझे अजीब-अजीब तरहकी रायें दे रहे हैं।

तुमको बताया या नही कि कैलेनबैककी भतीजी आई हुई है। वह शरीरसे बहुत कमजोर है। सहायता करनेको बहुत उत्सुक है। तुम उससे मिलती तो अच्छा होता। अगर उसका स्वास्थ्य यहाँ ठीक नही रहा तो उसका बोरिया-बिस्तर बाँध कर उसे वापस भेज दूँगा।

शान्ता वापस चली गई है।

बालकृष्णका ठीक ही चल रहा है।

सस्नेह,

डाकू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६८) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०२४ से भी।

१९९. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

३० जून, १९३८

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मिला। जितना तू चाहता है, मैं न केवल उतना बल्कि उससे अधिक कर चुका हूँ। हिन्दी, संगीत, आदिकी कक्षाओंकी मैंने व्यवस्था कर दी है। उसे मैं अपने पास बिठाता हूँ। खानेके सम्बन्धमें मैंने उसे हर तरहकी छूट दे रखी है। अपना खाना मिर्च-समेत खुद बना लेने या बनवा लेनेको कहा है। वसुमती, शारदा आदिको उसके साथ कर दिया है। मैं उसे काफी समय भी देता हूँ। किन्तु उसे तो तेरी जरूरत है, सो मैं कहाँसे दे सकता हूँ?

तेरा कल्याण इस बातमें है कि तू अपनी भूलें आगे-पीछे भी देख सकता है। मैंने तो परेशान होकर रामचन्द्रन्को तार दे ही दिया है। मैंने उसे या गोविन्दन्को

बुलाया है। अभी कोई उत्तर नहीं मिला है। वहाँ क्या हुआ था, इसकी सूचना देना तेरा कर्त्तव्य था।

अब मेरी सलाह यह है। यदि तू स्वयं बचना चाहता हो और सरस्वतीको बचाना चाहता हो, तो तुझे निर्दय बनना पड़ेगा। सरस्वतीसे साफ-साफ यह कह देना होगा कि न तो तू बंगलौर छोड़ेगा और न वह वहाँ आ सकती है। उसे या तो सेगाँवमें रहना पड़ेगा या त्रिवेन्द्रममें। वह तेरी बात मानेगी। किन्तु वह तेरी कमजोरीको समझ गई है। वह तो नादान है, किन्तु तू भी नादान निकला। मैं समझता था कि तू सयाना है और तुझमें सरस्वतीका पथ-प्रदर्शन करनेकी सामर्थ्य है। किन्तु मेरा यह समझना गलत साबित हुआ। लगता है, तू अत्यधिक आसक्त हो गया है। यदि तू आसक्तिसे मुक्त ही न हो पाये, तो विवाह कर लेनेमें ही तेरा निस्तार है। किन्तु फिलहाल विवाह करनेको मैं अन्याय मानूंगा, इसके लिए मैं अपनी सहमति नहीं दूंगा। किन्तु तुझे मेरी सहमतिकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो किये बिना तू रह ही न सके, उसे करना मैं तेरा कर्त्तव्य मानता हूँ। यदि तेरा उक्त कर्त्तव्य मुझे न रुचे और उसके लिए मैं अपनी सहमति न दे सकूँ, तो उससे तुझे कोई आघात नहीं पहुँचना चाहिए।

नागपुर जानेका विचार छोड़ देना। वहाँका कार्यक्रम पूरा करना। अमतुस्सलाम को बातचीत करनेकी अनुमति दे दे। यदि तू अनुमति दे देगा तो मुझे आसानी हो जायेगी। मुझपर विश्वास कर। मैं अमतुस्सलामको हदसे बाहर नहीं जाने दूंगा।

कलकी एक मजेदार बात बताऊँ। सुबह सरस्वतीने आकर कहा कि कान्तिभाई को तार दो: "मैं बहादुर बनूंगी", आदि। मैंने उससे कहा कि तू यह तार लिख ला। इसलिए वह संलग्न अंश लिख लाई। मैंने उससे कहा कि आज तो रविवार है, कल सुबह भेज दूंगा। वह खुश हो गई। दो घंटे भी न बीते होंगे कि वह साथवाला दूसरा तार ले आई। वह तो भेजा ही नहीं। ऐसी स्थिति है। सब-कुछ तुझपर निर्भर है। मैं तो तुझे पूरी-पूरी मदद देना चाहता हूँ। किन्तु वह सब धर्मकी सीमाके भीतर होना चाहिए। तू समझदार और स्थिरचित्त बन। फिलहाल तो तेरा जीवन केवल विद्यार्थीका जीवन होना चाहिए। यदि तू आसक्तिमें फँस जायेगा तो तेरा जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा।

भगवान तुझे सीधा मार्ग दिखाये। मैं सरस्वतीको जल्दबाजीमें त्रिवेन्द्रम नहीं भेजूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३३७) से; सौजन्य: कान्तिलाल गांधी।

२००. पत्र : लक्ष्मी गांधीको

सेगाँव, वर्धा
३० जून, १९३८

चि० लक्ष्मी,

जब मैं तुझे पत्र नहीं लिखता तो फिर मैं तेरे पत्रकी आशा कैसे कर सकता हूँ? सरस्वतीको पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०२७) से।

२०१. पत्र : सुशीला गांधीको

सेगाँव, वर्धा
३० जून, १९३८

चि० सुशीला,

मणिलालका पत्र यहाँ भी आ गया है। तू जितने दिन वहाँ रहना चाहे, अवश्य रहना। जीवनका नियम यह समझना चाहिए कि हम इच्छाओंके वशीभूत होनेके बजाय धर्मके वशीभूत हों। बहुत बार तो इच्छा और धर्म, प्रेय और श्रेय एक-दूसरेके विरुद्ध होते हैं। ऐसी स्थितिमें हम वही करें जो श्रेयस्कर हो। किन्तु वहाँ रहनेकी अपनी इच्छापर इसे लागू करनेकी जरूरत नहीं है। मेरी तरफसे तो तू कहीं भी रहे, एक ही बात है। मैं चाहूँगा कि तू वहीं रहे जहाँ तू अधिक प्रफुल्लित मनसे रह सके और अपने स्वास्थ्यको बनाये रख सके। सेवाके विचारसे शायद तेरा वहाँ कुछ अधिक समयतक रहना ही धर्म हो।

सीता भले वहाँ बनी रहे। तूने उसकी पढ़ाई-लिखाईकी क्या व्यवस्था की है? क्या अरुण बहुत परेशान करता है? क्या उसके शरीरका विकास हो रहा है? तू वसुमतीको पत्र क्यों नहीं लिखती। यदि लिखनेका समय मिलनेके बावजूद तू नहीं लिखती और उसके लिए माफी माँगे तो यह माफी कैसे मिल सकती है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७६) से।

२०२. पत्र : गोसीबहन कैप्टेन और बहनोंको

सेगाँव, वर्धा
१ जुलाई, १९३८

मेरा खयाल था कि तुम्हारी पारिवारिक मण्डलीका सदस्य मैं कभी नहीं रहा; वैसा बननेका मैंने कभी प्रयत्न भी नही किया। किन्तु हमारे बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक सम्बन्ध रहा है, जिसका मूल दादाभाईके प्रति हम सबकी समान वफादारीमें है। मैंने तुम्हें उनके अपने वंशजोंसे अधिक माना है। तुम्हारी उनमें तथा उनके निर्दिष्ट कार्यमें आस्था रही है। उनका जीवन मेरे लिए उस समय प्रेरणाका स्रोत था जबकि मैं बालक ही था। किसी भी अन्य भारतीय नेताको जाननेसे पहले मैं उनके प्रभावमें आया। वह प्रभाव बराबर बना रहा है। जब मैं भारत लौटकर आया उसके बाद शीघ्र ही पेरीन मेरे जीवनमें आई और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि दादाभाईकी पोती भी मेरे आदर्शोंको स्वीकार करती है। यह सम्पर्क बढ़ा और अब ऐसा हो गया है कि जब भी मुझे यह पता चलता है कि तुम लोगों पर कोई दुःख आ पड़ा है तो मुझे भी स्वभावतः दुःख होता है। मैं कभी जालभाईके इतना करीब नही आया कि उन्हें उतनी अच्छी तरह जानूँ जितना कि तुम चारों बहनोंको जानता हूँ। लेकिन दूसरे कई स्रोतोंसे उनके व्यक्तित्वकी महत्ताका परिचय मैंने पाया। और सबसे ज्यादा तो उनकी मूक सेवाएँ जानता हूँ। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि उनकी मृत्युसे तुम सबको कितना धक्का लगा होगा। यह पत्र मैं अपने तारकी पूर्तिके रूपमें लिख रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगोंके दु:खका एक मूक भागीदार मैं भी हूँ, यह बात तुम्हारे दुःखको कुछ हल्का करेगी।

तुम सबको सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२०३. पत्र: कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव
१ जुलाई, १९३८

चि० कान्ति,

तेरा तार मुझे अच्छा नही लगा। सरस्वती और उसके माता-पिताके बीच हम दीवार कैसे बन सकते हैं? यह कैसे हो सकता है कि वह वहाँ जाये ही नहीं? किन्तु अब तो तेरे तारका कोई अर्थ भी नहीं रहा। इस समय स्थिति यह है। उससे मैंने काफी बातचीत की, बहुत-सारा विनोद भी किया, कुछ कड़ा भी पड़ा, किन्तु सरस्वतीने अपना हठ नही छोड़ा और दृढ़तापूर्वक कहा कि "मेरा तो विवाह कर दीजिए।" मैंने कहा, "यह काम मैं नहीं कर सकता, मै उसमें उपस्थित नहीं हो सकता, आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। तेरी उम्रकी लड़कीका विवाह करना मैं ठीक नही मानता। मै तो सुधारक हूँ और जिस चीजको मै ठीक नही मानता उसके पक्षमें मै अपनी सम्मति नही दे सकता। इसके सिवा, मुझे भय है कि विवाह होनेसे कान्तिकी पढ़ाईमें बाधा पड़ेगी, इसलिए भी मैं इस बारेमें अपनी सम्मति नही दे सकता। किन्तु यदि तेरे गुरुजनोंकी सहमति हो और कान्तिकी भी सहमति हो तो मै बीचमें नहीं पड़ूँगा। और ऐसी परिस्थितिमें मेरे आशीर्वादकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।" सरस्वतीने यह तर्क स्वीकार किया और मुझसे एकदम कहा—"तो मैं त्रिवेन्द्रम जानेके लिए तैयार हूँ और आप मुझे वहाँ भेज सकते है।" मैंने पूछा, "तेरे गुरुजनोंका और कान्तिका विचार तो जान लेना चाहिए न?" इसपर उसने कहा, "तब आप आज ही पत्र लिख दीजिए।" यह बात कल घूमते समय हुई थी, उस समय पत्र लिखना तो सम्भव था नहीं। सुबह तेरा तार मिला। यह मैंने उसे पढ़नेके लिए दिया और पूछा, "अब त्रिवेन्द्रम जाना कैसे हो सकता है? और विवाह भी कैसे हो सकता है?" तो उसने कहा, "नहीं, कान्तिभाई तो विवाह करनेके लिए तैयार है ही। और मेरे माता-पिता भी इनकार नही करेंगे। आप अपना पत्र लिखिए और उनकी अनुमति मिलनेपर मुझे भेज दीजिए।" कलकी बातचीतमें जब मैंने यह स्वीकार किया कि मै विवाहका विरोध करके उसे रोकनेके लिए कोई कदम नहीं उठाऊँगा, तब वह इस बातके लिए तैयार हो गई थी कि जबतक उसे यहाँ रहना होगा तबतक वह अपनी पढ़ाई यहाँ जारी रखेगी। उसने श्री कैलेनबैककी भतीजीके पास अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया है। आज शायद उसने हिन्दी पढ़ना भी शुरू किया होगा। इस समय यह स्थिति है।

नागपुरकी बात तो बिलकुल बेकार है। महादेव तुझे यह लिख ही चुके हैं। मैं अपनी राय भी बता चुका हूँ। तुम दोनोंका सम्बन्ध एक आदर्श सम्बन्ध होगा,

इस आशासे ही मैंने तुम्हें अपनी सम्मति दी थी। इस समय तो मैं इस आशाके फलित होनेका कोई चिह्न नहीं देखता। सरस्वतीसे मैंने कहा, "कान्ति तो तुझे कानम-जैसी माननेको कहता है।" तो उसने अत्यन्त दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया—"मैं कोई कानम नहीं हूँ। अपना हित मैं पहचानती हूँ। कान्तिभाईके बिना मैं यहाँ नही रहूँगी। उसे पन्द्रह दिनके लिए यहाँ बुलाइए।" तू ऐसा मानता है कि मैं सरस्वती पर अपना हुक्म चला सकता हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मैं हुक्म चलाना भी नही चाहता। इस समस्याकी कुंजी तेरे ही हाथमें है। मेरी सलाह तो यह है कि तुझे सरस्वतीको त्रिवेन्द्रम जाने देना चाहिए। फिलहाल विवाह करनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार कर देना चाहिए और स्वयं त्रिवेन्द्रम नही जाना चाहिए। अपने अध्ययनके लिए तुझे तपस्या करनी चाहिए। यह सब तुझे सरस्वतीको स्पष्टतापूर्वक लिख देना चाहिए। अपना अध्ययन छोड़कर यहाँ आना तो बिलकुल गलत है। लेकिन यह तो मेरी राय है। यदि यह बात तेरे गले न उतरे और तू विवाह करनेके लिए तैयार हो गया हो तो तू निश्चिन्त होकर विवाह कर। तुझे यह सब सोचनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इसमें तेरा श्रेय नही देखता। भविष्यको कौन जानता है? हो सकता है कि मेरी आशंकाएँ निराधार हों। मेरा अनुमान गलत सिद्ध हो सकता है। तू अपना हित स्वयं समझ सकता है। इसलिए मेरी रायका विचार किये बिना तुझे जैसा निर्णय करना उचित लगे, वैसा निर्णय करना और मुझे उसकी सूचना देना। इस बीच सरस्वतीको प्रसन्न करनेके लिए जो-कुछ करना जरूरी होगा वह मैं करूँगा। कल मैंने इस लड़कीको चार घंटे दिये थे। वसुमती उसके लिए काफी समय दे रही है, किन्तु वह स्पष्ट कहती है कि "यह काम मेरी शक्तिके बाहर है। जो लड़की आपकी बात नही सुनती, वह मेरी कैसे सुनेगी?" कनु उसे अलग समय दे रहा है। लीलावती, शारदा आदि उससे मित्रता करनेका भरसक प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन वह ऐसी लड़की नही है जो किसीकी मित्रता जल्दी स्वीकार कर ले। हाँ, वसुमतीके साथ उसके मनका मेल कुछ हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अमतुस्सलाम उसे प्रभावित कर सकेगी।

अब ईश्वर तुझे जैसा सुझाये वैसा कर और मुझे लिख।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३३८) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

२०४. पत्र : द० बा० कालेलकरको

सेगाँव
१ जुलाई, १९३८

चि० काका,

तुम्हारा पत्र मिला। मौलाना साहबको लिखा पत्र दो बार तो मैं पढ़ गया हूँ। मैंने उसे रद तो नही किया है, किन्तु पूरे पत्रका ढाँचा मुझे फिरसे तैयार करना पड़ेगा। इसी कारण देर हो गई है। मैं उसे जल्दी-से-जल्दी तैयार कर दूँगा।

रामदेवजी के पत्रका तात्पर्य मैं समझ गया हूँ। यदि तुम किसी दिन आओ तो तुम्ही मीराबहनसे विशेष रूपसे आग्रह करना। मेरा आग्रह करना हुक्म देना माना जायेगा और ऐसा करना ठीक नही होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६८५) से।

२०५. पत्र : छगनलाल जोशीको

सेगाँव, वर्धा
१ जुलाई, १९३८

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र बहुत बढिया है, क्योंकि तुमने अपनी बात साफ-साफ कही है। क्षमा माँगनेका कोई कारण ही नही था। साबरमतीमें इस प्रश्नपर चर्चा हुई थी, इसकी मुझे ठीक याद है। लेकिन मुझे जो याद आता है वह तुम्हारी यादसे बिलकुल उलटा है। और मेरा खयाल तो यह भी है कि इस विषयपर चर्चा दो बार हुई थी। मुझे धुंधली-सी याद है कि पहली बार इस चर्चाके फलस्वरूप [लड़कियोंके] कंधोपर हाथ न रखकर चलनेकी मेरी आदतके विषयमें कुछ निर्णय हुआ था। इस चर्चामें काका हाजिर नही थे। उन्हें जब इसकी खबर मिली तो उन्होने इस विषय पर पुनः चर्चा चलाई; कारण, उन्हें मेरा प्रयोग तात्त्विक दृष्टिसे अच्छा मालूम हुआ था। इस दूसरी चर्चाका परिणाम यह हुआ कि मैं जहाँ था वही रह गया, ऐसा मुझे स्मरण है। जो भी हुआ हो, मुद्दा यह है कि मुझे ऐसा नही लगता कि मैंने जो-कुछ करनेको कहा था, वह मैं कर नहीं सका।

अब वर्धाके निर्णयके विषयमें। यदि तुम 'हरिजन'[1] पढ़ो तो तुम देखोगे कि लड़कियाँ प्रतिदिन जुलूस बनाकर मगनवाड़ीसे महिलाश्रम और महिलाश्रमसे मगनवाड़ी जाते हुए मुझे अपने साथ ले चलनेके लिए मेरे पास आती थीं और मैं उनके साथ जाता था। मैं उनके कंधोंपर बारी-बारीसे हाथ रखते हुए चलता था। लोगोंका ध्यान इस बातपर गया, और यह उनकी आलोचनाका विषय बन गई। मैंने अपनी ओरसे लोगोंके साथ उसकी चर्चा की और जिस निर्णयपर पहुँचा उसे मैंने प्रकाशित कर दिया। मेरे मनमें यह खयाल था ही नहीं कि मैं अपने साथ रहनेवाली लड़कियोंके कंधोंपर किसी दिन हाथ रखूँगा ही नहीं। उक्त लेख लिखनेके बाद भी मनु आदि लड़कियोंका उपयोग तो 'लाठी' की तरह करता ही रहा। लेकिन वह जुलूसवाली चीज बन्द हो गई, आजतक बन्द है और बन्द ही रहेगी। इसमें दृष्टि ब्रह्मचर्यकी नहीं थी; केवल लोकसंग्रह की थी। इस उदाहरणमें ऐसा-कुछ नहीं है कि यह कहा जाये कि मैं अपना कहा हुआ कर नहीं सका। यदि जानते-समझते हुए मुझसे ऐसी भूल हुई होती तो वह मेरे मनको गड़ती और मैं निस्तेज बना होता। अपनी प्रतिज्ञाके पालनका मेरा आग्रह यदि मुझे शिथिल पड़ता दिखाई दे तो यह बात मुझे अच्छी नहीं लग सकती। हाँ, आत्म-वंचनाका दोष सम्भव है। उदाहरणके लिए, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं गाय या भैंसका दूध नहीं पीऊँगा, तो मैंने बकरीका दूध लेना शुरू कर दिया। प्रतिज्ञा थी कि एक बारके भोजनमें पाँच वस्तुएँ ही लूँगा, छठी नहीं, तो मैंने अनेक सब्जियोंको एक ही मानना शुरू कर दिया और अपने मनको इसके लिए राजी कर लिया। यह एक दुःखद कथा है। तथापि अपने मनको, कैसे भी हो, यह निश्चय तो मैं कराता ही हूँ कि अपनी प्रतिज्ञाके अक्षरार्थको मैं भंग नहीं करता और [इस हदतक] अपनी प्रतिज्ञाका कड़ाईके साथ पालन करनेका आग्रह रखता हूँ। ठक्कर बापाके मनको जो आघात पहुँचा, उसके विषयमें तो मैं क्या कहूँ? कच्छके उन मुनिने जो ताना दिया उसका तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं हो सकता था, क्योंकि तुम्हारे सामने तो तुम्हारी समझके अनुसार प्रतिज्ञा-भंगके दो उदाहरण मौजूद थे। इसलिए तुम्हें उनका ताना सरल भावसे सहन कर लेना चाहिए। तुम इतना ही कह सकते हो: "उनके साथ रहनेवाले हम लोगोंको भी उनके अमुक कार्य समझमें नहीं आते। किन्तु हम ऐसा मानते हैं कि उनके संसर्गसे हमने कुछ खोया नहीं है और इसलिए हम उनका साथ देते हैं। आपने जो तुलना की है उसके विषयमें मैं उनसे पूछूँगा।" यदि तुमने ऐसा उत्तर दिया हो तो ठीक किया। और यदि कोई उत्तर न दिया हो, उनकी बात चुपचाप सुन ली हो तो भी ठीक किया। जो भी स्थिति हो, यह जवाब तो तुम हमेशा दे सकते हो: "उन्होंने लड़कियोंका जो स्पर्श किया वह बिलकुल निर्दोष बुद्धिसे किया है, भोगवृत्तिसे कभी नहीं किया। इसके सिवा, जब ऐसी शंका हुई कि कहीं अनजाने वे कोई दोष न कर रहे हों, तब इस शंकाका निराकरण करनेके विचारसे उन्होंने फिलहाल तो उसका त्याग कर दिया है।"

१. देखिए खण्ड ६१, "एक त्याग", पृ० ४७०-७२।

'मुनि' जो-कुछ कर रहे हैं, उसकी तुलना मैं अपने व्यवहारके साथ नहीं कर सकता। मेरी दृष्टिसे तो उसमें पर्याप्त दोष हैं। किन्तु यदि उनकी आत्मा उनके बरतावमें कोई दोष नही देखती तो मैं चाहे जो करूँ, उन्हें अपना उक्त बरताव चालू रखना ही चाहिए। यह चीज इतनी गूढ़ है कि इसमें यदि लोग एक-दूसरेका अन्धानुकरण करें तो भारी गलती हो सकती है। इसलिए प्रभुको साक्षी करके हमारी जाग्रत अन्तरात्मा जैसा करनेको कहे, वैसा ही हम सबको करना चाहिए।

इस सम्बन्धमें स्थितिको स्पष्ट करते हुए मैं एक निवेदन प्रकाशित करनेके लिए आतुर हूँ। लेकिन उसमें मैं अपने ज्यादा-से-ज्यादा साथियोंको सन्तुष्ट करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। देखें क्या होता है।

"नौका बन्दरगाहमें है"[1], यह वाक्य, ऐसा लगता है कि तुम समझे नही। इसका अर्थ इतना ही है कि यद्यपि प्रयोग चालू है, तथापि उसकी चर्चा भी होती ही रहती है। इसलिए जबतक चर्चा होती रहती है तबतक ऐसा नही कहा जा सकता है कि वह मनसा, वाचा और कर्मणा चल रहा है। उसके परिणामोको मैं तभी देख सकूँगा जब मुझे उसे चुपचाप करते रहनेका अवसर मिलेगा। इसलिए आज तो वह केवल कर्मणा चल रहा है। मनसा और वाचा तो प्रतिदिन उसके विषयमें विनोद-वार्त्ता ही होती रहती है। आज इतना ही।

अभी सीमा-प्रान्तके विषयमें कुछ नही कह सकूँगा। बादमें कभी देखूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५४७) से।

२०६. पत्र : अमृतकौरको

२ जुलाई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मेरी खोजके क्रममें एक नया दौर आरम्भ हुआ है। कह नहीं सकता, इसका अन्त कहाँ होगा। वक्तव्य अगर जारी भी किया जायेगा तो जो वक्तव्य तुमने देखा था, उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। लेकिन तुम धैर्य रखो। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे मनमें कोई चीज चल रही है। कोई खास चौंकानेवाली बात नही। इतना ही कि मैंने, जितना चाहिए, उतना सख्त कदम नही उठाया है। अब इसे कौन-सा रूप मुझे देना होगा, मुझे नही मालूम। ईश्वर रास्ता दिखायेगा।

१. देखिए "पत्र : छगनलाल जोशीको", पृ० १५०-५१।

लगता है, तुम्हारे बोर्डके साथ तुम्हारी ठीक-ठीक निभ गई। तुम्हारे पत्रकी आतुरतासे प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

सस्नेह,

डाकू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८६९) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०२५ से भी।

२०७. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

२ जुलाई, १९३८

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मुझे अभी-अभी सरस्वतीने दिखाया। तू तो क्षणमें रुष्ट और क्षणमें तुष्ट हो जाता है। इसलिए तेरी कृपासे प्रसन्न क्या होना और तेरे क्रोधसे दुःखी क्या होना?

सरस्वतीके प्रति तेरी आसक्तिको क्या मैंने तेरे दोषके रूपमें देखा है? मैंने तेरे बारेमें एक बातकी अपेक्षा की थी, किन्तु जब वह मुझे दिखाई नहीं दी तो मुझे दुःख हुआ। किन्तु उससे क्या हुआ? तू तो जैसा है वैसा ही मुझे दिखाई दे, यही अच्छा होगा।

सरस्वती तो परसोंसे काफी उछाहमें है। क्योंकि तेरे पत्रसे वह यह समझ बैठी है कि अब थोड़े ही दिनोंमें उसका विवाह होनेवाला है। मेरे विरोधका उसे भय था। कल वह पूरे दिन उछलती-कूदती रही। उसने तेरा लिखा आजका पत्र मुझे दिखाया। अब भी मुझे यह डर बना हुआ है कि कहीं मक्खी न छींक जाये। मैं तो उसके लिए काफी जहमत उठा रहा हूँ। उसे यथासम्भव जितना समय दिया जा सकता है, उतना देता हूँ और जितनी प्रसन्न रह सके उतनी प्रसन्न रखता हूँ। किन्तु देखता हूँ कि जब वह कोई जिद पकड़ लेती है तो फिर उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता।

बाकी उसका भोलापन, उसकी सादगी और बचपना आदि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जबतक वह यहाँ रहेगी, तबतक तो मैं उसकी देखभाल करूँगा। तेरे पत्रका उसपर क्या असर होता है, यह देखूँगा। उसने अभी मुझसे बातचीत नहीं की है। उससे मैंने पूछा तो अवश्य था।

तेरा यह कहना ठीक है कि जब मुझे सभी तथ्योंकी जानकारी नहीं होती तो मेरे निर्णय भूलोंसे भरे हुए होते हैं। और होने भी चाहिए। इसे तो सत्यार्थीका गुण माना जायेगा। क्योंकि जितने तथ्योंकी उसे जानकारी हो, उन्हींके अनुसार उसका निर्णय होना चाहिए। उसे स्वार्थके कारण विचलित नहीं होना चाहिए और

न अपनी तटस्थता छोड़नी चाहिए। जैसाकि तूने लिखा, यदि मेरी वही स्थिति हो तो उससे मुझे प्रसन्नता होगी। वह स्वाभाविक होनी चाहिए।

नागपुरसे मुझे पत्र मिल गया है कि कल उनके यहाँ भरतीका अन्तिम दिन था। कुल नौ जगहें थी, जिनमें से एकका उम्मीदवार तू था। इन जगहोंके लिए साठ प्रार्थना-पत्र आये थे। ऐसे कबाड़खानेमें जाकर तू क्या करता?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३३९) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

२०८. पत्र : कनु गांधीको

२ जुलाई, १९३८

चि० कनैयो,

मैंने तुझे सुबह कही दुःख तो नही पहुँचाया? किन्तु उसके पीछे मेरा स्नेह था, तू यह समझ पाया या नहीं? यह जानते हुए भी कि तुझसे ऐसी भूल होना सम्भव है, मुझसे वह सहन नही होती। इसे तू अच्छा लक्षण मान। मैं तुझे परिपूर्ण देखना चाहता हूँ। यदि तू धीरज रखेगा तो ऐसा ही बनेगा।

तू तो नारणदासका पुत्र है न? उनके धैर्य और श्रद्धाका अनुकरण करना। तुझे कदापि निराश नही होना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

२०९. प्रमाणपत्र : लालजी परमारको

सेगाँव, वर्धा
२ जुलाई, १९३८

श्री लालजी परमार गुजरात विद्यापीठके सगीत वर्गमें सीखते थे। और उनकी प्रगति यहातक हो गई थी कि थोड़ा सीखा भी सकते है। श्री लालजीकी प्रगतिके बारेमें निश्चयात्मक अभिप्राय उनके शिक्षक ही दे सकते है। गुजरात विद्यापीठके माजी [भूतपूर्व] संगीत-शिक्षक और महामात्रने जो प्रमाणपत्र दिये है मैं [ने] देखें है। श्री लालजी परमार हरिजन है। यदि उनको मुंबई सरकारकी तरफसे मदद दी जाय तो उचित ही होगा।

मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२८९) से।

२१०. पत्र : जमनालाल बजाजको

[४][1] जुलाई, १९३८

चि० जमनालाल,

आज बालकृष्ण[2]को अस्पताल ले जानेके लिए मोटर नौ बजे आनेवाली थी। यदि मोटर रवाना न हुई हो और तुम भेज सको तो भेज देना। अस्पतालको भी एक चिट्ठी भेजी जा रही है। यदि अब भी समय हो तो ही मोटर चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९४) से।

२११. पत्र : महादेव देसाईको

४ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारे यहाँसे अभीतक कोई नही आया। काका यही है और जो-कुछ तैयार है सो मैं उनके साथ भेज रहा हूँ। मेरा एक लेख और साफ की हुई खाँडके बारेमें सुशीलाकी एक टिप्पणी[3] तैयार हो रही है, उन्हें बादमें भेजूंगा।

परसोंकी बातचीत मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। मुझे कुछ विचार सूझे है, किन्तु यहाँ उनके बारेमें लिखनेका समय नही है। इस सम्बन्धमें बहुत करके कल चर्चा करूँगा। मुझे शायद तीन बजे वर्धा आना पड़ेगा। टण्डनजी आदि आ रहे हैं। इसलिए पहले पूछताछ करके आना। कान्तिके लिए एक पत्र[4] भी इसके साथ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०१) से।

१. पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद से।

२. बालकृष्ण भावे, जो यक्ष्मा से पीड़ित थे।

३. सम्भवत: "बैड टीथ ऐंड रिफाइण्ड कार्बोहाइड्रेट्स" शीर्षक लेख, जो हरिजन, ३०-७-१९३८ में प्रकाशित हुआ था।

४. देखिए अगला शीर्षक।

२१२. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

४ जुलाई, १९३८

चि० कान्ति,

मेरा कलका पत्र तुझे मिल गया होगा। तू बड़ा निर्दय है और बालक भी है! तू मुझे चाहे जितना उद्धत पत्र क्यों न लिखे, मैं क्रोध नही करूँगा। किन्तु तू इतना क्रोध क्यों करता है? तू समझदार है, त्यागकी शक्ति रखता है, किन्तु मुझे यह देखकर दुःख होता है कि तेरा क्रोध तुझे खा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तेरा अहित हो रहा है और यह देखकर मुझे कष्ट होता है। मुझे तेरा डर लगता है। तुझे लिखते हुए मुझे अपने शब्द तोलने पड़ते हैं, यह बात तेरे लिए किसी भी प्रकार शोभास्पद नही है।

सरस्वतीको तूने जो पत्र लिखा वह खराब था। वह तो बेचारी काँप उठी। यह रहा मुझे लिखा हुआ उसका पत्र। किसी बकरीपर क्या सेना लेकर चढ़ाई करते है? उसे अपने जालमें बाँधनेवाला तो तू ही है, और अब जब वह तेरे बिना नही रह सकती तो तू उसे धमकाता है! इसका क्या मतलब? वह तेरी सहचारिणी है, सहधर्मचारिणी है, तेरी दासी नही है, तेरी सम्पत्ति नही है। एक ओर तो तूने उसे अपनी पुतली बनाया और अब दूसरी ओर तू उसे अपनी सम्पत्ति समझ रहा है, यह उचित नही है। अपने क्रोधमें तू मेरे इस कथनकी अवज्ञा न करना। यह याद रखना कि मै अनुभवी हूँ।

मुझे तो ऐसा लगता है कि इस चीजका विवाहके सिवा और कोई हल नही है; बादमें जैसा करना हो वैसा करना। यदि मैं इस विवाहमें अपनी सम्मति न दूँ तो उसकी चिन्ता मत करना। मेरा विरोध नही है, इतना काफी होना चाहिए। दोनों वियोग सहन कर सको, एक-दूसरेको पत्र लिखकर सन्तोष मानो और कभी-कभी एक-दूसरेसे मिलकर तृप्त रह सको, तो बहुत अच्छा है। किन्तु सरस्वतीके विषयमें यह अशक्य लगता है। विवाह करनेके बाद क्या करना है इसका विचार करना, मेरे साथ उसकी चर्चा करना। मेरा खयाल यह है कि बादमें अध्ययन तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यदि मेरा यह अनुमान गलत सिद्ध हो और सरस्वती जैसा कहती है, तुम दोनों साथ-साथ अपना अध्ययन जारी रख सको, तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। अब जो करना हो, स्वस्थ मनसे करना। इस बीच सरस्वतीको तो मै फूलकी भाँति सँभाल रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यह पत्र मैं तुझे तार[1] देनेके पहले ही लिख चुका था। लेकिन तेरा पत्र आ गया, इसलिए मैंने इसे रोक लिया।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४०) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

२१३. पत्र : महादेव देसाईको

४ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

आज क्या डाक आई है! उसके पहले काकाके द्वारा भेजी गई सामग्री मिल गई होगी। आशा है कि तुमने कान्तिको तार भेज दिया होगा। लगता है, मेरे ग्रह कुछ खराब हैं। किन्तु यदि उन कुग्रहोंको भी प्रभुके चरणोंमें अर्पित करना आता हो तो दुष्ट ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। यह तो मुझे अभी सीखना है। दो लेख इसके साथ हैं। गिरिका पत्र वहाँ है। उसके लिए कनैयो वहाँ आ रहा है। शेष अगले पत्रमें।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०२) से।

२१४. प्रश्नोत्तर[2]

सेगाँव

६ जुलाई, १९३८

प्रश्न : वर्धा शिक्षा-योजनामें धार्मिक शिक्षाका क्या स्थान है?

उत्तर : हमने वर्धा शिक्षा-योजनामें धर्मोकी शिक्षाको स्थान नहीं दिया है। क्योंकि हमें ऐसी आशंका है कि आज जिस प्रकारसे धर्मोंकी शिक्षा दी जाती है और लोग धर्मका जैसा आचरण आज करते हैं, उससे समाजमें एकता आनेके बजाय झगड़े और विभेद ही बढ़ते हैं। दूसरी ओर, मेरी मान्यता यह है कि जिन सत्योंको

१. तार उपलब्ध नहीं है।

२. कांग्रेसी प्रान्तोंके शिक्षाधिकारी वर्धा-योजनाके अन्तर्गत एक पखवाड़ेका प्रशिक्षण प्राप्त करने आये हुए थे। इस दौरान वे गांधीजी से दो बार मिले। ये प्रश्न उन्होंने ही पूछे थे। देखिए "बातचीत : कांग्रेसी प्रान्तोंके प्रतिनिधियोंके साथ", पृ० १४९।

सभी धर्म स्वीकार करते हैं, उनकी शिक्षा सभी बच्चोंको दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। इन सत्योंकी शिक्षा वाणीसे या पुस्तकोंके द्वारा नहीं दी जा सकती। बच्चे इन सत्योंको शिक्षकके दैनिक जीवनको देखकर ही ग्रहण कर सकते हैं। यदि शिक्षक स्वयं सत्यके और न्यायके सिद्धान्तोंके अनुसार जीवन व्यतीत करेगा तभी बच्चे यह सीख पायेंगे कि सत्य और न्याय सभी धर्मोंके आधार हैं।

जब गांधीजीसे यह पूछा गया कि क्या सातसे चौदह वर्षकी उम्रके बच्चोंको सभी धर्मोंका समान रूपसे आदर करनेकी शिक्षा दी जा सकती है, तो उन्होंने कहा :

मैं तो समझता हूँ कि दी जा सकती है। सभी धर्म तत्त्वतः एक ही हैं और हमें दूसरोंके धर्मोंके प्रति भी उसी तरह प्रेम और श्रद्धाका भाव रखना चाहिए जैसा हम अपने धर्मके प्रति रखते हैं — यह तो एक बहुत ही सीधा-सादा सत्य है और इसे सात सालके बच्चे भी आसानीसे समझ सकते हैं और इसका आचरण कर सकते हैं। लेकिन, निस्सन्देह, इसकी पहली शर्त यह है कि स्वयं शिक्षकमें भी ऐसी श्रद्धा हो।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-७-१९३८

२१५. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव
८ जुलाई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

क्या सवाल पूछा है! बंगलौर जाते हुए वर्धासे होकर तो गुजरोगी ही। इसका मतलब यह हुआ कि कार्य-समितिकी बैठकके समय तुम यहाँ हो सकती हो। और तब यहाँ तुम्हें भीड़-भाड़से भरे कमरेमें रहना होगा। खैर, उसकी परवाह तो तुम करती नहीं।

यह जब-तब तुम्हारा गला कैसे बैठ जाता है। तुम्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग तुम्हें तंग न करें। क्या ऐसी जगह सेगाँव नहीं है? और अब तो मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारी पसन्दकी कुटिया बनवा दे सकता हूँ।

आशा है, सु०[1] को लिखा जि०[2] का पत्र अब तुम्हें मिल गया होगा। बेशक, अब चर्चा बन्द हो गई है। जवाब कार्य-समिति भेजेगी।

हाँ, जवाहरलालकी बड़ी शोहरत हो रही है। वह पश्चिमके लोगोंके दिलोंमें भारतके प्रति सम्मान-भावको बढ़ा रहा है।

१. सुभाषचन्द्र बोस।
२. मुहम्मद अली जिन्ना।

अपनी शान्ति-सेनाकी तुम अकेली सदस्या होगी, यह शायद अच्छा ही है। इस कामके लिए हजारोंकी जरूरत नहीं है। सच्ची भावनासे किया गया चन्द लोगोंका आत्म-बलिदान भी अपना रंग दिखायेगा।

तुम्हारा खयाल गलत है। स्त्रियोंके बीच तो मैंने तीस वर्षकी आयुसे भी पहले ही काम शुरू कर दिया था। दक्षिण आफ्रिकामें ऐसी कोई स्त्री नही है जो मेरे नामसे परिचित न हो। लेकिन मैं तो सबसे दीन-दुःखी स्त्रियोंके बीच काम करता था। बुद्धिजीवी स्त्रियोंको मैं आकृष्ट न कर सका। मेरी आवाज सदा हृदयसे निकलकर हृदयतक पहुँचनेवाली होती है। बौद्धिक जनोंकी संगतिमें मैं उसी तरह व्याकुल हो जाता हूँ जैसे जलसे बाहर मछली। इसलिए तुम्हारा ऐसी अति-व्याप्तिपूर्ण बात कह देना गलत है। बुद्धिजीवी स्त्रियोको संगठित न करनेके लिए तुम मुझे दोषी नहीं मान सकती। मुझमें वह गुण ही नही है। और फिर, मेरा संगठनका तरीका भी असाधारण है, यद्यपि इसका मतलब यह नही है कि वह आवश्यक रूपसे दूसरोंके तरीकोंसे श्रेष्ठ भी हो। मेरा कहना सिर्फ यह है कि कागजपर दिखानेको मेरे पास कुछ नही है। लेकिन जिस प्रकार गरीब पुरुषोंके पास जाते हुए मुझे उनकी ओरसे उदासीनता मिलनेका भय नही रहता, उसी प्रकार जब मैं गरीब स्त्रियोंके पास जाता हूँ तो उनकी ओरसे भी मुझे ऐसी कोई आशंका नही रहती। एक अदृश्य सूत्रने मुझे उनके साथ बाँध रखा है। और मेरी व्यथाको तुम क्यों नहीं देख पाती? क्या मेरी यह व्यथा नारी-जातिके लिए नही है? अधिक शुद्धि प्राप्त करनेके लिए मैं आत्ममंथन कर रहा हूँ, क्योंकि वैसी शुद्धिके बलपर ही मैं नारी-जाति और उसके माध्यमसे सम्पूर्ण मानव-जातिकी अधिक सेवा कर सकता हूँ। अहिंसाकी, जो मेरी आधार-शिला है, यही अपेक्षा है।

आशा है, तुम्हारा अगला पत्र तुम्हारी स्वस्थताका समाचार लायेगा।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३१) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४४० से भी।

२१६. पत्र : रमणीकको

८ जुलाई, १९३८

चि० रमणीक,

तेरी बीमारीके बारेमें पिताजीसे समाचार मिलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि तू चंगा नही हो पा रहा है। अच्छा होना, बीमार पड़ना और बीमार रहना, यह सब हमारे हाथकी बात नही है। किन्तु किसी भी परिस्थितिमें समभाव बनाये रखना, ईश्वरको न भूलना और आन्तरिक आनन्दको न खोना हमारे हाथमें है। मुझे आशा है कि तूने इन सबको बनाये रखा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८७६२) से। सी० डब्ल्यू० १०५५ से भी; सौजन्य : चम्पाबहन मेहता।

२१७. पत्र : बलवन्तसिंहको

सेगाँव, वर्धा
८ जुलाई, १९३८

चि० बलवन्तसिंह,

ब्रह्मचर्यमें एक वस्तु यह है विर्य निष्फल होना नही चाहीये। जब उसकी उर्ध्व गति होती है तब माना जाता है कि वह निष्फल नही जाता है। बात सही नहीं है। जो मनुष्य क्रोध करता है वह वीर्यका दुर्व्यय करता है अथवा नाश करता है इसलिये वह निष्फल हुआ। इसी कारण ब्रह्मचर्यका इतने अंशमें नाश हुआ। इसी तरह जो मनुष्य भोगवृत्तिसे स्त्रीसंग करता है उसके वीर्यका नाश होता है, क्योंकि वह निष्फल जाता है। जो मनुष्यको किसी प्रकारकी विषय-वासना नही है, स्त्री-पुरुष दोनों संतान चाहते हैं और इसी कारण उनका मिलन होता है, तब वीर्य संपूर्णतया सफल होता है। इसलिये ऐसे दपत्ति पूर्णतया ब्रह्मचारी हैं। ऐसे दपति शायद करोड़में से एक मिले। जब एक ही वखत उनका मिलन होता है, उसके सिवा जैसे भाई-बहन रहते हैं उसी तरह रहते है। मनसे, वाचासे, स्पर्शसे अथवा किसी तरह विषय-तृप्ति नही करते हैं, उसके संतान उत्पत्तिके कारण बना हुआ मिलन किसी प्रकारसे भोगकी व्याख्यामें नही आता है। इतनेमें तुमारी शंकाका समाधान होना चाहीये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९०५) से।

२१८. देशी राज्य

कांग्रेसने देशी राज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेका निश्चय किया था। घटना-क्रमने यह सिद्ध कर दिया है कि वह एक समझदारी-भरा निश्चय था। यह संविधान चाहे जितना अन्यायपूर्ण, निरंकुश और तर्करहित हो, लेकिन इसके अन्तर्गत छोटा-बड़ा प्रत्येक देशी राज्य शेष राज्योंके साथ तथा जिसे देशी राज्योंसे अलग दिखानेके लिए ब्रिटिश भारत कहा गया है, उसके साथ भी अपने सम्बन्धोंकी दृष्टिसे, कानूनी और राजनीतिक दोनो अर्थोमें, एक सम्पूर्ण और स्वतन्त्र इकाई है। जो एक समानता सभीमें है, वह यह कि सब-के-सब ब्रिटिश शासनकी फौलादी जकड़में फँसे हुए हैं। लेकिन भौगोलिक तथा रक्तकी दृष्टिसे देशी राज्यों तथा भारतके अन्य हिस्सोंकी जनता एक, और अविभाज्य है। हम तैंतीस करोड़ स्त्री-पुरुषोंका आपसमे खूनका सम्बन्ध है और कोई भी संवैधानिक अथवा सैनिक युक्ति हमें विभाजित नहीं कर सकती। यह स्वाभाविक सम्बन्ध निर्बाध रूपसे अपना काम कर रहा है, क्योंकि जबतक यह संविधान एक वास्तविकताके रूपमें कायम है, तबतक के लिए हमने उसका कोई विरोध करनेके बजाय उसे मान लिया है। यही सत्याग्रहका या पापके प्रतिकारका रास्ता है। यह चिकित्सकोंका रोगाणुओंको नष्ट करनेका वह तरीका है जिसमें वे शरीरकी सभी प्राकृतिक शक्तियोंको सक्रिय बनाकर उन्हें अपना पूरा जोर दिखानेका अवसर देते है, ताकि इस अति क्रियाशीलताके फलस्वरूप शरीरका जहर अपने-आप चुक जाये।

देशी राज्योके मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेका निश्चय करके कांग्रेसने वहाँकी जनताको अपनी आनपर ला खड़ा किया; दूसरे शब्दोंमें, उसने प्राकृतिक शक्तियोको, अर्थात् जनताके अन्दर छिपी शक्तियोंको, क्रियाशील बना दिया। हालकी कुछ घटनाओं में ऐसा देखनेमें आया है कि अपनी शक्तिका बोध हो जानेपर जनताने, बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन-सहायताके उसका उपयोग कर पूर्ण विजय प्राप्त की है। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि खुद देशी राज्योके अधिकारियोंने अपनी प्रजाके साथ अपने मतभेदोंके निबटारेके, लिए कांग्रेससे मदद माँगी। इसमें सन्देह नही कि मनुष्यको ज्ञात प्रत्येक उपायकी तरह इस उपायकी भी अपनी मर्यादाएँ है। कांग्रेस कोई अनुचित माँग स्वीकार नही करवा सकती। जनताके पास सच्ची शिकायतें होनी चाहिए और उसे कांग्रेसके पास अपना दामन पाक-साफ रखकर आना चाहिए। कारण, सत्या-ग्रहका साधन अहिंसा है — अर्थात् जो बात सर्वथा न्यायसंगत हो, उसकी न्याय्यता सिद्ध करनेके लिए दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना स्वयं कष्ट सहन करना है।

अगर देशी राज्योंकी प्रजा मात्र सत्याग्रह, अर्थात् अहिंसाका पूरा मर्म और शक्ति पहचान ले तो वह सम्पूर्ण भारतके पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेसे पूर्व ही अपनी मर्यादित स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगी। और भारतके पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेसे पहले उसे ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त करनी ही होगी। उदाहरणके लिए, बेढंगे ब्रिटिश तन्त्र-जैसी

किसी चीजसे उलझे बिना वहाँ की प्रजा ऐसा कुछ भी बोलने, लिखने और करनेकी स्वतन्त्रताका उपभोग कर सकती है जिससे किसीका कोई अपकार न होता हो। देशी राज्योंमें उत्पादित यदि सम्पत्तिके समान नही तो न्यायोचित वितरणकी व्यवस्था तो वह अपेक्षाकृत आसानीसे करवा ही सकती हैं। बिना किसी खास प्रयत्नके वह अपने नरेशोंके निजी कोषपर अकुश रख सकती है और सस्तेमें शुद्ध न्याय प्राप्त करनेकी व्यवस्था करवा सकती है। देशी राज्योकी प्रजा गरीबी और ग्रामोद्धारकी समस्या का समाधान भी अति विशाल और नौकरशाहीकी जकड़में फँसे ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा आसानीसे कर सकती है। और सच्ची राष्ट्रीय शिक्षाको व्यवस्था तो वहाँ चाहने-भरसे कराई जा सकती है।

यह होगा देशी राज्योकी प्रजाका स्वराज्य, जो निस्सन्देह उस पूर्ण स्वराज्यसे बहुत कम होगा जिसकी माँग काग्रेस कर रही है। लेकिन अगर बड़े-बड़े देशी राज्यो की अधिकाश प्रजा अपना पूरा विकास कर लेती है तो पूर्ण स्वतन्त्रता इतनी जल्दी प्राप्त हो जायेगी जिसकी किसीने कल्पना भी नही की है। इसलिए देशी राज्योके सुधारक अनुचित अधीरतासे काम न ले; वे अपनी मर्यादाओंको न भूले और, सबसे बढ़ कर तो, सफलताकी अनिवार्य शर्त — अर्थात् सत्य और अहिंसाके पूर्ण पालनकी बातको — सदा याद रखें। उन्हें अडिग भावसे, लेकिन साथ ही तथाकथित आत्म-रक्षामें अपनी उँगलीतक उठाये बिना, गोलियोको झेलनेके लिए तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रही आत्म-रक्षाका अधिकार स्वेच्छासे छोड़ देता है। और यह भी याद रहे, कि सत्याग्रहकी न्यूनतम माँग ही उसकी अधिकतम माँग भी होती है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ९-७-१९३८

२१९. उच्चतर शिक्षा

कुछ दिन पहले मैंने उच्चतर शिक्षापर बहुत डरते-डरते और बड़े संक्षेपमें कुछ विचार व्यक्त किये थे। अब परम माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्रीने उनकी आलोचना की है। उन्हें आलोचना करनेका पूरा अधिकार है। मनुष्य, देशभक्त और विद्वान्के रूपमें उनके प्रति मेरे मनमें बड़ा आदर है। इसलिए जब-कभी किसी विषयपर मुझे उनसे असहमत होना पड़ता है तो मेरे मनको बड़ा कष्ट पहुँचता है। लेकिन मेरे कर्त्तव्यका तकाजा है कि उच्चतर शिक्षापर अपने विचार एक बार फिर, पहलेकी अपेक्षा अधिक विस्तारपूर्वक, प्रस्तुत कर दूँ, ताकि उनके और मेरे विचारोंका अन्तर पाठक खुद ही समझ ले।

मुझमें जो कमियाँ है, उन्हें मै स्वीकार करता हूँ। विश्वविद्यालयकी शिक्षा मैंने नहीके बराबर प्राप्त की है। उच्च विद्यालयमें भी मै औसतसे कोई अच्छा विद्यार्थी नही था। मैं परीक्षामें पास-भर होकर खुश हो जाता था। विद्यार्थीके रूपमें कोई नाम हासिल करनेकी सोचना तो मेरे बूतेसे बाहरकी बात थी। फिर भी, आम तौरपर शिक्षा-मात्रके सम्बन्धमें — जिसमें तथाकथित उच्च शिक्षा भी

शामिल हैं — मैं बहुत ही दृढ़ विचार रखता हूँ। और देशके प्रति मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं ये विचार लोगोंके समक्ष स्पष्ट रूपसे रख दूँ, ताकि इसके सम्बन्धमें उन्हें जैसा उचित जान पड़े, वैसा वे करें। अब मुझे उस भीरुताको छोड़ देना चाहिए जिसके वशीभूत होकर मैं अबतक अपने विचार दबाता आया हूँ। लोग मेरा उपहास करेंगे और शायद मेरी लोकप्रियता या प्रतिष्ठाको भी आँच आयेगी — इस सबका भय मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं अपनी मान्यताको अपने मनमें ही दबाये रखता हूँ तो मैं अपना विचार-दोष कभी भी सुधार नहीं सकूँगा। यदि मेरे सोचनेमें कहीं गलती हो रही हो तो उसे जाननेको मैं सदा उत्सुक रहता हूँ और उसको सुधारनेके लिए तो और भी अधिक।

अब यहाँ मैं अपने वे विचार बता दूँ जो मेरे मनमें वर्षोंसे बने हुए हैं और जिन्हें कार्यान्वित करनेका कोई भी अवसर मिलनेपर मैंने कार्यान्वित भी किया है:

(१) मैं शिक्षाके — संसारमें सुलभ हो सकनेवाली ऊँची-से-ऊँची शिक्षाके भी — विरुद्ध नहीं हूँ।

(२) राज्यके लिए जहाँ शिक्षाका कोई निश्चित उपयोग हो, वहाँ वह उसका खर्च अवश्य उठाये।

(३) उच्चतर शिक्षाका कोई खर्च राज्यके सामान्य कोषमें से भरा जाये, मैं इसके विरुद्ध हूँ।

(४) मेरी यह पक्की राय है कि हमारे कॉलेजोंमें साहित्य आदिकी जो तथाकथित शिक्षा इतनी अधिक दी जाती है, वह शक्तिका अपव्यय है और उसके परिणामस्वरूप शिक्षित लोगोंके बीच बेरोजगारी फैली है। इससे भी बुरी बात यह है कि जिन युवकों और युवतियोंको दुर्भाग्यवश हमारे कॉलेजोंकी शिक्षाकी चक्कीमें पिसना पड़ा है, उनका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी नष्ट हो गया है।

(५) भारतमे जिस विदेशी भाषाके माध्यमसे उच्चतर शिक्षा दी जाती रही है, उसने तो राष्ट्रका अपरिमित बौद्धिक तथा नैतिक अपकार किया है। हम अपने युगके इतने करीब हैं कि इस क्षतिकी व्यापकताका अनुमान नहीं लगा सकते। इसके अलावा, इस शिक्षाको प्राप्त करनेवाले हम लोग तो खुद ही इसके शिकार हैं, इसलिए हम ही इसके गुण-दोषका भी सही निर्णय कर सकें, यह लगभग असम्भव है।

ऊपर मैंने अपने जो विचार बताये हैं, उनका कारण भी अब मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। इसका शायद सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ मैं अपने अनुभवका एक प्रकरण प्रस्तुत करूँ।

१२ वर्षकी आयुतक मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, अपनी मातृभाषा गुजराती के माध्यमसे किया। तब मुझे गणित, इतिहास और भूगोलका कुछ-कुछ ज्ञान था। इसके बाद मैं एक उच्च विद्यालयमें दाखिल हुआ। यहाँ भी पहले तीन सालतक तो माध्यम मातृभाषा ही रही, लेकिन शिक्षकका काम विद्यार्थियोंके दिमागमें अंग्रेजीको ठूँसना था। इसलिए हमें अपना आधेसे अधिक समय अंग्रेजी भाषा और

उसकी नियमरहित वर्तनी तथा उच्चारणको सीखनेमें देना पड़ता था। यह जानकर बहुत दु:ख हुआ कि हमें एक ऐसी भाषा सीखनी है जिसके शब्द जैसे लिखे जाते हैं वैसे बोले नहीं जाते। हिज्जोंको कण्ठस्थ करना एक विचित्र अनुभव था। लेकिन यह सब तो मैं प्रसंगवश कह गया हूँ और मेरी दलीलसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर, पहले तीन वर्ष तो गाड़ी अपेक्षाकृत सुगमतासे ही चलती रही।

मुसीबत चौथे वर्षसे शुरू हुई। रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र, खगोलशास्त्र, इतिहास, भूगोल सब-कुछ अंग्रेजी माध्यमसे सीखना था। अंग्रेजीका आतंक ऐसा था कि संस्कृत या फारसी भी मातृभाषाके माध्यमसे नहीं, अंग्रेजीके माध्यमसे ही सीखनी थी। अगर कक्षामें कोई लड़का गुजरातीमें, जिसे वह ठीकसे समझता था, बोलता था तो उसे सजा दी जाती थी। कोई लड़का भले ही गलत अंग्रेजी ही बोलता हो — वह उसका सही उच्चारण न कर पाता हो, न उसे ठीकसे समझ पाता हो — इसकी परवाह शिक्षकको नहीं थी। वह परवाह करता भी क्यों? उसकी अपनी अंग्रेजी भी तो निर्दोष नहीं थी। स्थिति इससे भिन्न हो भी नहीं सकती थी। अंग्रेजी जितनी परायी विद्यार्थियोंके लिए थी, उतनी ही शिक्षकोंके लिए भी थी। परिणाम था अराजकता। हम विद्यार्थियोंको अपना पाठ कण्ठस्थ कर लेना पड़ता था, भले ही उसे हम पूरी तरह या जरा भी समझते न हों। जब शिक्षक हमें रेखागणितका कोई विषय समझानेके लिए मगज मार रहा होता, तो मेरा सिर चक्कर खाने लगता था। यूक्लिडकी प्रथम पुस्तकके १३ वें साध्यकी पढ़ाई शुरू होनेतक तो मैं रेखागणितका 'क' 'ख' भी नहीं समझ पाया। और मैं पाठकोंके सामने यह स्वीकार करता हूँ कि अपनी मातृभाषा गुजरातीके प्रति पूरा प्रेम रखते हुए भी ज्योमेट्री (रेखागणित), अलजेब्रा (बीजगणित) आदिके गुजराती पर्याय मुझे आजतक मालूम नहीं है। आज मैं यह जानता हूँ कि अगर मुझे अंग्रेजीके बजाय गुजराती माध्यमसे पढ़ना पड़ता तो अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, रसायन-शास्त्र तथा खगोलशास्त्रका जितना ज्ञान मैं चार वर्षोंमें प्राप्त कर सका, उतना बड़ी आसानीसे एक वर्षमें प्राप्त कर लेता। इन विषयोंको मैंने ग्रहण भी अधिक सरलतासे और ज्यादा साफ ढंगसे किया होता। मेरा गुजरातीका शब्द-भण्डार समृद्ध हुआ होता। उस ज्ञानका उपयोग मैं अपने घरमें कर पाता। इस अंग्रेजी माध्यम के कारण मेरे और मेरे उन कुटुम्बीजनोंके बीच भेदकी एक दुर्लंघ्य दीवार खड़ी हो गई जिन्होंने अंग्रेजी स्कूलोंमें शिक्षा नहीं पाई थी। मैं क्या कर रहा था, मेरे पिताको इसका कोई पता नहीं था। मैं चाहता भी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे मेरे पिता मेरी शिक्षामें कोई रस ले पाते। कारण, यद्यपि उनमें सम-झदारी बहुत थी, लेकिन वे अंग्रेजीका एक शब्द भी नहीं जानते थे। मैं बड़ी तेजीसे अपने ही घरमें अजनबी बनता जा रहा था। मैं दूसरोंसे बढ़-चढकर हूँ, ऐसा खयाल तो मनमें आ ही गया। मेरी पोशाकमें भी अदृश्य रूपसे परिवर्तन होने लगा। और केवल मेरे ही साथ ऐसा हुआ हो, सो बात नहीं थी। [अंग्रेजी शिक्षा पाने-वाले मुझ-जैसे] अधिकांश लड़कोंके साथ यही हो रहा था।

उच्च विद्यालयके मेरे पहले तीन वर्षोंमें मेरे सामान्य ज्ञानमें नहींके बराबर वृद्धि हुई। ये तीन वर्ष तो इसी तैयारीमें बीते कि लड़कोंको अंग्रेजीके माध्यमसे शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाया जाये। सभी उच्च विद्यालय अंग्रेजीकी सांस्कृतिक विजयके साधन थे। मेरे स्कूलके तीन सौ लड़कों द्वारा प्राप्त ज्ञान तालेमें बन्द सम्पत्ति बनकर रह गया। वह सम्पत्ति जन-साधारणको देनेके लिए नहीं थी।

अब दो शब्द साहित्यके विषयमें। हमें अंग्रेजी गद्य और पद्यकी कई पुस्तकें पढ़नी पड़ती थीं। इसमें सन्देह नहीं कि सभी पुस्तकें अच्छी थीं। लेकिन जन-साधारणकी सेवा करने या अपनेको उनके निकट लानेमें यह ज्ञान मेरे किसी काम नहीं आया। आज मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अंग्रेजी पद्य और गद्यका जितना अध्ययन किया उतना अध्ययन न किया होता तो किसी बहुत बड़े वरदानसे वंचित रह गया होता। इसके बजाय यदि वे सात वर्ष मैंने गुजरातीपर अधिकार पाने और गणित, विज्ञान और संस्कृत तथा अन्य विषयोंको गुजरातीके माध्यमसे पढ़नेमें लगाये होते तो इस प्रकारसे प्राप्त ज्ञान मैं अपने पड़ोसियोंको आसानीसे दे सकता था। तब मैं गुजराती भाषाकी समृद्धिमें भी योग दे पाता, और मुझमें कोई काम लगनके साथ करनेकी जैसी आदत है और स्वदेश तथा मातृभाषाके प्रति मुझमें जैसा अगाध प्रेम है, उसको देखते हुए कौन कह सकता है कि तब मैं जन-साधारणकी ज्यादा अच्छी और अधिक व्यापक सेवा न कर पाता?

इस सबका अर्थ कोई यह न लगाये कि मैं अंग्रेजी भाषा या उसके उदात्त साहित्य की निन्दा कर रहा हूँ। 'हरिजन' के स्तम्भोंमें अंग्रेजीके प्रति मेरे प्रेमका पूरा परिचय मिल जायेगा। लेकिन जिस प्रकार इंग्लैंडकी समशीतोष्ण जलवायु या वहाँके सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भारतकी आम जनताके कोई काम नहीं आ सकते, उसी प्रकार अंग्रेजी साहित्यकी उदात्तता भी उसके लिए निष्प्रयोजन है। भारतकी जलवायु, उसके प्राकृतिक दृश्य और उसका साहित्य भले ही इंग्लैंडकी जलवायु, उसके प्राकृतिक दृश्यों और उसके साहित्यसे हीनतर हों, किन्तु भारतको तो उन्हींके बीच, उन्हींके बलपर फूलना-फलना है। हमें और हमारे बच्चोंको अपनी विरासतकी नींवपर अपनी इमारत खड़ी करनी है। अगर हम दूसरोंकी विरासत उधार लेते हैं तो इसका मतलब है, हम अपनी विरासतको कमजोर बना रहे हैं। विदेशी आहारपर हम कभी भी फूल-फल नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र अंग्रेजी भाषाकी और, अंग्रेजी ही क्यों, अन्य विदेशी भाषाओंकी निधियोंको भी अपनी देशी भाषाओंके माध्यमसे प्राप्त करे। रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी अप्रतिम कृतियोंका रसास्वादन करनेके लिए मुझे बंगला सीखनेकी जरूरत नहीं है। उस रसका आस्वादन मैं अच्छे अनुवादोंके द्वारा कर लेता हूँ। टॉल्स्टॉयकी कहानियोंका रस लेनेके लिए गुजराती लड़कोंको रूसी भाषा सीखनेकी जरूरत नहीं है। वे अच्छे अनुवादोंके माध्यमसे वह सब पढ़-सीख लेते हैं। अंग्रेज लोग बड़े गर्वके साथ कहते हैं कि विश्वकी किसी श्रेष्ठतम कृतिके प्रकाशनके हफ्ते-भरके अन्दर ही वह हमारी भाषामें हमारे हाथोंमें होती है। अगर बात ऐसी है तो शेक्सपीयर और मिल्टनने जो चिन्तन किया और जो लिखा, उसका नवनीत प्राप्त करनेके लिए मुझे क्यों अंग्रेजी सीखनी पड़े?

संसारकी विभिन्न भाषाओंमें सीखने-योग्य जो सर्वोत्तम बातें हों, स्वदेशी भाषाओंमें उनका अनुवाद प्रस्तुत करनेकी शिक्षा देनेके लिए ही अगर एक अलग कक्षा चलाई जाये तो इससे राष्ट्रके धन और शक्ति दोनोंकी बचत होगी। किन्तु हमारे शासकोंने हमारे लिए गलत रास्ता चुना और उस रास्तेके अभ्यस्त हो जानेपर अब वह गलत रास्ता ही हमें सही जान पड़ता है।

हमारी शिक्षा-पद्धति खोटी है, हमारे अपने राष्ट्रीय गुणोंका हनन करनेवाली है। इस शिक्षा-पद्धतिके कारण हमारे करोड़ों देश-भाइयोंके साथ जो निरन्तर अधिकाधिक अन्याय हो रहा है, उसका प्रमाण मुझे रोज मिलता रहता है। कुछ स्नातक मेरे बहुत महत्त्वपूर्ण और योग्य सहयोगी हैं। मैं देखता हूँ कि जब उन्हें भी अपने बहुत गहरे विचारोंको अभिव्यक्ति देनी होती है तो उनकी बोलती बन्द हो जाती है। वे अपने ही घरमें अजनबी बन गये हैं। उनका मातृभाषाका शब्द-भण्डार इतना सीमित होता है कि अंग्रेजीके शब्द ही नहीं, वाक्योंतक का प्रयोग किये बिना उनके लिए अपनी बात पूरी तरहसे कह पाना सदा सम्भव नहीं होता। इसी प्रकार अंग्रेजी पुस्तकोंके बिना उनका गुजारा नहीं है। वे आपसी पत्र-व्यवहार भी अकसर अंग्रेजीमें ही करते हैं। इस बुराईने अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा ली है, यह दिखानेके लिए ही मैं अपने साथियोंका दृष्टान्त दे रहा हूँ। कारण, हमने पूरी जागरूकताके साथ अपनेको सुधारनेका प्रयत्न किया है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति वैसी है जैसी मैंने बताई है।

ऐसी दलील दी जाती है कि यदि हमारे कॉलेज, उनमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें से एक जगदीश बोस भी पैदा कर सकते हैं तो कॉलेजोंमें होनेवाली धन और शक्तिकी बर्बादीकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि इस बर्बादीसे बचना असम्भव हो तो मैं इस दलीलको पूरी तरहसे स्वीकार कर ले सकता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं यह बता चुका हूँ कि इस बर्बादीसे बचना सम्भव था और आज भी है। इसके अलावा एक बोसके निर्माणसे इस दलीलमें कोई दम नहीं आता। कारण, बोस वर्तमान शिक्षाकी देन नहीं थे। उन्हें जिन भीषण कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा, उनके बावजूद वे उभरकर ऊपर आये। और फिर उनका ज्ञान भी जन-साधारण के लिए लगभग अप्राप्य बन गया था। जान पड़ता है, हम यह मानने लग गये हैं कि अंग्रेजीके ज्ञानके बिना कोई भी बोस बननेकी आशा नहीं कर सकता। इससे बड़े वहमकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसी लाचारी हम महसूस करते हैं, वैसी कोई जापानी तो महसूस नहीं करता।

ऊपर मैंने जिस गहरी जमी बुराईका वर्णन करनेकी कोशिश की है, उसे किसी जोरदार इलाजसे ही दूर किया जा सकता है। कांग्रेसी मन्त्री चाहें तो उसे दूर भले न कर पायें, कम तो कर ही सकते हैं।

विश्वविद्यालयोंको स्वालम्बी बनाना चाहिए। राज्यको उन्हीं लोगोंको शिक्षा देनी चाहिए जिनकी सेवाकी उसे जरूरत हो। विद्याकी अन्य सभी शाखाओंके सम्बन्धमें उसे निजी प्रयत्नोंको प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षाके माध्यमको तत्काल, और चाहे

जिस कीमतपर हो, बदल देना चाहिए --- प्रान्तीय भाषाओंको उनका उचित स्थान देना चाहिए। आजकी स्थितिमे धन और शक्तिके अपव्ययका जो पुंज दिन-दिन एकत्र होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसकी अपेक्षा मैं उच्चतर शिक्षाके क्षेत्रमें परिवर्तनके परिणाम-स्वरूप आनेवाली अस्थायी अराजकताको अधिक पसन्द करूँगा।

प्रान्तीय भाषाओंकी प्रतिष्ठा और बाजार-भाव बढ़ानेके लिए मैं यह चाहूँगा कि जो अदालत जिस प्रान्तमें स्थित हो, उसमें उसी प्रान्तकी भाषामे कामकाज किया जाये। प्रान्तीय विधान-मण्डलोंकी कार्यवाही भी सम्बन्धित प्रान्तकी भाषामें ही होनी चाहिए, या यदि किसी प्रान्तकी एकसे अधिक भाषाएँ हों तो उन सभी भाषाओमे होनी चाहिए। विधायकोंसे मेरा निवेदन है कि यदि वे पूरी लगनसे काम ले तो वे अपने-अपने प्रान्तकी सभी भाषाएँ महीने-भरके अन्दर समझने लग जायेंगे। कोई कारण नही कि कोई तमिलभाषी तमिलकी भगिनी-भाषाएँ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़के सरल व्याकरण और दो-चार सौ शब्द आसानीसे न सीख ले। केन्द्रमें हिन्दुस्तानीकी प्रमुखता होनी चाहिए।

मेरे विचारसे यह प्रश्न ऐसा नही है जिसका निर्णय शिक्षा-शास्त्री कर सकते हों। किसी स्थानके बच्चे किस भाषाके माध्यमसे शिक्षा प्राप्त करे, इसका निर्णय करनेका अधिकार उन्हे नही है। इस प्रश्नका उत्तर तो प्रत्येक स्वतन्त्र देश उनके लिए पहले ही दे चुका है। इसी तरह शिक्षा-शास्त्री यह भी तय नही कर सकते कि कौन-से विषय पढ़ाये जायें। यह बात तो बच्चोंके अपने देशकी जरूरतपर निर्भर है। शिक्षा-शास्त्रियोंका काम है राष्ट्रकी इच्छाको अधिक-से-अधिक अच्छे ढंगसे कार्यान्वित करना। जब यह देश सचमुच स्वतन्त्र हो जायेगा तब शिक्षाके माध्यमके प्रश्नका एक ही रीतिसे समाधान होगा। शिक्षा-शास्त्री तो बस पाठ्यक्रम बनायेंगे और तदनुसार पाठ्य-पुस्तकें तैयार करेंगे। और जिस प्रकार आजकी शिक्षा-पद्धति द्वारा तैयार किये गये लोग विदेशी शासनकी जरूरतें पूरी करने लायक बनते हैं, उसी प्रकार स्वतन्त्र भारतकी शिक्षा-पद्धति द्वारा तैयार किये गये युवक-युवतियाँ अपने देशकी जरूरतें पूरी करने योग्य बनेंगे। मुझे तो ऐसी आशंका है कि जबतक हम शिक्षित लोग इस प्रश्नके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तबतक हम अपनी कल्पनाका भारत तैयार नही कर सकेंगे। हमें अपने बन्धनसे --- चाहे वह शैक्षणिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या राजनीतिक --- अपने भगीरथ प्रयत्नसे ही छुटकारा पाना है। इसके निमित्त किया गया प्रयत्न ही हमारी लड़ाईका तीन-चौथाई भाग है।

इस तरह मेरा दावा यह है कि मैं उच्चतर शिक्षाका विरोधी नही हूँ। हाँ, आज इस देशमें जैसी उच्चतर शिक्षा दी जा रही है, उसका विरोधी मैं अवश्य हूँ। मेरी योजनामें ज्यादा और बेहतर पुस्तकालय होंगे, ज्यादा और अच्छी प्रयोगशालाएँ होंगी, अधिक और श्रेष्ठतर अनुसन्धान-संस्थाएँ होंगी। उसके अन्तर्गत रसायनशास्त्रियों, इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञोंकी एक पूरी सेना तैयार की जायेगी। ये लोग देशके सच्चे सेवक होंगे; और उस राष्ट्रकी विविध और बढ़ती हुई जरूरतें पूरी करेंगे जिसे अपने अधिकारों तथा आवश्यकताओंका उत्तरोत्तर अधिकाधिक भान होता जा रहा

है। और ये सभी विशेषज्ञ विदेशी नहीं, बल्कि आम जनताकी भाषा बोलेंगे। जो ज्ञान वे प्राप्त करेंगे, वह आम लोगोंकी पहुँचके अन्दर होगा, वे उसके साझीदार होंगे। आँख मूँदकर नकल करनेके बजाय, सच्चे मौलिक काम किये जाने लगेंगे। और इस शिक्षापर होनेवाले खर्चका बोझ बराबर-बराबर और न्यायपूर्वक बाँटा जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-७-१९३८

२२०. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव, वर्धा
९ जुलाई, १९३८

चि० नारणदास,

तुम्हारी पुस्तिका[1] मिली। 'रेटिया बारस' [चरखा द्वादशी] खादीकी वार्षिक प्रगतिका लेखा-जोखा लेने तथा उस प्रगतिको और भी तेज करनेकी युक्तियों एवं योजनाओंपर विचार करनेका समय है, अथवा होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि प्रतिवर्ष तुम्हारे संकल्पोंमें वृद्धि होती जाती है। किन्तु हमें जो वस्तु प्राप्त करनी है उसकी तुलनामें ये बढे हुए संकल्प नगण्य हैं। 'बूँद-बूँदसे घट भरे'— इस कहावतके अनुसार हम जितना अधिक-से-अधिक हो सके उतना करके सन्तोष मान लें। इस यज्ञमें भाग लेनेवाले सभी लोग इतना याद रखें कि कातनेवाले-सहित सभी कारीगरोंको जबतक आठ घंटेकी आठ आने दैनिक मजदूरी न मिलने लगे, तबतक हमें चैनसे नहीं बैठना चाहिए। उक्त लक्ष्यतक पहुँचनेके लिए हममें चरखा-शास्त्रके लिए आवश्यक पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि हम इसे प्राप्त कर ले तो उससे खादीकी किस्ममें सुधार होगा और साथ ही उस अनुपातमें भावोंमें अधिक बढ़ोतरी भी नहीं करनी पड़ेगी। यदि हमें इस शास्त्रका पूर्ण ज्ञान हो जाये तो हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि जिसे हम महँगी मानते हैं, वह खादी असलमें सस्ती ही होती है।

आशा है, 'रेटिया बारस' के अवसरपर किसी-न-किसीको तो भेज ही सकूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू० /२) से। सी०-डब्ल्यू० ८५४४ से भी, सौजन्य : नारणदास गांधी।

१. गांधीजी के ६९ वें जन्म-दिवसपर प्रकाशित; देखिए "टिप्पणी : नारणदास गांधीको", पृ० १८६।

२२१. पत्र : द० बा० कालेलकरको

सेगाँव
९ जुलाई, १९३८

चि० काका,

मैं हिन्दी-पुस्तक पढ़ जाऊँगा। आसानीसे काम होनेवाला नहीं है। पूरी नीति पर विचार करना पड़ेगा। यदि एक भी गलत कदम उठाया, तो बन रहे पूरे ढाँचेके गिर पड़नेका गम्भीर खतरा पैदा हो जायेगा। जब तुम मंगलवारको आओगे तो हम इस बारेमें विचार-विमर्श कर लेंगे। यदि तुम्हें सुविधा हो तो दोपहरको आना। यदि समय मिले तो टण्डनजीके साथ जो बातचीत हुई थी, उसके आधारपर तुम्हें जो सूझा हो, उसे लिख डालना। इससे मुझे मदद मिलेगी और तुम्हें भी स्पष्टीकरण करनेमें सहायता मिलेगी।

शिक्षाके बारेमें मैंने जो लिखा[1] है उसकी गहराईसे जाँच करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६८४) से।

२२२. टिप्पणी : नारणदास गांधीको

[९ जुलाई, १९३८ के आसपास][2]

यदि इस पर अमल किया जाये तो बहुत-अच्छा होगा।[3] जो संकल्प करे वह उसका पालन करता है या नहीं, इस सम्बन्धमें कुछ करना।

[पुनश्च.]

शेष बातोंका उत्तर तो तुम्हें दिया ही जा चुका है।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५१ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

१. देखिए पृ० १७९-८५।

२. यह टिप्पणी उस पुस्तिका पर लिखी गई थी जिसका उल्लेख "पत्र : नारणदास गांधीको", पृ० १८५ पर हुआ है।

३. इस पुस्तिकामें नारणदास गांधीने सभी कार्यकर्ताओंसे अपील की थी कि वे प्रतिदिन १६० तार कातने का संकल्प करें और इस प्रकार वर्षमें ७०,००० तार कातें।

२२३. पत्र : लीलावती आसरको

१० जुलाई, १९३८

चि० लीला,

क्या तू प्रतिदिन मेरे पुरजेकी आशा रखती है? तुझे यहाँ आनेके लिए बेचैन नही होना चाहिए। जब अनायास ही आनेका मौका मिले तो आ जाना। मुझे भी यह अच्छा लगेगा कि तू यहाँ आ जाये। किन्तु काम छोड़कर या स्वास्थ्य बिगाड़कर मत आना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३७३) से। सी० डब्ल्यू० ६६४८ से भी; सौजन्य : लीलावती आसर।

२२४. पत्र : अमृतकौरको

दुबारा नहीं पढ़ा

सेगाँव
११ जुलाई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

अभी-अभी तुम्हारा पत्र मिला है। उसे पढकर नष्ट भी नही कर पाया हूँ। बहकी-बहकी बात सोचकर अपना मानसिक सतुलन न बिगाडो। मैंने कोई सख्त कदम नही उठाया है। प्यारेलालकी खोलीमें मैं सिर्फ इसलिए चला गया था कि हैनाको जो एकान्त चाहिए वह उसे मिल सके। हमारे तौर-तरीकोकी वह सर्वथा अनभ्यस्त है। अब मैं वापस आ गया हूँ और तुम अपने उसी कोनेमें रहोगी जिसमें यहाँ आने पर बराबर रहती हो। शारदा सदा मेरी सेवामें रहती है। अमतुल सलाम मेरे पास ही सोती है। वह मुझे पंखा झला करती है और जब कभी चादर वगैरह ओढनेकी जरूरत होती है, ओढ़ा दिया करती है। वही मुझे खिलाती भी है। लीलावती महादेवकी मदद करती है, क्योकि शान्ता इग्लैंड लौट गई है। मेरी इस वेदनाके प्रसंगको लेकर तो तुम बिलकुल मूढ़तापर उतर आई हो। ऐसा नही करना चाहिए। जो वेदना है वह तो है ही। लेकिन अपनी मूल धारणामें मेरी आस्था डिगी नही है। बस, मुझे यह सीखना है कि इसको सिद्ध कैसे किया जाये। बुरे स्वप्नोसे बचना ही है। १४ अप्रैलके प्रसगको दुबारा घटित नही होने देना है।

हैनाको कैलेनबैकने यहाँ अनुभव प्राप्त करने और मेरे पास रहकर मुझे निकटसे जानने-समझनेके लिए भेजा है। उसके माध्यमसे तो वह मुझे वर्षोंसे जानती ही आई है। बड़ी प्यारी है, लेकिन इतनी कोमल है कि मुझे लगता है, शायद ज्यादा दिनोंतक यहाँ न रह सके।

२३ को यानी कार्य-समितिकी बैठकके दिन, तुम्हारी राह देखूँगा। इन दिनों मौसम तो काफी ठंडा है, लेकिन सड़क बुरी तरह कीचड़से भरी हुई है। यहाँ कुछ भीड़-भाड़ तुम्हें जरूर लगेगी, लेकिन उसकी परवाह तो तुम करती नही।

जिस तरह अपने शरीरको बर्बाद कर रही हो वह अपराध है। तुम जितनी लापरवाही बरत रही हो, उसका कोई कारण तो नही है। कुछ लोग अपने शरीरकी उपेक्षा करना बड़ा पुण्य-कार्य मानते हैं। मेरी इच्छा है कि इन स्वनामधन्य अपराधियों की सूचीसे तुम तो अपना नाम कटवा ही दो।

सस्नेह,

अत्याचारी

[पुनश्चः]

तुमने मेरे स्वास्थ्यके बारेमें पूछा है। तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि वह बिलकुल ठीक हैं। कल हुकूमतराय आये थे। उन्हींसे पूछ लेना। यह सच है कि मेरा वजन घटा है, लेकिन रक्तचापके रोगियोंके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। इस मौसममें मुझे पहलेवाला वजन पानेकी कोशिश नही करनी चाहिए। अगर और तरहसे ठीक रहता हूँ तो पहलेवाला वजन — पूरा नही तो कम-से-कम अधिकांशतः — प्राप्त कर ही लूँगा।

अ०

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७०) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०२६ से भी।

२२५. पत्र : लीलावती आसरको

११ जुलाई, १९३८

चि० लीला,

तेरा पत्र भी खूब है! ऐसी स्थितिमें तेरा वहाँ रहना किस कामका? यदि तुझे वहाँ अच्छा न लगता हो तो यहाँ चली आ। मैं तुझे जबरदस्ती वहाँ नही रखना चाहता। यदि मैंने तेरे व्यक्तित्वको कुचल दिया हो तो तेरा मेरे साथ रहना किस कामका? तेरा पत्र मुझे जरा भी अच्छा नही लगा। तू इतना क्यों नही समझती कि तू जो चाहे सो करनेके लिए स्वतन्त्र है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३७४) से। सी० डब्ल्यू० ६६४९ से भी; सौजन्य: लीलावती आसर।

२२६. पत्र : महादेव देसाईको

११ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

क्या तुमने लीलावतीका पत्र पढ़ा है? यदि न पढ़ा हो तो तुम मेरा उत्तर देखनेपर अनुमान लगा लोगे। लगता है, कान्ति तुम्हारे ठीक काम आ सका है। आज मैंने जो लिखा है उसे सावधानीसे देख जाना। अभी मेरी कुछ और भी लिखनेकी इच्छा है किन्तु मैं अपनेको रोक रहा हूँ। मीराबहन मलेरियासे बीमार पड़ी है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

जवाहरलालके लिए वह मसविदा भेज रहा हूँ। हर लेखकी मैंने एक-एक प्रतिलिपि रख ली है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०३) से।

२२७. पत्र : महादेव देसाईको

१२ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

आज तो मैं कनुको भेज रहा हूँ। वह कान्तिके जानेतक तो रहेगा ही। और यदि तुम उसे कलके लिए भी रोकना चाहो तो वह रहेगा। कौन जाने तुम्हे लीलाबाईकी मदद मिलती है या नही। तुमपर बोझ नही पड़ना चाहिए। मैं देखता हूँ कि डेकाको प्रशिक्षित करना चाहिए। जबतक मेरा हृदय-मंथन चलता है, तबतक मैंने मौन रखनेका विचार किया है। हाँ, यदि मैं किसीको मुलाकातकी इजाजत दूंगा तो उससे अवश्य बोलूंगा। उसके जाते ही बोलना बन्द कर दूंगा। मैं नही जानता कि यह क्रम कबतक चलाना चाहिए। ऐसी स्थितिमें यदि तुम न आओ तो अच्छा होगा। तुम यहाँ आनेके लिए परेशान मत होना। यदि अनायास आ सको तो अवश्य चले आना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कागजात इसके साथ हैं।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०४) से।

२२८. पत्र : लीलावती आसरको

१३ जुलाई, १९३८

चि० लीला,

तेरा पत्र मिला। तूने मेरे पास आनेका अधिकार बिलकुल ही गँवा नही दिया है। फुरसतके समय तू यहाँ अवश्य आ सकती है। यदि तू वहाँ शान्तिपूर्वक रह सके तो उससे मुझे सन्तोष ही होगा। आखिरकार तो तुझे यहाँ आना ही है। वहाँ अपना स्वास्थ्य सुधार लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५८९) से। सी० डब्ल्यू० ६५६१ से भी; सौजन्य : लीलावती आसर।

२२९. पत्र : महादेव देसाईको

१३ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

अगाथाका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। उसका उत्तर दे देना। अगाथाका पत्र घनश्यामदासको भेज देना। उसके यहाँ आनेकी व्यवस्था कर देना उचित है। किराये आदिके पैसोंके बारेमें लिख भेजो। यदि अगाथा भी लिखना चाहे तो लिखे।

जामुन और यदि जामुन न मिले तो उनकी गुठलियाँ लाना मत भूलना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०५) से

२३०. सन्देश : "आर्यन पाथ" को

सेगाँव
[१४ जुलाई, १९३८]

जिन सिद्धान्तोंके पक्षपोषणके लिए 'हिन्द स्वराज' लिखा गया,[1] आप उनका प्रचार कर रहे हैं, यह मेरे लिए बड़ी खुशीकी बात है। अंग्रेजी संस्करण मूल गुजराती पुस्तकका अनुवाद है। अगर इसे फिरसे लिखना पड़े तो हो सकता है, इसकी भाषामें मैं जहाँ-तहाँ कुछ परिवर्तन करूँ। लेकिन तबसे मेरे जीवनके जो तीस कर्म-संकुल वर्ष बीते हैं, उनमें मेरे देखनेमें ऐसा कुछ नहीं आया जिसके आधारपर मैं इस पुस्तिकामें प्रतिपादित विचारोंमें कोई परिवर्तन करूँ। पाठक यह याद रखें

१. *हिन्द स्वराज* पर सितम्बरमें *आर्यनपाथ* का एक विशेषांक निकला था। उसमें फ्रैड्रिक सोडी, जी० डी० एच० कोल, सी० डेलिसल बर्न्स, जॉन मिडिल्टन मरी, ह्यूग आइ'मानसन फॉसेट, गेराल्ड हर्ड और इरेन रेथबोन जैसे पाश्चात्य विचारकोंके लेख थे। यद्यपि उनमें से कोई भी *हिन्द स्वराज*में प्रतिपादित मतसे पूर्णतया सहमत नहीं था, फिर भी सभीने उस कृतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना था। उदाहरणार्थ, फ्रैड्रिक सोडीने कहा था, "दुनियाको बदलनेकी इच्छा रखनेवाले हर व्यक्तिको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए"। जी० डी० एच० कोलके विचारसे १९०८ की अपेक्षा, जबकि "पश्चिमके लोगोंको अपनी अल्पजीवी सभ्यता सुदृढ़ नजर आ रही थी", उसके विरुद्ध गांधीजीकी स्थापना आज "बहुत ही सशक्त" लगती है। सी० डेलिसल बर्न्सकी दृष्टिसे *हिन्द स्वराज* की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि "उसमें नैतिक प्रश्नोंपर जोर दिया गया है और व्यक्तिगत सम्पदा और सत्ताकी लालसाका

कि इसमें कुछ कार्यकर्ताओंके साथ — जिनमें से एक तो पक्का विप्लववादी था — मेरी जो बातचीत हुई, उसको ही ईमानदारीके साथ लिपिबद्ध किया गया है। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोंके जीवनमें जो एक सड़ाँध आ जानेका खतरा पैदा हो गया था, उसे भी इस पुस्तकने रोक दिया। और पाठक चाहें तो इस रायके मुकाबले दूसरे पलड़ेपर मेरे एक प्रिय मित्रकी (अफसोस कि अब वे हमारे बीच नहीं रहे) इस रायको रख सकते हैं कि यह तो एक मूर्ख व्यक्तिकी कृति है।[1]

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
आर्यन पाथ, सितम्बर, १९३८, जिल्द ९, सं० ९, पृ० ४२३

विरोध है।" जॉन मिडिल्टन मरी ने **हिन्द स्वराज** को एक "महान ग्रंथ, एक आध्यात्मिक विश्व क्लासिक" माना था और सच्चे स्वराज्यकी तुलना ईसाइयोंके स्वर्गके राज्यसे की थी। गेराल्ड हर्डकी रायमें **हिन्द स्वराज** रूसोके सोशल कन्ट्रैक्ट, और कार्ल मार्क्सके दास कैपिटलसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह युगान्तका नहीं, अपितु एक नयी व्यवस्थाके आरम्भका सूचक है। इरेन रेथबोनको यह पुस्तक "बहुत ही सशक्त" लगी। उसकी भाषाने "अपनी बेहद ईमानदारीसे उन्हें अपने इतिहासको खोजनेके लिए मजबूर कर दिया"। उनकी सम्मतिमें यह कृति "सरल, तर्कसंगत, अर्थशास्त्रीय, सुगुम्फित और काव्यात्मक थी।" ह्यूग फॉसेटकी आलोचनाका सार यह था कि **हिन्द स्वराज** एक ऐसी कृति है जिसका उद्देश्य "भारतको अंग्रेजोंसे नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यतासे बचाना है, जो पश्चिमकी जड़ें खोखली कर रही हैं"। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मानव-आत्माकी शक्ति इतनी अमिट है कि वह स्थायी रूपसे अपना यंत्रीकरण कदापि नहीं होने देगी। मशीनके ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं कि मनुष्य और राष्ट्र अपनी ईमानदारी खोते जा रहे हैं। **हिन्द स्वराज** मनुष्यको फिरसे उसके वास्तविक पद पर प्रतिष्ठित करनेका प्रयास है, और इसलिए यह "उस सच्ची क्रांतिकी एक सर्वोत्तम आधुनिक संहिता है जो हम सबके लिए, यदि हमें जीवनका रचनात्मक प्रयोजन पूरा करना है तो, नितान्त आवश्यक है"।

१. नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित **हिन्द स्वराज** की भूमिकामें महादेव देसाईने लिखा था: "गोखलेजी १९१२ में जब दक्षिण अफ्रीका गये, तब उन्होंने यह अनुवाद देखा। उन्हें उसका मजमून इतना अनगढ़ लगा और उसके विचार ऐसे जल्दबाजी में बने हुए लगे कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि गांधीजी एक साल भारतमें रहनेके बाद खुद ही इस पुस्तक का नाश कर देंगे" (पृ० १४)।

२३१. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

सेगाँव
१४ जुलाई, १९३८

चि० प्रेमा,

अपने पत्र[1] का उत्तर तो तूने माँगा नहीं था, किन्तु मुझे लगा कि एक पोस्ट-कार्ड तो लिख ही दूँ। मैं तुझे पत्र न लिखूँ तो भी विभिन्न अवसरोंपर तेरी याद तो आती ही है। तू उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे। शेष बातें 'हरिजन' और महादेवसे जान लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३९५) से। सी० डब्ल्यू० ६८३४ से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक।

२३२. पत्र : अमृतकौरको

[१५ जुलाई, १९३८][2]

प्रिय मूर्खा रानी,

तुम्हारा यह ११ तारीखका पत्र कितना उदासी-भरा, कितना खराब है। मैं आनन्द कर रहा हूँ और तुम अकारण चिन्ता। यहाँ आओगी तो अपनी गलतीपर खुद ही हँसोगी। अगर अब भी मुझे कोई दुःख है तो वह सतही ही है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरी शान्ति हमेशाके लिए नहीं छीन सकता। अगर तुम ऐसा सोचती हो कि मेरे इन अनुभवोंने मुझे अपनी जगहसे उखाड़ फेंका है तो कहूँगा कि तुम मुझे नहीं जानती। अगर मैं अपनी शुद्धिके लिए सच्चा प्रयत्न करता हूँ तो निश्चित है कि ऐसी बातसे मुझे और भी शक्ति मिलेगी, और अधिक आनन्दकी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर तुम अपनी कल्पनाको इस तरह व्यर्थ ही बहकते रहने दो तो मेरे पास इसका क्या इलाज है?

स्त्रियोंके बारेमें तुमने जो बातें लिखी, उनके लिए तुम्हें माफी माँगनी है। मैं बुद्धिजीवी स्त्रियोंको बुद्धिजीवी स्त्रियोंके रूपमें संगठित नहीं कर सकता था।[3]

१. प्रेमाबहन ने अपने जन्मदिन पर गांधीजी का आशीर्वाद माँगा था और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछे थे। प्रेमाबहनने लिखा था कि यदि गांधीजी व्यस्त हों तो प्रश्नोंके उत्तर महादेव देसाई दे दें।

२. अमृतकौरके अनुसार लिफाफेपर डाक-मुहरकी तिथि १६-७-१९३८ है।

३. देखिए "पत्र : अमृतकौरको", पृ० १७५-७६ भी।

और बुद्धिजीवी पुरुषोंको भी बुद्धिजीवी पुरुषोंके रूपमें मैंने संगठित नहीं किया है। लेकिन यह बात ऐसी नहीं है जिसपर दलील करनेसे कोई फायदा हो। बस, यह आरोप मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि स्त्रियोंको संगठित करनेके बारेमें मैंने कोई लापरवाही बरती है। यह हो सकता है कि जितना मैंने किया, उससे अधिक करनेकी मुझमें योग्यता ही न रही हो। लेकिन इसे तो मेरा दोष नहीं माना जा सकता न। फिर भी, तुम्हारी शिकायतका मैं बुरा नहीं मानता, बल्कि वह मुझे अच्छी ही लगती है। इससे प्रकट होता है कि कुछ बातोंके सम्बन्धमें हमारे बीच दृष्टि-भेद भी है। और हो भी क्यों नहीं? सच्चा स्नेह पूर्ण दृष्टि-साम्यकी अपेक्षा तो नहीं रखता। लेकिन इस सम्बन्धमें भी मैंने तुम्हें इस बातका कायल कर देनेकी आशा नहीं छोड़ी है कि मैंने जितना और जैसा किया, उससे ज्यादा और बेहतर करनेकी मुझमें योग्यता ही नहीं थी। मेरी ब्रह्मचर्य-कामनाका यही मतलब है। अगर नारी-जातिके प्रति मेरे मनमें सच्चा प्रेम है तो मुझे सर्वथा शुद्ध, निष्कलुष होना चाहिए।

सस्नेह,

अत्याचारी

[पुनश्च:]

मैं समझता हूँ, खूबानियाँ आ तो गई थीं — सब सड़ी हुई। सेब आ गये हैं। मैं सेब जरूर खाऊँगा। तुम्हें जल्दी स्वस्थ हो जाना है।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३२) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४४१ से भी।

२३३. पत्र: महादेव देसाईको

१५ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

इसके साथ कुछ पत्र हैं। मैं नहीं जानता कि तुम कल मीराबहनके लिए 'लिक्विड पैराफिन' लाये या नहीं। यदि न लाये हो तो लानेकी याद रखना। यदि तुम न आओ तो जो आये उसके साथ भिजवा देना। आशा है, तुमने जामुनकी गुठलियोंके बारेमें व्याससे पुछवा लिया होगा और फल भेजना बन्द कर देनेके बारेमें बम्बई लिख दिया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०६) से।

२३४. पत्र : द० बा० कालेलकरको

१५ जुलाई, १९३८

चि० काका,

राजाजीका पत्र वापस भेज रहा हूँ। उन्हें चारों ओरसे भयकर निराशा घेरे हुए है। किन्तु उनका विनोद उन्हे उबार लेता है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

राजकुमारीका पत्र इसके साथ है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९००) से।

२३५. विधान-सभाओंके अध्यक्ष और राजनीति

विभिन्न प्रान्तीय विधान-सभाओंके अध्यक्षोंके राजनीतिमें सक्रिय भाग लेनेके औचित्यके सम्बन्धमें कुछ विवाद खड़ा हो गया है। संयुक्त प्रान्त विधान-सभाके अध्यक्ष की एक व्यवस्थापर सभामें पूरी चर्चा हुई और इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया है कि अपने पदके दायित्वोंका यथेष्ट निर्वाह करते हुए अध्यक्ष राजनीतिमें सक्रिय भाग ले सकता है। श्री साम्बमूर्त्ति कुछ दिन मेरे साथ ठहरे थे और इस विषयपर उन्होंने मुझसे विस्तारसे चर्चा की थी। उन्होंने विश्वकी विभिन्न संसदोंके अध्यक्षोंके कर्त्तव्योंके सम्बन्धमें लिखे अनेक प्रामाणिक ग्रन्थोंके बहुत-से उद्धरण पढ़कर मुझे सुनाये। और 'हरिजन' में श्री सत्यमूर्त्तिका एक लेख भी प्रकाशित हुआ है। अभी हालमें जब श्री पुरुषोत्तमदास टंडन वर्धा आये हुए थे, तब उनसे भी इस विषयपर मेरी लम्बी बातचीत हुई थी।

इन तमाम चर्चाओं और इस विषयके अध्ययनके बाद मेरी जो राय बनी है वह, लगता है, शायद उन रायोंसे अलग है जो मेरे पढ़ने-सुननेमें आई हैं। कांग्रेसके सत्ता ग्रहण करनेके विषयमें मेरी अपनी एक विशेष कल्पना रही है, और मेरी राय उसी कल्पनापर आधारित है। जब कार्य-समितिको मैंने कांग्रेसको सत्ता ग्रहण करनेका अधिकार देनेकी सलाह दी थी, तब उसके पीछे मेरा विचार यह था कि भारत-सरकार अधिनियमके शब्दोंका उल्लंघन किये बिना उसकी व्याख्याको यथासम्भव अधिक-से-अधिक विस्तार दिया जाये, ताकि जनताकी स्वतन्त्रतामें वृद्धि हो

और कांग्रेस शक्तिशाली बने। मेरे विचारसे इस अधिनियमपर इसके रचयिताओंकी कल्पनाके अनुसार अमल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जबतक इसका अस्तित्व है तबतक कांग्रेसके लक्ष्यकी पूर्तिके लिए — और इसीलिए इसके रचयिताओंके लिए सर्वथा अकल्पित रीतिसे — इसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। जब सत्ता ग्रहण करनेके सम्बन्धमें मेरी कल्पना ऐसी है, तब ब्रिटेनकी या अन्य देशोंकी नजीरों का मेरे लिए क्या महत्व हो सकता है? इसके अलावा, जो असलियत है उसको ध्यानमें रखते हुए उनसे हमें कोई सहायता भी नहीं मिल सकती। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि हमारे संविधानकी तरह विश्वके उन देशोंकी संसदोंके संविधान वहाँके लोगोंपर जबरदस्ती थोपे नहीं गये हैं, बल्कि स्वयं उन्हींके बनाये हुए हैं।

कांग्रेसी तो विधान-सभाका सदस्य होकर भी और वहाँ चाहे जितने बड़े पद पर आसीन रहकर भी कांग्रेसके अनुशासनके अधीन ही है और उसे समय-समयपर कांग्रेसके निर्देशोंका पालन करना ही है। इसलिए जबतक भारत-सरकार अधिनियमके अन्तर्गत स्पष्ट शब्दोंमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है, तबतक कांग्रेस यदि जरूरी समझे तो कांग्रेस-शासित प्रान्तोंकी विधान-सभाओंके अध्यक्षोंसे देशकी राजनीतिमें सक्रिय भाग लेनेको कह सकती है।

लेकिन, जहाँतक मुझे मालूम है, कांग्रेसने इस प्रश्नपर विचार नहीं किया है। मेरी रायमें, जो कांग्रेसी विधान-सभाओंके सदस्य हैं — फिर चाहे वे मन्त्री हों या अध्यक्ष — उन्हें इस बातका ध्यान रखना है कि कांग्रेसके संविधानके अन्तर्गत अपने प्रत्येक कार्यमें उन्हें सत्य और अहिंसाका पालन करना है। इस प्रकार विधान-सभा में हर कांग्रेसीको पूरी ईमानदारीका व्यवहार करना है और अपने विरोधियोंसे अधिक-से-अधिक शिष्टतासे पेश आना है। उसे छल-कपटका सहारा नहीं लेना है, विरोधियोंपर कोई अनुचित और अशोभनीय प्रहार नहीं करना है और न उनकी कमजोरीसे कोई नाजायज फायदा उठाना है। और विधान-सभामें उसे जितना ही ऊँचा स्थान मिलता है, इन विषयोंमें उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। विधान-सभाका सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र और अपने दलका तो प्रतिनिधि है ही, लेकिन साथ ही वह अपने प्रान्तका भी प्रतिनिधि है। मन्त्री अपने दलको अवश्य आगे बढ़ाता है, लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्रके हितोंको हानि पहुँचाकर नहीं। सच तो यह है कि वह कांग्रेसको उसी हदतक आगे बढ़ाता है जिस हदतक राष्ट्रको आगे बढ़ाता है। कारण, उसे मालूम है कि यदि उसके हाथमें विदेशी हुकूमतसे जूझनेके लिए कोई तलवार नहीं है तो अपने राष्ट्रके अन्दरके विरोधियोंसे लड़नेके लिए भी नहीं है। और चूँकि विधान-सभा ऐसी जगह है जहाँ सभी जातियों और धर्मोंके लोगोंको इच्छा-अनिच्छासे आकर मिलना ही पड़ता है, इसलिए यही वह जगह है जहाँ अपने विरोधियोंके हृदयको जीतकर वह ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। विधान-सभाओंको यदि हम केवल भारत-सरकार अधिनियमके शाब्दिक अर्थकी दृष्टिसे न देखें, बल्कि राष्ट्रके विभिन्न समुदायोंके प्रतिनिधियोंके हाथोंमें पूर्ण सत्ता होनेपर उनसे जिन समस्याओंके समाधानकी आशा की जा

सकती है, उनके समाधानके लिए उपयोगमें लाये जानेवाले एक साधनके रूपमें देखें, तो साम्प्रदायिक प्रश्न-सहित राष्ट्रके सभी प्रश्नोंका समाधान उनके जरिये हो सकता है। और बहुत-सी समस्याएँ जो भारत-सरकार अधिनियमके विषय-क्षेत्रके बाहर हैं, लेकिन जिनका समाधान राष्ट्रकी प्रगतिके लिए आवश्यक है, उनके समाधानके लिए विधान-सभाओंके उपयोगपर यह अधिनियम कोई रोक भी नहीं लगाता।

जैसा यहाँ सुझाया गया है, उस दृष्टिसे देखें तो विधान-सभाके अध्यक्षके पदका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है — प्रधानमन्त्रीके पदसे भी अधिक, क्योंकि अध्यक्षके आसनपरसे उसे न्यायाधीशका काम करना है। उसे निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवस्थाएँ देनी है। उसे सदस्योंके बीच शिष्टताके नियमों तथा दूसरे कायदोंको लागू करना है। अपने विरोधियोंका हृदय जीतनेका जैसा सुयोग उसे प्राप्त है वैसा अन्य किसी भी सदस्यको नहीं है।

अब अगर अध्यक्ष विधान-सभाके बाहर अपनी निष्पक्षता छोड़ देता है और दलगत विवादोंमें भाग लेने लगता है, तो उसका प्रभाव उतना नहीं रह जायेगा जितना कि यदि वह सदनके बाहर भी सर्वत्र निष्पक्षता और शालीनताका बरताव करे, तब रहेगा। अध्यक्षके नाते तो उसका क्षेत्र बहुत छोटा है, लेकिन अगर वह इस छोटे क्षेत्रके बाहर भी सदा समान रूपसे निष्पक्षता बरतनेकी आदत अपने अन्दर डाल लेता है, तो मेरा दावा है कि इस तरह वह कांग्रेसकी प्रतिष्ठामें भारी वृद्धि करेगा। उसके पदने उसे जो अद्वितीय अवसर दिया है, उसके महत्त्वको अगर वह पहचान ले तो वह हिन्दू-मुस्लिम समस्या तथा ऐसे ही दूसरे प्रश्नोंके हल के लिए रास्ता साफ कर सकता है। इसलिए यदि अध्यक्षको सदनके अन्दर ही नहीं, बाहर भी अध्यक्ष-जैसा निष्पक्ष व्यवहार करना है, तो उसे प्रथम कोटिका कांग्रेसी होना चाहिए। मनुष्यके रूपमें भी उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसपर कोई उँगली न उठा सके। उसे सुयोग्य, निर्भीक, स्वभावतः न्यायप्रिय और, सबसे बढ़कर तो, मन, कर्म और वचनसे सत्यनिष्ठ तथा अहिंसापरायण होना चाहिए। तब वह चाहे जिस मंचपर खड़ा होनेका अधिकारी बन जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-७-१९३८

२३६. कुछ आपत्तियाँ

एक मुसलमान भाईने लिखा है:

> गत चार महीनोंसे उर्दू पत्र-पत्रिकाओंमें वर्धा शिक्षा-योजनाके सम्बन्धमें रायें प्रकाशित होती रही हैं। हमेशाकी तरह इस मामलेमें भी लगता है कि किसीने भी रिपोर्टको ध्यानसे नहीं पढ़ा है और न बुनियादी शिक्षाके विषयमें विचार ही किया है। इन लोगोंकी आपत्तियाँ मुख्यतः तीन मुद्दोंपर हैं:
>
> (क) इस योजनामें धार्मिक शिक्षाको तो कोई स्थान ही नहीं दिया गया है;
>
> (ख) लड़के और लड़कियोंको साथ-साथ शिक्षा दी जानी है; और
>
> (ग) विद्यार्थियोंमें सभी धर्मोंके प्रति आदरकी भावना भरनी है।
>
> ये सभी आपत्तियाँ मैंने उर्दू पत्र-पत्रिकाओंसे ली हैं।

सम्प्रदायबद्ध धर्मके अर्थमें धार्मिक शिक्षाको जान-बूझकर स्थान नही दिया गया है। जबतक कोई राज्य-धर्म न हो, तबतक धार्मिक शिक्षा देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि इसका मतलब होगा प्रत्येक सम्प्रदायबद्ध धर्मकी शिक्षा देनेकी व्यवस्था करना। ऐसी शिक्षा तो सबसे अच्छी रीतिसे बच्चोंको अपने-अपने घरमें दी जाती है। राज्यको हरएक बच्चेको घरपर, या चाहे जहाँ हों, ऐसी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इस बातकी भी कल्पना की जा सकती है कि जो धार्मिक सम्प्रदाय अपने-अपने धर्मके बच्चोंको पाठशालामें धार्मिक शिक्षा देना चाहें उन्हें सरकार वैसा करनेकी सुविधा दे, बशर्ते कि उस शिक्षाका खर्च सम्बन्धित धार्मिक सम्प्रदाय ही उठायें।

जहाँतक सहशिक्षाका सम्बन्ध है, जाकिर हुसैन-समितिने उसे अनिवार्य नही बनाया है। जहाँ-कहीं लड़कियोंके लिए अलग पाठशालाकी माँग होगी, वहाँ राज्यको उसकी व्यवस्था करनी होगी। सहशिक्षाके प्रश्नपर अन्तिम रूपसे कोई निर्णय नही किया गया है। समयकी माँगके अनुसार इसका फैसला होगा। जहाँतक मुझे मालूम है, इस विषयपर समितिके सभी सदस्य एकमत नही थे। इस विषयमें खुद मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैं मानता हूँ कि जितने उचित कारण सहशिक्षाके विपक्षमें हैं उतने ही उसके पक्षमें भी हैं। और यदि कहीं इसका प्रयोग करके देखा जाता है तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा।

और सभी धर्मोंके प्रति समान आदर-भाव रखनेकी शिक्षा देनेके विषयमें मेरे विचार बड़े दृढ़ हैं। जबतक हम उस स्पृहणीय स्थितिको प्राप्त नही करते, तबतक मुझे तो विभिन्न समुदायोंके बीच सच्ची एकताका कोई आसार दिखाई नही देता।

यदि बच्चोंको यह शिक्षा दी जाती है कि उनका अपना-अपना धर्म शेष सभी धर्मोंसे श्रेष्ठ है या सिर्फ उनका अपना धर्म ही सच्चा है तो मेरे विचारसे यह विभिन्न धर्मोंके बच्चोंके बीच मैत्रीकी भावनाके विकासके लिए घातक होगा। यदि राष्ट्रमें ऐसी संकीर्ण भावना फैल जाती है, तो इसका स्वाभाविक परिणाम यही होगा कि या तो प्रत्येक धर्मके बच्चोंके लिए अलग स्कूल हों जिन्हें दूसरे धर्मोंकी निन्दा करनेकी पूरी स्वतन्त्रता हो या फिर स्कूलोंमें धर्मका नाम लेना ही निषिद्ध कर दिया जाये। ऐसी नीतिका परिणाम कितना भयावह होगा, इसकी कल्पनासे ही मन काँप उठता है। सदाचारके मूलभूत सिद्धान्त तो सभी धर्मोंमें एक-जैसे हैं। इनकी शिक्षा बच्चोंको अवश्य दी जानी चाहिए और जहाँतक वर्धा शिक्षा-योजनाके अधीन चलाई जानेवाली पाठशालाओंका सम्बन्ध है, धार्मिक शिक्षाके रूपमें इतना ही पर्याप्त होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १६-७-१९३८

२३७. एक भूल

अ० भा० चरखा संघके एक एजेंटने मुझसे पूछा है कि मेरे जिन साथियोंने अपना एक संघ बना लिया है और अब कह रहे हैं कि हम तो अमुक शर्तोंपर ही काम करेंगे, उनसे मैं क्या कहूँ। ऐसे संघोंकी रचनाको मैं एक भूल मानता हूँ। स्पष्ट है कि कार्यकर्तागण अ० भा० च० संघ के उद्देश्य और उसके सन्देशको नही समझ पाये हैं। यह तो कांग्रेस द्वारा गठित एक लोकोपकारी संस्था है और इसे मुख्य ग्रामोद्योगके रूपमें हाथ-कताई और उससे जुड़े दूसरे कार्योंको आगे बढ़ानेके स्पष्ट उद्देश्यसे अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करनेकी स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। जो लोग इस लोकसेवी संस्थामें काम कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई आर्थिक लाभ तो नहीं ही होता, उलटे उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि बने तो वे बिना किसी मजदूरीके इसे अपना श्रम दें। और चूँकि संसारके इस निर्धनतम देशमें ऐसा करनेवाले बहुत अधिक लोग नहीं मिल सकते, इसलिए बहुत-से लोगोंको केवल उनके निर्वाहके लायक कुछ दे दिया जाता है। वैसे तो उन्हें सुख-सुविधामें रखनेकी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें, नौकरका जो सामान्य अर्थ है, उस अर्थमें नौकर नहीं माना जाता। संघके मुनाफेमें किसीको हिस्सा नहीं मिलता। अगर इसके कोई साझेदार या मालिक हैं तो वे कतैये, बुनकर आदि ही हैं। यहाँतक कि उपभोक्ताओंको भी इससे कोई लाभ नही होता। उनसे खादी पहननेकी अपेक्षा इसलिए नही की जाती कि यह मिलके कपड़ेकी तुलनामें ज्यादा सस्ती या देखनेमें अच्छी है, बल्कि इसलिए कि इससे अधभूखों और अधबेकार लोगोंकी बड़ी-से-बड़ी संख्याको — जिनमें ज्यादातर स्त्रियाँ हैं — रोजगार मिलता है। इस विशाल लोकोपकारी संस्थाको चलाने पर होनेवाला खर्च चुकाकर और इसके कर्मचारियोंको वेतन देकर इसकी आयमें से

जो-कुछ भी बचता है, सारा-का-सारा उक्त दीन-हीन और मूक कारीगरोंकी जेबोंमें जाता है।

इसलिए अगर कार्यकर्ताओंका कोई समूह चरखा संघके खिलाफ कोई संघ कायम करता है, तो वास्तवमें वह इन कारीगरोंके खिलाफ करता है। कार्यकर्ताओंको जो-कुछ मिलता है, वह कारीगरों या उपभोक्ताओंकी जेबमें से ही मिलता है। और कार्यकर्ताओंकी खातिर उपभोक्ताओंका बोझ बढ़ाना स्पष्टत: बेतुकी बात होगी। क्या कार्यकर्तागण इतनी-सी बात नहीं समझेंगे कि एजेंट भी उन्हींकी तरह कार्यकर्ता ही हैं? बहुत-से एजेंट तो एक पैसा भी लिये बिना काम करते हैं। यह तो एक अलग बात है कि इक्के-दुक्के ऐसे एजेंट नजर आ जाते हैं जो अपने कर्त्तव्य-क्षेत्रकी सीमाका उल्लंघन करके अपने साथ और अपने अधीन काम करनेवाले लोगोंके साथ सहयोगियोंके बजाय उनके मालिकोंकी तरह व्यवहार करते हैं। जहाँ ऐसा हो वहाँ कार्यकर्ता केन्द्रीय कार्यालयके जरिये अपनी शिकायत दूर करवा सकते हैं, लेकिन इसके इलाजके लिए पारम्परिक ढंगके संघोंका सहारा लिया जाये, यह तो बिलकुल मुनासिब नहीं है। पहले तरीकेका सहारा लेना तो उनके लिए जरूरी है, लेकिन दूसरे तरीकेका सहारा लेना न केवल गैरजरूरी है, बल्कि वह, जैसा मैंने ऊपर कहा है, एक भूल है, और अगर यह भूल वे बड़े पैमानेपर जारी रखते हैं तो बहुत सम्भव है कि वे उस संघको ही चौपट कर दें जिसके वे अंशत: निर्माता और न्यासी हैं।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १६-७-१९३८

२३८. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव
१७ जुलाई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मेरा यह अन्तिम पत्र होगा।

तुम्हारी सलाह स्वीकार नहीं की जा सकती। तुम्हें तथ्योंकी जानकारी ही नहीं है। तुमने हर चीजको अतिरंजित करके देखा है। मैं समझता हूँ, धीरे-धीरे मुझे रास्ता मिलता जा रहा है। मैंने अनिश्चित काल तकके लिए मौन ले लिया है। जब इच्छा होगी तभी तोड़ूँगा। वैसे बीच-बीचमें उसे भंग तो करता ही हूँ — जिन्हें मुलाकात देना बिलकुल जरूरी हो उनसे बातचीत करनेके लिए, या यहाँ जो लोग बीमार हैं उनसे बातें करनेके लिए, अथवा अपनी कोई जरूरत बतानेके लिए। इस मर्यादित मौनसे ही मेरा काम चल जाता है। इससे मैं अपनी शक्ति सुरक्षित रख पाता हूँ या जो काम करना हुआ वह कर पाता हूँ। घबराना मत। तुमसे बातें

करनेके लिए तो इसे तोडूंगा ही। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे सेगाँव पहुँचते ही तुम्हारी उदासी दूर हो जायेगी। मौसम ठीक रहा तो २३ की शामको तो तुम आ ही रही हो।

मेरे सम्बन्धमें चिन्ताकी कोई बात नहीं है। रक्तचाप काफी स्थिर है। नियमित रूपसे घूमता हूँ।

शेष शारदासे जान लेना।

विजया कल घर गई। बालकृष्ण आज बड़ौदा गया।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७१) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०२७ से भी।

२३९. पत्र : लीलावती आसरको

१७ जुलाई, १९३८

चि० लीला,

आशा है, तूने मेरे कहनेके अनुसार उपचार किया होगा। कब्ज हर हालतमें दूर होना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०७) से ।

२४०. पत्र : महादेव देसाईको

१७ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

खादी-सम्बन्धी लेखमें मैंने जो सुधार किया है, वह इसके साथ है। अन्य सामग्री भी भेज रहा हूँ। तुम्हारी टिप्पणियाँ तो साथमें हैं ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०७) से।

२४१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगांव, वर्धा
१८ जुलाई, १९३८

भाई वल्लभभाई,

शरीफ[1] मेरे साथ कल एक-डेढ़ घंटे बैठे रहे। इस बीच उन्होंने तुम्हारे साथ हुआ पत्र-व्यवहार मुझे दिखाया। वे यह जानना चाहते थे कि तुमने सर मन्मथ[2]को उनके विषयमें कुछ लिखा था या नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने तो कह दिया कि सरदार सर मन्मथको कभी नहीं लिख सकते। फिर भी मैंने तुमसे पूछकर निश्चय करनेको कहा है। अब तुम मुझे बताना।

मैंने वह उत्तर तैयार कर लिया है जो भाई जिन्नाको भेजना है। यहाँ आने पर तुम उसे देखोगे ही।

बाकी तो महादेव लिखता ही रहता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२१

२४२. पत्र : विजया एन० पटेलको

सेगाँव
१८ जुलाई, १९३८

चि० विजया,

आशा है, तू वहाँ सकुशल पहुँच गई होगी और रास्तेमें किसी तरहकी तकलीफ नहीं हुई होगी। तेरे बिना बा का बरामदा सूना लगता है। लगता है, जैसे सुशीलाको

१. मध्य प्रान्त के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल में कानून और न्याय-मन्त्री। उन्होंने एक तेरह वर्षीय हरिजन-बालिकासे बलात्कारके आरोपमें जेलकी सजा पानेवाले कुछ कैदियोंको दया के आधारपर छोड़ देनेकी गवर्नरसे सिफारिश की थी। कार्य-समितिने निश्चय किया था कि उन्हें मन्त्रिमण्डलसे त्यागपत्र दे देना चाहिए।

२. कलकत्ता उच्च न्यायालयके अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश सर मन्मथनाथ मुखर्जी, जिन्हें गांधीजी के सुझावपर शरीफके मामलेकी जाँचका काम सौंपा गया था। सर मुखर्जीने निर्णय शरीफ के विरुद्ध दिया था।

कोई काम ही न रह गया हो। यह याद रखना कि रोनेकी मनाई है। मैं तेरे पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुशीला और अरुण कल आ गये।

बापूके आशीर्वाद

श्री विजयाबहन
द्वारा श्री नारणभाई वल्लभभाई
वरोड, वरास्ता बारडोली

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८८) से। सी० डब्ल्यू० ४५८० से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

२४३. पत्र : प्रभावतीको

१८ जुलाई, १९३८

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिला। तू मूर्ख है। यह तुझसे किसने कहा कि शिक्षित व्यक्तिमें ही बुद्धि होती है? शिक्षा किसे कहते हैं? 'हरिजन' आदि पत्र क्या सीवान नहीं पहुँचते? आज तो मैं यहींसे भेज रहा हूँ। यदि तू पढ़ना ही चाहे तो बेशक अभी समय है। अभी तू कोई बूढ़ी नहीं हुई है। यदि मलाबारसे यहाँ आ सके तो आ जाना। बहुत करके मैं यहीं रहूँगा। कान्ति बंगलौर गया और सरस्वती त्रिवेन्द्रम।

तेरा एकान्त या तू जो कहे सो यहीं है। सेवाके लिए सीवान, पटना आदि भले हो। बाकी समय तो यही रहना चाहिए। मैं तेरी उदासी दूर भगा दूँगा। अपना स्वास्थ्य बिलकुल खराब मत कर लेना। सप्ताहमें कम-से-कम एक बार तो तेरा पत्र मुझे मिलना ही चाहिए।

मणिलालकी सुशीला कल आ गई। विजया अपने पिताके साथ बारडोली चली गई। इस प्रकार यहाँ आना-जाना लगा ही रहता है। बालकोबा कल वरोडा की झोंपड़ीमें रहने चला गया। तीन दिन पहले अनसूयाके लड़का हुआ है।

मैं अच्छा हूँ। भोजनमें दूध और फल लेता हूँ। आम मिल जायें तो आम या आलूबुखारे और मोसम्बी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५१६) से।

२४४. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

१८ जुलाई, १९३८

चि० मुन्नालाल,

रोशनीके बारेमें तुम जो लिखते हो वह ठीक है। किन्तु कुछ असुविधाएँ सह लेना अच्छा होता है। ऐसी असुविधाएँ सहते रहें तो बहुत बार वे स्वयं हल भी हो जाती हैं। इस मामलेमें मैं बीचमें पड़ूँ यह उचित नहीं होगा। तुम्हें स्वयं धैर्यपूर्वक और मिठाससे रास्ता निकाल लेना चाहिए। यह ठीक बात है न?

कंचनके साथ हुई बातचीतके आधारपर मैंने नानाको पत्र लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५७२) से। सी० डब्ल्यू० ७०३० से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

२४५. पत्र : कृष्णचन्द्रको

१८ जुलाई, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

तुम्हारा प्रश्न ब्रह्मचर्यके विचार करते हुए अप्रस्तुत होता है। प्रजोत्पत्ति स्वयं योग्य है या नहीं यह अलग प्रश्न है। यों तो ब्रह्मचारी कुछ भी प्रवृत्ति कर सकता है या नहिं, यह भी प्रश्न हो सकता है। लेकिन हमारे सामने तो ब्रह्मचर्यका खंडन कब होता है यही है। जब मनुष्य निर्विकार रहकर, अनासक्त रहकर कुछ करे तो ब्रह्मचर्यका खंडन नहीं होता है। ऐसा मेरा अभिप्राय है। वीर्य शक्ति है। उसके सदुपयोगसे ब्रह्मचर्यको हानि नहीं है, ऐसी मान्यता मेरी व्याख्यामें है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९५) से। एस० जी० ६५ से भी।

२४६. पत्र : सरस्वतीको

१८ जुलाई, १९३८

चि० सरु,

तेरा खत बहुत अच्छा है। ऐसे ही मनकी बात लिखा करो। आनंदसे रहना। जैसा ईश्वर करे वैसे हम रहें। थोड़े वर्ष जल्दी व्यतीत हो जायेंगे। और वियोग-दुःख भूल जायगी। कांतिसे खतसे तो मिलेगी ही। ईस वियोगमें तुम दोनोंका भला ही है। जब स्थिर हो जायगी तब मेरे पास आ सकेगी। तुझे भेज देनेसे मुझको तो दुःख ही हुआ। मैंने तो बड़ी-बड़ी आशाएँ बाध रखी थी। तुझको सब-कुछ सिखाना था और तेरा संगीत सुनना था। लेकिन ईश्वरको दूसरी ही चीज मंजूर थी।

शारदाके तुमारे खत पढनेसे क्या हानि हो सकती है? तुमारे खत ऐसे निर्दोष होते हैं। लेकिन तेरी सम्मति नहि मिलेगी वहाँ तक उसे खतो नहीं पढने दूंगा। शारदा गंभीर लडकी है। वह इधर-उधर बात करनेवाली नही है।

शरीर अच्छा हो गया होगा। सुशीला गांधी आ गई है, अरुण साथ है। सीता अकोलामें।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१६७) से। सी० डब्ल्यू० ३४४० से भी; सौजन्य: कान्तिलाल गांधी।

२४७. पत्र : अगाथा हैरिसनको

सेगांव, वर्धा
१९ जुलाई, १९३८

प्रिय अगाथा,

हेरॉल्ड अन्सारीके बारेमें डॉ० शौकतुल्ला शाहको महामहिमके कार्यालयसे प्राप्त पत्र मैं इसके साथ रख रहा हूँ। शौकतुल्लाकी डाक्टरी अभीतक ऐसी नही है कि उससे उसे कहने-योग्य आय होती हो। वह जितना भी धन जुटा सकता था वह सब उसने भेज दिया है। और अब उसके पास कुछ नही है। वह और डॉ० अन्सारीकी बेटी जोहरा दो दिन मेरे साथ थे। शौकतुल्लाने एक जवाब लिखा था जिसे मैंने न भेजनेकी सलाह दी। अब मैं चाहूँगा कि तुम या पोलक पता लगाओ और मुझे बताओ कि यह शिक्षा-विभाग क्या है और इसका क्या काम है। क्या यह परेशानीमें पड़े विद्यार्थियोंकी मदद करता है? मैं यहाँ पैसा जुटानेको आतुर हूँ। लेकिन यह एक कठिन मामला है। पर जो भी हो, हेरॉल्डकी पढ़ाईका नुकसान नहीं होना चाहिए।

इसलिए यदि विभाग कुछ पेशगी रकम दे सकता है तो दे। वह उसे इस आशासे धन दे कि जब हेरॉल्ड खुद कमाने लगेगा तो उससे या उसके वारिसोंसे वसूल कर लिया जायेगा। यदि तुम हेरॉल्ड और उसकी माँको जानती हो तो उनके सम्पर्कमें आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। मैं हेरॉल्डको भी लिख रहा हूँ। मैं उस लड़केसे कभी नहीं मिला हूँ। निश्चय ही मैं डॉ० अन्सारीके घरेलू मामलोंके बारेमें कुछ नहीं जानता।

मैं उन कागजोंको तुम्हारे पास भेज रहा हूँ जो डॉ० एस० मेरे पास छोड़ गये हैं। कृपया इस्तेमालके बाद वापस भेज देना।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२४८. पत्र: भोपालके नवाबको

सेगाँव, वर्धा
१९ जुलाई, १९३८

प्रिय नवाब साहब,

जोहरा और शौकत दो दिनके लिए मेरे साथ थे। वे कल चले गये। उनसे यह जानकर दुःख हुआ कि वे डॉ० अन्सारीके छोड़े हुए दायित्वोंको पूरा नहीं कर सके हैं। उनके बच्चे हेरॉल्डको अभी अपनी शिक्षा पूरी करनी है। हेरॉल्डकी माँका भरण-पोषण किया जाना है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें तीन सालतक प्रतिमाह ३५ पौंड चाहिए। इन तीन सालोंमें हेरॉल्ड अपनी शिक्षा समाप्त कर चुकेगा। डॉ० अन्सारी छोटे-छोटे कर्ज भी छोड़ गये हैं, जो कुल १२,००० रु०के हैं। आपके और स्वर्गीय डॉ० अन्सारीके बीच जो घनिष्ठ मैत्री थी, उसे मैं जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आपने डॉ० अन्सारीकी मृत्युके बाद कुछ सहायता भेजी थी।

लेकिन जब जोहरा और शौकत मुझसे बात कर रहे थे, मैं आपकी याद किये बिना और आपसे यह कहनेकी इच्छा किये बिना नहीं रह सका कि यदि किसी भी तरह सम्भव हो तो आप इस कठिनाईमें उनकी मदद करें। इस कामकी पैरवी करनेके लिए मुझे कुछ और लिखनेकी जरूरत नहीं है। कारण, मैं जानता हूँ कि आप डॉ० अन्सारीको उस समयसे जानते थे जब कि मुझे उनको जाननेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था।

आशा है, आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२४९. पत्र : महादेव देसाईको

१९ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

लगता है, सुबह यहाँसे भेजी गई डाक तुम्हें उस समयतक नही मिली थी जब तुमने वहाँसे डाक भेजी। उसमें चार पत्र और सुशीलाकी दवाओंकी सूची थी।

तुमने न आकर अच्छा ही किया। जब काम न हो तो गोता मारा जा सकता है।

डैनिश इंजीनियरने मेरा मन जीत लिया है। ऐसे भोले चेहरे बहुत अधिक नजर नही आते।

इसके साथ दूसरी डाक भेज रहा हूँ। 'स्किल ओवरहैड'[1] ठीक है। हम 'ओवरहैड चार्जेज' कम करनेकी दृष्टिसे 'ओवरहैड स्किल' बढ़ाते हैं। किन्तु यदि 'स्किल ओवरहैड' अच्छी अंग्रेजी न हो तो अर्थ समझ लेनेके बाद जो सुधार करना आवश्यक समझो, सो कर देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०८) से।

२५०. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
१९ जुलाई, १९३८

चि० कान्ति,

आशा है, तू सकुशल पहुँच गया होगा और कोई चिन्ता नही करता होगा। तू यहाँ हो गया, यह तो बहुत ही ठीक हुआ। सरस्वतीका सुन्दर और विस्तृत पत्र आया था। यह मुझे इसी बार पता चला कि वह लिख सकती है। उसका मन मुझसे अच्छी तरह मिल गया जान पड़ता है। तेरा वियोग उसे बहुत सालता है, लेकिन वह प्रयत्न कर रही है। सुशीला और अरुण आ गये हैं। क्या तू प्रभावतीको नही लिखता? लिखना। वह पटनामें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४१) से; सौजन्य: कान्तिलाल गांधी।

१. देखिए "खादीधारियोंका कर्तव्य", पृ० २२३-२५ का तीसरा अनुच्छेद, जहाँ गांधीजीने इन शब्दोंका प्रयोग किया है।

२५१. पत्र : मणिलाल गांधीको

१९ जुलाई, १९३८

चि० मणिलाल,

तेरे पत्र मिले। मैं तो आजतक तुझे लिख ही नहीं सका। सुशीला और अरुण को आये तीन दिन हो गये हैं। अरुण अकोला जानेकी रट लगाये हुए है। आशा तो है कि शान्त हो जायेगा।

तेरी व्यथा मैं समझता हूँ। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करना। धैर्यपूर्वक और आगा-पीछा सोचकर जो सूझे सो करना।

यहाँकी चिन्ता मत करना। रामदास थोड़े दिन यहाँ रह गया, यह अच्छा हुआ।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही कहा जायेगा। बा भी आनन्दपूर्वक है। सेगाँवमें इस समय अच्छा जमघट है। वर्षाके दिनोंमें मुसीबत होगी। सोनेके लिए आवश्यक जगह भी नही है। किन्तु भगवान जैसे-तैसे निभा रहा है।

हैना[1] यहाँ निभ सकने-योग्य नहीं है। वह बहुत नाजुक प्रकृतिकी है। तनिक-सी भी असुविधा सहन नही कर पाती। उसे यहाँकी खुराक भी नहीं पचती। वह तीन तारीखको रवाना होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७७) से

२५२. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव

१९ जुलाई, १९३८

चि० नारणदास,

तुम्हारे सुझावके अनुसार मैंने 'हरिजनबन्धु' के लिए कुछ लिखकर[2] भेज दिया है। आरम्भ अच्छा हुआ है।

यदि वहाँका वातावरण अनुकूल हो तो हरिजन-बस्तीमें जाकर हरिजन-सेवा करने आदिका काम हाथमें लिया जा सकता है। किन्तु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब यज्ञमें भाग लेनेवालोंके अतिरिक्त अन्य लोग तैयार हों। यदि एक ही दल सब

१. कैलेनबैक की भतीजी।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", पृ० २२८।

काम करने बैठ जाये तो सम्भव है सारा-का-सारा काम बिगड़ जाये। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिसे तुम्हारा अनुभव करनेकी गवाही न दे। मैंने तो विविधत: की दृष्टिसे यह सुझाव दिया है। अन्यथा 'रेंटिया बारस' का उद्देश्य तो उस अवधिमें चरखेका ही ध्यान धरना है।[1]

पुरुषोत्तमके[2] बारेमें मैं जमना[3] के पत्रमें लिखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू० /२) से। सी० डब्ल्यू० ८५४५ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी।

२५३. पत्र : छगनलाल जोशीको

सेगांव
१९ जुलाई, १९३८

चि० छगनलाल,

तुमने जो प्रश्न पूछे हैं,[4] यदि वे न पूछे होते तो मुझे सचमुच दुःख होता और तुम दोषके भागी होते।

हिन्दी-प्रचारके सम्बन्धमें राजाजीसे पत्र-व्यवहार चल रहा है। उनकी नीति मैं भी नही समझ पाया हूँ। उनके दृष्टिकोणको समझे बिना अखबारोंकी शरण नहीं ली जा सकती।

मन्त्रियोंकी सार्वजनिक आलोचना अवश्य होगी, किन्तु उस आलोचनामें विवेक और परिस्थितिका ज्ञान होना चाहिए। अखबारी खबरोंके आधारपर कोई राय कायम नहीं की जानी चाहिए, फिर जिसकी आलोचना करनी हो उससे पहले पूछ लेना चाहिए।

सत्याग्रहियोंके आचरणमें तुम्हें जो कमियाँ नजर आती हैं, वे सही हैं। उन कमियोंकी वजहके बारेमें मेरा एक लेख[5] 'हरिजन' के अगले अंकमें प्रकाशित होगा, वह पढ़ लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५४५) से।

१. गांधीजी के ६९ वें जन्म-दिवसके अवसरपर नारणदास गांधीने जो योजना बनाई थी, उसके अनुसार ६९ दिन कताई करना आवश्यक था।

२. नारणदास गांधी का पुत्र।

३. नारणदास गांधी की पत्नी।

४. देखिए "पत्र : छगनलाल जोशीको", पृ० १६७-६९।

५. देखिए पृ० २२१-२३।

२५४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
१९ जुलाई, १९३८

भाई वल्लभभाई,

ये दोनों भाई क्विलोन बैंकके[1] हैं। वे तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं और तुम्हारी सलाह भी लेना चाहते हैं।[2] उन्हें कुछ समय देना। उनकी कथा करुण है।

ये सर पुरुषोत्तमदास[3]से भी मिलना चाहते हैं। मैंने इन्हें एक पुर्जा दिया है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२२

२५५. पत्र : सम्पूर्णानन्दको

सेगाँव, वर्धा
१९ जुलाई, १९३८

भाई सम्पूर्णानन्द,

फरूखाबादमें कांग्रेस पल्टन १०,००० की बनानेकी बात छपी है, सो क्या है? अगर हथियारबंध पल्टनकी बात है तो कांग्रेसकी अहिंसक नीतिके साथ बैठ सकती है?

आपका
मो० क० गांधी

सी० डब्ल्यू० १०१३२ से; सौजन्य : काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

१. त्रावणकोर का एक बड़ा बैंक।
२. देखिए "पत्र : महादेव देसाईको", पृ० २११ भी।
३. सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास।

२५६. सेगाँवके कार्यकर्ताओंके लिए

१९ जुलाई, १९३८

आज दुःखद विना वन गई। एक लड़का हमारे खेतके नजदीक गयां चराता था। उसको वलवंतसिंहजीने रोकनेकी चेष्टा की। वह नही माना। वलवंतसिंहजीने उसको धक्का मारा। यह वात हमारे लिए शर्मकी है। मैंने ग्रामवासियोंको कह दिया है कि अगर दुवारा ऐसा वलवंतसिंहजीसे हो जायेगा तो वे सेगाँव छोड़ेंगे। हमारे समजना चाहीये कि हम सेवक है, मालिक नही। ग्रामवासियोंकी दयासे ही रह सकते है। हमको किसीको गाली देनेका या स्पर्श करनेका कुछ भी अधिकार नही है।

बापु

सी० डब्ल्यू० ४६७४ से।

२५७. पत्र: महादेव देसाईको

९ वजे रात्रि, १९ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

इसके साथ त्रावणकोरके दो भाइयोंके लिए दो पत्र हैं, एक[1] वल्लभभाईके नाम और दूसरा[2] सर पुरुषोत्तमदासके नाम। ये उन्हें दे देना।

डेनमार्कवाले भाई मुझे वहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हे यह लिख तो चुका हूँ। किन्तु उनका चेहरा मेरी आँखोके सामने घूम रहा हैं, इसलिए मैं फिरसे इतना सहज ही लिख गया हूँ।

इसके साथ अन्य पत्र भी हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]
जरूरी

यदि मगनवाड़ीमें दो अतिरिक्त कमोड हों तो उन्हें यहाँ भेज देना और नीमूके जो गुदड़ीनुमा दो गद्दे हैं, उन्हें भी भेज देना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६०९)से।

१. देखिए पृ० २१० ।
२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

२५८. पत्र : बलवन्तसिंहको

२० जुलाई, १९३८

चि० बलवंतसिंह,

उपाय एक ही है, कलका कडवा घोंट[1] पी जाना। क्रोधको मारनेका प्रयत्न करते ही रहना। गो-सेवाके खातिर क्या नहीं हो सकता है? एकांतमें तो क्रोध हो नहीं सकता। जहां हो सकता है वहीं उसे जीता जा सकता है ना? हम सेवक हैं। सेवक स्वामी पर हाथ कैसे उठाये?

गणपतरायको मैं पहचानता हूँ।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कागद वापस करता हूँ।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९०७) से।

२५९. पत्र : देवदास गांधीको

सेगाँव
२१ जुलाई, १९३८

चि० देवदास,

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में शुएबके बारेमें एक पत्र प्रकाशित हुआ था। वह उन्होंने मुझे भेजा है। उन्होंने तुझे लिखे अपने पत्रकी नकल भी भेजी है। उक्त पत्र शुएब को दिखाये बिना प्रकाशित नहीं होना चाहिए था। मैंने तो उन्हें लिखा है कि यह पत्र तूने देखा ही नहीं होगा। ऐसे पत्र यथासम्भव तुझे दिखाये बिना प्रकाशित ही नहीं होने चाहिए। शुएब द्वारा भेजे गये तथ्य तो अब तूने उनका नाम दिये बिना छाप ही दिये होंगे। यदि न छापे हों तो छाप देना। तूने "फेयर प्ले" से यह अवश्य पूछा होगा कि उसने ऐसी खबर क्यों दी। यदि वह अपनी बातपर डटा रहे तो तू शुएबको लिखना।

१. देखिए "सेगाँवके कार्यकर्ताओं के लिए", पृ० २११।

आखिरकार हम आगमे घिर गये है।[1] आखिर मैं जो लिख[2] पाया हूँ, वह तू 'हरिजन' के आगामी अंकमें देख पायेगा। मैंने उसका पूरा रूप ही बदल दिया है।

इन दिनो तो मैं सामान्यत. मौन ही रखता हूँ। काम पड़े तभी बोलता हूँ। ऐसा करना मुझे अनुकूल बैठता है।

सुशीला और अरुण यही है। कैलेनबैकको भतीजी भी यही है। परसों राजकुमारी तीन दिनके लिए आ रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०००४) से

२६०. पत्र: कान्तिलाल गांधीको

२१ जुलाई, १९३८

चि० कान्ति,

मेरा पोस्टकार्ड तुझे मिल गया होगा। तेरा पत्र मिल गया है। रामचन्द्रन्‌पर क्रोध न करके तूने बहुत अच्छा किया। यदि हम गहराईसे विचार करें तो किसीपर क्रोध करनेका कोई कारण हो ही नही सकता। फिर क्रोध करनेका अधिकार क्यों-कर हो सकता है? अंग्रेजीमें क्रोधको छोटा-मोटा पागलपन कहा गया है न? और 'गीता' कहती है कि उसका मूल 'काम' है। मैं सरस्वतीको लिखता रहूँगा।

यदि तू अपने अध्ययनमें एकाग्रचित्त हो जाये तो यह बहुत अच्छा होगा। यहाँ सब कुशल है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

तू 'हरिजन' पढ़ता है न?

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४२) से; सौजन्य: कान्तिलाल गांधी।

१. सम्भवतः यहाँ मध्यप्रान्तके मन्त्रिमण्डलके संकटका उल्लेख है।

२. देखिए "कार्य-समितिके कर्तव्य", ६-८-१९३८।

२६१. सर्वोदय कैसे ?[1]

सेगाँव
२१ जुलाई, १९३८

सत्याग्रहके सिवा सर्वोदय असंभवित है। यहाँ सत्याग्रहका धात्वर्थ लेना चाहिये। सत्यका आग्रह बगैर अहिंसाके हो नही सकता है। इसलिये सर्वोदयकी सिद्धि अहिंसाकी सिद्धिपर निर्भर है। अहिंसाकी सिद्धि तपश्चर्यापर निर्भर है। तपश्चर्या सात्विक होनी चाहिये। उसमें अविश्रांत उद्यम, विवेक इ० समाविष्ट है। शुद्ध तपमें शुद्ध ज्ञान होता है। अनुभव बताता है कि लोग अहिंसाका नाम तो लेते है, लेकिन बहोतोंको मानसिक आलस्य इतना रहता है कि वे वस्तुस्थितिका परिचय तक करनेका परिश्रम नही उठाते हैं। दृष्टान्त लीजिये। हिन्दुस्तान कंगाल है। हम कंगालियत दूर करना चाहते है। लेकिन कंगालियत कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, कैसे दूर हो सकती है इ० का अभ्यास कितने लोग करते है? अहिंसाका भक्त तो ऐसे ज्ञानसे भरा हुआ होना चाहिये।

इस प्रकारका साधन पैदा करना 'सर्वोदय' का कर्त्तव्य है, नही कि किसीके साथ वादविवादमें पडनेका। 'सर्वोदय' के संचालक गाधीवादको भूल जायें। गाधीवाद-जैसी कोई वस्तु नही है। मैंने कोई नई चीज हिन्दुस्तानके सामने रखी नही है। प्राचीन वस्तुको नये ढंगसे रखी है। उसका उपयोग नये क्षेत्रमें करनेकी चेष्टा की है। इस कारण मेरे विचारोंको गांधीवाद कहना उचित नही होगा। हम तो जहा मिले वहाँसे सत्य लेंगे। जहा देखे वहां उसकी तारीफ करेंगे। उसका अनुकरण करेंगे, अर्थात् सर्वोदयके प्रत्येक वाक्यमें अहिंसा और ज्ञानका दर्शन होना चाहिये।

सन्देशकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६८०) से।

[1] गांधीजी ने यह सन्देश द० बा० कालेलकर तथा दादा धर्माधिकारी द्वारा प्रकाशित सर्वोदय के प्रथम अंकके लिए भेजा था।

२६२. टिप्पणी: द० बा० कालेलकरको

सेगाँव
२१ जुलाई, १९३८

नियमावली और उसके सम्बन्धमें मेरा पत्र तथा 'सर्वोदय'के लिए मेरा लेख[1] इसके साथ है।

'हरिजन' के लिए वह लेख तो तुम यही भूल गये। वह भी इसके साथ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०९) से।

२६३. पत्र: विजया एन० पटेलको

२१ जुलाई, १९३८

चि० विजया,

मेरा पत्र तो पहुँचा होगा। दवाका नाम अमृतलाल भेज रहे हैं। तेरा जितना वजन कम हुआ है उतना फिर बढ़ा लेना। यहाँ तो खूब वर्षा हो रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०८९) से। सी० डब्ल्यू० ४५८१ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

२६४. पत्र: कृष्णचन्द्रको

सेगाँव
२१ जुलाई, १९३८

चि० कृष्णचंद्र,

तुमारा खत दुबारा ध्यानसे पढ गया हूँ। मेरी दृष्टिसे तो मैंने जो उत्तर दिया वह पर्यापत है। संतानोत्पत्तिकी इच्छा कब योग्य मानी जाय ऐसा प्रश्नका उत्तर यही हो सकता है कि जब दंपतीको भोगेच्छा नही है तो भी संततीकी इच्छा होती है। जैसा दशरथके लिये माना गया है। सारा कार्यको धर्मका रूप दिया गया है।

स्थिरवीर्य होनेके बारेमें तुमने लिखा है वह सही है।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

'हत्वापि स इमाँल्लोकान्'[१] का मेरा अर्थ तो यह है कि जो अनासक्त है वह मारेगा हि नही। इसलिये इसे व्यंग कहा जाय।

मेरा घूमनेके लिये वर्धा जाना धर्म न माना जाय लेकिन वह अधर्म हरगीज नही है। ठीक इसी तरह संतानोत्पत्तिवाला वाक्य है और यह वास्तविक है।

अब तो सब उत्तर आ गये। यदि नहीं तो प्रश्नके ही रूपमें लिखो, उसका उत्तर दूंगा।

मेरी एक सलाह। मेरे वचनोंको प्रामाणिक न माने जाय। ये सब ईश्वर प्रणीत नहीं है। उनमे कुछ अनुभव है कुछ बुद्धिवाद है। ऐसे वचनोंकी किम्मत इतनी है जितनी हरकोई वचन की। अर्थात मेरे जो वचन बुद्धि और हृदय कबूल न करे उसका सर्वथा त्याग किया जाय। ऐसा करोगे तो मेरे वचनोंका संग्रहकी आवश्यकता नही रहेगी। पृथ्वी गोल है, इस वस्तुके लिये किसीके वचनोंका संग्रहकी आवश्यकता रहती है क्या?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९६) से। एस० जी० ६६से भी।

२६५. पत्र: लीलावती आसरको

२२ जुलाई, १९३८

चि० लीला,

यदि तू यह मानती हो कि मुझे पत्र न लिखकर तू मेरा समय बचा रही है तो भूल कर रही है। यदि कभी-कभी मुझे लिखती रहे तो उससे मुझे सन्तोष होगा। यदि चाय पीनेसे ही तेरा पेट साफ होता हो तो उसे उसी अनुपातमें औषधि समझ कर लेती रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५९०) से। सी० डब्ल्यू० ६५६२ से भी; सौजन्य: लीलावती आसर।

१. भगवद्गीता, अध्याय १८, श्लोक १७; देखिए खण्ड ३२, पृ० ३३३।

२६६. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव, वर्धा
२२ जुलाई, १९३८

चि० प्रभा,

तेरा पत्र आज ही मिला और मैं उसका तुरन्त ही उत्तर लिख रहा हूँ। इसके साथका पत्र जयप्रकाशके लिए है। यदि तू सत्याग्रह करना चाहे तो मुझसे पूछे विना यह कदापि नही किया जा सकता। तुझे चिन्ता विलकुल नही करनी चाहिए। तू अपना स्वास्थ्य मत विगाड़। प्रयत्न करना कर्त्तव्य है। चिन्ता करनेसे प्रयत्नमें ढिलाई आ जाती है।

नवीन आज आ गया है।

मेरी तवीयत अच्छी रहती है। आजकल मेरी खुराकमें दो पौंड दूध, मुसम्वी, जितनी खाई जा सके—आजकल दस-वारह खा पाता हूँ—और लहसुनके पानीके साथ तीन वार गुड़ है। इससे मैं अच्छा रहता हूँ।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५१७) से।

२६७. पत्र : जयप्रकाश नारायणको

सेगाँव, वर्धा
२२ जुलाई, १९३८

भाई जयप्रकाश,

प्रभा वड़े दु:खसे लिखती है तुम शरीरकी दरकार ही नही करते हो। मलवार जानेका निश्चय किया था वह भी अव टूट रहा है। तुमारे कार्यके लिये भी तो शरीर रक्षा आवश्यक है ना? मेरा आग्रह है कि और कुछ नही तो प्रभाकी शांतिके खातिर तो जाओ। प्रभाकी तवीयत भी कुछ अच्छी नही है। तुमारे अच्छे होनेसे वह अपने-आप अच्छी हो जायगी।

आशा है मेरी वात मानोगे।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५१८) से।

२६८. पत्र : रा० को

२२ जुलाई, १९३८

भाई रा०,[1]

बालकृष्णने तुमारा सदेशा दिया। मेरा अभिप्राय है अग्निमें रहनार मनुष्य अग्निसे बचनेकी प्रार्थना करे ऐसी कुछ तुमारी स्थिति है। मेरा ख्याल है कि तुमारे गं०[2] के मार्फत विषय तृप्ति करनी चाहीये। संसार इसी तरह चलता है। जो निर्विकार बनना चाहते हैं वे इच्छा मात्रसे तो नहिं हो सकते हैं। इच्छाके साथ सतत प्रयत्न होना चाहीये। यह तुमारी शक्तिके बाहर हैं। यह मेरा निदान है। चाहे तुमारा दिल दूसरी चीज कहे और विषयवृत्ति रोकी जा सकती है तो मुझको तो बड़ा ही आनंद होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २१२) से।

२६९. पत्र : महादेव देसाईको

रात्रि ८ बजे, २२ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

साथके पत्रोंमें से तीन तो मैं आज देना भूल ही गया। मैंने 'पैड' नहीं देखा था।

तुम्हें यह याद होगा कि कल राजकुमारी आ रही है। वह ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैससे आ रही है। उसे स्टेशनपर लेने जानेकी व्यवस्था करके आना। यदि वर्षा हो रही हो तो उसे वहीं रोक लिया जाये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६१०) से।

१ व २. नाम छोड़ दिये गये हैं।

२७०. अहिंसाकी कार्य-पद्धति

अभी कुछ दिन पहले काग्रेसके एक नेताने वातचीतके दौरान मुझसे कहा: "क्या वात है कि गुणकी दृष्टिसे कांग्रेस आज १९२०–२५ की जैसी नही रह गई है? इसकी काफी अवनति हुई है। इसके नब्वे प्रतिशत सदस्य आज इसके नियमोंका पालन नहीं कर रहे हैं। इस स्थितिको सुधारनेके लिए क्या आप कुछ नही कर सकते?"

प्रश्न योग्य और प्रासंगिक है। मैं काग्रेसमें नही हूँ, ऐसा कहकर मैं अपनी जिम्मेदारीसे वच नही सकता। इससे वाहर भी मैं इसीलिए आ गया हूँ कि इसकी अधिक सेवा कर सकूँ। मैं जानता हूँ कि काग्रेसकी नीतिपर मेरा असर आज भी पड़ता है। काग्रेसके १९२० के संविधानके निर्माताकी हैसियतसे मुझे अपने-आपको उस हदतक उसकी अवनतिका जिम्मेदार समझना चाहिए जिस हदतक कि उससे वचा जा सकता था।

१९२० मे कांग्रेसने जव अपना नया दौर आरम्भ किया, तभी उसमें एक दोष रह गया था। सत्य और अहिंसाको धर्म-रूपमें वहुत कम लोगोंने स्वीकार किया था। अधिकांश सदस्योने उसे एक नीतिके रुपमें ही स्वीकार किया था। ऐसा होना अवश्यम्भावी था। मैंने यह आशा की थी कि नई नीतिके अन्तर्गत काग्रेसका काम-काज देखकर वहुत-से लोग अहिंसाको धर्म-रूपमें स्वीकार कर लेंगे। मगर स्वीकार किया वहुत कम लोगोने। आरम्भमें अग्रणी नेताओंमें गहरा परिवर्तन आया। पाठकोंको स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू और देशवन्धु दासके वे पत्र याद होंगे जो 'यंग इंडिया' में उद्धृत किये गये थे। त्याग और सादगीके जीवनमें उन्हे एक नये आनन्द, नई आशाकी अनुभूति हुई थी। अली-वन्धु तो लगभग फकीर ही वन गये थे। उनके साथ दौरेपर यहाँ-वहाँ जाते हुए मैं देखता था कि उनमें कैसा परिवर्तन आ रहा है। जो वात इन चार नेताओके साथ हुई वही और भी कई नेताओके साथ हुई, जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ। और नेताओंके उत्साहकी छूत कांग्रेसके सामान्य सदस्योको भी लगी थी।

लेकिन यह अद्भुत परिवर्तन 'एक वर्षमें स्वराज्य' के मन्त्रका परिणाम था। उस मन्त्रकी सिद्धिके लिए मैंने जो शर्तें रखी थीं, उन्हें लोगोने भुला दिया। ख्वाजा साहव अव्दुल मजीदने तो यहाँतक कहा कि सत्याग्रह-सेनाके—क्योंकि तव कांग्रेस सत्याग्रह-सेना ही तो वन गई थी, जो वह वास्तवमें आज भी है वशर्ते कि कांग्रेसी सत्याग्रह शव्दके अर्थको समझें—सेनापतिके रूपमें मुझे यह तो देख लेना चाहिए था कि ये शर्तें ऐसी हैं या नही जिनका पालन किया जायेगा। शायद उनका कहना ठीक था। वस, मुझमें अग्रदृष्टि नही थी। सामूहिक रूपसे और राजनीतिक प्रयोजनोके लिए

अहिंसाके उपयोगका मैं भी एक प्रयोग ही कर रहा था। इसलिए मैं यह बात दावेके साथ नहीं कह सकता था। मेरी शर्तोंका प्रयोजन जन-साधारणकी तत्परताको मापना था। उन्हें पूरा किया भी जा सकता था और नहीं भी किया जा सकता था। भूल होने और गलत अनुमान लगाये जानेकी सम्भावना तो सदा ही थी। खैर, जो भी हो, सचाई यह है कि जब स्वराज्यकी लड़ाई लम्बी खिंच गई और खिलाफत कोई जीवन्त प्रश्न नहीं रह गया तब लोगोंका उत्साह ठंडा पड़ने लगा, नीतिके रूपमें भी अहिंसामें लोगोंका विश्वास डिगने लगा, और उनके व्यवहारमें असत्यका समावेश हो गया। कांग्रेसमें ऐसे लोग भी चुपकेसे घुस आये जिनका सत्य-अहिंसामें या खादी-सम्बन्धी धारामें विश्वास नहीं था, और बहुत-से लोग तो खुले आम कांग्रेसके संविधानकी अवहेलना करने लगे।

बुराई तबसे बढ़ती ही गई है। कार्य-समिति कांग्रेसका दोष दूर करनेकी कुछ कोशिश करती रही है। लेकिन वह भी कांग्रेसके सदस्योंकी संख्यामें कमी आनेके खतरेका खयालका कोई सख्त रवैया नहीं अपना सकी है। खुद मैं तो परिमाणसे अधिक गुणमें विश्वास करता हूँ।

लेकिन अहिंसाकी योजनामें जबरदस्तीके लिए स्थान नहीं है। भरोसा तो मनुष्यकी बुद्धि या हृदयको — विशेष रूपसे हृदयको — प्रभावित करनेपर ही रखना है।

इससे स्वभावतः यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्याग्रहके सेनापतिकी वाणीमें शक्ति होनी चाहिए — असीम शस्त्रास्त्रोंके स्वामित्वके बोधसे प्राप्त शक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध जीवन, कठोर आत्मनिरीक्षण और सतत् प्रयत्नसे उत्पन्न शक्ति। यह सब ब्रह्मचर्यके पालनके बिना असम्भव है। और ब्रह्मचर्यका जितना पूर्ण पालन करना मनुष्यके लिए शक्य है, उतना पूर्ण पालन करना चाहिए। यहाँ ब्रह्मचर्यका मतलब केवल शारीरिक आत्मसंयम नहीं है। इसका मतलब इससे बहुत अधिक है। इसका मतलब है समस्त इन्द्रियोंपर सम्पूर्ण नियन्त्रण। उदाहरणके लिए, अशुद्ध विचार ब्रह्मचर्यका भंग है; इसी तरह क्रोध भी। सारी शक्ति जीवनका सर्जन करनेवाले वीर्यके संचय तथा ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्तियोंमें उसके उपयोगसे प्राप्त होती है। यदि इस जीवनी-शक्तिको — वीर्यको — नष्ट करनेके बजाय इसका संचय किया जाता है तो उसका रूपान्तरण सर्वोच्च प्रकारकी रचनात्मक शक्तिमें हो जाता है। मनमें बुरे विचार आनेसे ही नहीं, बल्कि असंगत, अव्यवस्थित और अवाछित विचार आनेसे भी इस जीवनी-शक्तिका न केवल सतत् क्षय होता रहता है, बल्कि इस रीतिसे क्षय होता रहता है कि हमें उसका पता भी नहीं चलता। और चूंकि विचार सारे वचनों और कार्योंका प्रेरणा-स्रोत है, इसलिए जैसा विचार होगा वैसा ही वचन और कार्य भी होगा। इसलिए पूर्ण मनोनिग्रहपूर्वक किया गया विचार अपने-आपमें अधिक-से-अधिक समर्थ शक्ति है, और यह भी हो सकता है कि बिना किसी बाहरी साधन-उपक्रमके यह विचार ही वांछित कार्य भी करने लग जाये। हृदयसे की जानेवाली मूक प्रार्थनाका अर्थ मुझे यही जान पड़ता है। यदि मनुष्य ईश्वरकी प्रतिमूर्ति है तो उसे जो सीमित क्षेत्र प्रदान किया गया है, उसके अन्दर उसके इच्छा-भर करनेसे कोई बात हो जानी

चाहिए। जो आदमी अपनी इस जीवनी-शक्तिका किसी भी तरहसे क्षय करता है, उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होना असम्भव है—ठीक उसी प्रकार जैसे किसी सूराखदार नलीमें भरे वाष्पमें कोई शक्ति नहीं होती। प्रजोत्पत्तिके उद्देश्यसे रहित सम्भोग-क्रिया वीर्य-क्षयका सबसे सामान्य और सबसे स्थूल तरीका है और इसीलिए इसकी विशेष निन्दा की गई है, जो सर्वथा उचित है। लेकिन जिसे अहिंसक कार्यके लिए विशाल जन-समुदायको संगठित करना है, उसे तो, मैंने ऊपर जिस पूर्ण आत्म-संयमका वर्णन किया है, उसके लिए प्रयत्न करके उसे प्रायः सिद्ध करना ही है।

ऐसा आत्म-सयम भगवत्कृपाके विना अलभ्य है। 'गीता'के दूसरे अध्यायमें एक श्लोक[1] है, जिसका स्वतन्त्र अनुवाद इस प्रकार होगा: "जब कोई उपवास करता है या अन्य इन्द्रियोंका निग्रह करता है, तब उस अवधिके लिए इन्द्रियोंका प्रभाव स्थगित तो रहता है, किन्तु लालसा नही मिटती। लालसा तो ईश्वर-साक्षात्कारसे ही मिटती है।" यह संयम यान्त्रिक अथवा अस्थायी नहीं होता है। एक बार प्राप्त हो जानेपर यह कभी समाप्त नही होता। तब उस जीवनी-शक्तिके बहिर्गमनके अनेक मार्गोंमें से किसी भी मार्गसे उसका क्षय नही होता और वह संचित होती रहती है।

कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी ब्रह्मचर्यकी स्थिति लभ्य हो भी तो गुफावासियोको ही हो सकती है। उनका कहना है, ब्रह्मचारीको स्त्रीका स्पर्श तो क्या, उसका दर्शन भी नही करना चाहिए। निस्सन्देह ब्रह्मचारीको स्त्रीका ध्यान, उसकी चर्चा, उसका दर्शन अथवा स्पर्श 'विकारपूर्वक' नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी ग्रंथोमें मिलनेवाले इस निषेधके साथ यह महत्वपूर्ण क्रिया-विशेषण जोड़ना छोड़ दिया गया है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि इन कृतियोके रचयिताओंने सोचा कि ऐसी बातोमें मनुष्य तटस्थ-भावसे कुछ सोच नही सकता और इसलिए वह सचाईके साथ नही कह सकता कि ऐसे सम्पर्कसे वह कब विकारग्रस्त हो गया और कब नही। कामदेवका प्रकोप अकसर अदृश्य होता है। संसारमें मुक्त रूपसे विचरण करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करना असम्भव तो है, लेकिन यदि उसकी प्राप्ति केवल संसार-त्यागसे ही सम्भव हो तो फिर उसका कोई मूल्य ही नही है।

खैर, प्रवृत्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए भी तीस वर्षोंसे भी अधिकसे मैं ब्रह्मचर्यका अभ्यास करता आ रहा हूँ और उसमें काफी सफल भी रहा हूँ। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करनेका निश्चय करनेके बाद मनुष्यके साथ—सिवाय अपनी पत्नीके—मेरे बाहरी व्यवहारमे लगभग कोई परिवर्तन नही आया। दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोके बीच काम करते हुए मैं मुक्त रूपसे स्त्रियोंसे मिला करता था। ट्रान्सवाल या नेटालमें शायद ही कोई भारतीय स्त्री रही हो जो मुझे नहीं जानती थी। वे सब मेरे लिए, बहनों और बेटियोंके समान थी। मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकोंसे लिया गया नहीं था। अपने मार्ग-दर्शनके लिए और मेरे कहनेपर मेरे प्रयोगमें शामिल होनेवाले अन्य लोगोंके मार्ग-दर्शनके लिए भी, मैंने खुद ही कुछ नियम तैयार कर

१. भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक ५९।

लिये। यदि मैंने ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी ग्रंथोंमें बताये निषेधोंका पालन नहीं किया है तो सारे पाप तथा प्रलोभनके मूलस्वरूप दिये गये स्त्रियोके वर्णनको — यहाँतक कि धर्मग्रन्थोंमें भी दिये गये ऐसे वर्णनको — तो मैंने और भी जोरसे अस्वीकार किया है। मुझमें जो भी सद्गुण हैं उनका श्रेय मेरी माताको है, ऐसा मानते हुए मैंने स्त्रीको कभी भी विषयतृप्तिके साधनके रूपमें नही देखा है, बल्कि सदा वैसी ही श्रद्धासे देखा है जैसी श्रद्धासे अपनी माँको देखना मेरा कर्त्तव्य है। प्रलोभन देनेवाला और आक्रमण करनेवाला तो पुरुष है। पुरुषको नारीका स्पर्श अपवित्र नहीं करता, बल्कि प्रायः वह स्वयं ही इतना अपवित्र रहता है कि नारीका स्पर्श करने योग्य नही होता। किन्तु हालमें मुझे इस सम्बन्धमें कुछ शका उत्पन्न हो गई हैं कि किसी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणीको क्रमशः स्त्री या पुरुषके साथ अपने सम्पर्कके बारेमे अपने ऊपर किस सीमातक मर्यादा लगानी चाहिए। मैंने जो मर्यादाएँ तय की हैं, उनसे मुझे सन्तोष नही है। ये मर्यादाएँ कैसी होनी चाहिए, अभी नही कह सकता। प्रयोग कर रहा हूँ। अपनी परिभाषाके अनुसार मैंने कभी पूर्ण ब्रह्मचारी होनेका दावा नही किया है। अपने अहिंसा-विषयक शोधके लिए अपेक्षित विचार-संयम मुझे प्राप्त नही हो पाया है। यदि मेरी अहिंसाको संक्रामक होना है तो मुझे आजकी अपेक्षा अधिक विचार-संयम प्राप्त करना है। इस लेखके प्रारम्भिक वाक्यमें नेतृत्वकी जिस प्रकट विफलताका उल्लेख किया गया है, उसका कारण शायद मेरा कोई दोष ही है।

अहिंसामें मेरी श्रद्धा सदाकी भाँति दृढ़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह न केवल हमारे देशकी सारी समस्याओंका समाधान कर सकती है, बल्कि यदि इसका ठीकसे उपयोग किया गया तो भारतके बाहर जो खूरेजी मची हुई है और जिसमें पूरी पश्चिमी दुनियाके गर्क हो जानेका खतरा पैदा हो गया है, उसे भी यह रोक सकती है।

मेरी आकांक्षा सीमित है। ईश्वरने मुझे सारी दुनियाको अहिंसाकी राहपर चलानेकी शक्ति नही दी है। लेकिन मेरे मनमें कुछ ऐसा खयाल है कि अहिंसाको भारतके सामने उसके अनेक कष्टोंके उपचारके रूपमें पेश करनेके लिए अपने एक साधनके रूपमें उसने मुझे जरूर चुना है। जितनी प्रगति हुई है, उतनी भी कुछ कम नही है। लेकिन अभी बहुत-कुछ करना शेष है। और फिर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसियों को आम तौरपर जैसा चाहिए, वैसा उत्साह, वैसी तत्परता दिखानेको प्रेरित करनेकी शक्ति मैं खो बैठा हूँ। अपने औजारोको दोष देनेवाला बढ़ई निश्चय ही अच्छा बढ़ई नही है। सदोष व्यूह-रचनाका दोष जो अपने सैनिकोको देता है, वह बुरा सेनापति है। मैं जानता हूँ कि मैं बुरा सेनापति नही हूँ। अपनी मर्यादाएँ पहचानने लायक समझदारी मुझमें है। यदि मेरे भाग्यमें किसी दिन अपना दिवालियापन घोषित करना ही लिखा है, तो ईश्वर मुझे वह करनेकी भी शक्ति देगा। जिस कामको करनेकी छूट उसने मुझे लगभग आधी शताब्दीसे दे रखी है, उसे जब वह मुझसे नही करवाना चाहेगा तो शायद मुझे संसारसे उठा लेगा। लेकिन मेरे मनमें यह आशा अवश्य

बनी हुई है कि मेरे करनेके लिए अभी और भी कार्य शेष हैं। जिस अन्धकारने, लगता है, मुझे चतुर्दिक् घेर रखा है, वह छँटेगा; और सारी दुनिया देख सके, इस ढंगसे भारत अहिंसात्मक उपायोसे अपना स्वत्व प्राप्त करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसे दाण्डी-कूचसे भी कोई अधिक तेजोमय संघर्ष करना पड़े या उसे वह इसके बिना ही प्राप्त हो जाये। जिनकी अहिंसामें सजीव श्रद्धा है, वे आयें और मेरी इस प्रार्थनामें अपना स्वर मिलायें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २३-७-१९३८

२७१. खादीधारियोंका कर्त्तव्य

मेरे सामने बहुत-से पत्र पड़े हैं। इनमें से कुछमें खादीकी लगातार बढ़ रही कीमतोंके प्रति विरोध प्रकट किया गया है, और कुछमें बड़े करुण शब्दोंमें मुझसे यह निवेदन किया गया है कि मैं ही बताऊँ कि बेचारे मध्यम वर्गके लोग इतनी महँगी खादी कैसे खरीदें।

अ० भा० चरखा संघके अस्तित्वका उद्देश्य केवल गरीब खादी-उत्पादकोंका कल्याण करना है, और इन उत्पादकोंमें से अधिकांश गरीब स्त्रियाँ हैं। मैं मानता हूँ कि संघ तबतक चैनकी साँस नहीं ले सकता जबतक कि प्रत्येक स्त्रीको ईमानदारीसे घंटा-भर कातनेके एवजमें एक आना नहीं मिलने लग जाता। प्रति घंटा आधे आने तक तो हम पहुँचने ही वाले हैं, और अगर उपभोक्ता तथा कांग्रेसी सरकारें अपना कर्त्तव्य निभाती हैं तो संघको आशा है कि लोग जबतक सोच रहे हैं, उससे पहले ही वह प्रति घंटा एक आनाकी स्थिति भी ले आयेगा।

इसलिए खादीकी कीमतमें कुछ वृद्धि तो होगी ही, लेकिन मजदूरीमें की जानेवाली वृद्धिके अनुपातमें नहीं। शहरी लोगोंको यह मालूम होना चाहिए कि कारीगरोंमें अधिकाधिक निपुणता लानेकी कोशिश बराबर जारी है, ताकि मजदूरीमें होनेवाली वृद्धिका पूरा वजन खादीपर ही न पड़ने पाये। व्यवस्था-व्ययमें भी निरन्तर कमी की जा रही है। अनुभवसे कुशलता बढ़ती जा रही है। लेकिन कतैयोंकी मजदूरीमें सोलह-गुनी वृद्धि केवल बढ़ी हुई कुशलताके बलपर ही सम्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए मजदूरी बढ़नेके साथ-साथ खादीकी कीमतमें कुछ वृद्धि होना तो अनिवार्य है। इस वृद्धिको खादीकी विभिन्न किस्मोंपर असमान रूपसे बाँटा जा रहा है, जिसका मकसद यह है कि वृद्धिका सबसे अधिक भार उस खादीपर पड़े जिसे धनाढ्य लोग खरीदते हैं। गरीब खरीदारोंका भार हलका करनेके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता है, संघ कर रहा है और करता रहेगा।

लेकिन खादीधारियोंको मालूम होना चाहिए कि खादीका अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्रसे भिन्न है। सामान्य अर्थशास्त्रका ढाँचा स्पर्धाकी नींवपर खड़ा है और उसमें देशभक्ति, भावना और मानव-दयाके लिए बहुत कम या कतई स्थान नहीं

है। खादीका अर्थशास्त्र देशभक्ति, भावना और मानव-दयाकी आधार-भूमि पर रचा गया है।

जब संघकी नई नीति निर्धारित की गई, उससे पहले उसका उद्देश्य खादीको सस्ता बनाना था — मुख्य रूपसे कतैयों, यानी संसारके शायद सबसे असहाय कारीगरोंकी मजदूरीकी कोई परवाह न करते हुए खादीको सस्ता बनाना था। यह बात लगभग एक दशकतक चलती रही। यह एक गलत नीति थी, लेकिन गलती अनजानमें और इस विषयपर दोषपूर्ण ढंगसे सोचनेके कारण हुई थी। इस गलतीकी सबसे अधिक जिम्मेदारी स्वयं मुझे लेनी चाहिए। इस गलतीका लाभ केवल खादीधारियोंको मिला। अब जबकि उस गलतीको सुधारा जा रहा है और कतैयोंको धीरे-धीरे उनकी वाजिब मजदूरी देनेकी कोशिश की जा रही है, तब क्या इस तरह शिकायत करना खादीधारियोंको शोभा देता है?

संघने खादीधारियोंसे हार्दिक सहयोगकी आशा की है, और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल मिलाकर उन्होंने वृद्धिका बुरा नहीं माना है। बहुत-से लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि इन निरीह और मूक बहनोंको, जो खादीधारियोंसे कई गुनी ज्यादा जरूरतमन्द हैं, इतनी देरसे दिये जा रहे इस न्यायमें वे भी हाथ बँटा रहे हैं।

मैं जानता हूँ कि मध्यम वर्गके बहुत-से लोग मुश्किलसे अपना खर्च चला पाते हैं, और ऊपरसे खर्च करनेके लिए एक-एक आना जुटाना उनके लिए एक समस्या है। साथ ही वे कातनेको भी तैयार नहीं हैं। उनसे मुझे पूरी सहानुभूति है। लेकिन दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकतीं। यदि वे कातनेको तैयार नहीं हैं तो उन्हें अपनी जरूरतोंमें कटौती करनी चाहिए या दूसरे खर्च कम करने चाहिए। हमारे यहाँकी जैसी जलवायु है उसमें हम जितने ज्यादा कपड़ोंका इस्तेमाल करते हैं, उतने ज्यादाकी दरअसल जरूरत नहीं होती। जहाँ चाह है, वहाँ राह भी निकल ही आती है।

एक पत्र-लेखक भाईका कहना है कि खादी मुख्यतः मध्यम वर्गके बलपर टिकी हुई है। उनका विचार है कि अगर खादीकी कीमतमें इतनी कमी नहीं की गई जिससे ये लोग इसे खरीद सकें तो यह मेरे जीवनके बाद टिकी नहीं रह सकेगी। यदि खादी इसी शर्तपर जीवित रह सकती हो, तो बेहतर यही होगा कि वह मुझसे पहले ही मिट जाये। मगर खुशीकी बात यह है कि उक्त पत्र-लेखक भाईकी दलीलमें एक भ्रान्ति है। सस्तेपनके सवालका सम्बन्ध केवल शहरी लोगोंसे है। यदि गरीब-अमीर सभी शहरी खादीको अपना लें, तो भी वे, जितनी खादी तैयार की जाती है, उसके दस प्रतिशतसे अधिकका उपयोग शायद ही कर पायें। शेषका उपयोग तो स्वयं उत्पादकों, यानी ग्रामवासियोंको ही करना है। कीमतकी बातका उनपर कोई असर पड़ता भी हो तो नहीके बराबर ही। यह सच है कि खादी गाँवोंमें आशानुकूल स्थान नहीं बना पाई है। इसलिए संक्रान्ति-कालमें उसे शहरके गरीब-अमीर सभी लोगोंकी देश-भक्तिकी भावनापर निर्भर रहना है। जिनका खादीके सन्देशमें विश्वास है, वे इसके

लिए कोई भी कीमत चुकानेको बखुशी तैयार रहेंगे। अकाल तथा बेरोजगारीके खिलाफ यह एक सच्चा बीमा है। अगर तुरन्त भारतका औद्योगीकरण भी हो जाये तो भी बेरोजगारी काफी हदतक बनी ही रहेगी। इस देशकी समस्या तो एक पूरी जातिके लिए, जो अपने समयका एक-चौथाई भाग निठल्ली रहकर बिताती है, काम जुटानेकी है। अगर महामारी, गरीबी और रक्तपातसे बचना है तो खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगोंके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जिन लोगोंका खादीकी इस सामर्थ्यमें विश्वास है और जो कतैयोंको निर्वाहके लायक मजदूरी देनेकी आवश्यकतामें भी विश्वास करते हैं, उन्हें खादीकी कीमतमें की गई वृद्धिपर कोई शिकायत नहीं होगी। वे इस बातका भरोसा रखें कि संघ अत्यन्त सावधानीसे आगे बढ़ेगा। गत दो सालके अनुभवसे यह आशा बँधती है कि कतैयोंकी मजदूरीमें जो वृद्धि हो रही है, उसका आम जनता स्वागत करेगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २३-७-१९३८

२७२. पत्र : अमृतकौरको

२३ जुलाई, १९३८

प्रिय अमृत,

आज रात मत आओ। मौसम बड़ा खराब है। सब जगह पानी-ही-पानी है। कल तो तुम आओगी ही, बशर्ते कि तुम बीमार न हुई और वर्षा इसी तरह न होती रही। तुम्हारा कोना तो तुम्हारे लिए सुरक्षित पड़ा हुआ ही है।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३३) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४४२ से भी।

२७३. पत्र: महादेव देसाईको

२३ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

तुमने न आकर बहुत बुद्धिमानीका काम किया। यहाँ सब-कुछ वर्षामय हो गया है। खान साहब रातके लिए आना चाहते हैं। वे न आयें तो अच्छा हो। यदि कल [मौसम] सूखा हो तो आयें या फिर कार्य-समितिकी बैठकके बाद आये। खान साहबवाली खाट भी यहाँ नहीं है। राजकुमारी भी रातके लिए न आये। मैं समझता हूँ कि यहाँतक मोटर पहुँचना असम्भव है। इसमें खतरा तो है ही। कल दिनको आयें। पत्र इसके साथ है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यह पत्र छूट ही गया था। मेरा भाग्य अच्छा है, इसलिए अब भेज पा रहा हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६११) से।

२७४. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको

२३ जुलाई, १९३८

चि० अमृतलाल,

यदि वसुमती और समय माँगती है तो उसे कह देना कि तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। उसे पन्द्रह मिनट देना और समझा देना कि ध्यान देकर काम करनेपर इतने ही समयमें वह बहुत-कुछ पा सकेगी।

यदि तुम फिलहाल सब्जी तैयार करनेके काममें मदद नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं। जो व्यक्ति लोगोंकी निन्दा और आलोचनाका बुरा मानता है, वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ब्रह्मचर्यकी मेरी व्याख्याके अनुसार वह ब्रह्मचर्यको भंग करता है और जो उसे भंग करता है, वह बूढ़ा हो जाता है।

दुःख तो हमें अपने दोषोंका होना चाहिए। यदि अन्य लोग दोषारोपण करें तो हम उसपर हँसें। जिन्हें समझाया जा सकता हो, उन्हें समझायें। यदि किसीको हमारे बारेमें गलतफहमी हो तो उसे समझाना हमारा कर्त्तव्य है। सब लोगोंसे हम इस प्रकार व्यवहार करें मानो वे हमारे सगे-सम्बन्धी हों।

तुम रविवारकी छुट्टी अवश्य लेना और उस दिन सब्जी तैयार करनेके काम में मदद देना। अपनेमें विनोद-वृत्ति विकसित करना।

कल डाह्याभाईके 'गीता'-पाठमें चार-पाँच भूलें हुई थी। भूलोंको ध्यानमें रखकर उन्हें सुधारते रहना। उसके पाठमें तो निश्चय ही सुधार हुआ है, किन्तु अभी सुधार की काफी गुंजाइश है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७४९) से।

२७५. पत्र : सरस्वतीको

२३ जुलाई, १९३८

चि० पगली सुरु,

कैसा खत? मेरा कार्ड और खत[1] मिला होगा, मैंने तार[2] दिया है सो भी मिला होगा। तुझे कैसे शांति दूं? अगर यहाँ फिर बुला लूँ तो कांतिके सिवा तुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरे पास तो मैं रखता ही था। निकम्मा अपनेको धोका दे रही हो। कांतिको अभी मत सताओ। उसे अभ्यास करने दो। वहाँ माता है, पिता है, दादा है, मामु है, इससे अधिक क्या चाहीये? मेरे पास तू एक दिन भी नहीं ठहरेगी। रोज मुझे कहेगी कांतिभाईको बुला दो या मुझे भेज दो। तब मैं क्या करूँगा? देख विचार कर और पागलपन और मूर्खता निकाल दे। मुझे रोज लिखना है तो लिख। मैंने मामुको ऐसे नहीं लिखा 'सेव मी फ्रॉम सरस्वती' (मुझे सरस्वती से बचाओ)। तुझसे मुझको क्या बचना है, तू तो प्यारी बेटी है। मेरे अक्षर पढ लेती है ना?

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१६८) से। सी० डब्ल्यू० ३४४१ से भी; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

१. देखिए पृ० २०५।
२. यह उपलब्ध नहीं है।

२७६. काठियावाड़ हरिजन सेवक संघको[1]

उपर्युक्त सामग्री[2] भेजते हुए श्री नारणदास लिखते है.[3]

इसके अतिरिक्त श्री नारणदास यह सुझाव देते है कि जो थैली इकट्ठी होगी उसकी आधी रकम हरिजन-सेवामे जायेगी, एक-चौथाई हिस्सेका उपयोग खादी-कार्यमें किया जायेगा और एक-चौथाई हिस्सा राष्ट्रीय शाला पर खर्च किया जायेगा। इस सुझावसे मेरी सहमति है। हरिजन-सेवा कार्यमें इस तरहसे ७१,००० रुपये तो दिये ही जा चुके है। सूत और थैली आदिमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। यदि इस बार भी ऐसा ही हो तो तीनो कार्योमे और भी सहायता मिलेगी। इसलिए इस बातमे तनिक भी सन्देह नही कि यदि हरिजन-सेवा कार्य और खादी-कार्यमें लगे भाई-बहन सावधानीसे काम करेंगे तो अच्छी रकम इकट्ठी हो जायेगी और देशमें चरखा कातनेके वातावरणका विस्तार होगा।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २४-७-१९३८

२७७. पत्र : अमृतकौरको

२४ जुलाई, १९३८

प्रिय अमृत,

पता नही, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है या मेरा। कल तुम्हारे नाम एक छोटा-सा पुर्जा लिखा, लेकिन मेरी मूर्खतावश वह यही पडा रह गया। पूरी सुबह तुम्हारा इन्तजार करता रहा हूँ। अब अगर दिनके दो बजेके बाद आती हो तो तबतक मैं साप्ताहिक मौन ले चुका होऊँगा। तो जीवराज[4] तुम्हारे साथ आ रहा है। उम्मीद तो यह करता हूँ कि वह मेरी आवाज सुनने यहाँ नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे

१. यह "टिप्पणियाँ" के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था।

२. यहाँ नहीं दी जा रही है। इसमें गांधीजी का ६९ वाँ जन्म-दिवस मनानेके लिए, जो विक्रम सम्वत्के अनुसार भाद्रपद बदी १२ को पड़ता था, ६९ दिनोंतक चरखा-यज्ञ आयोजित किया गया था और सौराष्ट्र के कार्यकर्त्ताओंसे उसमें सहयोग देनेकी अपील की गई थी।

३. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। नारणदासने अपने पत्रमें बताया था कि १५ जुलाईको राष्ट्रीय शालामें प्रार्थनाओं और झण्डा-अभिवादनके बीच चरखा-यज्ञका आरम्भ हुआ।

४. डॉ० जीवराज मेहता।

देखने और मेरा रक्त-चाप लेने ही आ रहा हैं। आशा है, तुम स्वस्थ होगी। तुम पैदल चल सकती तो कितना अच्छा होता।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३४) से, सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४४३ से भी।

२७८. पत्र : महादेव देसाईको

२४ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

क्या मौसम है! मैं कल २-४५ पर तैयार रहूँगा। मैंने सुभाष बाबूको एक पुर्जा भेजा है कि मैं उस समय बंगलेपर हाजिर रहनेको तैयार हूँ। मुझे यह अच्छा लगेगा। बहुत-से लोग घिसटते हुए यहाँतक आयें, यह मुझे अच्छा नही लगेगा।

गाड़ी अभी-अभी यहाँसे रवाना होनेवाली है। राजकुमारी आखिर इस गाडीमे आ सकती है। यदि उसकी तवीयत खराव हो तो वह न आये। और यदि कल मुझे वहाँ आना पड़े तो फिर उसका वही बने रहना अच्छा। यहाँ तो सब-कुछ वर्षासे तर हो गया है। नवीन[1] ने बा का हूबहू चित्र बनाया है। जीवराज इस मौसममें क्यो आता है। उसका स्वास्थ्य मेरी अपेक्षा ज्यादा नाजुक है। तुम बहुत मत लिखना। तुम्हारा रात गये तक जागते रहना मुझे अच्छा नही लगता। मैं लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैं यह नही समझ सका कि राजगोपालाचारी क्यो आना चाहते थे। इसलिए वल्लभभाईको जैसा उचित जान पड़े वैसा तार करें। उन्हें मैं कोई विशेष कष्ट नही देना चाहता। वल्लभभाईसे कहना कि शरीफके सम्बन्धमें[2] मुझे उत्तर दें। 'विल'[3] के बारेमें अपनी सम्मति मुझे बतायें। आशा है, वे मध्यप्रान्तका मामला दृढ़तापूर्वक निवटा रहे होंगे। टोकरियोंमें से वहाँके लिए काफी फल ले लेना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६१२) से।

१. ब्रजलाल गांधीका पुत्र।

२. देखिए "पत्र : वल्लभभाई पटेलको", पृ० २०२।

३. विट्ठलभाई पटेल का वसीयतनामा सुभाषचन्द्र बोसके नाम।

२७९. पत्र : महादेव देसाईको

२४ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

डॉक्टरके साथ भेजे हुए दो पत्र मिल गये होंगे।

नरहरिको लिख देना कि पारनेरकरको नहीं भेजा जा सकता। इसका नैतिक कारण तो है ही। इसके अतिरिक्त वह आजकल खेतीके प्रयोग तथा सहकारी डेरीके प्रयोगमें जुटा हुआ है। यदि वह चाहे तो त्रिवेदीके उस आदमीको ले ले। जुगतरामकी चीज तो तुम अपने हस्ताक्षरसे भेज सकते हो।[1] कृष्णन्‌को लिखना कि समाचार दिया करे। त्रिवेन्द्रमवाला मामला अच्छा निवट गया। खरेके बारेमें मुझे डर तो था ही। गाड़ी अवतक तो पहुँच गई होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६१३) से।

२८०. पत्र : विजया एन० पटेलको

सेगाँव
२४ जुलाई, १९३८

चि० विजया,

तेरा पोस्टकार्ड मिला। तू यहाँ चंगी न हो पाये तो इसे मैं सहन कर सकता हूँ, किन्तु वहाँ चंगी न हो तो इस बातको सहन नहीं किया जा सकता। यहाँ मुझे इस बातका सन्तोष रहेगा कि तेरा इलाज विवेकपूर्वक हो रहा है। वहाँके इलाजके बारेमें मेरी श्रद्धा नहीं है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाना। केवल छाछपर रहना तो उचित ही है। यदि तू वैद्यके इलाजके बारेमें बता सके तो मैं जरूर सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

मेरा रक्तचाप हमेशा की तरह है। १७२/१०२ के आसपास रहता है। मैं २½ पौंड तक दूध लेता हूँ और ९ मुसम्बियाँ। कभी ११ भी हो जाती हैं। दो दिनसे

१. मूलमें यहाँ अस्पष्ट है।

खान साहबके आड़ ले रहा हूँ। खान साहब और राजकुमारी यहाँ आये हुए हैं। वर्षाके कारण अभी मुझसे नही मिल सके है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९०)से। सी० डब्ल्यू० ४५८२ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पचोली।

२८१. पत्र : कृष्णचन्द्रको

२४ जुलाई, १९३८

चि० कृष्णचंद्र,

सततिकी वासनाको स्थान दिया है, जैसे सेवाको। कई लोग तो यहा तक जाते हैं ना कि मुमुक्षोको प्रवृत्ति-मात्रको छोडना है। हमने इस धर्मका स्वीकार नही किया हैं। नियत कर्म अनासक्तिसे करना है। स्थिरवीर्यको सततिकी वासना होगी तो उत्पन्न करेगी। हम ऐसे ही तो निर्णय नही कर सकते है।

बापू

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९७) से। एस० जी० ६७ से भी।

२८२. पत्र : हीरालाल शर्माको

सेगाँव
२४ जुलाई, १९३८

चि० शर्मा,

तुमको महादेव तो लिखते ही हैं। मै आजकल बहुत कम लिख सकता हूँ। शरीरकी रक्षा आवश्यक है। थोडे समयमें ज्यादा काम करनेमें बहुत काम छोडना पडता है। कोई खास कारण मेरे लिखनेका था नही। सतीश बाबुके पास जानेकी सम्मति तो मिल गई हैं।[1] अच्छा चलता होगा।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७१ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

१. हीरालाल शर्मा ग्रामवासियोंके लिए सस्ती औषधियाँ बनानेकी विधि सीखनेके विचारसे सतीशचन्द्र दासगुप्तके पास जानेवाले थे।

२८३. पत्र : बलवन्तसिंहको

२४ जुलाई, १९३८

चि० बलवंतसिंह,

जमनालालजी की बंगलीके दक्षिण बरादेमें तालाव जमता है। वहां रेत या मिट्टी डालकर ढोलाव बनना चाहीये और पानीको रोकनेके लिये जैसे मेरे बरांदेके हिस्से पट बोरी है ऐसे डालना चाहीये।

बापुके [आशीर्वाद]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९०६) से।

२८४. पत्र : अमतुस्सलामको

२५ जुलाई, १९३८

पागल बेटी,

आज तुमने पूरा रंग बताया। हम एक-दूसरोंको नही समजते है, अच्छी तरह साबित किया। मैंने कहा था आज रोटी खाउंगा, भाजी खाउंगा अगर वे अलग पके हुए है तो भी। फिर रोटी फेंक देना? मैंने जो कहा उसमें भी तुमारे हाथकी रोटी भाजी न खानेकी मेरे ख्वाबमें भी बात न थी। कितना गूस्सा, कैसा गुन्हा? इतना गुस्सा मेरे-जैसे गरीबपर करनेसे कभी तेरा भला नही हो सकता है। अच्छा है मेरा मौन है। कहो अब मैं क्या करुं? फाका करुं? सचमुच तेरे हाथकी सब सेवा छोड़ दूं? इतना गुस्सा जो लड़की खामखा कर सकती है वह क्या नही करेगी? अगर मैं ऐसा नालायक हूं तो मुझे क्यो छोड़ती नही है। शायद तेरी सबसे ज्यादा बहतरी मुझको छोड़नेमें ही है।

बापूकी दुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०३) से।

२८५. पत्र : पी० जी० मेथ्यूको

सेगांव
२७ जुलाई, १९३८

प्रिय मेथ्यू,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी प्रगतिपर निगाह रखूंगा। आशा है, तुम्हारी माताजी स्वस्थ हो रही होंगी। तुम तो मुझे वहुत अच्छी किताब दे गये।

सस्नेह,

वापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५३९) से।

२८६. पत्र : वालजी गो० देसाईको

२७ जुलाई, १९३८

चि० वालजी,

इस वार वहुत दिनो वाद तुम्हारी लिखावट देखनेको मिली। महादेव उस पुस्तकको प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे हैं। वम्वईका डॉक्टर जो कहता है उसमें कोई सचाई नही है। ववूलकी दातुनसे असख्य लोग अपने दाँतोकी रक्षा करते हैं। हाँ, एक वात यह ठीक है कि जो लोग दातुनकी मुलायम कूची वनाये विना मसूड़ोको रगडते हैं उससे मसूडे पीछे हट जाते हैं। किन्तु इसका रससे कोई सम्वन्ध नही है। उसके रसका गुण तो मसूड़ोको मजवूत वनाना है। पाइरिया किसी वाहरी कारणसे नही, वल्कि भीतरी खरावीसे होता है।

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

आशा है, वच्चे आनन्दपूर्वक होंगे।

श्री वालजी देसाई
गोंडल
काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४७९) से; सौजन्य: वालजी गो० देसाई।

२८७. पत्र : विजया एन० पटेलको

सेगाँव
२७ जुलाई, १९३८

चि० विजया,

तेरा पत्र मिला। बालकोबा बरोडा गया है। वह मजेमें है।

बुखारसे पीछा छुड़ा लेना। यह जाननेकी कोशिश करना कि वैद्य क्या दवा दे रहा है। यदि वहाँका दूध पतला है तो इसमें तेरा फायदा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें चरबी थोड़ी है।

खानसाहब वर्धा आये हुए हैं। [कार्य-] समिति की बैठके खत्म हो जानेपर सेगाँव आयेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९१) से। सी० डब्ल्यू० ४५८३ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

२८८. पत्र : सरस्वतीको

सेगाँव
२७ जुलाई, १९३८

पागल पुत्री सुरू,

कुछ तीन-चार दिनसे तेरा खत नहीं है। स्वस्थ होने तक रोज लिखना।

दोउ अक्षर सब कुल तारे वारी जाऊं उस नामके।
तुलसीदास प्रभु राम दयाघन और देव सब दामके।।

यह भजन गाओ और निरंतर राम रटा करो।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ३४४२ से; सौजन्य: कान्तिलाल गांधी।

२८९. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगांव, वर्धा
२८ जुलाई, १९३८

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मिला। सरस्वतीका पत्र वापस भेज रहा हूँ। मुझे भी उसके ऐसे ही पत्र मिलते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगोको विवाह कर लेना चाहिए। और, जैसाकि तूने लिखा, विवाहके बाद बंगलौरमे अलग रहो और अध्ययन पूरा होने तक संयमका पालन करो। किन्तु विवाह किये बिना सरस्वतीको बंगलौरमें रखनेमें मुझे अकल्याण ही नजर आता है। हो सकता है विवाह हो जानेके बाद सरस्वती तेरे साथ ही रहनेकी हठ छोड़ दे और मेरे पास चली आये या त्रिवेन्द्रम चली जाये। तेरा पत्र मिलनेपर मैं रामचन्द्रन्को लिखनेको तैयार हूँ। मैंने नवीनसे बात कर ली है। यदि रामचन्द्रन्ने वे प्रश्न पूछे हों तो यह दुःखकी बात है।

यदि तूने घी-दूध छोड दिया है तो यह कदापि उचित नही किया। इसे दुराग्रह माना जायेगा, इसलिए तुरन्त यथारीति खाना शुरू कर देना। यदि तार देना आवश्यक हो तो तार देना।

सरस्वतीके पत्र आते रहते हैं और मैं उसे लिखता रहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४३)से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

२९०. पत्र : अमृतकौरको

सेगांव, वर्धा
२९ जुलाई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

तुम्हारा पत्र मिला, तार भी। बस, तुम्हे इतना ही सूचित करनेको लिख रहा हूँ कि यहाँ सब कुशल है। ज्यादा लिखनेका वक्त नही है। यहाँ मित्रो और कामसे बराबर घिरा हुआ हूँ।

हेना अब भी ग्लूकोज और सन्तरेपर चल रही है।

तुमको और तैयबजी-परिवारको स्नेह।

तुम्हारा,
डाकू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७२)से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०२८ से भी।

२९१. पत्र: सी० ए० तुलपुलेको

सेगाँव, वर्धा
२९ जुलाई, १९३८

प्रिय मित्र,

देहधारीके लिए सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य तो अलभ्य है, किन्तु मेरे विचारसे उसके बहुत निकटतक पहुँचना पूर्णतः सम्भव है। वहाँतक पहुँचनेका मार्ग अबतक ढूँढ़ा नही जा सका है। जहाँतक मेरी बात है, मैं उसे पा लेनेकी आशामें ढूँढ़ रहा हूँ। जितना आगे मैं बढ़ पाया हूँ, उससे मुझे आशा बँधती है।

मर्यादाओंके क्षेत्रसे तात्पर्य उन मर्यादाओंसे है जो प्रकृतिने हमपर उस विराटके अंशोंके रूपमें लगा रखी है। जो अंश है, वह सम्पूर्ण तो नही है न।

यदि किसी व्यक्तिका अपने ऊपर इतना संयम है जितना कि मनुष्यके लिए सम्भव है तो वह जो-कुछ चाहता है, उसका उसके परिवेशपर प्रभाव पड़ता ही है। कई मामलोंमें मुझे ऐसा व्यक्तिगत अनुभव हुआ है। इसपर कोई कह सकता है कि इच्छित और कथित प्रतिक्रियाओंके बीच जो समानता घटित हुई, वह मात्र एक संयोग था। ऐसे शंकालु लोगोंको देनेके लिए मेरे पास कोई उत्तर नही है।

आशा है, इतनेसे आपके सभी प्रश्नोंके उत्तर मिल जाते है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री सी० ए० तुलपुले
तिलक रोड
पूना सिटी

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० २८९८) से; सौजन्य: सी० ए० तुलपुले।

२९२. एक स्पष्टीकरण

एक भूतपूर्व प्रोफेसरने उच्चतर शिक्षापर लिखे मेरे लेख[1] के बारेमें एक लम्बा पत्र भेजा है। पत्रके प्रासंगिक अंश नीचे दे रहा हूँ :

> इस महीनेकी ९ तारीखके 'हरिजन' में उच्चतर शिक्षाके विषयमें आपके जो विचार प्रकाशित हुए हैं, उन्हें और स्पष्ट करनेकी जरूरत है। आपके कई विचारोंसे मैं सहमत हूँ — विशेष रूपसे उन विचारोंसे जो आपने विदेशी भाषाके शिक्षाके माध्यमके रूपमें अपनाये जानेसे हुई भारी हानिके बारेमें व्यक्त किये हैं। मैं यह भी मानता हूँ कि आजकल उच्चतर शिक्षाके नामपर जो-कुछ चल रहा है, उसमें सोनेके नामपर बहुत-सा पीतल भी खप रहा है। ये बातें मैं अनुभवसे कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हालतक मैं तथाकथित "उच्चतर शिक्षा" देनेवाली संस्थामें ही अध्यापक था। आपका जो निष्कर्ष मुझे जँच नहीं पाया है वह है तीसरा निष्कर्ष, जिसका सम्बन्ध राज्यके सामान्य कोष और उसपर उच्चतर शिक्षाके दावोंके औचित्य तथा उससे निकाले गये इस स्वाभाविक नतीजेसे है कि विश्वविद्यालयकी शिक्षाको स्वावलम्बी होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यदि कोई देश प्रगतिशील बनना चाहता है तो उसे ज्ञानकी सभी शाखाओंकी शिक्षाके लिए — केवल रसायनशास्त्र, औषध-विज्ञान और इंजीनियरी ही नहीं, बल्कि साहित्य, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र आदि सभी विषयोंकी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षाके लिए — पर्याप्त सुविधाएँ जुटानी चाहिए। प्रत्येक ऊँची साधना बहुत-सी सुविधाओंकी अपेक्षा रखती है और राज्यकी सहायताके बिना ये सुविधाएँ सुलभ नहीं हो सकतीं। ऐसी बड़ी बातोंके सम्बन्धमें जो देश लोगोंके स्वैच्छिक प्रयत्नपर निर्भर रहेगा, वह निश्चय ही पिछड़ जायेगा और इस लापरवाहीका नतीजा भोगेगा। ऐसा देश कभी स्वतन्त्र होने और स्वतन्त्र रहनेकी आशा नहीं कर सकता। राज्यको सभी क्षेत्रोंमें उच्चतर शिक्षाकी स्थितिपर बड़ी सतर्कतासे ध्यान रखना चाहिए। स्वैच्छिक प्रयत्न तो चलने ही चाहिए और न्यूफील्ड तथा रॉकफेलर[2]-जैसे दानवीर भी

१. देखिए पृ० १७९-८५।

२. विस्काउन्ट न्यूफील्डने न्यूफील्ड फाउन्डेशनकी स्थापना चिकित्सा-विज्ञान और समाज-शास्त्रमें अनुसन्धान-कार्यके लिए की थी और जॉन डी रॉकफेलरने इसी तरह विद्याकी प्रगतिके लिए कई धर्मार्थ निगम स्थापित किये थे।

यहाँ होने चाहिए। लेकिन राज्यको इन प्रवृत्तियोंका मूक प्रेक्षक नहीं रहने दिया जा सकता है और न रहने देना चाहिए। उसे सक्रिय रूपसे आगे आकर शिक्षा-प्रयत्नोंका संगठन करना चाहिए, उनमें सहायता देनी चाहिए तथा उनका दिशा-निर्देशन करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि प्रश्नके इस पहलूपर आप और प्रकाश डालें।

अपने लेखके अन्तमें आपने कहा है, "मेरी योजनामें ज्यादा और बेहतर पुस्तकालय होंगे।" आपने जिस 'योजना' की बात की है वह आपके लेखमें देखनेको नहीं मिली, और न मैं इस लेखसे यही समझ सका कि उस योजनाके अन्तर्गत 'ज्यादा और बेहतर पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाएँ' कैसे तैयार हो जायेंगी। मेरी राय तो यह है कि ऐसे पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओंको कायम रखना चाहिए और जबतक इसमें सहायता देनेके लिए दानवीर लोग और परमार्थी संस्थाएँ पर्याप्त संख्यामें आगे नहीं आते, तबतक राज्य अपने-आपको इस दायित्वसे मुक्त नहीं कर सकता।

यदि मेरे लेखमें प्रयुक्त "निश्चित उपयोग" शब्दोंका जो व्यापक अर्थ है, उसको ध्यानमें रखा जाये तो लेख अपने-आपमें पर्याप्त स्पष्ट है। मैंने अपनी कल्पना की आँखोंके सामने करोड़ों अज्ञ लोगोंसे भरे दैन्य-जर्जर भारतका चित्र नहीं खींचा है। मैंने ऐसे भारतका चित्र खींचा है जो अपनी प्रकृतिके लिए सबसे अधिक उपयुक्त रीतिसे निरन्तर प्रगतिके पथपर अग्रसर हो रहा है। हाँ, पश्चिमकी दम तोड़ती सभ्यताकी तृतीय श्रेणीकी — या प्रथम श्रेणीकी भी — एक कोरी नकलके रूपमें मैंने भारतकी कल्पना नहीं की है। यदि मेरा स्वप्न साकार होता है और हमारे सात लाख गाँवोंमें से प्रत्येक सुन्दर जीवनकी सुविधाओंसे युक्त ऐसा गणतन्त्र बन जाता है जिसमें कोई अशिक्षित नहीं है, जिसमें कामकी कमीके कारण कोई बेकार नहीं बैठा हुआ है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी उपयोगी काममें लगा हुआ है, जहाँ हर आदमीको पौष्टिक आहार, हवादार घर और तन ढाँकनेको पर्याप्त खादी सुलभ है, और जहाँ प्रत्येक ग्रामवासी स्वच्छता तथा आरोग्यके नियम जानता है और उनका पालन भी करता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे राज्यकी विविध आवश्यकताएँ होंगी तथा वे आवश्यकताएँ बढ़ती भी जायेंगी और यदि वह राज्य उन आवश्यकताओंकी पूर्तिकी व्यवस्था नहीं करेगा तो उसकी प्रगति बिलकुल रुक जायेगी, उसके जीवनमें जड़ता आ जायेगी। इसलिए मैं इस बातकी कल्पना भलीभाँति कर सकता हूँ कि पत्र-लेखक महोदयने जिन विषयोंके नाम गिनाये हैं तथा जिनमें मैं अपनी ओरसे कहीं और अधिक विषय जोड़ सकता हूँ, उन सबकी शिक्षाका खर्च राज्य उठाये। और अगर राज्यकी ऐसी जरूरतें होंगी तो निश्चय ही वह ऐसे पुस्तकालयोंकी व्यवस्था भी जरूर करेगा।

लेकिन मेरे विचारसे उस राज्यमें ऐसे बी० ए० और एम० ए० पास लोगो की फौज नही होगी जिनके मस्तिष्कमे तरह-तरहकी अनावश्यक बातें ठूँस कर उसे किसी कामका नही रहने दिया गया है, और जिनका दिमाग अंग्रेजोकी तरह अंग्रेजी बोलने और लिखनेका अशक्य प्रयत्न करते-करते सुन्न हो गया है। इनमें से अधिकाश के पास कोई धन्धा, कोई रोजगार नही है। अगर कुछ लोगोंको कोई काम मिला भी है तो वह क्लर्कीका काम है, जिसमें उच्च विद्यालय तथा कॉलेजतक की बारह वर्षकी शिक्षाके दौरान प्राप्त किये गये ज्ञानका कोई उपयोग नही है।

विश्वविद्यालय-शिक्षाका उपयोग जहाँ सरकार करती है वहाँ वह स्वावलम्बी ही तो होती है। जिस शिक्षासे न राष्ट्रको लाभ हो और न व्यक्तिको, उसका खर्चा भरना अपराध है। मेरी रायमे व्यक्तिगत लाभ नामकी वास्तवमे ऐसी कोई चीज नही है जो राष्ट्रके लिए भी लाभदायक सिद्ध न की जा सकती हो। और मेरे अधिकाश आलोचक भी इस बातको स्वीकार करते ही है कि वर्तमान उच्चतर शिक्षाका — और उच्चतर शिक्षाका ही क्यो, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाका भी — वास्तविकतासे कोई सम्बन्ध नही है। अगर बात ऐसी है तो स्पष्ट ही वह शिक्षा राज्यके लिए भी लाभदायक नही हो सकती। जब शिक्षा सीधे वास्तविकतासे सम्बद्ध होगी और उसका माध्यम मातृभाषा होगी, तो उसके खिलाफ कहनेको मेरे पास शायद कुछ नही रह जायेगा। शिक्षाके वास्तविकतापर आधारित होनेका मतलब यह है कि वह राष्ट्र, अर्थात् राज्यकी आवश्यकताओपर आधारित हो। उस शिक्षाका खर्च राज्य चलायेगा। जब वह सुखद समय आयेगा, तब भी हम देखेंगे कि बहुत-सी शिक्षण-संस्थाएँ स्वेच्छासे दी गई दान-राशियोके बलपर चल रही है। उनसे राज्यको लाभ हो भी सकता है और नही भी हो सकता है। आज भारतमें शिक्षाके नामपर जो-कुछ चल रहा है वह ऐसा नही है जिसे राज्यकी आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए आवश्यक शिक्षाकी कोटिमें रखा जा सके। इसलिए अगर मेरा बस चले तो मैं उसका खर्च राजकीय कोषसे नही भरने दूँ।

लेकिन शिक्षाके माध्यम तथा 'वास्तविकता' इन दो विषयोपर मेरे आलोचक मुझसे सहमत है, इतने से ही मैं सन्तुष्ट होकर बैठ जानेवाला नही हूँ। वे वर्तमान शिक्षा-पद्धतिकी आलोचना करते हुए भी इसे इतने वर्षोंसे बर्दाश्त करते आये है। अब सुधारका अवसर मिला है, सो इस विषयमें अधीरतासे काम लेना कांग्रेसियोका कर्तव्य है। अगर शिक्षाका माध्यम धीरे-धीरे नही, बल्कि एकदम बदल दिया जाता है तो उसकी जरूरत पूरी करनेके लिए पुस्तकें और शिक्षक इतनी जल्दी उपलब्ध हो जायेंगे कि हमें खुद आश्चर्य होगा। और अगर हम सचमुच कुछ करना चाहते है तो एक ही वर्षमें स्थिति ऐसी हो जायेगी कि हम मानने लगेंगे कि संस्कृतिके आवश्यक तत्वोंको एक विदेशी भाषाके माध्यमसे सीखनेकी कोशिशमें राष्ट्रके समय और शक्तिको जिस तरह बरबाद किया जाता रहा, उसमें हमारा शरीक होना कतई लाजिमी नही था। सफलताकी शर्त निस्सन्देह यह है कि प्रान्तीय सरकारोके कार्यालयोमें, और अगर अपने-अपने प्रान्तमे स्थित अदालतोंपर प्रान्तीय सरकारोका कोई

सत्ता या प्रभाव हो तो उनमे भी, प्रान्तीय भाषाएँ तत्काल दाखिल की जाये। अगर हम यह मानते हो कि यह सुधार आवश्यक है तो हम इसे बात-की-बातमें सम्पन्न करके दिखा सकते है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३०-७-१९३८

२९३. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको

[३० जुलाई, १९३८]

मध्य प्रान्तमें हालमे जो मन्त्रिमण्डलीय सकट उपस्थित हो गया है, उसके सम्बन्धमे कुछ हलकोमे यह चर्चा है कि डॉ० खरेसे पहलेसे ही तैयार एक ऐसे मसविदेपर हस्ताक्षर करनेको कहा गया जो अपमानजनक स्वीकारोक्तियोसे भरा हुआ था। मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि यह बात बिलकुल निराधार है। कार्य-समितिके कई सदस्योंके साथ डॉ० खरे २५ जुलाईको सेगाँव आये थे। बातचीतके बाद उन्होने समाचारपत्रोंको देनेके लिए एक वक्तव्य[1] तैयार किया। मैंने उसमें कुछ संशोधन-परिवर्धन किये। लेकिन उन संशोधन-परिवर्धनोको देखनेके बाद उन्होने अपना इरादा बदल दिया और कहा कि अब वे अपने मित्रोसे सलाह-मशविरा करनेके बाद ही बता सकेंगे कि वे यह वक्तव्य जारी करेगे या नही। मेरे विचारसे उसमें अपमानजनक कुछ नही था — और किसी कारण नही तो कम-से-कम इस कारण कि उसमें तथ्योके अलावा और कुछ नही था। मैं नही समझता कि डॉ० खरे इस बातसे इनकार करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तो यह होगा कि वह वक्तव्य ही जनताके सामने आ जाये। डॉ० खरेसे मेरा अनुरोध है कि वे उस मसविदे की प्रतिकृति प्रकाशित कर दे। उनके लिखे और अपने सुधारे वक्तव्यकी कोई नकल मैंने अपने पास नही रखी है। उसे वे अपने साथ ही नागपुर ले गये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ६-८-१९३८

१. वक्तव्यके पाठ और गांधीजी के संशोधनोंके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

२९४. पत्र : महादेव देसाईको

३० जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

डॉ० खरेको लिखा एक पत्र इसके साथ है। इसके साथ मेरे वक्तव्यकी[1] नकल भी भेज देना। आशा है, तुमने इसे भली-भाँति जाँच लिया होगा। इसकी नकल मुझे भी भेज देना।

आशा है, लीलावती बेहतर होगी। वह चश्मा पहनने लगी होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६१५) से।

२९५. पत्र : जमनालाल बजाजको

३० जुलाई, १९३८

चि० जमनालाल,

तुम यहाँ किसीसे कह गये थे कि तुम्हारी यहाँ आकर रहनेकी इच्छा है। यदि तुम आना चाहो तो सब-कुछ तैयार ही है। किन्तु यदि तुम न आनेवाले हो तो मेरा विचार कुछ दिन किशोरलालको यहाँ रखनेका है। किन्तु इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि तुम न आओ। किशोरलाल तभी आयेंगे जब तुम आ ही न सको। मैं चाहता हूँ कि तुम यथासम्भव जल्दीसे रमण महर्षिके पास हो आओ।[2]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९५) से।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. जमनालाल बजाज १९ अगस्त, १९३८ को रमण महर्षिसे मिलने गये थे।

२९६. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव, वर्धा
३१ जुलाई, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

यह पत्र तुम्हें यह बतानेको लिख रहा हूँ कि फिर सब-कुछ ठीक हो गया है। खानसाहब कल रवाना हो रहे हैं, हेना परसों। शायद किशोरलाल कुछ दिन रहनेके लिए मंगलवारको यहाँ आयेगा।

तुम्हारे भेजे सेब अब चल रहे हैं।

जीवराज कल एक नया थर्मस ले आया। यह तुम्हें कोई काम सौंपनेका नतीजा है। तुम्हें कोई काम सौंपना काफी लाभदायक बात है।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७३) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी एन० ७०२९ से भी।

२९७. पत्र : महादेव देसाईको

३१ जुलाई, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारे खबर लानेसे पहले ही मुझे सूचना मिल गई थी कि डेविड ३ बजे आयेंगे।

मैं डॉ० खरेको उत्तर दे रहा हूँ। इस पत्रको[1] आज ही भेज देना। कैसी दयनीय स्थिति है!

अन्य दो पत्र भी इसके साथ हैं।

गवर्नरके बारेमें 'हिन्दू' जो कहता है वह आश्चर्यजनक है। मैं तो अभी इससे भी सख्त लिखना चाहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६१६)से।

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

२९८. पत्र : सरस्वतीको

सेगाँव
२१ जुलाई, १९३८

चि० पगली सुरु,

तेरा खत मिला है। मेरी आशा है कि अब तो शात हुई होगी। कांतीके भी खत आते हैं। इससे मैं चिंतित हो रहा हूं। धीरज क्यो छोड़ती है? खाने-पीनेमें भी नित्यका खाना खाकर शरीर अच्छा बनाना चाहीये।

मनु आ गई है। सुशीला दो-तीन दिनके लिये तारीके पास महिला आश्रममें रह आई। आजकल पानी बंध हो गया है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१६९) से। सी० डब्ल्यू० ३४४३ से भी; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

२९९. हैजेसे सुरक्षाके पूर्वोपाय[1]

१ अगस्त, १९३८

सेगाँवमें हैजा फैल गया है। इसलिए कोई भी सेगाँवसे कुछ न ले। जिन्हे हैंजा हो गया हो उनसे लोग अलग-अलग ही रहें। हाँ, अगर ऐसे लोगोंको कही और ले जानेकी सुविधा हो तो उन्हे वहाँ ले जाया जाये। जिन लोगोंको उनकी परि-चर्याका काम सौंपा गया हो, उनके अलावा किसीको उनके पास न जाने दिया जाये। परिचर्या करनेवालोंको नंगे बदन रहना चाहिए या इस कामके लिए खास कपड़े रखने चाहिए। बाहरके लोगोके बीच आनेसे पहले ही उन्हे ये कपड़े उतार देने चाहिए। जब भी बाहरी लोगोके बीच आना हो, उससे पहले उन्हे परमैंगनेट मिश्रित (गुलाबी रंगके) जलसे हाथ-मुँह धो लेना चाहिए। सभी उबला पानी पीयें

१. साधन-सूत्रके अनुसार काका कालेलकर, नाना आठवले, पांडुरंग भुरके, गजानन दावके, मुरलीधर सवनीस और श्रीपाद जोशीने ३० जुलाईको नीरा पी थी, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। अगले दिन वर्धाके सिविल सर्जनने उनकी जाँच की तो उसे उनमें हैजेके लक्षण दिखाई दिये। १ अगस्तको आर्यनायकमने इसकी खबर गांधीजीको दी, जिसपर गांधीजीने ये हिदायतें लिखीं। उपर्युक्त रोगियोंमें से आठवले, भुरके और दावके की इसी रोगसे मृत्यु हो गई।

और सादा खाना खायें। जितनेकी भूख हो उससे ज्यादा खानेके बजाय कम ही खायें। सुई लेनेके बारेमें जिन्हें कोई सैद्धान्तिक अड़चन न हो, वे सुई लगवा सकते हैं।

मुझे महादेवके जरिए जानकारी भेजें। वे मगनवाड़ीसे लगभग १२-३० बजे दिनमें निकलते हैं। क्या काकाने भी नीरा पी थी? फिलहाल नीरा पीना बन्द कर दिया जाये।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-९-१९३८

३००. पत्र : महादेव देसाईको

१ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

मैंने बहुत लम्बा लेख लिखा है। अभी तो टाइप करवाना भी शुरू नहीं किया है। इसलिए इसे कल ही भेजा जा सकेगा। यदि सम्भव हुआ तो आज रातको भेजूंगा।

धीरू कल आ रहा है। नवीन कल वहाँ जायेगा। तुम्हारे द्वारा भेजी हुई पूरी डाक तो अभी मुझे पढ़नी है। कह नहीं सकता कि धरना देनेके बारेमें मैं कब लिख सकूंगा। नायकमका लेख भेज रहा हूँ। तुम देखोगे कि मैंने उसे दो भागोंमें बाँट दिया है। यदि वे संयुक्त रहें तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६१८) से।

३०१. पत्र : महादेव देसाईको

[१ अगस्त, १९३८][1]

चि० महादेव,

बाबलाको भी कुछ चाहिए; इसलिए यह लो। जब हेना वहाँ जायेगी तो उसे टिकट आदि कोई दे देगा न? कल उसे रवाना करना है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५५८) से।

१. देखिए अगला पत्र जिसमें गांधीजी ने लिखा था "हेनाबहन कल रवाना हो रही हैं"।

३०२. पत्र : विजया एन० पटेलको

१ अगस्त, १९३८

चि० विजया,

मैं बहुत जल्दीमें हूँ। तूने दवाओंके नाम भेजकर अच्छा किया। सप्ताहमें निश्चित किये हुए दिन लिखनेके नियमका पालन करना।

हेना बहन कल जा रही है। खानसाहब चले गये। किशोरलालभाई और मनु कल आ रहे हैं। इस प्रकार संख्या तो उतनी ही रहेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९२) से। सी० डब्ल्यू० ४५८४ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

३०३. पत्र : महादेव देसाईको

[१ अगस्त, १९३८ के पश्चात्]

चि० महादेव,

करंजीमें हैजा फैल गया है। उसके लिए सहायता भेजी है; किन्तु इस व्यक्तिको सिविल-सर्जनके नाम रुक्का ले जाने दो। वहाँसे दवाएँ, डॉक्टर आदि जो मिलेगा सो लायेगा। डाक भेज देना। संतरे कबसे आने लगेंगे?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५५७) से।

३०४. पत्र : द० बा० कालेलकरको

२ अगस्त, १९३८

चि० काका,

कनुने मुझे डरा दिया है। उसका कहना है कि तुम दवा खानेसे साफ इनकार करते हो। यह उचित नहीं है। सुशीला और अमृतलाल वहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर कि महादेवको सहायताकी जरूरत है, मैं सुशीलाको भेज रहा हूँ। वह खाने या लगानेकी जो दवा दे सो लेना। मैंने उसे आगाह कर दिया है कि वह सामिष या मदिरायुक्त कोई दवा कदापि न दे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०२) से।

३०५. पत्र : द० बा० कालेलकरको

३ अगस्त, १९३८

चि० काका,

मैंने जान-बूझकर अपने हृदयको कठोर बना लिया है, इसी कारण मैं तुम्हें देखने नहीं आ रहा हूँ। इसका जवाब देनेकी जरूरत नहीं है। जल्दी चंगे हो जाओ। यदि तुम्हें मेरी हाजरीकी जरूरत जान पड़े तो मुझे खबर देना।

भाई दफ्तरीको वन्देमातरम्।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०३) से।

३०६. पत्र: द० बा० कालेलकरको

३ अगस्त, १९३८

चि० काका,

पाण्डुरंग और दात्रके तो वहाँ गये जहाँ देर-सबेर हम सबको जाना है। ये बात तुमसे छिपाकर रखी थी। लेकिन छिपाकर क्यों रखना? तुम जानकर दुःखी न होना, यह आवश्यक है। ऐसी खबर शान्तिसे सुन सकनेमे ही तो हमारे 'गीता' के अध्ययनकी परीक्षा है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०४) से।

३०७. तार: बर्मा कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको

[५ अगस्त, १९३८ या उससे पूर्व][1]

आपका तार[2] मिला। बर्मावासी मित्रोंपर मेरा क्या प्रभाव हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। दंगों[3] का कारण चाहे जो हो, वे अत्यन्त खेदजनक हैं। उनसे प्रकट होता है कि हम दोनों अभी बर्बरताकी अवस्थासे बाहर नहीं निकले हैं। कितना अच्छा हो, अगर दोनों समुदायोंके अगुआ लोग मिल-जुलकर ऐसे उपाय ढूंढ़ें जिससे ऐसे दुःखद प्रसंगोंकी पुनरावृत्ति न हो पाये।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-८-१९३८

१. जिस खबरसे यह तार लिया गया है, वह ५ अगस्त, १९३८की तिथि-पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

२. तार इस प्रकार था: "सौभाग्यसे बर्मी तथा भारतीय बड़े-बुजुर्गोंके प्रयत्नोंसे शान्ति स्थापित हो गई। बर्मा कांग्रेस कमेटीका खयाल है कि यदि आप कोई उपयुक्त ढंगका सार्वजनिक वक्तव्य जारी करें तो वह, अगर अब भी कोई गलतफहमी रह गई हो तो उसे दूर करने तथा बर्मी और भारतीय लोगोंके बीच पहलेके समान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और मेलजोल कायम करनेमें बड़ा सहायक होगा।"

३. २६ जुलाईको बर्मामें बौद्धों और मुसलमानोंके बीच दंगा भड़क उठा था। देखिए "बर्माके हालके दंगे", २०-८-१९३८।

३०८. पत्र : शौकतुल्ला शाहको

५ अगस्त, १९३८

प्रिय शौकत,

यह पत्र लिखा जा चुका था, उसके बाद तुम्हारा पत्र मिला। मैं समझता हूँ कि हमें फिलहाल चिन्ता नहीं करनी चाहिए। कुमारी हैरिसनने अभी तुरन्त जो जरूरत थी, उसकी व्यवस्था कर ली होगी। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। [नवाब] भोपालसे अभी कोई पत्र नहीं आया।[1]

तुम्हें जोहराको अवश्य ठीक कर लेना चाहिए।

तुम दोनोंको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३०९. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव

५ अगस्त, १९३८

चि० कान्ति,

तेरे पत्रोंका उत्तर महादेवने दिया है। यह तो मैं बड़ी मुश्किलसे लिख पा रहा हूँ। मैं बहुत सोचता रहता हूँ। सरस्वती द्वारा मुझे लिखे आखिरी पत्रसे लगता तो है कि वह शान्त है। रामचन्द्रन्ने तो लिखा ही है कि वह शान्त होती जा रही है। यदि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। सरस्वतीका फिलहाल तो त्रिवेन्द्रममें रहना ही मुझे उचित जान पड़ता है। इसके बावजूद मैं हर तरहकी स्थितिके लिए तैयार रहूँगा। तू निश्चिन्त रह। जो होना होगा सो होगा। मुझे समाचार देते रहना। रामचन्द्रन्के प्रति अपना गुस्सा छोड़ देना। उनका अविश्वास मत करना। उनके प्रति तेरा आदर कम नहीं होना चाहिए।

काका साहब हैजेंकी गिरफ्तमें आ गये हैं। बहुत करके तो बच जायेंगे। चिमनलालको अर्शका ऑपरेशन करानेके लिए अस्पताल भेजा है। काकाके दो अतिप्रिय सहयोगी कार्यकर्ताओंकी हैजेसे मृत्यु हो गई। नाना आठवले[2] भी हैजेके

१. देखिए "पत्र : भोपालके नवाबको", पृ० २०६।

२. नरहर लक्ष्मण आठवले, महिलाश्रमके कार्यकर्त्ता।

चंगुलमें फँस गये हैं। ऐसी स्थिति है। मनु आ गई है और प्रसन्न है। वा को कभी लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४५) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

३१०. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

सेगांव
५ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

चिमनलालको अर्शके ऑपरेशनके लिए अस्पताल भेजा है। उसे किसी चीजकी जरूरत तो नहीं है, यह जाननेके लिए किसीको भेज देना। यदि तुम चक्कर लगा सको तो लगा आना।

आशा है, काका आनन्दपूर्वक होंगे। उनसे कहना कि बालको तीन दिन पहले तार[1] भेजा है।

अपना स्वास्थ्य ठीक बनाये रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७५२) से।

३११. पत्र : सरस्वतीको

५ अगस्त, १९३८

चि० सुरू,

तुझे पगली न कहे तो क्या शाणी [सयानी] कहूँ? सचमुच शाणी बन गई हो? अगर ऐसा ही है तो काति क्यों चिंतित है? कातिके खत आते हैं उससे पता चलता है कि तू पगली ही हो। अब बताओ क्या सही माना जाय? मुझे सब विगत लिखो। क्या खाती है, कितने घंटे सोती है, क्या पढती है? वीणा बजाती है? पाठशालामें जाती है कि घर पर ही अभ्यास करती है? खुश रहती है?

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

मनु आ गई है। काकासाहेबको कालरा हो गया। शायद बच तो जायंगे।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७०) से। सी० डब्ल्यू० ३४४४ से भी; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

१. यह उपलब्ध नहीं है।

३१२. पत्र : विजया एन० पटेलको

५/६ अगस्त, १९३८

चि० विजया,

मैं बहुत मुश्किलसे यह लिख पा रहा हूँ। काकासाहबको हैजा हो जानेके कारण अमृतलाल उनकी सेवामें वर्धामें है। चिमनलालको अर्शके ऑपरेशनके लिए अस्पताल भेजा है। किशोरलाल बहुत करके कल आयेंगे। काकाके दो बहुत ही निष्ठावान सहयोगी कार्यकर्त्ता हैजेके शिकार बनकर इस संसारको छोड़कर चले गये। महिला-आश्रमके नाना भी हैजेका शिकार हो गये। मुझे बार-बार वर्धा जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। आशा है, तू अच्छी होती जा रही होगी। थोड़ा-बहुत हैजा तो सेगाँवमें भी फैला हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

कुमारी विजयाबहन
श्री नारणभाई वल्लभभाई पटेलका मकान
वराड

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९३) से। सी० डब्ल्यू० ४५८५ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

३१३. कार्य-समितिके कर्त्तव्य

मध्य प्रान्तके मन्त्रिमण्डलीय संकटके बारेमें समाचारपत्रोंमें जो टिप्पणियाँ प्रकाशित हुई हैं, उनकी कतरनोंको पढ़नेसे बहुत-कुछ जाननेको मिलता है। यह तो निश्चित ही था कि डॉ० खरे-जैसे तपे-परखे नेताकी निन्दा करते हुए कार्य-समिति द्वारा पास किये गये प्रस्तावकी कुछ आलोचना होगी। लेकिन आलोचकोंने कार्य-समितिके कर्त्तव्यों के बारेमें जिस अज्ञानका परिचय दिया है, उसकी आशा उनसे नहीं थी।

संसदीय बोर्डकी चेतावनियोंकी अवहेलना करके डॉ० खरेने न केवल अनुशासन भंग किया, बल्कि वे जिस तरहसे गवर्नरके हाथोंमें खेल गये या जिस प्रकार वे इस बातसे बेखबर रहे कि उनके उतावलेपनसे कांग्रेस अटपटी स्थितिमें पड़ जायेगी, उससे उन्होंने नेताके रूपमें भी अपनी अयोग्यता प्रकट कर दी है। अपने दोष को स्पष्ट रूपसे स्वीकार करके नेतृत्वसे हट जानेकी कार्य-समितिकी सलाहको ठुकराकर उन्होंने अपनी अनुशासनहीनताका प्रमाण और भी बढ़ा दिया। यदि कार्य-समितिने डॉ० खरेकी कार्रवाईकी भर्त्सना न की होती और उनकी अयोग्यतापर अपना विचार न प्रकट

किया होता तो वह अपने कर्त्तव्यकी घोर अवहेलनाकी दोषी बनती। कार्य-समितिने जो प्रस्ताव पास किया, उसे वह प्रस्ताव पास करनेकी सलाह देना मेरे लिए कोई सुखकर कार्य नही था। डॉ० खरे मेरे मित्र है। जब-कभी मुझे चिकित्सा-सम्बन्धी सहायताकी फौरी जरूरत हुई है, वे मेरे पास भागते आये है। मुझसे सलाह और मार्ग-दर्शन लेने वे मेरे पास अकसर आये है और कहा है कि उन्हे मेरे आशीर्वादकी जरूरत है। जब पिछले महीनेकी २५ तारीखको मैंने उनसे नेता-पद छोड़कर सामान्य सैनिककी हैसियतसे काममें जुट जानेका अनुरोध किया था, तब उसी मैत्रीका भरोसा करके वैसा किया था। वे खुद राजी भी जान पड़े, लेकिन उन्हे गलत सलाह दी गई, और फलत उन्होंने न केवल कार्य-समितिकी सलाह माननेसे इनकार कर दिया, बल्कि ऊपरसे एक पत्र लिखकर समितिने उनके अविचारपूर्ण और उतावलापन-भरे त्यागपत्र तथा उतने ही उतावलेपनमे की गई नये मन्त्रिमण्डलकी रचनाके सम्बन्धमे जो कार्रवाई की, उस पूरी कार्रवाईके औचित्यपर ही शंका प्रकट की। मुझे आशा है कि ठीकसे विचार करनेपर वे अपने व्यवहारमे समाई भूलको समझ जाते और कार्य-समितिकी कार्रवाईको खिलाडीकी भावनासे स्वीकार कर लेते। डॉ० खरेके व्यवहारमें किसी प्रकारकी नैतिक भ्रष्टताकी बात नही है। वे अच्छे योद्धा है। मित्रोकी सहायता खुले हाथो करते है। इन गुणोपर कोई भी आदमी गर्व कर सकता है। लेकिन कोई जरूरी नही कि जिसमें ये गुण हो- वह अच्छा प्रधानमन्त्री या प्रशासक भी हो ही। तो मित्रकी हैसियतसे मेरा उनसे अनुरोध है कि फिलहाल वे एक साधारण कार्यकर्त्ताकी तरह काम करें और कांग्रेसको, मैंने उनके जो निर्विवाद गुण गिनाये हैं, उनका लाभ दे।

यदि डॉ० खरे अपने हठी सहयोगियोंसे तंग आ गये थे तो उन्हे अपना त्याग-पत्र देने गवर्नरके पास नहीं, बल्कि कार्य-समितिके पास जाना चाहिए था। यदि कार्य-समितिका निर्णय उन्हे अन्यायपूर्ण लगता तो वे अ० भा० कां० कमेटीके पास जा सकते थे। लेकिन आन्तरिक झगडेको लेकर गवर्नरके पास जाने और कार्य-समितिकी सहमति लिए बिना अपनी शिकायत गवर्नरसे दूर करवानेका तो किसी भी मन्त्रीको किसी भी हालतमें कोई अधिकार नही है। अगर कांग्रेसतन्त्र मन्द गतिसे चलता हो तो उसे तेजीसे चलाया जा सकता है। और उसके सूत्रधार लोग स्वार्थी या अयोग्य हो तो उन्हे निकाल बाहर करनेके लिए अ० भा० कां० कमेटी तो है ही। डॉ० खरे इस सरल उपायकी अवगणना करके, या जो बात इससे भी बुरी है, इससे अनभिज्ञ रहकर अपनी व्यथाका उपचार करवाने कार्य-समितिकी बैठक आरम्भ होनेसे कुछ ही समय पूर्व भागे-भागे गवर्नरके पास पहुँचे — यह उनकी भारी भूल थी।

कहा जा रहा है कि डॉ० खरेकी जगहपर अब जो लोग आये है, वे सब-के-सब स्वार्थी और अयोग्य है तथा चरित्रकी दृष्टिसे तो कोई उनके पासतक नही फटक सकता। यदि वे सचमुच वैसे ही है जैसाकि उनके आलोचकोंने उन्हें चित्रित किया है, तो जो भारी दायित्व उन्होंने अपने सिर लिया है, उसके निर्वाहमें वे निश्चय ही विफल होंगे। लेकिन इस मामलेमें भी कार्य-समितिको, उसके लिए जो मर्यादाएँ

निश्चित की गई है, उनके अधीन ही कुछ करना है। वह किसी प्रान्तपर अपनी ओरसे कोई मन्त्री नहीं थोप सकती। आखिर वे निर्वाचित सदस्य हैं और जिस दलको उन्हें चुननेकी सत्ता है वह यदि उन्हीको चुनना तय करता है तो कार्य-समितिको तबतक कोई दखलन्दाजी करनेका हक नही है जबतक वे लोग अनुशासनका पालन करते रहते है और जबतक यह सिद्ध नही हो जाता कि वे ऐसे लोग है जिनपर जनता विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन इस संकटको इन मन्त्रियोंको अपनी आन पर ला खड़ा करना चाहिए। अब दुनियाको यह दिखा देना उनका काम है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं, वे निराधार है और जो दायित्व उन्होंने अपने सिर लिया है, उसका निर्वाह वे निस्वार्थ और सुयोग्य ढंगसे कर सकते हैं।

इस दुर्भाग्यपूर्ण संकटमें मध्य प्रान्तके गवर्नर महोदय द्वारा निभाई गई भूमिकाके सम्बन्धमें कार्य-समितिने जो विचार प्रकट किया, उसकी निन्दा करना भारतके कुछ पत्र-पत्रिकाओंको जरूरी लगा, यह भारतीय अखबारोंकी निष्पक्षताका एक अच्छा नमूना है। विरोधियोंके सम्बन्धमे उतावलेपनमे कोई राय प्रकट करनेकी आदत मुझे नही है। इस विषयमें कार्य-समितिके प्रस्तावकी जो आलोचना हुई है, उसे पढ़कर मै तो इस बातका कायल नही हो पाया हूँ कि इस प्रस्तावसे गवर्नर महोदयके प्रति कुछ अन्याय हुआ है। उनकी कारंवाईके सम्बन्धमें तो कुछ समय बीतनेपर ही कोई ठीक राय बनाई जा सकती है। लेकिन डॉ० खरे तथा उनके दो सहयोगियोके त्याग-पत्र स्वीकार करके अन्य तीन मन्त्रियोसे त्यागपत्र माँगकर सबसे तत्काल उत्तर देनेकी अपेक्षा करके उनकी सफाईको बिना सोचे-विचारे अस्वीकार करके और उन्हें बर्खास्त करके तथा इस कामसे अपने कर्मचारियों, बेचारे मन्त्रियों तथा स्वयं अपनेको रात-भर जगाये रखकर गवर्नर महोदयने जिस उतावलेपनका परिचय दिया, उसे तो मै अशोभन ही कहूँगा। डॉ० खरेके त्यागपत्रको तत्काल स्वीकार करनेके बदले यदि वे इस विचित्र नाटकको, दो ही दिन बाद होनेवाली कार्य-समितिकी बैठकका इन्तजार कर लेते तो उससे कोई नुकसान होनेवाला नही था। ऐसा ही मन्त्रिमण्डलीय संकट बंगालमे भी आया था, मगर वहाँके गवर्नर महोदय मध्य प्रान्तके गवर्नर महोदयसे अलग ढंगसे पेश आये थे।

गवर्नरकी कारंवाईमें कानूनके शब्दार्थका पालन जरूर हुआ। लेकिन उसने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेसके बीच हुए मूक समझौतेकी आत्माकी हत्या कर दी। कार्य-समिति की कारंवाईके आलोचक जरा वाइसराय महोदयकी बड़ी सावधानीसे तैयार की गई घोषणाको पढे, देखें। अन्य घोषणाओंके साथ-साथ एक इस घोषणाको भी ध्यानमें रखकर कार्य-समिति सत्ता ग्रहण करके देखनेको प्रेरित हुई थी। इस घोषणाको पढ़कर आलोचकगण अपने मनसे पूछ देखें कि कार्य-समिति तथा डॉ० खरे और उनके सह-योगियोके बीच जो-कुछ चल रहा था उसकी ओर आधिकारिक रूपसे ध्यान देना क्या गवर्नरका कर्त्तव्य नही था। इन निर्विवाद तथ्योंपर विचार करनेके बाद कोई भी अनिवार्य निष्कर्षपर पहुँचे बिना नही रह सकता कि कांग्रेसको बदनाम करनेकी उतावलीमें गवर्नर महोदय बराबर स्थितिपर निगाह रखे रहे और जब उन्होंने ठीक

मौका देखा तो जिस स्थितिको कांग्रेसको कठिनाईमें डालनेवाली समझा वह स्थिति उत्पन्न कर दी। ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेसके बीचका अलिखित समझौता सज्जनोंके बीच सम्पन्न हुआ समझौता है और उसमें दोनों पक्षोंसे ईमानदारीका व्यवहार करनेकी अपेक्षा की जाती है।

इसलिए आलोचक लोग ब्रिटिश प्रशासकोंको जितना श्रेय स्पष्टतः देते हैं, कार्य-समितिके प्रस्तावने उन्हें उससे कही अधिक श्रेय दिया है। अंग्रेज लोग सच्चे खिलाड़ी हैं। उनमें पर्याप्त विनोदवृत्ति है। वे करारी चोट कर सकते हैं तो गहरे प्रहारको भी शोभाके साथ झेल सकते हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नही है कि गवर्नर महोदय कांग्रेसके प्रस्तावको उदारतासे ग्रहण करेंगे।

लेकिन वे ऐसी उदारता दिखायें या न दिखायें, कार्य-समितिने गवर्नरकी कार्रवाईके सम्बन्धमें जैसा महसूस किया वैसा कहना उसका कर्त्तव्य था। यदि बने तो वह झगड़ेको टालना चाहती है। लेकिन झगड़ा खड़ा ही हो जाये तो वह उसे भी स्वीकार करनेको तैयार बैठी है। यदि झगड़ा बचाना है तो गवर्नर महोदयको यह स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय संस्था है जो किसी दिन ब्रिटिश सरकारका स्थान लेगी। संयुक्त प्रान्त, बिहार और उड़ीसाके गवर्नरोंके सामने जब-जब कोई कठिन प्रसंग उपस्थित हुआ, तो उन्होंने कांग्रेसके आगे आकर नेतृत्व प्रदान करनेकी प्रतीक्षा की। इसमें सन्देह नहीं कि इन तीनों मामलोंमें उस तरह प्रतीक्षा करना स्पष्टतः गवर्नरोंके हकमें था। तो क्या मध्य प्रान्तके सम्बन्धमें यह कहना होगा कि यहाँ कांग्रेसको अटपटी स्थितिमें डालनेके लिए संकट खड़ा कर देना ही स्पष्टतः ब्रिटेनके हकमें था? कार्य-समितिका प्रस्ताव ब्रिटिश सरकारको मित्रकी ओरसे दी गई एक चेतावनी है — वह चेतावनी कि अगर वह कांग्रेसके साथ खुले झगड़ेको टालना चाहती है तो सत्ताधारियोंको, चाहे वे कोई भी हों, २० जुलाईकी रातमें नागपुरमें जो-कुछ हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नही होने देनी चाहिए।

अब जरा हम यह देखें कि कांग्रेसके काम क्या हैं। आन्तरिक विकास और प्रशासनके खयालसे वह संसारकी अन्य किसी भी संस्थाकी बराबरीकी लोकतान्त्रिक संस्था है। लेकिन इस लोकतान्त्रिक संस्थाका संगठन आज दुनियाकी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकतसे लोहा लेनेके लिए किया गया है। इसलिए इस बाहरी कामकी दृष्टिसे इसकी तुलना किसी सेनासे की जानी चाहिए। इस रूपमें यह लोकतान्त्रिक नही रह जाती। केन्द्रीय समितिको सर्वोपरि सत्ता प्राप्त है और इस सत्ताके बलपर वह अपने अधीन काम करनेवाले अपने विभिन्न घटकोंपर कोई अनुशासन लाद सकती है और उनसे उसका पालन करवा सकती है। इस तरह प्रान्तीय संगठन और प्रान्तीय संसदीय बोर्ड केन्द्रीय समितिकी सत्ताके अधीन हैं।

ऐसा कहा गया है कि जब सविनय-अवज्ञाके रूपमें यह संघर्ष सक्रिय रूपसे चल रहा हो, उस समय तो मेरी यह बात लागू होती है, लेकिन जब सविनय-अवज्ञा स्थगित हो, उस समय यह चीज लागू नही हो सकती। लेकिन सविनय-अवज्ञा स्थगित कर देनेका मतलब संघर्षको स्थगित कर देना तो नही है। संघर्ष तो तभी बन्द हो

सकता है जब भारतमें स्वयं उसका बनाया संविधान लागू हो जाये। जबतक ऐसा नही होता है, तबतक तो कांग्रेसको सेनाके रूपमें ही कायम रहना है। लोकतान्त्रिक ब्रिटेनने भारतमें चतुराईके साथ एक ऐसा तन्त्र स्थापित कर दिया है जिसे नग्न रूपमें देखिए तो पता चल जायेगा कि वह संगठित सैनिक सत्ताके अलावा और कुछ नही है। और मौजूदा भारत सरकार अधिनियमके अधीन भी वह कुछ कम सैनिक नही है। जहाँतक वास्तविक सत्ताका सम्बन्ध है, मन्त्रीगण उस तन्त्रके हाथोमें कठ-पुतलियोंके समान हैं। जो कलक्टर और पुलिसके अधिकारी आज उनकी जी-हजूरी कर रहे हैं, वे अपने असली मालिक गवर्नरोंके एक आदेश-भरसे मन्त्रियोको पदच्युत कर दे सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके हवालातमें बन्द कर दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि कांग्रेसियोंने जो पद-ग्रहण किया है वह जैसा संविधानके निर्माताओंका इरादा था, उस ढंगसे काम करनेके लिए नही बल्कि इस तरहसे काम करनेके लिए जिससे वह दिन जल्दी ही आ सके जब इस संविधानका स्थान स्वयं भारतका बनाया कोई संविधान ले ले।

इसलिए यदि हम कांग्रेसको संघर्ष चलानेवाला तन्त्र मानकर चलते है, तो यह आवश्यक है कि उसका नियन्त्रण एक केन्द्रीय समितिके हाथोंमें हो, वह समिति प्रत्येक विभागका मार्ग-दर्शन करे, प्रत्येक कांग्रेसीका चाहे वह जितने बड़े पदपर आसीन हो — दिशा निर्देशन करे और उससे निर्विवाद आज्ञाकारिताकी अपेक्षा रखे। यह लड़ाई किसी और तरहसे नही लड़ी जा सकती।

कुछ लोग कहते हैं कि यह तो सरासर फासिज्म है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि फासिज्मका मतलब नंगी तलवार है। उसके अधीन डॉ० खरेके धड़पर आज उनका सिर नही होना चाहिए था। कांग्रेस फासिज्मका विशुद्ध विलोम है, क्योंकि उसका आधार विशुद्ध अहिंसा है। अपने आदेशोंका पालन उसे केवल अपनी नैतिक सत्ताके बलपर करवाना है। उसकी सत्ताका स्रोत सशस्त्र सैनिकोंपर उसका नियन्त्रण होना नही है। कांग्रेसके शासनमें डॉ० खरे अब भी नागपुरके हृदय-सम्राट् बने रह सकते हैं, तथा नागपुरके — और नागपुरके ही क्यों, अन्य स्थानोंके भी — छात्र और नागरिक मुझे या कार्य-समितिको चाहे जितना कोस सकते हैं; और ऐसा करते हुए जब क इस तरहके प्रदर्शनकारी हिंसाका सहारा नहीं लेते, तबतक कोई उनका बाल भी बाँका नही कर सकता। यह कांग्रेसकी महिमा और शक्ति है — उसकी दुर्बलता नहीं। उसकी सत्ताका स्रोत उसकी यही अहिंसक वृत्ति है। जहाँतक मुझे मालूम है, संसारमें यही एक विशुद्ध रूपसे अहिंसक राजनैतिक संस्था है, जिसका कोई महत्त्व है। कांग्रेसका यह गर्व सदा बना रहे कि वह अपने सभी अनुयायियोंसे — डॉ० खरे-जैसे महारथियोंसे भी — जबतक वे उसमें शामिल हैं तबतक अपने सभी आदेशोंका पालन करवा सकती है और लोग उसके आदेशोंका पालन भी स्वेच्छासे और पूरे हृदयसे करते है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ६-८-१९३८

३१४. पत्र : मंगलदास पकवासाको

सेगाँव
६ अगस्त, १९३८

भाई मंगलदास,

तुम्हारा पत्र मेरे हाथमें इतने विलम्बसे आया कि मैं तीन तारीखको तुमतक अपना आशीर्वाद नहीं पहुँचा सकता। तुमने अपने पुत्र या पुत्रवधूका नाम भी नहीं लिखा है। आशा है, विवाह निर्विघ्न सम्पन्न हो गया होगा। उन दोनोंसे मेरा आशीर्वाद कहना। दोनों स्वयंको सेवा-कार्यमें लगायें और भगवान उन्हें दीर्घायु बनाये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४६८०) से; सौजन्य: मंगलदास पकवासा।

३१५. पुर्जा : कृष्णचन्द्रको

६ अगस्त, १९३८

मैं समझा। मैं तुमको सेवासे दूर नहीं करूंगा। नींद जब आये तब अवश्य लो। रात्रिको उठनेकी चेष्टा छोड़ोगे तो ठीक है। मुझे आवश्यकता होनेपर जगाऊँगा। खानेकी मात्रा अवश्य बनाना। बवासीरका बयान सुनकर विशेष।

बापू

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९८) से। एस० जी० ६८ से भी।

३१६. सेगाँवके कार्यकर्त्ताओंके लिए

६ अगस्त, १९३८

इतनी बातें हम ध्यानमें रखें:

१. थूक भी मल है, इसलिये जिस जगह हम थूकें या मलें, हाथ धोयें वहाँ बरतन कभी साफ न करें।

२. टेपसे सीधा पानी इस्तेमाल न करें। इसमें अधिक पानीका खर्च होता है और ज्यादा आदमी एक टेपसे एक ही वखतमें पानी नही ले सकते है। इसलिए हरेक आदमी अपने लोटेमें पानी निकाले।

३. हाथ-मुंह धोनेकी जगह पर दतुन कोई न करे। दतुन अलग जगह पर जाकर करें और लोटेके पानीसे मुंसाफ करें। दतुन भी वाड (बाड़)के नजदीक या ऐसी जगह किया जाय जहां लोगके पैर नही पड़ते हैं।

४. रास्ते पर हम कभी न थुकें न नाक साफ करें।

बापू

पत्रकी नकल (सी० डब्ल्यू० ४६७४) से।

३१७. पत्र: एच० जे० खाण्डेकरको

[७ अगस्त, १९३८ से पूर्व][1]

मेरा अनुरोध है कि आप अपनी धमकीपर अमल न करें।[2] यह सत्याग्रहका दुरुपयोग होगा।[3] आप मन्त्रीमण्डलपर किसी हरिजनको नही थोप सकते। मन्त्रीमण्डलमें किसी हरिजनके शामिल किये जानेके लिए आप शान्तिपूर्वक आन्दोलन चला सकते हैं, बशर्ते कि आपको इस बातका भरोसा हो कि मध्य प्रान्तकी विधानसभाके सदस्योंमें कोई ऐसा योग्य हरिजन है जो कांग्रेसके अनुशासनको स्वीकार करनेको राजी हो,

१. जिस समाचारसे यह पत्र लिया गया है, वह ७ अगस्त, १९३८की तिथि-पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

२. यह वाक्य ८-८-१९३८के हिन्दू से लिया गया है

३. एच० जे० खाण्डेकरने, जो नागपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटीके सदस्य थे, यह धमकी दी थी कि अगर किसी हरिजनको मध्य प्रान्तके मन्त्रीमण्डलमें शामिल नहीं किया गया, तो वे सत्याग्रह आरम्भ कर देंगे।

जिसे हरिजन सदस्योंका विश्वास प्राप्त हो और जो मन्त्रित्वका दायित्व सँभालनेकी सामर्थ्य रखता हो। मुझे भरोसा है, आप ऐसा आग्रह नहीं रखेंगे कि हर हालतमें, और चाहे कोई योग्य हरिजन मिले या न मिले, मध्य प्रान्तके मन्त्रिमण्डलमें किसी एक हरिजनको स्थान मिलना ही चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ८-८-१९३८

३१८. हिन्दू होटल और हरिजन

हिन्दू होटलोंके संचालकोंकी हड़तालसे न तो उनकी शोभा बढ़ती है न अहमदाबादकी। उसमें हिन्दू-धर्मकी रक्षा भी नहीं होती। उनके भोजनालयोंमें हरिजनोंके आनेसे यदि अन्य हिन्दू वहाँ नहीं आते तो वे अपने भोजनालय बन्द कर सकते हैं, किन्तु हड़ताल करनेका अर्थ तो कांग्रेस-सरकारको न्याय करनेसे रोकना हुआ।

इस हड़तालसे यह सवाल उठता है कि हड़ताली हिन्दू कांग्रेसके अनुयायी हैं या उनके विरोधी? वे हिन्दू-धर्मके हितेच्छु हैं या उसके विरोधी? यदि वे अपनेको कांग्रेसका समर्थक मानते हों तो उन्हें कष्ट सहकर भी हरिजनोंको अपने भोजनालयोंमें स्नेहपूर्वक खिलाना-पिलाना चाहिए। और ऐसा करनेसे यदि अन्य हिन्दू उनके भोजनालयोंका त्याग करें तो उसे सहन करना चाहिए। यदि सारे हिन्दू होटल-संचालक उस कर्त्तव्यका पालन करें तो अन्य हिन्दू या तो विवश होकर भोजनालयोंका उपयोग करेंगे अथवा भोजनालयोंमें खाना-पीना ही छोड़ देंगे। यदि यह दूसरा विकल्प घटित हो तो होटल-संचालकोंको अपनी आजीविकाका कोई नया रास्ता ढूँढ़ना चाहिए किन्तु उन्हें अपना कर्त्तव्य कदापि नहीं छोड़ना चाहिए।

यदि वे कांग्रेसी हों — और उन्हें ऐसा ही होना चाहिए — तो उनका कर्त्तव्य है कि वे अस्पृश्यताको अधर्म मानें। और यदि ऐसा है तो यह भी स्पष्ट है कि हड़ताल करके वे अधर्मका आचरण कर रहे हैं।

इस हड़तालसे ऐसा सूचित होता है कि सामान्य हिन्दू जनता इन होटल-संचालकोंके मतकी ही है। यदि ऐसा हो तो कहना होगा कि वे कांग्रेसके विरोधी हैं। किन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अहमदाबादने हमेशा कांग्रेसका साथ दिया है। उन्हें यह समझनेमें किसी प्रकारकी कठिनाई क्यों होनी चाहिए कि इस युगमें अस्पृश्यताका धर्म टिक नहीं सकता? भागवतने सिखाया है कि छुआछूतका रिवाज 'अदकेरुं अंग' एक अनावश्यक अंग है, और इस अनावश्यक अंगको तो काटकर अलग कर देनेमें ही लाभ है।

इसके सिवा, आज तो हिन्दू सर्वत्र स्थानका विचार किये बिना जाने कहाँ-कहाँ भोजन कर लेते हैं। वहाँ भोजन करनेमें धर्म उनके लिए बाधक नहीं बनता। वे लोग ईरानी होटलोंमें जाते हैं। अंग्रेजी होटलोंमें जानेमें उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वे यह कैसे भूल जाते हैं कि इन जगहोंमें हरिजनोंको किसी प्रकारकी मनाही नहीं है।

यदि हरिजन अपनी जातिकी घोषणाके बिना, माथेपर तिलक लगाकर, माला पहनकर, स्वच्छ वेशभूषामें होटलोंमें जायें तो उन्हें कौन रोकेगा। तब तो उनकी जाति पहचानी नही जा सकती। इस तरह अनेक हरिजन-होटलोंमें जाते भी है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तब क्या सरकारने अपने कानूनोंका अमल करनेका जो हुक्म जारी किया है, उसीको अपराध मानकर यह हड़ताल की जा रही है? जो लोग अस्पृश्यताको धर्म मानते है, यदि वे सचमुच अपने धर्मका पालन करना चाहते है तो उन्हें इन भोजनालयोंमें जाना बन्द करना चाहिए, विदेशी दवाएँ नही खानी चाहिए, वैद्योंकी दवा भी जबतक वे इस दृष्टिसे उनकी पूरी जाँच न कर लें तबतक नही खानी चाहिए। विदेशी अथवा देशी मिठाइयाँ भी नही खानी चाहिए। अकारण, इन सब वस्तुओंमें हरिजनोंके हाथका स्पर्श होनेकी पूरी सम्भावना है। विदेशी दवाएँ हिन्दू नहीं बनाते और कौन कह सकता है कि खरीदारके हाथमें आनेसे पहले कितने हरिजनोंने इनका स्पर्श किया होगा? आजकल तो अनेक वैद्य भी अस्पृश्यताका पालन नहीं करते, तब उनकी दवा भी कलुषित क्यों न मानी जाये? और मिठाइयोंका तो पूछना ही क्या? ये सारे प्रश्न विचार करने योग्य है। और जो भी व्यक्ति इनपर विचार करेगा, वह इस परिणामपर पहुँचेगा कि अस्पृश्यताका पालन करनेवालेको अपने अनेक व्यवहार बन्द करने होंगे। और यह तो हो नहीं सकता इसलिए उन्हें भोजनालयोंमें हरिजनोंकी उपस्थितिको, एक अनिवार्य आपत्ति मानकर ही सही, स्वीकार कर लेना चाहिए।

जो लोग अस्पृश्यताको अधर्म मानते हैं उनका मार्ग सीधा है। उन्हें होटल-संचालकोंको आश्वासन देना चाहिए। यदि होटल-संचालक अपने भोजनालय तब भी न खोलें तो उन लोगोंको चाहिए कि जहाँ भी ऐसे भोजनालयोंकी पर्याप्त माँग हो वहाँ वे अपनी ओरसे भोजनालय खोलें; और जो लोग उनके यहाँ आयें उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन करायें। यदि किसीको ऐसा लगता हो कि हरिजन तो गन्दे होते है, उनके कपड़े मैले होते है तो स्वच्छताके ऐसे नियम लागू किये जा सकते है जिनका पालन भोजनालयोंमें जानेवाले सब लोगोंके लिए आवश्यक हो। अस्वच्छता कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका मात्र हरिजनोंपर एकाधिकार हो।

दो शब्द सरकारके कर्त्तव्यके विषयमें। जहाँतक लोकमत कांग्रेस-सरकारके पक्षमें है वहाँतक सरकारका धर्म तो स्पष्ट ही है। उसे किसी भी तरह अस्पृश्यताको कहीं भी सहन नही करना चाहिए। उसे तो उन्हींके साथ तरना है अथवा डूबना है। हरिजनोंके प्रति अन्याय करके सारी पृथ्वीका ही साम्राज्य क्यों न मिलता हो, कांग्रेसके लिए उस साम्राज्यकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अस्पृश्यता-निवारण कांग्रेसकी नीतिका एक आवश्यक अंग है। यदि दूसरे लोग सार्वजनिक होटल न खोलें तो या तो म्युनिस्पैलिटी या सरकार अपने खर्चपर आवश्यक संख्यामें होटल चलाये। यदि इन होटलोंमें ग्राहक पर्याप्त संख्यामें न आयें तो ये बन्द किये जा सकते है। किन्तु जो हरिजनोंकी अवज्ञा करता हो, ऐसा एक भी हिन्दू होटल नहीं खुलने देना चाहिए।

अब दो शब्द हरिजन भाइयोंसे। जिस प्रकार कांग्रेसियोंको और सनातनी हिन्दुओं को अपने धर्मका पालन करना है, उसी प्रकार हरिजनोंको भी अपने धर्मका पालन करना है। उन्हें इस बातका ध्यान रखना है कि वे अपने हाथमें आई हुई बाजीको खो न बैठें। मेरे पास कुछ अत्यन्त यशस्वी हरिजन-सेवकोंके पत्र आये हैं। वे लिखते हैं कि कहीं-कहीं अपना उत्साह प्रकट करनेके लिए या सरकारके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करनेके लिए, या अन्य किसी हेतुसे हरिजन भाइयोंने काफी संख्यामें इकट्ठे होकर होटलोंका घेराव किया। और इस बातकी माँग की कि उन्हें उनमें प्रवेश करने दिया जाये। वे जैसे चाहिए वैसे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। जो लोग ऐसा करते हैं वे हरिजनोंकी सेवा नहीं करते, बल्कि उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं और सरकारके कानूनोंका दुरुपयोग करते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि जिनका उपयोग, ज्योंही वे मिलें त्यों ही, पूरा करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। उनका पूरा उपयोग करने की घड़ीकी प्रतिक्षामें यदि समय लगता दिखे तो उसे सहन करना चाहिए। होटलों में निर्बाध प्रवेशका अधिकार ऐसा ही एक अधिकार है। किसी भी हरिजन भाईको इन होटलोंमें केवल इस उद्देश्यसे नहीं जाना चाहिए कि उसे उनमें प्रवेशका अधिकार प्राप्त है और उसे इस बातको सिद्ध कर देना है। जिसे सचमुच भूख लगी है, जो उस समय किसी होटलके पाससे गुजर रहा है, जिसके पास पैसा है, जो स्वच्छ कपड़े पहने हुए है, ऐसा हरिजन अपने निकटवर्ती किसी होटलमें अवश्य जाये। वहाँ जानेमें यदि उसका अपमान हो तो इस अपमानको वह सहन कर ले और इसका दुःख माने बिना हरिजन-सेवक संघको इसकी सूचना दे दे। और हरिजन-सेवक संघ कुछ ऐसा उपाय अवश्य करेगा जिससे इसके बाद फिर उसका अपमान न हो। और अन्तमें यदि कानूनसे बाहरके शान्तिपूर्ण उपाय कारगर सिद्ध न हों, तो वह कानूनकी सहायता भी अवश्य लेगा। इस सम्बन्धमें भाई मूलदास द्वारा जारी किया वक्तव्य बहुत अच्छा है। हरिजन भाई-बहन इसी अंकमें उनके इस वक्तव्यको देख सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वे उसपर अमल करेंगे।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ७-८-१९३८

३१९. पत्र : 'टाईम्स ऑफ इण्डिया', बम्बईके निदेशकको

सेगाँव
७ अगस्त, १९३८

प्रिय महोदय,

आपके पिछली २८ तारीखके पत्र तथा 'स्टोरी ऑफ दि वर्ल्ड इन पिक्चर्स' की प्रतिके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपने-आपको आपके-जैसे इन प्रयत्नोंपर कोई राय देनेके योग्य नहीं समझता। इसलिए आपका अनुरोध पूरा कर सकनेकी असमर्थताके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

आपका विश्वासपात्र

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात: सौजन्य: प्यारेलाल।

३२०. पत्र : पेरीनबहन कैप्टेनको

सेगाँव
७ अगस्त, १९३८

प्रिय बहन,

आपने पत्र लिखकर अच्छा किया। यदि आप पारसी बहनोंसे मेरे सम्बन्धके बारेमें जानती होतीं तो आप जैसा अविश्वास कर रही हैं, वह न करतीं। भाई नरीमान[1]के प्रति द्वेषकी बात तो मैं स्वप्नमें भी नहीं सोच सकता। उन्हें कार्य-समितिमें लानेमें मेरा हाथ था। किन्तु मेरी अन्तरात्मा अब भी यह कहती है कि उन्होंने जो भूलें कीं और उनकी जाँचके फलस्वरूप जो-कुछ हुआ, वह सर्वथा उचित था।

मो० क० गांधी
के वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५६२) से।

१. के० एफ० नरीमानने सरदार पटेलपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने बी० जी० खेरके मार्च, १९३७को बम्बई विधानसभामें कांग्रेस पार्टीके नेताके रूपमें चुने जानेमें अपने प्रभावका उपयोग किया है। यह मामला एक ट्रिब्यूनलको सौंप दिया गया था, जिसके सदस्य गांधीजी और बहादुरजी थे। निर्णय सरदार पटेलके पक्षमें किया गया था। तब नरीमान और उनके अनुयायियोंने गांधीजी पर पक्षपात करनेका आरोप लगाया था।

३२१. पत्र: वालजी गो० देसाईको

७ अगस्त, १९३८

चि० वालजी,

तुम्हारे दोनों लेखोंको मैंने रोक रखा है। शंकराचार्य-सम्बन्धी लेख अनावश्यक जान पड़ता है। दलीलें सटीक नहीं बैठतीं 'मनुस्मृति' से सम्बन्धित लेख कल्पना-प्रधान है। उक्त लेख सरस तो है, किन्तु स्मृति-ग्रंथोंके अर्थ जाननेमें बहुत ही कम सहायक है। अब तुम क्या सुझाते हो?

दूधीबहन कैसी हैं? बच्चोंकी पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है? वे कैसे हैं? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? यहाँ काका तथा कुछ अन्य लोगोंको हैजा हो चुका है, जिसमें दो कार्यकर्ता चल बसे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४८०) से; सौजन्य: वालजी गो० देसाई।

३२२. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको

७ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

मुझे बताया गया है कि विजयाका पत्र कल तुम्हें भेज दिया गया। हालाँकि डॉक्टरने अनुमति दे दी है, किन्तु काकाकी खुराक धीरे-धीरे बढ़ाना। खूबानीका पानी मत देना। उसका असर अच्छा नहीं होता। मुसम्मीके रसकी कोई तुलना नहीं है। यदि वे चाहें तो साबूदानेकी पतली कांजी, जिसमें आधा पानी रह गया हो, ले सकते हैं और सो भी भूख मालूम होनेपर। पाँच तोले दूध, पाँच तोले पानी और एक चम्मच साबूदाना मिलाकर उसे पकाना। धीमे-धीमे चलनेमें श्रेय है। मेरे सुननेमें आया है कि धर्माधिकारीको तो बुलाया गया था। उसे अनुमति तो दी ही गई थी। यदि ऐसा हो तो मुझे उससे माफी माँगनी चाहिए।[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एम० एन० १०७५४) से।

१. देखिए अगला शीर्षक।

३२३. पत्र : नाना धर्माधिकारीको

७ अगस्त, १९३८

भाई नाना,

मैं तो समझता था कि तुम अनुमति लिये विना छोड़कर चले गये, इसलिए मैं नाराज हुआ था। अब समझ पाया हूँ कि तुम्हें बुलाया गया था। इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति अनजाने अन्याय तो किया ही है जिसका निवारण मैं अब इस पत्रके द्वारा अपनी भूल स्वीकार करके कर रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ४७५४) से।

३२४. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव

७ अगस्त, १९३८

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिल गया है। तेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, यह तो ठीक नहीं है। जयप्रकाशका मलाबारका काम निबट जानेपर वह यहाँ आ जाये तो अच्छा हो। अक्टूबरके आरम्भमें मुझे सीमा-प्रान्त जाना पड़ेगा। यहाँ काका, नाना और कुछ अन्य कार्यकर्ताओंको हैजा हो गया था। दो अच्छे नवयुवक कार्यकर्ता गुजर गये। काका मुश्किलसे बचे। चारों ओर हैजा फैला हुआ है। सेगाँवमें भी है। सुशीला खूब मेहनत कर रही है। मनु यही है। नवीन और धीरू भी यहीं हैं। मैं 'हरिजनबन्धु' और 'हरिजन' भिजवानेकी व्यवस्था कर रहा हूँ।

मीराबहन, बा और अन्य सब लोग ठीक हैं। मैं भी अच्छा हूँ। मेरी खुराक दूध, खाखरे, साग-भाजी और फल हैं।

राजकुमारी ९ ता० को आयेगी। वह पूनामें है। कान्ति बंगलौरमें है। मैंने ऐच्छिक मौन ले रखा है जो चल ही रहा है। आवश्यकता होनेपर ही बोलता हूँ।

राजेन्द्रबाबू दो-तीन दिनमें दक्षिणके एक साधु महर्षिसे[1] मिलने जायेंगे। तू उन्हें नामसे जानती है, क्योंकि त्रावणकोरसे लौटते हुए तुझे उनके आश्रममें जाना था। उनका नाम रमण महर्षि है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५१९) से।

३२५. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

७ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे बहुत सन्तोष हुआ। मैं यहाँसे दूध भेज रहा हूँ। सुशीला, प्यारेलाल की और मेरी सलाह है कि यदि तुम आज दूध न पिओ तो अच्छा हो। फल और नीबूका रस काफी है। कमजोरीकी तो चिन्ता नहीं, किन्तु मस्सोंपर किसी तरहकी चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। मस्सोंको जल्दी बिठानेके लिए यदि तुम खाना न खाओ तो अच्छा हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५८२) से।

३२६. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

७ अगस्त, १९३८

चि० मुन्नालाल,

मुझे लगता है कि केवल बहनें साग-भाजी [का काम] नहीं निबटा सकतीं। उनमें से दो तो मेहमान हैं और बीमार बा गिनतीमें नहीं आती। मीराबहन भी नहीं हैं। इसलिए किसी आदमीपर जिम्मेदारी डालो। फिलहाल तो नवीनको यह काम सौंपो। उसे जिन बहनोंसे मदद मिल सके उससे काम चलाये।

प्रति व्यक्ति एक बाल्टी तो बहुत अधिक हो गई। लोटा तो हरएकके पास होना ही चाहिए। प्रति व्यक्ति एक लालटेन भी रईसी है। हमें हमेशा यह सोचना

1. डॉ० राजेन्द्रप्रसाद १४ अगस्त से १८ अगस्ततक रमण महर्षिके आश्रममें रहे थे। उस समय उन्होंने महर्षिसे अनुरोध किया कि वे गांधीजी के लिए कोई सन्देश दें। महर्षिने कहा : "उनके भीतर जो वही शक्ति काम कर रही है और उन्हें संचालित कर रही है। यही पर्याप्त है। इससे अधिक क्या चाहिए।" (टाइम्स, १८-८-१९३८ के अन्तर्गत)।

चाहिए कि गरीब क्या करते है, और यथासम्भव उसी तरह रहना चाहिए जैसे वे रहते है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५७१) से; सी० डब्ल्यू० ७०६९ से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

३२७. पत्र: राधाकृष्ण बजाजको

७ अगस्त, १९३८

चि० राधाकृष्ण,

कल सोमवारको १२ बजे मुझे मोटर चाहीये, अगर वारिस न हो तो। वालकृष्णको नागपुर भेजना है।

कल मोटर सारा दिन रही उसमे अपराध मेरा ही है। कल किशोरलाल न आये उसका विशाद हुआ। हृदय रोया और मुझे स्मृतिभ्रंश हूआ। क्या करूं?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१२३) से।

३२८. पत्र: महादेव देसाईको

७ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

यदि जयन्तीप्रसादका पता वहाँ न मिले, तो पत्र वापस लौटा देना।

तुमने न आकर अच्छा किया। . . . .[1] वाली वात वहींसे चारो ओर फैली है। ऐसा कैसे हुआ। पता लगाना। सन्तोकके पत्रको देखते हुए जो-कुछ हुआ, वहुत वुरा हुआ। इस इनकारसे मुझे काफी गहरा आघात लगा है। ऐसी घटनाएँ मेरी अच्छी कड़ी परीक्षा लेती है। 'ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते।'[2] सरवट्के सम्वन्धमें मै वह टिप्पणी रद्द कर रहा हूँ। मैं इस तरह उसका सार्वजनिक रूपसे विज्ञापन नहीं करना चाहता। शेष सव यह मानकर तुम्हें वापस भेज रहा हूँ कि तुम उसे बावलासे टाइप कराना पसन्द करोगे। यदि ऐसा न हो तो इसे सवेरे जल्दी वापस भेज देना जिससे मैं यहाँ टाइप करा सकूँ।

१. साधन-सूत्रमें यह अंश छूटा हुआ है।

२. भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक ६२।

यहाँ एक और आदमी हैजेका शिकार हो गया है। इसलिए सुशीला, कनु और सोपटेकर सुबहके ६-३० से ११-३० बजेतक गाँवमें व्यस्त रहे। ८० आदमियोको टीके लगाये गये। वह आदमी मृत्यु-शय्यापर था। शायद बच जाये।

चिमनलालको आजका दूध तो यहीसे भेज रहा हूँ। बहुत करके रोज ऐसा ही करूँगा।

डाकमें छोड़नेके लिए काफी पत्र है। उनके पते-ठिकाने जाँच लेना। उतावलीमें भेजनेकी जरूरत नहीं है। सुशीला और बालकृष्ण कल एक बजेकी गाड़ीसे जायेंगे। मैंने मोटरके लिए रा० को लिखा तो है, फिर भी तुम पुछवा लेना। यदि वर्षा हो रही होगी तो हम उन्हें कदापि नही भेजेंगे। किशोरलाल आ गये है। उन्हें हलका-सा बुखार तो है। कल दमा भी उखड़ आया था।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मनहरके बारेमें लिखनेकी हिम्मत मुझमें तो नही है। यदि तुममे हिम्मत हो और तुम पूछना चाहो तो पूछ लेना। मुझे भय है कि वहाँसे भी जवाबमें इनकार ही आयेगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२१) से।

३२९. पत्र : कृष्णचन्द्रको

७ अगस्त, १९३८

धर्म बताता है कि चाचाजीसे पैसे न लें। जो पुस्तक मैं पास करूं उसे जाहर खर्चसे लेना।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४२९९) से।

३३०. तार: एस० के० पाटिलको

८ अगस्त, १९३८

एस० के० पाटिल
बम्बई

तुम्हारे पत्रके सन्दर्भमें चिन्ता और उलझन पैदा करनेके लिए खेद है। कृपया मेरे तारमें दी सलाहको भूल जाइये और कांग्रेसके हितमें आप जिस बातको सबसे अच्छा समझें वही कीजिए।[1]

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

३३१. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको

८ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

काकाको भूखा रखना अच्छा है; जरा भी अधिक खाना कदापि नहीं दिया जा सकता। तुम डॉक्टरसे तो पूछोगे ही किन्तु खुराकके बारेमें नहीं, उसके बारेमें तो मुझसे पूछना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७५५)से।

३३२. पत्र: चिमनलाल एन० शाहको

८ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

आशा है, तुम अच्छे होगे। अपनी खुराक धीरे-धीरे बढ़ाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५८३) से।

१. यह तार गिरगाँव जिला कां० क० के अवैतनिक सचिवोंकी मुअत्तलीके सम्बन्धमें एस० के० पाटिलके पत्रके जवाबमें था।

३३३. पत्र : महादेव देसाईको

९ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

जो तैयार है सो भेज रहा हूँ। आशा है, तुम आनन्दपूर्वक होगे। यहाँ आनेका लोभ मत करना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४३) से।

३३४. पत्र : मणिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
९ अगस्त, १९३८

चि० मणिलाल,

तेरा पत्र मिला। श्री कैलेनबैकका सुझाव मेरे द्वारा यहाँसे शिक्षक भेजनेकी सामर्थ्यपर निर्भर है। मेरी सामर्थ्य शून्यवत् है। जो मेरी नजरमें जँच जाये ऐसे शिक्षक मिलना मुश्किल है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी गया तो उसे इतनी मोटी तनखा देनी पड़ेगी कि वह हमें पुसायेगी नहीं। जो-कुछ बने सो तुझे वही करना पड़ेगा। इसलिए मेरी रायमें पाठशालाकी योजना चल नहीं सकती।

ऐसी हालतमें मुझे तो 'इंडियन ओपिनियन' के बारेमें ही सोचना है। यदि वहाँके लोग घाटा पूरा कर देनेका स्पष्ट वचन, मौखिक रूपसे नहीं बल्कि जो साहूकारको मान्य हो, दें तो 'इंडियन ओपिनियन' को चलाते रहना तेरा कर्तव्य है।

यदि रुस्तमजी-न्यास किसी तरहकी मदद दे तो उसे स्वीकार करनेमें कोई नुकसान नहीं है। किन्तु मैं पसन्द तो यही करूँगा कि लोगोंसे ही सीधी मदद मिले।

यदि 'इंडियन ओपिनियन' को चलाया जा सके तो सुशीलाको वहीं लौट जाना चाहिए। न केवल तेरी मददके खयालसे, बल्कि तेरी और उसकी मानसिक शान्तिके लिए मैं इसे आवश्यक मानता हूँ। सुशीलाका तेरी बगलमें खड़े रहना अपने-आपमें एक अतिरिक्त सम्बल है।

मैं सोचता हूँ कि यदि सुशीला वहाँ जाये तो अरुण उसके साथ जाये और सीता यहीं रहे। तुम दोनोंको इस तरहका वियोग सहन करना सीखना चाहिए। यहाँ मैं केवल बालकोंके हितकी बात सोच रहा हूँ।

यदि सुशीला वहाँ पहुँच जाये तो तुम्हें फीनिक्सको ही अपना घर समझकर रहना चाहिए। यदि अचानक कभी आनेका मौका मिल जाये तो वह अलग बात है। तुझे बड़े-बूढ़ोंसे मिलनेका मोह छोड़ देना चाहिए। यदि वियोगको सहन करना कर्तव्य हो तो उस कर्तव्यका सहर्ष पालन करना चाहिए।

आज तो इतना ही। शेष समाचार देना सुशीलाकी इच्छा और योग्यतापर निर्भर है।

यदि रामदासको वहाँ रहनेपर राजी किया जा सके तो सोनेमें सुहागा। वैसी स्थितिमें तुम दोनोंके बच्चोंको भी वहाँका काम सँभालने योग्य प्रशिक्षण लेना होगा।

हेनाके बारेमें सुशीला जो लिखना चाहेगी सो लिखेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७८) से।

३३५. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

९ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

शारदाको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा। जितना डॉक्टर कहे, खाने-पीनेमें उतनी छूट नहीं लेनी चाहिए; बल्कि उतनी ही लेनी चाहिए जितनी शरीर माँगे। यदि ऐसा करोगे तो तुम जल्दी लौट सकोगे। और कोई नई परेशानी खड़ी नहीं होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५८४) से।

३३६. पत्र : महादेव देसाईको

१० अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

कैसा सर्वथा निजी? किन्तु तुमने तो उचित ही किया। इसके साथ रामचन्द्रन्‌का तार है। अंडे भारतन या कुमारप्पाको बेच दो। यदि उन्हें जरूरत न हो तो अस्पताल भेज दो।

नानासे मैं रात मिल आया था। रास्तेमें जाते हुए वहाँसे एक पुर्जी मिली इसलिए मैं सुशीलाको लेकर चलता ही गया। उस समय तो हालत ठीक थी। अभी

हालकी खबर भी कुछ बुरी नहीं है। चूंकि मैं वहाँ गया ही था, इसलिए काका और चिमनलालसे भी मिला था। वहाँसे मोटरमें वापस लौटा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२२) से।

३३७. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

१० अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

प्यारेलालकी हालतमें कोई फर्क नही पड़ा है। वैसे अभी तत्काल कोई खतरा नहीं है। काकाके शरीरमें धीरे-धीरे ताकत आयेगी। उतावली मत करना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कौर और कृष्ण, जमनालाल और रमण महर्षि, बा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६३) से।

३३८. पत्र : विजया एन० पटेलको

१० अगस्त, १९३८

चि० विजया,

तेरा पत्र और राखी मिली। मैं यह पत्र राखी बँधे हुए हाथसे लिख रहा हूँ। तू अच्छी हो रही है इसके लिए बधाई। काका और नाना सामान्यतः ठीक ही माने जायेंगे। कोई खतरा नही लगता। मेरी गाड़ी ठीक चल रही है। मेरी लगभग वही खुराक चल रही है। गिरधारी और उसकी पत्नी (जिनका हाल ही में विवाह हुआ है) आज-भरके लिए आये हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

राजकुमारी मंगलवारको आ गई।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९४) से। सी० डब्ल्यू० ४५८६ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली।

३३९. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

१० अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

तुम कम दूध लेकर सर्वथा उचित ही कर रहे हो। और कुछ कहनेको नही है।

बापूके आशीर्वाद

गजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५८५) से।

३४०. पत्र : उमाबाई एल० आठवलेको

सेगाँव
११ अगस्त, १९३८

प्रिय भगिनी,

आशा है कि आप नाना[1] के गुजर जानेका शोक नहीं ही करती होंगी। आपका धैर्य देखकर मैं तो मुग्ध हो गया हूँ। आपको देखकर मैं नानाके त्याग और संयमको अधिक समझ पाता हूँ। नानाका शरीर छूट गया, किन्तु उनकी आत्मा तो सदा महिला आश्रममें ही रहेगी और अनेक बहनोंके लिए प्रेरणादायक होगी।

मो० क० गांधी
के वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]
बापूकी विराट वत्सलता, पृ० ७५

१. नरहर एल० आठवले, उमाबाई आठवले का पुत्र।

३४१. पत्र : महादेव देसाईको

११ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

जयरामदासको हैदराबादके पतेपर संलग्न [पत्र] भिजवा देना। यदि सम्भव हो तो निम्न तार आज ही भेज देना।

"जयरामदास

प्रेम-भवन

है० बाद, (दक्कन)

गिरधारीजीदासने तुम्हारे स्वास्थ्यके बारेमें बताया। तुम्हें सिन्ध अवश्य छोड़ देना चाहिए। जी० डी० तो नैनीताल ही सुझायेंगे। स्नेह, बापू।"[1]

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२३)से।

३४२. पत्र : बलवन्तसिंहको

११ अगस्त, १९३८

चि० बलवंतसिंह,

प्रेमजीको अच्छा हो तो आज जानेको तैयार रहे। बवासीरके बारेमें झवेरभाईको लिखुंगा। वे कटवा देंगे।

बाकेलालके बारेमें मुन्नालालसे बात करो। मैंने तो कर ली है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९०८)से।

१. तारवाला अंश अंग्रेजीमें है।

३४३. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
१२ अगस्त, १९३८

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मिला। तू अधीर मत हो। मैं अपनी योग्यताके अनुसार तेरा काम कर रहा हूँ। किन्तु यदि तू उतावली मचाकर उसे न बिगाड़े तो अच्छा हो। तुझे रामचन्द्रन आदिपर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि तू उनका अनादर करेगा तो मेरा काम बिगड़ जायेगा। पेचिश हो जानेके बारेमें सरस्वतीका पत्र आया है, इसलिए मैंने रामचन्द्रनको तार दिया है। इस मामलेमें मैं जरा भी गफलतमें नहीं रहता।

यह कहना कितना मूर्खतापूर्ण है कि तुझे हैजा क्यों नहीं हुआ। मैंने तेरे बारेमें जो निदान किया है यदि उसे स्वीकार कर ले तो तू शीघ्र प्रगति करने लगेगा। नाना आठवले कल सिधार गये[1]।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४६)से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

३४४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
१२ अगस्त, १९३८

भाई वल्लभभाई,

यदि तुम अ० भा० कां० की बैठक बम्बईमें करना चाहो तो अवश्य करो। दिल्लीमें करना तो ठीक नहीं। यदि मेरी हाजरी निहायत जरूरी हो तो बैठक बम्बई में बुलाना। सबसे अच्छी जगह तो वर्धा ही है। यदि तुम्हें भी यही लगता हो तो तार करके जमनालालसे पूछ लो। सुविधाके खयालसे तो बम्बई ही ठीक रहेगी। मेरी सुविधा देखनेकी कोई जरूरत नहीं। यदि अ० भा० कां० क० की बैठक बुलानेका नोटिस जल्दी निकल जाये तो अच्छा हो। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। अधिक विचार करता हूँ तो मन बम्बईकी तरफ ही झुकता है। इलाहाबादके बारेमें भी सोचा

१. देखिए "पत्र : उमाबाई एल० आठवलेको", पृ० २७०।

जा सकता है। हम कभी इकट्ठे ही नहीं होते। परन्तु यह तो सिर्फ तुम्हारे सोचने के लिए है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२३

३४५. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सेगाँव, वर्धा
१२ अगस्त, १९३८

भाई घनश्यामदास,

इसे पढ़ो और अपना अभिप्राय बताओ। जो पैसे तुम्हारे मार्फत मिलते हैं उसका उपयोग ऐसे कामोंके लिये बगैर सम्मतिके मैं नहीं करना चाहता हूं। और आजकल जो खर्च मैं कर रहा हूँ उस दृष्टिसे इतनी बड़ी रकम मैं न भी बचा सकुं। कैसे भी हो मैं इस बारेमें तुमारा स्वतंत्र अभिप्राय चाहता हूं। शौकत दाक्तरके पास आज कुछ नहीं है। बेगम अनसारीके पास कुछ छोटीसी देहात है उसपर दा० अनसारीके भाई दावा करते हैं। किसीकी इच्छा हेरल्डको मदद करनेकी नहीं है। शौकत और झोहरा अनसारीकी बेटीकी है। अनसारी तो हमेशा पैसे देते ही थे। पता नहीं धर्म क्या कहता है। मुझे खुल्ले दिलसे लिखीयो।

बापूके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७९९४ से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

३४६. पत्र : सरस्वतीको

सेगाँव
१२ अगस्त, १९३८

चि० सुरू,

तू पगली ही है कैसा खत लिखती है। एक दिन शांत अनेक दिन अशांत ऐसी रहेगी तो तेरा और कांतिका जीवन नष्ट हो जायगा। सब कार्य धैर्यसे ही बन सकते हैं। तू धैर्य छोड़ बैठेगी तो सब काम बिगड जायगा। इसलिये मेरी बात मानेगी तो शांत होकर अच्छी हो जायगी। तेरी अशांतिमें मैं भी क्या मदद दे सकुंगा? मैं तो चाहता हूँ कि तू जल्दी कांतिसे मिल। लेकिन धर्मपथको छोड़कर तो नहीं? मर्यादाको छोड़कर भी नहीं? देख अब क्या करना चाहती है। जल्दी

अच्छी हो जा। डीसेंटरीको दूर कर दे। तेरे ईस वखतके खतसे मुझे कष्ट काफी होता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७१) से। सी० डब्ल्यू० ३४४५ से भी; सौजन्य: कान्तिलाल गांधी।

३४७. क्या हिंसाका प्रवेश हो रहा है?

महादेवकी मार्फत मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें कांग्रेसियो द्वारा किये जा रहे हिंसामय व्यवहारके बारेमें शिकायतें की गई हैं। एक शिकायत यह है कि शांतिमय धरनाके नामपर धरनेदार ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो लगभग हिंसाकी कोटि के ही माने जायेंगे। उदाहरणके लिए, वे लोग एक प्रकारकी मानव-दीवार बनाकर जम जाते हैं, जिससे खुद चोट खाये बिना या उन लोगोंको चोट पहुँचाये बिना कोई उनके आर-पार आ-जा ही नहीं सकता। शान्तिमय धरनाके जनकके नाते मुझे तो ऐसा एक भी प्रसंग याद नही आता जब मैंने ऐसे धरनेको प्रोत्साहन दिया हो। एक भाईने मेरे खिलाफ धरासणाका उदाहरण दिया है। मैंने धरासणाके नमक-भण्डारपर कब्जा करनेका सुझाव दिया था। लेकिन वह बात प्रस्तुत प्रसंगमें बिलकुल लागू नही होती। धरासणामें तो हमारा लक्ष्य नमक-भण्डार था — हमें सरकारसे उसका कब्जा छीनकर उसपर खुद काबिज रहना था। उस कार्रवाईको धरना देना शायद ही कहा जा सकता हो। लेकिन कर्मचारियोंके सामने खड़े होकर उन्हें कामपर जानेसे रोकना सरासर हिंसा है और इसका त्याग कर देना चाहिए। इस परिस्थितिमें मिल-मालिकों या अन्य कारखानोके स्वामियोंका पुलिसकी सहायता लेना सर्वथा उचित होगा और अगर सम्बन्धित कांग्रेसी अपनी ऐसी हरकतोसे बाज नही आते तो पुलिसकी सहायता सुलभ कराना हर कांग्रेसी सरकारका कर्त्तव्य होगा।

मेरे ध्यानमें जो एक दूसरा उदाहरण लाया गया है वह यह है कि कांग्रेसियोकी एक टोलीने एक कांग्रेस कमेटीके कार्यालयपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यद्यपि उस कमेटीको प्रान्तीय कमेटीकी मान्यता प्राप्त है। यह तो अक्षम्य अराजकता है।

तीसरा उदाहरण शोर मचाकर तथा अन्य प्रकारसे बाधा डालकर सभा भंग करवानेके बारेमें है।

चौथा उदाहरण पूंजीपतियोंको वर्गतः गालियाँ देने और लोगोंको उन्हें लूट लेनेको भड़कानेका है।

ये सारे-के-सारे हिंसा तथा अनुशासनहीनताके स्पष्ट उदाहरण हैं। सुना है कि ऐसी अराजकता बराबर बढ़ती ही जा रही है। मेरे सामने एक ऐसा पत्र पड़ा हुआ है जिसमें बड़े जोरसे यह शिकायत की गई है कि जहाँ पुराने शासनमें पूंजीपतियो को न्याय मिल जाया करता था, वहाँ कांग्रेसी शासनमें उन्हें न केवल न्याय नही मिलता, बल्कि अपमानित और तिरस्कृत भी किया जाता है।

इसमें सन्देह नही कि ब्रिटिश प्रणाली पूँजीवादके साथ पक्षपात करती है। कांग्रेसका लक्ष्य करोड़ों अभावग्रस्त लोगोके लिए न्याय प्राप्त करना है इसलिए वह पूँजीवादका पोषण नही कर सकती। लेकिन कांग्रेसने जबतक अहिंसाको अपनी बुनियादी नीतिके रूपमें अपना रखा है तबतक वह किसीका कुछ जबरदस्ती छीन नही सकती; और वह किसी भी वर्गके लोगोको किसी भी प्रकारसे अपमानित या तिरस्कृत होने दे या किसी काग्रेसी या काग्रेसियोकी किसी टोलीको कानूनको अपने हाथोमें लेने दे, यह बात तो और भी असम्भव है।

इसी प्रकार काग्रेस हिंसामय धरना या हिंसा भड़कानेवाले भाषण भी सहन नही कर सकती।

यदि हिंसाको समय रहते नही रोका गया तो काग्रेस अपने आन्तरिक दोषोसे ही टूटकर बिखर जायेगी। इस बुराईको अविलम्ब निर्मूल कर देना प्रान्तीय तथा उससे नीचेकी काग्रेस कमेटियोके अध्यक्षोका काम है। इसके विपरीत, अगर आमतौर पर सभी काग्रेसी अहिंसासे ऊब गये हो तो कांग्रेस-संविधानकी पहली धाराको जितनी जल्दी बदल दिया जाये, सभी सम्बन्धित लोगो तथा देशका भी उतना ही भला होगा। इस महान् संस्थाके बारेमें हम किसीको यह कहनेका मौका न दें कि इसने सत्य और अहिंसाका पाखण्ड रचकर असत्य और हिंसासे काम लिया।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १३-८-१९३८

३४८. व्याख्या या विपर्यास ?[1]

मेरे "विधान-सभाओके अध्यक्ष और राजनीति" शीर्षक लेख[2] के बारेमें एक सज्जनने मुझे काफी लम्बा पत्र लिखा है। पत्रमें जो बातें कही गई है उन्हें प्रश्न-रूपमें इस प्रकार रखा जा सकता है:

> आपने कहा है कि भारत सरकार-अधिनियमकी भाषाका खीच-तान करके उससे जहाँतक बन पड़े, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए जिससे स्वतन्त्रता-आन्दोलनको अधिक-से-अधिक बल मिले। इसमें आपका आशय क्या यह है कि अध्यक्षको इस अधिनियमकी किसी भी धाराको जान-बूझकर इस तरह तोड़ना-मरोड़ना चाहिए अथवा वह जान-बूझकर इस तरह तोड़-मरोड सकता है, जिससे उसका वांछित अर्थ निकल सके?

मेरे लेखका ऐसा अर्थ किया जा सकता हो, तो यह मेरे लिए आश्चर्यका विषय होगा। इसका मतलब तो असत्यको बढावा देना होगा। किसी धाराका जो स्पष्ट अर्थ

१. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत छपा था।
२. देखिए पृ० १९५-९७।

है उसका उससे विपरीत अर्थ लगानेवाला अध्यक्ष इस उच्च पदके योग्य नहीं है और वह कांग्रेसके उद्देश्यको कलंकित करता है। सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकताके सम्बन्धमें कांग्रेसकी जो प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा तो अध्यक्षको हर कीमतपर करनी है। लेकिन वास्तवमें उस लेखमें मेरा आशय यह था कि जिस धाराके स्पष्टतः दो या इससे भी अधिक अर्थ लगाये जा सकते हो, अध्यक्ष उसका वही अर्थ लगाये जो राष्ट्रीय उद्देश्यके हितमें हो। और जिस धाराका केवल एक ही अर्थ लगाया जा सकता हो और उस अर्थसे स्पष्ट रूपसे लोगोंकी स्वतन्त्रतापर अंकुश लगता हो तो अध्यक्षको बेहिचक उसका वही अर्थ लगाना चाहिए। मुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अध्यक्षके ऐसे निष्पक्ष व्यवहारसे कांग्रेसकी इज्जत बढ़ेगी और जिस हदतक उसकी इज्जत बढ़ेगी, उस हदतक उसकी नैतिक प्रतिष्ठामें भी वृद्धि होगी। कांग्रेसने हिंसाका त्याग किया है, इसलिए उसकी शक्तिका आधार कांग्रेसियोंका नैतिकबल और निर्भयता ही है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १३-८-१९३८

३४९. पत्र : शौकतुल्ला शाहको

सेगाँव, वर्धा
१३ अगस्त, १९३८

प्रिय शौकत,

कुमारी हैरिसनने यह दूसरी किस्त भेजी है। मुझे भोपाल [के नवाब] से कोई खबर नहीं मिली है। मेरी समझमें नहीं आता कि अब क्या किया जाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसमें समय लगता है। क्या गाँवके बारेमें कुछ हो सकता है? मुझे कुछ मिल भी जाये, तो भी मैं नहीं समझता कि उतना अर्थात् ९०० पौण्ड जितनेकी गारंटीकी जरूरत है, मिल सकते हैं।

जोहरा कैसी है?

सस्नेह,

बापू

[पुनश्चः]

जवाब देते समय सहपत्रोंको कृपया लौटा दें।

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३५०. पत्र : महादेव देसाईको

१३ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

ये पत्र भिजवा रहा हूँ। घनश्यामदासके पत्रके साथ ही अगाथाका पत्र भी जाना चाहिए था, किन्तु वह रह गया। अब मैं उसकी नकल करा रहा हूँ। प्यारेलालको १००.६° ज्वर है और कमजोरी बनी हुई है। जो हो, सो ठीक है। तुम अपने समयसे ही आना। इलाज चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

पेरीन बहनके पत्रकी वहाँसे नकल करवाकर यहाँ ले आना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२४) से।

३५१. पत्र : द० बा० कालेलकरको

१३ अगस्त, १९३८

चि० काका,

पहले तुम चलने-फिरने लायक हो जाओ, फिर हम खुराकमें रद्दोबदल करनेके बारेमें चर्चा कर लेंगे। यह तो मैं अभीसे कहे देता हूँ कि तुम्हारा तर्क सही नहीं है। यदि अमृतलाल सबकी खुराकमें से कुछ खाने लगे तो वह तुम्हारी सेवाके लायक नहीं रहेगा। किन्तु इस सम्बन्धमें हम बादमें बहस कर लेंगे।

मैं अमृतलालसे घी के बारेमें बातचीत कर लूँगा। प्यारेलालका बुखार १०४° तक पहुँच गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० १०९०५) से।

३५२. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

१३ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

आशा है, काकाकी रात अच्छी बीती होगी। यहाँ प्यारेलाल टाइफाइडमें पड़ा हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७५७) से।

३५३. पत्र : जीवणजी डी० देसाईको

सेगाँव, वर्धा
१४ अगस्त, १९३८

भाई जीवणजी,

तुम मुझसे किस तरहके लेखकी आशा करते हो? क्या मुझे इससे मुक्त नहीं कर सकते? यदि मैं तुम्हारे सौंपे हुए अन्य काम कर सकूँ, तो तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए।

'आत्मकथा' के बारेमें मैं समझ गया।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९९४६) से। सी० डब्ल्यू० ६९२१ से भी; सौजन्य : जीवणजी डी० देसाई।

३५४. पत्र : महादेव देसाईको

१४ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

मैंने अभी-अभी तुम्हारी डाक देखी। यदि मेरी चिन्ता करनेसे तुम्हें मानसिक शान्ति मिलती हो तो अवश्य चिन्ता करो। यह मामला ही ऐसा है कि जिसके कारण मुझे शान्ति नही मिल पाती। मौन रहकर तो मैं अच्छी शान्ति पा लेता हूँ। मैं यह देख पाता हूँ कि मेरी अनासक्ति कितनी उथली है। बाकी प्यारेलालके इलाजकी अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था करनेके बाद चिन्ता किस बातकी?

मैं तुम्हारा [*लेख*] *जाँच लूँगा। प्यारेलालने* १०१.२ से *शुरू किया है* वह खुश रहता है। नीद अच्छी आई। अभी सो रहा है। वह ऊपरसे तो शान्त दिखता है। वह मुझसे किसी बातकी जिद नही करता। देखें क्या होता है।

मृदुको निम्न तार भेज देना:

"सत्रह-उन्नीसके बीच आ सकती हो। आशा है मदन बेहतर होगा। सभीको स्नेह। बापू।"

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२५) से।

३५५. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

१४ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

हमारे पास जो घी था वही है। बा का कहना है कि यदि इसे फिर गरम कर लिया जाये तो यह ठीक हो जायेगा।

काकाको पतला पाखाना आता है, इसकी कोई चिन्ता नही। वे धीरे-धीरे ही अच्छे होंगे। प्यारेलाल ठीक ही है। ८-४५ पर यह पत्र लिखते समय [थर्मामीटर-का] पारा १०३ पर है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

अभी तो करघा नही लगा है?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७५८) से।

३५६. बातचीत : हेंगची ताओके साथ[1]

[१५ अगस्त, १९३८ से पूर्व][2]

गांधीजी : अफसोस है कि आपका स्वागत मैं ऐसे समय कर रहा हूँ जब मैं खुद मुसीबतमें पड़ा हुआ हूँ। आपसे बातचीत करनेके लिए भी अपना मौन तोड़नेमें मैं असमर्थ हूँ। लेकिन आपको तो जो-कुछ कहना है, बेशक कहिए। मैं नही बोलूंगा, आप तो बोल सकते हैं।

प्रो० ताओने बताया कि वे अखिल चीनी जन कार्य-परिषद् (पीपुल्स काउंसिल ऑफ ऐक्शन ऑफ ऑल चाइना) के सदस्य हैं। यह परिषद १४० या १५० सदस्योंकी एक संस्था है। इसमें चीनके सभी दलोंके प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके तत्त्वावधानमें सारा चीन जापानी आक्रमणका मुकाबला करनेके लिए एकजुट हो गया है। . . . सबपर आये इस संकटका सामना करनेके लिए सभी दल च्यांगकाई-शेकके सर्वोच्च सैनिक कमानके अधीन एक होकर संघर्ष कर रहे हैं। . . . प्रो० ताओको इस बातकी खुशी थी कि चीनके प्रति भारतकी सहानुभूतिके प्रतीक-स्वरूप भारतीय डाक्टरोंका एक दल चीन जा रहा है। उन्होंने गांधीजी से पूछा कि इस लड़ाईमें चीनी कैसे सफल हो सकते हैं। इस सम्बन्धमें क्या वे कोई सुझाव देंगे।

गां० : मुझे नहीं लगता कि इस समस्यापर अभी मैं कोई प्रकाश डाल सकता हूँ। मेरी पद्धति इतनी अधिक भिन्न है कि वह आपके संघर्षपर लागू नहीं हो सकती। आप संघर्षके प्रवाहको एकाएक बदल नहीं सकते। शस्त्र-सज्जित राष्ट्र अचानक शस्त्रों का त्याग करके अहिंसा-रूपी अस्त्रको नहीं अपना सकता।

प्रो० ताओ इस मुश्किलको समझ गये। उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आक्रमण इतना अचानक और बेवजह किया गया कि उन लोगोंको सोचनेका मौका भी नहीं मिला। लेकिन वे (प्रो० ताओ) राष्ट्रीय पुनर्निर्माणकी समस्याओंकी चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि किसानोंको शिक्षित करनेके लिए उन्होंने विश्व-विद्यालयकी नौकरी छोड़ दी है और वर्धा शिक्षा-योजनामें उनकी बड़ी रुचि है। उनका प्रश्न था : "इस योजनाका सार क्या है?"

१. महादेव देसाईकी "टिप्पणियाँ" शीर्षकसे उद्धृत। चूँकि उन दिनों गांधीजी का मौन चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बात लिखकर कही।

२. देखिए "पत्र : महादेव देसाईको", पृ० २८३। इस पत्रसे प्रकट होता है कि गांधीजी प्रो० ताओसे १५ अगस्तसे पूर्व मिले थे।

गां० : इस योजनाकी मुख्य बात यह है कि किसी ग्रामोद्योगके माध्यमसे बच्चोंमें निहित सम्पूर्ण सम्भावनाओं और क्षमताओंको निखारा जाये।

प्रो० ताओने कहा कि लेकिन मुश्किल तो इस कामके लिए उपयुक्त शिक्षक प्राप्त करनेकी है। गांधीजी ने इसपर हँसते हुए बताया कि "यही कठिनाई हमारी भी थी।" प्रो० ताओका प्रश्न था: "इसके लिए ठीक क्या रहेगा — प्रशिक्षित शिक्षकोंका कोई दस्तकारी सीखना या कारीगरोंका अध्यापन-कला सीखना?"

गां० : यह आशा तो की ही जा सकती है कि कोई औसत शिक्षित व्यक्ति किसी भी दस्तकारीमें आसानीसे महारत हासिल कर सकता है। उदाहरणके तौरपर आप अपनेको ही लीजिए। फर्ज कीजिए आपको बढ़ईगिरी सीखनी है तो इस काममें आपको जितना समय लगेगा, किसी कारीगरको अवश्य सामान्य शिक्षा प्राप्त करनेमें उससे बहुत अधिक समय लगेगा।

प्रो० ताओ: लेकिन हमारे शिक्षित लोग तो बड़े-बड़े ओहदों और मोटी-मोटी रकमोंके पीछे पागल हैं। इसके प्रति उनमें कैसे रुचि जगाई जाये?

गां० : यदि योजना सही है और शिक्षित लोगोके मनको जँच जाती है तो वह अपने-आपमें पर्याप्त आकर्षक साबित होगी और शिक्षित युवकोंको पैसेके लोभसे विमुख कर देगी। यदि वह शिक्षित युवकोमें पूरी देशभक्ति नही जगा सकी तो वह निश्चय ही विफल रहेगी। एक दृष्टिसे हमारी स्थिति सुविधाजनक है। जिन लोगोने भारतीय भाषाओंके माध्यमसे शिक्षा प्राप्त की है, वे कालेजोंमें प्रवेश नही पा सकते। सम्भव है कि उन्हें यह योजना आकर्षक लगे।

प्रो० ताओने कहा कि हमारे वर्तमान राजनीतिक संघर्षमें उनकी बड़ी रुचि है। उन्होंने यह जानना चाहा कि हम केन्द्रमें सत्ता कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं?

गां० : यदि हम सात प्रान्तोंमें अपने उद्देश्यके प्रति ईमानदार साबित होगे तो उससे हमें जो बल प्राप्त होगा, वह हमें केन्द्रमें भी सत्ता प्राप्त करनेके मार्गपर आरूढ़ करेगा।

ता० : लेकिन कांग्रेसकी शक्तिका अनुभव लोग सब जगह कर रहे हैं और उसकी शक्ति बढ़ी भी है। है न?

गां० : हाँ, कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। लोगोंमें अपनी शक्ति-सामर्थ्यका बोध जगा है। इस बातको सरकार भी मानती है। लेकिन मुझे डर यह है कि इस शक्तिके मदमें चूर होकर हम कहीं अपना सन्तुलन न खो बैठें।

प्रो० ताओ फिर जन-शिक्षाके सवालपर आ गये। उन्होंने चीनमें प्रचलित 'रिले'-पद्धति समझानेकी कोशिश की। इसके अनुसार प्रत्येक, स्त्री या पुरुष, वह जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वह अन्य ऐसे लोगोंको भी देना पड़ता है जिससे मिलनेका अवसर उसे प्राप्त होता है। यहाँतक कि बच्चा या "बाल" शिक्षक भी जो-कुछ सीखता है, वह सब उसे अपने अनपढ़ माता-पिताको बताना पड़ता है। इस पद्धतिसे चीनी लोग व्यापक रूपसे अशिक्षा और अज्ञानको मिटा रहे हैं।

गां० : इस पद्धतिके द्वारा यह सम्भव है, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि "रिले" पद्धतिमें शिक्षकों और "बाल" शिक्षकोंको कैसे शिक्षा दी जाती है, फिर वे अन्य लोगोंको कैसे शिक्षा देते हैं और इसका परिणाम क्या निकला है, इस सम्बन्धमें आप एक छोटी-सी टिप्पणी लिखकर मुझे दें।

इसपर प्रो० ताओने कहा कि वे खुशी-खुशी ऐसी टिप्पणी लिखकर दे देंगे।

लेकिन वे चीनी जनताके नाम गांधीजी से कोई सन्देश लिये बिना जानेको तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि गांधीजी अहिंसाका सन्देश दें तो वह भी ठीक रहेगा। . . . उनका कहना था कि चीनी लोग आत्म-रक्षाके सशस्त्र युद्धमें जरूर लगे हुए हैं, लेकिन अन्य दृष्टियोंसे वे अहिंसाका ही पालन कर रहे हैं। . . . २० मईको चीनी विमानोंने जापानके कई शहरोंपर उड़ानें भरीं। अगर वे चाहते तो जापान द्वारा चीनके कई बन्दरगाहोंपर बमबारी किये जानेके प्रतिशोध-स्वरूप उन शहरों पर सहज ही बम गिराकर वहांके जापानियोंके बीच मृत्यु और विनाशकी लीला मचा देते। लेकिन वहाँ बम बरसानेके बजाय उन्होंने पर्चे गिराये, जिनमें युद्धको अनौचित्य बताया गया था।

गां० : लेकिन जब परीक्षाकी असली घड़ी आयेगी, तब यह स्वेच्छासे अपनाया गया संयम नहीं टिक पायेगा। हिंसापर उतरनेका लोभ संवरण करना असम्भव हो जायेगा। इसपर मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। यह तो अवश्यम्भावी है। युद्धमें प्रेमके लिए कोई स्थान नही है। अन्तमें हमें इसी निष्कर्षपर पहुँचना है कि या तो हमें सम्पूर्ण अहिंसाका पालन करना है या फिर विशुद्ध हिंसासे काम लेना है। क्या यह सन्देश पर्याप्त नही है?

प्रो० ताओने पूछा कि क्या चीनी लोग ऐसी आशा कर सकते हैं कि किसी दिन आप उनके यहाँ भी जा सकते हैं।

गां० : मै तो आपके देश लगभग पहुँच ही चुका था। लेकिन इसी बीच वहाँ उपद्रव हो गये और इसलिए जिन लोगोने मुझे आमन्त्रित किया था उन्हीको मुझे आनेसे मना कर देना पड़ा। मेरी प्रबल इच्छा है कि अपने जीवनमें ही मैं आपके देशमें शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो चुका देखूँ। आपके महान् देशके दर्शन करनेसे अधिक प्रसन्नताकी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है?

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २७-८-१९३८

३५७. पत्र : सी० पी० रामस्वामी अय्यरको

[१५ अगस्त, १९३८][1]

प्रिय मित्र,

आर० के और उनके जरिये राज्य-कांग्रेसके ज्यादा ठीक मार्गदर्शनके लिए और यदि हो सके तो राज्य तथा जनताके बीच टकराव न होने देनेके लिए मैं श्री राजकुमारी अमृतकौरको भेज रहा हूँ। वे परिस्थितिका अध्ययन करेंगी और मित्रवत् सहायता देंगी। यहाँसे वे कल रवाना होने और बीचमें एक दिन मद्रास रुककर वहाँसे त्रिवेन्द्रमके लिए चल देनेकी उम्मीद करती हैं। राजकुमारी न तो सार्वजनिक सभाओं में भाषण करेंगी और न सार्वजनिक रूपसे कोई प्रचार ही करेंगी। मुझे आशा है कि आप उनकी सेवाओंका पूरा-पूरा उपयोग करेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ४२१७) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७८५३ से भी।

३५८. पत्र : महादेव देसाईको

१५ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

प्यारेलालका बुखार तो १०४° के ऊपर पहुँच गया। जल्दी उतर जानेकी आशा करना तो निरर्थक है। इतना ही है कि आज सोमवार होनेके बावजूद उसने मुसम्बी और नीबूका रस पिया। वह खुश नजर आता है। सुशीला तो उसकी परिचर्यामें तल्लीन है। प्यारेलाल उसके सिवा और किसीसे परिचर्या कराता ही नहीं। उसके अतिरिक्त गाँवमें उसके लिए हैजेका काम तो है ही। भगवान् दोनोंकी रक्षा करे।

एक लेख भेज रहा हूँ। दूसरा बर्मा[2] के बारेमें अभी-अभी पूरा किया है। अब अँगुलियाँ काम करनेसे इनकार कर रही हैं।

सरूपको तो तुम्ही लिखना। उसे जो भेज सको सो भेज देना।

१. पत्रमें गांधीजी अमृतकौरके बारेमें कहते हैं: "यहाँ से वे कल रवाना होनेकी उम्मीद करती हैं।" अमृतकौर १६ अगस्त को रवाना हुई थीं।

२. देखिए "बर्मामें हालके दंगे", २०-८-१९३८।

मथुरादासको निम्नलिखित तार भेज देना :

"तुम्हारी व्यवस्था पक्की है। सन्देह उचित किन्तु शामिल किया जाना अनिवार्य जान पड़ता है। बापू।"[1]

आस्ट्रेलियावाले भाईको ले आना। जब ताओको मैंने इतना समय दिया था तो इन्हें क्यों नहीं दूंगा।

बर्माके सम्बन्धमें लेख तो कल ही भेजा जा सकेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२६) से।

३५९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
१५ अगस्त, १९३८

भाई वल्लभभाई,

तुमने राजकोट जाकर बहुत ही अच्छा किया। जबतक तुम्हारे भाग्यमें यश बदा है, तबतक ऐसा ही होगा। चूडगर[2] दिग्भ्रमित है। वह जो चाहे सो करे। यदि रियासतके लोगोंमें पानी हो और वे आसमानमें उड़नेकी कोशिश न करें तथा बाहरी सहायताकी आशा किये बिना शान्तिपूर्वक जूझें, तो अवश्य विजयी होंगे। और यदि कांग्रेस अपने सैद्धान्तिक मार्गको नहीं छोड़ेगी तो रियासतोंमें भी कांग्रेसका जोर बढ़ जायेगा।

तुम्हें तो बीमार होना ही था। तुम सरदार दूसरोंके हो, स्वयंके तो दास ही जान पड़ते हो। सच्चा सरदार तो वही है जो स्वयं अपने ऊपर सरदारी करे। यदि समयपर नियन्त्रण रखो और सभी कामोंके लिए नियम बना लो तो तुम दीर्घजीवी होगे। 'सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले' यह मानकर इस बातको यों ही उड़ा मत देना। महादेव भी अपनी करनीका फल भोग रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२३-२४

१. तार अंग्रेजीमें है।

२. पोपटलाल लालजीभाई चूडगर, सौराष्ट्रके एक प्रसिद्ध बैरिस्टर।

३६०. पुर्जा: अमृतकौरके लिए

[१६ अगस्त, १९३८ या उससे पूर्व][1]

मैं तुमको ये दो काम सौंपता हूँ:

(१) श्रावणकोर जाकर झगड़ेका निबटारा करना;

(२) २३ सितम्बरको आरम्भ होनेवाले जन्म-दिवस समारोहोके लिए काठियावाड़ जाना।

दोनों काम तुम अच्छी तरह कर सकती हो। लेकिन जानेका मन न करे, तो मत जाओ।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४२१९) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७८५५ से भी।

३६१. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको

१६ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

आशा है, काका कुछ-कुछ चलने लगे होंगे। प्यारेलाल ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७५९) से।

३६२. पत्र: विजया एन० पटेलको

१६ अगस्त, १९३८

चि० विजया,

तेरा पत्र मिला। क्या तू अब अहमदाबादमें रहकर अच्छे होनेकी बात सोचती है। वहाँ कोई खास खूबी है क्या? हाँ, यदि तू वहाँ डाक्टरोंसे मिलना चाहे तो बात अलग है। किन्तु ठीक है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि तू कहीं भी रहकर स्वस्थ हो जा। तेरा कितना सुन्दर शरीर अब छलनी हो गया है। इसके बाद तुम मुझे हरिजन-निवास, किंगस्वे, दिल्लीके पतेपर लिखना। मैं वहाँ आठ दिन तो

१. इस पुर्जेपर स्वयं अमृतकौर द्वारा दी गई तिथि "सेगाँव, अगस्त, १९३८" है। अमृतकौर १६ अगस्त तक सेगाँवमें थीं।

रहूँगा ही। बा मेरे साथ जायेगी। अमृतलाल यहाँ परसों आया था। नानाभाई भी आया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९५) से। सी० डब्ल्यू० ४५८७ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

३६३. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

१६ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

दूध जल्दी भेज देना। राजकुमारी आज त्रावणकोर जा रही है। प्यारेलाल पहलेसे बेहतर है। बुखार बना ही हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५८७) से।

३६४. तार : अमृतकौरको

वर्धागंज
१७ अगस्त, १९३८

राजकुमारी
मार्फत : अम्मु स्वामिनाथन
मद्रास, चेतपुत

प्यारेलालकी तबीयत कोई खास खराब नहीं। मेरा वजन एक पौण्ड बढ़ गया है। तुम भली-चंगी होगी। सस्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७५) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०३१ से भी।

३६५. पत्र : अमृतकौरको

सेगाँव
१७ अगस्त, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

तुम्हारी.जैसी हालत थी उसमें तुमको विदा करनेको मन नहीं कर रहा था।

यह पत्र लिखते समय प्यारेलालकी तबीयत पहले-जैसी ठीक नही है। रात उसकी बेचैनीमें कटी। लेकिन मनकी गहराईमें कहीं मुझे विश्वास है कि वह चंगा हो जायेगा।

शुएब कुरैशी ठीक समय और उसी गाड़ीसे आये जब और जिस गाड़ीसे तुम गई।

तुम अपना चश्मा और कुछ कागजात यहाँ छोड़ गई हो। कागजात मैं साथमें भेज रहा हूँ। चश्मा अपने ही पास रख रहा हूँ। आगे तुम इसको भेजने या रखनेके बारेमें जैसा लिखोगी वैसा करूँगा।

आशा है, तुम वहाँ स्वस्थ रहोगी। अपनी शक्तिसे अधिक काम मत करना। अपने कामके बारेमें चिन्तित मत रहना।

मैं चंगा हूँ। पथ्य और मौन चल रहे हैं। मौन रखनेसे मुझे आवश्यक शान्ति मिलती है। फिलहाल अपनी खुराक बढ़ाना मेरे लिए ठीक नही।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७४) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०३० से भी।

३६६. पत्र : क० मा० मुंशीको

१७ अगस्त, १९३८

भाई मुशी,

तुम्हारी मुसीबतोंमें गिरीश[1] का बुखार एक बहुत बड़ी परेशानी है। बार-बार बुखार आनेकी बात समझमें नही आती। इसके निवारणके लिए वह पूरा भजन जिसकी एक पंक्ति मैंने लीलावतीको भेजी थी, नकल करवाकर भेज रहा हूँ। मुझे तो इस भजनसे बहुत आश्वासन मिला है।

"राइफल क्लब" के बारेमें मेरी राय इस प्रकार है : इस मामलेमें कार्य-समिति की राय लो। मुझे लगता है कि हम इनकार नही कर सकते। जो यथारीति

१. क० मा० मुशीका पुत्र।

नियमावली बनाकर भेजें उन्हें लाइसेन्स दिये जा सकते हैं। इस खर्चका बोझ कांग्रेस-सरकार नहीं उठायेगी। उसकी नीति तो अहिंसात्मक ही रहेगी।

मैं 'हरिजन' में लिखनेको तैयार रहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७६४०) से; सौजन्य: क० मा० मुंशी।

३६७. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको

१७ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

मैं यह मान लेता हूँ कि तुम बालको रोज लिख ही रहे हो। मैंने उसे नियमित रूपसे लिखनेमें लापरवाही की है। काकासे कहना कि अभीसे भविष्यके बारेमें न सोचें। उनके अच्छे हो जानेपर सब-कुछ हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

प्यारेलालकी हालत आज ठीक नहीं है। किन्तु चिन्ताकी भी कोई बात नहीं है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६०) से।

३६८. पत्र: चिमनलाल एन० शाहको

१७ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

मैंने ऑपरेशनके बारेमें सुशीलासे सब-कुछ समझ लिया है। यदि बा की शिकायतें पूरी तरह दूर हो जायें तो शरीरको बनानेमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आशा है, तुम्हें नियमित रूपसे दूध मिलता होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

प्यारेलालकी हालत आज ठीक नहीं है। किन्तु चिन्ताकी कोई बात नहीं है।

शंकरन्से कहना कि मुझे उसका पुर्जा मिल गया है। वह तबदीली चाहता है। उसकी खुराक आदिके बारेमें पूछना। वह मुझे फिर लिखे।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५८८) से।

३६९. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

१८ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

काकाके बारेमें तो सचमुच खुशखबरी दी। आशा है, सुधार जारी रहेगा। प्यारेलालकी नैया तो मँझधारमें है। तुम्हारे बुखारकी अपेक्षा उसका बुखार हलका है। कल १०५° तक गया था। एक कारण यह भी हो सकता है कि उसकी प्रकृति कठोर है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

विजयाका मुझे कोई पत्र नही मिला। मैंने उसे लिखा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६१) से।

३७०. पत्र : विजया एन० पटेलको

सेगाँव

१८ अगस्त, १९३८

चि० विजया,

तू पत्र लिखनेमें बहुत आलस करती है। यह नही हो सकता। हर तीसरे दिन पत्र लिखनेकी बात है न? दिये हुए वचनका पालन आखिरी दमतक करना चाहिए।

प्यारेलालका टाइफाइड अभी चल रहा है। सेगाँवमें हैजा तो फैला ही हुआ है। जो हो सो ठीक। मेरा आजकल पूर्ण मौन चल रहा है। इसीसे मुझे शान्ति मिलती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९६) से। सी० डब्ल्यू० ४५८८ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली।

३७१. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

१८ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

यह खुशीकी बात है कि ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया। मैं शंकरन्‌के बारेमें समझ गया। अब तुम कितने दिन वहाँ रहोगे। प्यारेलालका बुखार अपना पूरा समय लेकर ही जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५८९) से।

३७२. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

१८ अगस्त, १९३८

चि० मुन्नालाल,

यदि आज बारिश बन्द हो जाये तो आज अन्यथा किसी भी हालतमें कल तो तुम्हीं गजाननको देखने . . .?[1] बीमार पड़े हुए को . . .। यदि उसे वहाँ असुविधा होती हो तो वह हरिजन-आश्रममें रहे। उसे अपने स्वास्थ्यको . . . खतरेमें मत डालने दो . . .। यदि उसे किसी चीजकी जरूरत हो तो पूछ लेना। उसका एक साथी हैजेकी गिरफ्तमें आ गया है। वह कौन है और कहाँका है?

यहाँ सब . . . सावधानीसे . . .।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५७०) से।

१. पत्र कई स्थलोंपर अस्पष्ट है।

३७३. पत्र : महादेव देसाईको

[१८ अगस्त, १९३८ के आसपास][1]

चि० महादेव,

खरेके बारेमें सोचता रहा हूँ। लेख लिखना तो बन्द कर ही देना। प्यारेलालके बारेमें भगवान् जो रास्ता दिखाये सो ठीक।

इसके साथ बालकृष्ण[2] के थूककी शीशी है। यदि यह वापस मिल सके तो उसे इसकी जरूरत है। उसके बुखारका खयाल तो हम अभी नही करेंगे। दवा जो भेजनी हो, भेजें।

तुम्हें मेरी चिन्ता करनेकी जरूरत नही। मैं चेत गया हूँ, इसलिए कोई परेशानी नही होगी। बाकी तो जैसी प्रभु-इच्छा। शान्ताको लिखा पत्र पढ़कर उसे दे देना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

शान्तिकुमार पैसा दे सके तो बेशक दे, लेकिन जरा-सी भी खींच-तान करके नही।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११५३६) से।

३७४. पत्र : महादेव देसाईको

१९ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

महाराष्ट्रके बारेमें तुम जो लिखते हो सो मैं समझ गया हूँ। हमें तो जहाँ भगवान रखें वहाँ रहना चाहिए। महाराष्ट्र और गुजरातमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? किन्तु तुम्हें क्या अस्वाभाविक रूपसे सेगाँव आना होगा। यदि आना ही पड़ा तो तुम्हें अपना मार्ग साफ दिखाई देगा।

फिलहाल तो तुम्हारे आनेकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए वहाँ तो काम है ही। तुम्हें सैकड़ों चीजोंकी देख-भाल करनी पड़ती है। यहाँ तुम क्या करोगे? यहाँकी

१. इस तारीखके आसपास प्यारेलालकी हालत चिन्ताजनक थी। "पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको", पृ० २८९ में गांधीजी ने लिखा था "प्यारेलालकी नैया मँझधारमें है।"
२. इन दिनों बालकृष्ण भावे यक्ष्मासे पीड़ित थे।

झंझटोंमें तुम क्या भाग लोगे? प्यारेलालकी तुम क्या सेवा करोगे? और वह तुमसे क्या सेवा लेगा? सुशीलाके अतिरिक्त वह और किसीकी कोई विशेष सेवा नही लेता। अन्य लोगोंको वह बारी-बारीसे बैठने देता है। खटिया उठाने देता है। किन्तु उसकी सच्ची सेवा तो सुशीला ही करती है। इन भाई-बहनकी भी अच्छी जोड़ी है। मैंने तो ऐसी जोड़ी कही नही देखी।

लीलावतीके बारेमें मैं समझता हूँ। वहीं उसका कल्याण है, इसलिए उसे बरदाश्त करना और गढ़ना।

रविवारके बारेमें राधाकृष्णसे कहना कि उसे या अन्य किसीको किसी तरहकी तैयारी नहीं करनी है। यदि उनका विरोध न किया जाये तो वे शान्त हो जायेंगे।[1] यदि पुलिसके इन्सपेक्टर-जनरल भी न आये तो ज्यादा अच्छा हो। वे आकर करेंगे भी क्या?

सुबह वर्षा हो तो शायद शुएब रात वही वितायेंगे। उनका सामान स्टेशन चला गया है। यदि तुम्हें किसी चीजकी आवश्यकता हो तो मँगा लेना। मैंने शुएबको तुम्हारे पास ठहराना ज्यादा ठीक माना। हमें यही शोभा देता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२७) से।

३७५. पत्र: मणिलाल गांधीको

[१९][2] अगस्त, १९३८

चि० मणिलाल,

मैंने तो तुझे अपनी राय[3] भेजी है। तुझे यदि पच्चीस पौंड देनेवाले दो सौ ग्राहक मिलें या पचास पौंड देनेवाले सौ, यदि 'इंडियन ओपिनियन' का खर्च उठानेका आश्वासन मिल जाये और तुझे चन्दा उगाहनेके लिए भटकना न पड़े तो तुझे वही रहना चाहिए। तुझे अपनी कार्य-कुशलता बढ़ानी चाहिए। यदि तू वहाँ जम जाये तो सुशीला और अरुण वहाँ चले आयेंगे और सीता यहाँ रहेगी। लगता है, अकोलामें उनकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी तरह चल रही है। सुशीलाके वहाँ पहुँच जानेमे तुझे मदद तो मिलेगी ही, शान्ति भी रहेगी। मुझे इतना खेद तो रहता ही है कि जब सुशीला मेरे पास ही रह रही है तब मैं मौन धारण करके बैठा हुआ हूँ; और

१. यहाँ उन हरिजन सत्याग्रहियोंका उल्लेख है जो चाहते थे कि मध्य प्रान्तके मन्त्रिमण्डलमें एक हरिजनको सम्मिलित किया जाये; देखिए "बातचीत: हरिजन सत्याग्रहियोंके साथ", २७-८-१९३८ और "पत्र: महादेव देसाईको", २७-८-१९३८ के पश्चात्।

२. साधन-सूत्रमें '२९' है, संभवत: गांधीजी '१९' लिखना चाहते थे।

३. देखिए पृ० २६७-६८।

इसलिए मैं उसे अपनी इच्छानुसार गढ़ नहीं सकता, उसके प्रशिक्षणकी व्यवस्था नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, मैं अलग खाता हूँ इसलिए मैं उसकी और अरुणकी खुराकपर नजर नहीं रख सकता। यदि मेरी स्थिति अच्छी होती तो मैं सुशीलाके सूजे हुए और अरुणके दुर्बल शरीरको अवश्य सुधारता। किन्तु क्या किया जाये? जितना उसके भाग्यमें होगा उतना ही वह मुझसे ले सकती है। वह मेरे शिकंजेसे तो मुक्त मानी जायेगी। मेरे शिकजेमें आना कोई आसान बात नहीं है। जो हो, सब-कुछ ईश्वरकी इच्छासे ही होता है।

फिलहाल प्यारेलाल तो खाटपर पड़ा है। तीन बुरी मौतें हो चुकी हैं। अब प्यारेलाल मँझधारमें है। उसकी परिचर्या तो अच्छी तरह होती है। बच जाये तो अच्छा हो।

रामदासके बारेमें तू जो लिखता है वह ठीक है।

यह तो मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि फीनिक्समें पाठशाला नहीं चल सकती।

हेनाबहन तो अब वहाँ पुरानी पड़ चुकी होगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८०) से।

३७६. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

१९ अगस्त, १९३८

चि० मुन्नालाल,

सालेकरको दवा लानेके लिए मुक्त कर देना। उसका काम राजभूषणसे लेना। यदि इसमें कोई अड़चन आये तो सूचित करना।

बापू

[पुनश्च :]

गुणवन्तको नहीं लेना चाहिए। वह मुझसे बातचीत कर ले। मैंने एक पत्र नहीं पढ़ा है। इसके उत्तरमें अभी तार भिजवा रहा हूँ जिससे उक्त तार कल सुबह जल्दी दिया जा सके। तुम्हें परेशानी उठाकर कल सुबह नहीं आना चाहिए। यदि आसानीसे आ सको तो आ जाना। सम्भवतः इतना काफी होगा। यह एक था . . .[1]।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५६९) से। सी० डब्ल्यू० ७०३४ से भी; सौजन्य : मुन्नालाल जी० शाह।

१. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

३७७. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

१९ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

आलूबुखारोंके बारेमें जैसी गलती हुई, वैसी भविष्यमें नहीं होनी चाहिए। नाना धर्माधिकारी जिस कामके लिए आया है, उसे पूरा करके ही जाये। उसे काकाके लिए नहीं रुकना चाहिए। किन्तु यदि काका चाहें तो अवश्य रुके। यदि सचमुच देखा जाये तो मेरा कथन ही निराधार था, ऐसी स्थितिमें मेरे कथनको आधार माननेकी बात ही कहाँ थी?

मैं राखी बाँध लूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६२) से।

३७८. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

[१९ अगस्त, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० नानावटी,

काकाके बारेमें पूरे समाचार भेजो। यदि विजयाका पत्र हो तो वह भी भेजो। मेरी अपेक्षा वा ज्यादा अधीर हैं। महादेवसे मेरी यह बातचीत हो गई थी कि अस्वस्थताके कारण पंजाबका दौरा नहीं हो सकेगा। यदि यह समाचार न भिजवाया हो तो भिजवा देना। यदि जरूरत महसूस हो तो यह समाचार कल तारसे या डाकसे भेज दो। यदि धर्माधिकारी वापस न लौट गया हो तो उसे डाँट-फटकार कर आज रवाना कर दो। कोई सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अपने कर्त्तव्यको छोड़कर प्रियजनोंसे मिलनेके लिए नहीं जा सकता। उसे यह तो जानना ही चाहिए कि काकासाहबकी सेवाके लिए आवश्यक व्यक्ति होंगे ही।[2]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७५३) से।

१. पिछले शीर्षकमें नाना धर्माधिकारीके उल्लेखके आधारपर।

२. गांधीजी के आदेशानुसार पत्रपर कनु गांधीने हस्ताक्षर किये थे।

३७९. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

[१९ अगस्त, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० अमृतलाल,

मैंने तुम्हें घी भेजनेको कह दिया है। काकाके पेयमें अदरकके रसकी बूंदें डालना। यदि रसकपूर अनुकूल न आये तो आधे-आधे घंटे बाद एक औंसतक अरण्डीका तेल दिया जा सकता है। किन्तु इस बारेमें महोदवसे पूछ लेना। क्या तुमने अभीतक ग्लूकोज देना शुरू नही किया?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

मैंने राखी बाँधी थी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६४) से।

३८०. बुनकरोंको कैसे बचायें

इस कथनमें कि हाथ-करघा उद्योग मिलोकी प्रतियोगिताके बावजूद टिका रहा है, केवल आंशिक सचाई है। उदाहरणके लिए, यदि हम पचीस वर्ष पहलेके समय पर गौर करें तो कहना होगा कि तबकी तुलनामें आज करघेपर कपड़ा बुननेवालोंकी संख्या आधी भी नहीं रह गई है। एक वक्त था जब, जिस तरह राष्ट्रकी जरूरतका सारा सूत चरखेपर काता जाता था इसी तरह, जरूरतका सारा कपड़ा करघेपर बुना जाता था। जब मिलें खड़ी की गईं तो चरखेका लगभग खात्मा ही हो गया, जिसका कारण केवल यह था कि कताईसे बहुत थोड़ी कमाई हो पाती थी और यह उद्योग पूरे समयका धन्धा कभी नहीं रहा। लेकिन करघा टिका रहा, जिसकी एक वजह यह भी थी कि यह अपने-आपमें पूरे समयका धन्धा था और बुनकरोको इससे निर्वाह-योग्य मजूरी मिल जाती थी। मगर जब कताईकी मिल खड़ी की गई तो बुनकरोंने अपनी जरूरतके सूतके लिए उनका आश्रय लिया। बल्कि इस तबदीली पर वे खुश भी हुए, क्योंकि मिलोंसे उन्हें अधिक इकसार और मजबूत सूत मिल सकता था। इस बातपर उन्होंने ध्यान ही नही दिया कि अगर किसी वजहसे मिलें उन्हें सूत न दे सकी तो वे पूरी तरह लाचार हो जायेंगे। उधर मिल-मालिक अपने

१. "पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको", १९-८-१९३८ में राखीके उल्लेखसे।

सूतके मनमाने दाम रखने लगे, जो गाँवोंके कतैये नही करते थे। और मिलकी स्पर्धाके मुकाबले बिना किसी नमूनेकी सादी खादी बुननेवालोके पैर धीरे-धीरे उखड़ते गये और कालान्तरसे वे मिट गये। पिछले कुछ सालोंसे सुन्दर कपड़ा बुननेवाले भी बुनाईकी मिलोंका दबाव महसूस करने लगे हैं। जन-रुचि धीरे-धीरे, पर निश्चित रूपसे, बदल रही है। मिलें अगर गाँवके बुनकरों द्वारा बनाये कपड़ोके नमूनोंकी हूबहू नकल नहीं कर सकती हैं तो वे, जैसाकि वे करती हैं, नये-नये नमूने निकाल ही सकती हैं और ढंगसे विज्ञापन करके ग्राहकोंको भी आकर्षित कर सकती हैं। यही कारण है कि उड़ीसाके कई हजार बुनकर आज ग्राहकोंके अभावमें हाथपर-हाथ धरे बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले यही पुकार मुझे अहमदनगरसे, जो कि बुनाईका एक जमा हुआ केन्द्र है, सुननेको मिली थी। उन सबको मैंने यही सलाह दी थी कि अगर ये बुनकर-परिवार अपने घरोंमें सिर्फ धुनाई और कताई शुरू कर दें तो वे मिलके सूतपर अपनी निर्भरतासे छुटकारा पा सकते हैं और अखिल भारतीय चरखा संघसे भी, जो ऐसे लोगोंकी मदद करनेमे कमी चूकता नहीं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि उस हालतमें बुनकर पहले-जितनी कमाई न कर पायें, क्योंकि उनका कुछ समय कताईमें चला जायेगा। लेकिन चरखा संघकी संशोधित नीतिका लक्ष्य चूंकि कातनेवालोंको एक आना फी घंटा देना है और वह डेढ़ पैसा फी घंटा उन्हें सचमुच दे रहा है, इसलिए बुनकरोंको अपनी आयकी कमी शायद ही महसूस हो। और फिर भूखों मरनेसे कम कमाई करना भी तो बेहतर ही है।

याद रहे कि अपने परिवारमें कताई और बुनाई शुरू करनेमें बुनकरोंको कोई खास पूंजी नही लगानी पड़ेगी। चरखा तो उनके पास पहलेसे ही मौजूद है; अलबत्ता, उसमें कुछ सुधारकी जरूरत होगी। उसे कुछ आने खर्च करके एक धुनकी जरूर लेनी पड़ेगी।

मुझे मालूम हुआ है कि उड़ीसा सरकार अपनी जेलोंमें मिलके सूतका प्रयोग बन्द करके जेलोंके लिए खादी ही खरीदनेका हुक्म दे रही है। कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमके अनुसार बरतनेके लिए उड़ीसाकी सरकार बधाईकी पात्र है। कांग्रेसके कार्यका संचालन करनेवाले कार्यकर्त्ता यदि इस नुस्खेको याद रखें तो वे देखेंगे कि बुनकरोंको कताई करनेके लिए भी राजी कर लेनेसे आवश्यक सूतके उत्पादनमें बहुत अधिक आसानी हो गई है। इस रीतिसे काम लेनेसे उन्हे शायद यह पता भी चले कि वे गाँवके कच्चे लोगोंको सिखाकर कुशल कतैया बनानेतक प्रतीक्षा करें, उसकी अपेक्षा इस रीतिसे खादी सस्तेमें तैयार हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें कताईका चलन तो सभी गाँवोंमें करना होगा, क्योंकि अ० भा० च० सं०का लक्ष्य ही यही है। लेकिन इस महान् लक्ष्यकी सिद्धितक हाथ-करघेपर बुनाई करनेवालोंकी उपेक्षा करना मुनासिब नही होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २०-८-१९३८

३८१. बर्मामें हालके दंगे

एक सज्जनने तार किया है:

> बर्माके हालके दंगोंपर आपका जितना ध्यान गया है उतना काफी नहीं है। सरकारी सूचना चाहे जो हो, दस तारीखतक, जब मैंने हवाई जहाजसे रंगून छोड़ा, वहाँ शान्ति स्थापित नहीं हुई थी। भारतीय बुरी तरहसे घबराये हुए हैं। उन्होंने आपकी अहिंसाका मार्ग ग्रहण किया और भारी मुसीबत उठाई। कृपाकर फौरन कारगर कार्रवाई कीजिए।

रंगूनसे तार मिलनेपर मैंने तत्काल जो-कुछ किया, उस वक्त वही कारगर कार्रवाई मैं कर सकता था।[1] उस समय सही तथ्य भी मेरे सामने नही थे। बर्मी लोगोंका क्रोध भडका, इसका एक विवरण अब मेरे सामने है। ऐसा मालूम होता है कि किसी बर्मीने कुछ दिन पहले एक पुस्तिका लिखी, जिसमें इस्लामकी निंदा की गई थी। बौद्ध धर्मका त्याग करके इस्लामको ग्रहण करनेवाले एक अन्य बर्मीने ही उत्तरमें एक दूसरी पुस्तिका लिखी, जिसमें उसने इस्लामकी निन्दाका प्रतिवाद करनेके साथ-साथ बौद्ध धर्मपर भी आक्रमण किया। यह पुस्तिका लिखनेमें किसी भी हिन्दुस्तानीका कोई हाथ नहीं था। इस पुस्तिकाकी ओर तत्काल किसीका ध्यान नही गया, पर बर्मी अखबारोंने इसकी तीव्र आलोचना की और बर्मी लोगोंको काफी भड़काया। नतीजा हुआ यह क्रूर काण्ड। इसमें अनेक निर्दोषोकी कीमती जानें गईं; और कहा जाता है कि लाखोकी सम्पत्ति नष्ट हो गई। यह द्वेषाग्नि रगूनतक ही सीमित न रही, बल्कि सारे बर्मामें, जहाँ भी हिन्दुस्तानी बसे हुए थे, इसकी लपटें जा पहुँचीं।

और अगर, जैसाकि तार भेजनेवाले भाईने कहा है, "भारतीयोंने आपकी अहिंसाका मार्ग ग्रहण किया", तो मैं यही कह सकता हूँ कि इससे उन्हें कुछ कम ही मुसीबतें बर्दाश्त करनी पडी। अगर उन्होंने कुछ अन्यथा किया होता तो उन्हे इससे कही ज्यादा मुसीबतें झेलनी पडती। अहिंसाकी कोई सीमा नही है। अगर यह लगे कि औषधिकी अमुक मात्राने काम नही किया, तो मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। यह एक ऐसी औषधि है, जो कभी भी निष्फल नही जाती।

लेकिन इसे मेरी अहिंसा क्यो कहा जाये? शायद इस तारमें मुझे एक मीठी-सी झिडकी दी गई है — यही कि मेरी बताई हुई दवाने काम नही किया। यहाँ जो प्रश्न प्रासंगिक है वह यह है: वह मार्ग उन्होने इस विश्वाससे अपनाया था कि हिंसा के विरुद्ध अहिंसा ही एक अचूक इलाज है, या इसलिए कि दूसरा कोई चारा नही

१. देखिए "तार: बर्मा कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको", पृ० २४७।

था? बहरहाल मेरे लिए यह जरूरी नही कि इस प्रश्नके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँ। अगर हम अखबारोंमें छपे हुए समाचारोंपर विश्वास करें, तो यह मालूम होता है कि भारतीयोने पूर्ण अहिंसाका व्यवहार नही किया। वैसे मुझे यह माननेमें कोई कठिनाई नही कि वहाँ खासी तादादमें लोगोंने अहिंसाका पालन किया — चाहे विश्वाससे प्रेरित होकर किया हो या विवशतासे।

मगर विचारणीय प्रश्न तो यह है कि "आगे क्या हो?" इसमें कोई सन्देह नही कि इस दंगेकी किसी-न-किसी किस्मकी जाँच होगी। हो सकता है कि जिनकी धन-जनकी हानि हुई है, उन्हें कुछ हरजाना दिलाया जाये। अपराधियोंको कुछ दण्ड भी दिया जायेगा, हालाँकि दण्ड पानेवालोंमें उपद्रवके सूत्र-संचालक नहीं बल्कि उनके जालमें फँसनेवाले लोगोके ही होनेकी सम्भावना है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इस प्रकारकी कार्रवाइयोमें मेरी कोई दिलचस्पी नही। ऐसी कार्रवाइयाँ इस बातकी कोई गारंटी नही होती कि आगे कभी ऐसा नही होगा।

बर्मामें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको यह समझ लेना चाहिए कि वे वहाँ बर्मावासियोंकी दयापर निर्भर हैं। हिन्दुस्तानमें उनकी कोई ऐसी सरकार नही है जो सचमुच उन्हें सरंक्षण दे सके। हम जानते हैं कि दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें क्या हो रहा है; और उसपर हमें कोई आश्चर्य भी नही करना चाहिए। अगर किसी देशमें वहाँ बस जानेवाले हिन्दुस्तानियोंका अपमान किया गया हो या उनके साथ वहाँ अन्याय हुआ हो, तो इंग्लैंड उस देश या राष्ट्रसे कभी लड़ाई मोल नहीं लेगा। हाँ, वह उनके लिए ईमानदारीसे वकालत कर सकता है और करेगा भी; वह विरोध जाहिर करनेमें भी तत्परता दिखायेगा। पर वह इतनी ही सहायता कर सकेगा, इससे अधिक नही। और बर्माके दंगेके जैसे मामलेमे भारत सरकार राहत भी नगण्य-सी ही दे सकती है। खुद हिन्दुस्तानमें ही जब दंगे होते है, तब वह क्या कर लेती है? दंगे जब हो चुके हों, तब वह बहुत थोड़ा कर सकती है। ज्यादा-से-ज्यादा वह यह कर सकती है कि जब दंगे शुरू हों तब उन्हें दबानेका प्रयत्न करे। हालमें जिन कांग्रेसी प्रान्तोंमें दंगे हुए है, वहाँ हमारी कांग्रेसी सरकारें भी दंगोंके बाद क्या कर सकी है? ऐसे दंगोंमें, कुछ थोड़े-से लोगोंको छोड़कर, शेषको राहत देनेकी गुंजाइश नहीं होती। मैं नहीं जानता कि बर्मामें क्या किया जा सकता है।

मुझे चिन्ता है तो इस बात की कि इस क्षणभंगुर जीवनमें जिस हदतक स्थायित्व सम्भव है उस हदतक स्थायी शान्ति कैसे स्थापित की जाये। साम्प्रदायिक वैमनस्यका हाल ही यह है कि यदि वह एक बार भडक उठता है तो एक नियमित अन्तराल देकर समय-समयपर भड़कता ही रहता है और जबतक सम्बन्धित समुदाय इसे जड़मूलसे समाप्त कर देनेके लिए कोई बहुत ही प्रभावकारी उपाय नहीं करते, तबतक यह सिलसिला जारी रहता है। ऐसा एक उपाय यह है कि संघर्ष-रत पक्षोंमें एक-दूसरेके धर्मके प्रति पारस्परिक आदर-भाव पैदा किया जाये। बर्माके बौद्धोंमें अगर इस्लामके प्रति और मुसलमानोंमें बौद्ध धर्मके प्रति आदरभाव नही है तो दोनोंमें नाइत्तफाकीके बीज तो मौजूद है ही; उन्हें अंकुरित होकर, जैसी बर्बरता हमने हालमें

देखी, वैसी बर्बरताका रूप धारण करनेके लिए विशेष अभिसिंचन की जरूरत नहीं होगी। इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि इन दोनों महान् धर्मोंके अनुयायियोंको अपने अन्दर एक-दूसरेकी भावनाओंको समझने और उनका सम्मान करनेकी वृत्ति जगानी चाहिए।

मुझे ऐसी आशंका है कि इन दंगोंकी जड़में भारतीय-विरोधी भावना है, जिसका कारण शायद आर्थिक है। क्योंकि बर्मियोंके इस क्रोधका शिकार बहुतेरे हिन्दुओंको भी बनना पड़ा है, हालाँकि लगता यह है कि मुसलमानोंपर सबसे अधिक मुसीबत टूटी है। इसलिए, वहाँ बसे हुए भारतीयोंको ध्यान रखना चाहिए कि बर्मियोंके साथ उनका व्यवहार उचित और प्रामाणिक हो। कहते हैं कि व्यापारमें सब चलता है और व्यापारी अगर ग्राहकके अज्ञानसे फायदा उठाकर उससे अपने मालके मनमाने दाम माँगे तो उसमें भी कोई अनैतिकता नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि इस तरहके लेन-देनसे पारस्परिक रोष भड़केगा। जहाँ कहीं भी हम गये हैं — यहाँतक कि हमारे देशपर ब्रिटिश शासकोंका कब्जा होनेसे पहले भी — वहाँ जिन लोगोंके बीच हम रहे और जिनके साथ हमने व्यापार किया, उनकी सद्भावनापर ही हमने अपना सारा दारोमदार रखा। जंजीबार, अदन, जावा आदिके साथ हमारे सम्बन्धोंका यही इतिहास है।

मगर अब समय बदल गया है। दुनिया-भरके लोग अब अपने-अपने अधिकारोंको पहचानने लगे हैं। पहले दूसरे देशोंमें जाकर बसनेवाले प्रवासी वहाँ निर्विघ्न रूपसे स्याह-सफेद किया करते थे, अब वे ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग गोला-बारूद और जहरीली गैसके बलपर अपनी बेईमानी नहीं चला सकते, उन सभीके लिए इस समय यह बात जितनी सही साबित हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई थी कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है।

हिन्दुस्तानको अगर पहले रास्तेपर जानेसे अपनेको बचाना है और एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें अपने जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें और जहाँ हिन्दुस्तानी जाते हैं, उस हर देशमें शान्तिको अपना आदर्श बनाना है तो उसकी सन्तानको जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें और वे जिस देशमें भी जायें, उस देशमें आदमी-आदमीके बीचके व्यवहारमें पूरी ईमानदारी बरतनी होगी।

बर्मी मित्रोंसे भी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं बर्मा गया था, बर्मी पुरोहितोंने अपने सम्मेलनमें निमंत्रित करके अपने विशाल पैगोड़ाकी छाया तले मानपत्र देकर मुझे सम्मानित करनेकी कृपा की थी। इसलिए जब मुझे भीड़के क्रोधके विस्फोटका समाचार पढ़नेको मिला और खबरोंसे जब मुझे मालूम हुआ कि स्त्री-पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी उसकी चपेटमें आ गये, और जिनकी धार्मिक भावनाको चोट पहुँचानेवाली उस पुस्तिकासे किसी प्रकारका कोई सरोकार नहीं हो सकता था, ऐसे लोग भी उस प्रतिशोधकी आगके ग्रास बनाये गये तो मुझे बहुत दुःख हुआ। भगवान बुद्धपर मुझे अत्यन्त श्रद्धा है। वे शान्तिके महानतम उपदेशकोंमें से हैं। बुद्धका सन्देश प्रेमका सन्देश है। यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि उस धर्मके अनुयायी

भी कैसे एकदम बर्बर बन सकते हैं और वह भी जाहिरा तौरपर एक बहुत ही मामूली वजहसे। अखबारोंकी खबरें अगर सही हैं तो यह और भी अफसोसकी बात है कि बुद्धके सन्देशके मुख्य प्रचारक और प्रतिपादक, पुरोहित लोग खुद भी उपद्रवियोंके बीच देखे गये — और देखे गये उपद्रवको शान्त करते हुए नही, बल्कि लूट-मार, अग्निकाण्डो तथा हत्याओंमें भाग लेते हुए। क्या ऐसी आशा करना बहुत ज्यादा होगा कि उनमें से जो लोग विवेकशील हैं, वे अपने हृदयको टटोल देखेंगे और सभी विचारवान लोगोंके मनको क्लेश पहुँचानेवाली इस दुःखद घटनाकी पुनरावृत्ति न होने देनेके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे!

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २०-८-१९३८

३८२. तार : अमृतकौरको

वर्धा
२० अगस्त, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
स्टेट गेस्ट हाउस, त्रिवेन्द्रम

तुम्हारा तार मिला। मरीज पहलेसे अच्छा। मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारे कार्यकी सफलताके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सरस्वतीकी दशाको लेकर चिन्तित हूँ। सस्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७६) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०३२ से भी।

३८३. पत्र : अमृतकौरको

२० अगस्त, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मगनवाडीमें मेरे लिए एक तार पहुँचा होगा। कल मैंने सुना कि तुम्हारा स्वागत राज्यके अतिथिके रूपमें किया जायेगा। मुझे आशा है कि मेरा पत्र[1] ठीक-ठीक पहुँच गया होगा।

प्यारेलाल आज निश्चित रूपसे ज्यादा ठीक है। अभी बुखार सिर्फ १०१° है, जबकि कल इसी समय- (८ बजे सुबह) १०३° था। वह चंगा हो जाये, तो बड़ी बात होगी।

मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने सभी काम बहुत अच्छी तरहसे अंजाम दे लोगी। कल त्रा[वणकोर] नेशनल कांग्रेसके अध्यक्ष मुझसे मिलने आये थे। मेरा तो मौन था ही। वे काबिल आदमी हैं। उन्होंने बड़े ही मधुर तर्कपूर्ण ढंगसे अपनी बात रखी।

आशा है कि तुम अपनेको स्वस्थ बनाये रखोगी और यदि समय मिला तो कन्याकुमारी भी हो आओगी। मैं तो चाहूँगा कि लौटते समय तुम महर्षि[2] के दर्शन करनेके लिए एक दिनके लिए तिरुवण्णमलई रुक जाओ। आज सुबह मेरा रक्त-चाप १६०-१०० था।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३५) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ६४४४ से भी।

१. देखिए "पत्र: सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरको", पृ० २८३।

२. रमण महर्षि। अमृतकौरने अपनी पुस्तक लेटर्स टु राजकुमारी अमृतकौर में लिखा है: "लेकिन मैं और महादेव देसाई दोनों उनके दर्शन करने नहीं गये क्योंकि, जैसाकि हमने कहा, हमारे हृदय तो गांधीजी को समर्पित थे और गांधीजी को यह तर्क नहीं भाया।"

३८४. पत्र : महादेव देसाईको

[२० अगस्त, १९३८][1]

चि० महादेव.

मैं इस व्यक्तिको सीधे ही भेज रहा हूँ। सुशीलाका कहना है कि बर्फकी जरूरत नहीं है। और आज तो तबीयत भी अच्छी है। प्यारेलालने आज सुबह कहा कि शायद कल बुखार न आये। आज [बुखार] १०१° से शुरू हुआ है। रातके पिछले पहरमें नींद भी आई थी।

यह तार भेज देना:[2]

मैं महाराष्ट्रके बारेमें समझता हूँ। लीलावतीको कल न आने देनेकी बातसे बुरा नहीं मानना चाहिए था। आज यदि कोई विशेष काम न हो तो मत आना। इसके साथ भेजे जा रहे पत्रोंमें से लिमयेके पत्रकी नकल कर लेना। यहाँ नकल नहीं हुई।[3]

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३१) से।

३८५. पत्र : सुशीला गांधीको

२० अगस्त, १९३८

चि० सुशीला,

तूने तिलका ताड़ बना दिया। मणिलालको लिखे पत्रमें मैंने अपने दुःखका वर्णन किया है। जबतक मैं तुझे अपने पास बिठाकर न खिला सकूँ, तबतक तेरी खुराकमें कोई परिवर्तन नहीं कराऊँगा। यही बात अरुणके बारेमें भी समझ। इसके अतिरिक्त मैं मौन रहता हूँ, इसलिए तुझसे हँसना-बोलना नहीं कर पाता। हँसी-हँसीमें तो मैं बहुत-कुछ बता देता हूँ।

मुझे तुझसे असन्तोष नहीं है। मैंने तो तुझे समझदार माना है न?

मैंने स्त्रियोंको सेवाके अयोग्य कब माना है? हाँ, मैंने स्वयंको अवश्य अयोग्य माना है। सम्भवतः यह अयोग्यता भी कभी चली जाये। तू सेवा करनेको तैयार है इसलिए तूने उसका पुण्य तो प्राप्त कर ही लिया है।

१. प्यारेलालके बुखारके उल्लेखसे। २० तारीखको उनका बुखार १०१° था; देखिए पिछला शीर्षक।

२. तार अंग्रेजी में है। पाठके लिए देखिए "तार: अमृतकौरको", पृ० ३००।

३. पत्रपर हस्ताक्षर नहीं है।

बा को प्रसन्न करना आसान नहीं है। क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा? किन्तु वह भोली है। इसलिए हम उसकी बातका दुःख न मानें।

मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि तू अपने अध्ययनमें वृद्धि करके 'इंडियन ओपिनियन' के लिए गुजरातीमें लिखनेकी योग्यता प्राप्त कर ले।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८७९) से।

३८६. पत्र : पार्वतीदेवी घोरपड़ेको[1]

२० अगस्त, १९३८

प्रिय बहन,

भाई कौजलगी द्वारा गांधी सेवा संघको लिखे पत्रसे मैं आपका नाम जान पाया। आपने अपनी रियासतमें लोगोंको जो राहत दी है, उसका वर्णन भी मैंने उक्त पत्रमें पढ़ा। मैं आपकी उदारताके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको यही शोभा देता है। भगवान आपको और भी उदार बनाये तथा दीर्घायु करें।

मो० क० गांधीके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७४५४) से।

३८७. पत्र : द० बा० कालेलकरको

२० अगस्त, १९३८

चि० काका,

तुम्हारा संदेश मिला। मैं जितना लिख सकता हूँ, उतना तो लिख रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बात याद है। यदि ईश्वर चाहेगा तो धूप-बत्तीका जलना समाप्त होनेके पहले मैं अवश्य लिख डालूँगा। किन्तु काम सँभाल लेनेकी अनुमति तुम्हें किसने दी? यदि तुम अपने मन और शरीरको काममें लगाओगे तो तुम्हारी कमजोरी लम्बी चलेगी। प्यारेलाल ठीक हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०६) से।

१. मुधोल रियासतकी राजमाता।

३८८. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

२० अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

बहुत करके तो नागपुरके विद्यार्थी आयेंगे। यदि महादेवी आना चाहे तो आ सकती है।

किन्तु वह आकर क्या करेगी?

मेरा मौन चल ही रहा है। विद्यार्थियोंके आनेपर क्या करना पड़ेगा सो कौन जाने?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६५) से।

३८९. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

२० अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

मैं तुम्हारे बारेमें समझता हूँ। इस बातका ध्यान रखना कि शंकरन् बीमार न पड़े। प्यारेलालकी हालत ज्यों-की-त्यों है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५९०) से।

३९०. पत्र : डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामैयाको

सेगाँव
२१ अगस्त, १९३८

प्रिय पट्टाभि,

कृपया इस शिकायत[1] की बारीकीसे जाँच कीजिए और मुझे परिणाम बताइये। मै तुम्हारा मत जाननेसे पहले पत्र प्रकाशित नहीं करना चाहता।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३९१. पत्र : विजया एन० पटेलको

२१ अगस्त, १९३८

चि० विजया,

जैसे ही मैंने यह पत्र लिखना शुरू किया वैसे ही सुशीला मालिश करनेके लिए आ खड़ी हुई। इसलिए मैं इसे संक्षेपमें निबटा दूंगा। लगता है, तू अच्छी प्रगति कर रही है। मसूड़ोंमें से मवाद निकलना भी बन्द होना चाहिए।

प्यारेलालको अभी तो बुखार है, किन्तु वह अच्छा होता जा रहा है। फिलहाल तो खतरा नही है। उसकी माताजी कल रात आ गईं। मैं अच्छा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

चिमनलाल [अस्पतालसे] कल या परसो घर आ जायेगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९७)से। सी० डब्ल्यू० ४५८९ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली।

१. ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि कुछ व्यक्तियोंने जमीनपर जबरदस्ती कब्जा करनेके लिए लोगोंको उकसाया था।

३९२. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

२१ अगस्त, १९३८

चि० मुन्नालाल,

बलवन्तसिंहका कहना है कि वाकेलाल नाममात्रका काम करता है। इसकी जाँच करना। गाँव . . .[1] से उसके बारेमें पूछना। पूरी जानकारी प्राप्त करना। गहराईसे जाँच-पड़ताल करना।

कुवडुकी देखभाल कौन करता है?

करघाघर नये मकानमें बनाओ। नायकम्‌ने गठरी तैयार कर रखी है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

डाह्यालालके बारेमें तुमने कल क्या किया?

गुजराती (जी० एन० ८५६८)से। सी० डब्ल्यू० ७०३६ से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

३९३. उत्तर: नागपुर शिष्टमण्डलको[2]

२१ अगस्त, १९३८

डॉ० खरेके लिए आपके मनमें जो सम्मान और समर्थनका भाव है, उसे मैं समझता हूँ। डॉ० खरेके लिए मेरे मनमें भी बड़ा स्नेह-भाव है, पर हम स्वतन्त्रता-संग्रामके सेनानियोंको अपने कर्तव्यके निर्वाहके दौरान पारिवारिक सम्बन्धोंको भुला देना पड़ता है। काफी सोचने-विचारनेके बाद मैं इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि डॉ० खरेके प्रति कोई भी अन्याय या अनुचित कार्य नहीं किया गया है। आपके पास तुलनाके लिए कोई सामग्री नहीं है। मैंने स्वयं ही १९२० में कांग्रेसका विधान तैयार किया था। उसके अनुसार अपील सुननेका सर्वोच्च अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस

१. यहाँ एक शब्द अस्पष्ट होनेके कारण पढ़ा नहीं जा सका।

२. डेढ़ सौ विद्यार्थियों तथा अन्य लोगोंका एक शिष्टमण्डल नागपुरसे बी० ए० खरेके नेतृत्वमें गांधीजी से मिलने और एन० बी० खरेके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने आया था। उसने माँग की थी कि डॉ० खरेसे सम्बन्धित कार्य-समितिका प्रस्ताव वापस लिया जाये। उस दिन चूँकि गांधीजी का मौन था, इसलिए उन्होंने अपना उत्तर लिखकर दिया था।

को ही है और वह हरएकके लिए सुलभ है। कार्य-समिति या उल्लिखित नेतागण यदि दोषी पाया जायें, तो दण्डके भागी होंगे।

मेरी सलाह है कि डॉ० खरेके पक्षमें जितने भी तर्क आप दे सकते हों, उनको लेकर पूरा मामला तैयार कर लें जिससे उसे अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके सामने पेश किया जा सके। मैं जो भी कहना चाहता था, कह चुका हूँ। सत्तर वर्षकी इस अवस्थामें मैं सार्वजनिक सभामें भाषण करनेको खड़ा नहीं हो सकता। डॉ० खरेको दोषी सिद्ध करनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं और न मैं यही चाहता हूँ कि डॉ० खरेके प्रति आपके प्रेममें कोई कमी आये। सही क्या है, यह तो समय ही बतलायेगा। फिर डॉ० खरे अपनी भूल स्वीकार करेंगे या शायद मैं ही। आप धीरज रखिए। यदि मुझे लगेगा कि मैंने अनजाने ही कोई अन्याय किया है तो मैं क्षमा-याचना करूँगा।

मैं हुल्लड़बाजीके बलपर स्वतन्त्रता नहीं लेना चाहता। यदि यह प्रवृत्ति कांग्रेसमें आ गई तो संस्था नष्ट हो जायेगी। आलोचना करनेका अधिकार हरएकको है, बशर्ते कि आलोचना उचित, शिष्ट और सत्यमय हो। डॉ० खरे द्वारा मध्य प्रान्तके विधान-सभा दलके नेताका चुनाव लड़े जानेपर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था, और न श्री सुभाषचन्द्र बोसने किसी मतदाताको अपने मताधिकारके प्रयोगके खिलाफ कोई धमकी दी और न मैंने ही डॉ० खरेको चुनाव लड़नेके उनके अधिकारसे वंचित किया।

डॉ० खरेके विरुद्ध कार्य-समितिका प्रस्ताव एक सिफारिशके रूपमें था, आदेशके रूपमें नहीं। मध्य प्रान्त मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध लगाये गये पक्षपातके आरोपकी जाँच-पड़ताल की गई और जो अन्याय हुए थे, उनका निराकरण किया गया था। उसपर लगाया गया रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारका आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। कार्य-समितिसे यदि कोई भूल हुई हो तो वह उसे ठीक कर सकती है। कार्य-समितिके सदस्योंको यदि दलकी बैठकोंमें भाग लेनेका अधिकार है तो उनको कोई भी बैठकोंसे निकाल नहीं सकता। वह वर्धामें बैठक बुला सकती थी। उस प्रस्तावका प्रारूप संविधान-शास्त्रियों और वकीलोंसे परामर्श करके तैयार किया गया था और उन्होंने उसमें कोई गलती नहीं होने दी।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-८-१९३८

३९४. पत्र : महादेव देसाईको

२२ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

जितना हो गया है उतना भेज रहा हूं। होटलके बारेमें मैं समझ नहीं सका। मैंने तो सभी लेख जाँचकर कल तुम्हें दे दिये थे। अब तो मेरे पास सिर्फ नागपुर से सम्बन्धित लेख है। नागपुर-सम्बन्धी लेखके साथ तुम्हारा अनुवाद नहीं है। मेरे पास मेरे उत्तर होने चाहिए। फिर भी अब मैं रातको देखूंगा। आज तो समय ही नहीं रहा। मुझे उनमें काफी रद्दोबदल करनी पड़ेगी। यदि होटल-सम्बन्धी लेख तुम्हारे पास हो तो तुम उसमें अतिरिक्त अंश जोड़ सकते हो।

सुशीलाने खादी-सम्बन्धी लेख भेज दिये होंगे। मुझे लिखा तुम्हारा पत्र भी मैंने उसे दे दिया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२८) से।

३९५. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

२२ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

आशा है, तुम्हारा काम धड़ल्लेसे चल रहा होगा।

प्यारेलालकी रात ठीक बीती। उसकी माँ आ गई है, इसलिए मेरी चिन्ता कम हो गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६६) से।

३९६. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

२२ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

आज शायद तुम्हें [अस्पतालसे] मुक्ति मिल जायेगी। प्यारेलालकी रात अच्छी बीती। शेष सब तो अखबारोंसे या . . .।[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५९१) से।

३९७. पत्र : महादेव देसाईको

२३ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

'सेन्टिनल' में प्रकाशित झूठका[2] जवाब क्या देना। और झूठ भी कैसा। मुझे लगता है कि यदि ऐसा झूठ प्रकाशित हो जिसपर कोई विश्वास न करे तो हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसके बावजूद, यदि तुम कुछ और सोचते हो तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं।

प्रभुदयालके साथके यात्रियोंका वर्णन मैं नहीं करूँगा, न कर सकता हूँ। इसमें मुझे समय लगेगा। इसलिए मैं उसे यहीं टाइप करवा लूँगा।

प्यारेलालकी रात अच्छी ही बीती।

बर्फ भेजना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

चिमनलालको [अस्पतालसे] आज छुटकारा मिल रहा है। इसलिए यदि तुम मोटरमें आनेवाले हो तो उसे साथ ले आना, या यदि कोई बंगलेसे आनेवाला हो तो वह उसके साथ आ जाये। आखिरी उपाय है ताँगा करके चला आये। यदि तुम्हारे

१. यहाँ एक-दो शब्द अस्पष्ट होनेके कारण पढ़े नहीं जा सके।

२. यहाँ संकेत डेली एक्सप्रेस के दिल्ली स्थित सम्वाददाता द्वारा फैलाई गई उस अफवाहकी ओर है जिसमें कहा गया था कि गांधीजी कायाकल्प करने जा रहे हैं। इस अफवाहको अन्य समाचार-पत्रोंने भी प्रकाशित किया था।

सुभीतेके खयालसे ताँगा ही ठीक हो तो वैसा करना। किन्तु हर हालतमें ताँगेकी व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी।

राजकुमारीके लिए तार:[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२९)से।

३९८. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

[२३ अगस्त, १९३८][2]

चि० अमृतलाल,

काकाके बारेमें चिन्ताका कोई कारण नहीं है। हमें सावधानीसे काम लेना है। डॉ० महोदयसे पूछना कि दो ग्राम रसकपूरकी आठ खुराक आध-आध घंटे बाद देना क्या ठीक नहीं होगा? काका जितना ग्लूकोज हजम कर सकें उतना देते रहना। मुसम्बीका रस थोड़ा-थोड़ा देना। शरीरमें विष तो भरा ही हुआ है और अभी कुछ दिन बना रहेगा। यदि खान-पानमें कोई गलती नहीं होगी तो सब ठीक हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६७)से।

३९९. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

२३ अगस्त, १९३८

चि० चिमनलाल,

मैंने तुम्हें लिखने या कुछ भेजनेका काम महादेवको सौंप दिया है। मैं मानता हूँ कि बुलाते ही तुम रवाना होनेको तैयार रहोगे। यदि इस कार्यक्रममें कोई अन्तर हो तो महादेवको लिख भेजना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५९२)से।

१. तारके पाठके लिए देखिए पृ० ३११।

२. यह तारीख अमृतलाल टी० नानावटी द्वारा दी गई है।

४००. तार : अमृतकौरको

वर्धागंज
२४ अगस्त, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
गेस्ट हाउस
त्रिवेन्द्रम

ईश्वर मुश्किलें आसान करेगा। मरीज सुधार पर है।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७८)से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०३३ से भी।

४०१. पत्र : अमृतकौरको

१४ अगस्त, १९३८

प्रिय अमृत,

प्यार। बस इतना ही लिखनेका समय है। सब-कुछ ठीक चल रहा है।

बापू

[पुनश्च :]

देखती हो मैंने कितना खयाल रखा। मुझे धन्यवाद दो।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७७)से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०३४ से भी।

४०२. पत्र : पृथ्वीसिंहको

सेगांव, वर्धा
२४ अगस्त, १९३८

प्रिय पृथ्वीसिंह,

मैं अंग्रेजीमें लिख रहा हूँ, ताकि यह पत्र तुमको कुछ जल्दी मिल जाये।

तुम्हारे पत्र मिल गये। मुझे इसकी खुशी है कि तुम्हारी अच्छी चिकित्सा हो रही है और तुमको मानसिक शान्ति मिली है। मैं जनता हूँ कि वैचारिक अहिंसा की स्थिति प्राप्त करना सबसे दुष्कर कार्य है। फिर भी सचाई यह है कि विचार और मनके सहयोगके बिना वचन और कर्मकी अहिंसा वैसी सर्व-व्यापक और दुर्निवार शक्ति नहीं बन पाती जैसीकि निस्सन्देह वह है। ऐसी अहिंसा तो केवल ईश्वरकी कृपासे आती है। और यह कृपा उन्हींपर होती है जो सतत् प्रयत्न — निश्चय ही जितना प्रयत्न वे भौतिक लक्ष्योंकी प्राप्तिके लिए करते हैं उससे बहुत अधिक प्रयत्न — करते हैं।

मैं अपने काममें लगा हूँ। बहुत-कुछ बाहरी वातावरणपर निर्भर है।

तुम मुझे नियमित रूपसे लिखते रहना।

तुम्हारे घरवालोंको एक पत्र भेजा जा रहा है। मैं तुमको बतला चुका हूँ कि वे मुझसे मिलने आये थे और उनके आनेसे मुझे खुशी हुई थी।

प्यारेलालको टाइफाइड है। लेकिन अब वह सुधारपर है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६३०)से। सी० डब्ल्यू० २९४१ से भी; सौजन्य : पृथ्वीसिंह।

४०३. पत्र : एम० विश्वेश्वरैयाको

२४ अगस्त, १९३८

आप इस बातका भरोसा रखें कि आपकी योजनाके लिए मैं जो-कुछ भी कर सकता हूँ, सब करूँगा।[1]

सर एम० विश्वेश्वरैया
बंगलौर

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

४०४. पत्र : महादेव देसाईको

२४ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

प्यारेलालके लिए ताजा अदरक चाहिए। मैंने वरोड़में पूछताछ तो की है। इस सम्बन्धमें राजाराम पता लगायेगा। किन्तु यदि वह न पा सका हो तो तुम देखना।

बरफ और सब्जीका सूप फिलहाल तो बन्द कर देंगे। वह छाछ पियेगा।

यदि अनारके साथ चकोतरेके लिए न लिखा हो तो लिख देना। ईश्वरके अनुग्रहसे मेरा मौन चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३२) से।

१. भारतमें एक मोटरका कारखाना स्थापित करनेकी योजना।

४०५. पत्र : एस० गणेशनको

सेगाँव
२५ अगस्त, १९३८

प्रि० गणेशन[1],

पागल हो। मनको शान्त नही रख सकते तुम? मुझे खुशी है कि तुमने अपना पत्र[2] वापस ले लिया।

तुम्हारा,
बापू

श्री एस० गणेशन
८, पाइक्राफ्टस रोड
ट्रिप्लीकेन
मद्रास

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४३४७) से; सौजन्य: देवचन्द्र झा। जी० एन० ६६१४ से भी।

४०६. सन्देश[3]

२५ अगस्त, १९३८

अहिंसाके बिना जन-मानसमें शान्ति स्थापित नही होगी। प्रार्थनाके बिना अहिंसा नही आयेगी, और प्रार्थनाके अनुरूप कर्मके बिना प्रार्थना निष्फल रहेगी।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई।

१. सम्पादक, स्वतन्त्र संगु, मद्रास।

२. श्री देवचन्द्र झाके अनुसार इस पत्रमें "उस समय विचाराधीन मन्दिर-प्रवेश विधेयककी कुछ व्यवस्थाओंके सम्बन्धमें कार्यकर्ताओंकी मनोव्यथा व्यक्त की गई थी।"

३. यह सन्देश "विश्व-शान्तिके लिए प्रार्थना" के लिए म्यूरियल लेस्टरको भेजा गया था।

४०७. पत्र : द० बा० कालेलकरको

[२५ अगस्त, १९३८][1]

चि० काका,

लेख सुधारकर भेज रहा हूँ। जो सुधार किये हैं, समझमें आ जायेंगे। सबनीसने क्या नीरा नहीं पी थी? क्या तुममें इतनी शक्ति आ गई है कि तुम आ सको?

प्यारेलालकी हालत सुधर रही है। बुखार कम होता जा रहा है। उसने कलसे छाछ पीना शुरू किया है।

तुम महाराष्ट्रीय हो, यह मानकर दु:खी क्यों हो रहे हो? प्रायश्चित तो सभी को करना है। शरीरमें जो विष भरा हुआ है उसका निकल जाना ही अच्छा है। यदि हम उसे रोकनेकी कोशिश करके उसे बढ़ायें नहीं तो वह कम हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

क्या तुमने अमृतलालको देखा ही नहीं?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९११) से।

४०८. तार : सतिन सेनको

२६ अगस्त, १९३८

लाचार हूँ। खुद अड़चनमें काम कर रहा हूँ। पीड़ितोंको चाहिए कि एक साथ मिलकर ईमानदारीकी मजदूरी ढूँढ़ें।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. पत्रमें प्यारेलाल द्वारा "कलसे" छाछ पीना शुरू करनेका उल्लेख है। "पत्र : महादेव देसाईको", पृ० ३१३ में भी गांधीजी ने प्यारेलालको छाछ देनेका उल्लेख किया है। इससे लगता है कि यह पत्र २५ अगस्तको लिखा गया होगा।

४०९. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

२६ अगस्त, १९३८

श्री कुमारप्पा,

भारतनसे कहो कि 'आर्यन पाथ' में उसका सुन्दर लेख पढ़कर मुझे खुशी[1] हुई।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१३५) से।

४१०. पत्र : महादेव देसाईको

२६ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

बर्फके बारेमें तुम्हारा अनुमान ठीक है। अभी नहीं चाहिए। लेकिन इसलिए यह मत मान लेना कि राजाराम अवश्य आयेगा। इस समय [भी] वर्षा हो रही है। क्या यह ईश्वरका कोप ही है या हमारे पापोंको देखकर वह रुदन कर रहा है?

रामचन्द्रनको तार:

"[वर्तमान] परिस्थितिमें मेरा उल्लेख किये बिना तुम्हें जो उचित लगे वही करो। भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। बापू।"[2]

राजकुमारीको:

"तुम्हारी तथाकथित असफलतापर कोई अफसोस नहीं। मैं अच्छा हूँ। प्यारेलालकी हालत तेजीसे सुधर रही है। सस्नेह। बापू।"[3]

यदि तुमने इसके तारके उत्तरमें सुबह तार दे दिया हो तो यह मत भेजना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३३) से।

१. साधन-सूत्रमें यह शब्द कुछ अस्पष्ट है।
२ और ३. ये तार अंग्रेजीमें हैं।

४११. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सेगाँव
२६ अगस्त, १९३८

भाई घनश्यामदास,

तुमने ठीक लिखा है। मैं तो तुमारे मनपर क्या असर होता है जानना चाहता था। लड़केके[1] लिये सब पैसे भोपाल[2] से मिल जायगें। मेरे मनपर इसका बड़ा बोज था।

हां, काग्रेसमें अराजकता बड़ती नजर आती है। उसे रोकनेका मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ — करुंगा। परिणाम तो भगवानके ही हाथो में है। हम शुद्ध प्रयत्न करेंगे तो अंत अच्छा ही होनेवाला है।

वियोगी हरिके बारेमें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। यहां हवा आजकल बहुत खराब है।

दुरस्त होनेपर थोड़े दिनोके लिये आओ और सेगाँवमें हि रहना। जमनालालकी कुटीर अच्छी है।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७९९५ से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

४१२. पत्र : प्रभुदयाल विद्यार्थीको

२६ अगस्त, १९३८

चि० प्रभुदयाल,

तुमारे धीरज रखना होगा। जो दोष तुमने बताया है उसका निवारण तुम ही कर सकते हैं। आदर्श बनकर प्रेमका असर लड़कोंपर डालना।

खद्दरके बारेमें तो अपना सूत कांते तब ही सस्ती पड़ सकती है। वे लोग कातना इ० के मार्फत दूसरी विद्या हासल करनेवाले हैं उसीमें से खद्दरका अर्थशास्त्र समझायेंगे।

पुलिसको मैंने तो आनेसे भी रोकनेकी चेष्टा की। लेकिन उनपर बलात्कार कैसे हो सकता है। मैं सह न लूं इतना ही हो सकता है और न लिया। बाकी अखबारवाले तो बहुत-कुछ कहा करेंगे।

बापुके आ०

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११६८७) से।

१. हेरॉल्ड अन्सारी; देखिए "पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको," पृ० २७३।
२. भोपालके नवाब; देखिए "पत्र : भोपालके नवाबको," पृ० २०६।

४१३. पत्र : महादेव देसाईको

रात्रि, २६ अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

नीमूको पैसे भिजवाने हैं। वह तकाजा कर रही है। प्यारेलालका बुखार चला ही गया समझना चाहिए। उसे तकलीफ तो कोई नही है।

यहाँ आनेके लिए तुम अपनेपर जोर मत डालना। काम इकट्ठा नही होना चाहिए और उसे जबरदस्ती पूरा भी नही करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता रहता है कि तुमपर कामका वहुत वड़ा वोझ पड़नेवाला है। मैं अच्छी तरह जुटकर काम कर रहा हूँ। कह नही सकता कि ऐसा कवतक चल सकेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

हम 'रामायण'के बारेमें भूल गये। संलग्न रामदासने भेजा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३४) से।

४१४. मेरे कथित विरोधाभास

अपने विद्यार्थी-जीवनमें (वैसे यह शब्द सही स्थितिका द्योतक नही है, क्योंकि मेरा विद्यार्थी-जीवन तो असलमें परीक्षाओंका सिलसिला समाप्त होनेके वाद शुरू हुआ और मेरे विचारसे वह अव भी चल रहा है) मैंने एमर्सनका एक वचन सीखा था, जिसे मैं कभी भूल नही सकता। उस मनीषीने कहा था : "मूर्खतापूर्वक एक ही वातको पकड़े रहनेकी सनक तुच्छ वुद्धिवाले लोगोंको ही होती है।" मेरी वुद्धि तुच्छ नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्खतापूर्वक एक ही वातको पकड़े रहनेके भूतने मुझे कभी नही सताया है। धरना देनेके बारेमें मैंने हालमें जो वातें कही हैं, उनसे मेरे आलोचक भौंचक्के रह गये हैं। मैंने कहा है कि जिस स्थानको लेकर धरना दिया जा रहा हो उसमें लोगोंके प्रवेशको रोकनेके लिए धरनेदारों द्वारा मानव-रूपी दीवार वना लिया जाना एक प्रकारकी हिंसा है। मेरे आलोचकोंका कहना है कि यह तो सविनय-अवज्ञा आन्दोलनके दौरान मैंने जो-कुछ कहा या किया था, उस सवका एक खुद ही खण्डन करने-जैसा है। यदि बात सचमुच ऐसी है तो मान लेना चाहिए कि मेरे हालके लेखोंको प्रामाणिक मानकर मेरी अपेक्षाकृत पहलेकी वातों और कार्योको रद समझा जाये। उम्रके साथ-साथ मेरा शरीर तो छीजता जा रहा है, किन्तु मुझे आशा है कि ह्रासका

कोई ऐसा नियम बुद्धिपर लागू नहीं होता और मुझे विश्वास है कि मेरी बुद्धिका ह्रास नही हो रहा है, न केवल इतना बल्कि उसका विकास ही हो रहा है। खैर, उसका विकास हो रहा हो अथवा नहीं, धरनेके बारेमे मैंने जो राय दी है उसके सम्बन्धमें मेरे मनमे किसी भी प्रकारकी शंका नहीं है। अगर वह राय कांग्रेसियोंको न जँचे तो बेशक वे उसे अस्वीकार कर दें। हाँ, अगर वे उसे अस्वीकार करते है तो शान्तिपूर्ण ढंगसे धरना देनेके नियमोका भंग वे जरूर करेंगे। लेकिन मेरे अतीतके आचरण और वर्तमानके कथनके बीच वास्तवमें कोई अन्तर्विरोध नहीं है। जब मैंने दक्षिण आफ्रिका में पहले-पहल सविनय-अवज्ञा आरम्भ की तो मेरे साथियोंने धरना देनेके बारेमें मुझसे चर्चा की। जोहानिसबर्गमें पंजीयन कार्यालयपर धरना देना था। सुझाव दिया गया कि वहाँ हमें धरनेदारोकी एक सजीव दीवार खड़ी कर देनी चाहिए। इस बातको मैंने हिंसामय कहकर तुरन्त अस्वीकार कर दिया। निदान एक बड़े सार्वजनिक मैदानमें धरनेदारोको निर्धारित स्थलोंपर इस तरह तैनात किया गया जिससे उनकी तेज निगाहसे कोई बच न पाये, लेकिन साथ ही अगर वह चाहें तो बिलकुल बेरोकटोक पंजीयन कार्यालय जा सकें। व्यवस्था यह की गई कि जो लोग पंजीयन कार्यालय जायें, उनके नाम "कौमके साथ धोखा करनेवाले लोगो" के रूपमें प्रकाशित कर दिये जायें। हमने भरोसा इस बातपर किया कि इस प्रकार कौमकी निगाहमें गिर जानेके भयसे लोग पंजीयन कार्यालय नही जायेंगे। शराबकी दुकानोंपर धरना देनेके सिलसिलेमें भी मैंने इसी तरीकेको अपनाया। यह काम विशेष रूपसे स्त्रियोको सौंपा गया, क्योंकि उनमें अपने आचरण द्वारा अहिंसाको अभिव्यक्ति देनेकी क्षमता पुरुषोकी अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार सजीव दीवार खड़ी करनेका तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इसमें सन्देह नही कि आजकी तरह उन दिनोमें बहुत-से ऐसे काम किये गये जिनकी इजाजत नही थी। लेकिन मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं आता जब मैंने उस ढंगके धरनेका समर्थन किया हो जिसकी निन्दा मैंने उस लेखमे की है, जिसकी इतनी तीव्र आलोचना की जा रही है। और क्या धरनेदारोकी सजीव दीवारको हिंसा माननेके बारेमें किसी प्रकारके सन्देहकी गुंजाइश है? किसी आदमीको किसी कामसे रोकनेके लिए उसे मारने-पीटने और उसको वह काम करनेसे रोकनेके लिए उसके सामने दीवारकी तरह खड़े हो जानेमें अन्तर क्या है? असहयोग-आन्दोलन के दिनोमें जब बनारसके छात्रोने विश्वविद्यालयके प्रवेश-द्वारोंको बन्द कर दिया तो मुझे उन्हे वैसा करनेसे रोकनेके लिए कड़ा आदेश भेजना पड़ा था, और अगर मुझे ठीक याद है तो 'यंग इंडिया' के स्तम्भोमें मैंने उनकी इस कार्रवाईकी कड़ी निन्दा भी की थी। हाँ, अहिंसाके सम्बन्धमें जिनके विचार मेरे तत्सम्बन्धी विचारोसे भिन्न हैं, उनको समझानेके लिए मेरे पास कोई दलील नहीं है।

मुझपर जिस दूसरे असगत आचरणका आरोप लगाया गया है, उसका सम्बन्ध कारखानोके मालिकोंको दी गई मेरी इस सलाहसे है कि जिसे मैं हिंसामय धरना मानता हूँ, वैसे धरनेके खिलाफ वे पुलिसकी सहायता माँग सकते है। मेरे आलोचक मुझसे पूछते हैं: उपद्रवोको दबानेके लिए मन्त्रियोके पुलिस और सेनाकी मदद लेने

पर तो आपने उनकी भर्त्सना की, इसलिए अब आप मालिकोंसे पुलिसकी मदद लेने और मन्त्रियोंसे ऐसी मदद सुलभ करानेके लिए कैसे कह सकते हैं?

संयुक्त प्रान्तमें मन्त्रियोंकी कार्रवाईके सम्बन्धमें 'हरिजन' में क्या मैंने निम्न प्रकार नहीं लिखा[1] था:

> यह कहा जाता है कि जब हम स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे, तब दंगे तथा अन्य ऐसी बातें नहीं होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वतन्त्रताकी लड़ाईके दौरान अगर हम अहिंसात्मक कार्यके तत्वको अच्छी तरह समझकर हर एक कल्पनीय परिस्थितिमें उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी यह आशा थोथी ही होगी। जिस हदतक कि कांग्रेसी मन्त्रियोंको पुलिस या फौज का सहारा लेना पड़ा है, उस हदतक मेरी रायमें, हमें अपनी असफलता मंजूर करनी ही चाहिए। क्योंकि दुर्भाग्यवश यह बिलकुल ठीक है कि मन्त्री लोग इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते थे। अतः मेरी ही तरह अगर हरएक कांग्रेसवादी और कांग्रेस कार्य-समिति भी यह सोचती हो कि हम असफल हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वे इस बातपर विचार करें कि हम असफल क्यों हुए।

निस्सन्देह यह मन्त्रियोंकी कार्रवाईकी आलोचना नहीं है। यहाँ मैंने दुःख तो इस बातपर व्यक्त किया है कि ऐसा करनेकी जरूरत क्यों पड़ी। उसी प्रकार धरना देनेके सम्बन्धमें भी मुझे दुःख है तो इसी बातका कि उसके सम्बन्धमें सरकारको ऐसी कार्रवाई करनेकी जरूरत क्यों पड़े। आज देशकी जो अवस्था है उसमें मन्त्रियोंको अगर उसके राजकाजके संचालनका भार अपने सिर लेना है, तो जबतक हिंसात्मक अपराधोंका मुकाबला करनेके लिए कांग्रेस कोई अहिंसात्मक उपाय न निकाल ले, तब तक कांग्रेसी मन्त्रियोंको पुलिसका, बल्कि मुझे तो लगता है कि सेनाका भी उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वे पुलिस और सेना दोनोंका कोई भी उपयोग किये बिना काम चलाने अथवा उनके उपयोगको, लोगोंको स्पष्ट नजर आये, इतना कम कर देनेका उपाय नहीं निकालते तो यह उनके लिए भी और देशके लिए भी बड़ी अशुभ बात होगी। निस्सन्देह, उसका उपाय है। मैंने उसका थोड़ा आभास देनेकी भी धृष्टता की है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस-संगठन इस महान् कार्यके लिए वास्तवमें योग्य न हो। अहिंसामें सजीव श्रद्धाके बिना न पुलिससे छुटकारा है और न सेनासे।

कई हलकोंसे कांग्रेसियोंके बीच बढ़ती हुई बेअदबी, अनुशासनहीनता, बल्कि खुली हिंसा तककी शिकायतें आ रही हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि यह आरोप अधिकांश कांग्रेसियोंके बारेमें सही सिद्ध न हो।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २७-८-१९३८

1. देखिए खण्ड ६६, पृ० ४५१-५२।

४१५. पत्र : गोसीबहन कैप्टेनको

२७ अगस्त, १९३८

मैं बढ़ती हुई हिंसा और असत्यसे निबटनेके बारेमें अपने विचारोंको रूप देनेका प्रयास कर रहा हूँ। दोनों साथ-साथ ही पनपते-फैलते हैं।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई

४१६. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

२७ अगस्त, १९३८

अपनी सेहत बनानेके दौरान तुम्हारे मनमें कोई चिन्ता नहीं रहनी चाहिए। इस मामलेमें हम अंग्रेजोंकी नकल करें तो अच्छा। वे दफ्तरसे बाहर निकलते ही दफ्तरी झंझटोंको भुला देते हैं और हररोज तरोताजा बनकर कामपर आते हैं। यदि वे बीमार पड़ते हैं तो वे जानते हैं कि उनको विश्राम करना और विश्वास रखना चाहिए कि देशका काम उनके बिना भी पूर्ववत् चलता रहेगा। जीनेकी यही कला 'गीता' में बतलाई गई है। यही सबसे ठीक नियम है।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई

४१७. पत्र : वालजी गो० देसाईको

२७ अगस्त, १९३८

चि० वालजी,

तुम्हारा तीसरा लेख पढ़ गया। तीनों वापिस भेज रहा हूँ। एक नई स्मृतिकी रचनाका मन तो होता है, किन्तु मुझे उसका अधिकार नहीं है। और अधिकार माँगू भी तो उसके लिए जेलका अवकाश चाहिए। यहाँ स्थिति ऐसी है कि मैं चुनाव नहीं कर सकता। जो काम सिरपर आ पड़ता है उसे करना ही होता है। हाँ, जेलमें चुनाव करनेकी आजादी मिल सकती है।

नई स्मृतिकी रचनामें यदि तुम्हें हिस्सा लेना हो तो तुम्हें इस प्रश्नमें गहरे उतरना होगा। स्मृतियोंमें बहुत-सा अंश ऐसा है जो क्षेपक है। और कुछ अंश क्षेपक तो नहीं है, किन्तु त्याज्य है। वेदोंमें भी जितना कुछ मिलता है, वह सब शाश्वत

सत्य नहीं है। उसमें काव्य है, इतिहास है और शाश्वत सिद्धान्त भी हैं। हमें इन शाश्वत सिद्धान्तोंको ही ढूँढ़ निकालना है। पहले तो हमें उनके वचनोंकी व्याख्या करनेके नियम बना डालने चाहिए और फिर वेदोंसे लगाकर पुराणोंतक इन धर्म-ग्रन्थोंमें जो-कुछ है, उसके सम्बन्धमें अपनी मान्यताएँ जनताके समक्ष हिन्दू-धर्मके सार-तत्त्वके रूपमें पेश करनी चाहिए। यह सब करनेकी शक्ति तुममें तो है, लेकिन क्या मुझमें भी है? यह काम किसी एक व्यक्तिके करनेका नहीं है इसके लिए तो हमें अपने बीचसे एक मण्डलका निर्माण करना होगा। अब तुम्हें इस प्रश्नके सम्बन्धमें मेरे विचारोंकी कुछ झाँकी मिल जायेगी। मैं धर्मको जानता तो हूँ, किन्तु उसे वेदके रूपमें प्रस्तुत करना मुझे नही आता। मुझमें योग्यता नही है। एक तो मैं शास्त्रज्ञ नहीं हूँ और सबसे बड़ी कमी तो यह है कि इतना वीतराग नहीं हूँ। हाँ, अपने इसी जीवनमें वीतराग होनेकी आकांक्षा मैं अवश्य रखता हूँ। न हो पाऊँ तो मैं दुःखी नहीं होऊँगा। ईश्वरने मुझे जितनी शक्ति दी है उस सारी शक्तिका उपयोग मैं रागादि का नाश करनेके लिए कर रहा हूँ। यह भी जानता हूँ कि ऐसा करना मेरे लिए अशक्य नहीं है। किन्तु उतना समय है या नही, यह मैं नही जानता। इसलिए अभी तुम मुझे कुछ भी कच्चा मत भेजना। तुम्हारी भाषा मेरे लिए बहुत मोहक है, लेकिन इस मोहमें पड़कर भी मैं, तुमने जो भी भेजा, वह सब अभी स्वीकार नहीं कर सकता।

अपना स्वास्थ्य और सुधार सको तो सुधारना।

वहाँकी राजनीति सहनीय तो है न? प्यारेलालको अब कोई भय नही है

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई।

४१८. पत्र: देवदास गांधीको

२७ अगस्त, १९३८

चि० देवदास,

तुझे उत्तर लिखनेका समय ही मैं न निकाल सका। खानसाहबके विषयमें तू लिखता है वैसी छाप मेरे मनपर भी पड़ी है। तथापि वे इतने शंकालु हैं कि कह नही सकते कब क्या कर बैठेंगे। लेकिन ईश्वरमें श्रद्धा रखनेवाले भक्त पुरुष हैं, इसलिए अपनी भूलोंसे सुरक्षित निकल आते हैं और बहुत सम्भव है कि वे अपना सारा जीवन इसी प्रकार पूरा कर लें और निष्कलंक बने रहें। उनमें मानसिक आलस्य है इसलिए अमुक परिस्थितियोंमें क्या करना होगा, यह उनकी समझमें नही आता। और भोले भी हैं जिससे जिसपर उन्हें विश्वास बैठ जाता है उसकी सारी बात मान लेते हैं और जिसके प्रति उन्हें सन्देह होता है उसका कुछ नही मानते

और यदि कोई माने तो उससे नाराज हो जाते हैं। तथापि सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए उनके दोषोंका कोई खयाल नही करता।

प्यारेलाल इस बार तो उबर गया है। तूने जो लिखा है सो वह उसे बतानेका प्रभाव अच्छा नही पड़ेगा। अभी उसका शरीर ऐसा नही है कि वह तेरा विनोद सह सके और तेरा पत्र 'एडिट' करके तो उसे पढ़नेके लिए दिया नही जा सकता। उसका तापमान आज नही तो एक-दो दिनमें नार्मल हो जायेगा। मेरा कहना वह ज्यादातर मानता ही है। मुझे वह परेशान नही करता, इसलिए तेरे लिए चिन्ता करनेका कोई कारण नही है। मेरा मौन मेरे लिए बहुत फलदायी सिद्ध हुआ है इसलिए यदि उसे छोड़ना पड़ा तो उस समय मुझे कष्ट होगा। मुझमें क्रोध तो है ही। मौन इस क्रोधको पचा लेता हैं। आखिर, लिख-लिखकर कबतक क्रोध करता रहूँ?

यहाँ हम अति वर्षाकी आपत्तिसे जूझ रहे हैं। चतुर्दिक पानी टपक रहा है। उसका कुछ प्रमाण तो तुम्हे इस पत्रमें भी मिलेगा। गाँवमें रहनेका क्या अर्थ है, यह समझमें आ जाता है।

रामदासका पत्र इसके साथ रख रहा हूँ।

रामचन्द्रनके एक-दो दिनमें गिरफ्तार हो जानेकी सम्भावना है। राजकुमारी कल त्रावणकोरसे आ जायेंगी। बेचारीने अथक परिश्रम किया। लेकिन हमारे हिस्सेमें तो परिश्रम ही है न? सफलता-असफलता तो हमने ईश्वरको सौंप दी है या ऐसा कहो कि सौंप देनी चाहिए। नही सौंपेंगे तो हमें दु:खी होना पड़ेगा। बस; अब मैं तुझे और समय नही दे सकता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०११) से। महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी से भी; सौजन्य: नारायण देसाई।

४१९. बातचीत: हरिजन सत्याग्रहियोंके साथ[1]

[२७ अगस्त, १९३८][2]

अपने-आपको 'सत्याग्रही' कहनेवाले . . . हरिजन मित्र पिछले शनिवारको पद-यात्रा करते हुए सेगाँव पहुँचे और उन्होंने गांधीजीसे न्याय की माँग की। गांधीजी का मौन तो था ही, फिर भी उन्होंने उनसे मुलाकात की और लिखकर पूछा कि क्या वे लिखित उत्तरोंसे सन्तुष्ट हो सकेंगे। उन्होंने इसकी हामी भरी। गांधीजी ने उनसे उनके आनेका उद्देश्य पूछा।

१. महादेव देसाईकी "टिप्पणी" से उद्धृत।

२. महादेव देसाईने लिखा है कि हरिजन लोग गांधीजी से "पिछले शनिवार" को मिले थे। उस दिन २७ अगस्त थी।

उनके प्रवक्ताने कहा : हमने आपको सूचित किया था कि यदि आप किसी हरिजनको मन्त्रि-मण्डलमें सम्मिलित नहीं करायेंगे तो हम सेगाँव आयेंगे और वहाँ सत्याग्रह करेंगे। आपने हमको वैसा करनेसे रोका था। हम रुक गये थे और इसकी सूचना हमने आपको लिखकर दे दी थी। लेकिन जब हमारे पास आपका कोई उत्तर नहीं पहुँचा तो हमने अपना वचन पूरा करनेका निर्णय कर लिया।

गांधीजी : लेकिन आप चाहते क्या है और सत्याग्रहसे आपका मतलब क्या है?

हरिजन : हम चाहते हैं कि मन्त्रिमण्डलमें किसी हरिजनको शामिल किया जाये और हरिजनोंके लिए मन्त्रिमण्डलमें एक स्थान उसी तरह सुरक्षित किया जाये जिस तरह मुसलमानोंके लिए किया गया है।

गांधीजी : लेकिन यह तो मेरे करनेका नही है।

हरिजन : बिलकुल है। आप यरवदामें हरिजनोंके लिए अपने प्राणतक देनेको तैयार थे और आपके उपवासके फलस्वरूप ही यरवदा-समझौता हुआ था। आप हरिजनोंके लिए सब-कुछ कर सकते हैं।

गांधीजी : अपनी शक्ति-भर मैं सब-कुछ कर रहा हूँ। लेकिन उसे छोड़िए। आप यह बतलाइये कि सत्याग्रहसे आपका मतलब क्या है?

हरिजन : हम यहाँ तबतक निराहार रहेंगे जबतक कि नागपुरसे दूसरा जत्था हमारी जगह लेने नहीं आ जाता।

गांधीजी : आप खुशीसे ऐसा कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जगह का इन्तजाम कर दूँ। देखिए हमारे पास वैसे जगहकी तंगी है, लेकिन आप बतला दीजिए कि आप कहाँ बैठना चाहते हैं। हम वह जगह आपके लिए खाली कर देंगे।

हरिजन : हम लोग उपवास करेंगे और उपवासके दौरान पाँच-छः लोग हमारी जरूरतोंकी देख-भालके लिए हमारे पास रहेंगे।

गांधीजी : इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप तो अपनी जगह पसन्द कर लें, हम उसे आपके लिए खाली कर देंगे।

एक आश्रमवासीने उनके साथ जाकर उनको पूरा आश्रम दिखलाया। उसने लौटकर बतलाया कि वे महिलाओंके लिए सुरक्षित एक कुटियासे लगा हुआ एक कमरा और उसके सामनेका बरामदा भी चाहते हैं।

गांधीजी ने उन लोगोंसे कहलवाया कि वह कमरा महिलाओंके लिए सुरक्षित रखा गया है, इसलिए वे कोई दूसरा कमरा चुन लें।

आश्रमवासीने गांधीजी के कहे अनुसार किया, लेकिन लौटकर बतलाया कि वे दूसरी कोई जगह लेनेको तैयार नहीं।

गांधीजी : तब उसीको खाली कर दो। बा परेशान न हो। वह मेरे कमरेमें आकर रह सकती है और मैं वहाँ या आर्यनायकमके लिए बाहर बने मकानमें चला जाऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३-९-१९३८

४२०. पत्र : महादेव देसाईको

[१६ अगस्त, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० महादेव,

तुम्हारे दोनों लेख इसके साथ भेज रहा हूँ।

मैंने जो डाकका एक पुलिन्दा राजारामके साथ भेजा था, आशा है कि वह मिल गया होगा।

इसके साथ भी जो थोड़े-से पत्र तैयार हो सके, भेज रहा हूँ। राजकुमारी कुशलपूर्वक पहुँच गई। 'सत्याग्रही' अच्छे हैं। वे कोई उपद्रव नहीं करते।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६१७) से।

४२१. पत्र : द० बा० कालेलकरको

२८ अगस्त, १९३८

चि० काका,

दवा लेनेके बारेमें मैंने कल ही महादेवके साथ लिखकर भिजवाया है। देखें उसका क्या असर होता है। ताकत तो धीरे-धीरे ही आयेगी।

सि० एस० का वक्तव्य चाहो तो प्रकाशित किया जा सकता है यों फिलहाल इतना ही काफी होगा कि तुम्हारा मराठी लेख हिन्दीमें प्रकाशित हो जाये। बादमें देखेंगे। बातका कैसा बतंगड़ बन गया!

यदि तुम पैरों और शरीरकी मालिश कराओ तो अच्छा हो। ग्लूकोजके इंजेक्शनके [दर्दके] सम्बन्धमें सेकना ही सर्वोत्तम उपचार है। फिर भी एक बार उस पर मिट्टी बाँधकर देखना। रोगीके बारेमें यह नियम है कि उसे चुपचाप कुछ भी सहन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उसकी बहादुरी नहीं, मूर्खता है। डॉक्टरको मालूम होना चाहिए कि दर्द कहाँ है। यदि वह कहे कि सहन करो, तब तो सहन करना ही पड़ेगा। तुमने मेरा समय लिया इस बातकी चिन्ता मत करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६८२) से।

१. सत्याग्रहियोंके उल्लेखसे; देखिए पिछला शीर्षक।

४२२. पत्र : द० बा० कालेलकरको

२८ अगस्त, १९३८

चि० काका,

भोगीलाल पारेखने विशेष रूपसे कुछ सेव भेजे हैं। उनमें से छः मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। प्यारेलाल अच्छा है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०७) से।

४२३. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

२८ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

क्या तर्क है! मगनवाड़ीसे आनेवाला व्यक्ति न तो भारतनसे पूछता है और न झवेरभाईसे। इसमें सहयोगका अभाव नहीं है। कार्य-पद्धतिकी बात है। यदि कोई व्यक्ति रास्तेमें जमनालाल, किशोरलाल, राजेन्द्रबाबू, जाजूजी आदिसे पूछता हुआ हरिजन आश्रम होकर नायकम्के यहाँ पहुँचे और फिर महिला आश्रम और बालकृष्णके यहाँ भी हो आये तो यह कैसा सहयोग है! नियम तो यही है कि अकारण उस व्यक्तिको कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने ही तुम्हें पुर्जा भेजना बन्द कर दिया। मैंने यहाँकी खबरें वहाँ भेजना अपना कर्त्तव्य नहीं माना। क्या अब बात स्पष्ट हुई?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

लगता है, विजया मुझे पूरी बात नहीं लिखती।

बापू

[पुनश्च:]

प्यारेलालकी भतीजीके बारेमें मुझे कल ही पता चला। प्यारेलाल आनन्दपूर्वक है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६८) से।

४२४. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

२८ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

हुक्मका सवाल नही है। काकाकी आवश्यकताओंको तुम्ही समझते हो। यहाँके बारेमें तो तुम जानते ही हो। इसलिए ज्यादा अच्छी तरह तुम्ही यह बता सकते हो कि तुम कहाँ अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हो, और तुम्हें कहाँ अधिक आत्म-सन्तोष मिलेगा। काका स्वयं निर्णय नही कर सकते, क्योंकि तुम्हारे बिना उनका काम नही चल सकता। मै नही कह सकता, क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नही है। वह तो तुम्हारे पास ही हो सकती है इसलिए सहज ही तुमपर यह भार आ जाता है। तुम जो निर्णय करोगे उसे मै स्वीकार करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६९) से।

४२५. सन्देश : हरिजन सत्याग्रहियोंको

२८ अगस्त, १९३८

भाइयो,

आपको कष्ट उठाते देखकर मुझे पीड़ा पहुँचती है, इसलिए कि मै नही समझता कि आपके इस कष्ट-सहनसे कोई बात बननेवाली है। मेरा खयाल है कि आपने अज्ञानवश ही ऐसा व्रत लिया है। जैसा भी हो, आपका यह उपवास मेरे विचारोको नही बदल सकता। हमें उपवासोंका तरीका अपनाकर किसीपर दबाव नहीं डालना चाहिए। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उपवासका मार्ग त्याग दें और आन्दोलनका कोई दूसरा तरीका अपनायें।

साथ ही, मैं यह मानता हूँ कि किसी तरहका एक आन्दोलन जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक काग्रेसी मन्त्रिमण्डलका कर्त्तव्य है कि यदि सुयोग्य हरिजन मिले तो उसे मन्त्रिमण्डलमें शामिल किया जाये।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३१-८-१९३८

४२६. तार: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

वर्धागंज
२९ अगस्त, १९३८

ब्रजकृष्ण चाँदीवाला
कटरा खुशालराय, दिल्ली

दुःख[1] मनानेकी बात नहीं। ईश्वर उनकी आत्माको शान्ति दे। सस्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६६) से।

४२७. पत्र: प्रफुल्लचन्द्र घोषको

सेगाँव, वर्धा
३० अगस्त, १९३८

प्रिय प्रफुल्ल,

मुझे खुशी है कि तुम्हारे यहाँ खादी और सम्बद्ध ग्रामोद्योगोंकी प्रदर्शनी हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि दर्शकोंकी संख्या और बिक्री, दोनों ही दृष्टियोसे उसे शानदार सफलता मिलेगी।

तुम्हारा,
बापू

[पुनश्च:]

मेरा ताड़का गुड़ खत्म हो गया है और प्यारेलालके लिए जो अभी स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं, उसकी सख्त जरूरत है। कृपया रेल पार्सल या डाकसे जो भी सस्ता पड़े — कम-से-कम खर्चपर जितना ज्यादा भेजा जा सके, भेजो।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१. २६ अगस्तको इनकी माताका स्वर्गवास हो गया था।

४२८. पत्र: लालीको

सेगाँव, वर्धा
३० अगस्त, १९३८

प्रिय लाली,

यह अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी निर्णय-शक्तिमें विश्वास है। लेकिन मुझे उस विश्वासका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी निर्णय-बुद्धिका उपयोग करनेके बजाय मैं इस सवालका जवाब कि तुम कहाँ खुश रहोगे तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। अब चरित्र तथा चतुराई दोनोंमें योग्य बनकर अपने चुनावकी बुद्धिमत्ता तुम्हीं साबित करोगे।

अपनी प्रगतिकी सविस्तार रिपोर्ट कम-से-कम महीनेमें एक बार जरूर देते रहना।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४२९. पत्र: महादेव देसाईको

३० अगस्त, १९३८

चि० महादेव,

आशा है, लीलावती बहुत परेशान नहीं हुई होगी। बा बिगड़ रही थी कि मैंने क्यों जाने दिया।

जवाहरको एक तार देना:

इन्दुके स्वास्थ्यका समाचार तारसे देना। सबको स्नेह। बापू।[1]

कामसे पार पाना एक समस्या हो गई है। मैं 'हरिजन'के लिए लिखना चाहता था, किन्तु वैसा करना असम्भव हो गया।

बापूके आशीर्वाद

१. यह अंग्रेजी में है।

[पुनश्च :]

मैं किशोरलालका लेख पढ़ गया। भले यह ज्यों-का-त्यों प्रकाशित हो।

बापू

[पुनश्च :]

क्या तुमने नीमूको पैसे भेज दिये?

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३५) से।

४३०. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव, वर्धा
३० अगस्त, १९३८

चि० नारणदास,

राजकुमारी अमृतकौरका जन्म सन् १८८७ में हुआ था। वह स्वर्गीय राजा हरनामसिंहकी इकलौती कन्या हैं। स्वर्गीय राजा साहब कपूरथलाके महाराजाके सगे काका थे। राजकुमारीने आठ वर्षतक विलायतमें शिक्षा पाई। वह सन् १९२८ से स्त्रियोंके आन्दोलनमें भाग लेती आ रही हैं। आजकल अखिल भारतीय महिला मण्डलकी अध्यक्षा हैं। उनका रहन-सहन बहुत सादा है। बरसोंसे खादी पहनती हैं। चरखा संघ और ग्रामोद्योग संघकी सदस्या हैं और इन दोनो प्रवृत्तियोंमें भरपूर दिलचस्पी लेती हैं। इतनी सूचना तुम्हारे लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

छगनलालसे कहना कि यदि वह चाहे तो कुछ दिनके लिए [राजकुमारीके] काठियावाड़के दौरेकी व्यवस्था कर सकता है। दौरा कराना ही चाहिए, यह कोई निश्चित कर्त्तव्य नही है। यदि फिलहाल वातावरण अनुकूल न हो तो दौरा नहीं कराना चाहिए। मैंने उन्हें इसके लिए तैयार कर लिया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

राजकुमारी जन्मसे ईसाई हैं और कर्मसे हिन्दू। उन्हें किसी मन्दिरमें ले जानेकी बात नहीं उठती।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५४६ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

४३१. पत्र : प्रभावतीको

सेगाँव
३० अगस्त, १९३८

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिला। जो अकारण दुःखी होती हो उसे कौन सुखी बना सकता है। मैं तो प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि सुख-दुःख मन द्वारा कल्पित उपाधियाँ हैं। यदि जयप्रकाश मलाबार जाये ही नहीं तो क्या तुझे अनुमति नहीं मिलेगी? वह जब मलाबार जाये तो तुझे यहाँसे लेता जाये या वह वहाँ सीधे पहुँचे और उसी समय तू भी यहाँसे रवाना होकर वहाँ उससे आ मिले। शायद २० सितम्बरके आसपास मेरा सीमा-प्रान्त जाना होगा। यदि ऐसा हो तो तू यहीं रहेगी। लौटना २० अक्तूबरके आसपास होगा।

प्यारेलालको अब बुखार नहीं है, कमजोरी है। खतरा टल गया। मेरा मौन अनिश्चित कालके लिए है, कब टूटेगा यह तो भगवान ही जाने। किन्तु इससे तेरा कोई सम्बन्ध नहीं। तू तो जी भरकर बातें करना और मैं लिखकर उत्तर दूँगा। सच बात तो यह है कि तुझे बातें करनी ही क्या है? मेरे साथ रहनेसे ही तुझे मानसिक शान्ति मिल सकती है और मैं तेरे बारेमें निश्चित रह सकता हूँ। अतः यदि तू आ सके तो आ जा। तेरे अध्ययनके बारेमें मैं देख लूँगा।

मैं अच्छा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२०)से।

४३२. पत्र : एस० गुरचरनसिंहको

सेगाँव, वर्धा
३१ अगस्त, १९३८

प्रिय मित्र,

मुझे खुशी है कि तुम आजाद हो। तुम्हारी धमकीसे मुझे दुःख होता है और वह तुम्हारे योग्य नहीं है। रिहा राजनैतिक कैदियोंको ऐसा क्यों सोचना चाहिए कि उन्हें यह आशा करनेका हक है कि राष्ट्र उनका पालन-पोषण करेगा और उनके संबंधियोंकी शिक्षाका खर्च उठायेगा। जब त्याग ब्याजपर ब्याजके साथ अपनी कीमत

माँगने लगता है, तब उसका सारा मूल्य समाप्त हो जाता है। और तुमने जो भूख हड़तालकी धमकी दी है, उससे गलत चीज सही कैसे हो जायेगी?

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

एस० गुरचर्नासिंह
ओवरसियर
भूतपूर्व राजनैतिक कैदी

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४३३. पत्र: भारतन कुमारप्पाको

३१ अगस्त, १९३८

प्रिय भारतन,

रामदास गुलाटीने कताई संग्रहालय देखा। उनकी इंजीनियरकी आँखोंको इमारतमें त्रुटियाँ दिखाई दीं। मैंने उनसे कहा कि वे अपनी राय लिखकर दे दें। उनकी रिपोर्ट[1] साथमें है। तुम इसे ध्यानसे पढ़ जाओ और अगर लगे कि जो त्रुटियाँ बताई गई हैं, वे सचमुच हैं तो पता करो कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और साथ ही जहाँ सम्भव हो वहाँ उनको दूर भी किया जाये। हिन्दीमें कितना आगे बढ़ पाये?

सस्नेह,

बापू

संलग्न १

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५९५)से।

१. यह उपलब्ध नहीं है।
२. देखिए "पत्र: महादेव देसाईको", पृ० ३२९।

४३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
३१ अगस्त, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

शरीरमें शक्ति सीमित है, इसीलिए तुमको पत्र लिखनेकी अपनी इच्छा मुझे दबाये रखनी पड़ी।

इन्दुके बारेमें मेरे तारका तुमने अबतक उत्तर नही दिया।[1]

संघके बारेमें तुम्हारी चेतावनी मैंने देख ली है। मुझे तो वह खबर अफवाह जैसी ही लगती है, लेकिन अगर वह सचमुच इससे कुछ ज्यादाकी हैसियत रखती है तो भी मैं उसे कोई अहमियत नही देता। कांग्रेसकी सहमति प्राप्त किये बिना बैठक नहीं बुलाई जा सकती। और काग्रेसकी सहमति मिल नही सकती।

अब यहूदियोकी बात लें। मैं बिलकुल तुम्हारी तरह ही महसूस करता हूँ। मैं विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार करता हूँ, विदेशी योग्यताका नही। और उत्पीड़ित यहूदियोके लिए मेरे मनमें गहरी सहानुभूति है। मेरा एक ठोस सुझाव यह है कि तुम सर्वाधिक सुपात्र यहूदियोके नामोंकी एक सूची तैयार करो और उन लोगोंको यह स्पष्ट जतला दो कि उनको अपना भाग्य पूरी तौरपर हमारे साथ जोड़ना होगा और हमारे रहन-सहनके स्तरको अपना लेना होगा। शेष महादेव लिखेगा।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३८; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय। **ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स**, पृ० २८६ से भी।

१. देखिए "पत्र : महादेव देसाईको", पृ० ३२९।

४३५. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगांव
३१ अगस्त, १९३८

चि० नारणदास,

इसके साथ गोकलदासका चेक है। इसकी प्राप्ति-स्वीकृति तुम वहाँसे भेज देना। मैं यहाँसे नही लिख रहा हूँ। आशा है, जमना शान्त होगी।

हरखचन्दकी क्या खबर है?

मंजुने मेरे पत्रका उत्तर नहीं दिया। क्या पुरुषोत्तम उसके संगीतप्रेमको तुष्ट नही कर सकता।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुम वर्ष ठीक तरहसे बिता रहे हो। बहुत वर्ष बिताओ और सेवा करते रहो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू० / २) से। सी० डब्ल्यू० ८५४७ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

४३६. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

३१ अगस्त, १९३८

चि० अमृतलाल,

घी के बारेमें मुझे दुःख है। मुझे खबर ही नही थी। यहाँ एक प्रकारकी अराजकता है। और फिर तुम्हारा कोई पुर्जा नही था। जैसे ही मुझे पता चला, कि मैंने तुरन्त प्रबन्ध कर दिया। अब तुम्हें मिल गया होगा। गजानन आज सुबह ही काकाका पत्र लाया था, इसलिए इसमें तो देरी नहीं हुई। प्रभुके लिए उत्तर साथमें है। काकाको पसन्द आनेपर ही उसे भेजा जाये।

मुझे ६९ रुपयेकी हुंडी मिली है। फिलहाल तो घीका अकाल नजर आता है। पशुओंमें संक्रामक रोग फैल जानेके कारण कुछ हदतक दूध कम हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन १०७७०) से।

४३७. पत्र : राजकुमार सिन्हाको

[१ सितम्बर, १९३८ या उससे पूर्व][1]

प्रिय राजकुमार,

आज मुझे तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य जैसा है, उसे देखते हुए मैं बहुत ज्यादा कामके बोझसे दबा हुआ हूँ। इसलिए तुम्हें व अन्य मित्रोको पत्र लिखनेमें जो देर हो जाती है उसका यह अर्थ न लगाया जाये कि मेरी तरफसे उस मुख्य कामके प्रति लापरवाही बरती जा रही है जो तुम्हें व अन्य मित्रोको मेरे सम्पर्कमें लाया है। तुम्हारे लिए इतना काफी होना चाहिए कि मुझे तबतक शान्ति नही मिलेगी जबतक हर कैदीके बारेमें पूरा हवाला नही मिल जायेगा।

जब तुम मेरे पास आये थे, तब तुम्हारी सिपाही-जैसी चालढाल व चुस्तीको देखकर मैं मुग्ध हुआ था। आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम शान्तिके सच्चे सैनिकोंमें दर्ज कर सकूँगा। लेकिन वह बादमें।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

राजकुमार सिन्हा
कानपुर

अंग्रेजीकी नकलसे; प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल। हिन्दू, २-९-१९३८ से भी।

४३८. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

१ सितम्बर, १९३८

मैं समझता हूँ कि सरकार बिहार प्रान्तमें रखे गये राजनैतिक कैदी बी० के दत्त[2]के, जो गम्भीर रूप से बीमार हैं, विषयमें सोच-विचार कर रही है। उनके बारेमें आग्रहपूर्ण पत्र मिले हैं। प्रार्थना करता हूँ कि महामहिम बीचमें पड़कर हो सके तो जल्दी राहत पहुँचायें।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. हिन्दूकी रिपोर्ट, जिसमें यह पत्र छपा है, १ सितम्बर, १९३८की है।
२. भगतसिंहके निकट सहयोगी बटुकेश्वर दत्त।

४३९. पत्र : सुशीला गांधीको

१ सितम्बर, १९३८

चि० सुशीला,

बोल, सुरेन्द्र अच्छा है कि मणिलाल। मनु तो सुरेन्द्रकी प्रशंसा करते थकती नहीं। तुझे मणिलालमें कोई दोष दिखाई दिया या नही? तुझपर अंकुश रखता है या नही। यह तो हुआ हँसी-मजाक।

सीता आ रही है, यह बात मुझे तो अच्छी लगी है। लेकिन क्या इससे उसकी पढ़ाईमें हर्ज नहीं होगा? मेरे विचारानुसार पढ़ाई तो यहाँ भी होती है लेकिन वह भिन्न प्रकारकी है। दोनोंका मिश्रण नहीं हो सकता।

मेरे मौनसे तुझे और मनुको बुरा लगता है क्या? तुम लोगोंकी खातिर बोलनेका मन होता है, लेकिन अपनी शान्तिके लिए और कामके लिए भी मेरा मौन बहुत जरूरी है। इसलिए तुम दोनों खुशी-खुशी इसे सहन करो। मैं नहीं बोलता तो भी तुम दोनों मुझसे खेल तो पाती ही हो? यह मनुको पढ़ाना और दोनों खुशीके साथ अनुमति देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८१) से।

४४०. पत्र : महादेव देसाईको

२ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

आज मौलाना साहब भले ही दो बजे आयें। मैं तकली-यज्ञ छोड़ दूंगा अथवा जल्दी पूरा कर लूँगा। जैसा मन होगा वैसा करूँगा। जब आओ तब माताजी[1] के लिए कुछ सब्जियाँ लेते आना। दुर्गा अथवा लीला बाजार हो आयें।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३९) से।

१. प्यारेलालकी माँ।

४४१. पत्र : हरिशंकर पण्ड्याको[1]

[३ सितम्बर, १९३८ या उससे पूर्व][2]

सरदार उपद्रव नही भड़काने वाले है। वह राजकीय परिषद्के अध्यक्ष रहे है। कई राज्योंमें उनका मेहमानके रूपमें सम्मान किया गया है। परिषद्के अपने सहयोगियोंके प्रति उनका कर्त्तव्य है। वह मात्र एक पथ-प्रदर्शकके रूपमें जा रहे है। यह अजीव वात है कि तुम उनके आगमनको वाहरी हस्तक्षेप समझते हो। मैं आशा करता हूँ कि यदि आन्दोलन अल्पसंख्यक लोगोंतक ही सीमित है तो तुम उनकी उपस्थितिसे लाभ उठाकर वहाँ एकताका निर्माण करोगे। तुम सरदारपर भरोसा कर सकते हो। मैं बहुत-से कार्यकर्त्ताओंको जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें बुरे इरादे रखनेवाले आन्दोलनकारी नही मान सकता। कृपया इस पत्रको मायातों, लोहाना-समाज और मुस्लिम कौंसिलको भी, जिन्होंने मुझे तार दिये है, पढ़ाइये। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सद्बुद्धिसे काम लेगें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३-९-१९३८

४४२. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

३ सितम्बर, १९३८

त्रावणकोरमें इस समय जो दुःखद घटनाएँ घटित हो रही है, उनसे पीड़ित मुख्य-मुख्य कार्यकर्त्ताओके मैं घनिष्ठ सम्पर्कमें रहा हूँ। आशा थी कि मुझे कोई सार्वजनिक वक्तव्य देनेकी जरूरत न पड़ेगी। जो-कुछ प्रमाण प्राप्त हो सके है, उनका अध्ययन करने और त्रावणकोरके प्रतिनिधियोंसे भेंट करनेके बाद मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि त्रावणकोर-सरकार ऐसे दमनकारी तरीकोंको अख्तियार कर रही है जो अगर कुछ जरूरत भी हो तो उससे बहुत अधिक है।

त्रावणकोर-सरकारका यह कहना है कि त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके कार्य राज्यको उलटनेवाले और राजद्रोहात्मक है। मैंने उन कागजोको पढ़ा है जिनमें कहा जाता है

१. श्री पण्ड्या तथा कुछ अन्य लोगोंने तार दिये थे जिनमें गांधीजीसे अनुरोध किया गया था कि वे वल्लभभाई पटेलको किसान-आन्दोलनके सिलसिलेमें राजकोट जानेसे रोकें, क्योंकि वहाँ जो-कुछ हो रहा था, उसमें बाहरी हस्तक्षेपकी जरूरत नहीं थी।

२. सम्बन्धित समाचार जिससे यह पत्र लिखा गया है, ३ सितम्बरका था।

कि इस आरोपका समर्थन करनेवाला सबूत मौजूद है। मगर मुझे उस तरहकी कोई भी चीज नहीं मिली है। इसके विपरीत, मैंने देखा है कि राज्य-कांग्रेसने इस आरोपका खण्डन बड़े जोरदार शब्दोंमें किया है। हाँ, अगर उत्तरदायित्वपूर्ण शासनके लिए वैध आन्दोलन करना राज्यको उलटनेका प्रयत्न समझा जाये, तो बात दूसरी है।

पर मैंने त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसकी कार्य-समितिका वह स्मरण-पत्र पढ़ा है जिसमें बिना किसी सबूतके राज्यके योग्य दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरपर भारी आरोप लगाये गये हैं। स्मरण-पत्र तैयार करनेवालोंके पास अपनी बातके समर्थनके लिए प्रमाण उपलब्ध होता, तब भी ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। उत्तरदायित्व-पूर्ण शासनकी माँगके लिए इस प्रकारके प्रमाणकी जरूरत भी नहीं थी। ऐसे प्रमाणकी जरूरत उस स्मरण-पत्रमें हो सकती थी जो दीवानको हटानेके लिए पेश किया जाता। इस बातमें जरा भी सन्देह नहीं कि इन आरोपोंसे स्मरण-पत्र पेश करनेवालों की, अतः राज्य-कांग्रेसकी ही हानि हुई है, यद्यपि इनसे उत्तरदायित्वपूर्ण शासनका दावा कमजोर नहीं पड़ता।

मुझे इस बातमें कोई शंका नहीं कि अगर त्रावणकोरकी जनता अहिंसात्मक बनी रही और उसने अपना हौसला कायम रखा तो त्रावणकोरकी सरकारके भयंकर कार्योंसे उत्तरदायित्वपूर्ण शासनका पक्ष और भी मजबूत हो जायेगा। विद्यार्थियों द्वारा शारीरिक बल अथवा हिंसाका प्रयोग किये जानेकी खबरें अगर सही हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे ऐसा करनेसे अपना हाथ खींच लें और आन्दोलनको अहिंसात्मक रूपसे आगे बढ़ने दें।

मैं तो समझता हूँ कि जो नेता जेलमें बन्द कर दिये गये हैं, वे दीवानपर लगाये गये आरोपोंको वापस लेकर प्रायश्चित कर सकते हैं।

युवक महाराजा तथा महारानीसे भेंट करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है। मैं सर सी०पी० रामस्वामी अय्यरको भी कई सालोंसे जानता हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे दमनके तरीकोंको वापस ले लें, और राज्य-कांग्रेसको तबतक काम करने दें जबतक कि उसके काम शान्तिपूर्ण रहें। अगर कोई व्यक्ति उग्र भाषा काममें लाता है या हिंसाका तरीका अख्तियार करता है, तो उसके साथ उचित कार्रवाई करनेके लिए राज्यका साधारण कानून निश्चय ही काफी है। पर अब लोगोंसे यह आशा करना कि वे भाषणकी स्वतन्त्रताका और अपनी माँगोंका चुप-चाप दमन होने देंगे, उपद्रवको निमन्त्रित करना है।

मेरी तुच्छ रायमें, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्यायको राज्यमें प्रवेश करनेसे रोकना अव्वल दर्जेकी गलती थी। समझमें नहीं आता कि सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरने, जो खुद त्रावणकोरके बाहरके निवासी हैं, किस प्रकार एक प्रतिष्ठित भार-तीय महिलाको इस आधारपर प्रवेश करनेसे रोका कि वे त्रावणकोरके बाहरकी हैं। अगर वे आज्ञाका उल्लंघन करतीं तो राज्यका कानून उन्हें सजा दे सकता था। मेरा खयाल था कि यह सिर्फ अंग्रेज शासकोंका ही काम है कि एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त जानेवाले भारतीयोंको विदेशी करार दें। भारतीय राजाओं और उनके

मंत्रियोंको यह शोभा नही देता कि वे इस हानिकारक रिवाजका अनुसरण करे। इस प्रथाके लिए अनेक अंग्रेज सज्जन हृदयसे लज्जित है। मुमकिन है कि सरकारने जो दमनकारी तरीके अख्तियार किये है, उनसे वह आन्दोलनको कुछ समयके लिए खत्म करनेमें समर्थ हो जाये। पर यह आन्दोलन कभी भी मर नही सकता, और अपने पीछे कटु स्मृति छोड़ जायेगा। मुझे आशा है कि विवेकसे काम लिया जायेगा और राज्य-कांग्रेसको समुचित रूपसे काम करनेकी इजाजत दे दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-९-१९३८

४४३. कांग्रेसको क्या पसन्द है?

काग्रेसियोंमें धीरे-धीरे हिंसाके प्रवेश करते जानेकी खबर पाकर मैंने इस विषय पर जो लेख[1] लिखा था, उसके प्रकाशनके बादसे मेरे पास ऐसे साक्ष्य आते रहे है जिनसे पत्र-लेखकों द्वारा की गई शिकायतोकी पुष्टि होती है। इन साक्ष्योसे ज्ञात होता है कि काग्रेसके चुनावोमें हिंसा बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है, मानो काग्रेस को जो सत्ता मिली है, वह काग्रेसियोंको हजम नही हो रही है। हर आदमी पदोकी लूटमें अपना हिस्सा माँग रहा है। इसलिए काग्रेस-कमेटियोको अपने-अपने कब्जेमें करनेके लिए बहुत ही हानिकर आपाधापी मची हुई है।

यह स्वराज्य प्राप्त करनेका तरीका नही है, और न सरकारमें पद स्वीकार करनेसे सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका ही। कांग्रेसी सरकारमें कोई भी पद ग्रहण करनेके पीछे सेवाकी भावना होनी चाहिए, निजी लाभका खयाल तो बिलकुल नही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आज २५ रुपये माहवारी वेतनसे सन्तुष्ट है तो मन्त्री बनने या सरकारमें कोई और पद प्राप्त होनेपर उसे २५० रुपये माहवारीकी अपेक्षा रखनेका कोई अधिकार नही है। और ऐसे बहुत-से काग्रेसी है जो लोकसेवी संस्थाओंमें काम करते हुए केवल २५ रुपये माहवारी लेते है, लेकिन जिनमें मंत्रित्वके दायित्वको सँभालनेकी पूरी योग्यता है। बगाल और महाराष्ट्र ऐसे सुयोग्य लोगोसे भरा पड़ा है जिन्होने अपने-आपको जन-सेवाके लिए समर्पित कर दिया है, जो उन संस्थाओसे अपने गुजारे-भरके लिए ही कुछ लेते है और जिनमें किसी भी स्थान या पदको सुशोभित करनेकी योग्यता है। लेकिन उन्होने अपने लिए सेवाका जो क्षेत्र चुना है उसे छोड़नेके लिए उन्हे ललचाना नहीं चाहिए और उन्होने अपने लिए स्वेच्छासे प्रसिद्धिसे दूर रहकर चुपचाप सेवा करते रहनेके लिए जो क्षेत्र चुना है उससे उन्हें बाहर खीच लाना भूल होगी। यह बात सारी दुनियाके बारेमें और विशेष रूपसे शायद इस देशके सम्बन्धमें सच है कि आम तौरपर सबसे अच्छे और सबसे

१. देखिए खण्ड ६६, पृ० ४५०-५२।

बुद्धिमान लोग मंत्री बनना या सरकारमें अन्य पद स्वीकार करना नही चाहेंगे। लेकिन यह तो विषयान्तर होता जा रहा है।

हो सकता है, कांग्रेसी सरकारोंको चलानेके लिए हमें सदा सबसे अच्छे और सबसे बुद्धिमान स्त्री-पुरुष ही नहीं मिलें, लेकिन अगर मंत्री और अन्य पदासीन कांग्रेसी निस्स्वार्थ, योग्य और सच्चरित्र नहीं है तो स्वराज्य एक सुदूरवर्ती स्वप्न बनकर रह जायेगा। और अगर कांग्रेस-कमेटियाँ पद-प्राप्तिके ऐसे अखाड़े बन जाती हैं जिनमें जो सबसे अधिक हिंसक है उसीकी जीत होनी है तो फिर हमें वैसे निस्वार्थ, योग्य और सच्चरित्र आदमी मिलनेवाले नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि इस संस्थाकी शुद्धताकी रक्षा कैसे की जाये। आज तो कांग्रेसके ध्येय-पत्रपर हस्ताक्षर करके और चार आने देकर कोई भी कांग्रेसका सदस्य बननेकी माँग कर सकता है। बहुत-से लोग कांग्रेसके प्रतिज्ञापत्रपर तो हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि स्वराज्य-प्राप्तिकी शर्तोंके रूपमें सत्य और अहिंसाका पालन करना आवश्यक है। मैंने 'उचित और शान्तिमय' के पर्यायके रूपमें "सत्य और अहिंसा"का प्रयोग किया है, इसपर कोई व्यर्थकी आपत्ति न करे। कांग्रेसके इस संविधानके आरम्भ-कालसे ही मैं इन विशेषणोंका प्रयोग करता आया हूँ, लेकिन आजतक इसपर किसीने आपत्ति नहीं की है। अहिंसा शब्दको मैंने पहले-पहल कलकत्तामें कांग्रेस द्वारा पास किये गये असहयोग-प्रस्तावमें किया था। क्या कोई असत्यमय बात भी उचित हो सकती है और हिंसामय चीज भी शान्तिमय हो सकती है? मगर जो भी हो, मैं मानता हूँ कि इन दो बुनियादी शर्तोंका — आप इनके लिए चाहे जिन विशेषणोंका प्रयोग कीजिए — उल्लंघन करनेवालोंके लिए तबतक तो कांग्रेसमें कोई स्थान नहीं हो सकता जबतक कि उसका संचालन वर्तमान संविधानके अनुसार हो रहा है।

इसी प्रकार जो लोग अपनी पोशाकमें बराबर खादीका ही प्रयोग नहीं करते, उनके लिए भी किसी कांग्रेस-कमेटीमें कोई स्थान नहीं है। यह शर्त उन लोगोंपर भी लागू होनी चाहिए जो कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या कार्य-समितिके महत्वपूर्ण प्रस्तावोंपर अमल नहीं करते। मेरा इलाज तो यह होगा कि इन तीन शर्तोंमें से किसी को भी भंग करनेवाले व्यक्तिको सहज ही कांग्रेसकी सदस्यतासे हट गया मानना चाहिए। इसपर कहा जा सकता है कि यह इलाज तो बहुत कड़ा है। अगर इसे सजाके रूपमें देखा जाये तो यह निस्सन्देह बहुत कड़ा है। लेकिन अगर यह किसी कार्य-विशेष या चूकका सहज परिणाम माना जाये तो यह सजा नहीं रह जाता। मैं जानता हूँ कि सुलगती भट्टीमें अंगुली डालूँगा तो वह जलेगी ही, फिर भी मैं वैसा करता हूँ तो मुझे जो कष्ट होगा, वह सजा नहीं, बल्कि मेरे कार्यका स्वाभाविक परिणाम होगा। सजा न्यायाधीशकी इच्छापर निर्भर होती है। स्वाभाविक परिणाम तो किसी भी मनुष्यकी इच्छासे परे हैं।

इसपर कोई कह सकता है कि इन परिस्थितियोंमें कांग्रेस लोकतान्त्रिक संस्थाके बजाय थोड़े-से लोगोंकी संकुचित संस्था बनकर रह जायेगी।

मगर मेरा विचार इसके सर्वथा विपरीत है।

मेरे विचारसे पश्चिमी दुनियाका लोकतन्त्र नाम-मात्रका ही लोकतन्त्र है। उसमें सच्चा लोकतन्त्र तो तभी स्वरूप ग्रहण करेगा जब हिंसाका पूर्ण त्याग कर दिया जायेगा और धोखाधड़ी मिट जायेगी। हिंसा और धोखाधड़ी एक-दूसरीकी सहचरी हैं। अगर भारतको सच्चा लोकतन्त्र विकसित करना है तो वह हिंसा या असत्यको किसी भी रूपमें स्थान नही देगा। कांग्रेसके एक करोड सदस्य भी, अगर उनके हृदयमें हिंसा और सत्य बसा हुआ है तो सच्चे लोकतन्त्रका विकास नही कर पायेंगे और न स्वराज्य ही स्थापित कर पायेंगे। लेकिन मैं इस बातकी कल्पना कर सकता हूँ कि दस हजार कांग्रेसी भी अगर सच्चे है और अपने असंख्य सन्दिग्ध साथियोंका बोझ ढोनेके दायित्वसे मुक्त हैं तो उतने ही लोग स्वराज्य स्थापित कर सकते है।

अब अतीतपर थोड़ा विचार करें। कोई पचास वर्ष पूर्व मुट्ठी-भर स्त्री-पुरुषों ने तय किया कि हम साथ मिलकर बैठें और करोड़ों मूक मानवोंके दु:ख-दर्दको समझ कर उसे वाणी दें। समयने उनके दावेकी सचाई सिद्ध कर दी है। तबसे काग्रेसकी प्रतिष्ठा बढती ही गई है—सो उसके सदस्योकी संख्यामें हुई वृद्धि अथवा सार्वजनिक मंचों या समिति-कक्षोमें कांग्रेसियो द्वारा प्रदर्शित बौद्धिक क्षमताके अनुपातमें नहीं, बल्कि वह बढी है कांग्रेसियोकी राष्ट्रके लिए कष्ट सहने और त्याग-बलिदान करनेकी सामर्थ्यके अनुपातमे। इस बातसे कोई इनकार नही कर सकता कि १९२० में जब कांग्रेस एक ऐसी लोकतान्त्रिक विधिवत् निर्वाचित संस्था बन गई, जिसकी मतदाता-सूचीमें हजारो नाम दर्ज थे, उस समय उसमें जो एक नई शक्तिका बोध जगा उसका कारण केवल यह था कि उसने सोच-समझकर सत्य और अहिंसाको अपनी लक्ष्य-सिद्धिका साधन बनाया। और आज भी कांग्रेसमें जो भारी शक्ति मौजूद है उसकी तुलनामें उसके सदस्योकी संख्या कुछ नही है। मेरी समझसे इसका कारण यह है कि कांग्रेस जिस त्याग, संगठन और अनुशासनका परिचय देती रही है उसकी बराबरी भारतकी कोई संस्था नहीं कर सकती। लेकिन एक अनुभवी सेवक और सेनापतिकी हैसियतसे मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि यदि हम स्वराज्य-प्राप्तिमें अनेक वर्ष नही लगाना चाहते हैं तो हमें अपने इन गुणोका परिचय आजकी अपेक्षा भी बहुत अधिक प्रमाणमें देना होगा। मेरा विश्वास है—और यह विश्वास सही विचार तथा तथ्योके सूक्ष्मतम निरीक्षणपर आधारित है—कि यदि हम काग्रेसकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें ऊँची कार्य-कुशलता तथा वैसी ही ऊँची ईमानदारीका परिचय दें तो हम जो-कुछ चाहते हैं, उसे हम इतनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं जितनी जल्दी प्राप्त करनेकी हममें से कोई कल्पना भी नही करता।

अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए ब्रिटेनवालोंके अहितकी कामना करना सच्चे शूर-वीरोके नाते हमें शोभा नही देगा। अहिंसक लड़ाईमें शत्रुके अहितकी कामना करनेकी अनुमति नहीं है। अहिंसक आदमी अपनी शक्तिपर भरोसा रखता है और अपने शत्रुओकी कमजोरीका अनुचित लाभ नही उठाता।

इसलिए अपनी प्रतिज्ञामें विश्वास रखनेवाले प्रत्येक कांग्रेसीसे मैं अपने हृदयकी सम्पूर्ण उत्कटताके साथ अपनी पसन्द जाहिर करनेका अनुरोध करता हूँ: या तो वह जैसा मैंने सुझाया है वैसा उपचार करके कांग्रेसको उसके सिद्धान्तमें विश्वास न रखनेवालें लोगोंसे मुक्त बनाये या अगर कांग्रेस पहलेसे ही ऐसे लोगों द्वारा संचालित हो रही है जिन्होंने उसके सिद्धान्त और रचनात्मक कार्यक्रममें, जो उसकी शक्तिकी असली आधारशिला है, अपनी आस्था खो दी है और इस कारण उक्त उपचार अव्यवहार्य हो तो वह कांग्रेसकी ही खातिर कांग्रेससे अलग हो जाये और तब इस भावसे मानो अपने आदर्शोकी दृष्टिसे कांग्रेससे कभी अलग हुआ ही नहीं, उसके सिद्धान्तका आचरण करके और उसके कार्यक्रमको कार्यान्वित करके उस सिद्धान्त और कार्यक्रममें अपनी आस्था सिद्ध करे। यदि दोमें से कोई भी मार्ग नहीं अपनाया जाता तो मुझे कांग्रेसके अपनी ही कमजोरीसे बैठ जानेका खतरा दिखाई दे रहा है।

इन पंक्तियोंको लिखना मेरे लिए कोई सुखद अनुभव नहीं रहा है। लेकिन मनमें ऐसी प्रेरणा जगनेके बाद अगर मैं यह चेतावनी साफ-साफ न दे देता तो वह कांग्रेसके साथ बेईमानीका व्यवहार होता। यह मौनका स्वर है, क्योंकि पाठकोंको मालूम होना चाहिए कि पखवाड़े-भरसे भी पहलेसे मैंने अनिश्चित कालका मौन ले रखा है। उससे मुझे ऐसी शान्ति मिली है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उसने मुझे प्रकृतिके साथ तादात्म्य स्थापित करनेकी शक्ति दी है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३-९-१९३८

४४४. पत्र: महादेव देसाईको

३ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

ये मैंने कल ही लिख डाले थे। आज मैं डेढ़ बजे जाग उठा था। तभीसे हि० म० का मामला मेरे मनको मथ रहा है। मैं इस बारेमें लिख रहा हूँ। यह याद रखना कि आज तुम्हें तीन बजेसे पहले नहीं आना है। दोनों तार बिना किसी भूलके भेजे जायें। यह कहनेकी जरूरत तो नही थी किन्तु तुम्हारे कामके बोझको ध्यानमें रखकर लिख रहा हूँ। 'भूल' के दो अर्थ करना — एक तो नकल जैसी-की-तैसी होनी चाहिए और दूसरा, यदि तुम्हें यह लगे कि मैंने कहीं भूल की है तो उसे सुधार देना। यदि कोई सन्देह हो तो मुझसे पूछ लेना। यदि तुम उसे व०को दिखानेके लिए प्रतीक्षा करना चाहो तो कर लेना। जल्दी तो त्रावणकोरके बारेमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६२०) से।

४४५. पत्र: द० बा० कालेलकरको

सेगांव
३ सितम्बर, १९३८

चि० काका,

बम्बईके बारेमें मुझे कुछ याद ही नही पड़ा। अब तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो।

क्या अमृतलालने कुछ निर्णय किया? 'स्मृति' के बारेमें तुम जो कहते हो, वह मुझे रुचता है। यदि तुम अन्य लोगोके साथ मिलकर चुनाव कर सको तो करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०८) से।

४४६. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

३ सितम्बर, १९३८

चि० ब्रजकृष्ण,

मेरा मन तो तुमारे पास ही रहा है। मां गई और तुम उनके नजदीक नहीं थे उसका दुःख तो अवश्य रहे। लेकिन हम कहाँ मौतको मौत मानते हैं। मौत एक बड़ा परिवर्तन है। बाकी शरीरका परिवर्तन तो नित्य होता है। जिस जीवके साथ संबंध था उसने तो स्थानान्तर ही किया है उसमें शोक क्या? यहां आना है तब आ सकते हो थोड़े ही दिनोमें मुझे दिल्ही आना होगा इसलिये खर्चसे बचना है तो बचो। यहांकी हवा भी अच्छी नहीं है। सब भाईयोंको —

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६५) से।

४४७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
४ सितम्बर, १९३८

भाई वल्लभभाई,

तुम कहाँतक दवाके बलपर रहोगे। तुम्हें कौन-सा राज्य लेना है? तुमसे जितना हो सके उतना काम करो। अपने शरीरको सँभालो, अन्यथा हिंसाके दोषी माने जाओगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो — २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२४

४४८. पत्र : कृष्णचन्द्रको

४ सितम्बर, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

पहले खतके बारेमें इतना हि कि मेरे दिलमें स्वादका[1] शक आया ही नहीं है।

दूसरेके बारेमें बात यह है कि मुझे हाजत रहती है तब तो दबाने देता हूं अन्यथा चंद मिनटमें बंध करता हूं। हाजत न होने पर भी अम्तुस्सलामको क्यों आने दूं? मुझे तो यह पता भी नहि था कि वह हमेशा तुमको जगाती है — बाकी जब अम्तुस्सलाम मुझको छोडेगी और लीलावती नहीं होगी तो तुमारे मेरे ही नजदीक सोना है। पीछे देखना कान कैसे लाल करता हूं। मुन्नालालकी माफी अवश्य मांगो। कब्ज न होने पाय।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०१) से।

१. मूलमें यह शब्द अस्पष्ट है।

४४९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

[५ सितम्बर, १९३८][1]

अपने आचरणका औचित्य सिद्ध करते हुए डॉ० खरे द्वारा दिया गया बयान मैंने पढ़ लिया है। उसके जिस एकमात्र हिस्सेका मुझसे सीधा सम्बन्ध है, उसका उत्तर देना जनताके प्रति मेरा कर्त्तव्य है। डॉ० खरेकी बातोका खण्डन करते हुए मुझे सचमुच बहुत दुःख हो रहा है।

वे सेगाँव अपनी मर्जीसे आये थे — और एक मित्रकी तरह आये थे। जब वे आये, उनके मनमें कोई शिकवा-शिकायत नही थी। मैंने उनपर जो आरोप लगाये उनके सत्यको उन्होंने काफी दलील-बहसके बाद स्वीकार किया। जब मेरी दलीलोकी सचाई उनकी समझमें आ गई, तब उन्होने बेहिचक कहा कि मै पूरी तरहसे आपकी इच्छाके अधीन हूँ। इसपर मैंने कहा कि स्पष्ट ही आप अपना संतुलन खो बैठे है, इसलिए अगर आप अपने मित्रोसे सलाह-मशविरा करना चाहें तो कर लें, साथ ही मैंने उन मित्रोके नाम भी बताये। बहुत जल्दबाजी करनेकी तो कोई बात थी नही। लेकिन उन्होने कहा कि मै खुद ही फैसला कर सकता हूँ और इसपर मुझे किसी मित्रकी सलाह लेनेकी जरूरत नही है। अब मैंने कहा कि अच्छा हो, आपने अभी जो-कुछ स्वीकार किया है, उसे आप लिख डालें। इसपर उन्होंने कहा कि मै कोई अच्छा मसौदाकार नहीं हूँ, इसलिए आप ही मेरा वक्तव्य तैयार कर दीजिए। मगर मेरा उत्तर था कि मै तो आपकी भाषा चाहता हूँ। आप मसविदा तैयार कर ले; फिर अगर मुझे लगा कि आपने जो-कुछ स्वीकार किया वह उसमें ठीकसे नही आ पाया है तो मैं उसमें संशोधन-परिवर्धन कर दूंगा।

कुछ हिचकिचाहटके बाद उन्होंने कलम और कागज उठाया और एक मसौदा तैयार कर दिया। उनसे मसौदा लेकर मैंने उसमें सशोधन-परिवर्धन किये।[2] अब उसे उन्होने दो-तीन बार पढ़कर कहा कि विश्वास-भंगका आरोप तो मैं कभी स्वीकार नही कर सकता, और बहरहाल, मैं अभी यहाँ कोई वक्तव्य जारी भी नही कर सकता और इसके बजाय मै अपने मित्रोसे सलाह-मशविरा करनेका आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ। तय पाया गया कि अगले दिन तीन बजे वे मुझे अपना उत्तर सुलभ करा देंगे। अध्यक्ष, मौलाना साहब और सरदार पटेल यही है। मैंने उनसे पूछताछ की है और उन लोगोने भी मेरे द्वारा वर्णित इन तथ्योकी पुष्टि की है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-९-१९३८

१. हिन्दुस्तान टाइम्स से।

२. खरे का मसविदा और उसमें गांधीजी द्वारा किए गये संशोधन-परिवर्धन के लिए देखिए परिशिष्ट ३।

४५०. पत्र : महादेव देसाईको

५ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

देवदासके लिए तार इसके साथ है। हमें 'हरिजन' के लिए इस तरह कुछ नहीं लेना चाहिए। किन्तु तुम्हारी मेहनत तो बेकार नहीं गई।

मैं तुम्हारी टिप्पणी यहाँ टाइप करा लूँगा। मेरा लेख लगभग तैयार है। जल्दी तैयार हो या जब भी तैयार हो मैं उसे यहींसे भेजूँगा।

तुमने पत्र लिखकर अच्छा किया। तुमने मुझे ही लिखा यह तो बहुत बड़ी बात हुई। मैंने उसे पढ़कर फाड़ दिया है। यह बहुत अजीब बात है! जब तुम आओगे तो मैं लिख दूँगा। चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है। हास्यास्पद ही है। फिलहाल ऐसी बातोंमें पड़नेका हमारे पास समय ही कहाँ है? मेरे रक्तचापकी बातको भूलकर तुम अपने कर्तव्यका पालन करना। यदि तुम पत्र न लिखते तो वह बड़ी गलती होती।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४०) से।

४५१. पत्र : राधाकृष्ण बजाजको

५ सितम्बर, १९३८

भाई राधाकिसनजी,

भाई चक्रयाको हाथ मागका कुछ सामान चाहीये। जो दे सकते हो, दिया जाय। अनसूया व बालक कैसे हैं? मैं तो दोनोंको भूल-सा ही गया हुं।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१२४) से।

४५२. पत्र : अब्दुल गफ्फार खाँको

सेगाँव, वर्धा
६ सितम्बर, १९३८

प्रिय खान साहब,

कार्यकारिणीकी तारीख आखिरकार तय हो गई है। उसकी बैठक २० तारीखको दिल्लीमें होगी। मैं वहाँ २० को पहुँच रहा हूँ। आशा है, आप भी उपस्थित होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दिल्लीकी बैठकके एकदम बाद सीमा-प्रान्त जा सकता हूँ। आप कृपया अपना सुझाव दें।

मैं अमतुस्सलामको अपने साथ ले जाऊँ या नहीं, यह भी लिखें।

आशा है, आप ठीक होंगे। क्या 'हरिजन' नियमित रूपसे पढ़ते हैं? यदि नहीं तो पढ़ना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४५३. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

६ सितम्बर, १९३८

त्रावणकोरके दीवानका वक्तव्य मैंने यथोचित ध्यानसे पढ़ा है। मुझे लगता है, मैं ऐसे किसी बहानेकी आड़ नहीं ले सकता कि त्रावणकोरमें घट रही दुःखद घटनाओंके जो समाचार अखबारोंमें समय-समयपर प्रकाशित होते रहे हैं, उनकी कोई खबर मुझे नहीं है।[1] सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरने अपनी नीतिके बचावमें जो दलीलें पेश की हैं वे सविनय-अवज्ञा आन्दोलनके दौरान ब्रिटिश सरकारकी ओरसे प्रकाशित होनेवाली रिपोर्टोंके संस्करण-जैसी लगती हैं। जिस तरह आज त्रावणकोरके हत्याकाण्डको उचित ठहराया जा रहा है, उस तरह तो जलियाँवाला हत्याकांडका औचित्य भी सिद्ध करनेकी कोशिश नहीं की गई थी। क्या बादमें जनरल डायरके कामकी भर्त्सना नहीं हुई थी? इस मामलेमें भी कुछ वैसा ही होनेकी सम्भावना दिखाई देती है।

१. त्रावणकोरके दीवानने अपने एक वक्तव्यमें कहा था कि "महात्मा गांधीको असलियतकी कतई कोई जानकारी नहीं है।"

सर सी० पी० रामस्वामीसे मेरा अनुरोध है कि सर मिर्जा इस्माइलका अनुकरण करते हुए वे सारे मामलेकी जाँचके लिए किसी ऐसे बाहरी आदमीको नियुक्त करें, जिसकी ईमानदारीमें किसी प्रकारके सन्देह कि गुंजाइश न हो। वे आम माफीकी घोषणा करके लोगोको विचार-अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता दें। त्रावणकोर-सरकारसे मेरा निवेदन है कि दमन-चक्र चलानेके लिए बाहरसे फौज तथा विशेष अधिकारी मँगानेकी बजाय वह — अगर कांग्रेसियोंसे उसे चिढ़ है तो परम माननीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री-जैसे किसी व्यक्तिको आमन्त्रित करे कि वह त्रावणकोर जाकर और अधिक सैनिक कार्रवाईके बिना वहाँ फिरसे शान्ति स्थापित करनेमें उसकी मदद करे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १०-९-१९३८

४५४. अमृतकौरको लिखे पत्रका अंश[1]

६ सितम्बर, १९३८

इसे फटकार न समझना। जो-कुछ तुमने किया है वह अच्छे-से-अच्छे उद्देश्य और मेरे प्रति अपने प्रेमके कारण ही किया है। लेकिन कोई काम करनेका भी एक तरीका होता है। इसके ज्ञानके बिना हमारा प्रेम भटक सकता है। प्रेम तो प्रतीक्षा करता है; प्रार्थना करता है, उसमें अनन्त धैर्य होता है। तुम भला करनेके लिए अधीर हो। अगर तुम मेरी बात समझ गई होगी तो तुम खुशीसे नाच उठोगी कि मुझमें तुम्हें एक ऐसा मित्र मिल गया, जिसके प्रेमकी कोई सीमा नहीं है।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४२१८)से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७८५४ से भी।

४५५. पत्र: हर्षदाबहन दीवानजीको

६ सितम्बर, १९३८

प्रिय बहन,

तुम्हारी प्रसादी मिली। मैंने सुना है कि स्त्रियोंको अपनी आयु छिपानेकी आदत होती है। अपनी आयु छिपाकर क्या तुमने उक्त कथनको सही सिद्ध करना चाहा है? जो हो तुम शतायु होओ।

रोज सौ तार अधिक कातनेके लिए यदि तुम्हें धन्यवाद चाहिए तो लेना। किन्तु कर्तव्य-पालनमें धन्यवादको स्थान ही कहाँ है?

१. पत्रके पहले ३ पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं।

तुम जब चाहो तब आ सकती हो।

बापूके आशीर्वाद

श्री हर्षदाबहन दीवानजी
खार
बम्बई

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७९५) से।

४५६. पत्र : लॉर्ड ब्रेबॉर्नको

सेगाँव, वर्धा
७ सितम्बर, १९३८

प्रिय लॉर्ड ब्रेबॉर्न,[1]

राजनैतिक कैदी बी० के० दत्तके बारेमें मेरे तारका आपने तुरन्त एवं सहानुभूतिपूर्ण[2] उत्तर दिया, यह बात मेरे हृदयको छू गई है। पत्रके लिए धन्यवाद।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

४५७. पत्र : महादेव देसाईको

७ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

तुम सुबहके समय फलों — मुसम्बी या अंगूरका रस लेना शुरू करना। दूधकी मात्रा एक पाव बढ़ा देना। भात कम खाना। उसके बदले गेहूँ लेना। काफी पानी तो पीते ही हो। बहुत अधिक चलना बन्द कर देना; किन्तु धीरे-धीरे एक चालसे दो घंटेतक अवश्य घूमना। रातको विश्रामके समयका कड़ाईसे पालन करना चाहिए। यदि काम बाकी रह जाये तो उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। कुछ काम यहाँ कराया जा सकता है। शेष अगले पत्रमें। आज यहाँ आनेका आग्रह बिलकुल मत रखना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४१) से।

१. बंगालके राज्यपाल जो वाइसरायके कर्तव्य निभा रहे थे।

२. ब्रेबॉर्नने गांधीजी के १-९-१९३८ के तारकी पहुँच स्वीकार करते हुए उन्हें सूचित किया था कि उन्होंने कैदीको बीमारीके कारण कुछ शर्तोंपर रिहा करनेके लिए अपनी सहमति दे दी है।

४५८. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

७ सितम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

जिस पत्रमें तूने प्रश्न पूछे थे, उसकी मुझे याद नहीं पड़ती। जब तेरे पत्रोंका उत्तर देने या तदनुसार अमल करनेकी आवश्यकता होती है तो मैं तार देनेमें भी संकोच नहीं करता। सरस्वतीके पूरी तरह मानसिक शान्तिके द्योतक पत्र मिलते रहते हैं। उसकी घरेलू झंझटोंके बारेमें तुझे मुझको लिखना चाहिए था। यदि मुझसे कुछ हो सकेगा तो मैं करूँगा।

मेरे स्वास्थ्यके बारेमें राजकुमारी जो लिखती है, वह गलत है। मैं अपना स्वास्थ्य अच्छा मानता हूँ।

रक्तचापको छोड़कर यदि तेरा स्वास्थ्य मेरे-जैसा हो तो उससे मुझे सन्तोष होगा।

और अधिक लिखनेका समय नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४७)से; सौजन्य : कन्तिलाल गांधी।

४५९. पत्र : विजया एन० पटेलको

७ सितम्बर, १९३८

चि० विजया,

विवाह तुझे करना है या मुझे? यदि तू प्रतीक्षा कर सकती है तो मुझे जल्दी किस बात की? और जबतक तू बीमार है तबतक मैं कन्यादान कर भी कैसे सकता हूँ?

लेकिन यह जान लेना कि वहाँ नीमहकीम हैं। इसलिए यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ चली आना। किन्तु मेरी गैरहाजरीमें नहीं। मंजुबहनके पास जाना। वह तुझे देखकर यदि उपाय सुझाना चाहेगी तो सुझा देगी। यदि तू फिलहाल मरोली न जाये तो अच्छा हो। मैं यह सहन नहीं कर सकता कि वहाँ तेरी बीमारी लम्बी चले। मैं तेरा यहाँ मरना बर्दाश्त कर सकता हूँ; क्योंकि तब मुझे इस बातका

विश्वास होगा कि वैज्ञानिक ढंगसे इलाज चल रहा है। मंजुबहनको तो सबसे पहले ही दिखा लेना। नारणभाई अब तेरे बीचमें नही पड़ेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९८)से। सी० डब्ल्यू० ४५९० से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली।

४६०. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

७ सितम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

मैंने विजयाको पत्र लिखा है। वह मंजुलासे अपनी जाँच कराये। यदि उसे मरोली जाना पड़े तो चली जाये। नीमहकीमोके चक्करमें न पड़े।

तुम्हें बुखार कैसा? किस वजहसे बुखार आया?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७१) से।

४६१. पत्र : जेठालाल जी० सम्पतको

७ सितम्बर, १९३८

चि० जेठालाल,

तुम्हारा सुन्दर पत्र कल मिला। अभी-अभी सुबहके साढ़े छः बजनेके पहले ही मैंने पढ़कर पूरा किया है। और अब पारनेरकरको पढ़नेको दिया है।

यदि तुम लोगोंसे घरमें ही घी बनवाते हो तो उन्हें इसका सही तरीका बताना चाहिए। मैं यह नहीं समझ सका कि मिलावटसे तुम कैसे बचते होंगे।

तुम्हारा दूसरा पत्र अधकचरे विचारोंपर आधारित है। किन्तु उसकी कोई बात नहीं। अनुभवसे, विचारोंसे अपूर्णता दूर हो जायेगी। संसारके गुण-दोषोका विचार करनेकी अपेक्षा हम अपने ही गुण-दोषोका विचार करें और हमसे जितना हो सके उतना करें। यह जानकर कि हम सबका जो नियन्ता है वह पूर्ण है, हम जो-कुछ कर सकें, उतनेसे ही सन्तुष्ट रहें। यह विश्वास रखकर कि जिस हदतक तुम अपने गाँवको सुधारोगे उसी हदतक दूसरे गाँव भी सुधरेंगे, उसीमें एकाग्र चित्तसे लगे रहना।

तुम गायके चारेसे लेकर सभी चीजोंका हिसाब रखते हो न? गाय कितना दूध देती है? कितना मक्खन और घी निकलता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८६६)से; सौजन्य: नारायण जेठालाल सम्पत।

४६२. पत्र : अमतुस्सलामको

७ सितम्बर, १९३८

बेटी अमतुस्सलाम,

मैं नहीं समजता क्या कहूँ वही सवाल पूछती है जो मैंने वारवार समजाया है। भणसाली भाई मुझे खत लिखते हैं, मेरी शिकायत करते हैं? मैं जो कहता हूँ वह उनके दिल-दिमाग तक पहोंचता है। मैं जो-कुछ तुमको कहता हूँ वह तुमको ठीक नहीं जंचता — खानेका मैं पूछ नही सकता हुँ। मैं कहुं कम मेहनत कर तो ज्यादा करेगी। मैं कहुं सो तो नही सोचेगी। अगर सोचेगी तो भी दिल कहेगा यह सलाह ठीक नहीं है। क्या जानु मोलानासे क्या कहा है। अब कहो कैसे समजाउं?

बापुकी दुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७२८)से।

४६३. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

[७ सितम्बर, १९३८][1]

प्रिय हरिभाउ,

आपके २ तारीखके पत्र बापुजी और बाको मिले। बापुजी कहते हैं कि ऐसे कामोंके लिए बा अभी योग्य रही नहीं है, उनको मुक्त ही रखी जाय।

देहलीमें तो अवश्य मिलेंगे ही।

आपका,
महादेव

मूल पत्रसे: हरिभाऊ उपाध्याय-कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१. डाककी मुहरसे।

४६४. एक पत्र

सेगाँव, वर्धा
८ सितम्बर, १९३८

प्रिय मित्र,

कल सुभाष बाबूसे बातें नही कर सका। लेकिन उनको पत्र लिख दिया है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४९) से।

४६५. पत्र: अगाथा हैरिसनको

सेगाँव
८ सितम्बर, १९३८

प्रिय अगाथा,

काम करनेकी मेरी क्षमता काफी सीमित है, और कामका बोझ दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए पत्र लिखनेमें देरी हुई। लेकिन हमारी ओरसे कार्रवाई करनेमें पलभरकी भी देर नही की गई है। पूरी रकमकी गारटी मिल गई है। शुएबको मैंने तुम्हारा पता दे दिया है और उसने सारी चीजको ठीक रूप देने और तुम्हें पत्र लिखनेका पक्का वादा किया है। वह तुम्हारे या हेरॉल्डके हिसाबमें १०० पौंड भेजनेवाला था। मैं इस बारेमें अभी कार्रवाई कर रहा हूँ।[1]

बाकी महादेव लिखेगा।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१. देखिए अगला शीर्षक।

४६६. पत्र : शुएब कुरेशीको

८ सितम्बर, १९३८

प्रिय शुएब,

तुम्हारी ओरसे कोई खबर नही मिली। क्या तुमने १०० पौंड भेज दिये है? इस मामलेमे देरीकी गुंजाइश नही है।

जिस कामको तुमने हाथमें लिया था उसका क्या हुआ?

मेरे दाहिने हाथको आरामकी जरूरत है। यह बायें हाथसे लिख रहा हूँ।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४६७. पत्र : शौकतुल्ला शाहको

८ सितम्बर, १९३८

प्रिय शौकत,

चूंकि दाहिने हाथको आरामकी जरूरत है, इसलिए यह पत्र बायें हाथसे लिख रहा हूँ। महादेव मुझे सब-कुछ बताता रहता है। बेचारी जोहरा!

आशा है, डॉ० विधानकी ओरसे तुम्हें पूरी-पूरी मदद मिल रही होगी।

हेरॉल्डके लिए दी गई गारंटीके बारेमें तुम्हारी चेतावनी मिली। खयाल यह है कि बैंकमें कुछ पैसा रखना चाहिए और १०० पौड एकदम भेज दिये जायें।

मुझे विश्वास है कि अम्मीजान पूरी तरहसे शान्त होंगी।

तुम सबको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४६८. पत्र : पॉथन जोसफको

८ सितम्बर, १९३८

प्रिय पॉथन,

पेटकी पट्टीकी वजहसे पीठके बल लेटा हूँ। इसीलिए पैंसिलसे लिखा है।

मैं तुम्हारा लेख अवश्य पढ़ूँगा।

तुम सौ बार असफल हो जाओ तो भी क्या? तुम उतनी ही बार मेरे पास पश्चात्ताप करते हुए आते रहो। मेरे शब्दोंका जो असर क्षण-भरके लिए हुआ है, वह स्थायी भी हो सकता है। मुझमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ईश्वर मेरे माध्यमसे तुमसे बोले।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

४६९. पत्र : द० बा० कालेलकरको

८ सितम्बर, १९३८

चि० काका,

शेरलेकरके पत्रकी हर पंक्तिमें असत्य अर्थात् पागलपन भरा हुआ है। उसे जवाब क्यों दिया जाये।

तुम जब आना चाहो तब आओ। तीन बजे आना सबसे अच्छा होगा। अमृतलालको अपच कैसे हुआ?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९०९) से।

४७०. पत्र: मुन्नालाल जी० शाहको

८ सितम्बर, १९३८

पहले तो तुम्हें यह निर्णय करना चाहिए कि क्या तुम सेगाँवके लिए अपना जीवन समर्पित कर सकोगे? सहयोगी कार्यकर्ता तो जो है सो हैं। मैंने तुम्हें अपने अन्तरको टटोलनेके लिए वे पत्र दिये थे। तुमने ही गोविन्द, दशरथ आदिको रखा था। उनके बीच उनमें रहना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें उनके साथ कातना-पीजना चाहिए। तुम्हें खादी-शास्त्रका पण्डित बनना है। तुमने आरम्भमें ही यह प्रतिज्ञा की थी और मैंने तुमसे यही आशा रखी है। इस सम्बन्धमें कनुके संकेतपर तुम्हें विचार करना है।

तुम जितना पढ़ते हो, क्या उस सबपर विचार करते हो? मुझे इसमें सन्देह है।

मेरे पास बैठनेसे क्या तात्पर्य है? आनन्दसे बैठो, बशर्ते कि तुम्हारे पास समय हो। वे दिन बीत गये जब मैं व्यक्तिगत रूपसे ध्यान दे पाता था। मेरे पास जो काम है यदि मैं उसे पूरा कर सकूँ तो मुझे सन्तोष होगा। किन्तु लगता है कि अब तो शरीर दिनोंदिन जीर्ण ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५९१)से। सी० डब्ल्यू० ७०३१ से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

४७१. पत्र: सम्पूर्णानन्दको

सेगाँव, वर्धा
८ सितम्बर, १९३८

भाई सम्पूर्णानन्द,

आपने लिखा है वह सब मुझे मान्य है। कांग्रेसने भाषाका नाम संस्करण किया है। और कोई कैद रखा नहीं है। जो सच्चे हैं वे तो किसी शब्दका हिन्दु या मुस्लीम होनेके कारण बहिष्कार नहिं करेंगे। औरोंका क्या कहना और आज तो फेशन बन गई है कि कांग्रेस या कांग्रेसी जो-कुछ करे उसका विरोध ही करना। इस बारेमें मेरा अभिप्राय ही चाहते है कि और कुछ, क्योंकि मैंने इस बारेमें काफी कहा और लिखाया है।

आपका,
मो० क० गांधी

सी० डब्ल्यू० १०१३३ से; सौजन्य: काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

४७२. पत्र : द० बा० कालेलकरको

[८ सितम्बर, १९३८ के आसपास][1]

चि० काका,

शेरलेकरके बारेमें कुछ नहीं कहा जा सकता।

तुमने अपनी बत्तीसी छोड़कर अच्छा किया।

तथाकथित शास्त्रोंमें तो इतना ढकोसला भरा हुआ है कि उनके संशोधित संस्करण निकालने चाहिए। किन्तु कौन निकालेगा?

प्यारेलाल तो अब चलने-फिरने लगा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९१०) से।

४७३. सन्देश : "नेशनल हेरॉल्ड" को

[९ सितम्बर, १९३८ या उससे पूर्व][2]

मुझे आशा है, यह पत्र सदैव सत्य और अहिंसाका प्रतिनिधित्व करता रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ९-९-१९३८

४७४. पत्र : अमतुस्सलामको

९ सितम्बर, १९३८

प्यारी बेटी,[3]

कामका विवरण अच्छा है। इन्हीं कामोंमें मन लगाना। उस समय और किसी बातका विचार नहीं करना चाहिए। यदि सीमा-प्रान्त जानेकी हिम्मत ही न हो तो मत जाना। अपने दुःखको भूल जाना। तू क्या खाती है?

बापूकी दुआ

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१०) से।

१. "पत्र : द० बा० कालेलकरको", पृ० ३५५ में शेरलेकरके पत्रका उल्लेख है।

२. नेशनल हेरॉल्ड का पहला अंक ९ सितम्बर को प्रकाशित हुआ था।

३. सम्बोधन उर्दू लिपिमें है।

४७५. पत्र : मणिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
९ सितम्बर, १९३८

चि० मणिलाल,

तेरी इच्छानुसार मैंने जो तार दिया था, आशा है कि वह मिल गया होगा। मैं यह मान लेता हूँ कि तू किसी तरहकी जल्दबाजी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तू 'इंडियन ओपिनियन' बन्द नहीं कर सकता, और यदि बन्द न हो तो अच्छा ही है। किन्तु यदि और कोई चारा न हो तो भले बन्द हो जाये।

शेष सब सुशीलाके पत्रसे मालूम हो जायेगा।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही माना जायेगा। रक्तचाप घटता-बढ़ता रहता है, किन्तु उससे चौंकनेका कोई कारण नहीं। मेरा मौन चल रहा है, और यह अच्छा ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८२) से।

४७६. पत्र : रतिलालको

९ सितम्बर, १९३८

भाई रतिलाल,

तुमने अपने पत्रमें जो समाचार दिया है; उसे पढ़कर आनन्द हुआ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१७७) से।

४७७. पत्र : कृष्णचन्द्रको

९ सितम्बर, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

लड़कोके लिये जबानसे झट 'तू' नही निकलता है। लड़कीयोंके लिये 'तुम' नही। यह कुछ कौटुंबिक वारसा है।

खानेमें जो परिवर्तन आवश्यक माना जाय करो। स्वाद दृष्टिसे कमी मत खाओ। जो खाना चाहीये उसमें से स्वाद ले लो।

चाचाजी के पाससे भी कुछ न लेना अच्छा होगा। छोटे बडे पुस्तकका खयाल न किया जाय। पुस्तक-संग्रहका भी त्याग योग्य है। जो यहांसे पढ़नेके लिए उससे संतोष मानो।

मेरे साथ तो आना नही है। संतोष भीतरसे लेना। मैं कही भी हूं। मेरा स्थान तो यहा है ना? इतना काफी माना जाय।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०३) से। एस० जी० ६९ से भी।

४७८. पत्र : कृष्णचन्द्रको

९ सितम्बर, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

हां, बालकोबाके वहां तो तुमारे जाना है ही। और भी जो काम दिया जाय उत्साहपूर्वक करना।

कार्ड इसके साथ है।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०२) से।

४७९. कांग्रेसियो, सावधान !

मुझपर ऐसे पत्रों और तारोंकी बौछार-सी हो रही है जिनमें प्रेषकोंने — उन्हींके शब्दोंमें कहूँ तो — मद्रासके मुख्यमन्त्रीके "भयंकर कुकृत्यों"के खिलाफ शिकायत की गई है। यहाँ मैं उनमें से वे दो बातें दे रहा हूँ जो भारतके कई हलकोंमें कटु आलोचनाका विषय रही हैं। एक है हिन्दुस्तानीके सम्बन्धमें मुख्यमन्त्रीकी नीति और दूसरी धरना देनेके नामपर मचाये जा रहे उत्पातोंको रोकनेके लिए उनके द्वारा दण्ड-विधान संशोधन अधिनियमका प्रयोग।

मुझे पत्र और तार देनेवाले लोग स्पष्ट ही ऐसा मानते हैं कि मैं मुख्यमन्त्री की अन्तरात्माका निदेशक हूँ और मैंने उन्हें कोई निर्देश भेजा नहीं कि उसका पालन हुआ। राजगोपालाचारीके साथ मेरे सम्बन्ध उन्हें मालूम है। लेकिन राजाजी तो क्या, मैं किसीकी भी अन्तरात्माका निदेशक नहीं हूँ। पाठकोंको मैं यह रहस्यकी बात बता दूँ कि जिन लोगोंने कांग्रेस द्वारा सत्य और अहिंसाकी स्वीकृतिको अपने जीवनका नियम बना लिया है उनमें से कोई भी मुझसे उतना विरोध-विवाद नहीं करता जितना राजाजी करते हैं। लेकिन उनमें सिपाहीका एक अनिवार्य गुण है। १९०६ में मैं सत्याग्रह-सेनाका सेनापति बना तो उसका पहला सिपाही बननेवाला भी मैं ही था। जब मैंने भारतमें १९१८ में अपने सेनापतित्वकी घोषणा की तो राजाजी आरम्भमें ही इस सेनामें भरती होनेवाले लोगोंमें से थे। उन्हींके घरमें रहते हुए मुझे ६ अप्रैलकी उस हड़तालकी प्रेरणा मिली। तबसे लेकर आजतक अपने सेनापतिके प्रति उनकी निष्ठामें कहीं कोई दाग नहीं लगा है — वास्तवमें वह अद्वितीय है। और यदि सेनापतिके रूपमें मैं उनसे मुख्यमन्त्री-पद छोड़ देनेको कहूँ तो वे चूँ तक किये बिना उसे छोड़ देंगे। हो सकता है कि ऐसा करते हुए वे मेरे निर्णयको सही भी न मानते हों। लेकिन वे जानते हैं कि युद्धमें किसी व्यक्तिका नहीं, बल्कि सेनापतिका ही निर्णय चलता है।

लेकिन राजाजी तथा अन्य अनेक लोग मेरे प्रति जिस आदर्श निष्ठाका परिचय देते रहे हैं उसके बावजूद मैं उन्हें, तार और पत्र भेजनेवाले भाई जैसा चाहते हैं, उस तरहके निदेश नहीं दे सकता। शिकायत करनेवाले लोग यह जान लें कि हमारे बीच पत्र-व्यवहार यदा-कदा ही होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे पत्र-व्यवहारके लिए उनके पास समय नहीं है और वे भी जानते हैं कि इसके लिए मेरे पास भी समयका वैसा ही अभाव है। सत्याग्रहका नियम ऐसी कार्रवाईकी इजाजत नहीं देता। अगर उन्हें त्यागपत्र देना है तो वे संवैधानिक रीतिसे देंगे। इसके सम्बन्धमें कोई शोर-शराबा, गिला-शिकवा नहीं होगा। और इससे भी बढ़कर मुद्देकी बात तो यह है कि उनकी समझदारी, ईमानदारी और कम-से-कम कांग्रेसियोंकी हदतक संसदीय

कार्यके मर्मको पहचानने और संसदीय दायित्वोको निभानेकी उनकी अप्रतिम क्षमतामें मेरा असीम विश्वास है। उन्होंने जो-कुछ कर दिखाया है वह कोई साधारण कोटिमें रखे जाने लायक नही है। और जो लोग ऐसा सोचते है कि वे तो संविधानके पर-नालेमें लोट रहे हैं वे भारी भूल कर रहे हैं। हमारी सेनामें उनसे बड़ा सत्याग्रही योद्धा कोई नही हैं। कोई सत्याग्रही विना गर्जन-तर्जन, विना वाद-विवादके, केवल अपने विरोधीका हृदय-परिवर्तन करके विजय प्राप्त करे, इसमे मुझे तो कोई हर्ज नही दिखाई देता। गवर्नरोंको प्रेमसे समझा-बुझाकर अपने दृष्टिकोणका कायल करके मुख्यमन्त्री कितना बड़ा काम कर रहे हैं, यह शायद दुनियाको कभी मालूम नही हो पायेगा। ऐसे मुख्यमन्त्रियोंमें राजाजी सबसे आगे रहे हैं। विरोधीके मानसको शान्तिपूर्वक जितना अधिक बदला जाये, सत्याग्रहकी शोभा उतनी ही अधिक बढ़ती है। सत्य और केवल सत्यके वलपर सत्यकी खातिर किये जा रहे संघर्षमें तमाशेकी गुंजाइश नहीं है।

इसलिए जब काग्रेसियोंको उनकी निन्दा करते और ऐसा सोचते देखता हूँ कि उनकी पद-लोलुपता उन्हें सही काम नही करने देती तो मुझे वडा दुःख होता है। जो लोग कांग्रेसकी राजनीतिको नापसन्द करते है वे कांग्रेसी मन्त्रियोकी तीव्र आलोचना करते हैं, यह तो स्वाभाविक ही है। ऐसी आलोचनामें जो-कुछ सच हो उसे कृतज्ञता-पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ आलोचना तो दलगत भावनासे भी प्रेरित होती है। उसे भी बर्दाश्त करना है। लेकिन जब कांग्रेसी भी वही राग अलापने लगते हैं तो स्थिति बड़ी अटपटी हो जाती है। उनके पास इलाज तो है। वे प्रान्तीय समितियोंसे शिकायत कर सकते हैं। वहाँ उसका निराकरण न हो पाये तो वे कार्य-समितिके पास और अन्तमें अ० भा० कां० क०के पास जा सकते है। मगर यदि ये सब उपचार उन्हें सन्तुष्ट न कर पायें तो उन्हे आलोचनाका अधिकार तो नही है। लेकिन इन आलोचकोंके खिलाफ मेरी सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि ये इतने जल्दबाज या आलसी हैं कि सही तथ्योंकी जानकारी ही प्राप्त नही करते। अज्ञानसे बड़ा पाप कोई नही है—इस सारगर्भित कहावतके सत्यकी पुष्टि होते मैं रोज देखता हूँ।

सो इन पत्र और तार भेजनेवाले भाइयों और इनके जैसा विचार रखनेवाले अन्य लोगोंको मेरी सबसे पहली सलाह तो यह है कि राजाजी और उनका मन्त्रि-मण्डल तथ्योंको जिस रूपमें देखते हैं, उस रूपमें वे उनका अध्ययन करें। यदि वे तब भी सन्तुष्ट न हों तो बेशक जैसा मैंने बताया है, उस ढंगसे अपनी शिकायतें दूर करवानेके लिए कार्रवाई करें।

मैं कोई सीधी सहायता तो कर नहीं सकता। कांग्रेसियोंपर मेरा जो प्रभाव हैं उसके प्रयोगकी कुछ मर्यादाएँ हैं। कांग्रेससे मेरे अलग होनेका मतलब यह तो है ही कि अलग-अलग व्यक्तियोंके रूपमें कांग्रेसी अपने कर्त्तव्यका निर्वाह कैसे करते हैं, उसमें और यहाँतक कि कार्य-समितिके कार्य-कलापमें भी, सिवाय उस स्थितिके जब वह स्वयं ही मुझसे सहायता या सलाह माँगे, हस्तक्षेप न करूँ। उदाहरणके लिए,

जब डॉ० खरे मार्ग-दर्शनके लिए मेरे पास आये तो मैंने उन्हें दो बार इनकार कर दिया और कहा कि आप संसदीय उपसमितिके पास जाइये। श्री शुक्ल और मिश्रको बहुत जल्दी थी, लेकिन उनसे भी मुझे वही कहना पड़ा जो मैंने डॉ० खरेसे कहा था। यदि मैं इन कुछ मोटी मर्यादाओंका खयाल नहीं रखता तो कांग्रेससे मेरे अलग होनेका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सच तो यह है कि इन दिनों मैं कांग्रेसके रोज-ब-रोजकी गतिविधियोंका खयाल भी नहीं रखता। इसके विपरीत, जब मैं कार्य-समितिमें था, उन दिनों कोई भी बात मेरी निगाहसे चूकती नहीं थी और मैं हर बातका ठीकसे विश्लेषण करके, अपने स्वास्थ्यको देखते हुए मेरे लिए जहाँतक सम्भव था वहाँतक, सम्यक् रीतिसे मार्ग-दर्शन करता था। लेकिन अब तो मैं कार्य-समितिके सभी प्रस्तावोंका भी अध्ययन नहीं करता।

और अब दो शब्द राजाजीके खिलाफ लोगोंकी जो दो मुख्य शिकायतें हैं उनके बारेमें :

हमने बार-बार यह घोषणा की है कि हिन्दुस्तानी हमारी राष्ट्र-भाषा या प्रान्तोंके आपसी व्यवहारकी सामान्य भाषा है या होनी है। यदि हमारी इस घोषणाके पीछे ईमानदारी है तो हिन्दुस्तानीके ज्ञानको अनिवार्य बनानेमें बुराई कहाँ है? इंग्लैंडके स्कूलोंमें लैटिनकी शिक्षा अनिवार्य थी और शायद है भी। उसके अभ्याससे अंग्रेजीके अभ्यासमें कोई अड़चन नहीं पड़ती थी। इसके विपरीत, एक उदात्त भाषाके सम्पर्कसे अंग्रेजीकी श्रीवृद्धि ही हुई। "मातृभाषा खतरेमें", यह नारा या तो अज्ञानरूप है या एक पाखण्ड है। और जहाँ इसके पीछे ईमानदारी है वहाँ भी यह उन लोगोंकी देशभक्तिके लिए अपवादमय चीज है, जिनको हमारे बच्चोंको हिन्दुस्तानीके लिए प्रतिदिन केवल एक घंटा देनेपर भी आपत्ति है। यदि हमें अखिल भारतीय राष्ट्रीयताके मर्मतक पहुँचना है तो प्रान्तीयताके आवरणको भेदना होगा। भारत एक देश और एक राष्ट्र है अथवा अनेक देश और अनेक राष्ट्र है? जो लोग मानते हों कि यह एक देश है उन्हें राजाजीको अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। अगर उन्हें जनताका समर्थन प्राप्त नहीं है तो वे इस पदपर बने नहीं रह पायेंगे। लेकिन अगर उन्हें जनताका समर्थन प्राप्त नहीं है तो इतना बड़ा बहुमत उनके साथ कैसे है, यह आश्चर्य की ही बात है। मगर बहुमत उनके साथ न हो तो भी क्या? उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन अपनी गहनतम श्रद्धाका त्याग नहीं करना चाहिए। उनका बहुमत अगर कांग्रेसकी इच्छाको लेकर नहीं चलता तो वह बहुमत किस कामका? कांग्रेस बहुमतके साथ प्रतिबद्ध नहीं है; उसकी प्रतिबद्धता तो उन चीजोंसे है जो इस राष्ट्रको कम-से-कम समयमें महान् और स्वतन्त्र बना सकती हैं।

और धरना? किशोरवय लोग या वयस्क लोग भी घरों या कार्यालयोंपर हमला करें और जो लोग न जाने कितनी मुसीबतोंके बीच अपने सिरपर पड़ा बोझा ढो रहे हैं उन्हें भद्दी गालियाँ दें, यह तो असह्य है। जबतक हमें सत्याग्रहके सिद्धान्तोंके अनुरूप इसका कोई सही उपचार नहीं मिल जाता तबतक तो मन्त्रियोंको, वे जैसा ठीक समझें, उस ढंगसे ऐसे अपराधोंसे निबटनेकी छूट होनी ही चाहिए। यदि उन्हें

यह सुविधा नही दी जाती तो कांग्रेस-राजमें जो स्वतन्त्रता शक्य है वह तो शुद्ध गुण्डागर्दी बनकर रह जायेगी। वह मुक्तिका नहीं, विनाशका मार्ग है। और जो मन्त्री अपने उद्देश्यके प्रति ईमानदार है, वह किसी भी कीमतपर अपने देशके विनाशका कारण बननेको तैयार नही होगा।

और अब रही दण्ड-विधान संशोधन अधिनियमकी बात। हमें कांग्रेसके प्रस्तावों को अन्ध-पूजाका विषय नही बना लेना चाहिए। कांग्रेसको आपत्ति इस अधिनियमके नामपर नही, बल्कि इसमें जो-कुछ है उसपर है; और ऐसा भी नहीं कि उसे इसके एक-एक शब्द या एक-एक धारापर आपत्ति हो। मैंने इस अधिनियमका कभी अध्ययन नही किया है, लेकिन राजाजीने सार्वजनिक रूपसे जो-कुछ कहा है, उससे मुझे मालूम हुआ है कि इसमें कुछ ऐसी धाराएँ हैं जो कांग्रेसको आज जिस नई परिस्थितिका सामना करना पड़ रहा है उसमें उसके लिए उपयोगी हैं। अगर बात ऐसी है तो उनका प्रयोग न करना राजाजीकी मूर्खता ही होगी। लेकिन दूसरी ओर यदि वे इस अधिनियमकी आपत्तिजनक धाराओंको अविलम्ब रद नही कर देते तो यह भी —यदि अधिक नही तो— उतनी ही बड़ी मूर्खता होगी। यह देशकी स्वतन्त्रताका दमन करनेवाले उर्वर मस्तिष्कसे उत्पन्न एक दानव है। सत्याग्रहके विरुद्ध इसी रूपमें इसका उपयोग किया गया। इसलिए ये धाराएँ जितनी जल्दी समाप्त कर दी जायें, राजाजी तथा देशका उतना ही अधिक लाभ है। लेकिन कांग्रेसी सावधान हो जायें और अपने विश्वस्त सेवकोंको अच्छी तरहसे कसौटीपर कसकर यह जाने बिना कि उनमें सचमुच दोष है या नही, उनको फाँसीपर लटका देनेकी भूल न करें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १०-९-१९३८

४८०. पत्र : महादेव देसाईको

१० सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

बेचारी सुशीला पाँच बजे तैयार हो गई थी किन्तु मैंने नही जाने दिया। अब मैं उसे तुरन्त भेज रहा हूँ। यदि तुम्हारी तबीयत ठीक न हो तो उसे रोक लेना। तुम बहुत बीमार रहे हो, यह विचार ही मनमें नहीं आने देना चाहिए था। अब पूरा आराम लेना। मैं तो तुम्हें फलोंके रसपर रखूँ और मिट्टी-पानीका ही उपचार करूँ। किन्तु यह सब सुशीला या अन्य डॉक्टर जानें। मैं तो टूटा हुआ जहाज हूँ। उसमें कौन पार उतरना चाहेगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४४) से।

४८१. पत्र : बलवन्तसिंहको

१० सितम्बर, १९३८

चि० बलवंतसिंह,

मेरी बात तो स्पष्ट है अगर हम गोवंश न रख सके तो हमारे हार कबूल कर डेरी बंध करनी चाहीये। मैंने तुमारी हाजरीके कारण गैया रखी अब तुमारे पारनेकरके साथ मिलकर रास्ता निकालना है। जो चीज में दोनोंके दस्तखत नहीं हो सकते हैं उसे छोड दे। हम दो महकमा न रखे।

हां बछड़ वगैराको और जगह रखे जा सकते हैं वह भी तुमारे देखना है।

मैं विस्तार वढ़ाता नही हूं। चंद आते है वह चंद दिनोके लिये और जब मैं मर जाऊंगा तब उनमे से कोई रहनेवाले नही है। इसलिये उस बारेमें चिंताका कोई कारण नही।

औषध वि० जो चाहीये उसका मुझे विगतवार बजेट चाहीये। सब ऐसा समजकर किया जाय कि हम लोगके पैसेसे सब काम करते है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९०९) से।

४८२. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

सेगांव

१० सितम्बर, १९३८

चि० अंबुजम,

तुमारे तरफसे फल आते रहते हैं। मुझे समय नही मिलता है इसलिये मैंने नही लिखा है। रतनकी परीक्षा आखरकी है कि उसके बाद भी कुछ रहता है?

'रामायण'का क्या हुआ?

सारा अक्टोबर मेरा बाहर जायगा। किसी न किसी रोज थोड़े दिन मेरे साथ रह जाओ।

कमलाके खत कभी आते है क्या?

बापुके आशीर्वाद

मूल पत्रसे: अम्बुजम्माल कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४८३. पत्र : महादेव देसाईको

११ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

इस समय नौ बजनेवाले हैं। सुशीला नही आई इसलिए मुझे तुम्हारी तबीयतके बारेमें चिन्ता हो रही है। इन दिनों डाक भले ही बिना खुली आये, तुम्हे किसी तरहका भार नही उठाना है। मैं भविष्यके लिए 'हरिजन' की व्यवस्थाके बारेमें सोच रहा हूँ। मुझे तनिक भी घबराहट महसूस नही हो रही। जो-कुछ करना होगा सो वह महासम्पादक [भगवान] करेगा।

माताजीके साथ मेरी हार्दिक बातचीत चल रही है। वे स्फटिक मणिके समान हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४५) से।

४८४. पत्र : महादेव देसाईको

१२ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

आज मैं डाकको तो हाथ ही नही लगा सका। किन्तु मेरे हाथमें आ जानेके बाद तुम्हारी जिम्मेवारी तो खत्म हो गई न? मैं तो जितना हो सकेगा उतना करके निश्चिन्त हो जाऊँगा। आजके लेखोपर नजर डाल लेना। हिंसा-सम्बन्धी लेख मैंने दुहराया नही हैं। मैंने तुम्हारी टिप्पणीमें से सीमा-प्रान्तवाला अंश काट दिया है। आजका तुम्हारा सम्पादकीय मैं अब देखूंगा। इस विषयपर मैंने भिन्न दृष्टिकोणसे चर्चा तो की ही है। अन्य काम भी मैं कर रहा हूँ। और यहाँकी झंझटें भी मेरा काफी समय ले लेती हैं। यदि तुम बिलकुल अच्छे हो जाओ तो यह मेरे लिए बहुत खुशीकी बात होगी। फिर भी तुम्हें और मुझे चेतावनी तो मिल ही गई।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४६) से।

४८५. पुर्जा : अमृतकौरको

[१२ सितम्बर, १९३८ के पश्चात्][1]

तुम तो सचमुच कभी-कभी इस तरह बातें करती हो जैसे दुनियासे अनजान कोई बच्ची हो।

जो रोग आम है, उसको किसी तेज इलाजसे ठीक नही किया जा सकता। रखैलकी प्रथा ऐसा ही आम रोग है। यह तभी मिटेगा जब स्त्रियाँ आत्म-सम्मान सीख लेगी। इसमे दोनों समान रूपसे दोषी हैं।

खासकर हिन्दू-समाजमे सुधार करनेके लिए कानून बनानेका काम कांग्रेस एक हदतक ही कर सकती है।

जबतक तुम्हारे पास इस समस्यासे जूझनेवाली कुछ परिश्रमी और विदुषी स्त्रियाँ नहीं होंगी, तबतक कोई ठोस ढंगका कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं तो उन्ही स्त्रियोंका मार्ग-दर्शन कर सकता हूँ जिनमें उद्यमशीलता, योग्यता और साथ ही मेरी सहज बुद्धिके प्रति आस्था हो। जहाँ यह चीज ऐच्छिक है वहाँ हर्ज क्या है? यदि कोई पति कुष्ठ-रोगी हो जाता है या दुश्चरित्रताके कारण उसे वह गन्दी *बीमारी हो जाती है, तो बेचारी पत्नीपर उसके साथ रहनेकी मजबूरी क्यों हो?* इस तरहकी सूक्ष्म शंकाएँ न किया करो। मेरा तो खयाल है कि छूतकी बीमारीके मामलेमें भी स्त्रीको ऐसी छूट होनी चाहिए। दोमें से किसीपर तुम इतना जोर क्यों दो?

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४२२२) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७८५८ से भी।

१. यह पहलेसे ही इस्तेमाल किये गये एक लिफाफेपर लिखा हुआ है। उस लिफाफेपर दी गई डाक-मुहरकी तिथि १२-९-१९३८ है।

४८६. पत्र : महादेव देसाईको

[१२ सितम्बर, १९३८ के पश्चात्][1]

चि० महादेव,

मै यह पत्र बोलकर लिखवा रहा हूँ। इसके साथ डाकमे भेजनेके पत्र है। दो लेख 'हरिजन' के लिए भेज रहा हूँ। गांधी-जयन्तीसे सम्बन्धित वह विज्ञापन तुमने 'हरिजन-सेवक' को भेज दिया होगा।

तुम पूरा आराम लेना। कमजोरीकी हालतमें तुम्हें दिल्ली ले जानेकी मेरी हिम्मत नही पडेगी। सब मिलाकर अठारह पोस्टकार्ड और लिफाफे है। क्या तुम्हे मैथिलीशरण गुप्तकी कविताओकी पाण्डुलिपिकी जरूरत है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मैंने पट्ट [बोर्ड]की सहायतासे लिखवाया है। यदि मेरे दोनों हाथ बेकार हो जायें तो मैं संकेतसे काम चलानेको भी तैयार रहूँगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४७) से।

४८७. पत्र : ख्वाजा नाजिमुद्दीनको

सेगाँव, वर्धा
१३ सितम्बर, १९३८

प्रिय ख्वाजा साहब,

राजनीतिक कैदियोके बारेमें आपके इस ८ तारीखके पत्रके[2] लिए आभारी हूँ। मेरा जी बहुत चाहता है कि इस मामलेमें आपने जितनी तकलीफ उठाई है, कम-से-कम उसका खयाल करके तो आपके प्रस्तावको स्वीकार कर ही लूँ; लेकिन वैसा

१. गांधी – १९१३-१९३८ के अनुसार गांधीजी ने इस तारीखके आसपास अपने हाथोंको आराम देने के खयालसे पट्ट (बोर्ड) पर लिखी बारहखडीकी ओर संकेतकर पत्र लिखवानेका प्रयोग आरम्भ किया था।

२. इस पत्रमें ख्वाजा नाजिमुद्दीनने सुभाषचन्द्र बोसको दी गई मुलाकातोंकी चर्चा करते हुए कहा था कि सुभाषचन्द्र बोसने, जबतक सभी कैदियोंकी रिहाईके लिए कोई एक अवधि निश्चित नहीं कर दी जाती तबतक, राजनीतिक कैदियोंके सम्बन्धमें सरकारकी योजनाका समर्थन करनेसे इनकार कर दिया है। ख्वाजा नाजिमुद्दीनने आगे गांधीजीसे पूछा था कि आप सरकारी योजनाको स्वीकार करते हैं या नहीं और अगर नहीं करते तो क्या मैं इस विषयपर हुए पत्र-व्यवहारको प्रकाशित कर सकता हूँ।

कहनेका मतलब होगा विश्वास-भंगका दोषी बनना। कारण, आप तो जानते ही हैं कि मैं, जब मेरे कहनेपर इन मित्रोंने अपना अनशन छोड़ा था, उस समय उनको दिये गये एक पवित्र वचनसे बँधा हुआ हूँ। उस वचनके अनुसार उन्हें जल्द रिहा करानेके लिए मुझे हर उचित कोशिश करनी है। आपके प्रस्तावसे सहमत हो जाने पर मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ।

आपके इस कथनसे सहमत नहीं हूँ कि इसके सम्बन्धमें यदि आप कोई समय-सीमा तय कर दें तो यह बात इस मामलेके किसी न्यायाधिकरणके सुपुर्द किये जानेसे असंगत होगी। आप इस मामलेको न्यायाधिकरणको सौंप दें और उससे यह कह दें कि आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वह रिहाईकी तिथियाँ एक निश्चित अवधिके अन्दर ही रखें — इन दो बातोंमें निश्चय ही कहीं कोई पारस्परिक असंगति नहीं है। आपके द्वारा सौंपे गये विचारार्थ मुद्दोंके अन्तर्गत स्थिति यह होगी कि यदि न्यायाधीशोंके विचारसे इन कैदियोंके अपराध इतने बड़े होंगे जिससे इसके साथ कोई मुरव्वत की ही नहीं जा सकती तो उनपर एक भी कैदीको रिहा करनेका कोई बन्धन नहीं होगा। मेरी आपत्तियाँ आपको चाहे वास्तविकतासे जितनी दूर और सैद्धान्तिक लगें, लेकिन कोई जोखिम उठाना मेरे लिए असम्भव है।

रिहाईके सवालपर विचार करते हुए बंगाल सरकार तथा उसके सलाहकारोंका ध्यान शायद एक बहुत ही महत्त्वकी बातकी ओर नहीं गया है। इन कैदियोंके मनमें ऐसा खयाल बिलकुल नहीं है कि इन्होंने कोई अपराध किया है। उनके अपराध अपने-आपमें चाहे जितने बुरे रहे हों, लेकिन इन्होंने यह अपराध किसी भी निजी लाभके लिए नहीं किये। हिंसाके सम्बन्धमें इन कैदियोंके दृष्टिकोण बदल चुकनेके बाद अब इन्हें अपना कारावास असह्य लगता है। ये जन-सेवाके लिए व्यग्र हो रहे हैं। इस मामलेमें जनताका दृष्टिकोण भी सरकारके दृष्टिकोणसे भिन्न है। लेकिन आपकी सरकार चूँकि निर्विवाद रूपसे जनताके प्रति उत्तरदायी है, इसलिए जनमतको पर्याप्त महत्त्व देना आपका कर्त्तव्य है, और जहाँतक अनुमान लगाया जा सकता है, जनमत इनकी रिहाईकी जोरदार माँग कर रहा है।

सार्वजनिक शान्ति बनाये रखनेके लिए इन कैदियोंपर तथा जनतापर मेरे प्रभावका उपयोग किया जाये, ऐसा आप बिलकुल नहीं चाहते और आपका यह रवैया उचित भी है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर मेरे प्रभावका उपयोग करनेसे सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा होनेकी कोई बुद्धिग्राह्य सम्भावना दिखाई देती हो तो इसका उपयोग करना अपने-आपमें तो कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन, इस सवालपर मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा।

तो जिन कारणोंका उल्लेख मैंने इस पत्रमें और इससे पहलेके पत्रोंमें किया है और जिनका जिक्र हम दोनोंके बीच और अब आपके तथा मेरे प्रतिनिधिकी हैसियतसे सुभाष बाबूके बीच हुई बातचीतमें किया है, उनको ध्यानमें रखते हुए अब मैं इस प्रस्तावित योजनाके सम्बन्धमें सरकारके साथ अपना सहयोग खेदपूर्वक बन्द करता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिहाईकी क्रियाको जल्दी सम्पन्न करवानेके आपके प्रयत्नोंमें मेरी ओरसे कोई बाधा पड़ेगी। मेरी भावी कार्रवाई बहुत-कुछ

इस बातपर निर्भर होगी कि रिहाईकी क्रिया किस गतिसे सम्पन्न कराई जाती है। मेरा मापदण्ड सदा १३ अप्रैल, १९३८ वाला वह पत्र रहेगा।

मुझे विश्वास है कि हम जिस समान उद्देश्यको लेकर चल रहे हैं, उसका खयाल करके आप कैदियोंके साथ पत्र-व्यवहार और मुलाकात करनेकी जो सुविधाएँ मुझे आजतक देते आये हैं, उन्हें आगे भी जारी रखेंगे।

हमारे बीच हुए पत्र-व्यवहारके प्रकाशनपर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी सम्बन्धित लोग इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नको दलगत दाँव-पेंचसे ऊपर रखेंगे। मैं यह आशा करनेकी भी धृष्टता करता हूँ कि अखबार और आम लोग ऐसा कुछ लिखने या बोलनेसे अपने-आपको रोके रहेंगे जिससे उस आन्दोलनको, जो कैदियोंकी शीघ्र रिहाईके लिए शायद जरूरी हो जाये, हिंसात्मक दिशा दे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

ख्वाजा साहब सर नाजिमुद्दीन
बंगाल सेक्रेटरिएट
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९९३३) से।

४८८. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

१३ सितम्बर, १९३८

प्रिय सुभाष,

वक्तव्यके जल्दी ही प्रकाशित होनेकी उम्मीद करता हूँ।

मेरा खयाल है, वह पुस्तिकाके रूपमें जारी किया जायेगा। वह जहरीला तो है, लेकिन चूंकि यह आन्दोलन बिलकुल निराधार है इसलिए निश्चय ही वह अपने-आप ठंडा पड़ जायेगा। महाराष्ट्र-प्रान्त कांग्रेसके हाथसे निकल जाये, ऐसा कभी नहीं हो सकता और जो करना ठीक है, उसे करनेकी वजहसे अगर सभी प्रान्त कांग्रेसके हाथोंसे निकल जायें तो भी मैं कोई परवाह नहीं करूँगा। जो बात जरूरी है वह यह है कि वर्तमान मन्त्रिमण्डल ईमानदारीका व्यवहार करे। ख्वाजा नाजिमुद्दीनको पत्र[1] लिखा है। उसके बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है, बताना।

तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

४८९. पत्र : कार्ल हीथको

सेगाँव, वर्धा
१३ सितम्बर, १९३८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र तो आपके योग्य ही है।[1] पूरी तरह सोचे-विचारे बिना कोई वक्तव्य जारी करना कांग्रेसके लिए आसान नहीं है। जो भी नतीजा निकलना है, विभिन्न पक्षोंके बीच चल रही बातचीतसे ही निकलेगा। मैं तो यह स्पष्ट कर ही दूँ कि मेरे और जवाहरलालके बीच कोई वास्तविक मतभेद नहीं है। हमारी भाषा प्रायः अलग-अलग होती है, पर हम दोनोंका निष्कर्ष एक ही होता है। बातचीतके जरिये कुछ करनेकी ब्रिटिश सरकारकी नीति ही नहीं जान पड़ती। और ऐसा भी नहीं है कि यह नीति बिलकुल गलत है।

आपका,
मो० क० गांधी

फ्रेण्ड कार्ल हीथ

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३११)से। गांधी-नेहरू कागजात, १९३८ से भी; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४९०. पत्र : महादेव देसाईको

१३ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

यह सामर्थ्यसे अधिक काम करनेका फल है। अब तुम्हें काम करना बिलकुल बन्द कर देना चाहिए और पूरा आराम लेना चाहिए। यदि तुम यहाँ आ जाओ तो शायद तुम्हें अधिक शान्ति मिले। यदि न आओ तो सुशीलाको वहीं रख लेना। मुझे तो तनिक भी चिन्ता नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५०)से।

१. कार्ल हीथने अपने इस पत्रमें संघ-रचनाके प्रश्नको लेकर पैदा हो गये गतिरोधपर अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए यह सुझाया था कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस तथा अन्य जाने-माने नेता इस प्रश्नपर एक संयुक्त वक्तव्य जारी करें, ताकि ब्रिटेनके लोकमतपर उसका कुछ असर हो सके।

४९१. पत्र : महादेव देसाईको

१३ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

मैं तो भूल ही गया था। वे खुफिया पुलिसवाले भले ही आयें। मैं तो मानता हूँ कि वे तीन रातसे आ रहे हैं। जो-कुछ नटेसनके माध्यमसे होगा सो कल होगा।

मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टरोंको तार दे देने चाहिए कि वे न आयें। मैं भी यह मानता हूँ कि तुम्हें रसकपूरसे फायदा हुआ है। मैं डाक निबटा तो नही पाता किन्तु तुम्हारी तरह सारी रात जागकर उसे निबटानेका लोभ भी नही करूँगा। तुम निश्चिन्त मनसे डाक भेजते रहना।

यदि गिबन आना चाहे तो कुछ मिनटके लिए आ जाये। मैं चैकपर हस्ताक्षर करके भिजवा रहा हूँ।

सर नाजिमुद्दीनको तार देना:

"पत्रके लिए धन्यवाद। उत्तर डाकमें छोड़ दिया गया है। गांधी।"[1]

सुभाषको भी तार देना:

"सरकारको दिया गया उत्तर डाकमें छोड़ दिया गया है। प्रतिलिपि तुम्हें भेज रहा हूँ। बापू।"[2]

शेष कल।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६४८)से।

४९२. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव

१३ सितम्बर, १९३८

चि० नारणदास,

मुझे छगनलालके पत्र मिले हुए हैं। काफी पत्र पड़े हैं। मुझे समय नही मिलता और महादेवको चक्कर आते हैं। उसकी बीमारी मेरी-जैसी ही है। छगनलालसे कहना कि यदि शंकरलाल अनुमति दे तो खादी-मण्डल खोलनेमें मुझे कोई आपत्ति नही है। जैसा तुम लिखते हो तदनुसार पैसेकी व्यवस्था भले हो।

१ और २. ये अंग्रेजीमें हैं।

यह रहा मेरा सन्देश :

"जिन लोगोंने इस चरखा-सत्रमें भाग लिया उन्हें बधाई। हमें यह आशा रखनी चाहिए कि चरखेकी प्रवृत्ति इतनी व्यापक हो जायेगी कि सभी लोग खादी पहनने लग जायेंगे।"

पुरुषोत्तमके बारेमें समझ गया। पुरुषोत्तम-जैसे लोगोंको जो-कुछ मिलता है यदि उससे उनका पूरा नहीं पड़ता तो फिर चरखा, हरिजन-सेवा आदिके कार्योंमें और कौन निभ सकेगा? ऐसा कहकर मैं पुरुषोत्तमके दोष नहीं निकाल रहा हूँ। आज जो हवा चल रही है, वह मनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती भी खींच ले जाती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५४८ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

४९३. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगाँव, वर्धा
१३ सितम्बर, १९३८

चि० नारणदास,

लगता है, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रगति रही है। मंजुलाका पत्र पढ़कर उसे दे देना। संगीतके शिक्षकके बारेमें क्या परेशानी है?

गोकीबहनको मेरे दण्डवत् प्रणामके साथ कहना कि हम सब उन्हें प्रायः याद करते हैं। वे कैसी रहती हैं? कुमीका कैसा चल रहा है? क्या गिजुभाईका (बाल) मन्दिर खुल गया? उसमें कितने बालक हैं? क्या उससे तुम्हारा कोई सम्बन्ध है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

प्यारेलाल टाइफाइडमें पड़ा हुआ है। यहाँ हैजा भी खूब फैला हुआ है।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५४९ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

४९४. पत्र: मुन्नालाल जी० शाहको

१३ सितम्बर, १९३८

चि० मुन्नालाल,

तुम्हारे पिछले पत्रके विषयमे तुमने लिखा था कि तुम मेरे पास स्वयं आओगे, इसीलिए मैं चुप रह गया। तुमने जो विचार प्रगट किये है, वे ठीक है। जबतक अन्तर्नाद न सुनो, तवतक कोई निश्चय मत करना। किन्तु निश्चयवान वननेका पूरा प्रयत्न करना।

अपने किये हुए निश्चयोंके विषयमें मैं शिथिल नही हूँ। मेरी ख्याति तो इससे विपरीत है। किन्तु जहाँ मुझे स्वयं शंका हो वहाँ भूतकालमें किये हुए निर्णय निश्चयात्मक नही माने जा सकते। यहाँ मैंने जो-कुछ किया वह तो प्रयोग था। और प्रयोगमें तो परिवर्तनोके लिए गुंजाइश है ही। अपने व्यवहारके औचित्यके विषयमें मुझे संदेह नही था, क्योंकि उसके पीछे तो ५० वर्षोंका प्रयत्न है इसलिए मुझे लगा कि मुझे माताजी[1] और पारनेरकरकी माँ में कोई भेद नही करना चाहिए। मेरा ऐसा अनुभव है कि मेरे स्पर्शमें, स्पर्श स्त्रियोका हो या पुरुषोंका, कुछ विशिष्ट प्रभाव है। माताजी को मेरे कारण वहुत कष्ट हुआ है। उसका निवारण मैंने अपने स्पर्शमे पाया। पारनेरकरकी माँ से मैं कभी मिलनेके लिए नही जा सका। मैं इस विषममें लापरवाह था, ऐसी वात नही है। उपचार मेरी ही देखरेखमे हो रहा था। अतः स्पर्शके द्वारा अपना स्नेह प्रगट करके मैंने एक ही क्षणमें यह वता दिया कि मैं उनकी उपेक्षा नही कर रहा था।

मैं नग्नावस्थामें मालिश करवाऊँ या मेरी अंधावस्थामें मेरे पास ही हजारों स्त्रियाँ निर्वस्त्र होकर नहायें तो क्या इसमें मन्मथके कामोत्तेजक वाणोसे मेरे विंधनेका डर है? निर्विकार सुशीलावहनसे मालिश करानेमें मुझे अपना डर अवश्य लगता है। किन्तु यदि मैं आँखोपर पट्टी वाँधकर पड़ा होऊँ और वे दो स्नान कर रही हो तो उसमें मुझे कोई डर नही लगेगा। कोई मेरी तरह पूरी सावधानीसे व्यवहार करनेवाला व्यक्ति हो तो अपनेको पूरी तरह अंधा वनाकर वह भले किसी रंभाको अपने पास ही स्नान करने दे। किन्तु जो इस तरह मालिश करायेगा वह लोगोंके द्वेषका पात्र अवश्य वनेगा। तथापि यदि उसे अपने विषयमें सम्पूर्ण विश्वास

१. प्यारेलालकी माँ।

हो तो वह निस्संकोच मेरा अनुकरण करे। मेरा खयाल है, तुम्हारे सब प्रश्नोंके उत्तर इसमें आ गये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५६५)से। सी० डब्ल्यू० ७०४० से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

४९५. पत्र: मुन्नालाल जी० शाहको

१३ सितम्बर, १९३८

चि० मुन्नालाल,

इसके साथ जो भेज रहा हूँ वह सब काशीनाथको समझा दो। यदि ग्राम-पंचायत अधिनियमकी प्रति उसके पास न हो तो उससे कहना कि सरकारसे मँगा ले। यह मिल जानेके बाद पंचायत बनाने या न बनानेके बारेमें सलाह दूँगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५६७)से। सी० डब्ल्यू० ७०३९ से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

४९६. पुर्जा: रघुनाथ गणेश पण्डित शेलोलीकरको

१३ सितम्बर, १९३८

हजारोंकी शुद्ध तपश्चर्यासे ही हम उस दृश्य देखनेकी आशा रखें।[1]
मुझे गीतापाठ बहुत मधुर लगा।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७९४-१)से।

१. शेलोलीकरने पूछा था: "हम वह सुन्दर दृश्य कब देख सकेंगे जब कांग्रेसके पहले सात मन्त्री पुन: अपने-अपने स्थानपर प्रतिष्ठित होकर कांग्रेसकी गौरवपूर्ण परम्पराके अनुसार काम कर रहे होंगे और जनता उनके कार्यकी प्रशंसा कर रही होगी"?

४९७. पत्र : भोपालके नवाबको

१४ सितम्बर, १९३८

प्रिय नवाब साहब,

शुएबसे आपका सन्देश मिला। बात मेरी समझमें आ गई।

मुझे भरोसा है कि आप हेरॉल्ड अंसारीके लिए शीघ्रातिशीघ्र कोई प्रबन्ध करा देंगे। यह उसके लिए निहायत जरूरी है। और फीसका पक्का प्रबन्ध न हुआ तो उसे अस्पतालमें दाखिला नही मिल पायेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
मध्य प्रदेश और गांधीजी, पृ० १२५ की प्रतिकृतिसे।

४९८. पत्र : एम० सी० राजाको

सेगांव, वर्धा
१४ सितम्बर, १९३८

प्रिय मित्र,

आपके पत्र[1] का उत्तर देनेमें विलम्ब हुआ, इसलिए माफी चाहता हूँ। मैं कामके बोझसे दबा हुआ था। अब आपका तार मिला है।

मैं चाहूँगा, आप इस बातका विश्वास रखें कि च० रा० अपनी ओरसे कोई कसर नही उठा रखेंगे। उन्हे उनके अपने तरीकेसे काम करने देना चाहिए। यदि आप उनपर भरोसा नही रख सकते, तो आप स्वभावतः वही रास्ता अख्तियार करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हरिजनोंका उनसे बेहतर

१. एम० सी० राजाने अपने २५ अगस्तके पत्रमें गांधीजी से शिकायत की थी कि राजगोपालाचारीने उनके द्वारा प्रस्तावित मन्दिर-प्रवेश विधेयकका विरोध किया है। यद्यपि विधेयकका मसविदा खुद उन्हींका तैयार किया हुआ था, और कहा कि हरिजन इस प्रश्नपर भड़के हुए हैं और "पूना-समझौतेको नामंजूर करनेका विचार कर रहे हैं।"

दोस्त कोई और नहीं है। उनके पास जाइए, तर्क-वितर्क कीजिए, और अगर आप उन्हें न मना सकें तो उनको बर्दाश्त कीजिए। यही मेरा सुझाव है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

एम० सी० राजा-कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४९९. पत्र : महादेव देसाईको

१४ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

यह कहा जायेगा न कि तुम्हें काम करनेका रोग है? इसीलिए मुझे सख्तीसे लिखना पड़ा था। इस मामलेमें हमें अंग्रेजोंकी सराहना करनी चाहिए। यह तो जानते हो न कि यदि तुम अपंग हो जाओगे तो मैं पंखहीन पक्षीकी तरह हो जाऊँगा। यदि तुम खटिया पकड़ लेते हो तो मुझे अपना तीन-चौथाई काम समेट लेना पड़ेगा। और हालाँकि मुझे तुम्हारे बीमार पड़नेका भय नहीं था, फिर भी यह सोचकर मैंने अपने मनको हलका कर लिया था कि यदि तुमने खाट पकड़ ही ली तो मुझे कौन-कौनसे काम काट देने चाहिए। यदि इस तरह काम काट दिये जायें तो यह कलेजा काट देने-जैसी बात होगी न? इसीलिए मैंने लिखा था कि पूरा आराम लेकर जल्दी अच्छे हो जाओ। कटि-स्नान लेनेमें भी मेरा उतना ही अनुकरण करना होगा जितना कि तुम दूध पीनेमें करते हो। कटि-स्नानका ठेका कोई मैंने ही थोड़े ले रखा है।

जीवराजका पत्र सुशीलाने शिवदासको नहीं दिया। अब यह शुएबके साथ भेजा जा रहा है।

हृषीकेशका पत्र मैंने राधाकृष्णके साथ सीधे भेज दिया। इस प्रकार मैं तुम्हारी मेहनत बचा तो देता हूँ। पत्रके विषयमें लिखी गई टिप्पणी भूलसे चली गई थी।

राजाको कल ही तार भेजना चाहता था, किन्तु भूल गया। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ:

"आपकी गहरी परिहास-वृत्तिके साथ कष्टकी बात असंगत है। आपको किसी भी बातपर दु:खी नहीं होना चाहिए। सस्नेह। बापू।"[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५१)से।

१. यह अंग्रेजीमें है।

५००. पत्र : अमतुस्सलामको

१४ सितम्बर, १९३८

बेटी,

मुझे तो तुमारा काम अच्छा नही लगता। तुमको इलाज बताना भी मुश्केल है। तुमारे तीन बजेसे जागनेकी क्या आवश्यकता हो सकती थी? आराम लेना चाहीये। चर्खा छोड़ना चाहीये। सुशीला कहे सो इलाज करना चाहीये। अच्छा होगा अगर मुंबई जायगी तो। खान साहेबका खत इनकारका होगा तब तो दिल्ली जानेकी बात ही नही हो सकती है। यों भी बावासीर लेकर तो सरहद नही जा सकेगी।

बापुकी दूआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०९)से।

५०१. पत्र : प्रभुदयाल विद्यार्थीको

१४ सितम्बर, १९३८

चि० परभुदयाल,

नायकमजीका अभिप्राय लेकर जो लिखना है लिखो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११६८६)से।

५०२. पत्र : अमतुस्सलामको

[१४ सितम्बर, १९३८ के पश्चात्][1]

यदि मुझपर विश्वास रखती है तो तुझे हठ करना शोभा नहीं देता। खान-साहबने तो परिहास किया है। इसके अतिरिक्त तू अकेली सीमा-प्रान्तमें रह ही नही पायेगी। अतः मेरी सलाह है कि तू बम्बई जाकर अपना स्वास्थ्य सुधार ले और जब मैं लौटूं तो स्वस्थ होकर वापस चली आना। तू हमेशा मेरे साथ-साथ

१. यह स्पष्टतः "पत्र : अमतुस्सलामको", १४-९-१९३८ के बाद ही लिखा गया होगा। अमतुस्सलामको इस तारीखतक अब्दुल गफ्फार खाँसे कोई सूचना नहीं मिली थी।

ही नही घूम सकती। आज्ञा मानना और हठ करना, क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६७९)से।

५०३. पत्र : अतुलानन्द चक्रवर्तीको

सेगांव, वर्धा
१५ सितम्बर, १९३८

प्रिय अतुलानन्द,

आपको जो पत्र[1] मैंने लिखे हैं, उनमें मुझे कोई अन्तर्विरोध नहीं दिखता। आपकी टिप्पणी तो ऐसी है मानो भूखेको रोटी देनेके बजाय पत्थर मारा जा रहा हो। मैं तो लोगोंमें दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए अविश्वास और कटुताको लेकर परेशान हूँ। और किसी भी लेखसे इसका निराकरण नही किया जा सकता है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि लोगोंको अपनी बात समझानेका काम आपको खुद ही करना है। मैंने जैसा अनुभव किया, लिख दिया। अब मेरे साथ तनिक धैर्यसे काम लीजिए और जैसा ठीक लगे, कीजिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १४८०)से; सौजन्य: अ० कु० सेन।

५०४. पत्र : महादेव देसाईको

१५ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

कल भेजी सारी सामग्री ठीक-ठीक मिल गई होगी। प्र० द० ने आजकी खबर तो अच्छी भेजी है।

मनुको कल काफी तेज बुखार था, किन्तु आज तो वह ठीक है। इस तरह उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जितने पत्र तैयार हैं उतने भेज रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५३)से।

१. अतुलानन्दको लिखे पहले पत्रोंके लिए देखिए खण्ड ६५, पृ० ३५५-५६, खण्ड ६६, पृ० ९५-६ और १३९, तथा खण्ड ६७, पृ० १२४-२५।

५०५. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

१५ सितम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

यदि तू अस्पष्ट ढंगसे लिखनेकी अपेक्षा साफ-साफ लिखे तो तेरी इच्छा जल्दी पूरी हो। यदि मुझे सीमा-प्रान्त जाना पड़ा तो मैं सरस्वतीको जल्दी नही बुला सकूँगा। फिर भी मैं आजसे कोशिश करनी शुरू करता हूँ। मेरे लिए जो आवश्यक सामग्री भेजते रहना।

मेरा पिछला पत्र मिला होगा। यह तो अच्छा है कि तू अपने अध्ययनमे लगा रहता है, किन्तु व्यायाम और अपने भोजनमे कमी करके ऐसा करना मूर्खता है। तू भले ही दुनियामें प्रथम कोटिका डॉक्टर बन जाये, किन्तु आज प्रथम कोटिका डॉक्टर मान लिये जानेपर यदि तू अगले दिन ही चल बसे तो क्या तू अपनेको कृतकृत्य हुआ मानेगा? उपाधियाँ आदि साधन भले ही हो, साध्य तो बिलकुल नही है। और यदि तू पिलपिलीदास बन जायेगा तो मेरी क्या सेवा कर पायेगा?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४८)से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

५०६. पत्र : नारणदास गांधीको

सेगांव
१५ सितम्बर, १९३८

चि० नारणदास,

छगनलालकी तरफसे मुझे कार्यक्रम नही मिला। क्या वीरमगाँवमे कोई राजकुमारीकी [खाने-पीने आदिकी] व्यवस्थाका भार सँभालेगा? वह दूसरे दर्जेमें यात्रा करती है। उसका परिचारक उसके साथ होगा। राजकुमारी सादा खाना ही खाती है। खानेके मामलेमें कोई लाड़ न जताये। यदि उसके लिए अच्छे कमोडकी और एकान्तमें नहानेकी सुविधा हो तो इतना काफी होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से। सी० डब्ल्यू० ८५५० से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

५०७. पत्र : पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको

१५ सितम्बर, १९३८

भाई पुरुषोत्तमदास,

अक्टूबरके अन्तमें आप सेगाँव अवश्य आयें। बहुत करके तो मैं इस बीच सीमा प्रान्तकी यात्रासे वापस लौट आऊँगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती से : पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास-कागजात; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

५०८. पत्र : लक्ष्मी गांधीको

१५ सितम्बर, १९३८

चि० लक्ष्मी,

मैं नहीं कह सकता कौन साथ होंगे, इतने तो है : महादेव, कनु, प्यारेलाल, सुशीला, बा, कानम, खास क्या चाहीये? बकरीका दूध तो होगा ही। क्या यह सब कारोबार तेरे ही हाथोंमें होगा? मेरा रहना एक हफता तो होगा ही, बा और कानम ज्यादा रहेंगे। शायद रामदास साथ होगा। १७ तारीखको मुंबई पहोंचना है।

मनुको बुखार था अब ठीक है। सुशीला और सीता इ० तैयार होंगे तो लाऊंगा।

अंतमें तार देनेकी चेष्टा करूंगा।

महादेव कुछ बीमार पडा है शायद चंद्रशंकर भी होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २०१०)से।

५०९. पत्र : महादेव देसाईको

१५ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

सुबह डाक भेज चुका हूँ इसलिए आज इसे भेजनेकी जल्दी नही थी। किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण पत्र भेजना है। कामके बारेमें समझ गया। मात्राका ध्यान रखकर करते रहनेमें कोई हर्ज नही है। सुशीलाने तुमसे दिनमें दो बार छतपर टहलनेके लिए कहा था। इसका पालन तो कर रहे हो न?

दुर्गासे यह एक नया पाठ सीखनेको मिला कि बिच्छूके दंशका जहर भजन गानेसे उतर जाता है। कैसा होगा वह बिच्छू जो अपने काटेको भजन गाने दे? और कैसी होगी वह गानेवाली जो बिच्छूके दंशकी पीड़ामें भी भजन गा सकती है?

मैंने शुएबसे जीवराजका पत्र उन्हें सीधा भेजनेको नही कहा था। उसे वह पत्र तुम्हें देना चाहिए था कि 'लेट फी' लगाकर उसे तुम भेजते। एक व्यक्ति द्वारा किये जाने योग्य काम जब दोके हाथो होता है तो बिगड़ता ही है। इस आलोचनासे, अपना यहाँका अनुभव मैं तुम्हारे पास वहाँके लाभार्थ पहुँचा दे रहा हूँ।

मुझे ऐसा याद आता है कि परमेश्वरन्‌के लिए तार [का पाठ] मैंने तुम्हें कल भेजा है। ६९ वर्षके बूढ़ेकी याद तो ऐसी अधूरी ही होती है। एक तारका उत्तर उसकी पीठपर लिख दिया था; शेष सब पत्रमें थे। देख लेना।

सुशीलासे जाना कि जीवराजके नाम अपने पत्रमें मैंने वही लिखा जो तुम चाहते थे।

मने जो परिपत्र जारी किया उसका कारण बहनजी नही, मीराबहन ही थी। मीराबहनने उसी दिन प्यारेलाल और सुशीलाको भाषण सुनाये थे। मनाहीके बावजूद उसने अमतुस्सलामको गलत समझा। इसके कारण बहुत कहा-सुनी हो गयी। इसलिए मुझे लगा कि यदि मैं स्थितिको स्पष्ट नही करता हूँ तो यह जहर और फैलेगा। अत मैंने वह परिपत्र निकाला। कई बेचारे तो कुछ जानते ही नही थे। इसलिए मैं तो इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वैमनस्य पैदा होनेमें मीरा ही मूल कारण है। उसके स्वभावमें ही यह बात है। उसका क्या इलाज हो सकता है, समझमें नही आता। वह परिपत्र मैं पढ़नेके लिए तुम्हें दूंगा; जो उत्तर आये हैं वे भी। तुम्हें इसके बारेमें चिन्ता नही करनी है। इन सारे आघातोके बावजूद रक्तचाप जैसा होना चाहिए वैसा ही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

परमेश्वरन्‌को ऐसा लिखो:
"तुम्हारा आना जरूरी नहीं। बापू।"[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५२) से।

५१०. तार: हुमायूँ कबीरको

[१५ सितम्बर, १९३८ या उसके पश्चात्][2]

प्रोफेसर हुमायूँ कबीर
३६, अहीरीकुपुर रोड
कलकत्ता

२४ तारीखको दोपहर बाद आपसे सहर्ष मिलूँगा। कृपया याद रखें कि मेरा मौन चल रहा है। लेकिन कोई हर्ज नहीं है, मैं जवाब लिखकर दे सकता हूँ।

गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

५११. पत्र: मुन्नालाल जी० शाहको

[१६ सितम्बर, १९३८][3]

चि० मुन्नालाल,

मुझे तुम्हारा विचार पसन्द है। उसे थोड़ा व्यवहारिक रूप देना चाहिए। नायकमवाला मकान तो खाली करना पड़ेगा। जब वे माँगे तब खाली कर देना। हम जो कताई-घर बनवा रहे हैं यदि उससे तुम्हारा काम चल सकता हो तो वैसा करना। सबसे अच्छा यह है। आसपासकी जमीनमें तुम्हें कोई टुकड़ा खोज लेना चाहिए और तुम तीनों जनोंको मिलकर एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहकर देखना चाहिए। मुझे इस बातकी पूरी आशंका है कि तुम बीमार पड़ जाओगे। खुराकके बारेमें मैंने जो छूट तुम्हें दी है वह बिना सोचे-विचारे नहीं दी है।

१. यह अंश अंग्रेजी में है।

२. हुमायूँ कबीरका तार १५-९-१९३८ का था।

३. मुन्नालाल जी० शाहने लिखा है कि पत्र लिखने के तुरन्त बाद इस तिथिमें ही यह पत्र प्राप्त हुआ था।

तीसरी बहन अमतुस्सलाम है। तुमने नाम माँगा था इसलिए दे रहा हूँ। मैं उसके बारेमें और भी आश्वस्त होना चाहूँगा। यह ठीक है कि यदि सुधार करना आवश्यक हुआ तो करूँगा।

उसकी भक्तिका मुकाबला कोई नही कर सकता।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैंने ये दो उदाहरण दिये . . .[1] समझो . . . वे . . . .[2] है। अ० स० को भी . . . .।[3]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८३७३)से। सी० डब्ल्यू० ७०४१ से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

५१२. तार: जवाहरलाल नेहरूको

वर्धागंज
१६ सितम्बर, १९३८

जवाहरलाल नेहरू
इंडिया लीग
१६५ स्ट्रैंड, लन्दन

पुर्जा अभी-अभी मिला है। हीथको लिख चुका हूँ[4] कि मेरे मनमें इस बातमें कोई सन्देह नही है कि हमारी भाषा यद्यपि अलग-अलग है, लेकिन हमारा आशय एक ही है। पत्र लिख रहा ही हूँ। सस्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३८; सौजन्य · नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१, २ और ३. साधन-सूत्र में ये अंश अस्पष्ट हैं।
४. देखिए "पत्र: कार्ल हीथको", पृ० ३७०।

५१३. पत्र: बी० के० दत्तको

सेगाँव, वर्धा
१६ सितम्बर, १९३८

प्रिय दत्त,

आपका पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने बिगड़े स्वास्थ्यको जल्दी ही ठीक कर लेंगे[1]।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री० बी० के० दत्त
मार्फत: श्री राजकुमार सिन्हा
माल, कानपुर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९२८१) से।

५१४. पत्र: च० राजगोपालाचारीको

१६ सितम्बर, १९३८

प्रिय च० रा०,

मेरा तार[2] आपको मिल ही गया होगा। किसी बातको लेकर आपके मनको संताप क्यों हो? जबतक आप इस काँटोंके ताजको आसानीसे पहने रह सकें, पहने रहें; लेकिन जिन्होंने यह ताज आपके सिर थोपा है, इसे आपको पहने देखकर अगर उन्हींको ईर्ष्या होने लगती है तो यह तो आपके लिए छुटकारा पानेका बहुत ही अच्छा आधार होगा। खैर, हर परिस्थितिमें दार्शनिककी तरह अनुद्विग्न रहनेकी आपकी वृत्तिको आपका साथ देते रहना चाहिए। आपका पत्र आपकी क्षणिक श्रान्तिका सूचक ही था क्या?

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७१) से।

१. बी० के० दत्त, एक राजनैतिक कैदी, स्वास्थ्य खराब होनेके कारण बिहार-जेलसे छोड़े गये थे; देखिए "तार: वाइसरायके निजी सचिवको", पृ० ३३५ और "पत्र: लॉर्ड ब्रेबोर्नको", पृ० ३४९।

२. देखिए "पत्र: महादेव देसाईको", पृ० ३४९।

५१५. पत्र : महादेव देसाईको

१६ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

क्या पीछेवाली शिकायतकी जाँच की है और यह नजर आया है कि उसमें कोई सचाई नहीं है? यदि तुमने इस तरहका पत्र मौलानाको न लिखा हो तो लिख देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५४) से।

५१६. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

१६ सितम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

अवश्यकता पडनेपर तुम मुझे लिखने या मौखिक रूपसे पूछनेमें हिचकिचाना मत। हिचकिचाना शायद अधर्म होगा।

बा मेरे साथ आ रही हैं। और यदि मैं सीमा-प्रान्त न जा पाऊँ तो भी बा तो दिल्लीमें एक महीना रहेगी। अतः बा की कोठरी तुम ले लेना।

कक्षाएँ वहाँ चलाना। यदि कुछ सामान रखना हो तो वह उसके नहानेके कमरेमें रख लेना।

मेरा विचार ज०का मकान ले लेनेका है। देखें क्या होता है। मेरा सब-कुछ अनिश्चित है। यदि यह पता चले कि सीमा-प्रान्तमें मेरा क्या स्थान है तो कोई रास्ता निकले।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७२) से।

५१७. पत्र : प्रभावतीको

१६ सितम्बर, १९३८

चि० प्रभा,

मैं यह माने लेता हूँ कि तू मलाबार पहुँच गई है और जयप्रकाशका इलाज शुरू हो गया है। वहाँ पृथुराज, श्यामजीभाई आदि हैं। उनसे मिलना।

मैं और बा आदि २० तारीखको दिल्ली पहुँचेंगे। वहाँ हम लोग कोई आठ दिन रहेंगे। उसके बाद मैं सीमा-प्रान्त जाऊँगा। बा दिल्लीमें ठहरेगी। रामदास कल बम्बईमें उतरेगा।

मैं अच्छा हूँ। मनुको बुखार आ गया था, अब ठीक है। प्यारेलाल बिलकुल अच्छा हो गया है। आशा है, मैं अक्टूबरके अन्तमें वापस लौट आऊँगा।

तू पत्र लिखनेमें गफलत मत करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२१) से।

५१८. पत्र : कृष्णचन्द्रको

[१६ सितम्बर, १९३८ या उसके पश्चात्][1]

बिना पूछे निर्णय करनेका यश तो नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैंने सुशीलासे कह दिया था वह बात कर लेवें। उसीने कहा मेरे जानेके बाद सारा समय वहां देनेको तैयार हो।

कल तो अमतुल सलाम ऐसी बीमार थी कि सेवा करना ही था। मेरी मालीश तुम सबसे सुशीलासे भी चढ़ जाती है ऐसा मेरा दावा है। वह मालीश कुछ घंटों कल अमतुल सलामको दीया। ऐसे पागलपनसे तुम भी बीमार हो जाओ तो शायद तुमको भी वही करना पड़े। लेकिन यह कोई वांछनीय वस्तु थोडी है। अमतुल सलाममें जितने गुण हैं इतनी ही हठ है।

बापु

१. देखिए अगले शीर्षक की पाद-टिप्पणी।

[पुनश्चः]

इस पुस्तकमें वहुत कम बात सीखनेकी है जो थी वह कर रहा हूं। छिलटेका पानी।[1]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०४) से।

५१९. पुर्जा: कृष्णचन्द्रको

[१६ सितम्बर, १९३८ या उसके पश्चात्][2]

यह सब बात मेरे मृत्युके बाद ही कही जा सकती है। देखें भगवान मुझे कहां ले जाता है।

बापू

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४५६७) से।

५२०. देशी राज्य और उनका उत्तरदायित्व

उम्मीद तो यह थी कि मैसूरकी प्रजा को जो आंशिक सफलता मिली है उससे अन्य देशी राज्योंके तन्त्रोंमें भी उदारताकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन प्रकाशमें आये तथ्योंसे प्रकट यह होता है कि उन राज्योंमें आन्तरिक उत्तरदायी शासनके लिए जो आन्दोलन चल रहा है उसके प्रति वहांकी सरकारोंके रवैयेमें बड़ी सख्ती आ गई है। मैसूरकी सफलताको मैंने आंशिक इसलिए कहा है कि मैसूरकी प्रजाको अबतक कोई ठोस चीज तो मिली नहीं है। महाराजा साहब और उनके संस्कारी दीवानने राज्य-कांग्रेसको मान्यता दे दी है, उन्होंने हालकी दु:खद घटनाओंकी जांचके लिए एक निष्पक्ष समितिकी नियुक्ति कर दी है और साथ ही एक उच्च अधिकार प्राप्त सुधार-समितिकी भी। यदि मैसूर राज्य-कांग्रेस धैर्य तथा विवेकसे काम लेगी और मैसूर-सरकार सच्चे सद्भाव और समझदारीका व्यवहार करेगी तो सम्भव है, हमें मैसूर-सरकारमें पूरी नहीं तो कम-से-कम एक बड़ी हदतक दायित्वका समावेश हो गया है, यह देखनेको मिले।

लेकिन मैसूरकी घटनाओंका मनोवैज्ञानिक असर अत्यन्त व्यापक हुआ है। देशी राज्योंके लोगोंको अपनी कल्पनामें स्वतन्त्रताकी एक नई झांकी मिलने लगी है।

१. यह वाक्य स्पष्ट नहीं है।

२. गांधीजीने यह टिप्पणी कृष्णचन्द्रके १६ सितम्बरके पत्रपर लिखी थी। पत्र में कृष्णचन्द्रने गांधीजी द्वारा अमतुस्सलामके शरीरकी मालिश करनेसे उसके उल्लासका मार्मिक वर्णन किया था।

पहले उन्हें जो चीज एक अति दूरस्थ लक्ष्य जान पड़ती थी वही अब एक ऐसी अवधारणा मालूम हो रही है जिसे मानो कल ही साकार किया जा सकता हो। मैं मानता हूँ कि प्रजामें जो जागृति आई है वह यदि सच्ची और व्यापक है तो अपने निश्चित लक्ष्यकी प्राप्तिकी ओर उसके प्रयाणको कठोर-से-कठोर दमन-नीति भी नहीं रोक सकती।

त्रावणकोरमें जो त्रास मचा हुआ है, उसके बारेमें काफी कह चुका हूँ। इसे त्रासके अतिरिक्त मैं और कोई संज्ञा नही दे सकता। एक त्रावणकोरवासी सज्जनने मुझे पत्र लिखा है। उनके साक्ष्यपर किसी प्रकारका सन्देह करनेका कोई प्रसंग अब तक मेरे सामने नही आया है। पत्रका एक अंश नीचे दे रहा हूँ:

> दीवानके वक्तव्यको ध्यानसे पढ़ने पर प्रकट होता है कि वे असली सवाल पर परदा डालने और उन्होंने जिन घटनाओंका वर्णन किया है उनके समयानुक्रम से अनभिज्ञ बाहरी लोगोंको भ्रमित करनेकी कोशिश कर रहे हैं। दीवान साहबने "आन्तरिक विग्रह" की जिस धमकीका उल्लेख किया है, उसको छोड़कर शेष सारी घटनाएँ या वारदातें राज्य-घोषणा जारी किये जाने और राज्य कांग्रेसके गैर-कानूनी संस्था ठहराये जानेके बाद की हैं। लड़ाईके बादकी घटनाओंसे लड़ाईका औचित्य कैसे सिद्ध हो सकता है, यह समझमें आना कठिन है।
>
> अब लीजिए हिंसाकी बातको। उसपर हम सबको अफसोस है। लेकिन उसके सम्बन्धमें कुछ लोगोंका यह भी कहना है कि पथराव और बसोंको जलानेका काम तो खुद पुलिस द्वारा तैनात किये गये उपद्रवियोंने किया। मगर जबतक सारे मामलेकी ठीक-ठीक जाँच नहीं हो जाती तबतक यह कहना कठिन है कि सत्य क्या है और वर्तमान परिस्थितियोंमें तो वैसी जाँच होना असम्भव ही है। चाहे जो हो, मगर यह बात क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं लगती कि यद्यपि ये सारी घटनाएँ दिनके उजालेमें और पुलिस तथा सेनाके लोगोंकी उपस्थितिमें घटित हुईं, फिर भी वे लोग न तो इनमें से किसी वारदातको रोक पाये और न किसी अपराधीको पकड़ पाये। राज्य-कांग्रेसके समर्थक इसका कारण यह बताते हैं कि वह वर्बरता तो स्वयं पुलिसके लोगों और उनके गुर्गोंने की थी, फिर भला वे किसीको गिरफ्तार कैसे करते। यह बात कहाँतक सही है, मैं नहीं कह सकता। ४ सितम्बरके 'हिन्दू' में एक स्वयंसेवककी उस पत्रके संवाददातासे हुई एक भेंटवार्ता छपी है। क्विलोनकी सभामें उसपर लाठियोंकी भारी मार पड़ी थी। उसका कहना है कि उसने पुलिसके कुछ लोगोंको पथराव करते अपनी आँखों देखा। राज्य-कांग्रेसके सदस्य सरकारपर आम तौरपर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। राज्यके सभी भागोंमें सभाएँ की जा रही हैं, भाषण दिये जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियाँ बहुत कम हो रही

हैं। मौजूदा नीति तो जबरदस्ती सभा भंग करानेकी ही जान पड़ती है। नतीजा यह होता है कि बन्दूकें चलती हैं और निर्दोष लोगोंकी जान जाती है। क्विलोन की सभाके बाद कोट्टायमसे लगभग पाँच मील दूर स्थित पुतुपल्ली नामक गाँवमें हुई सभामें भी गोलियाँ चलाई गईं। एक-दो लोग मरे और कुछ घायल भी हुए। ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। नये नियमकी सभी धाराओंका लोग खुले आम उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपराधियोंके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि जेल एक ही है और वह कैदियोंसे बिलकुल भरी हुई है। अगर सरकार सभी अपराधियोंको पकड़ना और सजा देना चाहे तो उसे और भी जेल बनवानी होंगी, क्योंकि ऐसे लोगोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है और अभी दिन-दिन बढ़ती ही चली जा रही है जो सत्याग्रह करके स्वेच्छासे गिरफ्तार होने और जेल जानेको तैयार हैं।

और त्रावणकोरके अनेक भागोंमें जो भयंकर दमन-नीति बरती जा रही है उसका वर्णन करनेवाले तारोंकी तो मुझपर बौछार-सी हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि राज्यकी ओरसे जारी की गई विज्ञप्तियोंके मुकाबले इन्हीं साक्ष्योंका विश्वास करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह अवश्य है कि अन्य मसलोंकी ही तरह इस मसलेके भी दो पहलू हैं और इसलिए इस सबकी निष्पक्ष जाँच करवाना बहुत आवश्यक है।

लेकिन जाँच हो या न हो, त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसका कर्त्तव्य तो स्पष्ट ही है: एक ओर तो इस बातका खयाल रखना, कि उसके सदस्य या समर्थक किसी भी प्रकारकी हिंसा न करें और दूसरी ओर सीधी कार्रवाईके कार्यक्रमको तबतक चलाते रहना जबतक कि त्रावणकोर-सरकार नरम नहीं पड़ जाती या राज्य-कांग्रेसका एक-एक सदस्य गिरफ्तार नहीं हो जाता।

यहाँ मैं अहिंसाकी एक मर्यादा बता देना चाहता हूँ। यदि अत्याचारी पीड़ितों की अहिंसा-वृत्तिका भरोसा करके उनमें से एक-एकको कुचल देनेतक अत्याचार करता रहता है तो आसपासके वातावरणसे एक आवाज उठती है और फिर लोकमतकी शक्ति या ऐसी ही कोई चीज अत्याचारीको इस तरह आ घेरती है कि उसे ढूँढ़ते राह नहीं मिलती। लेकिन किसी भी सत्याग्रहीको यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अपने संघर्षमें उसे मृत्युका वरण तो नहीं ही करना पड़ेगा। उसकी विजय अपने अदम्य साहससे मृत्युको चुनौती देने और धन-सम्पत्तिकी क्षतिको खुशी-खुशी झेलनेकी तत्परतापर ही निर्भर है। अन्यायीकी निश्चित पराजय अन्याय सहनेवालेके आत्म-बलको शिथिल करने या तोड़नेकी उसकी असमर्थतामें निहित है।

यदि देशी राज्य अपने हठपर अड़े रहते हैं और सारे भारतमें जो जागृति आई है उससे अनजान बने रहते हैं तो निश्चित है कि वे अपने विनाशको आमन्त्रित कर रहे हैं। मैं देशी राज्योंका मित्र होनेका दावा करता हूँ। मेरे परिवारमें देशी राज्योंकी सेवाकी परम्परा कुछ नहीं तो तीन पीढ़ियोंसे तो चली ही आ रही है। मैं अतीतका अन्धभक्त नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी परम्परापर लज्जित नहीं हूँ। हो सकता है,

सभी राज्य कायम न रह पायें। बड़े-से-बड़े देशी राज्य तभी कायम रह सकेंगे जब वे अपनी मर्यादाओंको पहचान लेंगे, अपनी प्रजाके सेवक और उसके हितोंके संरक्षक बन जायेंगे और अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिए अपनी या ब्रिटिश सरकारकी सेनापर नहीं, बल्कि केवल अपनी प्रजाकी सद्भावनापर भरोसा करके चलेंगे। त्रासकी नीति तो हम सर्वत्र जिस आगको धुँधुआती हुई देख रहे हैं, उसमें घीका काम करेगी। यदि देशी राज्य गलत सलाहपर चलेंगे और प्रजाकी उचित माँगोंको दबानेके लिए संगठित हिंसापर चलेंगे तो सामाजिक अन्यायके निवारणके अस्त्रके रूपमें देशमें अबतक जो अहिंसावृत्ति पनपी है उसकी आड़मे वे बच नहीं सकते। यदि यह अहिंसावृत्ति एक सुदृढ़ और विशाल वृक्षका रूप ले चुकी होती तो वह कड़ी-से-कड़ी कसौटीपर भी खरी उतरती। लेकिन दुःखके साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि भारतकी मिट्टीमें उसकी जड़ें अभी काफी गहरी नहीं जम पाई हैं।

इसलिए हैदराबाद निजामकी विज्ञप्तियोंको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है और दुःख भी। सर अकबर बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री हैं। वे एक तत्त्वचिन्तक हैं। ढाका विश्वविद्यालयमें दिया हालका उनका दीक्षान्त भाषण पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। सो यह घोर आश्चर्यकी बात है कि उन्होंने इस तरहकी प्रतिक्रियावादी घोषणाएँ कैसे की। इनमें एक ऐसी संस्थाकी निन्दा की गई है जिसने अभी अपना काम भी शुरू नहीं किया है। जिस राज्यमें एक ही धर्मके लोग भारी बहुसंख्यामें हैं उसमें साम्प्रदायिकताका क्या मतलब हो सकता है? उदाहरणके लिए, कश्मीर या सीमा-प्रान्तमें, जहाँ मुख्यतः एक ही धर्मके अनुयायी बसते हैं, साम्प्रदायिताका क्या मतलब है? अल्पसंख्याके सिद्धान्तको लेकर चलना एक हदतक ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यकों का भी कमसे-कम एक न्यूनतम सीमामें होना जरूरी है। अल्पसंख्यामें कोई एक ही व्यक्ति हो तो वह भी पूर्ण न्याय प्राप्त करनेकी आशा रख सकता है। लेकिन, राज-नीतिक क्षेत्रमें ऐसी अल्पसंख्याका कोई दर्जा नहीं है। जब किसी नगण्य अल्पसंख्यक समाजका कोई व्यक्ति सत्तारूढ़ हो जाता है तो वह उस अल्पसंख्यक समाजके प्रति-निधिकी हैसियतसे सत्तारूढ़ नहीं होता, बल्कि केवल अपने गुणोके कारण होता है। साम्प्रदायिक शब्दका जो अर्थ भारतमें लगाया जाता है, उस अर्थमें हैदराबाद राज्य-कांग्रेस कभी भी साम्प्रदायिक नहीं हो सकती। सीमा-प्रान्तकी किसी संस्थाको मात्र इसीलिए साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई हिन्दू सदस्य नहीं है। किसी संस्थाका दृष्टिकोण स्पष्ट रूपसे साम्प्रदायिक हो सकता है, यह जरूर सच है। लेकिन हैदराबादकी विज्ञप्तियोंमें तो बालकी खाल निकालनेके अन्दाजमें एक अत्यन्त सूक्ष्म भेद करते हुए कहा गया है कि वहाँकी राज्य-कांग्रेसमें ऐसे लोग हैं जिनका दृष्टिकोण मुख्यतः साम्प्रदायिक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि राज्य-कांग्रेसने एक वक्तव्य प्रकाशित करके साम्प्रदायिकताके आरोपका पूरा-पूरा खण्डन किया है।

और इसके बाद अबतक प्रगतिशील गिने जानेवाले राजकोट राज्यकी भी बारी आई है। अभी कुछ दिन पहलेतक वहाँ एक प्रतिनिधि-सभा थी, जिसके सभासद् सार्वत्रिक वयस्क-मताधिकारके आधारपर चुने जाते थे और वहाँके स्वर्गीय महाराजा

साहबके शासनमें सभाको वाणीकी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। आशा तो यही रखनी चाहिए कि हालमें जोर-जबरदस्तीका जो प्रदर्शन किया गया (और जहाँतक मैं समझता हूँ, उसका कोई कारण नही था) उसके बाद अब राजकोटकी राजनीतिक संस्थाको न केवल निर्विघ्न अपना काम करने दिया जायेगा, बल्कि उसकी माँगें भी न्याय-वृत्तिके साथ स्वीकार की जायेंगी।

उपर्युक्त तीनो देशी राज्यों या किसी अन्य देशी राज्यमें चाहे जो हो, देशी राज्योंके लोग इस बातको ठीकसे समझ लें कि उनका उद्धार पूर्णरूपसे स्वयं उन्हींकी शक्तिपर निर्भर है और यह शक्ति उन्हें अपने आचरणमें पूर्ण अहिंसा और सत्यका परिचय देनेसे ही प्राप्त हो सकती है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जिन लोगोंको शास्त्रास्त्रोंसे वंचित कर दिया गया है, और जो लगभग अनादि कालसे एक असैनिक जातिके रूपमें जीते चले आये हैं, उन्हें बड़े पैमानेपर खुलेआम हिंसात्मक पद्धतिपर संगठित करना सर्वथा असम्भव है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १७-९-१९३८

५२१. बढ़ते हुए प्रमाण

आदमी जैसा बोता है वैसा ही पाता है। मैंने हिंसाके बारेमें लिखा था, और अब मुझे भारत-भरसे ऐसे प्रमाण प्राप्त हो रहे है जिनसे मेरी बातकी पुष्टि होती है। इस प्रसंगमें जो सबसे दुःखद उदाहरण मेरे सामने आया है, वह यह है कि एक कांग्रेस-कमेटीने एक जमीदारीके रैयतोंको उस जमीदारीकी जमीनपर कब्जा कर लेनेके लिए उकसाया। इस लूटसे पहले कांग्रेसियोंने हिंसा-वृत्तिसे भरे भाषण दिये। सम्बन्धित कागज-पत्र जाँचके लिए मैंने डॉ० पट्टाभि सीतारामैयाको भेजा। उन्होने पत्र-लेखक द्वारा की गई शिकायतोंकी आम तौरपर पुष्टि की है। मुझे आशा है कि जिला समिति या प्रान्तीय समिति इस अन्यायका निराकरण कर देगी। यह न हुआ तो राजाजी की सरकारको तो सताये गये व्यक्तिको राहत देनी ही पड़ेगी। यह सब कहनेका मतलब यह नही कि मैं मानता हूँ कि जमीन किसानोंकी नही है। मिल्कियतके समाजवादी सिद्धान्तकी मैं ताईद करता हूँ। लेकिन आन्ध्रमें जमीनपर जिस तरह जबरदस्ती कब्जा जमाया गया है, उसका समर्थन करनेवाला कोई समाजवादी मेरी नजरमें तो नही आया है। यदि भारतकी सारी जमीनपर कभी किसानोंका ही कब्जा होना है तो यह कार्य या तो खूनी क्रान्ति के द्वारा सम्पन्न होगा या न्यायोचित कानूनोंके द्वारा। हर समझदार आदमीके सामने यह बात तो स्पष्ट ही होनी चाहिए कि जबरदस्ती हथियाई सम्पत्तिपर कोई सदा काबिज नही रह सकता। अगर कांग्रेसी सरकार न बनती तो यह लूट कभी नही हो पाती। यदि कांग्रेसी सरकार जमीन उसके कानूनी हकदारको वापस नही दिलवा देती तो वह अपनी

कब्र आप ही खोदेगी। यहाँ मैं प्रसंगवश इतना और बता दूं कि जिस जमींदारकी जमीन छीनी गई है उसके बारेमें लोगोंका कहना यह है कि वह बड़े नम्र स्वभावका है और कांग्रेसके प्रति उसकी सहानुभूति है।

दूसरा प्रमाण संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त और बम्बईके अखबारोंकी कुछ चुनी हुई कतरनोंके रूपमें सामने आया है। संयुक्त प्रान्तकी कतरनोंकी विशेषता यह है कि उनमें काव्य और गद्य द्वारा लोगोंको हिंसाके लिए उकसाया गया है। एक लेखिकाने बड़ी प्रचण्ड और भड़कानेवाली शैलीमें जमींदारोंके कुकर्मों और किसानोंपर किये जा रहे अत्याचारोंका वर्णन किया है। अमीरोंकी अमीरी और गरीबोंकी कंगालीके बीच उसने भीषण भेद दर्शाया है। इस तरह पूर्वपीठिका तैयार करनेके बाद उसने किसानोंको हत्या और रक्तपातके लिए आमन्त्रित किया है। "जो भी हथियार हाथ लगे, उंठा लो और वार करो, पूरी ताकतसे वार करो। कायर मत बनो। यह सब तुम्हारा है और अपने भुजबलसे तुम्हें इस सबको हस्तगत करना है।" यह तो मैंने उस प्रचण्ड लेखको बहुत थोड़े शब्दोंमें और काफी नरम बनाकर पेश किया है। अगर मेरा ध्यान इसके लेखकके नामपर न जाता तो मैं इस बातकी कल्पना नहीं कर सकता कि भारतकी कोई बेटी भी ऐसी नृशंसतापूर्ण हिंसाके लिए लोगोंको भड़का सकती है। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि मैं पूरा रोष और अमर्ष भरकर लिखने बैठूं तो भी इस लेखिकाकी जैसी प्रचण्ड शैलीमें तीन कालम नहीं भर सकता। अगर इस लेखको पढ़कर किसीका सिर नहीं फिरा तो निश्चय ही यह लेखिकाका दोष नहीं है। सौभाग्यसे वे करोड़ों लोग, जिनको सम्बोधित करके यह लेख लिखा गया है, इसे पढ़ नहीं सकते।

मध्य प्रान्त और बम्बईके अखबारोंसे प्राप्त कतरनोंमें ऐसी झूठी बातें कही गई हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेखनीपर कहीं कोई अंकुश रखा ही नहीं गया है। लोगोंके चरित्रपर कीचड़ उछालनेके लिए अश्लील-से-अश्लील भाषाका प्रयोग करनेमें भी संकोच नहीं किया गया है। जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ तो बिलकुल मनगढ़न्त हैं। ये लेख सहज ही मानहानिके कानूनके अन्तर्गत आ जाते हैं। लेकिन मानहानिका मुकदमा चलानेसे भी क्या होगा? वे तो चाहते हैं कि ऐसे मुकदमे चलाये जायें। इनसे अखबारोंका विज्ञापन होता है। इन मुकदमोंमें अपना बचाव करनेके दौरान उन्हें और भी झूठ गढ़नेके अवसर मिलेंगे। इनमें लोगोंको प्रकारान्तरसे हिंसाके लिए भी उकसाया गया है। और यदि इस तरह उकसाया न गया हो तो भी इन अखबारोंको पढ़नेवाले युवकोंके मनमें उन 'शैतानों' का काम तमाम कर देनेका खयाल क्यों न आयें जिन्हें इनमें इतने गन्दे रूपमें चित्रित किया गया है? बहुत-से लोग, जिस अखबारको वे पढ़ते हैं, उसमें लिखी बातोंको वेद-वाक्यकी तरह सच मानते हैं। वे उनमें पूरा विश्वास करते हैं और इनमें से कुछ अखबारोंके बारेमें ऐसा भी माना जाता है कि ये कांग्रेसकी नीतिको लेकर चलते हैं। कांग्रेस-शासनमें अनिष्ट बढ़ता जा रहा है। जो चीज छिपी हुई थी वह अब उभरकर सामने आ रही है, यह अच्छा ही है। लेकिन यह तो नागरिक स्वतन्त्रता नहीं,

अपराधपूर्ण स्वैराचार है। असत्य और हिंसाकी राह चलनेसे स्वराज्य नहीं मिलनेवाला है। और अगर हम यह सब सत्य और अहिंसाके नामपर करते हैं तो यह दोहरा अनाचार है। कांग्रेस और कांग्रेसियोंको मैं फिर वही सलाह दूंगा जो पहले ही दे चुका हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-९-१९३८

५२२. पत्र: महादेव देसाईको

१७ सितम्बर, १९३८

चि० महादेव,

साथका पत्र दुर्गाके लिए है।[1] उसे दुःखी करके उससे कुछ भी करवानेकी न तो मेरी इच्छा है और न साहस है। व्रजकृष्णके पोस्टकार्डका उत्तर लिख भेजा है क्या? न भेजा हो तो सोमवारको देना पड़ेगा। वावलासे कह देना। कितना और नींव डालनेकी स्वीकृति — ये दो बातें तुम्हे अपने जवाबम कहनी हैं। तुम्हें सो सकनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अपने मनपर तनिक भी कामका बोझ न पड़ने देना

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजरातीसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

५२३. पत्र: दुर्गा देसाईको

१७ सितम्बर, १९३८

चि० दुर्गा,

हालाँकि तनिक भी घबरानेकी जरूरत नहीं, फिर भी महादेवकी तबीयतका ध्यान रखना होगा। आजतक जितना काम करते रहे उतना अभी तुरन्त नहीं कर सकते। जीवराज कहते थे कि तुम्हारी इच्छा यह है कि महादेव अभी दिल्ली न आयें। क्या तुम्हारा इस बातपर आग्रह है? तुम माँ बेटा यदि दिल्ली आना चाहो तो मैं ले जानेके लिए तैयार हूँ। और अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तथा मैं सीमा-प्रान्त जा सका तो तुम उतने दिन दिल्लीमें रहना और बादमें मेरे साथ वापस आना।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजरातीसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१. देखिए अगला शीर्षक।

५२४. पत्र : सुशीला गांधीको

१७ सितम्बर, १९३८

चि० सुशीला,

यह सारी चालाकी तू कहाँ सीख आयी? तीन बातोंकी टीका की है और कहती है कि मात्र जानकारीके लिए लिख रही हूँ। यह खूब रही। किन्तु तुझे तो जैसा लिखना चाहे वैसा लिखनेका अधिकार है। चिमनलाल मुझसे यह पूछ गये हैं कि तुझे आँकड़ा बताया जाये या नहीं। यहाँका खर्च तो बादशाही ही है। उसके बिना मैं यहाँ अपने स्वास्थ्यकी रक्षा नहीं कर सकता था। भोजनमें घी आदि लेनेके जो प्रयोग हो रहे हैं उनके कारण भी खर्च बढ़ता है। इसलिए यहाँ जो खर्च हो रहा है वह किसीके लिए उदाहरण रूप नहीं हो सकता यदि कोई मुझसे ऐसा कहे कि मुझे तो मेरे मित्र भरपूर पैसा देते हैं इसलिए मैं उसे मनचाहा उड़ाता हूँ तो मैं सुन लूँगा और हँसूँगा। तथापि इसमें सुधारके लिए गुंजाइश है, किन्तु यह तो तभी हो सकता है जब मुझे कोई तेरी-जैसी कुशल व्यवस्थापिका मिले। लेकिन तू तो यहाँ रहनेवाली है नहीं। आँकड़ा दिखानेमें उद्देश्य यह नहीं था कि तू उसे चुकाये। तू उसे अपनी शक्तिके अनुसार ही चुकाना। मैंने तुझसे यह कहा ही है कि तू न चुकाये तो भी कोई बात नहीं है। तथापि जबतक पैसा पासमें हो तबतक चुका देना ही अच्छा है।

तू मुझे आलसी कहे तो ज्यादा सही होगा। क्या तू चिमनलाल, मुन्नालाल, नानावटी, बलवन्तसिंह, पारनेरकर, कनु, शारदा और शकरीबहनको आलसी कहना चाहेगी? शेष तो वहाँ यों ही रह रहे हैं। भणसालीभाईको आलसी नहीं कहा जा सकता। कृष्णचन्द्र बीमार रहता है किन्तु अन्यथा सज्जन है। शंकरन्‌को तैयार करना है। आनन्द जितना काम कर देता है उतनेसे चला लेता हूँ। तथापि यह सही है कि मैं कुछ शिथिलता सहन कर लेता हूँ और उसका कारण यह है कि मैं स्वयं काम करने लायक नहीं रहा हूँ। मैंने तो यहाँ मुझे जो नाम याद आये वे दे दिये हैं। तू मुझे ब्यौरेवार नाम देकर अपनी बात समझाना।

तूने मुझे जवाब नहीं दिया। तू अपनी बात मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपे, इसका तो सवाल ही नहीं है। मैं निर्विकार नहीं हूँ, इसके बावजूद क्या तू और मनुड़ी यह चाहोगी कि मैं सेवा लेता रहूँ और स्त्रियोंका स्पर्श करूँ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। मनुड़ी इसे नहीं समझेगी किन्तु तू इसे समझ सकती है। तुम सब ऐसा कह सकती हो कि "जबतक बापू विकारका अनुभव करते हैं तबतक यही ठीक है कि वे केवल सुशीलाकी और बा की ही सेवा लें।" या ऐसा कह सकती हो कि "जब वे हमारे ऊपर बोझ रखते हैं, तब हमें उनके स्पर्शकी इच्छा होती ही है। उनके विकार

का हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है?" इन दोनो ही स्थितियोका समर्थन किया जा सकता है। पहली सब तरहसे सुरक्षित है। तात्पर्य यह कि जिस दृष्टिसे मैंने इस प्रयोगका आरम्भ किया था उस दृष्टिसे अब यह समाप्त हुआ माना जा सकता है। इसलिए जो भी नया कदम उठाऊँ उसके विषयमें तुम सबकी राय जानना चाहता हूँ। मैं उतावली नही करना चाहता। जो होना होगा उसे तटस्थतापूर्वक करना चाहता हूँ। तुझे मैंने बुद्धिमान माना है। तू समझदार है। ऐसे मामलोमे स्त्रीकी हैसियतसे तू मुझे सही राह दिखा सकती है। इसलिए अपनी स्वतन्त्र राय मुझे निर्भयतापूर्वक देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८३) से। सी० डब्ल्यू० ७०४२ से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

५२५. पत्र : मनुबहन एस० मशरूवालाको

१७ सितम्बर, १९३८

चि० मनुड़ी,

तू अपनेको भाग्यशालिनी समझ कि तू मेरे मौनके दौरान यहाँ पहुँची। मेरा यह मौन तो पूरे देशके निमित्त है। तुझे उसका साक्षी रहनेका लाभ मिला। मौन कोई प्रेमकी कमीका सूचक नही है। प्रेमको जीतनेके लिए वाणीकी जरूरत नही होती।

जब तू बम्बई जायेगी तो मैं तुझे पत्र अवश्य लिखूँगा। तू भी लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १५७२) से; सौजन्य: सुरेन्द्र बी० मशरूवाला।

५२६. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

१७ सितम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

शारदाको संगीतकी इतनी शिक्षा देना कि वह पूरी तरह सन्तुष्ट हो जाये। अन्य लोग भी यदि 'गीता' पाठ या संगीत सीखनेमें मदद माँगे तो बिना किसी संकोचके उनकी मदद करना।

तुम अपने स्वास्थ्यका ध्यान तो रखोगे ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७३) से।

५२७. पत्र : जेठालाल जी० सम्पतको

१७ सितम्बर, १९३८

चि० जेठालाल,

तुम्हारे पोस्टकार्ड आदि मिले। आज लक्ष्मीदासका पत्र मुझे मिला है, उसे भी मैं भेज रहा हूँ। मैं तो साहित्य इकट्ठा करके भेज ही रहा हूँ जिससे तुम्हें मदद मिल सके। उसमें जो तुम्हारे कामका न हो उसे छोड़ देना। मुझे उत्तर देनेकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे विचार करनेके लिए मैं जो भेजता हूँ उसके उत्तरकी क्या जरूरत है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८६७) से; सौजन्य: नारायण जेठालाल सम्पत।

५२८. पुर्जा: रघुनाथ गणेश पण्डित शेलोलीकरको

१७ सितम्बर, १९३८

यदि दो-चार दिन ठहर सकते हैं तो शारदाका गीतापाठ ठीक करा दिया जाय।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७९४-२) से।

५२९. महादेव देसाईको लिखे पत्रका अंश

[१८ सितम्बर, १९३८ से पूर्व][1]

चि० महादेव,

सुशीलाका कहना है कि यदि तुम जा सको तो तुम्हें आज ही वम्बई जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें दौड़-धूप ज्यादा होगी। यदि वे[2] यहाँ आनेवाले हों तो तुम्हारी यहीं जाँच करें। खास वात तो आरामकी है। यदि तुम जाओ तो वम्वईमें ही रुकना और फिर मुझसे सीधे दिल्लीमें मिलना। यदि तुम जाना चाहो तो तुम्हें कल ही जाना चाहिए। तुम यदि 'हरिजन' की जिम्मेवारी न लो तो अच्छा हो। दो सप्ताहमें जो होना हो सो हो।

अव तुम्हें अनिच्छापूर्वक भी . . .।[3]

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३०) से।

५३०. पाठकोंसे

[१८ सितम्बर, १९३८][4]

महादेव देसाई वहुत रुग्ण हो गये हैं, इस सम्बन्धमें मेरे दुःखमें 'हरिजन' के पाठक भी शरीक होंगे। डॉ० गिल्डर तथा डॉ० जीवराज मेहता जिस ममताका परिचय सदा देते हैं, उसी ममतासे महादेवको देखनेके लिए खास तौरसे आये। उनकी जाँच करके वे इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि उन्हें दीर्घ काल तक विश्रामकी आवश्यकता है। जो चेतावनी मुझे दी गई थी वही इनको भी दी गई है। डॉक्टरोंका खयाल है कि लम्बे समयसे शक्तिसे अधिक काम करते रहनेके कारण ही वे वीमार पड़े हैं और अगर उन्होंने इसकी परवाह न की तो सम्भव है, किसी दिन उन्हे अपनी सारी प्रवृत्तियाँ वन्द कर देनी पड़े। महादेवकी वीमारीके समाचारसे उनके मित्रगण —जिनकी संख्या काफी वड़ी है—चिन्तित न हों। चिन्तित होने-जैसी कोई वात नहीं है। वात इतनी ही है कि प्रकृतिने एक कड़ी चेतावनी दी है, और मैं अथवा

१. देखिए अगला शीर्षक, जिसमें गांधीजी ने इस वातका उल्लेख किया है कि डॉ० जीवराज मेहता और डॉ० गिल्डरने जाँचके वाद महादेव देसाईको पूरी तरह आराम करनेकी सलाह दी थी।

२. डॉ० गिल्डर और डॉ० जीवराज मेहता।

३. यह वाक्य अधूरा है।

४. २४ सितम्बरसे पहले पड़नेवाले रविवारको १८ तारीख थी।

वे अगर उसकी उपेक्षा करेंगे तो हमारा नुकसान अवश्य होगा। मैं जो यह मान रहा हूँ कि यह चेतावनी मुझे भी मिली है, उसका कारण यह है कि यदि मैं महादेवके विश्राम लेनेपर आग्रह न करूँ तो वे तो ऐसे हैं कि अन्तिम साँसतक प्रसन्नतासे हाथमें कलम थामे रहें। अगर मैं सयाना और सच्चा हूँ तो वे जरूरी आराम अवश्य करेंगे। इसलिए अभी कुछ दिन तो पाठकोंको उस सुपरिचित शैलीमें पुष्कल मात्रामें दिये जानेवाले महादेव देसाईके लेखोंके बिना ही काम चलाना पड़ेगा।

यह लेख मैं रविवारकी सुबह, यानी रातके डेढ़ बजे, लिख रहा हूँ। आज तो मैं 'हरिजन'का काम निबटानेके लिए इतने सबेरे उठ गया हूँ, लेकिन ऐसी छूट दोबारा लेनेकी हिम्मत मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें यह खतरा है कि मेरा शरीर कहीं एकाएक थक न जाये। मुझमें शारीरिक शक्ति अब बहुत कम रह गई है, इसलिए इसका उपयोग बचा-बचाकर करना है। 'हरिजन' का काम सँभालनेवाले तीसरे व्यक्ति हैं प्यारेलाल। कुछ दिनोंसे वे भी अशक्त होकर पड़े हुए हैं और फिलहाल तो मियादी बुखारसे निकलनेके बाद स्वास्थ्य लाभके लिए पूरा विश्राम कर रहे हैं।

'हरिजन' समाचारपत्र नहीं, विचारपत्र है — एक व्यक्तिके विचारोंको अभि-व्यक्ति देनेका साधन। जबतक मैं जिन्दा हूँ महादेव या प्यारेलाल भी स्वतन्त्र रूपसे कुछ नहीं लिख सकते। खुद मेरा भी सत्याग्रहका ज्ञान प्रतिदिन विकासकी सिढ़ियाँ चढ़ रहा है। जरूरत पड़नेपर जिसका सहारा ले सकूँ, ऐसा कोई प्रमाणग्रन्थ मेरे पास नहीं है। 'गीता'को मैंने अपना शब्दकोश कहा है, लेकिन ऐसे वक्त उससे भी काम चलनेवाला नहीं है। सत्याग्रहकी मेरी जो कल्पना है, उस रूपमें वह एक निर्माणाधीन शास्त्र है। हो सकता है, जिसे मैं शास्त्र मानता हूँ वह किसी दिन किसी पागलकी नही तो किसी बेवकूफकी खामखयाली और मूर्खका काम साबित हो। हो सकता है, सत्याग्रहमें जो-कुछ सत्य है वह उतना ही प्राचीन हो जितना कि स्वयं इस विश्वका निर्माण। लेकिन विश्वकी समस्याओं, या कि कहिए, विश्वकी सबसे बड़ी समस्या, अर्थात् युद्धके निवारणकी दृष्टिसे अभीतक इसका कोई महत्त्व स्वीकार नहीं किया गया है। हो सकता है, इसमें जितनी-कुछ नवीनताका दावा किया गया है वह उस सर्वोच्च समस्याके सन्दर्भमें किसी कामकी सिद्ध न हो। किसी दिन ऐसा भी पता चल सकता है कि जिसे सत्याग्रहकी अर्थात् अहिंसाकी विजय बताया जाता है वह वास्तवमें सत्य और अहिंसाकी नहीं, बल्कि हिंसाके भयकी विजय है।

ये तमाम सम्भावनाएँ सदा मेरे सामने रही हैं। मैं असहाय हूँ। राष्ट्रकी स्वीकृतिके लिए मैं उसके सामने जो-कुछ रखता हूँ वह मेरी प्रार्थनाका अर्थात् सतत् भगवत्चिन्तनका प्रतिफल-मात्र होता है। इन परिस्थितियोंमें मेरे जीते-जी तो 'हरिजन' तभीतक चल सकता है जबतक या तो खुद मैं उसमें लिखता रहूँ या फिर महादेव या प्यारेलाल सप्ताह-दर-सप्ताह मेरे विचारोंकी व्याख्या प्रस्तुत करते रहें।"

पाठक ऐसा न सोचें कि इन दो सेवकोंका स्थान लेनेवाला और कोई है ही नहीं। ऐसे लोग हैं। लेकिन वे सब अपने-अपने निर्धारित कार्योंमें व्यस्त हैं और

उन्हें अपने-अपने कार्य-क्षेत्रसे हटाना गलत होगा। 'हरिजन' के विना सत्याग्रह वन्द नही हो सकता, लेकिन इसके महान् रचनात्मक कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेवाले सेवकोके अभावमें यह जरूर वन्द हो जायेगा।

इसलिए जवतक महादेव रुग्ण हैं, तवतक पाठकोंको सम्पादनमें जो त्रुटियाँ दिखाई दें, उन्हें वे नजरअन्दाज कर देंगे। इस बीमारीसे मनमें एक विचार उठता है। मैंने मित्रोंके सामने अकसर ऐसी राय जाहिर की है कि अनासक्तिकी क्षमता का परिचय देनेमें अंग्रेज लोग हमसे वहुत आगे हैं। राष्ट्रका चाहे जितना महत्त्वपूर्ण काम कर रहे हों, लेकिन अपने आहार-विहारके समयमें कोई व्यवधान वे नही पडने देते। खतरा सामने आ जानेपर या आसन्न विपत्तिकी आशंकासे वे घवराते नही हैं। इसे 'गीता' में वर्णित अनासक्त भावसे काम करना कहा जा सकता है। भारतके राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंमें अंग्रेजोंकी ऊँचाईतक पहुँचनेवाले वहुत थोड़े लोग हैं।

अंग्रेजोंकी यह अनासक्ति अनुकरणीय है। इस गुणका उपयोग वे तथाकथित असभ्य या अर्व-सभ्य जातियोके शोषणके लिए करते हैं, यह तो और वात है। यदि नेता और कार्यकर्ता अपने सभी कार्योंमें सययकी पावन्दी रखें तो यह राष्ट्र-कार्यके लिए एक वहुत लाभदायक वात सावित होगी। यदि दिन-भर काम करनेके वाद कोई पाये कि जो काम उसे आज करना था उसमें से कुछ वच रहा है या यदि वह अपना दिन-भरका काम अपना एक-आध वारका भोजन छोड़े विना अथवा अपने सोने या मनोरंजनके लिए निर्धारित समयमेंसे कुछ कटौती किये विना पूरा नही कर सकें तो समझ लेना चाहिए कि कहीं-न-कही कोई अव्यवस्था जरूर है। मुझे इस वातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि हम समयकी पावन्दी सीख ले और कार्यक्रमके अनुसार काम करनेकी आदत डाल लें तो राष्ट्रकी कार्य-कुशलतामें भारी वृद्धि होगी, हम अपने लक्ष्यकी ओर तेजीसे वढेंगे और कार्यकर्त्ता अधिक स्वस्थ तथा दीर्घायु होगे।

अन्तमें पाठकों और पत्र-लेखकोंसे निवेदन है कि यदि कभी ऐसा हो — और आज तककी वनिस्वत ऐसा होनेकी आशंका अव ज्यादा है — कि उन्हें इस अखवारका अंक समयपर या विलकुल ही न मिले और इसी तरह पत्रोंके उत्तर वक्तपर अथवा विलकुल न मिलें तो वे क्षमावृत्तिसे काम लेंगे। पत्र-व्यवहार वढता जा रहा है, करनेको काम भी वढ़ता जा रहा है। दोनोंसे निवटनेकी क्षमता घटती जा रही है। तो जो ईश्वरकी इच्छा होगी, वही होगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २४-९-१९३८

५३१. पुर्जा : रघुनाथ गणेश पण्डित शेलोलीकरको

१८ सितम्बर, १९३८

जिस पक्षके सामने मैंने प्रतिज्ञा की थी वही पक्षके साथ लड़ाई चली। इससे प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती थी और मेरा उपवास हिन्दु जातिके सामने था। इंग्रजोके सामने नही। मेरा विश्वास है कि अगर एवार्डमें परिवर्तन न होता तो आज हरिजन अलग जाति बन जाते जो उस एवार्डका हेतु था।

जो कार्य मैं कर रहा हुँ वह अगर धार्मिक दृष्टिसे और धर्मवृद्धिके लिये है तो लोकविरोध सहन करके भी करना चाहिये।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७९५)से।

५३२. पुर्जा : अमतुस्सलामको

[१९ सितम्बर, १९३८ से पूर्व][1]

तुमारी हठकी कोई हृद ही नहीं है। मैं राजी होकर न ले जाऊँ तो लाचारी ही हुई ना? मैं जानता हूँ तू सरहदमें नहीं रह सकेगी। तो तुझे वहाँ ले जानेमें कुछ फायदा नहीं है। जैसी तबीयत आज है ऐसी रही तो मुझे तेरी सेवा करना होगा। तू महादेवकी क्या करेगी? झगड़ा टालनेके लिए मैं सेवा ले रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूं की तेरा शरीर सेवा देने लायक नहीं रहा है। तीन रातके मालीशसे तगडी बनेगी और खुश-खुश रहेगी। लेकिन वह तो होनावाला था ही नहीं।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०१) से।

१. अमतुस्सलाम को लिखे गये यह और इसके बादके दो पुर्जे उसी क्रममें रखे गये हैं जिस क्रममें उन्हें बापूके पत्र–८ : बीबी अमतुस्सलामके नाम में रखे गये है। स्पष्टत: ये पुर्जे गांधीजीने सेगाँवसे १९ सितम्बर को पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त के दौरेपर रवाना होनेके पहले लिखे गये थे।

५३३. पुर्जा : अमतुस्सलामको

[१९ सितम्बर, १९३८ से पूर्व]

कैसा खत लिखती है? मैंने तो तेरा नाम आनेवालोंमें दिया है। लेकिन [तू] रह जाना चाहती है तो रह जा। खानसाहेवके पास भी मजबूरीसे भेजा मेरेपर मेहरबानी करके जाना चाहती है कि रहा नही जाता है इससे आना चाहती है।

रातके बारेमें मेरे मनमें तो कुछ और खयाल था ही नही।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६७५)से।

५३४. पुर्जा : अमतुस्सलामको

[१९ सितम्बर, १९३८ से पूर्व]

मौलाना साहबसे कहा उसे साबित करती है। अब मुझे क्यो तंग करती है। आना चाहती है तो मेरी इजाजत है। नही आना चाहती है तो मैं मजबूरन नहीं ले जाना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे तंग न कर। मेरी सब खुशामत बरबाद कर रही है। मैंने कुछ भी नही कहा है तो भी झगडा कर रही है। यह बरताव समझना मेरी अक्कलके बाहर है। अब लिखना बंद करके जो करना है वह कर।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७२६) से।

५३५. पत्र : कृष्णचन्द्रको

[सोमवार, १९ सितम्बर, १९३८ से पूर्व][1]

चि० कृ[ष्ण][चं]द्र,

जो शारीरिक सेवा चलती है वह या ऐसी चलती ही रहेगी। नजदीक सोनेका भी जैसे कहा है ऐसा ही रखें।

बापू

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३२७) से।

१. पत्रपर कृष्णचन्द्रकी टिप्पणी है: "सोमवार सुबह, १९ सितम्बर"; संभवतः यह पत्र पानेकी तारीख है।

५३६. पत्र : अगाथा हैरिसनको

सेगाँव, वर्धा
[१९ सितम्बर, १९३८ या उससे पूर्व][1]

प्रिय अगाथा,

आखिरकार मुझे तुम्हारे खानगी पत्रकी नकल मिल ही गई। पत्र सुसम्पूर्ण है। बेशक, जब तुम पूरी तैयारी कर लोगी तब ही आओगी। तुम्हारे यात्रा-खर्चके बारेमें मैं जी०[2] को लिख रहा हूँ। तुम्हारे मित्रोंके मुझे पत्र लिखनेकी बातपर तुम्हें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन तुमने मुझे जो यह आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी जरूरतोंको पूरा कर सकता हूँ या नहीं इसकी परवाह किये बिना तुम मुझे अपनी जरूरतोंके बारेमें हमेशा बताती रहोगी, उससे अब मैं निश्चिन्त हो गया हूँ।

वहाँ तुम्हारा समय चिन्तामें बीत रहा है। तुम जिन लोगोंसे मिल-जुल रही हो, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तुमसे वहाँका हाल सुननेकी उत्कंठासे प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

यहाँके निर्माणके विषयमें जो चर्चा हो रही है उससे तो मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन राजनैतिक कदियों[3] की रिहाईके प्रश्नको लेकर अवश्य चिन्तित हूँ। मैं अधिकारियोंको अभीतक इस बातका यकीन नहीं दिला सका हूँ कि उनकी रिहाई शान्ति-स्थापना में सहायक ही होगी। वे लोग अहिंसामें अपनी आस्थाकी जो घोषणा करते हैं, उसे हमें शंका किये बिना स्वीकार करना होगा। उसे आधार बनाकर मैं प्रयत्न तो निश्चय ही कर सकता हूँ और उन लोगोंसे अपने वचनका पालन करनेके लिए आग्रह करता रह सकता हूँ। लेकिन अधिकारीगण भीरु हैं। तथापि मैं धैर्यपूर्वक इस दिशामें प्रयत्न कर रहा हूँ और यह आशा लगाये बैठा हूँ कि राजनीतिक बन्दियोंको समय रहते रिहा कर दिया जायेगा। आजकल मुझपर कामका जो बोझ है, उसे देखते हुए मेरा स्वास्थ्य काफी ठीक है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७८२९) से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

१. यह पत्र अगाथा हैरिसनके अक्टूबर, १९३८ में इंग्लैंड से रवाना होनेके पहले लिखा गया जान पड़ता है और चूँकि गांधीजी १९ सितम्बर, १९३८ को सेगाँव से चले गये थे, इसलिए बहुत करके यह पत्र १९ सितम्बर, १९३८ को अथवा उससे पहले लिखा गया होगा।

२. सम्भवतः घनश्यामदास बिड़ला।

३. बंगाल के।

५३७. एक टिप्पणी[1]

दिल्ली जाते हुए ट्रेनमें
१९ सितम्बर, १९३८

स्त्री-स्पर्शके बारेमें मैं जो प्रयोग कर रहा था वह मैंने शनिश्चर (१७-९-३८) रातको बंध किया। मेरे मनमें यह बात चल रही थी लेकिन मैं इसके पहले निश्चय नहीं कर सका। रात्रिको ऐसा अनुभव हुआ जिस परसे मैंने प्रयोग बंध करनेका निश्चय कर लिया।

प्रयोग चलता था तब मैं एक प्रकारकी स्वतन्त्रता भुगतता था। लेकिन इस तरहकी स्वतन्त्रता मेरे नसीबमें कभी रही नही है। अब मेरी जिम्मेदारी बढती है।

प्रयोग दरम्यान मुझे काफी विचारनेका मौका मिला था और कुछ नये अनुभव भी मिले। समय मिलेगा तो मैं लिखूंगा। लिखना इतना आवश्यक नही है। दूसरोंके लिये उसमें शायद थोड़ा ही मार्गदर्शक होगा।

प्रयोगसे मैं ज्यादा निर्विकार बना हूं, ऐसा नही कह सकता हूं। कोई मित्रोंको डर था कि विकारकी वृद्धि होगी। क्योंकि मेरे विचार उसी वस्तुमें गुस्त रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी आदत ऐसी नही है कि कोई निर्णयके बाद मैं उसीका विचार करता रहूं। निर्णय अपना काम करता ही रहता है। उसका कुछ बोज मन पर नही रहता है — न रहना चाहिये।

प्रयोग बंध होनेका यह अर्थ नही है कि अब जैसा पहले चलता था ठीक ऐसा ही चलेगा। मैं कह नहीं सकता कि मैं कहीं जाकर बैठ जाऊंगा। इतना तो कह सकता हूँ कि आश्रममें रहनेवाली इन गिनी बहनें और ऐसा घनिष्ठ संबंध रखनेवाली बहन है उनकी सेवाका जान-बुझकर त्याग नही करूंगा। आवश्यकतानुसार लूंगा। उनकी सेवाके लिये जो आवश्यक स्पर्श मैंने माना है उसका त्याग तो किया ही नही था। कंधों पर हाथ रखनेकी मर्यादा ज्यों की-त्यों करीब-करीब बनी रहेगी। जो प्रयोग कालमें संकोच रहता था इतना नही रहेगा। 'हरिजन' में मैंने जो इस बारेमें खास लिखा था वह कायम है और होना भी चाहिये। उसमें मर्यादाकी कोई मुदत रखी ही नही गई थी।

इतना कहना आवश्यक समजता हूं कि प्रयोग छोडनेमें मुझे किसी प्रकारका उल्लास नहीं हुआ है। धर्म समझकर छोड़ा है। कितना मैंने स्पष्टतासे पा लिया है कि बरसोंकी निर्दोष स्त्री-स्पर्शकी मेरी आदत थी उसे मेरे ब्रह्मचर्यमें कुछ हानि नही

१. यह टिप्पणी "पत्र: अमृतकौरको", ८-१०-१९३८के संलग्नके रूपमें भेजी गई थी।

हुई है। ब्रह्मचर्यकी अपूर्णताका कुछ और कारण है। लेकिन जब मुझे शंका हुई तब मेरे स्वभावके अनुसार प्रयोग आवश्यक हो गया।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७८६८) से।

५३८. तार: अमृतकौरको

दिल्ली
२० सितम्बर, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
राष्ट्रीयशाला
राजकोट

सब लोग सकुशल पहुँच गये। सस्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८७९) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०३६ से भी।

५३९. पत्र: अमृतकौरको

दिल्ली
२० सितम्बर, १९३८

प्रिय मूर्खारानी,

पेंसिलसे लिखा पत्र भी न लिखनेसे तो अच्छा ही है।

मैंने तुम्हें एक तार भेजा है। महादेव सफरको ठीक निभा गया। बेचारी श्रद्धा ठीक नहीं रही। गाड़ी वर्धा ४ घंटे देरसे पहुँची।

आशा है, वहाँ तुम मजेमें होगी और अपना काम अच्छी तरह कर रही होगी। स्वस्थ रहनेकी पूरी कोशिश करना।

आजके लिए बस इतना ही।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८०) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०३६ से भी।

५४०. पत्र : मीराबहनको

२० सितम्बर, १९३८

चि० मीरा,

सब लोग अच्छी तरह पहुँच गये। गाड़ी ४ घंटे देरसे जरूर पहुँची। महादेव सफरमें बहुत अच्छा रहा। बेचारी श्रद्धाकी तबीयत ठीक नहीं रह पाई।

यह तो धधकती भट्ठी है। पत्ती भी नहीं हिलती।

मुझे उम्मीद है, तुम्हें डाक बाकायदे मिल रही होगी।

आज और अधिक नहीं लिख सकता।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०२) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९९९७ से भी।

५४१. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

२० सितम्बर, १९३८

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। तेरी भेजी पुस्तक भी मिली। किन्तु मेरे नजर डाल पानेके पहले ही उसे तो काका ले गये। उनके लौटानेपर उसपर एक सरसरी निगाह डाले जानेकी आशा तो करता ही हूँ।

मैं अक्टूबरके अन्तमें सीमा-प्रान्तसे लौट आनेकी आशा रखता हूँ। तब तू और रावसाहब आ जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३९६)से। सी० डब्ल्यू० ६८३५ से भी; सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक।

५४२. पत्र : शारदा चि० शाहको

२० सितम्बर, १९३८

चि० बबुड़ी,

मुझे रोज पत्र लिखना। खानेके मामलेमें सावधान रहना। यदि कुछ हो जाये तो मुझे लिखना। तेरा मासिक शुरू हो गया होगा। यदि न हुआ हो तो गरम पानी में बैठनेसे अवश्य हो जायेगा।

प्यारेलालवाली कोठरीमें ठीक उजाला रहता है। उसमें निर्वस्त्र होकर शरीर पर गीली मिट्टीका लेप करके चहलकदमी करना। जब मिट्टी बिलकुल सूख जाये तो सामनेवाली कोठरीमें स्नान कर लेना। इससे मासिक ठीक होगा।

मैंने तेरी वजहसे ही दादा साहबको रोक रखा है। 'गीता'-पाठ ठीक कर लेना। नानावटीसे संगीत और भणसालीभाईसे अंग्रेजी सीखना।

रसोईघर आदि खूब साफ रखने चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९९६)से; सौजन्य: शारदाबहन जी० चोखावाला।

५४३. पत्र : बलवन्तसिंहको

२० सितम्बर, १९३८

चि० बलवंतसिंह,

सच्ची माता और झूठी माताकी बात सुनी है ना? झूठी माताने कहा अच्छा लडकेका टुकडा करो एक मुझे और दूसरा जो दावेदार है उसे दो। सच्चीने काजीसे कहा अगर यहाँ तक नौबत आती है तो मेरा दावा मैं खींच लेती हूं। भले लड़का को वह औरत ले जाय। जिंदा तो रहेगा। देखें जब सच्चे गोसेवक कौन सिद्ध होता है। दोनों हो सकते हो, या दोनों निकम्मे भी साबित हो सकते हो या एक सच्चा एक झूठा। मेरे नजदीक यह तीन प्रश्न है 'कभी नहीं हारना मान जाओ जान जाये।'

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१०)से।

५४४. पुर्जा : ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

[२० सितम्बर, १९३८ के पश्चात्][1]

आश्रमके वारेमे मेरी मति नही चलती है। उसकी हस्तिकी आवश्यकता है तो यहांसे भीख मागकर उसे खडा रखा जाय। यहाकी वावत जवतक तुमारेमें अपने-आप कुछ करनेका आत्मविश्वास न आ जावे उसका ख्याल छोड़ दिया जाय। तुमको मेरे साथ रखनेका तो कह दिया ही है सेगावमें देख लेंगे क्या काम किया जा सकता है। हरध्यानसिंहके मकानके वारेमे शौकतको लिखता हूं।

यह वसीहतनामाका मुसद्दा :

"अपनी पैतृक सम्पतिका पूरा हिस्सा मै अपने जीवित भाइयोंको प्रदान करता हूँ।[2]"

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६४)से।

५४५. पुर्जा : ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

[२० सितम्बर, १९३८ के पश्चात्]

सरहदी सुबे आनेके वारेमे मुझे विचार करना है। अनुचित लगे सो नहीं करना चाहता हूं। तैयारी रखो।

यहांके सेवा-क्षेत्रका ख्याल तो अब नही रहता है।

सत्यवतीके साथ तो जो वर्तन रखना है रखा जाय हमारा हृदय साफ है तो क्या हरज है।

भाईयोसे अलग होना मुझे अच्छा लगेगा।

जवतक दे सके भले रु० १०० देते रहें।

मेरे साथ रहनेमें कोई दुख्वारी मेरे तरफसे नही है। देखेंगे सेगांवमें तवीयत अच्छी रहती है या नही।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६३)से।

१. गांधीजी २० सितम्बरको दिल्ली पहुंचे थे, जहाँ स्पष्टतः यह और अगले तीन पुर्जे लिखे गये थे। इन पुर्जोंपर 'जी० एन०' संख्याएँ उल्टे क्रममें दी गई हैं, क्योंकि वर्षकी सभी फोटो-नकलोंके बारे में यही पद्धति अपनाई गई है।

२. यह अनुच्छेद अंग्रेजीमें है।

५४६. पुर्जा: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

[२० सितम्बर, १९३८ के पश्चात्]

ऐसी तो बहुत-सी चीजें है उसे मैं कैसे रोकुं? जितना रोकनेकी कोशिश कर रहा हूँ वह भी कहां रोका जाता है। तुमारी इच्छा है तबही जाना है। इच्छा नहीं है तो नहीं जाना।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६२)से।

५४७. पुर्जा: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

[२० सितम्बर, १९३८ के पश्चात्]

दिक्कतकी बात नहीं है। मुझे पता नही है कौन-कौन आनेवाले है। मैंने कहा है तैयार रहो। बा ने आना चाहा है। मैंने कह दिया है आओ। अमतुल सलाम तो मान बैठी है आयगी। सब खटला होगा तो तुमको छोड़ दूंगा। खानसाहेब पर ज्यादा बोजा नहीं डालना चाहता हूँ। शायद आज शाम तक मुझे पता लग जायेगा।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६१)से।

५४८. पत्र: महादेव देसाईको

[२१ सितम्बर, १९३८ से पूर्व][1]

चि० महादेव,

तकली-यज्ञका समय होने वाला है और मैं यह लिख रहा हूँ। मैंने 'शिव-संकल्प' पढ़ा तो है। और वह मुझे रुचा भी था। मैं उसे फिर पढ़नेका प्रयत्न करूंगा। मुझे सपने आनेकी क्या बात? किन्तु अभी छः-सात दिनोंमें मुझे काफी सपने आये और सब तुम्हारे बारेमें। सिर्फ कल की रात खाली गई। एक जो अन्तिम स्वप्न था वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने कहा कि अब रातको मेरे पैर दुखते हैं तथा बेचारी दुर्गा और बावला कब तक दबायें। इसलिए आप कमसे-कम रातमें कनुको भेजें जिससे वह अच्छी तरह दबा सके। मैंने कहा कि इस सम्बन्धमें हमारा आपसी निश्चय यह

१. यह पत्र २१ सितम्बर, १९३८ को पड़नेवाले "रेंटिया बारस" के पूर्व लिखा था।

था कि यदि दोनों समय घूमना अनुकूल न हो तो तुम्हें एक ही समय घूमना चाहिए। जोर-जबरदस्ती घूमनेमें कोई सार नहीं है। इतनेमें ही "जगकर देखता हूँ तो दुनियाँ दीखती नहीं।"[1] तुम्हारे बारेमें यह [सपनोंकी] तरंगमाला कब बन्द होगी? मैं तुम्हें कहाँ भेजूँ? किस प्रकार? यदि मेरी मन.स्थिति विकारपूर्ण हो तो तुम्हारे जानेसे वह कैसे दूर होगी?

तुम्हारे बारेमें यह जो मैं निरन्तर सोचता रहता हूँ, उसमें उन्माद (हिस्टीरिया) तो नहीं है।

सुशीलाको दवा नहीं मिली। खानसाहबके लिए 'रिफॉर्मर' से की गई नकल इसके साथ है।...[2]

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६३६) से।

५४९. पत्र : एफ० मेरी बारको

२२ सितम्बर, १९३८

चि० मेरी,

मुझे इस बातकी खुशी है कि इस अनुभवसे तुम्हें कुछ लाभ ही हुआ है। तुम इस बातकी ठीक-ठीक जानकारी हासिल करो कि आयुक्तकी हैसियतसे तुम्हें क्या करना है और फिर अगर तुम्हें योग्य लगे तो तुम इसे बेशक स्वीकार कर लो। अमतुल सलामको लिखा तुम्हारा पत्र बहुत ही अच्छा है। पत्र मैंने उसे दिया है।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

२९ तारीखतक यहाँ हूँ।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०७१) से। सी० डब्ल्यू० ३४०१ से भी; सौजन्य : एफ० मेरी बार।

१. गांधीजीने यह पंक्ति नरसिंह मेहताकी दी है।
२. पत्र अधूरा है।

५५०. अ० भा० कां० क०के प्रस्तावका मसविदा[1]

[२३ सितम्बर, १९३८ से पूर्व]

यह देखा गया है कि लोग, जिनमें कुछ कांग्रेसी भी शामिल हैं, नागरिक स्वतन्त्रताके नाम पर हत्या, आगजनी, लूट और हिंसात्मक तरीकोंसे वर्ग-संघर्षका प्रचार कर रहे हैं, तथा कुछ समाचार पत्रोंने अपने पाठकोंको हिंसा और साम्प्रदायिक दंगोंके लिए उकसानेके इरादेसे झूठ और हिंसाका एक अभियान चला रखा है। अतः कांग्रेस सर्वसाधारणको यह बता देना चाहती है कि नागरिक स्वतन्त्रताका अर्थ हिंसात्मक कार्य या हिंसाके लिए उकसावा अथवा सरासर झूठका प्रचार नहीं है। इसीलिए कांग्रेसी सरकारें जान और मालकी हिफाजतके लिए जो भी कदम उठायेंगी, कांग्रेस नागरिक स्वतन्त्रताकी अपनी नीतिको बदले बिना भी अपनी परम्पराके अनुरूप, उन सबका समर्थन करेगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १-१०-१९३८

५५१. तार: त्रिवेन्द्रम लॉ कॉलेज संघको[2]

[२३ सितम्बर, १९३८ या उस के पूर्व][3]

स्वतन्त्रताके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या आप लोग मन, कर्म और वचनसे अहिंसक हैं? अगर हैं तो अधिक-से-अधिक कष्ट सहन करें। फिर तो स्वतन्त्रता मिलना निश्चित ही मानें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २४-९-१९३८

१. यह मसविदा गांधीजीने तैयार किया था; देखिए खण्ड ६८, "चर्चा: कम्युनिस्टोंके साथ", ११-११-१९३८से पूर्व। प्रस्ताव कांग्रेस कार्य-समिति द्वारा दिल्लीमें २३ से २५ सितम्बरकी अपनी मीटिंगमें और उसके बाद २६ सितम्बरको अ० भा० कां० क० द्वारा पास कर दिया गया था। २६ सितम्बरको कुछ लोगोंने वाकआउट भी किया था। देखिए "वह दुर्भाग्यपूर्ण वाकआउट", ५-१०-१९३८।

२. त्रावणकोरकी स्थितिके बारेमें त्रिवेन्द्रम लॉ कॉलेज संघने गांधीजीको एक सन्देश भेजा था, जिसके उत्तर में उन्होंने यह तार दिया था।

३. जिस खबर से यह तार लिखा गया है, वह २३ सितम्बरकी तिथि-पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

५५२. पत्र: विजया एन० पटेलको

२३ सितम्बर, १९३८

चि० विजया,

तेरा पत्र मिला। तू 'टब बाथ' अवश्य ले। दवा छोड़कर तो तूने अच्छा ही किया है। नींद न आना तो बहुत बेजा बात है। एक दिन पानीके अतिरिक्त और सब-कुछ खाना-पीना छोड़कर देखना। नींद न आनेका कारण पेट खराब होनेके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता।

चि० विजयाबहन
मार्फत: रामभाई हीराभाई पटेल
सौराष्ट्र सोसायटी नं० २५
एलिस ब्रिज
अहमदाबाद, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७०९९)से। सी० डब्ल्यू० ४५९१में भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

५५३. भाषण: कांग्रेस कार्य-समितिके समक्ष

[२३ सितम्बर, १९३८][1]

महात्मा गांधीने पिछले दो दिनोंमें एक प्रश्नावली तैयार की थी। अपना भाषण आरम्भ करते हुए उन्होंने उस प्रश्नावलीके उत्तरमें अपने-अपने विचार व्यक्त करनेके लिए सदस्योंको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेसी संस्थाओंमें हिंसाकी वृद्धिके बारेमें गत दो महीनोंमें मैंने 'हरिजन' में जो लेख लिखे हैं, उन्हें आप सबने ध्यानसे पढ़ा होगा।

महात्मा गांधीने कहा, एक तो मैंने यह देखा कि स्वराज्य-प्राप्तिके अनिवार्य साधनोंके रूपमें सत्य और अहिंसाके पालनकी आवश्यकताको समझे बिना या इस आवश्यकतामें विश्वास किये बिना कांग्रेसमें शामिल होने और उसके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेवाले कई लोगोंने इन दोनों शर्तोंको भंग किया है। हालमें ऐसे बहुत-से

१. बॉम्बे क्रॉनिकल और गांधीजी की दिल्ली डायरी, खण्ड २ से।

उदाहरण मेरे ध्यानमें आये हैं जब कांग्रेसियोंने नागरिक स्वतन्त्रताके नामपर दूसरों को हिंसाके लिए भड़कानेवाले पर्चे लिखे हैं या भाषण दिये हैं। इस तरहके भाषण और लेख अपने लक्ष्यकी ओर कांग्रेसकी प्रगतिमें बाधक हैं और इसलिए ये बन्द होने चाहिए। कार्य-समिति नागरिक स्वतन्त्रताकी परिभाषा करते हुए एक प्रस्ताव पास करके यह काम कर सकती है। नागरिक-स्वतन्त्रताके नामपर हिंसा भड़कानेकी हर कार्रवाईको कांग्रेस-अनुशासनका भंग माना जाये और इसलिए ऐसा करनेवाले लोगोंके साथ सख्तीसे काम लिया जाये — जैसे उन्हें कांग्रेसके अन्दर जिम्मेदारीका कोई भी पद या स्थान सँभालनेके अयोग्य घोषित किया जाये। मेरा सुझाव मानना या न मानना कार्य-समितिकी मर्जीपर निर्भर है, लेकिन मैं यह बात आग्रहपूर्वक कहूँगा कि कांग्रेसके सदस्योंमें अनुशासन लागू किया जाये। बल्कि मैं तो अनुशासन भंग करनेवालोंको कांग्रेससे निकाल देनेका भी सुझाव दूँगा।

गांधीजी ने आगे कहा कि हिंसा या असत्यसे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। दरअसल आज कांग्रेसमें ऐसे लोग भर गये हैं, जिनका अहिंसाके सिद्धान्तमें तथा खादी, अस्पृश्यता, मद्य-निषेध और हिन्दू-मुस्लिम एकता, इस रचनात्मक कार्यक्रममें से विश्वास उठ गया है। कांग्रेसकी सच्ची शक्तिका आधार स्तम्भ तो यह युग्म — अहिंसा तथा रचनात्मक कार्यक्रम — ही है। कांग्रेसको कुछ सत्ता मिल गई है तो आज पदोंकी लूटमें अपने-अपने हिस्सेके लिए कांग्रेसियोंके बीच बहुत ही नुकसानदेह किस्मकी आपा-धापी मची हुई है। हिंसात्मक तथा भ्रष्ट तरीकोंसे समितियोंपर आधिपत्य स्थापित करनेकी यह अशोभन आपाधापी चलती रही, तो स्वराज्यका स्वप्न कभी साकार नहीं हो पायेगा। स्वराज्य पानेका, पद-स्वीकृतिसे सम्बन्धित कार्यक्रमको लागू करनेका यह तरीका नहीं है। कांग्रेसने मन्त्रि-मण्डल बनाना सेवा-भावसे स्वीकार किया था। इसलिए अवांछनीय लोगोंको कांग्रेससे बाहर करना और रखना आवश्यक है; अन्यथा कांग्रेस अपनी ही कमजोरीके कारण किसी दिन बैठ जायेगी। हिंसा भड़कानेकी कार्रवाइयोंको रोकना है। ऐसा नहीं किया गया तो यह चीज जल्दी ही गुण्डागर्दीका रूप ले लेगी।

कांग्रेस संस्थाओंके सम्बन्धमें महात्मा गांधीने सुझाया कि कांग्रेसकी सदस्य-सूचीमें जिनके नाम पाँच वर्षोंसे मौजूद हों, केवल उन्हींको कांग्रेसमें कोई पद अथवा जिम्मेदारीकी कोई जगह मिलनी चाहिए। खबर है, उन्होंने यह भी कहा कि १९२६ में समाप्त कर दिये गये कताई-मताधिकारको फिरसे लागू कर देना चाहिए। कांग्रेसी संस्थाओंके सभी पदाधिकारियोंको प्रतिवर्ष ५००० गज हाथ-कता सूत चन्देके तौरपर देना चाहिए। मैं तो कताई-मताधिकारको एक अनिवार्य धारा बनाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि १९२६ में बहुत-से कांग्रेसियोंको यह चीज अव्यवहार्य लगी थी, लेकिन कांग्रेसके सदस्योंकी सूची विशाल हो, इसकी फिक्र मैं नहीं करता। उनकी संख्या कम भी हो जाये तो उसकी परवाह मैं नहीं करूँगा। अगर दस हजार सच्चे और

अहिंसक लोग भी कांग्रेसके सदस्य हों तो वे स्वराज्य ला सकते हैं, चमत्कार करके दिखा सकते हैं, लेकिन हिंसा करनेवाले एक करोड़ सदस्य भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते।

महात्मा गांधीने कहा, मेरी इस बातके खिलाफ कुछ लोगोंका कहना है कि इस तरह तो कांग्रेस लोकतान्त्रिक संस्था न रहकर कुछ खास लोगोंका छोटा-सा निगम बन जायेगी। लेकिन असत्य और हिंसाके वातावरणमें लोकतन्त्र जीवित नहीं रह पायेगा। यह तो वहीं फूल-फल सकेगा, जहाँ सत्य और अहिंसा है। कांग्रेसियोंको अपने अन्दर और अधिक अहिंसा-वृत्ति विकसित करनी है। प्रान्तीय मन्त्रियोंको जल्दी ही हिंसाका सामना करनेके लिए शान्तिमय उपायोंका विकास करना है। शान्ति-सेना ऐसे ही तरीकोंमें से है। जबतक कोई ठीक उपाय नहीं ढूंढ़ लिया जाता, तबतक मन्त्रि-मण्डलोंको, वे जैसा उचित समझें उस ढंगसे अपराधोसे निबटनेकी छूट रहेगी, लेकिन दंगोंको दबानेके लिए वे सेनापर अधिक दिनोंतक निर्भर नहीं रह सकते। अगर वे निकट भविष्यमें अहिंसक उपायोंसे शान्ति नहीं स्थापित कर पाते तो उन्हें सरकारसे इस्तीफा दे देना चाहिए। सेनाका सहारा लेनेकी बात कांग्रेसके अहिंसा-धर्मके विरुद्ध है और इसको क्रमिक रूपसे समाप्त करना चाहिए।

जब महात्मा गांधीसे यह पूछा गया कि वे विदेशी आक्रमणको कैसे रोकेंगे तो जैसीकि खबर है, उन्होंने कहा, अगर भारतके पास एक करोड़ अहिंसक स्वयंसेवक हों तो मुझे भरोसा है कि कोई भी देश भारतको जीत नहीं सकेगा। अगर हम आक्रमणको रोकनेमें विफल रहते हैं तो यह हमारी गलतीका ही परिणाम होगा — वह अहिंसाके सिद्धान्तका नहीं, बल्कि उसके प्रयोगके तरीकोंका दोष होगा। मुझे विश्वास है कि यदि अहिंसाका प्रयोग ठीकसे किया जाये तो उससे भारतकी ही नहीं, सारी दुनियाकी समस्याएँ हल होंगी।

अन्तमें गांधीजी ने कहा कि ये हैं मेरे विचार। आप सदस्यगण सोचकर बतायें कि क्या आप इन्हें स्वीकार करके इनपर अमल कर सकेंगे। अगर आप इन विचारोंसे सहमत न हों तो इन्हें निर्द्वन्द्व भावसे अस्वीकार कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २४-९-१९३८

५५४. कांग्रेसमें भ्रष्टाचार

कांग्रेसमें घुस आई हिंसा, असत्य और भ्रष्टाचारके सम्बन्धमें अनेक स्थानोंसे जो पत्र आते रहते हैं, उन सबका उत्तर देना मेरे लिए कठिन है। कांग्रेसके दोष बतानेवाले पत्रोंके कुछ नमूने तो मैं जरूर प्रकाशित करता रहूँगा, लेकिन साथ ही मैं लोगोंको उतावलीमें ऐसा कोई निष्कर्ष निकालनेके खिलाफ सचेत कर देना चाहूँगा कि कांग्रेसमें तो बस बुराई-ही-बुराई है। मुझे भली-भाँति मालूम है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह सच है कि इस महान् संस्थामें हिंसा, असत्य और भ्रष्टाचारका प्रवेश इस हदतक हो चुका है कि यदि इसे विनाशसे बचाना है तो इन दोषोंको दूर करनेके लिए बहुत ही कड़े कदम उठाये जाने चाहिए।

नमूनेके तौरपर छाँटे गये दो पत्रके कुछ अंश[1] नीचे दे रहा हूँ:

ये बातें जिम्मेदार लोगोंने कही हैं। पत्र उन्होंने प्रकाशनार्थ ही भेजे हैं। लेकिन पत्र-लेखकों तथा जिन प्रान्तोंमें यह कथित भ्रष्टाचार चल रहा है उनके नाम मैंने जान-बूझकर नहीं दिये हैं।

मुझे आशा है कि कार्य-समिति तथा महासमिति चर्चा और निर्णयके लिए प्रस्तुत किये जानेवाले अन्य गम्भीर प्रश्नोंके साथ — इस समस्यापर भी विचार करेगी। यदि महासमितिका अधिवेशन भाषणबाजी या आपसी वाद-विवाद करके ही समाप्त कर दिया जाता है तो यह बहुत दुःखद बात होगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २४-९-१९३८

१. इन अंशोंका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकोंकी मुख्य शिकायत कांग्रेसके जाली सदस्य बनाये जानेके बारेमें थी। उनके अनुसार ऐसे सदस्य बनानेके दो तरीके थे। एक तो यह था कि धनी और स्वार्थी लोग अपनी जेबसे चन्दा भरकर उन लोगोंको सदस्य बनवा देते थे जिनपर उनका प्रभाव होता था। दूसरा तरीका यह है कि कुछ लोग एक भी पैसा दिये बिना अपने आदमियोंको सदस्य बनवा देते थे। इसमें लिए वे करते यह थे कि प्राथमिक समितियोंसे जो जाली सदस्योंके कारण उनके प्रभावमें रहती थीं, गलत हिसाब भरवा देते थे — आमदनीके खातेमें चन्देकी झूठी राशियाँ दिखा दीं और फिर झूठे दौरों, सभाओं, समारोहों आदिपर उतना ही खर्च दिखा दिया और इस तरह आय-व्यय बराबर कर दिया। इस तरह वे ऊपरकी समितियोंकी आँखोंमें धूल झोंकनेमें सफल हो जाते थे। इन पत्र-लेखकोंके अनुसार अकसर बिना किसी अर्जीके ही सदस्य बना दिया जाता था और सदस्योंकी सूचीमें बहुत-से ऐसे नाम दर्ज थे जो या तो कबके मर चुके थे या जिनका अता-पता नहीं था।

५५५. पत्र : अमृतकौरको

दिल्ली
२४ सितम्बर, १९३८

प्रिय मूर्ख रानी,

नारणदास लेखक नहीं कार्यकर्ता हैं। इसलिए वस्तुस्थितिका विवरण तो तुम्हीको लिखकर भेजना है, और किसीको नहीं। छ०[1] लिख तो सकता है, पर मुझे विस्तृत विवरण देनेके लिए उसके पास समय नहीं होगा। और फिर मुझे विस्तृत विवरण देते वे लोग यह सोचकर डरते भी हैं कि इससे मेरा बोझ बढ़ेगा।

हाँ, तुम्हारा सुझाव अगर मुझे मिला होता तो उससे मुझे बड़ी मदद मिलती। फिर भी, तुम्हारी सफाई मैं मंजूर करता हूँ। बस, दोबारा ऐसी गलती न करना।

मौसम मेरे लिए बहुत अच्छा है। रक्तचाप तो प्रायः हमेशा जैसा चाहिए, बिलकुल वैसा ही रहता है — यानी १६०-१६४/१००-१०४

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८१) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०३७ से भी।

५५६. पत्र : मीराबहनको

दिल्ली
२४ सितम्बर, १९३८

चि० मीरा,

यहाँ बारिश-ही-बारिश और वहाँ सूखा-ही-सूखा। इतने लम्बे समयतक बारिश होते रहना नुकसानदेह है। फिर भी, हमें इसपर शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह सब तो ईश्वरकी माया है। बस, हम उसे जानते नहीं। शिकायत करना भी विषय ही है। यह विषय तबतक नहीं मिट सकता जबतक हमें ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो जाता।

मेरा और महादेव दोनोंका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। मुझपर किसी तरहका कोई दबाव नहीं पड़ता। यह जादू किया है मेरे मौनने।

१. छगनलाल गांधी

तारोंकी चिन्ता करनेकी तुम्हें जरूरत नहीं। इसके साथ पी० एम० के लिए भी पुर्जा भेजनेकी आशा करता हूँ।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०३) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९९९८ से भी।

५५७. पत्र : शारदा चि० शाहको

२४ सितम्बर, १९३८

चि० बबुड़ी,

तेरा पत्र मिला। अपने पत्रपर यदि तू 'निजी' लिख दे तो तेरा पत्र कोई नहीं पढ़ेगा। मनमें जो भी बात हो सो जरूर लिखना। 'गीता' और संगीतका अभ्यास चल रहा है न? तू अपने स्वास्थ्यके बारेमें भी तो लिखती। मुझे पूरा ब्यौरा देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९९९७)से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

५५८. भेंट : एफ० एस० यंगको[1]

२४ सितम्बर, १९३८

सबसे पहले मैंने गांधीजी को सारी स्थितिसे अवगत कराया और तब यंगसे कहा कि उन्हें जो कहना है, सो कहें। तब यंगने गांधीजी को विस्तारपूर्वक सारी स्थिति बताई और उनकी मदद माँगी। निम्नलिखित प्रथम दो अनुच्छेद उसके उत्तरमें हैं।

(१) मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि किसी भी तरह अधिकारियोंको इस बातका यकीन दिलवाया जाना चाहिए कि सेठ जमनालालजी और पंडित हीरालालके रूपमें ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो इस्पातकी तरह सत्यनिष्ठ हैं और जिनकी अहिंसामें सैद्धान्तिक आस्था है।

१. द० बा० कालेलकर लिखते हैं: "घ० दा० बिड़लाके प्रयत्नोंसे जयपुर राज्य प्रजामण्डलके सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए जयपुर-राज्य के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस श्री यंग गांधीजी से मिले। गांधीजी ने अपने उत्तर लिख कर दिये। बाद में गांधीजी के उत्तरोंको स्पष्ट करते हुए श्री घ० दा० बिड़लाने एक नोट तैयार किया। . . ."

(२) शान्तिकी खातिर जिन्होंने अपनेको स्वेच्छासे राज्यके हवाले कर दिया है, इस रूपमें उन्हे राज्यमें रहने देनेके बजाय यदि उन्हे जेलमें डाल दिया जाता है तो यह नासमझीका काम होगा। प्रजा-मण्डलपर प्रतिबन्ध लगानेका अर्थ है— संकटको न्यौता देना जबकि आज वैसी कोई बात नहीं है।

प्रथम दो अनुच्छेदोंके उत्तरमें यंगने कहा कि किसीको जेलमें डालनेका कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद है कभी उत्पन्न नहीं होगी। इसका उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा:

(३) यदि आपके यहाँ ऐसा संगठन हो जो संवैधानिक रूपसे काम कर रहा हो और ये लोग उसके साथ हों तो क्षण-भरमें वैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वे लोग उत्तरदायी सरकारके लिए आन्दोलन करनेके अपने अधिकारको नही छोड़ सकते। अधिकारीगण उन्हें यह अधिकार दें अथवा न दें लेकिन उन्हें उस प्रवृत्ति पर रोक नही लगानी चाहिए जो स्वभावतः शान्तिपूर्ण है। हाँ, आप तो शान्ति बनाये रखनेके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

इसके उत्तरमें यंगने प्रजामण्डलकी कांग्रेस-सदस्योंका नाम दर्ज करनेकी गतिविधियोंकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कौंसिलको इस बातका सन्देह है कि कांग्रेसका ही दूसरा नाम प्रजामण्डल है, और त्रावणकोर तथा मैसूरमें हुए उपद्रवोंको देखनेके बाद हमें भय है कि कांग्रेस जयपुरमें भी उत्पात करा सकती है। क्या प्रजामण्डल अपनेको कांग्रेससे अलग नहीं रख सकता। इसका उत्तर चौथे अनुच्छेदमें दिया गया है।

(४) आप सहज आकर्षणपर रोक नही लगा सकते। लोग कांग्रेसकी ओर खिंचे चले आते हैं। राज्यमें शान्ति बनी रहे, इसके लिए आप ठीक उसी तरह उसके सहयोगकी माँग करें जिस तरह बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक सर मिर्जाने की है और सर अकबर कर रहे हैं तथा सर सी० पी० भी शीघ्र ही करेंगे।

इसके उत्तरमें यंगने कहा, लेकिन यदि वे उपद्रव शुरू कर दें तो क्या होगा? यदि उनका संविधान भिन्न प्रकारका हो तब तो उसे स्वीकार करनेमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन इस संविधानके रहते यदि वे कोई उपद्रव करते हैं तो उससे शान्ति भंग हो सकती है। गांधीजी ने इसके उत्तरमें जो कहा वह ५वें और ६ठें अनुच्छेदमें दिया गया है।

(५) उन्हें अपनी प्रकृतिको किस तरह चलाना चाहिए, इसके लिए आप उनसे काफी हदतक आपकी बात माननेका अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यह कहते हैं कि वे उत्तरदायी सरकारकी माँग भी नही कर सकते तो आप उनके मतका गला घोटते हैं। आपको कांग्रेसका भय त्याग देना चाहिए।

(६) मैंने जो सुझाव दिया है वह यह है। वे जिस उद्देश्यको लेकर चल रहे हैं उसमें आप हस्तक्षेप न करें, बल्कि आप उनकी गतिको नियमित करें। उदाहरणके तौरपर आप उनके कार्यक्रमके प्रदर्शनात्मक अंगको नियमित कर सकते हैं। आप

उनकी भाषाको नियन्त्रित करें। लेकिन उनसे उनका उद्देश्य बदलनेके लिए कहना तो किसी व्यक्तिसे उसका धर्म-परिवर्तन करनेके लिए कहनेके समान है।

अन्तमें, श्री यंगने गांधीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया और उनसे बातचीतके दौरान जो नोट लिये गये थे, उन्हें निशानीके रूपमें अपने साथ ले जानेकी अनुमति माँगी। गांधीजी ने इस शर्तपर अपनी सम्मति व्यक्त की कि उनकी एक प्रति उन्हें भी दी जायेगी। अन्तिम तीन पंक्तियाँ, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसके उत्तरमें है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या सर अकबरकी सहायताके लिए लिख चुके हैं और क्या सी० पी० ने भी सहायताके लिए लिखा है।

मैं चाहूँगा कि जो नोट लिखे गये हैं उनकी एक प्रति मुझे दें।

मेरे पास सर अकबरका पत्र आया है, जिसमें उन्होंने सहायता माँगी है।

आशासे भी अधिक। उन्होंने पट्टाभिको तार दिया है कि वे उनसे मिलें। (यह सी० पी० के बारेमें है)।

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३८२-८३

५५९. भाषण: प्रार्थना-मन्दिरकी आधार-शिला रखनेके अवसरपर

२५ सितम्बर, १९३८

मुझे खेद है इस मौकेपर मैं बोल नहीं सकता हूं। कई बरसोंसे मेरा अभिप्राय बन गया है कि मृत्युके बाद धनिक लोग काफी खर्च निकम्मा करते हैं जिसमें न कुछ उपयोग रहता है न धर्म। इसलिये आजका अवसर मुझे प्रिय लगता है। जानकीदेवी[1] पुण्यात्मा थी। उनका स्वर्गवास थोड़े ही दिनोंके पहले हुआ। उनका परिवार बड़ा और प्रसिद्ध है। सब भाइयोंने मिलकर यही निश्चय किया कि जानकीदेवीकी पुण्य स्मृतिमें कुछ हरिजन-सेवाका ही कार्य किया जाय और उन्होंने निर्णय किया कि इस संस्थामें संचालकोंकी सम्मतिसे एक प्रार्थना-मन्दिर[2] बनाया जाय। इस मन्दिरकी नीव डालनेका शुभ कार्य मुझे सिपुर्द किया गया है। आपके समक्ष मैं नीव डालता हूं और आशा करता हूं कि यह मन्दिरसे इस संस्थाके विद्यार्थीओंको लाभ होगा और दूसरे सज्जन भी इसी तरह प्रियजनोंके स्वर्गवास निमित्त हरिजन-सेवा करेंगे।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५०८) से।

१. ब्रजकृष्ण चाँदीवालाकी माता।

२. हरिजन-निवास; ब्रजकृष्ण चाँदीवाला अपनी पुस्तक गांधीजीकी दिल्ली डायरी–२ में लिखते हैं कि हरिजन-निवासमें एक प्रार्थना-मन्दिर बनानेका सुझाव वियोगी हरिकी ओरसे आया था।

५६०. अ० भा० कां० कमेटीके लिए प्रस्तावका मसविदा[1]

[२६ सितम्बर, १९३८ या उससे पूर्व]

पिछले कुछ दिनोंसे त्रावणकोरमें जो दमन-चक्र चल रहा है उसपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दुःख और निराशा व्यक्त करती है। कांग्रेसके कार्यालयको जो प्रमाण मिले हैं, उनपर यदि विश्वास किया जाये तो ऐसा पता चलता है कि त्रावणकोरमें राज्य-कांग्रेस द्वारा चलाया जानेवाला आन्दोलन विशुद्ध रूपसे संवैधानिक है और संवैधानिक उद्देश्यके लिए महाविभव महाराजाकी छत्रछायामें उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए चलाया जा रहा है। राज्यकी ओरसे जो खण्डन प्रकाशित हुआ है राज्य-कांग्रेसके प्रवक्ताओंने उसे बिलकुल गलत बताया है।

इन परिस्थितियोंमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी त्रावणकोर-सरकारसे निम्नलिखित नीति अपनानेकी सिफारिश करती है: एक ओर, तो वह यह आश्वासन दे कि राज्य-कांग्रेस उत्तरदायी सरकारके लिए संवैधानिक ढंगसे आन्दोलन चला सकती है। समिति वह उत्तरदायी शासन दिये जानेकी सम्भावनाका पता लगानेके लिए एक समितिकी नियुक्ति करे, जिसमें अन्य लोगोंके साथ राज्य-कांग्रेसके कुछ प्रतिनिधि भी हों, और यह राज्यके बाहरके किसी ऐसे विधिवेत्तासे, जिसकी निष्पक्षताके बारेमें किसीको सन्देह न हो, हालकी घटनाओंकी जाँच करवाये। इस जाँचमें, राज्यने अपनी कार्रवाइयोंको — इसमें निःशस्त्र लोगोंपर गोलीबारी भी शामिल है, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे — उचित ठहराते हुए लोगोंपर भड़कानेवाले कार्य करनेके जो आरोप लगाये हैं उनकी जाँच भी होनी चाहिए। साथ ही कैदियोंको आम माफी दी जाये।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस बातपर खेद व्यक्त करती है कि हैदराबाद-राज्यने ऐसे अध्यादेश जारी किये हैं जो उसे आवश्यकतासे अधिक अधिकार प्रदान करते हैं।

अ० भा० कां० क० के पास धेनकनाल, तलचर और कश्मीर-जैसे राज्योंमें सरकार द्वारा घोर दमन किये जानेकी शिकायतें आई हैं। इन सभी मामलोंमें इन राज्योंकी जनताने कांग्रेससे सलाह देने, मार्ग-दर्शन करने और सहायता करनेकी अपील की है।

अ० भा० कां० क० राज्योंमें हस्तक्षेप न करनेकी अपनी नीतिको दोहराने और उसके पास जो साधन उपलब्ध हैं, उनकी सीमामें लोगोंकी हर, चन्द सहायता करनेके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेसकी हस्तक्षेप न करनेकी नीति उसकी

१. यह *हरिजन* में "इंडियन स्टेट्स" शीर्षकके अन्तर्गत छपा था। इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था; देखिए "पुर्जा: जमनालाल बजाजको", पृ० ४२०।

अपनी मर्यादाओंकी स्वीकारोक्ति है। कांग्रेसकी नीति देशी राज्योंके प्रति मैत्रीपूर्ण रही है। चन्द कांग्रेसी लोगोंकी ऐसी घोषणाओंके बावजूद जो इस नीतिके खिलाफ पड़ती हैं जबतक कांग्रेस सत्य और अहिंसाके मार्गपर चल रही है तबतक एक संस्थाके रूपमें उसकी यह नीति होनी चाहिए कि वह देशी राजाओंको अपने इस मतके पक्षमें लानेकी बराबर कोशिश करे कि उनका हित इसीमें है कि वे स्वेच्छासे जनताको शासन-सत्ता सौंप दें, जिससे कि देशी राज्योंकी जनता भी किसे ब्रिटिश भारत कहा जाता है उसकी जनताके समकक्ष आ खड़ी हो। हाँ, यह सत्ता इस तरह सौंपी जायेगी कि विभिन्न राज्योंमें वे अपने-अपने राज्यके संवैधानिक प्रमुख अवश्य बने रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १-१०-१९३८

५६१. पुर्जा : जमनालाल बजाजको

हरिजन-निवास [दिल्ली]
२६ सितम्बर, १९३८

जो प्रस्ताव मैंने राज्योंके बारेमें बनाया है महत्वका बन गया है। देखो — पसंद न आवे तो आगे मत जाने दो। उसमें कमिटी बनाई है। नाम अच्छे न लगे तो भी रोको। वल्लभभाईको बताना।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०७४) से।

५६२. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

२७ सितम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

लगता है, तुमने शारदाको संगीत सिखाना शुरू नहीं किया है। तुम उसके अनुरोधकी बाट मत देखना। चक्रैयाका वजन कम होता जाये, यह बात असह्य है। इसपर विचार करना। मैंने उसके वेतनकी बात अधरमें लटका रखी है। तुम उससे बात करके निश्चय कर लेना।

विजयाका स्वास्थ्य ठीक हुआ नहीं लगता।

तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा।

वहाँकी कार्य-व्यवस्थाके बारेमें मुझे लिखना और सफाईके बारेमें भी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७४) से।

५६३. पत्र : प्रभावतीको

दिल्ली
२७ सितम्बर, १९३८

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिला। आखिर [जयप्रकाश] वहाँ पहुँच गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। वहाँ जो उपचार हो, उसके बारेमें मुझे सूचित करना। वहाँ खाने-पीनेका कैसा क्या है, उसके बारेमें मुझे लिखना। आशा है, अक्षर धुँधले नही पड़ जायेंगे। मुझे लिखना कि वहाँ कितना खर्च होगा ताकि मैं उसकी व्यवस्था कर सकूँ। यदि तू वहाँसे लौटते हुए सरस्वतीको साथ लेती आये तो अच्छा हो। मैं उसे लिखनेवाला हूँ। मैं यहाँ ३० तारीखको सीमा-प्रान्त जा रहा हूँ। पता मार्फत — डॉ० खान साहब, पेशावर लिखना। मैं अच्छा हूँ। अमतुल सलाम, महादेव, प्यारेलाल और सुशीला मेरे साथ हैं। महादेव अच्छे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२२) से।

५६४. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

२७ सितम्बर, १९३८

चि० चिमनलाल,

चि० शारदा जो लिखती है यदि वह ठीक हो तो यह गम्भीर मामला है। तुम्हें इस अराजकताको सहन नही करना चाहिए। जो लोग काम नही करते उन्हें तुम मुक्त कर सकते हो। इसका उपाय सहज है। तुम ऐसे लोगोंसे कहो : फिलहाल तुम वर्धामें रहो और जब बापू लौटें तब आना। बापू द्वारा सौंपे गये काम-काजको चलाते रहनेमें ही मेरा निस्तार है। इसमें मुझे लगता है कि मेरी तुम लोगोंके साथ नही निभेगी। तुम्हें ऐसा करनेकी छूट है और ऐसा करना तुम्हारा कर्त्तव्य भी है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन हलका हो जायेगा। बलात् कुछ भी मत करना। दुःख भोगना मनुष्यके लिए सहज ही है; अपनी तबीयत बिगाड़कर उसे कठिन न बना लेना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुम जिन लोगोंको भेजोगे मैं उन्हें यहाँ रखनेको तैयार हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५९३) से।

५६५. पत्र: शारदा चि० शाहको

दिल्ली
२७ सितम्बर, १९३८

चि० बबुड़ी,

तूने भी क्या पत्र लिखा है! दुःख-सुखमे एक महीना काट ले। सीमा-प्रान्त तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई काम नही करता, इस कथनमें अतिशयोक्ति जान पड़ती है। तू मामलेकी गहराईमें जाकर मुझे सूचित कर। शायद कृष्णचन्द्र काम नही कर रहा होगा। शंकरन् और अमृतलालके बारेमें क्या खयाल है? चरखेके बारेमें आग्रह रखना ही नहीं चाहिए था। आग्रहके बलपर चरखा कबतक टिक सकेगा? तू सब बातोंपर पुनः विचार करके मुझे लिखना। तेरा पत्र पढ़कर मैंने तुरन्त फाड़ दिया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैं ३० तारीखको सीमा-प्रान्त रवाना होऊँगा। यदि शंकरन्‌को टार्चकी जरूरत हो तो दिलवा देना। यदि तुझे संकोच होता हो तो तू मासिकके समय अपनेको कम्बलसे ढक सकती है। मुझे तो इसकी जरूरत नहीं जान पड़ती।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९९८) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

५६६. पत्र: सरस्वतीको

दिल्ली
२७ सितम्बर, १९३८

चि० सुरू,

तू अगर मेरे पास आनेको तैयार है तो पापरम्माको और नानाजीको यह खत बताओ और सम्मति ले लो। प्रभावती मलबारमें है उसके साथ आ जाना। मामाको मिलना है, पिताजीको मिलना है तो उनसे भी मिलो सम्मति ले लो। वहाँ अभ्यास तो होता ही नही, अच्छा यही है कि मेरे पास आ जाओ। यह शर्त तो है ही कि तुमारे शांत होकर रहना है अगर शांत नही रह सकती है तो मेरे पास आना निरर्थक हो जायगा।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बा मेरे साथ है। मैं ता० ३० को सरहद जाऊंगा। बा यहां रहेगी। तुमारेको वर्धा ही लिखना।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७२) से। सी० डब्ल्यू० ३४४६ से भी; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

५६७. तार : अमृतकौरको

नई दिल्ली
२९ सितम्बर, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
राजकीय अतिथि
अमरेली

तुम्हारा तार मिला। मैं बिलकुल ठीक हूँ। कल सीमा-प्रान्तके लिए रवाना नही हो रहा हूँ। महादेव ठीक है। सुशीलाको बुखार हो आया है। स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८२) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०३८ से भी।

५६८. पत्र : अमृतकौरको

२९ सितम्बर, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मुझे पत्र लिखनेमें तुम हमेशाकी तरह तत्पर रही हो। तुमने जो इतने लोगोंसे परिचय कर लिया है, इस बातकी मुझे बड़ी खुशी है। मैं विस्तृत विवरणकी प्रतीक्षा में हूँ।

महादेवके स्वास्थ्यमें धीरे-धीरे लगातार सुधार हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य तो बहुत ही अच्छा है। बहुत-सा काम करना पड़ रहा है। सुशीलाको बुखार हो आया है। आज उसकी तबीयत कुछ अच्छी है।

चूँकि कार्य-समितिकी बैठक लगातार चल ही रही है, इसलिए मुझे यहाँ रुक जाना पड़ा है। सम्भव है, तुम्हारे आनेतक यही रहूँ।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३६) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ६४४५ से भी।

५६९. पत्र : मीराबहनको

२९ सितम्बर, १९३८

चि० मीरा,

डाक यहाँके पतेपर भेजनेकी हिदायत देनेके लिए मैं आज ही तार कर रहा हूँ। कार्य-समितिकी बैठक लगातार चल रही है, और इसलिए मैं शायद सीमा-प्रान्तके लिए रवाना न हो सकूँ।

मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। रक्त-चाप इतना स्थिर और कम पहले कभी नहीं रहा।

अभी तो यहाँकी रातें बड़ी अच्छी होती हैं।

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक होगा। वहाँके प्रबन्धके सिलसिलेमें अगर तुम्हें कोई बात कहनी हो तो जरूर कहना।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०४) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० ९९९९ से भी।

५७०. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

२९ सितम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

मैंने तेरा पत्र चिन्दी-चिन्दी कर डाला है। मैंने सरस्वती और प्रभाको लिखा है। मैंने तो सरस्वतीको वर्धा बुलाया है। उसे सौन्दरम्‌के यहाँ रखनेकी मेरी इच्छा नहीं होती। यदि उसे नर्सिंग सीखनी होगी तो बादमें सीख लेगी। किसी भी स्थितिमें सरस्वतीको मेरे साथ रहनेमें लाभ ही है। मैं तेरी इस बातसे सहमत हूँ कि मेरे साथ रहनेवाला सहज ही आलसी बन सकता है। फिर भी आलसी बननेके कोई अधिक उदाहरण तुझे नहीं मिलेंगे। जो हो, जब तूने सब-कुछ मुझपर छोड़ दिया है तो मैंने उसे वर्धा ही बुलाया है।

अपना स्वास्थ्य बिगड़ने मत देना। महादेव अच्छे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३४९) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

५७१. पत्र : सुशीला गांधीको

२९ सितम्बर, १९३८

चि० सुशीला,

तेरा पत्र मिला। तूने रुककर अच्छा ही किया। रामदास देहरादून गया है। मैं और महादेव अच्छे हैं। जितना मैं सोचता था उससे अधिक मुझे यहाँ रुकना पड़ा है। शायद मैं यहाँसे २ तारीखको रवाना हो सकूँगा।

सीता और अरुण आनन्दपूर्वक होंगे।

श्लेसिन लिखती है : "फीनिक्स प्रागजीको सौंपो।" क्या यह बात तेरे गले उतरती है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८५) से।

५७२. पत्र : कृष्णचन्द्रको

दिल्ली
२९ सितम्बर, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

गुड़ भले छोड़ा। अशक्तिकी परवा नहीं। छिलटेका पानीसे शक्ति आवेगी। मेरी सेवाका तो तुमारे पास रहेगा ही। मेरे तरफसे खतकी आशा न रखा जाय। बालकृष्ण खुश होंगे।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०५) से।

५७३. प्रस्तावना : "प्रेयर्स, प्रेजेस एण्ड साम्स" की

[सितम्बर, १९३८][1]

अपने संग्रह 'प्रेयर्स, प्रेजेस एण्ड साम्स' की प्रस्तावना लिखवानेके लिए श्री नटेसनने गलत आदमीको पकड़ा है। मैं कोई संस्कृतका विद्वान नहीं हूँ। न मैंने मूल संस्कृत ग्रन्थोंको अधिक पढ़ा है और न उनके अनुवादोंको। फिर भी इस संग्रहमें जो सामग्री है, उससे मुझ-जैसे आदमीको भी यह जानकारी मिल जाती है कि हमारे पूर्वज किस तरह सृष्टिके एकमात्र सर्वोच्च अधिस्वामीसे प्रार्थना करते थे, और विपत्तिके समयमें उन्हें किन शब्दोंसे शान्ति मिलती थी अथवा अपनी तथाकथित विजय-घड़ियोंमें वे किन शब्दोंमें प्रभुका स्तवन किया करते थे। ईश्वर करे, यह संग्रह नास्तिक पाठकोंमें ईश्वरके प्रति आस्था जगाने और आस्तिक पाठकोंकी आस्थाको सबल बनानेमें सहायक सिद्ध हो।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
प्रेयर्स, प्रेजेस एण्ड साम्स

१. पुस्तकका प्रथम संस्करण सितम्बर १९३८ में प्रकाशित हुआ था।

५७४. संघ-व्यवस्था

एक जाने-माने पत्र-लेखकने मुझे बताया है कि लन्दनमें आम चर्चा है कि भारत में केवल गांधीजी की ही बात चलती है और कांग्रेस अथवा कोई कांग्रेसी क्या कहता-करता है, इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है। अपनी बातको वजनदार बनानेके लिए आलोचकोंने यह कहा है, मेरे और पण्डित जवाहरलाल नेहरूके बीच भारी मतभेद है, और जहाँ वे संघ-व्यवस्थाके नामसे ही बिदक जाते हैं वहाँ यदि कुछ मामूली बातें मान ली जायें तो मैं उसे स्वीकार करनेको तैयार हूँ। पत्र[1] लम्बा है। मैंने थोड़ेमें अपने शब्दोंमें उसका सार यहाँ बता दिया है। कम-से-कम अभी कुछ समयतक उसकी तफसीले पाठकोंको बताना मुनासिब नहीं होगा।

लगता है, अपने बारेमें जितना मैं जानता हूँ उससे ज्यादा शायद ये आलोचक ही जानते हैं। उदाहरणके लिए, मैं जानता हूँ कि कांग्रेसमें मेरी कितनी कम चलती है; लेकिन इन आलोचकोंको मालूम है कि उसमें मेरी खूब चलती है। कांग्रेसियों पर यदि आज भी मेरा थोड़ा-बहुत प्रभाव है तो उसका कारण केवल यह है कि मैं कभी भी उनपर अपनी सत्ताका रोब नहीं जमाता, बल्कि उनसे जो भी कहना होता है, बराबर उन्हें बुद्धिपूर्वक समझाकर कहता हूँ। लेकिन जैसा आलोचकोंने कहा है, यदि मेरा वैसा कोई प्रभाव होता तो मैं यह कहनेकी जुर्रत करता हूँ कि भारतको कब-का स्वराज्य मिल गया होता और कुछ देशी राज्योंमें आज जिस दमन-नीतिसे काम लिया जा रहा है, वह कहीं देखनेको नहीं मिलती। स्वराज्य प्राप्त करने और जिस आतंकके समाचार लोग अखबारोंमें पढ़ते हैं उसे बन्द करवानेकी कला मैं जानता हूँ। अगर कांग्रेसियोंके बीच मेरी चलती तो उनके बीच भ्रष्टाचार, असत्य अथवा हिंसाका अस्तित्व नहीं रहता। अगर वे मेरी सुनते तो वे सब-के-सब खादीधारी होते और अखिल भारतीय चरखा संघके भण्डारोंमें आज फालतू खादी पड़ी न होती।

मगर यह तो विषयान्तर हो गया। मैं तो संघ-व्यवस्थाके बारेमें लिखना चाहता था। पहली बात तो यह है कि मैंने जब भी और जिससे भी इस विषयकी चर्चा की है — और ऐसी चर्चाके मौके कम ही आये हैं — मैंने बराबर स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि मैं किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करता और किसी कांग्रेसीको मैंने अपने विचारका आभास भी नहीं दिया है। मैंने यह बात भी साफ कर दी है कि महत्त्व उसीका है जो-कुछ कांग्रेस कहती या करती है, और जो-कुछ मैं कहूँ उसका तबतक कोई महत्त्व नहीं है जबतक कि वह कांग्रेसके विचारको ही व्यक्त न करती हो। और सचमुच मैंने ऐसा कहा भी है अगर कोई कांग्रेसपर संघ-व्यवस्था थोपना चाहे तो वह इस

१. तात्पर्य शायद १३-९-१९३८ को कार्ल हीथ को लिखे पत्र से है।

चीजको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और जबतक विधिवत् गठित संविधान सभा-रचित किसी संविधानके अनुसार भारतको स्वराज्य नही प्राप्त हो जाता तबतक यहाँ शान्ति की आशा करना व्यर्थ है। मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि जहाँतक मेरा और पण्डित जवाहरलाल नेहरूका संबंध है, हम अलग-अलग भाषा भले ही बोलते हों, लेकिन भारतके लिए महत्त्व रखनेवाली अधिकांश बातोंके संबंधमे हम एकमत हैं। संघ-व्यवस्थाके प्रश्नपर हम दोनोंमें कभी कोई मतभेद नही रहा है। इसके अलावा मैंने अपने लिए एक नियम भी बना लिया है कि जहाँतक कांग्रेसका संबंध है, यदि हम दोनोंके बीच कोई ऐसा मतभेद हो जिसे दूर न किया जा सकता हो तो वैसी हालतमें उन्हींके विचारके अनुसार बरता जाये। और इसका बहुत ठोस कारण भी है — यह कि मैं कांग्रेसमें नहीं हूँ, जबकि वे उसके केन्द्रमें बैठे हैं और कांग्रेससे सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातोंको वे निकटसे जानते-समझते हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१०-१९३८

५७५. हस्तक्षेपकी नीति

देशी राज्योंके मामलोंमें कोई हस्तक्षेप न करनेकी नीति कांग्रेसने १९२० में निर्धारित की थी और तबसे, बावजूद इसके कि इस नीतिपर अनेक बार हमले किये गये, कांग्रेस न्यूनाधिक इसका पालन करती आई है। लेकिन देखता हूँ, देशी राज्योंने एक दस्तूर-सा बना लिया है कि जब भी कांग्रेस उनकी आलोचना करने अथवा कोई सलाह-सहायता देनेका प्रयत्न करती है कि वे फौरन इस प्रयत्नके खिलाफ कांग्रेस और कांग्रेसियों द्वारा स्वेच्छासे अपनाई गई इस मर्यादाका हवाला देने लगते हैं। इसलिए अ-हस्तक्षेपकी नीतिके गर्भित अर्थोंका विचार कर लेना आवश्यक है। इसे सिद्धान्तकी तरह तो कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। यह कांग्रेस द्वारा खुद अपने और देशी राज्योंकी प्रजाके हकमें अपने ऊपर स्वेच्छासे लगाई गई एक मर्यादा थी। देशी राज्योंके सम्बन्धमें पास किये गये अपने प्रस्तावोंको देशी राज्योंमें कार्यान्वित करवा सके, ऐसी शक्ति कांग्रेसमें नहीं थी। बहुत सम्भव था कि देशी राज्य उसकी सलाहकी उपेक्षा कर दें, उसके हस्तक्षेपपर नाराज होकर प्रजाको सताने लगें, और दूसरी ओर इस सबसे प्रजाको कोई लाभ नहीं होनेवाला था। इस नीतिके पीछे एक मैत्रीपूर्ण हेतु अवश्य था। यह कांग्रेसकी भलाई करनेकी क्षमताकी मर्यादा की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति थी। इस सम्बन्धमें तथा अन्य अनेक बातोंमें भी कांग्रेसने जिस संयमसे काम लिया उससे इसे एक प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त हुई हैं। अब वह उस प्रतिष्ठा और शक्तिका प्रयोग न करे, यह बुद्धिमानीकी बात नहीं होगी। इस सम्बन्धमें कोई संकोच करना तो उस मूर्ख गुमाश्तेके जैसा व्यवहार करना होगा जिसे अपने कामके लिए बहुत से प्रतिभाशाली लोग सुलभ करा दिये गये हों, किन्तु जो

उनका उपयोग करनेमें हिचक रहा हो। देशी राज्य भी कांग्रेसकी शक्तिको, चाहे जितनी अनिच्छासे हो, एक हदतक स्वीकार करने लग गये हैं। यह बात काफी स्पष्ट होती जा रही है कि देशी राज्योंकी प्रजा मार्ग-दर्शन और सहायताके लिए कांग्रेसका मुँह जोह रही है। मेरा विचार है जहाँ भी सम्भव हो, वहाँ उन लोगोको मार्ग-दर्शन और सहायता देना कांग्रेसका कर्तव्य है। काश, मैं हर कांग्रेसीको यह समझा पाऊँ कि कांग्रेसमें जितनी आन्तरिक शुद्धि होगी, उसमें जितनी सच्ची न्याय-वृत्ति होगी और सबके प्रति उसमें जितनी सद्भावना होगी, उसे उतनी ही शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यदि देशी राज्योंकी प्रजाको अपने हित कांग्रेसके हाथोमें सौपना निरापद लगता है तो देशी नरेशोंको भी उतना ही निर्भय होकर कांग्रेसका विश्वास करना चाहिए। कांग्रेसियोको मैंने जो चेतावनियाँ दी हैं वे अगर अनसुनी कर दी जाती हैं तो वर्षोंके धैर्यपूर्ण प्रयत्नसे कांग्रेस द्वारा अर्जित की गई सारी प्रतिष्ठा मिट्टीमे मिल जायेगी।

देशी राज्योके लोगोसे एक बात मैं बार-बार कहता रहा हूँ और इस पुनरावृत्तिसे उनेक उक्ता जानेकी परवाह न करते हुए मैं एक बार फिर कहता हूँ कि उन्हें कांग्रेसकी सहायतापर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए। वे सत्यपरायण और अहिंसक हैं, इतना ही काफी नहीं है। उनके लिए यह समझ रखना भी जरूरी है कि उनमें कष्ट-सहनकी कितनी क्षमता है। स्वतन्त्रता सुन्दरी, जो लोग उसका वरण करना चाहते हैं, उनसे बड़ी-बड़ी कीमतोकी अपेक्षा रखती है। और अगर ये कीमतें चुकानेके लिए बहुत-से लोग तैयार नही हो तो कुछ थोड़े-से उत्साही लोग जो सर्वत्र मिल जाते हैं उनके लिए बुद्धिमानीकी बात यही होगी कि अभी आगे बढ़नेके बजाय वे धैर्यपूर्वक अपनी शक्ति संचित कर रखे। कोई भारी राजनीतिक कार्यक्रम न अपनाकर अभी वे जनताकी रचनात्मक ढंगकी सेवा ही करते रहें तो अच्छा है। इस रचनात्मक सेवासे उन्हें राजनीतिक उद्देश्योकी प्राप्तिकी शक्ति भी जरूर मिलेगी। धैर्य और बुद्धिमानीसे काम लेनेसे उनमें समयपर ऐसी शक्ति आ जायेगी कि उनकी राह कोई नही रोक सकेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१०-१९३८

५७६. जमनालाल बजाजके लिए वक्तव्यका मसविदा[1]

[१ अक्टूबर, १९३८][2]

कार्यकारिणीसे मेरे त्यागपत्र दे देनेके बारेमें अनेक प्रकारकी अफवाहें मेरे देखनेमे आयी हैं। यह बिलकुल सच है कि मैंने कार्यकारिणीको अपना त्यागपत्र भेजा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कार्यकारिणीमें और मुझमें किसी बातको लेकर कोई मतभेद है। मेरे त्यागपत्र देनेका कारण बिलकुल व्यक्तिगत है। सच तो यह है कि मैंने कई जिम्मेदार पदोंसे त्यागपत्र दे दिया है और केवल उन्हीं पदोंपर मैं कायम रहा हूँ जिनके बारेमें मुझे लगता है कि यदि मैं त्यागपत्र दे दूंगा तो उन संस्थाओंको नुकसान पहुँचेगा।

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३९३। जी एन० ३०७५ से भी।

५७७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

३ अक्टूबर, १९३८

त्रावणकोर[3] की घटनाओंके बारेमें लोग मुझे बहुत-से पत्र और तार भेजते रहते हैं। श्री चंगनाचेरी के० परमेश्वरन् पिल्लई खास तौरसे मुझसे मिलने और मुझे स्थितिसे अवगत कराने आये थे। उनके साथ मेरी जो बातचीत हुई थी, उसका विवरण देनेमें उनसे भूल हुई है। परिस्थिति बड़ी नाजुक है, इसलिए मुँहसे कोई भी शब्द निकालनेसे पहले उसे अच्छी तरहसे तोल लेना चाहिए। श्री पिल्लईने यह स्पष्ट कहा कि भीड़ने पथराव करनेकी हिंसा तो की ही। मगर उन्होंने यह बात साफ कर दी थी कि उसमें राज्य-कांग्रेसके लोगोंका कोई हाथ नहीं था और यह घटना उनकी इच्छाके विरुद्ध घटी थी। मेरे पास ऐसे तार आये हैं जिनमें भीड़ द्वारा हिंसात्मक कार्य किये जानेके समाचारका खण्डन किया गया है और स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है

१. जी० एन० के साधन-सूत्रमें उक्त मसविदा गांधीजी के स्वाक्षरों में है।

२. बापू-स्मरण शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित और जमनालाल बजाजकी डायरीके एक इन्दराजके अनुसार गांधीजी ने १ अक्टूबर, १९३८ को जमनालालके त्यागपत्रके बारेमें पुन: लिखा था।

३. यहाँ राज्य-कांग्रेस ने उत्तरदायी शासन की माँग की थी, जिसका उत्तर सरकार ने गोलियोंकी बौछार करके और आन्दोलनकारियोंको भारी संख्या में गिरफ्तार करके दिया था। खुद राज्य-कांग्रेसको तोड़-फोड़ करनेवाली एक अवांछनीय संस्था करार दिया गया था; देखिए पृ० ३४७-४८ और पृ० ३८७-९१।

कि यह तो उत्तेजना फैलानेके लिए भेजे गये किरायेके टट्टुओंका काम था। दो परस्पर विरोधी बयानोंके बीच झूठ-सचका निर्णय कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सत्याग्रह असाधारण सावधानीकी अपेक्षा रखता है — बल्कि यदि हिंसात्मक तत्त्वोंपर सत्याग्रहियोंका पूरा अंकुश न हो तो सविनय अवज्ञाके स्थगित कर दिये जानेतक की अपेक्षा रखता है।

इतना दूर बैठकर मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि किया क्या जाना चाहिए। सही निर्णय तो स्थानीय नेताओंको ही लेना है। और निर्णय करते समय उन्हें इस बातका ध्यान रखना होगा कि यदि सत्य और अहिंसाके मार्गसे वे तनिक भी विचलित हुए या अपने साथियोंके ऐसे तनिक-से भी स्खलनका उन्होंने समर्थन किया तो निश्चय ही आन्दोलनपर उसका उलटा असर पड़ेगा।

जहाँतक त्रावणकोरके दीवानके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका सम्बन्ध है, मैंने कारागारमें पड़े उन नेताओंको एक तार[1] भेजा जिन्होंने ये आरोप लगाया है। उनका उत्तर निम्न प्रकार है :

> **आपका वह तार मिला जिसमें आपने राज्य-कांग्रेस द्वारा पेश किये गये निवेदन-पत्रको वापस लेनेकी सलाह दी है। हमने टी० एम० वर्गीज तथा अन्य लोगोंसे सलाह-मशविरा किया। कार्य-समितिको इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान दीवानका अपने पदपर बने रहना जन-हितके लिए बाधक है। निवेदन-पत्र वापस लेनेसे राज्य-कांग्रेस अकारण ही अपयशकी भागी बन सकती है और इस आन्दोलनको ऐसा धक्का लग सकता है जिससे उबरना इसके लिए मुश्किल हो। सहायता और मार्ग-दर्शन प्रार्थित है।**

इस उत्तरके पीछे जो भावना है उसके औचित्यको मैं समझता हूँ। यदि ये लोग रिहाई पानेके लिए इन आरोपोंको वापस ले ले तो वे मेरी नजरोंमें गिर जायेंगे। लेकिन अगर वे इस बातके कायल हो गये हों कि उत्तरदायी सरकारकी माँगके सिलसिलेमें ऐसे आरोपोंका कोई महत्त्व होना भी है तो गौण ही होना है, और अगर मेरी ही तरह वे भी इस बातको समझ रहे हों कि इनपर आग्रह करते रहनेसे — विशेषकर तब जबकि इन्हें सही सिद्ध करना शक्य नहीं है — आन्दोलनको गम्भीर क्षति ही पहुँच सकती है तो उनका स्पष्ट कर्त्तव्य है कि वे ये आरोप वापस लेकर इस आन्दोलनको प्रारम्भिक भूल और बाधासे बचा लें। भूल स्वीकार करनेको तैयार न होनेसे बड़े अपयशकी बात कुछ नहीं है।

कुछ तारोंमें मुझे बताया गया है कि राज्यके अधिकारी कुछ लोगोंको सताते हैं। इस बातपर विश्वास करना मुश्किल है। आशा करता हूँ, ऐसे आरोप निराधार होंगे, और यदि इक्के-दुक्के लोगोंके साथ ऐसा-कुछ किया भी गया हो तो मैं यही आशा करूँगा कि त्रावणकोर-सरकार भविष्यमें ऐसी बातें नहीं होने देगी।

१. यह तार उपलब्ध नहीं है।

इस आन्दोलनके लम्बे समयतक चलनेके आसार दिखाई दे रहे हैं — और किसी कारण नही तो इस कारण कि इस सिलसिलेमें हिंसासे काम लिया जा रहा है। इस हिंसाके लिए, जैसाकि आरोप है, सरकारी गुर्गे जिम्मेदार हैं या यह कांग्रेससे सम्बन्धित न होते हुए भी स्वतः स्फूर्त है, इससे कोई फर्क नही पड़ता। मैं तो यही आशा कर सकता हूँ कि राज्यके अधिकारी अपने रुखमें नरमी लायेंगे और इस आन्दोलनको उस प्रतिबन्धके बिना, जिसे मैं सर्वथा अनावश्यक मानता हूँ, यथोचित रीतिसे चलने देंगे। जो आन्दोलन अपने-आपमें सौम्य और उदात्त है और जिसे सुसंस्कृत स्त्री-पुरुष स्वेच्छासे अपना उत्साहपूर्ण समर्थन प्रदान कर रहे हैं उसको तो बढ़ावा ही देना चाहिए, उसे कुचला तो कभी नहीं जा सकता।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ८-१०-१९३८

५७८. तार: अमृतकौरको

दिल्ली
३ अक्तूबर, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
पालिताना

महादेव और मैं दोनों बहुत अच्छी तरहसे हैं, कल रवाना हो रहा हूँ। महादेव दिल्लीमें रुक रहा है। स्नेह। लीलावतीको भी।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८३)से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०३९ से भी।

५७९. तार: मीराबहनको

नई दिल्ली
३ अक्तूबर, १९३८

मीरा
मगनवाड़ी
वर्धा

कल चल रहा हूँ। डाक उतमनजई के पते पर भेजना।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०५)से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १०००० से भी।

५८०. पत्र : शुएब कुरेशीको

३ अक्टूबर, १९३८

प्रिय शुएब,

शौकत तुम्हें हेरॉल्डके बारेमें लिख रहा है।[1] सबसे अच्छा तरीका बस वही है जो मैंने बताया है। अगाथा हैरिसनको आवश्यकतानुसार पैसा लेते रहनेका अधिकार दे दो। मुझे चिन्ता बस इसी बातकी है कि पैसेकी कमीकी वजहसे हेरॉल्डको कोई तकलीफ न पहुँचे।

लीगके बारेमें मैं जो-कुछ कर सका, वह तो तुम्हारे ध्यानमें आया ही होगा। सिन्धकी सभाका खयाल करके उन्होंने सोचा कि तारीख बढ़ाना असम्भव है।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

सीमा-प्रान्तके लिए मैं कल रवाना हो रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

मध्य प्रदेश और गांधीजी, पृ० १२६ की प्रतिकृतिसे।

५८१. पुर्जा : पी० श्रीधरन नायरको[2]

दिल्ली

३ अक्टूबर, १९३८

सेगाँवमें सीखनेको कुछ नहीं है। जो श्रम करना चाहें, उनके लिए वहाँ श्रम करनेका पूरा अवकाश है। अन्यथा तो वहाँ बिलकुल निठल्लापन ही है। ग्रामोद्योगकी शिक्षा तुम वर्धामें भी ले सकते हो। परमात्माकी खोज तो तुम्हें अपने अन्दर ही करनी होगी और उसके असख्न कार्योंमें ही तुम्हें उसकी छविका दर्शन करना होगा। वह तो इन्द्रियातीत है।

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९९४१)से; सौजन्य: पी० श्रीधरन नायर।

१. हेरॉल्ड अन्सारी; देखिए "पत्र : भोपालके नवाबको", पृ० २०६ और ३७५।

२. श्रीधरन नायरने गांधीजी से पूछा था कि ईश्वरकी प्राप्ति कहाँ हो सकती है और क्या उनका सेगाँवमें रहना लाभदायक होगा। उस दिन गांधीजी का मौन था, इसलिए उन्होंने एक पुर्जेपर लिखकर उन्हें यह जवाब दिया।

५८२. पत्र : अमृतकौरको

दिल्ली
४ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मूर्खारानी,

मैं खाते-खाते तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुम्हारा अमरेलीसे लिखा पत्र आज मिला। अपने शरीरके साथ तुमने जो सलूक किया जान पड़ता है, उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ।

महादेव मेरे पीछे यहाँ रुक रहा है। उसके बारेमें जैसा चाहो, करना।

आजकल मैं जितना भला-चंगा हूँ वर्षोंसे वैसा कभी नहीं रहा हूँ। सुशीला कमजोर हो गई है, पर बुखार नहीं है। अ० स०[1] आ रही है। बा ठीक नहीं है। वह मेरे बाद यहाँ रुकेगी। व्रजकृष्णको मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। पेशावरके पतेपर मुझे पत्र लिखना।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८४)से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७०४० से भी।

५८३. पत्र : मीराबहनको

दिल्ली
४ अक्टूबर, १९३८

चि० मीरा,

यह बड़ी अच्छी बात है कि तुम बालकोबाके स्वास्थ्यका खयाल रख रही हो। यह भी अच्छा है कि तुम कुनैन ले रही हो। जबतक कोई और हिदायत न दूँ, पत्र उत्तमनजईके पतेपर भेजे जायें। महादेव यद्यपि यहीं रुक रहा है, फिर भी उसके पत्र मेरे पतेपर ही भेजे जायें।

मैं बहुत अच्छा हूँ — इतना कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। चिन्ता करनेकी बहुत-सी बातें हैं, फिर भी मुझे कोई बात चिन्तित करती नहीं जान पड़ती। मौसम

१. अमतुस्सलाम।

जरूरतसे ज्यादा गर्म हो गया है। इस समय दिल्लीमें इतनी गर्मी पड़ना बिलकुल असामान्य बात है।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०६) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १०००१ से भी।

५८४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

दिल्ली
४ अक्टूबर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

अभी तो, जो पत्र लिखनेको तुमने कहा है, वह पत्र ही लिख सकता हूँ। ठीक लगे तो इसे आगेकी कार्रवाईके लिए बढ़ा देना। 'हरिजन' में मेरा लेख[1] देखना, उसमें स्पेनका भी जिक्र है।

आशा है, इन्दुका स्वास्थ्य तेजीसे सुधर रहा होगा और सरूप[2] इस परिवर्तन का पूरा लाभ उठा रही होगी।

आत्म-सम्मानकी कीमतपर खरीदी गई यह कैसी शान्ति है।[3]

कितना मन हो रहा है कि विस्तारसे लिखूँ, मगर मजबूरी है। समय ही नही है।

महादेव विश्रामके लिए यहाँ रुक रहा है। मैं सीमा-प्रान्तके लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।

तुम तीनोंको प्यार।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात १९३८; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१. देखिए "तर्कसम्मत निष्कर्ष", पृ० ४५९-६२।

२. विजयलक्ष्मी पण्डित।

३. तात्पर्य "म्यूनिख-समझौते" से है, जिसपर ३० सितम्बर, १९३८ को हस्ताक्षर हुए थे। चेम्बरलेनने म्यूनिख-समझौतेको "सम्मानजनक शान्ति" कहा था। इस समझौते की शर्तों के अनुसार चैकोस्लोवाकियाको बाध्य किया गया था कि वह बोहेमिया और मोरावियाके वे सब जिले जिनमें जर्मन-भाषी लोगोंकी संख्या पचास प्रतिशत थी, जर्मनीके हवाले कर दे; देखिए "यदि मैं चेक होता", पृ० ४४९-५२।

५८५. पत्र : ग्लैडिस ओवेनको

सेगाँव, वर्धा[1]
४ अक्टूबर, १९३८

प्रिय ग्लैडिस,

पत्राचारका काम निवटानेमें वड़ी मुश्किल पड़ रही है। आशा है, वहाँके इलाज से कुछ लाभ हुआ होगा।

शान्ति कायम तो रखी गई, लेकिन सम्मानकी कीमतपर।

म्यूरिअलको जल्दी भारत आना चाहिए। महादेवकी हालत निश्चित रूपसे सुधर रही है।

सस्नेह,

वापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१९४)से।

५८६. पत्र : वालजी गो० देसाईको

दिल्ली
४ अक्टूबर, १९३८

चि० वालजी,

मेरा वढ़ता हुआ काम ऐसा है कि उसे या तो स्वयं मैं ही करूँ या फिर वह पड़ा रहे। फिलहाल महादेवके हिस्सेका काम तो प्यारेलालने सँभाल लिया है। तुम मेरे लिए भार कदापि नहीं हो सकते। किन्तु तुम जो काम कर रहे हो उससे हटाकर मैं तुम्हें यहाँ कौन-सा काम सौंपू? मैं 'हरिजन' में जो लिख रहा हूँ उससे वहाँ वैठे हुए यदि तुम किसी तरहकी प्रेरणा लेकर कुछ कर सको तो अवश्य करो। तुम्हारी सच्ची परीक्षा तो मेरी मृत्युके वाद होगी। आशा है, दूधीवहन और वच्चे आनन्दपूर्वक होंगे। मै आज पेशावर जा रहा हूँ। महादेव यहीं रहेंगे।

वापूके आशीर्वाद

श्री वालजी गोविन्दजी देसाई
गोंडल, काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४८२)से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई।

१. स्थायी पता।

५८७. पत्र : सुशीला गांधीको

दिल्ली
४ अक्टूबर, १९३८

चि० सुशीला,

मेरा एक पत्र तुझे मिला होगा। यह दूसरा है। हम लोग आज सीमा-प्रान्त जा रहे हैं। महादेव नहीं जा रहे हैं, और बा भी नहीं जा रही हैं। प्यारेलाल, सुशीला, अमतुस्सलाम, कन्हैया और ब्रजकृष्ण मेरे साथ होंगे।

मणिलालका वक्तव्य ठीक है। दिवालीका सन्देश भेजनेकी बात मुझे तो याद है। हो सकता है, मुझसे भूल हुई हो। किन्तु अब थोड़े ही सन्देश भेजा सकता है? यदि भेजा जा सकता हो तो यह लें।

"जब चारो ओर होली जल रही हो तब दिवाली कैसी? जहाँ देखो तहाँ ईर्ष्या-द्वेष। इसलिए यदि किसीको दिवाली मनानी ही हो तो वह ईर्ष्या-द्वेषको कम करनेका प्रयत्न करे और शुद्ध होकर स्वातन्त्र्य-युद्धमें कूदे।"

सीता[1] कैसी है? अरुण[2] कैसा है? सीता मुझे पत्र लिखनेवाली थी, उसका क्या हुआ?

बा कुछ अस्वस्थ हो गई हैं, किन्तु आज ठीक है।

मनुडी[3] कैसी है? क्या वह अभी वहीं है?

रामदास कल देहरादूनसे आ गया।

आशा है, नानाभाई[4] ठीक होंगे। क्या शान्तिको उपवाससे लाभ हुआ?

मुझे पत्र पेशावरके पतेपर लिखना।

बापूके आशीर्वाद
बा के भी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८६) से।

१. सुशीला गांधीकी कन्या।
२. सुशीला गांधीका पुत्र।
३. मनुबहन मशरूवाला, गांधीजी की पौत्री।
४. सुशीला गांधीके पिता।

५८८. पत्र : मथुरीबहन खरेको

दिल्ली
४ अक्टूबर, १९३८

चि० मथुरी[1],

तेरा पत्र मिला।

तू वहाँका अपना पाठ्यक्रम अवश्य पूरा कर और उसमें निष्णात बन।

आशा है, तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। हम लोग आज सीमा-प्रान्त जा रहे हैं। महादेवभाई और बा यहीं रहेंगे। महादेव अब अच्छे हैं।

बापूके आशीर्वाद

चि० मथुरी खरे
सेवा-सदन
७९०, सदाशिव, पूना सिटी

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७२) से; सौजन्य: लक्ष्मीबहन ना० खरे।

५८९. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

दिल्ली
४ अक्टूबर, १९३८

चि० मुन्नालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि वहाँसे तुम्हारा मन उचट ही गया हो तो [वह स्थान] अवश्य छोड़ देना। ऐसा करते-करते तुम्हें किसी दिन शान्ति अवश्य मिलेगी। न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति।[2]

तुम चाहे रमण स्वामीके पास तिरुवण्णामलई जाओ या फिर अरविन्दाश्रम। जानकीप्रसादको तो शान्ति मिली है।

कंचनसे बातचीत कर लेना। संक्षेपमें, तुम वही करो जिससे तुम्हें शान्ति मिले।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५६६) से। सी० डब्ल्यू० ७०४४ से भी; सौजन्य: मुन्नालाल जी० शाह।

१. नारायण मोरेश्वर खरेकी कन्या।

२. भगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ४०।

५९०. पत्र: शारदा चि० शाहको

४ अक्टूबर, १९३८

चि० बबुड़ी,

तेरे पत्र निरन्तर मिलते रहते हैं। सुशीलाबहन कहती हैं कि मासिक न होनेकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। दूध या मलाईकी मात्रा बढ़ाई जा सकती हो तो बढ़ा देना। कितना लेती है और क्या लेती है? शान्त रहना। हम लोग आज रवाना हो रहे हैं। संगीतमें क्या चल रहा है? अब तो तू 'गीता'-पाठ ठीक-ठीक करेगी न?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९९९) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

५९१. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको

४ अक्टूबर, १९३८

राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके प्रश्नपर बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति[1] के बारेमें अपनी राय मुझे पहले ही दे देनी चाहिए थी। लेकिन कार्याधिक्यके कारण मेरे लिए वैसा करना सम्भव नहीं हो पाया। यद्यपि बंगाल-सरकार गत् १२ अप्रैलके मेरे पत्र[2] में दिये गये मेरे सुझावको स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन मैं इस बातके लिए उसका कृतज्ञ हूँ कि उसने अपने दृष्टिकोणसे मेरे उस पत्रके सम्बन्धमें कुछ करनेकी कोशिश की है।

लेकिन सरकारी रुखकी प्रशंसामें इतना कहनेके बाद मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि सरकार द्वारा मेरे सुझावकी अस्वीकृतिसे मुझे गहरी निराशा हुई है। कारण, मेरा दावा है कि वह सुझाव मैंने बंगाल-सरकारकी कठिनाइयोंपर विचार करके उन्हें ध्यानमें रखते हुए ही रखा था। उसके इस निर्णयका कारण मुझे यह लगता है कि वह तीन मुख्य बातोंको स्वीकार नहीं कर पाई।

१. देखिए परिशिष्ट २।

२. देखिए पृ० २४-५।

इन कैदियोंके अपराध चाहे जितने निंद्य रहे हों, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनके पीछे प्रेरणा किसी व्यक्तिगत या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यकी नहीं, वल्कि विशुद्ध रूपसे राजनीतिक उद्देश्यकी ही थी।

भारत सरकार-अधिनियमकी मर्यादाएँ चाहे जो हों, उसके अधीन सत्ता उस संसदको सौंप दी गई है जो जनताके प्रति उत्तरदायी है और जिसके सदस्योंका चुनाव काफी व्यापक मताधिकारके आधारपर हुआ है। इसलिए कैदियोंने अहिंसाके पालनकी जो घोषणा की है सो तो की ही है; इसके अलावा भी सत्ताके लोक-निर्वाचित विधान-मण्डलको सौंप दिये जानेसे आतंकवादी कार्रवाईके हिमायतियोंके लिए ऐसी कार्रवाईका प्रचार करनेका कोई आधार नहीं रह गया है।

चूँकि कांग्रेसने विधान-मण्डलोंमें प्रवेश करने, वल्कि मन्त्रिमण्डलीय दायित्व भी स्वीकार करनेका निश्चय किया है, इसलिए शासनतन्त्र किस हदतक जनेच्छाके अधीन हो सकता है, इसको परखकर देखना कांग्रेसियोंके लिए अनिवार्य है। सो जहाँतक राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईकी दृष्टिसे उपर्युक्त सम्भावनाको परखनेका सम्बन्ध है, हम देख चुके हैं कि जिन्हें कांग्रेसी प्रान्त कहा जा सकता है, उन प्रान्तोंकी सरकारें तो राजनीतिक कैदियोंको रिहा कर पाई हैं। और जो बात इन प्रान्तोंमें सम्भव हो पाई है, यदि जनेच्छाकी पर्याप्त अभिव्यक्ति की जायेगी तो वही बात बंगालमें भी सम्भव हो सकती है।

तीसरी बात है बंगाल-सरकार द्वारा वहाँ आतंकवादी प्रवृत्तियोंसे सम्बन्धित दो प्रसिद्ध दलोंके अस्तित्वका उल्लेख। इस उल्लेखसे तो ऐसी ध्वनि निकलती है मानों ये दोनों दल अब भी अपने मूल हेतुके लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है और मैंने ख्वाजा साहबको भी भरोसा दिलाया था कि अब ये संस्थाएँ पुरानी पद्धतिपर काम नहीं कर रही हैं। इन दलोंके सदस्य यदि इनके नाम नहीं बदल रहे हैं या इनसे अलग नहीं हो रहे हैं तो इसका कारण यह है कि ये दल पहले जिन तत्त्वोंका प्रतिनिधित्व करते थे उनका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। लेकिन मेरी सलाह यह होगी कि ये दोनों दल आपसमें मिल जायें और यदि इन्हें अपना अस्तित्व अलग ही कायम रखना हो तो उस संयुक्त संस्थाका नाम बदल दें।

बंगाल-सरकार इन तीनों बातोंकी ओर पर्याप्त अथवा कोई ध्यान नहीं दे पाई है। इतना ही नहीं, कैदियों द्वारा अहिंसाके पालनके स्पष्ट आश्वासनको भी उसने यथेष्ट महत्त्व नहीं दिया है, यद्यपि रिहा होनेवाले कैदियोंने, लगता है, उस आश्वासनका पालन निष्ठाके साथ किया है।

इसलिए मैं बंगाल-सरकारसे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे गत १३ अप्रैलके सुझावके प्रति अपेक्षित प्रतिक्रिया दिखाते हुए १३ अप्रैल, १९३८ तक सभी कैदियोंको रिहा कर दे। इस कामके लिए वह कौन-सा तरीका अपनाये, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। उसकी मर्जी हो तो वह एक समिति नियुक्त कर दे और उसके माध्यमसे कैदियोंकी रिहाईकी तिथियाँ तय करे। अगर मामलेको पूरी तरहसे निबटाना है तो एक बातमें सरकार मुझसे सहमत है; वह यह कि

अहिंसाका वातावरण कायम रखा जाये और रिहा होनेवाले लोग अहिंसाके पालनके अपने स्वेच्छा या स्वीकृत दायित्वका निर्वाह करें।

मैं जनता और अखबारोंसे अनुरोध करूँगा कि इस मामलेमें बंगाल-सरकारके बारेमें कोई टीका-टिप्पणी करनेमें वे संयमसे काम ले और उसकी कोई कड़ी आलोचना करके उसे अटपटी स्थितिमें न डालें।

बंगाल-सरकारकी इतनी प्रशंसा तो करनी ही होगी कि इस प्रश्नके प्रति उसने कोई दलगत रवैया नहीं अपनाया। वैसे इन कैदियोंकी रिहाई अभिन्न अंग तो केवल कांग्रेस कार्यक्रमका ही है, किन्तु यह न्यूनाधिक एक सर्वदलीय प्रश्न बन गया है। और मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि इन कैदियोंको सबसे जल्दी रिहा करानेका रास्ता यही है कि इस मामलेको दलगत प्रश्न न बनने दिया जाये।

कैदियोसे मैं अनुरोध करूँगा कि वे बंगाल-सरकारकी विज्ञप्तिको लेकर परेशान न हो। मैं तो खुद ही विभिन्न परिस्थितियोमें कम-से-कम छः-सात बार कैदमें रह चुका हूँ। इसलिए जेल-जीवनकी कठिनाइयोंसे तो मेरा परिचय है ही, साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि अपने भाग्यके निबटारेके बारेमें अनिश्चितता रहनेपर किसी कैदीके समस्त मन-प्राण किस प्रकार व्याकुल रहते हैं — खासकर तब जबकि वह बाहर जाकर समाजकी सेवा करनेको आतुर हो। लेकिन उनसे मैं कहूँगा कि १३ अप्रैल या उसके आसपासकी तिथिको वे अब भी अपनी रिहाईका अन्तिम दिन मान कर चलें। कोई अवधि निर्धारित करते समय "आसपास" शब्दका प्रयोग करना मेरे स्वभावमें नही है, लेकिन मेरी वृद्धावस्था और उसकी मर्यादाओंको देखते हुए कैदी भाइयोंसे यहाँ मैं इतनी छूट जरूर चाहूँगा। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि "आसपास"का मतलब वर्षों नही होता। इसका मतलब अधिक-से-अधिक महीनों ही हो सकता है। उन्हें याद रखना चाहिए कि भूख-हड़ताल वगैरह करके वे उनकी रिहाईके लिए प्रयत्नशील लोगोंके मार्गमें बाधा ही खड़ी करेंगे। मैंने अपने-आपको उनके हाथों बन्धक रख दिया है। आशा करता हूँ कि ईश्वरकी कृपा रही तो जबतक मेरे शरीरमें प्राण है, मैं उनकी रिहाईके प्रयत्नमें कोई ढील न आने देनेके अपने वचनपर दृढ़ रहूँगा। जबतक एक-एक कैदी रिहा नहीं हो जाता, मैं चैनकी साँस लेनेवाला नहीं हूँ। अहिंसाके पालनका आश्वासन देनेके मेरे अनुरोधका उन्होंने किस उदारतासे उत्तर दिया! अब मैं अपने वचनका पालन करके दिखाऊँगा।

कुछ पत्र-लेखक भाई ऐसा मानने लगते हैं मानो मैं चमत्कार कर रहा हूँ। सत्यके पुजारीके रूपमें मैं यह कहना चाहूँगा कि मुझमें ऐसी कोई शक्ति नही है। मुझमें जो भी शक्ति हो, वह सब प्रभुसे ही प्राप्त होती है। लेकिन वह प्रत्यक्ष रूपसे खुद कुछ नही करता। वह अपने असंख्य साधनोंके माध्यमसे अपनी मनचाही करता है। प्रस्तुत प्रसंगमें वह साधन है कांग्रेस। मेरी जो भी प्रतिष्ठा है उस सबका स्रोत कांग्रेसकी प्रतिष्ठा है। और कांग्रेसको भी प्रतिष्ठा मिली है, उसका स्रोत उसका सिद्धान्त है। यदि कांग्रेसी सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तको छोड देंगे तो कांग्रेस भी अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेगी। मैं उन लोगोको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मैं कांग्रेसके

मानसका प्रतिनिधि न होऊँ तो मेरे गुण, चाहे वे सच्चे हों या तथाकथित, किसी काम नहीं आयेंगे।

बंगालके बाहरके कैदियोंके शुभचिन्तक और कभी-कभी ऐसे कैदी खुद भी मुझे लिखते हैं कि मैंने तो अपना सारा ध्यान बंगालके कैदियोंपर ही केन्द्रित कर रखा है। एक तरहसे यह शिकायत सही है। उनसे मैं एक लिखित अनुबन्धसे बँधा हुआ हूँ। लेकिन दूसरी तरहसे देखें तो यह शिकायत सच नहीं भी है। दूसरे कैदियोंकी रिहाईमें भी मैं निश्चय ही रुचि ले रहा हूँ। लेकिन पूर्ण सफलता बहुत हदतक, बंगालमें क्या-कुछ होता है, इस बातपर निर्भर है। लेकिन उनके सूचनार्थ मैं बता दूँ कि बंगालके कैदियोंकी रिहाईसे अलग भी मैं उनकी रिहाईके लिए सतत प्रयत्नशील हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ८-१०-१९३८

५९२. पत्र : एम० सी० राजाको

पेशावर जाते हुए
५ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मित्र,

इन दिनों मैं बड़ी मुश्किलमें हूँ। यह पत्र भी पेशावर जाते हुए रेलगाड़ीमें से लिख रहा हूँ।

हमारे बीच हुआ पत्र-व्यवहार आप जब भी जरूरी समझें, बेशक, प्रकाशित कर सकते हैं।

आपके पिछले पत्रसे प्रकट होता है कि आप गलतीपर हैं। मैं राजाजी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा। लेकिन मैं जानता हूँ कि अस्पृश्यताके सवालपर जितना दृढ़ रुख मेरा है उतना ही उनका भी है। इसलिए यह काम कैसे करना है, यह तो मैं उन्हींके विवेकपर छोड़ूँगा। इतनी दूर रहकर मैं उनके कामके सही-गलत होनेके बारेमें कोई राय जाहिर नहीं कर सकता।

क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पूरे आन्दोलनका उद्देश्य सनातनी हिन्दुओंका हृदय-परिवर्तन करना है? इस कामकी रफ्तारमें हम उसी हदतक तेजी ला सकते हैं जिस हदतक सुधारक तपश्चर्या कर रहे हैं।

यह मन्दिर-प्रवेशका प्रश्न एक भारी धार्मिक सुधार है। मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपनी धर्म-वृत्तिसे काम लें। अगर आप वैसा करनेको तैयार हैं तो फिर आप पूरे मनसे राजाजीका साथ देकर उनके आन्दोलनको सफल बनायेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

एम० सी० राजा कागजात, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

५९३. पत्र : पृथ्वीसिंहको

[स्थायी पता:] उतमनजई
५ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पृथ्वीसिंह,

यह पत्र मैं सीमा-प्रान्त जाते हुए रेलगाड़ीमें से लिख रहा हूँ। वहाँ मेरे महीने-भर रहनेकी सम्भावना है। उस दौरानमें मैं अपने साथियोंमें से किसीको तुमसे मिलने भेजनेकी कोशिश अवश्य करूँगा। इसलिए मुलाकातका अगला दिन खाली रखो और उस दिन किसी अन्य मुलाकातीको समय न दो तो अच्छा। पेशावरमें मुझे सूचित कर देना कि मुलाकात किस दिन हो सकती है।

तुम्हारे 'ए' से बदलकर 'बी' श्रेणीमें रखे जानेके बारेमें मुझे कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए यह बड़ी खुशीकी बात है कि तुम खुद भी कोई चिन्ता नहीं कर रहे हो।

मुझे नये ढंगका ऊन कातनेका चरखा मिलना ही चाहिए।

महादेव बीमार हो गया, सो दिल्लीमें ही रुक गया है। प्यारेलाल मेरे साथ है और स्वस्थ-प्रसन्न है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६३) से। सी० डब्ल्यू० २९४२ से भी; सौजन्य : पृथ्वीसिंह।

५९४. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

५ अक्टूबर, १९३८

चि० रुखी,

बहुत दिनों बाद तेरी लिखावट देखकर प्रसन्नता हुई। शान्ता मुझसे मिल गई है। उसने बा से कहा कि तुझे गश आते हैं और तेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। क्या यह ठीक है?

मैं यह पत्र पेशावर जानेवाली गाडीमें लिख रहा हूँ। इस प्रदेशमें शायद मुझे एक महीना बिताना पडे। महादेवको आरामकी जरूरत है इसलिए वे और दुर्गा दिल्लीमें रह गये है। बा भी वही है। मेरे साथ प्यारेलाल, कनु, डॉक्टर सुशीला, अमतुस्सलाम और ब्रजकृष्ण हैं।

तू पेशावरके पतेपर पत्र लिख सकती है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती रुक्मिणीदेवी बजाज
ठठेरी बाजार
बनारस सिटी

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७९३) से; सौजन्य: बनारसीलाल बजाज।

५९५. पत्र: द० बा० कालेलकरको

५ अक्टूबर, १९३८

चि० काका,

मैं यह पत्र गाड़ीमें लिख रहा हूँ। तुमने मौलानाको व्यक्तिगत पत्र लिखकर अच्छा किया। हम जितने बीज बोते हैं यदि वे सब नहीं उगते तो उगनेवालोंकी मदद अवश्य करते हैं।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभाको अपना उद्देश्य बदलनेका अधिकार नहीं है। यदि वह उस अधिकारका उपयोग करती है तो केन्द्रीय संस्थाके साथ उसका आध्यात्मिक सम्बन्ध भी समाप्त होना चाहिए। मेरे विचारसे इस तरहकी रद्दोबदल करनेकी जरूरत भी नहीं है। मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है।

यह मानना भी ठीक नहीं कि मैं धीरे-धीरे 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग करना छोड़ रहा हूँ। कांग्रेस किसी अन्य शब्दका प्रयोग नहीं कर सकती। किन्तु मैं यह नहीं मानता कि किसी अन्य संस्थामें काम करनेवाला कांग्रेसी भी वैसा नहीं कर सकता।

सम्मेलनका प्रस्ताव मिलनेपर मैं उसके बारेमें लिखनेकी बातपर विचार करूँगा। अमृतलालने बुनाई, शिक्षण, संगीत और सफाईका काम लिया है। देखना है कि नायकमके ढाँचेमें उनके लिए स्थान है या नहीं। फिलहाल इतना काफी होगा न? उतमनजईके पतेपर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९७५) से।

५९६. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

५ अक्टूबर, १९३८

चि० आनन्द,

तुमारा खत आज ही मिला। चलती ट्रेन पर यह लिख रहा हूं। अब तो प्रस्तावनाकी जरूरत नही हो सकती। और मेरे पर इतना बोज क्यो? कैसे उठाऊं?

दोनों अच्छे हैं जानकर खुश हुआ।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

५९७. पत्र : श्रीपाद दा० सातवलेकरको

पेशावर जाते हुए
५ अक्टूबर, १९३८

भाई सातवलेकर,

कैसा सुंदर खत मुझको भेजा है। चलती ट्रेनपर यह लिख रहा हूं। राजपुत्र[1] नवेंबरमें अवश्य आवे। आजकल तो मैं सरहदी सुबेमें हूंगा।

आपका,
मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७७९) से; सौजन्य: श्री० दा० सातवलेकर।

१. औंधके राजकुमार गांधीजीसे सेगाँवमें २९-११-१९३८ और १-१२-१९३८को मिले थे।

५९८. वह दुर्भाग्यपूर्ण सभा-त्याग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी गत बैठकमें से नागरिक स्वतन्त्रता-प्रस्तावका विरोध करनेवालोंका उठकर चले जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण और जल्दबाजीमें उठाया गया कदम था।[1] उनका विरोध आखिर किस बातके खिलाफ था? मुझे मालूम हुआ है कि अध्यक्षने उन्हें चाहे जितने लम्बे और जितने अधिक भाषण देनेकी विशेष सुविधा प्रदान की थी। इसलिए यह विरोध बहुमत द्वारा उन संशोधनोंकी अस्वीकृतिका विरोध था जो कांग्रेसको उसके वर्तमान रूपमें कायम रखनेके लिए अत्यन्त आवश्यक समझे जानेवाले प्रस्तावकी जड़पर ही कुठाराघात करते थे।

इस सभा-त्यागसे एक सत्प्रयोजन तो सिद्ध हुआ ही है। इससे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस आज वैसी ऐक्यबद्ध संस्था नहीं रह गई है, जैसी वह कभी थी। इसमें ऐसे सदस्य भी हैं जिनका इसके सिद्धान्तमें या रचनात्मक कार्यक्रममें — विशेषकर खादी और मद्य-निषेधमें — विश्वास नही है।

इन परिस्थितियोंमें कांग्रेस विश्वके सबसे अधिक संगठित और अनुभवी तन्त्रके विरुद्ध जीवन-मरणके संघर्षमें जुटी सुसंगठित संस्था नही बनी रह सकती। १९२० से ही वह एक इच्छा, एक नीति और एक लक्ष्यसे जुड़ी तथा कठोर अनुशासनमें बँधी एक युद्धरत सेनाकी तरह चली आ रही है। अगर विरोधियोंकी चलने दी जाती है तो इस सबको समाप्त हो जाना है। अव्वल तो स्वीकृत नीतियोंमें कोई संशोधन अथवा उसके खिलाफ कोई विरोध नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसकी छूट दी भी जाये तो भी संशोधनों और विरोधोंके अस्वीकृत कर दिये जानेके बाद वैसे लोगोंको बहुमतके निर्णयको खुशी-खुशी पूरी तरहसे मान्य कर लेना चाहिए। कांग्रेसमे विरोधी पक्षकी तुलना — उदाहरणके तौरपर — केन्द्रीय विधान-सभाके विरोधी दलसे नहीं की जा सकती। विधान-सभामें तो सरकार और विरोध पक्षमें कही कोई साम्य है ही नहीं। कांग्रेसमें केवल वही लोग रह सकते हैं जो खुशी-खुशी और पूरे हृदयसे उसके सिद्धान्तको स्वीकार करते हों। जो पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहते वे इसके सदस्य नहीं बन सकते और न वही लोग इसके सदस्य बन सकते हैं जो सत्य और अहिंसा में खादी या साम्प्रदायिक एकतामें, हिन्दुओंके बीच फैली अस्पृश्यताकी पूर्ण समाप्ति में तथा मदिरा और मादक पदार्थोंके सम्पूर्ण निषेधमें विश्वास नहीं रखते।

इसलिए कांग्रेसकी मूलभूत नीतिमें विश्वास न रखनेवालोंको अब गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि वे कांग्रेसमें रहें और जो लोग उनके दृष्टिकोणसे सहमत नही है और फिर भी दुर्भाग्यवश बहुमत जिनके पक्षमें है उनके काममें अड़चन डालें, इसके

१. देखिए "मसविदा: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए", पृ० ४१०।

बजाय यदि वे कांग्रेससे निकलकर लोगोको संघर्ष चलानेकी अपनी रीति-नीतिका कायल करें तो क्या इस तरह वे कांग्रेसकी और देशकी भी अधिक अच्छी सेवा नही करेंगे। इसी तरह बहुसंख्यक सदस्योंका भी यह कर्त्तव्य है कि वे विघ्न डालनेकी नीतिपर चलनेवालोसे निबटनेका अच्छे-से-अच्छा तरीका सोचे। अनुभवपर आधारित मेरी राय तो यह है कि बहुसंख्यक लोग पहले उन (यदि उनके लिए इस शब्दका प्रयोग अनुचित न हो तो कहूँगा) विघ्नकारियोसें प्रेमसे बातचीत करें और इस बातचीतसे अगर पता चले कि वे लोग तो विघ्न डालना अपना कर्त्तव्य समझते है तो देशकी भलाई इसीमें है कि ये लोग संस्थाकी बागडोर अल्पसंख्यक सदस्योंको सौंप दें और स्वयं कांग्रेसके नामका उपयोग किये बना कांग्रेसके मौजूदा कार्यक्रमको लागू करनेमें जुट जायें। यदि यह सब बिना किसी शोर-शराबे, दुर्भावना और कटुताके और केवल एक असह्य होती जा रही परिस्थितिसे निबटनेके भावसे किया जायेगा तो इतना सफल रहेगा जिसकी किसीने आशा भी नही की होगी।

अगर अव्यवस्थाको रोकना है तो समय रहते उचित और अपेक्षित कार्रवाई की जानी चाहिए।

पेशावर, अक्टूबर ५, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १५-१०-१९३८

५९९. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको

५ अक्टूबर, १९३८

यदि पत्र न लिखनेका अर्थ उपेक्षा है तो मैंने आपकी उपेक्षा की है। लेकिन सच तो यह है कि आप आजकल हमेशा मेरे सामने बने रहे है। आप देख रहे है कि मैं अपने खोलसे बाहर निकल आया हूँ और यूरोपसे अपनी बात कहने लगा हूँ। यह एक सम्मान-रहित शान्ति है।

श्रीयुत सी० एफ० एन्ड्रयूज
बंगलौर

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

६००. पत्र : लाला गिरधारीलालको

५ अक्टूबर, १९३८

प्रिय लाला गिरधारीलाल,

आप बेकारमें शक करते हैं। मेरे या मेरे व्यवहारमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं अभी भी आपको इस्तीफा देनेका सुझाव देता हूँ। जब आपके सहयोगी ऐसा ही चाहते हैं तो इस्तीफा देनेसे इनकार करना निश्चय ही गलत बात है। वे आपसे जैसा चाहते हैं, वैसा आपसे काम नहीं ले पाते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत लाला गिरधारीलाल
मार्फत: श्रीयुत ए० हून० बार-एट-लॉ
५५ छावनी
कानपुर

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

६०१. पत्र : महादेव देसाईको

पेशावर
५ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

यहाँ सब लोग पूछते हैं, "महादेव कहाँ है?" छज्जूराम तो कहते हैं कि तार देकर महादेवको बुलाइये? मैं उन्हें अपने यहाँ बिलकुल शान्तिमें रखूँगा। आबहवा अच्छी है। मेरी इच्छा होती ही है कि तुम्हें यहाँ बुला लूँ। किन्तु इसमें जल्दबाजी नहीं करूँगा। यह ठीक है कि मेरे दिमागमें शिमला चढ़ा हुआ है। इसका समाधान तो कल ही हो जायेगा। मैं तुम्हारे पत्रोंका रोज इन्तजार करूँगा। तीन दिन तो पेशावर में हैं ही। बादमें जो हो सो ठीक। रास्तेमें कोई तकलीफ नहीं हुई। लाहौरमें लोगोंकी भीड़ थी, किन्तु वह पुलिस और सैनिकोंकी कतारके पीछे थी। मुझे यह जरा भी इच्छा नहीं लगा। लगता है, मेरा रक्तचाप तो अब बिलकुल

स्थिर हो गया है। गाड़ीमें और यहाँ पहुँचनेके बाद १६०/९८ निकला। मैंने ढेरो पत्र लिख डाले।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

फिलहाल तो नहानेकी तैयारी हो रही है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५५) से

६०२. यदि मैं चेक होता

हर हिटलरके साथ की गई व्यवस्थाको "सम्मान-रहित शान्ति" कहनेमें मेरा मंशा ब्रिटेन या फ्रासके राजनेताओको दोष देना नही था। मुझे तो इसमें कोई सन्देह नही है कि श्री चेम्बरलेन इससे किसी बेहतर व्यवस्थाके बारेमें सोच ही नही सकते थे। वे अपने राष्ट्रकी सीमाओको जानते थे। यदि युद्धसे किसी तरह बचा जा सकता तो वे उससे बचना चाहते थे। युद्ध में तो वे नही उतरे, लेकिन इसके अलावा वे चेक लोगोके पक्षमें जो-कुछ कर सकते थे, वह सब उन्होने किया। सो अगर सम्मानकी रक्षा न हो पाई तो उसमें उनका कोई दोष नही था। और हर हिटलर या महाशय मुसोलिनीके साथ जब भी ऐसा कोई संघर्ष चलेगा, वही होगा जो अब हुआ है।

अन्यथा-कुछ हो भी नही सकता। लोकतन्त्र रक्तपातसे भागता है। और ये दोनो तानाशाह जिस दर्शनको लेकर चल रहे हैं उसमें हत्या और रक्तपातसे भागना कायरता है। सगठित नरसहारकी प्रशस्तिमें वे काव्य-कलाका भण्डार रीता किये दे रहे हैं। उनकी कथनी या करनीमें किसी प्रकारका कोई दुराव-छिपाव नही है। वे युद्धके लिए सतत सन्नद्ध हैं। जर्मनी या इटलीमें उनको रोकनेवाला कोई नही है। उनका शब्द ही कानून है।

श्री चेम्बरलेन या महाशय दलादिअर[1] की स्थिति सर्वथा भिन्न है। उन्हे अपनी-अपनी संसदो, अपने-अपने चेम्बरोको सन्तुष्ट रखना है। उन्हें अपने-अपने दलोके परामर्शका ध्यान रखना है। यदि उनकी भाषामें लोकतन्त्रका स्वर बना रहना है तो वे सदा युद्धके तेवर नही दिखा सकते।

युद्ध-शास्त्र मनुष्यको सीधे तानाशाहीकी राह ले जाता है। उसे शुद्ध लोकतन्त्र की राह तो केवल अहिंसा-शास्त्र ही ले जा सकता है। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिकाको इन दोमें से कोई एक रास्ता पसन्द करना है। इन दो तानाशाहोंकी यही चुनौती है।

रूस अभी मैदानसे अलग है। रूसमें भी एक तानाशाहका शासन है, मगर वह तानाशाह शान्तिके स्वप्न देख रहा है और मानता है कि वह लहूकी नदी तैरकर

१. एदुअर्ड दलादिआर; फ्रांसके तत्कालीन प्रधानमंत्री।

उस दुनियामें पहुँच जायेगा। रूसी तानाशाही दुनियाको क्या देनेवाली है, अभी कोई नहीं कह सकता।

चेकों और उनके माध्यमसे संसारके "छोटे या कमजोर" माने जानेवाले अन्य सभी राष्ट्रोंसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ और उसे कहनेके लिए यह पूर्वपीठिका प्रस्तुत करना आवश्यक था। चेकोंसे अपने मनकी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनकी दुर्दशाने मुझे इतना विचलित कर दिया कि मेरा शरीर और मस्तिष्क भी व्यथित हो उठा और मुझे लगा कि जो विचार मेरे अन्तरमें उफन-उमड़ रहे हैं उन्हें यदि मैं चेकोंपर प्रकट न करूँ तो यह कायरता होगी। स्पष्ट है कि छोटे राष्ट्र या तो तानाशाहोंके संरक्षणमें आ जायें या आनेको तैयार हो जायें अथवा यूरोपकी शान्तिके लिए एक स्थायी खतरा बने रहें। समस्त सद्भावनाओं और शुभेच्छाओंके बावजूद इंग्लैण्ड और फ्रान्स उन्हें बचा नहीं पाये। यदि वे हस्तक्षेप करते हैं तो उसका परिणाम ऐसा भयंकर विनाश होगा जैसा दुनियाने आजतक नहीं देखा होगा। इसलिए यदि मैं चेक होऊँ तो मैं इन दोनों राष्ट्रोंको अपने राष्ट्रकी रक्षाके दायित्वसे मुक्त कर दूँ। फिर भी, अपना अस्तित्व कायम रखनेका प्रयत्न तो मुझे करना ही होगा। पर उसके लिए मैं किसी राष्ट्र या व्यक्तिका ताबेदार नहीं बनूंगा। या तो पूरी आजादीसे जीऊँगा या इस कोशिशमें मर मिटूँगा। यदि विजयकी आशासे हथियार उठाकर संघर्षमें कूद पड़ूँ तो वह मेरा दुस्साहस ही होगा। लेकिन अपनी स्वतन्त्रता के अपहर्ताको चुनौती देते हुए यदि मैं उसके आदेशाधीन होनेसे इनकार कर दूँ और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए उसका निःशस्त्र प्रतिरोध करते हुए मर मिटूँ तो इसे दुःसाहस न कहा जायेगा। इसमें मैं अपने प्राण तो गँवा दूँगा, लेकिन अपनी आत्माको, अपने सम्मानको बचा लूँगा।

इस अपमान-भरी शान्तिको मैं अपने लिए अपना जौहर दिखानेका एक अवसर मानूँ। अपने आचरण द्वारा मैं इस अपमानसे ऊपर उठनेकी कोशिश करूँ और सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करूँ।

लेकिन, सान्त्वना देते हुए हतोत्साह करनेवाले एक भाई कहते हैं, "हिटलरमें कोई दया-माया नहीं है। उसके सामने आपके आध्यात्मिक प्रयत्नोंसे कुछ बननेवाला नहीं है।"

मेरा उत्तर है: "हो सकता है, आपका कहना सही हो। इतिहासमें किसी राष्ट्र द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोधका तरीका अपनाये जानेका उदाहरण नहीं मिलता। यदि मेरे कष्ट-सहनका हिटलरपर कोई असर नहीं होता है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण उससे मैं ऐसा कुछ नहीं खोऊँगा जो सुरक्षित रखे जानेके योग्य है। सुरक्षित रखे जाने लायक तो केवल मेरा सम्मान ही है। उसका हिटलर की दया-मायासे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन अहिंसाके पुजारीके नाते अहिंसाकी सम्भावनाओंको सीमित करके देखना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अबतक तो वे और उन-जैसे अन्य व्यक्ति जो-कुछ करते आये हैं वह अपने इस निरपवाद अनुभवके आधारपर करते आये हैं कि मनुष्य बल-प्रयोगके आगे झुक जाता है। निहत्थे

पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों द्वारा, अत्याचारियोंके प्रति मनमें कोई दुर्भावना रखे बिना, अहिंसक प्रतिरोध हिटलर-जैसोंके लिए एक नया अनुभव होगा। कौन कह सकता है कि उच्चतर और सूक्ष्मतर शक्तियोंसे प्रभावित होना उनके स्वभावमें नहीं है? उनमें भी तो वही आत्मा है जो मुझमें है।"

इसपर ऐसे ही एक अन्य सज्जन कहते हैं: "आप जो-कुछ कह रहे हैं वह आपके लिए तो ठीक है। लेकिन आपके लोग इस नये प्रकारके आह्वानका उत्तर देंगे, यह आप कैसे कह सकते हैं? अबतक तो उन्होंने लड़नेकी ही शिक्षा पाई है। व्यक्तिगत शूरतामें वे संसारकी किसी भी जातिके लोगोंसे कम नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें आप उनसे अपने शस्त्रास्त्रोंको फेंक कर अहिंसात्मक प्रतिरोधका प्रशिक्षण लेनेको कहें, यह तो निरर्थक प्रयत्न-सा ही मालूम होता है।"

"आपकी बात सही हो सकती है। लेकिन मेरी अन्तरात्माने मुझे जो आदेश दिया है उसके सम्बन्धमें मुझे तो जो जरूरी है, करना ही है। मैं तो अपना सन्देश लोगोंको दूंगा ही। यह अपमान मेरे अन्तरमें इता गहरा चुभ गया है कि इसके निराकरण के लिए कुछ किये बिना मैं रह ही नहीं सकता। मुझे तो जो प्रकाश दिखाई दिया है, उसके अनुसार काम करना ही है।"

यदि मैं चेक होऊँ तो मैं मानता हूँ कि मैं यही आचरण करूँ। जब मैंने पहले-पहल सत्याग्रह आरम्भ किया, उस समय मेरा कोई साथी-सहयोगी नहीं था। हम स्त्री, पुरुष और बच्चे मिलाकर केवल तेरह हजार लोग एक सम्पूर्ण राष्ट्रके विरुद्ध खड़े थे—ऐसे राष्ट्रके विरुद्ध जिसमें हमें कुचलकर हमारा नामोनिशान मिटा देनेकी सामर्थ्य थी। मैं नहीं कह सकता था कि कौन मेरी बात सुनेगा, कौन नहीं। यह बात बिजलीकी कौंधकी-सी तेजीसे मेरे मनमें आई। तेरहों हजारमें से सब-के-सब नहीं लड़े। बहुत-से लोग पीछे हट गये। लेकिन राष्ट्रके सम्मानकी रक्षा हो गई। दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहसे एक नया इतिहास लिखा गया।

शायद इसके अधिक उपयुक्त दृष्टांत है खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँ, जो अपनेको खुदाई खिदमतगार कहते हैं और जिन्हें लोग फख्र-ए-अफगान कहकर खुश होते हैं। ये पंक्तियाँ लिखते समय वे मेरे सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने हजारों भाई-बन्धुओंसे शस्त्र-त्याग करवाया है। उनका खयाल है कि उन्होंने अहिंसाके सिद्धान्तको अपने जीवनमें उतार लिया है। अपने भाई-बन्धुओंके बारेमें वे निश्चयपूर्वक कुछ कहने की स्थितिमें नहीं हैं। उनके शान्ति-सैनिक जो प्रतिज्ञा लेते हैं वह मैं अन्यत्र दे रहा हूँ। सीमा-प्रान्त मैं इसलिए आया हूँ—या यों कहिए कि वे मुझे इसलिए यहाँ ले आये हैं—कि उनके लोग क्या कर रहे हैं, यह मैं अपनी आँखोंसे देखूँ। मैं उनको निकटसे देखे बिना एकदम कह सकता हूँ कि इन लोगोंको अहिंसाका बहुत कम मान है। इनके पास यदि कुछ है तो अपने नेताके प्रति श्रद्धा ही है। इन शान्ति-सैनिकों का उल्लेख मैं अहिंसाके सर्वांगपूर्ण दृष्टान्तकी तरह नहीं कर रहा हूँ। इनका जिक्र तो मैं एक सेनानी द्वारा अपने सह-सेनानियोंको अपने शान्ति-मार्गपर लानेके निमित्त पूरी निष्ठासे किये जा रहे प्रयत्नके दृष्टान्तके रूपमें कर रहा हूँ। मैं इस बातकी

साक्षी भर सकता हूँ कि यह निष्ठापूर्ण प्रयत्न है और अन्तमें चाहे यह सफल हो या विफल, भावी सत्याग्रही इससे अवश्य सबक सीख सकेंगे। मेरा प्रयोजन इतनेसे ही सिद्ध हो जायेगा कि मैं इनके हृदयतक पहुँचकर इन्हें यह समझा सकूँ कि आपके हाथोंमें हथियार होने और उनके प्रयोगकी योग्यतासे युक्त होनेपर आप जितनी शूरताका अनुभव करते हैं, यदि अहिंसाका वरण करनेसे आप उससे अधिक शूरताका अनुभव न करते हों, तो आपको अहिंसा — जो उस हालतमें कायरताका ही दूसरा नाम होगी — छोड़कर फिरसे शस्त्र उठा लेने चाहिए, क्योंकि सिवाय इनकी इच्छाके इन्हें फिरसे शस्त्र उठानेसे रोकने वाली और कोई चीज तो है नहीं।

सो मैं डॉ० बेनिस[1] के समक्ष कमजोरोंका नहीं, बल्कि बहादुरोंका हथियार प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी पार्थिव शक्तिके समक्ष — चाहे वह शक्ति कितनी ही बड़ी हो — घुटने टेकनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार करना और सो भी मनमें कोई कटुता रखे बिना और इस सम्पूर्ण श्रद्धाके साथ कि केवल आत्मा ही चिर है, शेष सब अचिर और नश्वर है, इससे बड़ी शूरता कुछ नहीं है।

पेशावर, ६ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-१०-१९३८

६०३. पत्र : अमृतकौरको

पेशावर

६ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

हम लोग अच्छी तरह पहुँच गये। गाड़ीमें भी रक्तचाप ठीक ही रहा।

पत्र पेशावरके पतेपर भेजो, यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

अभीतक तो यहाँ ठंड नहीं है; रातें बड़ी सुहावनी होती हैं।

मेरा मौन जारी है। मुझे इससे बड़ी शान्ति मिल रही है। और समय तथा शक्तिकी काफी बचत हो रही है।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३७) से; सौजन्य : अमृतकौर; जी० एन० ६४४६ से भी।

१. डॉ० एडवर्ड बेनिस, चेकोस्लोवाकियाके राष्ट्रपति।

६०४. साहित्यमें गन्दगी

त्रावणकोरके एक उच्च विद्यालयके प्रधानाध्यापकने मुझे लिखा है :

आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों त्रावणकोरका राजनीतिक वातावरण बहुत खराब है। उच्च विद्यालयके लड़के भी हड़ताल कर रहे हैं और दूसरोंके सामने धरना दे रहे हैं। लड़कोंका खयाल है कि आप कालेजोंके, बल्कि स्कूलोंके भी छात्रोंके हड़ताल करनेके पक्षमें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उच्च विद्यालयोंके छात्रोंको आम तौरपर लक्ष्य करके इस विषयमें अपनी राय प्रकट करें। इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

मेरा खयाल है, कुछ अत्यन्त विशेष परिस्थितियोंको छोड़कर शेष अवसरोपर कॉलेजो और स्कूलोके छात्रोके हड़ताल करनेके खिलाफ मैंने काफी लिखा है। राजनीतिक प्रदर्शनो और दलगत राजनीतिमें स्कूल-कॉलेजके छात्र भाग ले, इसे मै सरासर गलत मानता हूँ। इस तरहके जनूनसे, एकाग्र अध्ययनमें बाधा पड़ती है और विद्यार्थी भावी नागरिकोंके रूपमें ठोस कार्यके लायक नही रह जाते। लेकिन एक बात ऐसी जरूर है जिसके लिए हड़ताल करना विद्यार्थियोका कर्तव्य है। युवक कल्याण संघ (यूथ्स वेलफेयर एसोसिएशन), लाहौरके अवैतनिक मन्त्रीने मुझे एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयो द्वारा निर्धारित पाठ्य-पुस्तकोमें से अश्लील और शृंगारिक अंशोके बहुत-सारे उद्धरण दिये हैं। इन्हे पढकर मन जुगुप्सासे भर जाता है। यद्यपि ये अंश निर्धारित पाठ्य-पुस्तकोसे लिये गये है, तथापि इनको उद्धृत करके मैं इन स्तम्भोको अपवित्र नही करना चाहता। मैंने तो जितना भी साहित्य पढ़ा है, उसमें ऐसी गन्दगी कभी नही देखी, ये उद्धरण संस्कृत, फारसी और हिन्दी तीनो भाषाओंके कवियोंकी कृतियोंसे निष्पक्ष भावसे दिये गये है। साहित्यमें ऐसी गन्दी चीजोंकी ओर मेरा ध्यान सबसे पहले वर्धाके महिला-आश्रमकी लड़कियोंने और अभी हालमें देहरादूनके कन्या गुरुकुलमें शिक्षा प्राप्त कर रही मेरी पुत्र-वधू[1] ने खीचा। मेरी पुत्र-वधू अशिक्षित नही है, लेकिन आजतक उसने जितना-कुछ पढा था, उसमें उसे वैसी गन्दगी कही देखने को नही मिली जैसी इन पाठ्य-पुस्तकोमें मिली है। उसने मुझसे सहायता माँगी। मैंने हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अधिकारियोको इस सम्बन्धमें कार्रवाई करनेको लिखा है। लेकिन बड़ी संस्थाओंकी गति जरा धीमी होती है। कभी-कभी कुछ इजारेदारियाँ खडी हो जाती है। लेखकों और प्रकाशको का स्वार्थ सुधारके मार्गमें आडे आता है। साहित्यकी वेदीपर विशेष प्रकारके अगरू-धूपवत्तीकी आवश्यकता होती है। मेरी पुत्र-वधूने सुझाव रखा कि मैं चाहती

१. रामदास गांधी की पत्नी, निर्मला गांधी।

हूँ, मैं अश्लील या शृंगारिक अंशोंका अध्ययन न करूँ, भले ही मुझे परीक्षामें विफल होना पड़े। सुझाव मुझे अच्छा लगा और मैंने उसपर तत्काल स्वीकृति दे दी। इस तरह वह एक हलके ढंगकी हड़ताल ही कर रही है, लेकिन उसके प्रयोजनके लिए यह हड़ताल बिलकुल उचित और पूरी तरहसे कारगर है। लेकिन यह एक ऐसा प्रसंग है जिसको लेकर कॉलेज-स्कूलके विद्यार्थियोंका हड़ताल करना न केवल उचित होगा, बल्कि, मेरे विचारसे, अपने ऊपर ऐसा साहित्य थोपे जानेके खिलाफ विद्रोह करना उनका कर्त्तव्य होगा।

अपनी इच्छानुसार चाहे जो पढ़नेकी स्वतन्त्रताकी वकालत करना एक बात है। मगर यह बिलकुल अलग बात है कि कोमल-मन किशोर-किशोरियोंका परिचय ऐसे साहित्यसे कराया जाये जिससे निश्चय ही उनकी वासना भड़केगी और उनमें ऐसी चीजोंके बारेमें उत्सुकता जगेगी जिनके सम्बन्धमें आवश्यक ज्ञान वे यथासमय यों भी प्राप्त कर लेंगे। और जब ऐसा साहित्य बड़े-बड़े विश्वविद्यालयोंकी मुहर लगाकर निर्दोष साहित्यके रूपमें पेश किया जाता है तब तो अनिष्टमें और भी वृद्धि हो जाती है।

इस अत्यावश्यक सुधारको सबसे जल्दी सम्पन्न करवानेका उपाय यही है कि विद्यार्थी व्यवस्थित ढंगकी हड़ताल करें। ऐसी हड़तालमें प्रचण्डता बिलकुल नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियोंको सिर्फ इतना जाहिर कर देना होगा कि जिन परीक्षाओंके लिए आपत्तिजनक साहित्यका अध्ययन करना आवश्यक हो उनमें हम नहीं बैठेंगे। ऐसी अश्लीलताके खिलाफ विद्रोह करना हर पवित्रात्मा विद्यार्थीका कर्तव्य है।

संघने मुझसे कांग्रेसी मन्त्रियोंसे आपत्तिजनक पाठ्य-पुस्तकों या उनके आपत्तिजनक अंशोंको हटवानेके लिए आवश्यक कदम उठानेका अनुरोध करनेको कहा है। मैं सहर्ष ऐसा अनुरोध करता हूँ — और न केवल कांग्रेसी मन्त्रियोंसे, बल्कि सभी प्रान्तोंके शिक्षामन्त्रियोंसे। कारण, विद्यार्थियोंके मन-मस्तिष्कके स्वस्थ विकासमें तो सबकी समान रुचि होगी ही।

पेशावर, ७ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-१०-१९३८

६०५. अप्रमाणित खादी

मेरे पास ऐसी खबरें आई हैं कि जिम्मेदार कांग्रेसी भी अप्रमाणित खादी-भण्डारोंमें बेची जानेवाली खादीका उपयोग करते हैं। अप्रमाणित भण्डारोंमें बेची जानेवाली खादीके शुद्ध होनेकी कोई गारंटी नहीं है। दुर्भाग्यवश अ० भा० च० संघ द्वारा कतैयोंकी मजदूरीमें की गई भारी वृद्धिके बाद ऐसे भण्डारोंकी संख्या बहुत बढ़ गई है।

मजदूरोंके माँगे बिना उनकी मजदूरीमें वृद्धिके प्रसंग बहुत कम ही आते हैं। और ऐसा प्रसंग आनेपर बहुत-से ऐसे स्वार्थी लोग भी निकल ही आयेंगे जो मजदूरों की गरीबी या अज्ञानसे लाभ उठाकर उन्हें पहलेकी ही तरह कम मजदूरी देंगे और फलत: उनके द्वारा तैयार की गई चीजें कम दामपर बेच सकेंगे, जबकि बढ़ी हुई दरोंसे मजदूरी देनेके नियमका पालन करते हुए तैयार कराई गई वैसी ही दूसरी चीजें अधिक दामपर बेची जायेंगी। फिर, मिलके सूतके तानेवाला कपड़ा भी खादीके नामपर बेचा जाता है। शुद्ध खादी तो उसी कपड़ेको कहा जायेगा जो हाथ-कते सूतसे हाथसे ही बुना जाये और जिसके लिए मजदूरी अ० भा० च० संघकी दरोंसे दी गई हो। ऐसी खादी केवल प्रमाणित भण्डारोंमें ही मिल सकती है।

दुर्भाग्यवश कांग्रेसी लोग भी अज्ञानवश अथवा खादीमें आस्था न होनेके कारण अपने मनको बहलानेके लिए अप्रमाणित भण्डारोंसे सस्ते कपड़े खरीदकर कांग्रेसकी खादी-विषयक नीतिकी कार्यान्विततिमें बाधा डालते हैं और अपनी खरीदारीकी हदतक कतैयोंको उनकी मजदूरीमें हुई वृद्धिसे वंचित कर देते हैं। लोग यह समझ लें कि खादीकी कीमतमें जितनी वृद्धि होती है, कतैयोंकी आमदनीमें भी कम-से-कम उतनी वृद्धि तो होती ही है। 'कम-से-कम' शब्दोंका प्रयोग यहाँ मैंने जान-बूझकर किया है, क्योंकि मजदूरीमें जितनी वृद्धि की गई है वह सब-की-सब खरीदारोंकी जेबोंसे ही नहीं ली जाती।

जो कांग्रेसी नेता अ० भा० च० संघकी अनुमति लिये बिना या उसकी ओरसे कोई ऐसा निर्देश प्राप्त किये बिना खादी-भण्डार खोलते हैं, वे निश्चय ही अपनी ही संस्थाको हानि पहुँचाते हैं, धोखा-फरेबको बढ़ावा देते हैं और कांग्रेसकी नीतिको भंग करते हैं, जबकि मानव-समाजके सबसे असहाय वर्गकी अवस्था सुधारनेके लिए अ० भा० च० संघ जो प्रयत्न कर रहा है, उसमें हर तरहसे उसकी मदद करना प्रत्येक कांग्रेसीको अपना कर्तव्य और अपने लिए गौरवका विषय मानना चाहिए।

पेशावर, ७ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-१०-१९३८

६०६. सात सवाल

एक मुसलमान भाईने लिखा है:

आपको यह जानकर दुःख होगा कि हमारे प्रान्तकी हालत दिन-दिन बिगड़ती जा रही है। मुसलमानोंके बीच बड़ा क्षोभ है और वे चाहते हैं कि आप तत्काल इस ओर ध्यान दें। एक कार्य-परिषद् (काउंसिल ऑफ ऐक्शन) का गठन किया जा चुका है और हम आपके सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तके अनुसार काम करना चाहते हैं।

१. सरकार विद्या मन्दिर-योजनाको लागू करनेका आग्रह कर रही है।

२. मातृ-भाषाकी परिभाषा सम्बन्धित क्षेत्रकी मातृ-भाषा की जा रही है और इस दृष्टिसे यह क्षेत्र हिन्दी और मराठीमें बँटा हुआ है, लेकिन उर्दूको अलग कर दिया गया है।

३. उर्दू-स्कूलोंका निरीक्षण उर्दूके जानकार निरीक्षक ही करते थे; अब इस चलनको समाप्त कर दिया गया है।

४. मान्यताप्राप्त भाषाओंमें उर्दू या हिन्दुस्तानीको शामिल करनेका मेरा संशोधन विधान-सभाने अस्वीकार कर दिया है।

५. विश्वविद्यालयमें मुसलमानों और दलित वर्गोंके लिए प्रतिनिधित्वकी माँग करते हुए मैंने जो विश्वविद्यालय-विधेयक पेश किया था, वह अस्वीकृत हो गया।

६. माननीय बियाणीने चांदूर, बरारमें एक सम्मेलन किया था। वहाँ उनका जुलूस निकाला गया, जिसे जुमेकी नमाजके समय बाजेगाजेके साथ एक मस्जिदके पाससे ले जाया गया और झण्डेका अभिवादन किया गया।

७. आपकी 'महात्मा' उपाधिको सरकारी परिपत्रमें विधिवत् मान्य किया गया है, आपके जन्म-दिनपर छुट्टीकी घोषणा की गई है, और इसलिए अमरावतीके स्थानिक निकायने आधिकारिक तौरपर यह आदेश जारी किया है कि आपकी तस्वीरके साथ एक जुलूस निकाला जाये और उसकी पूजा की जाये। गांधीजी, यहाँ मैं आपसे यह नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हम मूर्तिपूजक नहीं हैं और आपको हम महात्मा अथवा अपने धार्मिक और राजनीतिक नेताके रूपमें स्वीकार नहीं करते।

ये शिकायतें चाहे जैसी हों, पत्र-लेखक भाई तथा उनके अनुयायी यदि सत्य और अहिंसाका पालन करें तो सब ठीक ही होगा, और इस तरह आचरण करनेके

बाद हम पायेंगे कि दोनो पक्ष एक-दूसरेके पहलेसे अधिक निकट आये हैं तथा गलतफहमीका कुहासा छँट गया है।

जहाँतक इन शिकायतोकी बात है, मुझे पत्र-लेखक महोदय तथा मुझसे असम्भवकी अपेक्षा रखनेवाले अन्य लोगोको आगाह कर देना चाहिए कि वैसे तो मेरा जितना भी प्रभाव है, उसका उपयोग मै दोनो समुदायोके कल्याण और पारस्परिक सद्भावनाके निमित्त करनेको बराबर तैयार हूँ, किन्तु मेरी कुछ गम्भीर मर्यादाएँ है। यदि मै हर कांग्रेसी मन्त्रीके खिलाफ की गई हर शिकायतकी जाँच करने लगूँ तो दो दिन भी जिन्दा न रह पाऊँ। इस कामके लिए कार्य-समितिने एक संसदीय उपसमिति बना ही रखी है।

लेकिन इन शिकायतोके सम्बन्धमें मोटे तौरपर कुछ कहना चाहूँ तो निम्न प्रकार कह सकता हूँ:

१. जहाँतक मै समझ सकता हूँ, उक्त योजना में मुझे तो कोई बुराई नजर नही आती। मुझे मालूम है कि कुछ मुसलमानोने 'मन्दिर' नामपर आपत्ति की है। शुक्लजीने स्पष्ट कह दिया है कि यदि मुसलमान लडको या उनके माता-पिताओको विद्यामन्दिर कही जानेवाली शालाओमें जानेमें कोई एतराज हो तो उन्हे अरबी नामवाले स्कूलोमें जानेकी पूरी सुविधा रहेगी। लेकिन, यहाँ तो निश्चय ही कुछ ले-देकर मामला निबटा देनेकी बात है। "मन्दिर" शब्दका अर्थ केवल धार्मिक ही नही है। जब इसके साथ कोई विशेषतासूचक विशेषण जुडा रहता है तो इसका मतलब केवल घर होता है। और ऐसा प्रयोग कम होता हो, यह बात भी नही है।

२ सचमुच क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन किसी क्षेत्रकी मातृभाषा तो वही है जो उस क्षेत्रके लोग आम तौरपर बोलते है।

३. उर्दू निरीक्षकोको यदि केवल इसलिए अलग कर दिया गया है कि वे सिर्फ उर्दू जानते है, तो यह अनुचित जान पड़ता है।

४. जहाँतक उर्दू या हिन्दुस्तानीको मातृभाषा मान्य करनेके लिए पेश किये गये संशोधनकी बात है, मै इस प्रश्नके गुण-दोषसे अनभिज्ञ हूँ।

५ यही बात इस विधेयकपर भी लागू होती है।

६. यदि जुमेकी नमाजके समय मसजिदके सामने गाना-बजाना हुआ तो यह निश्चय ही अनुचित था। लेकिन इस आरोपकी पुष्टिके लिए मै बहुत ही सबल प्रमाण चाहूँगा।

७ इसमें एक शिकायत भी है और एक कथन भी। दोनोका मै हृदयसे अनुमोदन करता हूँ। "महात्मा" उपाधिको सरकारी तौरपर मान्यता देना गलत था। ज्योही यह बात मेरे ध्यानमें लाई गई, मैने इसके खिलाफ अपना एतराज जाहिर कर दिया था। मेरे नामके साथ "महात्मा" शब्दका प्रयोग बन्द करानेके लिए शुरू किये गये किसी भी आन्दोलनका मै समर्थन करूँगा। इस विशेषणके बिना ही मेरा नाम कानोको अच्छा लगता है। यह विशेषण तो बहुधा बड़ा अप्रिय लगता है—जैसेकि जब इसका प्रयोग असत्य या हिंसाको, धूम्रपान या मद्यपानको अथवा

नकली खादीकी बिक्रीको प्रोत्साहन देनेके लिए किया जाता है। मेरे जन्म-दिनका अवकाश-दिवस घोषित किया जाना हस्तक्षेप्य अपराधकी कोटिमें रखा जाना चाहिए। अपने जन्म-दिनका एकमात्र उपयोग मैंने यह माना है कि उस दिन जुटकर कताई की जाये अथवा ऐसी ही कोई राष्ट्र-सेवा की जाये। वह दिन क्रीड़ा-दिवस नहीं बल्कि सम्पूर्ण रूपसे कर्म-दिवस माना जाना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी प्रतिमाके साथ जुलूस निकालने और उस प्रतिमाकी पूजा करनेका आदेश जारी करनेकी मूर्खता कोई स्थानिक निकाय कैसे कर सकता है। मैं तो यही आशा कर रहा हूँ कि पत्र-लेखक भाईको शायद बिलकुल गलत खबर मिली। मैं तो यह मानना चाहूँगा कि ऐसा आदेश देना सर्वथा नियम-विरुद्ध था। पत्र-लेखक द्वारा की गई अपनी मान्यता और अस्वीकृतिकी घोषणापर मैं उन्हें बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरे मनमें धार्मिक या राजनीतिक नेता बननेकी कभी कोई चाह नहीं रही।

पेशावर, ७ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-१०-१९३८

६०७. पत्र : महादेव देसाईको

पेशावर

७ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। हमें प्रतिकूल परिस्थितियोंको जीतना ही होगा।

यहाँ मुझे अत्यधिक शान्ति मिल रही है। खानसाहब किसीको नहीं आने देते। डाक यहाँसे वहाँ भटक रही है इसलिए मैं जी-भरकर लेख लिख रहा हूँ। मैंने यूरोपसे वार्तालाप करना शुरू कर दिया है। यदि वे मुझे मूर्ख मानकर फाँसकी तरह निकाल फेंकें तो अच्छा ही है। उस लेखका शीर्षक है "इफ आई वर ए चेक" (यदि मैं चेक होता)। एक लेख प्यारेलालने भी लिखा है। यों तो मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है, किन्तु विकार और ममताकी मात्रा बढ़ी हुई है। यह बात मुझे चुभती है। मैं आशा लगाये हूँ कि यह दब जायेगी।

आशा है, तुम दुर्गाको रोज घुमाने ले जाते होगे। अबतक घूमने-फिरनेकी ताकत तो आ जानी चाहिए। वह सरस्वती[1] से मिले तो सही। उससे वह अपना उपचार करा देखे।

बापूके आशीर्वाद

१. सरस्वती गाडोदिया।

[पुनश्च :]

. . . कैसा है ?[1]

मेरी समझमें नही आता कि राजकुमारीका पत्र कैसे गड़बड़ हो गया।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५६)से।

६०८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

पेशावर
७ अक्टूबर, १९३८

बा,

यदि तूने अपने और लक्ष्मी[2] के स्वास्थ्यके बारेमे अबतक मुझे न लिखा हो तो अब लिखना। हम लोग आरामसे पहुँच गये थे। अभी ठंड शुरू नही हुई है। मेरा मौन चल ही रहा है। फिलहाल तो हम पेशावरमें हैं। अतः पेशावरके पतेपर पत्र लिखवाना। आशा है, वहाँ गरमी कम हो गई होगी। मुझसे कोई मिल नही पाता। खानसाहब किसीको आने नही देते। सुशीला आनन्दपूर्वक है। कानमसे लिखनेको कहना और उसे रोज घूमने भेजना।

बापूके आशावाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २८-९

६०९. तर्कसम्मत निष्कर्ष

युद्धका खतरा फिलहाल टल गया है, इसपर सबको प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए। लेकिन इसके लिए जो कीमत देनी पड़ी है वह क्या भारी भी साबित हो सकती है ? क्या ऐसा भी सम्भव है कि इसके लिए सम्मानका सौदा करना पड़ा हो ? क्या यह संगठित हिंसाकी विजय है ? क्या हर हिटलरने हिंसाको संगठित करने की कोई ऐसी नई युक्ति ढूंढ़ ली है जिससे वे खूनकी एक बूंद बहाये बिना अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते है। मैं यूरोपीय राजनीतिका जानकार होनेका दावा नही करता। लेकिन मुझे यह अवश्य लगता है कि यूरोपके छोटे राष्ट्र अपना ऊँचा सिर रखकर नही जी सकते। उनके बड़े पड़ोसी उन्हें लीलकर रहेंगे। उन्हें सामन्ती राज्य बनकर रहना पड़ेगा।

१. यहाँ एक वाक्य अस्पष्ट है।
२. देवदास गांधीकी पत्नी।

चार दिनोंकी चाँदनीके लिए, इस क्षण-भंगुर पार्थिव अस्तित्वके लिए यूरोपने अपनी आत्माको गिरवी रख दिया है। जो शान्ति उसने म्यूनिखमें प्राप्त की है, वह हिंसाकी विजय है; साथ ही वह यूरोपकी पराजय भी है। यदि इंग्लैंड और फ्रान्सको अपनी विजयका भरोसा होता तो निश्चय ही उन्होंने चेकोस्लोवाकियाको बचाने या उसके साथ ही मिट जानेका अपना कर्तव्य पूरा किया होता। लेकिन जर्मनी और इटलीकी संयुक्त हिंसा-शक्तिके सामने उन्होंने घुटने टेक दिये। मगर जर्मनी और इटलीको क्या मिला। क्या उन्होंने मानव जातिकी कोई नैतिक श्रीवृद्धि की?

ये पंक्तियाँ लिखते हुए मेरे मनमें बड़ी शक्तियोंका कोई खयाल नहीं है। उनकी ऊँचाई तो मुझे चकाचौंध कर देती है। मगर चेकोस्लोवाकियाकी जो दशा हुई वह मेरे लिए और हम भारतवासियोंके लिए अच्छा सबक है। अपने दो शक्तिशाली मित्र देशोंके किनाराकशी कर लेनेके बाद चेक लोगोंने जो-कुछ किया उसके अलावा वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर भी, मैं यह कहनेकी धृष्टता करूँगा कि यदि उन्हें राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षाके लिए एक अस्त्र की तरह अहिंसाका उपयोग मालूम होता तो उन्होंने इटली सहित जर्मनीकी समस्त शक्तिका सामना किया होता। उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांसको उस शान्तिके लिए गिड़गिड़ानेकी अपमानजनक स्थितिमें पड़नेसे बचा लिया होता जो वास्तवमें शान्ति थी ही नहीं। अपने सम्मानकी रक्षाके लिए उन लुटेरोंके खूनकी एक बूँद भी बहाये बिना उनमें से एक-एकने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये होते। मैं यह माननेको तैयार नहीं हूँ कि ऐसी वीरता — या चाहिए तो कहिए ऐसा संयम — मानव-स्वभावसे परे है। मनुष्य अपने सच्चे स्वभावका साक्षात्कार तो तभी पायेगा जब वह भली-भाँति समझ लेगा कि मनुष्य बननेके लिए पशुता या दानवताका त्याग करना आवश्यक है। हमें मानव-शरीर जरूर मिल गया है, किन्तु अहिंसाका सद्‌गुण प्राप्त किये बिना, गुण-धर्मकी दृष्टिसे, हम आज भी हमारे आदिपूर्वज माने जानेवाले उरांगउटांगोंके ही समान हैं।

ये शब्द मैं व्यर्थ ही नहीं लिख रहा हूँ। चेक भाइयोंको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जिस समय उनके भाग्यका निबटारा किया जा रहा था, कार्य-समिति व्यथासे व्याकुल थी।[1] यह व्यथा एक तरहसे सर्वथा स्वार्थजन्य थी। लेकिन इसीलिए वह अधिक यथार्थ भी थी। कारण, यद्यपि जनसंख्याकी दृष्टिसे हम एक बड़े राष्ट्रके हैं,

१. इस अवसरपर कांग्रेसकी कार्य-समितिने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था: "यूरोपके वर्तनाक्रमकी ओर कार्य-समिति बड़े ध्यानसे देखती रही है। चेकोस्लोवाकियाकी आजादी छीनने या उसे निस्सत्त्व बना देनेके लिए जर्मनी निर्लज्जताके साथ जो प्रयत्न कर रहा है, उसे कार्य-समिति चिन्तातुर दृष्टिसे देख रही है। अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए चेकोस्लोवाकियाके बहादुर-लोगोंके संघर्षके प्रति समिति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करती है। भारत स्वयं ही विश्वकी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तिके विरुद्ध अहिंसक, किन्तु प्रचण्ड और बड़े-बड़े बलिदानोंकी अपेक्षा रखनेवाले संघर्षमें जुटा हुआ है, इसलिए चेकोस्लोवाकियाकी स्वतन्त्रताकी रक्षामें उसकी गहरी रुचि सहज-स्वाभाविक है। समिति आशा करती है कि मनुष्यमें जो-कुछ श्रेष्ठ है, अब भी अपनी श्रेष्ठता दिखायेगा और मानवताको इस आसन्न विनाशसे उबार ले जायेगा"।

किन्तु यूरोपके सामने, अर्थात् वैज्ञानिक आधारपर संगठित हिंसा-शक्तिके सामने, हम चेकोस्लोवाकियासे भी छोटे है। हमारी स्वतंत्रता न केवल खतरेमें पड़ी हुई है, बल्कि हम उससे वंचित है और उसे पुनः प्राप्त करनेको संघर्ष-रत है। चेक लोग पूर्णतः शस्त्र-सज्जित है; हम सर्वथा नि:शस्त्र। इसलिए कार्य-समिति इस बातपर विचार करने बैठी कि चेक लोगोके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है। यदि युद्धके बादल हमपर फट पड़ें तो काग्रेस क्या करे। तब क्या हमें इंग्लैंडके साथ अपनी स्वतन्त्रताके लिए सौदेबाजी करनी चाहिए और चेकोस्लोवाकियाके साथ मैत्रीका दिखावा करना चाहिए? या कि हमें अपने सिद्धान्तपर दृढ़ रहकर विपदग्रस्त मानवताकी परीक्षाकी घड़ीमें यह कहना चाहिए कि अपने सिद्धान्तके अनुसार हम युद्धमे किसी प्रकारसे भाग नही ले सकते, भले ही देखने में ऐसा लगे कि वह युद्ध चेकोस्लोवाकियाकी रक्षाके लिए लड़ा जा रहा है—चेकोस्लोवाकिया, जिसका अस्तित्व ही खतरेमें पडा है। और यदि यह स्थिति है तो इसमें उसका कोई दोष नही है या है तो बस इतना कि वह इतना छोटा है कि अपने बूतेपर अपनी रक्षा नही कर सकता। कार्य-समिति लगभग इस निष्कर्षपर पहुँच चुकी थी कि वह इंग्लैंडसे सौदेबाजी करनेके अवसरका लाभ नही उठायेगी, बल्कि अपने कार्योंसे दुनियाको यह बतायेगी कि सम्मानजनक शान्तिका रास्ता दोनों पक्षोके निर्दोष लोगोका संहार करना नही है, वरन् इसका एकमात्र सच्चा रास्ता अपने प्राणोतक की बलि चढ़ाकर संगठित अहिंसाका पालन करना है; और संसारको ऐसा बताकर वह विश्व-शान्तिमें भी योगदान करेगी और चेकोस्लोवाकियाकी रक्षा तथा भारतकी स्वतन्त्रतामें भी अपना योग देगी।

और यदि कार्य-समितिको अपने सिद्धान्तके प्रति ईमानदार रहना था तो उसके लिए यह कदम उठाना तर्कसम्मत और स्वाभाविक ही था। यदि भारत अहिंसाके बलपर अपनी आजादी हासिल कर सकता है—और काग्रेसियोको यह मानकर चलना है कि वह कर सकता है—तो वह अपनी आजादीकी हिफाजत भी उसी रास्तेसे कर सकता है; और जब भारत ऐसा कर सकता है तो चेकोस्लोवाकिया-जैसा छोटा देश तो और भी आसानीसे कर सकता है।

अगर लड़ाई छिड़ जाती तो कार्य-समिति सचमुच क्या करती, मैं नही कह सकता। लेकिन लड़ाई अभी सिर्फ स्थगित हुई है। दम लेने-भरको जो समय मिला है, उसके दौरान मैं चेक लोगोके स्वीकारार्थ अहिंसाका मार्ग सुझाता हूँ। उनके भाग्यमें क्या लिखा है, अभीतक उन्हें मालूम नही है। अहिंसाके इस मार्गको आजमा कर देखनेमें उन्हें कुछ गँवाना नही है। गणतान्त्रिक स्पेनका भाग्य अधरमें लटका हुआ है। यही हाल चीनका भी है। अन्तमें यदि इन सबकी पराजय होती है तो वह इसलिए नही होगी कि इनका पक्ष न्यायसगत नही है, बल्कि इसलिए होगी कि वे विनाशके विज्ञानमें कम निष्णात है या इसलिए कि उनके पास संख्या-बल कम है। यदि गणतान्त्रिक स्पेनके पास फ्रैंकोवाली साधन-सामग्री हो तो उसे क्या मिल जायेगा, चीनके पास जापानके जैसा युद्ध-कौशल हो तो उसे क्या हासिल हो जायेगा, या चेकोके पास हिटलरवाली कुशलता हो तो वही क्या प्राप्त कर लेगे?

मैं तो यह कहूँगा कि यदि चेकोस्लोवाकियामें प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थितिमें भी उसके एक-एक सपूतके मर मिटनेतक लड़नेकी शूरता है — और वास्तवमें है भी — तो लड़नेसे इनकार करने और साथ ही आततायियोंके सम्मुख सिर न झुकानेमें कहीं और बड़ा पुरुषार्थ है। जब दोनों स्थितियोंमें मृत्यु निश्चित है तो शत्रुके विरुद्ध अपने हृदयमें कोई द्वेष रखे बिना खुले सीनेपर उसके प्रहारोंको झेलते हुए मृत्युका वरण करना क्या अधिक श्रेयस्कर, अधिक भव्य नही है?

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ८-१०-१९३८

६१०. तार: अमृतकौरको

पेशावर
८ अक्टूबर, १९३८

राजकुमारी अमृतकौर
मेनरविले
शिमला

महादेव तुम्हारे यहाँ है यह जानकर खुशी हुई। कल उतमनजई जा रहा हूँ। सकुशल हूँ। आशा है तुम ठीकठाक होगी। सस्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८५) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ७०४१ से भी।

६११. पत्र: अमृतकौरको

पेशावर
८ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मुझे खुशी है कि तुम्हारा पत्र और तार मुझे मिला, उससे पहले ही मैंने तुम्हें तार भेज दिया था।

प्रयोग[1] बन्द करनेकी खबर तुम्हें नहीं दी, इसके लिए मैं माफी नहीं माँगता। तुम्हें इसका आभास तो करा ही दिया था। फिर, उसकी समाप्तिकी घोषणा करते हुए एक 'टिप्पणी'[2] भी मैंने लिखी। तुम्हें उसकी जानकारी न देना चाहता होऊँ,

१. नारीके शारीरिक सम्पर्कसे सम्बन्धित प्रयोग।
२. देखिए पृ० ४०३-४।

ऐसी कोई बात नही थी। साथमें टिप्पणीकी एक नकल भेज रहा हूँ। महादेवके पास शायद सहज सुलभ न हो। तुम न पढ़ सको तो महादेव तुम्हें पढ़कर सुना दे। नकल कनुकी लिखावटमें है।

इसी तरह महादेवके पत्रकी बात तुम्हे नही बतानेपर भी मैं माफी नहीं माँग रहा हूँ। महादेवका अनुमान था (और यह अनुमान गलत था) कि उसके साथ तुम्हारी जो बातचीत हुई उसके मुताबिक कुछ — जो अभी मुझे याद नहीं — हुआ है। लेकिन चूँकि दरअसल कुछ हुआ नही था और महादेवने मुझसे कहा था कि अगर उसका अनुमान गलत हो तो इसके बारेमें तुम्हे कुछ न बताऊँ, इसलिए मैंने जो-कुछ किया ठीक ही किया। तुमसे उसकी चर्चा करना भी मेरे लिए गलत होता, क्योंकि उसमें नाहक तुम्हारा समय भी बर्बाद होता और मेरा भी। मान लो, यह मानकर कि तुम अपने चेहरेपर रोज रंग-रोगन लगाती हो, कोई तुम्हारे बारेमें अपशब्द कहता है तो मैं उसकी गलतफहमी तो जरूर दूर कर दूंगा, लेकिन . . .।[1] आशा है, अब तुम बातको समझ गई होगी। वैसे माफी माँगनेके लिए मैं तुमसे भी नही कहता।

जितना आराम मुझे खानसाहब दे रहे है, उतना आराम तो मुझे कभी भी मयस्सर नही हुआ। न कोई मुलाकाती और न लगभग कोई बातचीत — पुर्जेपर लिखकर की जानेवाली बातचीत भी नही। नतीजा यह है कि मै सहज ही 'हरिजन' के लिए पाँच लेख लिख गया हूँ।

यूरोपकी स्थितिसे सम्बन्धित लेखोके विषयमें अपनी राय बताना।

एन० एन० जोशीके बारेमें तुम्हारी राय सही है। वह अंट-संट बक जाता है और उसे इसका भान भी नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है। मगर कार्यकर्ता अच्छा है।

इस दौरेसे मैंने एक सबक तो सीखा ही है। मुझे तुमपर इतना अधिक बोझ नही डालना चाहिए। जिस कामको मैंने हल्का-फुल्का समझा था, स्पष्ट है, वह तुम्हारी शक्तिको बहुत ज्यादा खपानेवाला साबित हुआ है। आशा है, तुम अपना पहलेवाला स्वास्थ्य, वह जैसा भी था, फिर प्राप्त कर लोगी।

मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दादीकी-जैसी शुश्रूषा और देखभालमें महादेव वगैरहका स्वास्थ्य तो तेजीसे सुधरेगा ही। मै इस बातके लिए उत्सुक था कि एम० तुम्हारा निमन्त्रण स्वीकार कर ले। और शम्मी भी तो वहीं है — ऐसे प्रसंगोके लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति। मै तुम्हारे दैनिक बुलेटिन, रोज-रोजकी प्रगतिका समाचार देनेवाले पत्रकी राह देखूँगा।

हम लोग खूब मजेमें है। अभीतक सर्दी नही पड़ रही। इधर कुछ दिनोसे मैं जितना ठीक महसूस कर रहा हूँ, उतना ठीक महसूस कभी नही किया। बीचमें कुछ

१. मूल अंग्रेजी वाक्यसे इससे आगे के अंशका कोई संगत अर्थ नहीं निकलता। इसलिए उस अंशका अनुवाद नहीं दिया जा रहा है।

व्यवधान जरूर पड़ता है, क्योंकि वह विषय-रूपी शैतान मुझपर हावी हो जाता है। जब वह आक्रमण करता है, मैं परेशान जरूर हो उठता हूँ। लेकिन यह स्थिति भी कालान्तरमें दूर हो जायेगी। इस तरह तुम देख सकती हो कि बहुत जरूरी बातें तो मैं तुम्हें बताता ही रहता हूँ। लेकिन इस बातको लेकर तुम घबराना मत। यह मुझे परेशान तो करती है, लेकिन मैं इससे घबरा जाता होऊँ या मेरे मनपर कोई अवसाद छा जाता हो, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर-साक्षात्कारके लिए प्रयत्नशील रहता हूँ।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३८) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४४७ से भी।

६१२. पत्र : महादेव देसाईको

८ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

शिमलामें भी अब तुम पुराने हो गये हो। दुर्गा और बाबलाको खूब घूमना चाहिए। वहाँ दुर्गाका दर्द भी चला जाना चाहिए। तुम सब लोग यदि वहाँ नंगे बदन धूप-स्नान ले सको तो कितना अच्छा हो। बहुत अधिक पढ़नेकी बजाय कातना, यहाँ-वहाँ खूब घूमना और खेलना। और जितना दूध पी सको और जितने फल खा सको उतने खाना। यदि स्टोक्स आ सकते हो तो उन्हें बुलाना। वहाँ जाना तुम्हारे बसका नहीं है। उनके लिए आना खेलकी बात होगी। मैं अच्छा हूँ। सुशीलाको मैं हर बार अपने साथ खाना खिलाता हूँ। जिससे वह ठीक तरह खा पाती है। हालमें इतनी शान्तिसे वह शायद ही किसी दिन खा पाई होगी। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अमतुस्सलाम भी ठीक है। किन्तु ठीक कहना भी क्या उसे सहन होगा? मैंने थकावट महसूस किये बिना पाँच लेख लिखे हैं। खानसाहबकी वजहसे मुझे अपार शान्ति मिल रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६५७) से।

६१३. पत्र : मीराबहनको

उतमनजई
९ अक्टूबर, १९३८

चि० मीरा,

तुम सबके कुछ कहनेसे पहले ही मैं तुम लोगोंके मन की कर चुका हूँ, क्योंकि मैं यूरोपीय समस्या-सागरमें गोता लगा चुका हूँ। लेखोंके बारेमें — इसलिए कि मैंने एक लेख और लिखा है — अपने विचार बताना।

सुशीला मेरे साथ है और सकुशल है। अमतुस्सलाम बिलकुल ठीक लगती है। महादेव वैसे तो बिलकुल ठीक है, लेकिन दिमागसे बिलकुल रीत गया है। आजकल वह शिमलामें है।

हम लोग अभी-अभी उतमनजई पहुँचे हैं।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०६)से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १०००२ से भी।

६१४. पत्र : महादेव देसाईको

उतमनजई
९ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारा दिल्लीसे लिखा पत्र मैंने अभी पढ़ा। तुम्हें मौन अवश्य रखना चाहिए। मैं तो तुम्हें लिख ही चुका हूँ। कम ही पढ़ना और बातें भी कम ही करना। घूमना-फिरना, हँसना-खेलना, सोना और कातना। सोनेमें तनिक भी संकोच मत करना। यदि तुम वहाँ भी मिट्टीकी पट्टी लो तो अच्छा ही है। पट्टी पेटपर रखना। माथेपर पट्टी रखनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो विश्वास है कि वहाँकी आबो-हवासे तुम्हें खूब फायदा अवश्य होना चाहिए। ताराका तुम्हारे नाम लिखा पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ।

तुम्हारे नाम आनेवाली डाकको यहाँ भेजनेके बारेमें यदि तुमने डाकघरको न लिखा हो तो लिख देना। प्यारेलालकी तलवार तो झूलती ही रहेगी। लेकिन फिलहाल वह काममें डूबा हुआ है।

हम अभी-अभी उतमनजई पहुँचे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

गनी और लाली, दोनों भाई यहीं हैं।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० १०६५८)से

६१५. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको

[९ अक्टूबर, १९३८][1]

चि० अमृतलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि तुम वत्सलाको पढ़ा सको तो पढ़ाना। शारदाने स्वयं ही जो माँग की उसका मैंने स्वागत किया। यह सम्भव है कि [व्यक्तियोंका या वस्तुओंके विषयमें लोगोंकी] नापसंदगियोंके बारेमें मैंने प्रसंगवश जो कहा है और विजयाके मामलेमें जो निर्णय दिया है, उसका असर हुआ हो। उसे लगनसे संगीत सिखाना। मैं यह मानता हूँ कि उसे जो-कुछ सिखाया जायेगा, वह सफल होगा। यह तो अच्छा ही है कि तुम्हें बालकोबाको समय देना पड़ता है।

मैं आजकी डाक तुम्हारे नाम भेज रहा हूँ। सबको उनके नाम लिखे पत्र दे देना।

हम आज उतमनजई पहुँचे हैं।

इधर हालमें मुझे विजयाका कोई पत्र नहीं मिला।

सुशीलाका कहना है कि रिपोर्टमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे चिन्ता हो।

बापूके आशीर्वाद

श्री अमृतलाल नानावटी
आश्रम
सेगाँव, वर्धाके निकट

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७५) से।

१. गांधीजी ९ अक्टूबर, १९३८ को उतमनजई पहुँचे थे।

६१६. पत्र : शारदा चि० शाहको

९ अक्टूबर, १९३८

चि० बबुड़ी,

तू व्यावहारिक पत्र लिखना ठीक तरहसे सीख गई है। एक भी शब्द अधिक नही। कितना नीरस पत्र है!

हम आज उतमनजई पहुँचे है। मौन जारी है।

हम सब तो ठीक है पर बा दिल्लीमें काफी कष्ट भोग रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० १०००२) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

६१७. पत्र : कृष्णचन्द्रको

उतमनजई

९ अक्टूबर, १९३८

चि० कृष्णचंद्र,

तुमारे तीन खत मिले। लिंडलोअरकी पुस्तक हमारे पास है तो भी तुमारे मंगवाना है तो अवश्य मंगाओ। भले घरसे इतने पैसे आवे। मैं बलात्कारसे तुमारे पास कुछ भी कराना नही चाहता हूं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०६) से।

६१८. पत्र : प्रभुदयाल विद्यार्थीको

उतमनजई
९ अक्टूबर, १९३८

चि० प्रभुदयाल,

तुमारा खत मिला। अच्छी बात है कि सब हकीकत इकट्ठी कर रहा है। और वहाँ रह जानेका प्रलोभन नही होता है, सो भी अच्छा है।

हम आज खानसाहबके गाँव आये।

बापुके आशीर्वाद

श्री प्रभुदयाल
मार्फत – पं० राजाराम
पक्का बाजार, बस्ती (यू० पी०)

पत्रकी फोटो-नक़ल (जी० एन० ११६७१) से।

६१९. पत्र : स्टुअर्ट मॉरिसको[1]

पेशावर
१० अक्टूबर, १९३८

प्रिय मित्र,

आपके २६ सितम्बरके पत्रके लिए धन्यवाद।

समझमें नहीं आता कि आपको ऐसा क्यों लगा कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूने आपकी अवहेलना की। ऐसा वे कभी करते नहीं हैं। मैं आपकी इस बातसे पूरी तरह सहमत हूँ कि आप इंग्लैंड जानेवाले अधिक-से-अधिक भारतीयोंके साथ सम्पर्क स्थापित करें। साथ ही आपको यह भी भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय शान्तिमय तरीकोंमें विश्वास नहीं रखता। आपकी तरह हमारे यहाँ भी कई विचारधाराएँ हैं। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि भविष्य उन्हीका साथ देगा जो

१. एक शान्तिवादी संगठन "पीस प्लैज यूनियन" से सम्बन्धित।

शान्ति और शान्तिमय उपायोमें विश्वास रखते हैं। हमने इन उपायोकी तथा इनकी विशाल सम्भावनाओकी अभी आधी भी छानबीन नहीं की है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

स्टुअर्ट मॉरिस महोदय
लन्दन डब्ल्यू०–१

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

६२०. बातचीत : अब्दुल गफ्फार खांके साथ[1]

[१० अक्टूबर, १९३८][2]

मेरे मनमें यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि अगर हम पुलिस और सेना की मददके बिना इन सरहदी हमलोको रोकनेकी शक्ति अपने अन्दर पैदा नही कर सकते तो इस प्रान्तमें कांग्रेसका हुकूमत करते रहनेका कोई मतलब नही है, क्योंकि उस हालतमें तो आखिर हमारी हार होना तय ही है। सयाना सेनापति किसी मोर्चेपर अपनी पूरी शिकस्त होनेतक इन्तजार नही करता रहता; वह तो ज्योंही देखता है कि इस मोर्चेपर टिके रहनेकी ताकत उसमें नही है, फौरन अपना लाव-लश्कर व्यवस्थित ढंगसे पीछे हटा लेता है। सरहद पारके इन लोगोके बीच जाकर रहनेका सपना मैं बरसोसे सँजोता रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सीमा-प्रान्तके सवालका स्थायी हल निकालनेका रास्ता सिर्फ शान्ति और समझदारीसे काम लेना ही है। आपकी खुदाई खिदमतगार सेनामें अगर अपने नामके मुताबिक गुण भी है — और होना तो ऐसा ही चाहिए — तो मुझे भरोसा है कि हम यह बड़ा काम करके दिखा सकते हैं।

इसलिए मैं यह जाननेको बहुत उत्सुक हूँ कि खुदाई खिदमतगारोंने अहिंसाकी भावनाको कहाँतक समझा-पचाया है, वे आज कहाँ खड़े हैं और मुझे तथा आपको भविष्यमें किस रीतिसे काम लेना चाहिए।

दक्षिण आफ्रिकामें तो हमारे केवल १३,००० सत्याग्रही देशभाइयोके दलने संघ-सरकारकी शक्तिके खिलाफ खड़े होकर अपनी आन-बानकी रक्षा कर ली थी। जनरल स्मट्सने बिना कोई मुआवजा दिये ५०,००० चीनियोका बोरिया-बिस्तर वहाँसे छः महीनेके अन्दर गोल करवा दिया, लेकिन वे उन भारतीयोको नही निकाल पाये। यदि हम अहिंसाके रास्तेसे बहक जाते तो हमें कुचल डालनेमें उन्हें कोई हिचक नहीं

१. प्यारेलालके "इन द फ्रन्टियर प्रोविंस-१" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।
२. देखिए अगला शीर्षक।

होती। वह कौन-सा काम है जो अहिंसात्मक तरीकोंके उपयोगका प्रशिक्षण पाये एक लाख खुदाई खिदमतगार नही कर सकते?

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-१०-१९३८

६२१. पत्र : महादेव देसाईको

उतमनजई
१० अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हें शिमला अनुकूल आया होगा। दिल्ली और शिमलाके पतेपर लिखे मेरे पत्र तुम्हें मिले होंगे। खानसाहबसे बातचीत-भर करनेको १५ मिनटके लिए आज मैंने पहली बार अपना मौन तोड़ा। पूरा मामला बुरी तरह उलझा हुआ है।

मेरा स्वास्थ्य अभी तो ठीक साथ दे रहा है। खूब सोता हूँ। कहा जा सकता है कि सुशीलाके शरीरमें ताकत आ गई है। उसे मैं अपने साथ ही खाना खिलाता हूँ, इसलिए नियमका पालन करती है। बाकी तो राजसी ठाठ-बाट हैं। खाने-पीनेका कोई निश्चित समय नही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके साथ कुछ-एक पत्र भेज रहा हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एम० एन० ११६५९) से।

६२२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

उतमनजई
१० अक्टूबर, १९३८

यूरोपकी कुछ-एक चीजें अपनाने लायक हैं। जिनमें से एक उनका कैलेण्डर भी है। हमारे पंचांग व्यवहारके विरुद्ध हैं। इसलिए मकान-किराये आदिके मामलेमें जहाँ उक्त कैलेण्डरको अपनाया जा सके वहाँ उसे अपनानेपर मेरा जोर अवश्य है।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० १६८

६२३. भाषण : लालकुर्ती-दलके अधिकारियोंके समक्ष

[१० अक्टूबर, १९३८ के पश्चात्][1]

हम भाग्यशाली है कि हमारे बीच यहाँ बादशाह खान-जैसे सच्चे, ईमानदार और ईश्वरभीरु व्यक्ति है। हजारो पठानों द्वारा शस्त्र त्याग देनेका जो चमत्कार हुआ, उसका सारा श्रेय उन्हीको है। कोई नही कह सकता कि भविष्यमे क्या होगा। हो सकता है कि सभी खुदाई खिदमतगार, अपने नामके अनुरूप, ईश्वरके सच्चे सेवक साबित न हो। लेकिन उसके बावजूद, अबतक की जो उपलब्धि है, वह कोई कम आश्चर्यजनक नही है। मै आपसे उम्मीद रखता हूँ कि चाहे कोई आपपर कितने ही अमानवीय अत्याचार क्यो न करे, आप अग्नि-परीक्षाकी उस घडीका सामना प्रसन्न मनसे करेंगे; और ईश्वरका नाम लेते हुए, अपने मनमें भय, क्रोध या बदले की भावनाका लेश भी न रखते हुए मृत्युका आलिंगन करेंगे। यही सबसे ऊँचे दर्जेकी बहादुरी होगी। तलवारसे लडना भी एक प्रकारकी बहादुरी है। लेकिन खुद मरना मारनेसे कही अधिक बहादुरीका काम है। वही सच्चा बहादुर है और वही वास्तविक अर्थमें शहीद कहलायेगा जो निर्भय होकर, शत्रुको हानि पहुँचानेकी इच्छा रखे बिना, अपने प्राणोका त्याग कर देता है, न कि वह जो मारता है और मर जाता है। यदि हमारा देश इतनी गिरी दशामें भी ऐसी बहादुरी दिखा सके, तो यूरोपके देशोके लिए — जहाँ अनुशासन, विज्ञान और संगठन सभी-कुछ है — यह एक प्रकाश-स्तम्भका काम करेगा। यूरोपके लोग यदि बस इतना समझ लें कि मुट्ठी-भर लोगोंका शस्त्र उठाकर लोगोंकी भारी संख्याका मुकाबला करना जहाँ निस्सन्देह वीरताका काम है, वह मुट्ठी-भर लोगोका निरस्त्र होकर लोगोंकी भारी संख्याका मुकाबला करना उससे भी अधिक वीरताका काम है, तो वह खुदको बचा लेगा और दुनियाके सामने भी एक मिसाल पेश करेगा।

[अंग्रेजीसे]

ए पिलग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ५६-७

१. यद्यपि तारीख निश्चित नहीं है, पर साधन-सूत्रके अनुसार गांधीजी इन अधिकारियोंसे अब्दुल गफ्फार खाँके साथ १० अक्टूबर, १९३८को हुई बातचीतके बाद ही मिले थे।

६२४. उत्तर : जन्मदिनकी शुभकामनाओंका

[११ अक्टूबर, १९३८ से पूर्व][1]

संसारके कई हिस्सोंसे बहुत-से मित्रोंकी ओरसे मुझे जन्म-दिनके बधाई-सन्देश और आशीर्वाद मिले हैं। उन सबकी शुभेच्छाके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-१०-१९३८

६२५. पत्र : लीलावती आसरको

उतमनजई

११ अक्टूबर, १९३८

चि० लीला,

तेरा पत्र मिला। मैं तेरे बारेमें सोचता तो हूँ, किन्तु 'हरिजन' के लिए लेख लिखनेके कारण मैंने पत्रोंका लिखना बहुत कम कर दिया है। किन्तु देखता हूँ कि तुझे लिखे बिना काम नहीं चलेगा। तू यह मत मानना कि मैं तेरी भावनाओंको नहीं समझता। किन्तु तू यह तो नहीं चाहेगी कि मैं कोई अनुचित काम करूँ। तू राजकुमारीके साथ घूमी, यह मुझे अच्छा लगा। राजकुमारीने उसका ब्योरा दिया था। तू अब...[2] पहुँच गई है तो मेरे सेगाँव पहुँचनेतक यदि वहीं रह सके तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किन्तु यदि वहाँ तेरी आवश्यकता न हो तो तू सेगाँव चली जा। तेरा स्थान तो वहाँ ही है, वहाँ ही है। इन दोनों "ही" का अर्थ तू समझ गई होगी। महादेव सर्वथा आनन्दपूर्वक है। किन्तु किसी तरहका खतरा न उठानेकी वजहसे उसे छोड़ आया हूँ। वह शिमला गया है। और यह बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत अच्छा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कमला कैसी है?

वहाँके हालचाल लिखना। आशा है, बालक और दमयन्ती आनन्दपूर्वक होंगे।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३७५) से। सी० डब्ल्यू० ६६५० से भी; सौजन्य : लीलावती आसर।

१. बॉम्बे क्रॉनिकल ने इस सन्देश को ११ अक्टूबर को प्रकाशित किया था।

२. इस स्थानपर पत्र कटा-फटा है।

६२६. पत्र : सरस्वतीको

११ अक्टूबर, १९३८

चि० सुरू,

तेरा खत मिला। दादाके लिये साथमें खत है उनको दे दो। मेरी उमेद है कि वे तुझे भेज देंगे। प्रभाके कुछ खत मिले है? मुझे बराबर खत लिखा करो। सरहदपर तो ठंड शुरू हो गई है। तू भी दादासे विनय करेगी कि तुझे भेज देवे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७३) से। सी० डब्ल्यू० ३४४७ से भी; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

६२७. पत्र : अमृतकौरको

उतमनजई
११ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

मैं चाहूँगा कि तुम साथवाला निमन्त्रण स्वीकार कर लो। इस बातमें तो अभी बहुत देर है।

तुम्हारी हिन्दी काफी अच्छी है।

रामेश्वरीसे सादी हिन्दी बोलनेके लिए धन्यवाद। अच्छा होगा अगर महादेवसे गुजराती सीख लेगी और बावला तुमसे अंग्रेजी सीख लेगा।[1]

शम्मीके बारेमें जानकर दुःख हुआ। पता नही, महादेव इसमें कोई मदद कर सकेगा या नही। तुम्हारी और शम्मीकी मंगल-कामना प्रभुसे सदा करता रहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे परिवारका सदस्य नही हूँ?

सोनेका समय हो गया है, यानी ८-४५। इसलिए अब विदा।

सस्नेह,

अत्याचारी

१. यह अनुच्छेद मूलमें भी हिन्दीमें ही है।

[पुनश्च :]

आज मेरा रक्तचाप घटकर १४०/८४ हो गया।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४२३६) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ७८६९ से भी।

६२८. टिप्पणी

महादेव देसाई

पाठकोंको यह जानकर खुशी होगी कि महादेव देसाईकी तबीयतमें निरन्तर सुधार हो रहा है। वर्षोंतक लगातार कठिन परिश्रम करनेके बाद उन्हें आरामका हक तो था ही। लेकिन वे आराम करनेके लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए मैंने उनपर कभी जोर भी नहीं डाला। तब उनके त्राणके लिए दयालु प्रकृति सामने आई और जिस आरामको वे स्वेच्छासे अंगीकार नहीं कर रहे थे, प्रकृतिने उन्हें उसके लिए विवश कर दिया। श्री राजकुमारी अमृतकौर उन्हें अपने साथ अपने घर शिमला ले गई हैं। वहांकी ताजी हवा और उससे भी बढ़कर राजकुमारीकी स्नेहपूर्ण देखभालसे उनका स्वास्थ्य-लाभ करना निश्चित है।

उतमनजई, १२ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-१०-१९३८

६२९. पत्र : कनु गांधीको

१२ अक्टूबर, १९३८

चि० कनैयो,

तूने अपनी वर्षगांठकी तारीख तो लिखी ही नहीं। किन्तु मेरे गाड़ी-भर आशीर्वाद ले। तेरी सेवा-वृत्ति और सेवा-शक्ति दिन-दिन बढ़ती रहे।

महादेवभाईको भूल जा। यदि मैं उनसे पूछूँ तो वे कुछ बिलकुल ही अलग बात कहेंगे। किन्तु इस सबमें पड़कर क्या करना है? तेरे वर्ष बेकार नहीं गये। तूने बहुत-कुछ पाया है। और अधिक नहीं पा सका उसका दुःख क्यों?

मुझसे तो तू मुँहमाँगी चीज पा सकता है। मैंने तुझसे कहा ही था कि तुझे मेरी कोठरीमें ही बैठना चाहिए। तू ऐसा नहीं कर सका और मैंने भी तुझे टोका नहीं। यदि तू मेरे पास होता तो पत्र ले सकता था और उन्हें देख सकता था। यदि वे मेरे पाससे उठा न लिये जायें तो उन्हें सुरक्षित रखना मुश्किल होगा।

किन्तु जागे तभी सबेरा। तू मेरी कोठरीमें अवश्य बैठना। कहाँ, यह हम देख लेंगे। मैं मीराबहनका दिल नहीं दुखाना चाहता।

फिलहाल तो तू प्यारेलालसे बहुत-कुछ पा ही रहा है; या नहीं? ये अनुभव क्या कुछ ऐसे-वैसे हैं?

राजकोटके बारेमें मैं समझ गया। मैं देखूंगा। यदि तुझे होमने-जैसा होगा तो होम दूंगा। सफेद-सफेद सभी दूध नहीं होता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२)से।

६३०. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

१२ अक्टूबर, १९३८

बा,

तूने मुझे गहरी चिन्तामें डाल दिया है। तेरे स्वास्थ्यके बारेमें मुझे जितनी इस बार चिन्ता करनी पड़ी उतनी कभी नहीं की थी। आज देवदासका तार मिलनेसे चैन मिला। मेरी चिन्ताका कारण यह था कि मैंने तुझे दु:खी छोड़ा था। मैंने अच्छा करना चाहा, किन्तु तुझे दु:ख हुआ। बादमें तू उसे भूल गई, किन्तु मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू बीमार तो थी ही। लगता है, ईश्वरने कृपा की है। अब तू अपनी तबीयत बिलकुल सुधार लेना। लक्ष्मी, रामू[1], तारा[2] बिलकुल अच्छे हो गये होंगे। यहाँकी आबोहवा तो बहुत अच्छी कही जा सकती है। ठण्ड अभी तो ऐसी है कि सहन हो सकती है; बल्कि मुझे अच्छी लगती है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २९

१. देवदास गांधीका पुत्र।
२. देवदास गांधीकी कन्या।

६३१. पत्र : प्रभावतीको

उतमनजई
१२ अक्टूबर, १९३८

चि० प्रभा,

तेरा पत्र मिला। अपनी तबीयतके बारेमें तो तुझे जयप्रकाशसे कहना चाहिए कि तेरा सर्वोत्तम इलाज मेरे पास रहना ही है। और तेरा मेरे पास रहना जयप्रकाशकी इच्छा तथा उसके अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है। बाकी तो यदि तू चिन्ता-फिक्र छोड़कर अच्छी हो जाये तो बहुत अच्छा हो। बने तो सरस्वतीको साथ लाना।

खर्चेका मामला अटपटा तो है। साथके पुर्जे[1] का उपयोग करना। श्यामजीभाई वैद्यके साथ बातचीत कर सके, तो करें, अथवा उनके दो सौ रुपये चुका देना। इन वैद्योंका काम ऐसा ही होता है। किन्तु यदि जयप्रकाश अच्छा हो जाये तो हम इसे सस्ता ही मानेंगे। मैं जो पुर्जा भेज रहा हूं, उसके आधारपर ३०० रुपयेतक लिये जा सकते हैं।

बा काफी बीमार रही है। आज तार मिला है कि वह ठीक है। उसे दिल्ली लिखना। महादेव राजकुमारीके पास है और दुर्गा तथा बाबला भी वहीं हैं। उन्हें लिखना।

मैं समझता हूं कि मैं नवम्बरमें सेगांव पहुंचूंगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। अन्य लोग भी आनन्दपूर्वक हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तू पेशावरके पतेपर लिखना। अन्य किसी पतेकी जरूरत नहीं है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२६)से।

१. देखिए अगला शीर्षक।

६३२. पत्र : श्यामजी सुन्दरदासको

पेशावर
१२ अक्टूबर, १९३८

भाई श्यामजी,

प्रभावतीके पति जयप्रकाश देशी वैद्यका इलाज कर रहे हैं।[1] उनका कहना है कि उक्त वैद्यकी फीस २०० रुपये है। यदि आप उसे जानते हो तो पता लगाना। अन्यथा प्रभावतीको २०० रुपये देना। आप जितनी रकम निकालें उसके बारेमें मुझे सूचित करना। मैं पैसे वर्धासे भेजनेकी कोशिश करूँगा।

पृथ्वीराज और वाली आनन्दपूर्वक होंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० १०८६७)से; सौजन्य: श्यामजी सुन्दरदास।

६३३. पत्र : जुआन नेगरिनको[2]

[१३ अक्टूबर, १९३८ से पूर्व]

आपका देश आज जिन मुसीबतोंसे घिरा हुआ है और आप जिस बहादुरीसे परिस्थितिका मुकाबला कर रहे हैं, उसके बारेमें मैंने सुना है। कहनेकी जरूरत नहीं है कि मेरे हृदयकी सम्पूर्ण सहानुभूति आपके साथ है। परमात्मा करे, यह व्यथा सच्ची स्वतन्त्रताकी जननी सिद्ध हो।[3]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १३-१०-१९३८

१. जयप्रकाश नारायण आर्य वैद्यशाला कलकत्तेमें अपना इलाज करवा रहे थे।

२. स्पेनिश गणतन्त्रके प्रधानमन्त्री। उन दिनों स्पेनमें गृह-युद्ध चल रहा था।

३. १७-११-१९३८ के नेशनल हेराल्डमें बारसीलोना से प्राप्त जो खबर छपी थी, वह इस प्रकार थी: "मुझे आपको यह बतानेकी जरूरत नहीं कि मेरे दिलमें आपके लिए बहुत सहानुभूति है और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आप आज जिस अग्नि-परीक्षामें से गुजर रहे हैं, उसकी परिणति सम्पूर्ण स्वाधीनतामें हो।"

६३४. हिसारका अकाल और खादी

डॉ० गोपीचन्दने लिखा है:

यों तो भारतके कई हिस्से अकालकी चपेटमें पड़े हुए हैं, लेकिन हिसार-जिलेकी हालत शायद सबसे खराब है। यहाँ अन्नके बजाय चारे और पानीका ज्यादा अकाल है।

दस प्रतिशत मवेशी तो भूखे मर चुके हैं, और दस प्रतिशत नाममात्रको कुछ कीमत लेकर बेच दिये गये हैं, यहाँतक कि लेनेवालोंको मुफ्त भी दे दिये गये हैं। शेषमें से ७५ प्रतिशत भूखसे तड़पकर दम तोड़ते जा रहे हैं।

१९२८-२९ और १९३२-३३ के अकाल इतने भीषण नहीं थे और तब कताईके माध्यमसे सहायता देनेकी व्यवस्था की गई थी। इस जिलेके लोग महसूस करते हैं कि यह सबसे अच्छा रास्ता था। आज भी जिस क्षेत्रमें अ० भा० च० संघ अपना केन्द्र चलाता है, वहाँके लोग कुछ बेहतर स्थितिमें हैं। कताई ऐसी चीज है जिससे स्थायी तौरपर राहत मिलती है। न्यूनतम निर्वाह-मजदूरी कतैयोंके लिए वरदान साबित हो रही है।

ऐसे केन्द्रोंके लिए पूंजीकी जरूरत है और पूँजीसे भी ज्यादा इस बातकी कि लोग इस क्षेत्रमें बने सूत और कपड़ेको संरक्षण दें।

खादीको और अधिक बढ़ावा देनेके लिए किये गये इस अनुरोधका मैं हृदयसे अनुमोदन कर सकता हूँ। डॉ० गोपीचन्दने इसे संरक्षण कहा है, मैं वैसा नहीं कहूँगा। इसमें जैसे जन-कल्याणका लक्ष्य रखा गया है, वैसा संरक्षणसे नहीं होनेवाला है। जो काम केवल खादीके लिए ही शक्य है उन्हें वह तभी कर सकती है जब लोग कपड़ेके नामपर खादी और केवल खादीके ही उपयोगके कर्तव्यको समझ जायें। खादीके ऐसे कामोंमें से एक तो है अकालके खिलाफ स्थायी संरक्षण देना। इन दिनों यातायातकी जैसी सुविधाएँ हैं — अलबत्ता ये सुविधाएँ शुद्ध वरदान ही नहीं हैं — उनको देखते हुए आदमी या मवेशीके अन्न या चारेके अभावमें मरनेकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आजकलका अकाल वास्तवमें पैसेका अकाल होता है। जब लोग फाकाकशीके किनारेपर हों तब कीमतमें जरा-सी भी वृद्धि होनेसे सन्तुलन बिगड़ जाता है, और महँगा अन्न या चारा खरीदनेके लिए पैसा न होनेसे उन्हें या उनके मवेशियों या दोनोंको भूखों मरना पड़ता है। अगर उन्हें अपने यहाँ ही काम मिल जाये तो उनके सामने ऐसी नौबत न आये। सार्वजनिक रूपसे सुलभ हो सकने-वाला ऐसा काम केवल कताई ही है। लेकिन जबतक खादीकी निश्चित माँग नहीं हो, तबतक यह काम बड़े पैमानेपर सुलभ नहीं कराया जा सकता। पंजाबके

पास प्रचुर साधन-सामग्री है। यहाँके लोगोंमें व्यापारिक क्षमता है और उनके पास धन-सम्पत्ति है। आशा करनी चाहिए कि डॉ० गोपीचन्दने जैसा अनुरोध किया है, वैसी सहायता वे देंगे।

इस प्रसंगपर कोष एकत्र करनेके लिए अपील करनेका लोभ तो बहुत अधिक हो रहा है। लेकिन मैं उसका संवरण किये ले रहा हूँ। अकाल हमारे यहाँ जमाकर बैठ गया है। इसका प्रकोप चाहे भारतके जिस भागपर हो, बात तो एक ही है। इसलिए जब असमसे अपील आई तो मैं भारत-सेवक मण्डल (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) की ओर मुखातिब हुआ। श्री गो० कृ० देवधरको अन्य अनेक विषयोंके साथ-साथ अकाल सहायता-कार्यके सम्बन्धमें भी विशेषज्ञता प्राप्त थी। अपनी सूझ-बूझके बलपर उन्होंने एक स्थायी कोष कायम कर दिया। फिर, एक संस्था मारवाड़ी सहायता मण्डल भी है, जो अकाल, बाढ़, महामारी आदिके कारण जहाँ भी मुसीबत आती है वहाँ सहायता देनेको तैयार रहता है। जहाँतक मवेशियोंका सम्बन्ध है, बम्बईका जीव-दया मण्डल तो सहायताको तत्पर रहता ही है। मेरा खयाल है, जैसा अकाल हिसारमें पड़ा है वैसे अकालोंके सिलसिलेमें जिनके नाम मैंने यहाँ लिये हैं वैसी संस्थाओंसे अपील करनी चाहिए। वह समय तो कभी-न-कभी आयेगा ही जब ऐसी विपत्तियोंके निवारणके लिए काम करनेवाली कोई खास राष्ट्रीय संस्था होगी। लेकिन इस बीच मौजूदा संस्थाओंको सबल बनाना और जैसी अपील असम, गोरखपुर या हिसारसे की गई है वैसी अपीलोंके उत्तरमें उनसे सहायता की अपेक्षा रखना बेहतर होगा।

लेकिन जिसका वर्णन डॉ० गोपीचन्दने किया है, वैसी विपत्तियोंका मुकाबला करनेके लिए यह भी काफी नहीं होगा। सरकार आदमी और पैसेसे जो सहायता कर सकती है वह सहायता उसे तेजीसे, कुशलतापूर्वक और पूरी तत्परताके साथ करनी चाहिए। कोई भी गैर-सरकारी लोकसेवी संस्था हजारों मवेशियों या स्त्रियों, पुरुषों और बच्चोंकी जान नहीं बचा सकती। राज्यके प्रयत्नोंमें गैर-सरकारी संस्थाएँ योग दे सकती हैं और उन्हें देना भी चाहिए, लेकिन सरकारी सहायताके बिना गैर-सरकारी संस्थाएँ किसी भी हालतमें पर्याप्त सहायता नहीं दे सकेंगी। साथ ही अगर राजकीय प्रयत्न केवल दिखावटी किस्मका होगा तो वह सहज ही निजी संस्थाओंके आड़े आकर और उनके कामको बिगाड़कर नुकसान भी पहुँचा सकता है। जरूरत इस बातकी है कि सरकारी और निजी दोनों संस्थाओंके बीच सच्चा और समझदारी-भरा सहयोग हो।

उतमनजई १३ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१०-१९३८

६३५. कांग्रेसमें भ्रष्टाचार

संयुक्त प्रान्तसे एक भाई लिखते हैं :

कांग्रेसियों और कांग्रेस-कमेटियोंमें चल रहे झूठ-फरेबके बारेमें आपने 'हरिजन' में जो लेख[1] लिखा और कार्य-समितिके सदस्योंके सामने जो भाषण[2] दिया, उसे मैं ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ।

आपके द्वारा प्रकाशित पत्रमें जाली सदस्योंके पंजीयन, सदस्यता शुल्क अपनी जेबसे भर देने और जाली दस्तखततक कर देने-जैसे जिन भ्रष्ट तरीकोंका उल्लेख है, उनके उदाहरण मेरे ध्यानमें भी आये हैं। दुःखका विषय तो यह है कि ऐसे काम कांग्रेस-कमेटियोंके जिम्मेदार पदाधिकारी भी करते हैं। कई स्थानोंपर तो ऐसी बातोंकी ओर प्रान्तीय कमेटीका ध्यान अधिकृत रूपसे गया है। लेकिन अधिकारियोंने इनकी कोई खास परवाह नहीं की। इन प्रान्तोंमें कांग्रेसके कामकाजका मुझे जो थोड़ा-बहुत अनुभव है, उसके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि बहुत-सी जिला-कमेटियों और नगर-कमेटियोंका यही हाल है।

इस परिस्थितिके सम्बन्धमें मेरी विनम्र राय यह है कि ऐसे काम आम तौरपर वही लोग करते हैं जो कमेटियोंपर कब्जा करके सत्ता अपने हाथमें रखना चाहते हैं। फिर, कांग्रेस द्वारा संसदीय कार्यक्रम स्वीकार किये जानेके बादसे ऐसा भ्रष्टाचार बहुत तेजीसे बढ़ा है। कांग्रेसके स्थानीय निकायों और प्रान्तीय विधान-मण्डलोंपर अधिकार करनेका निर्णय कर लेनेके फल-स्वरूप ऐसे बहुत-से लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए हैं जो चाहे जिस कीमत पर इन संस्थाओंमें प्रवेश पानेको उत्सुक हैं। इन लोगोंको जब सच्चे कांग्रेसियों का सहज समर्थन प्राप्त नहीं होता, तो ये इस संस्थामें ऐसे किरायेके टट्टुओं और जाली सदस्योंको दाखिल करते हैं जिनका कांग्रेससे कोई लगाव नहीं है। ये तो महज सदस्य बनानेवाले सज्जनके साथ अपने व्यक्तिगत सम्बन्धके कारण ही कांग्रेसमें शामिल हो जाते हैं। कांग्रेसके पुराने सदस्योंमें से भी कुछ को पद और सत्ताके मोहने अपने जालमें फँसा लिया है और वे भी इन नये किरायेके टट्टुओंकी करतूतोंमें सहर्ष सहयोग करने लग जाते हैं। यही कारण है कि चुनावोंकी शुरूआतके साथ-साथ कांग्रेसमें ऐसे भ्रष्ट तरीके और बिना किसी मौलिक सैद्धान्तिक मतभेदके गुटबन्दी दिखाई देती है।

१. देखिए "कांग्रेसमें भ्रष्टाचार", पृ० ४१४।

२. देखिए पृ० ४११-१३।

> इसलिए मैं नम्रताके साथ यह सुझाव देता हूँ कि कांग्रेसके संसद-सदस्यों को कमेटियोंसे अलग रखा जाये और जो लोग स्थानिक निकायों या विधान-मण्डलोंके सदस्य बननेके इच्छुक हों, उन्हें कमेटियोंमें कोई पद ग्रहण करनेकी इजाजत न दी जाये, या फिर कमेटियोंके पदाधिकारियोंको ही इन संस्थाओंकी सदस्यता प्राप्त करनेके लिए चुनाव लड़नेसे मना कर दिया जाये। यदि कांग्रेसके संविधानमें ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाये तो इन भ्रष्ट तरीकोंसे छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा, इससे कमेटियोंके सदस्योंको कांग्रेसके रचनात्मक कार्यकी ओर ध्यान देनेको अधिक समय मिलेगा और इससे जनताके बीच निस्स्वार्थ सेवकोंकी तरह उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। अभी तो संसदीय कार्यके कारण रचनात्मक कार्यकी उपेक्षा ही हो रही है।

जैसे सुझाव इस भाईने दिये हैं, वैसे सुझाव अन्य अनेक कांग्रेसियोंने भी पेश किये हैं। इसमें ताईद करनेके लायक बहुत-सी बातें हैं। यदि विधान-मण्डलों और स्थानिक निकायोंके सदस्य कांग्रेसके पदाधिकारियोंमें से न चुने जायें तो जोड़-तोड़, झूठ-फरेबका खतरा कम हो जानेकी सम्भावना है। ऐसी हालतमें कमेटियोंकी सदस्य-संख्या कम करना आवश्यक होगा। उस अवस्थामें कमेटियोंके सदस्य वही लोग होंगे जो कांग्रेसके काममें अपना पूरा समय देते हों और इसलिए जिनके पास अपनी-अपनी कमेटियोंसे बाहरके किसी काम या किसी पदकी ओर ध्यान देनेके लिए समय ही न हो। यह परिवर्तन तो हर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी कर सकती है और इसके लिए कांग्रेसके संविधानमें कोई परिवर्तन करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक दूसरी बात, जो मुझे और कार्य-समितिके सदस्योंको सूझनी चाहिए थी, एक व्यापारीने सुझाई है। उन्होंने कहा:

> आप बड़े-बड़े कदम उठानेकी बात क्यों सोच रहे हैं? आप कार्य-समितिसे वह रास्ता अख्तियार करनेको क्यों नहीं कहते जिसपर ऐसे बड़े-बड़े औद्योगिक घराने चलते हैं जिनकी अनेक शाखाएँ हैं? कांग्रेस-कमेटीके सभी बही-खातोंकी जाँच और लेखा-परीक्षा कड़ाईसे की जानी चाहिए — केवल पैसेके हिसाबवाली बहियोंकी ही नहीं, बल्कि सदस्योंकी नामावली आदि वाली बहियोंकी भी। जिन बहियोंमें सदस्योंका पूरा नाम-धाम तथा उनसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक जानकारी ठीक-ठीक न दी गई हो, उन्हें एकदम रद कर देना चाहिए। और यदि बहियाँ अपेक्षित ढंगसे तैयार की जायें तो निरीक्षण और जाँच-पड़ताल बहुत आसान होती है। कार्य-समितिको तो बस इतना खयाल रखना है कि अपने कामको ठीक तरहसे जाननेवाले ऐसे लेखा-परीक्षक और निरीक्षक पर्याप्त संख्यामें सुलभ हों जिनके बारेमें यह भरोसा किया जा सकता हो कि यह काम वे सम्यक् रीतिसे और पूरी ईमानदारीके साथ करेंगे। और अगर आप कीमत देनेको तैयार हों तो मेरा खयाल है, ठीक योग्यता और सामान्य ईमान-दारीवाले लोगोंका मिलना मुश्किल नहीं है।

उक्त व्यापारी मित्रने यह बात मुझसे एक सामान्य-सी बातचीतके दौरान कही थी, और उसे मैंने यहाँ जरा स्पष्ट करके पेश किया है। सुझाव बिलकुल ठीक है, और पहले सुझावकी तरह इसे भी कांग्रेसके संविधानमें कोई परिवर्तन किये बिना लागू किया जा सकता है। आवश्यकता कांग्रेसको, उसमें जो बुराई जड़ जमाकर बैठ गई है, उससे मुक्त करानेके संकल्प-मात्रकी है। लेकिन अगर कांग्रेस कमेटियोंके प्रधान उदासीन रहेंगे या दीर्घसूत्रतासे काम लेंगे तो इस भ्रष्टाचारका निवारण नहीं हो सकेगा। "नमक ही अपना खारापन छोड़ दे तो फिर उसे खारा कौन बनाये?"

उतमनजई, १३ अक्तूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१०-१९३८

६३६. टिप्पणी

चीन जानेवाला चिकित्सक-दल

कुछ महीने पूर्व डॉ० हेंगची ताओ मुझसे मिलने सेगाँव आये थे और महादेव देसाईने उनके साथ हुई मेरी बातचीतका सार भी इन स्तम्भोंमें दिया था।[1] अब हांगकांगसे डॉ० ताओने डॉ० अटलके नेतृत्वमें चीन जानेवाले चिकित्सक-दलके बारेमें अपने एक पत्रमें निम्न प्रकार लिखा है:

> डॉ० अटलके नेतृत्वमें भारतीय चिकित्सक-दल १४ सितम्बरको यहाँ पहुँचा। सैकड़ों मित्रोंने उनका स्वागत किया। इन मित्रोंमें रेडक्रासके अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक, विद्यार्थी और संवाददाता भी शामिल थे। मदाम सुन यात सेनने भी दलके स्वागतार्थ अपनी ओरसे एक शिष्टमण्डल भेजा था। हर्षध्वनि करती भीड़में शामिल होनेका सौभाग्य मुझे भी प्राप्त था। मुझे विश्वास है कि देशके भीतरी हिस्सोंमें जानेपर उनका और अधिक स्वागत होगा। भारत से चिकित्सक-दलके आनेसे हमें इस बातका गहरा एहसास हो रहा है कि हम अकेले नहीं है। दयाके इन देवदूतोंके हाथोंमें न केवल घायलोंको स्वस्थ बनानेका हुनर है, बल्कि इनके पास दो महान् राष्ट्रोंके हृदयोंको जोड़नेवाला प्रेम-मन्त्र भी है।

उतमनजई, १३ अक्तूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१०-१९३८

१. देखिए पृ० २८०-८२।

६३७. पत्र : मीराबहनको

उतमनजई
१३ अक्तूबर, १९३८

चि० मीरा,

डॉ० बी०[1] के नाम लिखे तुम्हारे पत्रका मसविदा बिलकुल दुरुस्त है। मैं उसका एक शब्द भी नही बदल सकता। खाली जगहको मैंने भर दिया है।

बा अब भी दिल्लीमें बीमार पड़ी हुई है। वैसे दे०[2] का कहना है कि उसकी तबीयत सुधर रही है।

शिमलामें रहनेसे महादेवको तो लाभ होगा ही — इसलिए और भी कि उसके पास कोई काम नहीं होगा और मुझसे उसका सम्पर्क टूटा रहेगा।

शायद एक-दो दिनोंमें हम चल दें।

आशा है, बलवन्तसिंह अपनी गायोंके साथ खुश है। उस बीमार बछड़ेका क्या हुआ?

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०८) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० १०००३ से भी।

६३८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

१३ अक्तूबर, १९३८

बा,

तेरे बारेमें समाचार मिलते रहते हैं। देवदास भी तेरी शिकायत करता है कि हालांकि तू बहुत दुर्बल हो गई है फिर भी उठा-बैठी करती रहती है। डॉक्टर जो कहे सो मानना चाहिए। यदि तू जल्दी अच्छी हो जाये तो हम सब चिन्तासे मुक्त हो जायें। मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी रहती है। खानसाहब काफी आराम देते हैं, जिससे मैं अपना काम भी भली-भाँति कर पाता हूँ। सुशीला

१. चेकोस्लोवाकियाके राष्ट्राध्यक्ष डॉ० बेनिस। मीराबहनने उन्हें पत्र लिखकर सेगाँव आनेका निमन्त्रण दिया था; देखिए "पत्र : महादेव देसाईको" १४-१०-१९३८।

२. देवदास।

भी अच्छी हो गई है। अमतुलसलामको तो तू जानती है। वह सारे दिन काममें जुटी रहती है।

केशूकी सगाई मथुरादासकी सालीसे हो गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २२१४) से।

६३९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

पेशावर
१३ अक्तूबर, १९३८

भाई वल्लभभाई,

मैं आराम कर रहा हूँ। इतना आराम तो तुम भी नहीं दे सके। आबोहवा अच्छी है। फल खूब मिलते हैं। इन दिनों खानसाहब तो मेरी देखरेखके लिए ही जी रहे हैं।

महादेव बिलकुल अच्छा है। वह शिमला गया है। और यह अच्छा ही हुआ है। किन्तु तुम उसे ललचा सकते हो।

. . .[1] जिन्नाके साथ चर्चा करनेके लिए तो अब रास्ता ही बन्द हो गया है। उनका पत्र भी ऐसा ही है। अब तो हमें स्वतन्त्र रूपसे जो कहना है सो कहकर शान्त हो जायें। मैंने जो मसविदा बनाया है उसपर विचार करना और मुझे जो लिखना उचित हो सो लिखना। ऐसा वक्तव्य हमें तुरन्त जारी करना चाहिए।

कोल्टमैन[2] का सुझाव बहुत अच्छा है। अब यही उचित जान पड़ता है कि प्रबन्धक (एक्जीक्यूटर) सम्मन जारी करके इस मामलेका फैसला कर दें। जो हो, मैं [कोल्टमैनका] यह सुझाव सुभाषको भी भेज तो रहा ही हूँ।

आशा है, तुम अच्छे होगे।

सी० पी०[3] का काम बहुत टेढ़ा है। अकेले रामचन्द्रनसे कुछ नहीं होनेका। वे लोग दृढ़ हैं। यदि वे तुम्हें वहाँ जाने दें तो जाकर मामलेको निबटा आओ। इस मामलेमें सी० पी० अपनी साख बिलकुल खो देंगे। मेरे पास बहुत-से पत्र आते रहते हैं। शेष प्यारेलाल लिखेगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२४-२५

१. मूलमें यहाँ कुछ छोड़ दिया गया है।
२. बम्बईके एक अंग्रेज बैरिस्टर। उनसे विट्ठलभाई पटेलकी वसीयत के बारेमें सलाह ली गई थी।
३. सी० पी० रामस्वामी अय्यर, त्रावणकोरके दीवान।

६४०. पत्र : शारदा चि० शाहको

उतमनजई
१३ अक्तूबर, १९३८

चि० बबुड़ी,

इधर तेरा पत्र नही मिला। मैं तो काममें अत्यधिक व्यस्त होनेके बावजूद तेरे पत्रकी आशा करता ही हूँ। तेरा स्वास्थ्य कैसा रहता है? तेरा मन शान्त है या नही? यहाँ रातको अच्छी ठण्ड पड़नी शुरू हो गई है। किन्तु मुझपर उसका कोई खराब असर नहीं पड़ा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००००) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

६४१. भूल-सुधार

गत ८ अक्तूबरके 'हरिजन' में त्रावणकोरके विषयमें मेरा जो वक्तव्य[1] प्रकाशित हुआ था, उसके सम्बन्धमें श्री चंगनाचेरी के० परमेश्वरन पिल्लई लिखते हैं कि मेरे साथ हुई अपनी बातचीतके बारेमें उन्होंने अखबारोंमें न तो स्वयं कोई वक्तव्य दिया और न किसी अन्यको वक्तव्य देनेकी अनुमति दी। ज्यों ही उनका ध्यान मेरे वक्तव्यकी इस पंक्तिकी ओर गया कि अपनी ओरसे उस मुलाकातका विवरण देकर उन्होंने भूल की, उन्होंने तत्काल इस बातका पूरा-पूरा निराकरण कर दिया। कहनेकी जरूरत नहीं कि उनके खण्डनको मैं बेहिचक स्वीकार करता हूँ। सच तो यह है कि पत्र-लेखकोंके विरोध प्रकट करनेपर मुझे यह सोचकर बड़ा दुःख हुआ कि श्री के० पी० पिल्लई-जैसा सावधान और सुलझा हुआ आदमी मुझे सूचित किये बिना इस बातचीतके सम्बन्धमें कोई बात प्रकाशित करनेकी भूल कैसे कर सकता है। जो वक्तव्य मैंने लिखा, उसे प्रकाशित करनेसे पहले मैं उन्हें दिखला लेना चाहता था, लेकिन इस मामलेमें सबसे अधिक महत्व तो समयका था। इसलिए अपनी इस भूलका मार्जन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है; और श्री के० पी० पिल्लई-जैसे निष्ठावान साथी कार्यकर्तापर, जो बात उन्होंने

१. देखिए पृ० ४३०-३२।

कतई नहीं की, वह करनेका आरोप लगाकर मैंने उनके साथ अनजाने ही जो अन्याय किया है, उसपर खेद प्रकट करता हूँ।

उतमनजई, १३ अक्तूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१०-१९३८

६४२. बुनियादी शर्तें

एक सम्माननीय सज्जनने मुझे पत्र लिखा है। वे एक अध्येताकी तरह कांग्रेसकी अहिंसात्मक प्रवृत्तियोंका वर्षोंसे निरीक्षण करते रहे हैं और अन्ततः स्वयं भी उसमे शामिल हो गये हैं। अपने पत्रमें उन्होंने बहुत ही सुलझी हुई दलीलें देते हुए कुछ शंकाएँ उठाई हैं। उनकी दलीलें मेरे लिए काफी उपयोगी हैं, लेकिन यहाँ उन्हें उद्धृत करना अनावश्यक है। उन्होंने तीन बुनियादी शर्तें सामने रखते हुए समझाया है कि भारत सभी परिस्थितियोंमें इन शर्तोंको पूरा करने योग्य नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है, अंग्रेजोंके खिलाफ अपने संघर्षमें हम जैसे-तैसे पार उतर जायें; क्योंकि अंग्रेज लोग स्वातन्त्र्य-प्रेमी हैं, उनकी संख्या कम है और उनकी बहुत-कुछ विकसित लोकतान्त्रिक भावना उन्हें उस हदतक जानेसे रोकती है जिस हदतक निरंकुश सत्ताधारी जा सकते हैं।

यदि अहिंसा इन सीमाओंसे बँधी हुई है तो इसका कोई खास महत्त्व नहीं है, और अगर है तो उतना ही जितना कि हिंसा-सहित अन्य उपायोंका हो सकता है। लेकिन मैंने तो इसे अत्याचारके विरुद्ध ऐसे अस्त्रके रूपमें पेश किया है जो कभी विफल हो ही नहीं सकता। इसकी सीमाएँ जरूर हैं, लेकिन वे इसका प्रयोग करनेवालोंपर लागू होती हैं और इसलिए वे उनके वशमें भी हैं।

उनकी बताई बुनियादी शर्तें ये हैं :

> १. स्वतन्त्रताकी इच्छा और माँगका जहाँतक सवाल है, जनतामें पूरी एकता हो;
>
> २. आम तौरपर सारी जनता अहिंसाके सिद्धान्त और उसके फलितार्थों को समझती हो और उसने उनको आत्मसात् कर लिया हो और फलतः प्रतिशोध या आत्म-रक्षाके निमित्त हिंसाका सहारा लेनेकी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर उसने काबू पा लिया हो; और (जो बात सबसे महत्त्वपूर्ण है, वह यह कि)
>
> ३. उसमें यह अखण्ड श्रद्धा हो कि अधिकांश लोगोंको कष्ट-सहन करते देखकर आक्रामकका हृदय जरूर पिघलेगा और वह अपने हिंसामय मार्गसे विमुख हो जायेगा।

अहिंसात्मक उपायके प्रयोगके लिए पूर्ण एकता कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। अगर ऐसी कोई शर्त होती तो इस उपायमें खूबी ही क्या होती? कारण, पूर्ण एकता

हो जानेपर तो माँगने-भरसे ही स्वराज्य मिल जायेगा। क्या मैंने 'यंग इंडिया' और इस पत्रके स्तम्भोंमें बार-बार नहीं कहा है कि कुछ-एक सच्चे सत्याग्रही भी हमें स्वराज्य दिलानेके लिए पर्याप्त होंगे? मैं तो यह मानता आया हूँ कि इस कामके लिए हमें आधुनिक युद्ध-कौशलमें प्रशिक्षित सिपाहियोंकी सेनाकी अपेक्षा कही छोटी सत्याग्रहियोंकी सेनाकी जरूरत होगी और आजके राष्ट्र शस्त्रीकरणपर जैसी विपुल धनराशियाँ खर्च करते हैं, उनकी तुलनामें सत्याग्रह-सेनाका खर्च तो नगण्य ही होगा।

इसी प्रकार दूसरी शर्त भी आवश्यक नही हैं। यदि सत्याग्रहमें शामिल होनेवाले सभी लोगोके लिए इस सिद्धान्तके समस्त फलितार्थोंको आत्मसात् करना आवश्यक हो तब तो लोगोंके लिए बहुत बड़ी तादादमें सत्याग्रहमें शामिल होना असम्भव ही हो जायेगा। इसके समस्त फलितार्थोंको आत्मसात् करनेका या उन्हें जाननेका भी दावा मैं तो नहीं कर सकता। किसी सेनाका सिपाही पूरे सैन्य-विज्ञानका ज्ञान तो नहीं रखता; इसी तरह सत्याग्रही भी सम्पूर्ण सत्याग्रह-शास्त्रको नहीं जानता। इतना ही काफी है कि सत्याग्रही अपने सेनापतिपर श्रद्धा रखे और उसके निर्देशोंका ईमानदारीसे पालन करे तथा अपने और कथित शत्रुके खिलाफ मनमें कोई दुर्भावना रखे बिना मृत्युतक का सहर्ष वरण करनेको तैयार रहे।

तीसरी शर्त पूरी की जानी चाहिए। वैसे मैं इसको दूसरे शब्दोंमें पेश करूँगा, लेकिन परिणाम लगभग वही निकलेगा।

मेरे मित्रका कहना है कि तीसरी शर्तमें जिस बातका उल्लेख किया गया है उसका इतिहासमें कोई उदाहरण नहीं मिलता। वे अशोकके बारेमें कहते हैं कि वह शायद अपवाद हो सकता है। लेकिन मेरे प्रयोजनके लिए तो अशोकका उदाहरण भी अनावश्यक हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी जानकारीमें इतिहासमें 'ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिलता। इसीलिए तो मुझे इस प्रयोगको अद्वितीय कहना पड़ा है। मैंने अपनी दलील, हम अपने परिवार या जाति-गोत्रके आपसी व्यवहारमें जैसा बरतते हैं, उसपरसे खड़ी की है। सम्पूर्ण मानव-जाति भी तो एक बड़ा परिवार ही है। और यदि सत्याग्रही द्वारा प्रकट किये गये प्रेममें पर्याप्त उत्कटता है तो उस प्रेमकी परिधिमें सम्पूर्ण मानव-जाति आ जायेगी। यदि अलग-अलग व्यक्तियोंने प्रेमके बलपर बर्बर लोगोंके प्रसंगमें भी सफलता प्राप्त की है तो ऐसे व्यक्तियोंका कोई समूह —उदाहरणके लिए मान लीजिए—बर्बर लोगोंके ही समूहके सन्दर्भमें सफल क्यों नही हो सकता? यदि हम अंग्रेजोंके प्रसंगमें सफल हो सकते हैं तो हमारा ऐसा मानना कि हम उनसे कम सुसंस्कृत तथा उदार प्रकृतिवाले राष्ट्रोंके सन्दर्भमें भी सफल हो सकते हैं, अपनी उस श्रद्धाको मात्र विस्तार ही तो देना है। मैं मानता हूँ कि यदि हम विशुद्ध अहिंसात्मक प्रयत्नोके बलपर अंग्रेजोंके विरुद्ध सफल हो जाते हैं तो हम दूसरोंके खिलाफ भी जरूर कामयाब होंगे, या दूसरे शब्दोमें कहिए कि अगर हम अहिंसाके बलपर अपनी स्वतन्त्रता हासिल कर लेते है तो उसीके बलपर उसकी रक्षा भी अवश्य कर लेगे। यदि हममें ऐसी श्रद्धा नही आई है तो हमारी

अहिंसा मात्र अपना मतलब साधनेका ही एक उपाय है; वह शुद्ध सोना नहीं, बल्कि सोनेकी कलई किया हुआ कांसा है। पहली बात तो यह है कि ऐसी दोषमय अहिंसाके बलपर हम कभी भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि अगर हम उसे प्राप्त कर भी ले तो किसी आक्रान्तासे अपने देशकी रक्षा करनेमें हम अपने-आपको बिलकुल असमर्थ पायेंगे। यदि अहिंसाके पूर्ण कारगर होनेके बारेमें हमारे मनमें कोई शंका है तो कांग्रेसके लिए बेहतर यही होगा कि वह अपनी नीति बदलकर शस्त्रास्त्रोंका प्रशिक्षण पानेके लिए राष्ट्रका आह्वान करे। कांग्रेस-जैसी सर्व-साधारणकी संस्था यदि दुविधामें पड़ी रहकर लोगोंको किसी झूठे भ्रममें डालकर रखती है तो वह अपने कर्तव्यसे सर्वथा च्युत हो गई साबित होगी। वह कायरताका काम होगा। मैंने पहले भी कहा है कि अहिंसामें श्रद्धा रखना छोड़ देनेसे हम हिंसक बन जायेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। उसका मतलब इतना ही होगा कि हमने अपना झूठा आवरण उतारकर फेंक दिया है और हम स्वाभाविक व्यवहार करने लगे हैं। इस रास्तेको अपनाना पूर्णतः गरिमामय होगा। गत सत्रह वर्षोंमें सीखे गये सबक हम तब भी भुला तो नहीं देंगे।

इतना स्पष्टीकरण करनेके बाद अब मैं यह कह सकता हूँ कि मेरी रायमें सत्याग्रहके सिद्धान्तकी बुनियादी शर्तें क्या हैं :

१. सत्याग्रहियोंमें सामान्य कोटिकी ईमानदारी होना आवश्यक है।

२. उन्हें सेनापतिके आदेशोंका पालन हृदयसे करना चाहिए। मनमें किसी प्रकारका कोई दुराव नहीं होना चाहिए।

३. उन्हें अपना सर्वस्व, केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, या जमीन-जायदाद और रुपया-पैसा ही नहीं, बल्कि अपने परिवारकी स्वतन्त्रता और धन-सम्पत्ति भी गँवा बैठनेको तत्पर रहना चाहिए और गोलियों, संगीनों या तिल-तिल करके दी जानेवाली मौतका भी सामना करनेके लिए खुशी-खुशी तैयार रहना चाहिए।

४. उन्हें अपने शत्रुके प्रति या परस्पर एक-दूसरेके प्रति मन, वचन या कर्मकी कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए।

उतमनजई, १४ अक्तूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१०-१९३८

६४३. "नई तालीम"[1]

'नई तालीम' का नयापन समझना जरूरी है। पुरानी तालीममें जितना अच्छा है वह नई तालीममें रहेगा, लेकिन उसमें नयापन काफी होगा। नई तालीम अगर सचमुच नई होगी तो उसका नतीजा यह होना चाहिए कि हमारे अन्दर जो मायूसी है उसकी जगह उम्मीद होगी, कंगालियतकी जगह रोटीका सामान तैयार होगा, बेकारीकी जगह धन्धा होगा, झगडोंकी जगह एका होगा और हमारे लड़के-लड़कियाँ लिखना-पढ़ना जानेंगे और साथ-साथ हुनर भी जानेंगे, क्योंकि उसीके जरिये वे अक्षरज्ञान हासिल करेंगे।

मो० क० गांधी

उतमनजई, १४ अक्तूबर, १९३८
[गुजरातीसे]
हरिजन-सेवक, २९-१-१९३९

६४४. पत्र : अमृतकौरको

उतमनजई
१४ अक्तूबर, १९३८

प्रिय मूर्खा रानी,

एक दिनमें तीन-तीन पत्र! तबीयत खुश कर दी।

तुम्हें कैसे मालूम कि तुम जो काम हाथमे लेती हो उसे पूरे मनसे करती हो, यह बात मैं नही जानता? लेकिन पूरे मनसे करना ही तो काफी नही है। किसी क्रियाके पीछे बुद्धिमानी भी तो होनी चाहिए। मान लो तुम पूरे मनसे हिमालयपर चढ़नेके काममें जुट जाओ। तो इस प्रयत्नके पीछे क्या बुद्धिमानी मानी जायेगी? लेकिन मूर्खता और बुद्धिमानी, इन दोनोंका साथ भला कब निभा है। अगर तुममें बुद्धिमानी होती तो तुमने जो०[2] से कह दिया होता — बस इतना ही, इससे अधिक नही। फिर तुम्हारे संयमसे उसने भी कुछ सीखा होता और

१. हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी मासिक पत्रिका। बेसिक-शिक्षाकी वर्धा-योजना भी इस नामसे जानी जाती है।

२. एन० एन० जोशी; देखिए "पत्र : अमृतकौरको", पृ० ४६२-६४।

तुम्हें भी अपने शरीरको संकटमें नहीं डालना पड़ता। आजके पाठके लिए बस इतना ही।

तुम चाहती थीं कि तुम्हारी काठियावाड़से सम्बन्धित टिप्पणियाँ मैं लौटा दूँ, यह मुझे नहीं मालूम था। विभिन्न देशी राज्योंसे सम्बन्धित तुम्हारी टिप्पणी तो मैंने कल ही जोशीको भेजी है। वह इतनी अच्छी और व्यावहारिक थी कि मैंने सोचा, जोशीको यह मिलनी ही चाहिए। उसे वह पहले ना०[1] को दिखायेगा और फिर बापा[2] को दे देगा। लेकिन अब मैं उससे मूल प्रति तुमको लौटा देनेको कहूँगा।

वह टिप्पणी, जो बिलकुल व्यक्तिगत थी, मैंने कल ही नष्ट कर दी। मनमें उन बातोंकी एक तसवीर बन गई। टिप्पणी संक्षिप्त और श्रेष्ठ थी। तुमने मुझे कुछ नया तो नहीं बताया, लेकिन पुष्टि होनी जरूरी थी। अगर उनके भाग्यमें मरना ही लिखा है तो दुनियाकी कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती।

तीसरी टिप्पणी मेरे पास है। मैं इस बातपर गौर कर रहा हूँ कि क्या वह ऐसे अखिल भारतीय महत्त्वकी है कि उसे 'हरिजन' में प्रकाशित किया जा सके। वह तो वापस नहीं चाहती न? अपनी यात्रामें तुम्हें क्या किसी विशिष्ट व्यक्तित्वके दर्शन हुए? नारणदासके बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है?

बेशक, महादेवके बारेमें मैं कोई चिन्ता नहीं कर रहा हूँ। चिन्ता करनेका मतलब तो तुम्हारे प्रेम और शुश्रूषा-कलामें विश्वासका अभाव प्रकट करना होगा। उसे टेनिस खेलनेको आमन्त्रित करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो-कुछ सीखेगा उसे बेशक वह वहीं छोड़कर आयेगा। लेकिन उस परिवेशमें वह खेल शायद उसके लिए लाभदायक हो।

सस्नेह,

अत्याचारी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६३९) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६४४८ से भी।

१. नारणदास गांधी।
२. ठक्कर बापा।

६४५. पत्र : महादेव देसाईको

उतमनजई
१४ अक्तूबर, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारे दो पत्र मिले। दुर्गाको गरम पानीमें कटि-स्नान लेने दो। वहाँ जब चाहे तब धूप-स्नान लिया जा सकता है। पारसी रुस्तमजीकी दोनों जाँघें आपसमें रगड़ खाती थीं। वे एक कदम भी नही चल पाते थे। सेगाँवमें मेरी झोंपड़ीसे कुएँकी दूरीतक भी जाना होता था तो वे रिक्शामें जाते थे। किन्तु छः सप्ताहमें वे मेरे साथ दौड़ने लगे थे। उनके लिए दस मील चलना तो हँसी-खेल था। उनके कोट झोले-जैसें हो गये थे। उनका इतना वजन घटा और आयु बढी। मैं उन्हे रोज वाष्प-स्नान और कटि-स्नान दिया करता था। दुर्गाका रुस्तमजी सेठ-जैसा स्वास्थ्य न हो पानेका कोई कारण नही है। वह जितने सेब खा सके उतने खाये। साग-सब्जियाँ तो वहाँ ढेर-की-ढेर मिलती है। भले ही वह चार-पाँच गज चले, किन्तु चले अवश्य। शरीरसे पसीना अवश्य छूटना चाहिए। टबके पानीकी गरमी ज्यों-ज्यों सहन होती जाये त्यों-त्यो उसे तेज करते जानेसे पसीना अवश्य आयेगा। यदि वाष्प-स्नान देनेकी व्यवस्था हो तो तुम वैसा कर सकते हो। हिचकियाँ आदि सब दूर हो जायेंगी। वाष्प-स्नानके बाद कटि-स्नान तो लेना ही है।

मैं यह मान लेता हूँ कि तुम्हारा ठीक चल रहा है। मीराबहन लिखती है कि तुम उदास रहते हो। ऐसा क्यों? उसने वेनिसको एक अच्छा पत्र लिखा है। उन्हे सेगाँव आमन्त्रित किया है। मैंने वह पत्र जाने दिया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६०) से।

६४६. पत्र : वालजी गो० देसाईको

पेशावर
१४ अक्तूबर, १९३८

चि० वालजी,

तुम्हारे वहाँ रहनेका कारण मैं समझ गया। तुम पेन्सिलसे लेख लिखकर लिया करते हो। उससे पढ़नेमें कष्ट होता है। बच्चोंकी पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है? हम यहाँ ८ नवम्बरतक तो बँधे ही हुए हैं। अभीतक तो यहाँकी आबोहवा हमारे अनुकूल रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७८४३) से, सौजन्य: वालजी गो० देसाई।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

एक दुःखद घटना[1]

मै इन स्तम्भोंमें गांधीजी के स्वास्थ्यके बारेमें बहुत गौरवके साथ लिखता रहता हूँ, उनके अस्वस्थ होनेपर, अस्वस्थ होनेके कारणोंकी चर्चा करता हूँ, लोगोंको चेतावनी देते हुए उनसे कहता रहता हूँ कि वे गाधीजी को ज्यादा विश्राम करने दें। इस भयसे कि कही गांधीजी बहुत ज्यादा न थक जायें और उनका रक्तचाप न बढ़ जाये, मैंने भेंट करने के इच्छुक लोगोंको निर्ममतापूर्वक उनसे मिलनेसे मना कर दिया है, और बातचीत तथा भेंट-मुलाकातोंको बीचमें ही रोका है। अतएव कल्पना कीजिए कि मुझे उस समय कितना दुःख हुआ होगा और कितनी शर्म आई होगी जब देलांगमें एक दिन सवेरे मुझे यह पता चला कि वे जिसे मेरी एक गम्भीर भूल समझते है उससे उनका रक्तचाप खतरेके बिन्दु तक पहुँच गया था और उससे एक बडी दुर्घटना हो सकती थी। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार — क्रमश. २९, ३० और ३१ तारीख, जो अन्यथा उड़ीसाके शान्त वातावरणमें मेरे लिए परम आनन्दके दिन रहे होते, मेरे जीवनके अत्यन्त दुःखमय दिन थे। लेकिन ३० तारीखकी शामको गांधीजी के टूटे हुए दिलसे, दिल तोड़ देनेवाले जो उद्‌गार निकले उनसे मुझे पता चला कि कदाचित् वे गांधीजी के लिए और भी दुःखमय दिन थे। मैंने सोचा था सवेरेकी प्रार्थनामें उपस्थित लोगोको यह बताकर कि उनके रक्तचापके बढ़नेका कारण मै ही हूँ, मैंने सचमुच अपनी भूल सुधार ली है। लेकिन जिस समय मैंने यह बात कही थी उस समय गांधीजी वहाँ उपस्थित नही थे। लेकिन उन्हें मालूम था कि मैंने प्रार्थना-सभामें इस घटनाका जिक्र किया है इसलिए उन्होंने पूरे भाषणमें केवल इसी घटनाकी चर्चा की। पाठकोको उनकी इच्छाकी परवाह किये बिना अपनी व्यक्तिगत व्यथा-कथा सुनानेके लिए मैं पहले ही उनसे क्षमा-याचना कर लेता हूँ। लेकिन जैसा कि वे उक्त कथाके अन्तमें देखेंगे, मै इसे सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे उनके सामने रख रहा हूँ।

घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। मेरी पत्नी, जो गांधी सेवा संघकी वार्षिक बैठकों बल्कि यों कहा जाये कि किसी भी ऐसी बैठकमें बहुत कम शामिल होती है, डेलांग आई और जैसा कि मुझे बताया गया इस उद्देश्यसे आई कि वह पुरी जा सकेगी। और गांधीजी ने मुझसे कहा कि मैं उसके पुरी जानेके लिए सारी

१. देखिए पृ० १०।

व्यवस्था कर दूँ। व्यक्तिगत रूपसे मुझे उसका पुरी जानेके उद्देश्यसे डेलांग आना अच्छा नहीं लगा और इसलिए कोई भी व्यवस्था करनेका मेरा मन नहीं था। मुझसे एक बार फिर पूछा गया कि मैंने जानेकी व्यवस्था कर दी है या नहीं। तीसरी बार भी मुझसे यही सवाल किया गया। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी यह नहीं जानती थी कि पुरीका मन्दिर हरिजनोंके लिए खुला नहीं है। गांधीजी की हरिजन-यात्राके दौरान वह जेलमें थी। लेकिन उक्त अज्ञानका यह कोई उचित कारण नहीं था। प्रदर्शनीसे सम्बन्धित अपने भाषणके दौरान पहले ही दिन गांधीजी ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जगन्नाथका मन्दिर हरिजनोंके लिए खुला हुआ नहीं है और जबतक यह स्थिति बनी हुई है तबतक उनके विचारसे जगन्नाथ जगन्नाथ नही हैं, केवल उन लोगोंके नाथ है जो उसकी छाया-तले फलते-फूलते हैं। मुझे उम्मीद थी कि उनका यह भाषण मेरी पत्नी-सहित सभी लोगोंके लिए चेतावनी-रूप होगा, हालाँकि मुझे इस बातकी आशंका भी थी कि वह मन्दिरमें अवश्य जायेगी। मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि मन-ही-मन मुझे ऐसा लगता था कि गांधीजी जो मुझसे बार-बार मेरी पत्नीके पुरी जानेके लिए व्यवस्था करनेके लिए कह रहे हैं उसके पीछे उनकी अहिंसाकी भावना निहित है — वह अहिंसा की भावना जिसने उन्हें ज़ूलू-विद्रोहके समय टामियोंको शराब पिलानेके लिए और दक्षिण आफ्रिकामें अपने मित्रोंको मांस परोसनेके लिए प्रेरित किया था। मुझे यह भी उम्मीद थी कि चूँकि वह अन्य अनेक साथियोंके साथ, जिसमें गांधीजी के दूसरे पुत्र मणिलाल भी थे, जा रही है इसलिए वह अन्य लोगोंके बाहर रहनेपर मन्दिरके अन्दर नहीं जायेगी। वास्तवमें मुझे यह बात अपनी पत्नीको अच्छी तरहसे बता देनी चाहिए थी कि उसके मन्दिरमें जानेसे गांधीजी के हृदयको आघात पहुँचेगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने मूर्खतावश इस बातकी ओर ध्यान ही नहीं दिया कि गांधीजी के मनपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और मैंने यह भी मान लिया कि गांधीजी के हृदयकी विशालता तो असीम है और उन्होने मन्दिर जानेका इतना आग्रह रखनेवाली मेरी पत्नीको क्षमा कर दिया होगा। इसलिए मुझे स्वीकार करना होगा कि यदि जानेसे पहले उसने मुझे निश्चित रूपसे यह बता भी दिया होता कि उसने मन्दिरमें जानेका निश्चय कर लिया है तो मैंने उसे मना न किया होता। मैं उसके विश्वासको इस हदतक विचलित नहीं करना चाहता था। वह जानती थी कि मैं ऐसे मन्दिरोंमें जानेके विरुद्ध हूँ, उसे यह भी मालूम था कि मुझे मन्दिरोंमें जाना बहुत बुरा लगता है — उन मन्दिरोंमें जिन्हें यदि हरिजनोंके लिए खोल भी दिया जाता है फिर भी जो तबतक शुद्ध नही हो सकते जबतक बेईमान पंडोंको वहाँसे निकाल नही दिया जाता। लेकिन यदि वह यह समझती है कि मंदिर जानेसे उसकी आत्माको शान्ति मिलेगी तो उसके मार्गमें बाधा उपस्थित करनेको मेरा जी न चाहा। और जहाँतक कस्तूरबा गांधीका सवाल है, मैं यह अवश्य कहूँगा कि मैंने यह मान लिया था कि वे मन्दिरके बाहर ही रहेंगी तथा उनके वहाँ होनेसे मेरी पत्नी और अन्य लोगोंपर अंकुश रहेगा।

लेकिन हुआ यह कि मेरी पत्नी मन्दिरके भीतर गई, एक अन्य मित्र और कस्तूरबा भी गये। दलके कुछ सदस्य बाहर ही रहे जिनमें मेरा नादान पुत्र भी था और जिसका पंडोंके साथ खूब झगड़ा भी हुआ।

सोमवारकी शामको जब वे सब लोग वापस आये और गांधीजी को सारी बात मालूम हुई तो वे बहुत दु:खी हुए। उन्हें रात-भर नींद नही आई। उन्होंने मेरी पत्नी, कस्तूरबा और मुझे बुलाकर पूछा। हमने जो सफाई दी, और जिसका कुछ हिस्सा ऊपर दिया जा चुका है, उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। बल्कि उससे तो वे और भी चिढ़ गये। इस मामलेमें उन्होने मुख्य रूपसे मुझे ही दोषी ठहराया। उनका कहना था कि मुझे उन्हें आन्दोलनकी पृष्ठभूमि समझानी चाहिए थी; किस प्रकार १९३४में गांधीजी पुरी गये थे, किस प्रकारसे वहाँ पर सुनियोजित ढंगसे हिंसा की गई थी और कैसे उन्हें उड़ीसाकी पदयात्रा करनी पड़ी थी, कैसे सुधारकोंको चेतावनी दी गई थी कि जबतक हरिजनोंको प्रवेश नहीं दिया जाता तबतक वे लोग मन्दिरमें न जायें, यह सब सुननेके बावजूद यदि मेरी पत्नी कहना न मानती तो मुझे गांधीजी की मदद लेनी चाहिए थी और यदि तब भी वह जानेका आग्रह करती तो उसे जाने दिया जाता। उनका कहना था कि मैं पूरी तरहसे सावधान नहीं था और यह कि ऐसा करके मैंने उनके प्रति, अपनी पत्नीके प्रति, अपने प्रति तथा जिस उद्देश्यको लेकर हम चल रहे है उस उद्देश्यके प्रति अन्याय किया है। अत: उन्होंने संघके सदस्योंके सम्मुख अपने हृदयकी व्यथा इस प्रकार प्रकट की:[1]

उनके इन आकुल वचनोंको सुनकर, मेरे हृदयकी पीड़ा और भी बढ़ गई। वे अत्यधिक खिन्न थे। अगले दिन वे खुद को इतना ज्यादा कमजोर महसूस करने लगे कि उनसे बोला भी नही जाता था इसलिए सावधानीके तौरपर वे सारा दिन मौन रहे। इन हालातमें भला मैं क्या कर सकता था? मुझे इस बातका डर था कि अगर मैंने अपनी ओरसे कुछ सफाई दी अथवा दलीलें पेश कीं तो उससे बात और बिगड़ जायेगी। जबतक उनका रक्तचाप सामान्य नहीं हो जाता और ताकत नहीं आ जाती तबतक मैंने प्रतीक्षा करना ही बेहतर समझा। लेकिन इस विचारसे कि उनकी इस हालतके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझे बहुत कष्ट हुआ। यदि मैंने विवेककी इतनी गम्भीर भूल की है तो मैं उनकी सेवामें किस प्रकार बना रह सकता हूँ? मैं हरिजन-कार्यका सही प्रतिनिधित्व और हरिजनोंकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मुझे उनका चौकीदार बननेका क्या अधिकार है? ये सब विचार मुझे व्यथित कर रहे थे और मैं रात-भर अत्यन्त बेचैन रहा तथा मैंने बहुत निराश होकर उन्हें पत्र लिखा कि, वे मुझे अपनी सेवासे अलग कर दें। इससे तो वे और भी ज्यादा क्षुब्ध हो गये और उनके लिए अपने दु:खका बोझ उठाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्तिके साथ, जो मुझे प्यार नहीं करता, जिन्दा रहनेकी अपेक्षा उस व्यक्तिके हाथों मरना अधिक पसन्द करूँगा जो मुझे प्यार करता है! तुम्हें चाहिए तो यह था कि तुम सत्याग्रही तीर्थयात्रियोंका एक जत्था लेकर

१. भाषणके पूरे पाठके लिए देखिए खण्ड ६६, पृ० ४९४-९६।

पुरी जाते और इस तरह अपनी भूलको सुधारनेकी कोशिश करते। ऐसा न करके शुभ हेतुसे मैंने तुम्हें जो थोड़ा-सा डाँटा उसका तुमने बुरा माना और भावुकतामें आकर अनाप-शनाप लिख बैठे। अपनी पत्नी की देखभाल करनेके बजाय तुमने उसके प्रति अपने अन्धे प्रेमके कारण उसके अन्धविश्वासको बढ़ावा दिया है!

उनके ये वचन सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि गांधीजी ने — जिन्होंने प्रेमकी क्लोरोफॉर्म सुँघाकर कई आध्यात्मिक ऑपरेशन किये हैं — यह ऑपरेशन बिना-क्लोरोफॉर्मके किया है। और मैं तिलमिलाकर बोल उठा:

स्वर्गमें सन्तोंके संग रहना
है परम सुख और गौरवकी बात,
लेकिन पृथ्वी पर किसी सन्तके संग
रहनेमें है कुछ और ही बात।

क्या यह नहीं हो सकता कि उन्होंने राईका पहाड़ बना डाला हो?

लेकिन इस बातका निर्णय करनेका भला मुझे क्या अधिकार है? इन पंक्तियोंको लिखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कदाचित् मैं ही अपनी जड़ताके कारण, उनके अत्यन्त संवेदनशील हृदयमें क्या-कुछ हो रहा है उसकी गहराईमें नहीं जा सका। और आखिरकार मुझ जैसे व्यक्तिकी अपेक्षा, जो किसी भी क्षण वासनाओं और कामनाओंके प्रवाहमें वह जा सकता है, उस व्यक्तिके निर्णयपर अधिक भरोसा किया जाना चाहिए जो पिछले पचास वर्षोंसे सत्य और अहिंसाका पालन करनेका सतत प्रयत्न करता आया है। मुझे जो बातें अत्यन्त तुच्छ जान पड़ती हैं वही बातें उनके लिए जीवन-मरणका प्रश्न बन सकती हैं। मैंने महसूस किया कि जीवन उनके साथ कई बार कितना भी कठिन क्यों न जान पड़ता हो तथापि उनसे अलग होकर रहनेका विचार तो और भी असह्य है। उनका दावा है कि वे सन्त नहीं हैं। उनका दावा है कि वे हममें से छोटे-से-छोटे व्यक्तिसे भी कोई बढ़कर नहीं हैं। मैंने अनुभव किया कि कल्पनामें भी उन्हें ऐसी दुःखपूर्ण पंक्तियाँ लिखना मेरी गम्भीर भूल थी। वे चाहे सन्त हों अथवा हम सबकी तरह नश्वर जीव, मैं देखता हूँ कि मेरा उनसे अलग कर देनेके लिए कहना महामूर्खता थी। क्योंकि मैंने जो पुर्जा उन्हें लिखा था जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे पाँच कदम दूर भी न जा पाता कि लौट आता और पश्चात्ताप करता।

और इतना सब कह चुकनेके बाद एक बात स्पष्ट रूपसे परिलक्षित होती है और वह है गांधीजी का हरिजनोंके प्रति अन्यतम प्रेम तथा उनके लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देनेकी उत्सुकता। उनके तीखे वचन हम सबके लिए इस उद्देश्यके निमित्त और भी समर्पित भावसे काम करनेकी प्रेरणा-रूप सिद्ध हुए। इस वर्ष संघकी बैठकमें जो लोग आये थे उनमें से हर किसीने इस घटनासे यह पाठ ग्रहण किया कि रचनात्मक कार्यक्रम के इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमें कोई भी व्यवधान नहीं डालेगा और हर कोई जागरूक रहेगा। उड़ीसाकी पवित्र भूमिपर चिन्तन-मननका

जो यह सप्ताह मनाया गया वह गांधीजी के तीखे वचनोसे और भी पावन हो गया तथा गांधी सेवा संघके सदस्य एक ऐसा सन्देश लेकर अपने-अपने घरोंको लौटे जिसे वे सहज ही भूल नही सकेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-४-१९३८

परिशिष्ट २

ख्वाजा नाजिमुद्दीनका पत्र[1]

११ मई, १९३८

प्रिय श्री गांधी,

बंगाल सरकारने आतंकवादी कैदियोको (कैदकी) अवधिके पूर्व ही रिहा करनेके सम्बन्धमें जो निर्णय लिये हैं उनसे आपको अवगत करानेके लिए ही मै यह पत्र लिख रहा हूँ। इन निर्णयोंपर पहुँचने में सरकारने आपके सुझावोंपर, जिन्हें आपने अपने १२ अप्रैलके पत्रमें सुझाया था, बहुत ही सावधानीसे विचार किया है।

शुरूमें ही यह बताना आवश्यक है कि अनुवर्ती अनुच्छेदमें जिस योजनाकी रूपरेखा दी गई है वह एक संयुक्त योजना है और ये सब उसीके एक एवं अविभाजित विभिन्न अवयव हैं। इसलिए इसकी सूचना न केवल आपकी स्वीकृतिके लिए अपितु बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष एवं विधान-सभामें कांग्रेस दलके नेता श्री शरतचन्द्र बोसकी भी स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए दी जा रही है।

सरकार चाहती है कि आप इस योजनापर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, क्योंकि इसे अपनानेके लिए एक महत्त्वपूर्ण और पूर्ववर्ती शर्त यह है कि इस मामलेमें सरकारकी जो नीति है उसे आप तथा कांग्रेस खुले शब्दोंमें स्वीकार करे। इस स्वीकृतिके बिना सरकार इन प्रस्तावोंको रद्द हुआ समझेगी और इस मामलेमें सरकारके जो उत्तरदायित्व हैं उनका पालन वह उसी नीतिके अनुसार करेगी जिसकी घोषणा पहले ही विधानमण्डलमें कर दी गई है।

योजना निम्न है:

(१) जो आंतकवादी कैदी सख्त और बहुत समयसे बीमार चल रहे हों उन्हें रिहा करना।

(२) उन कैदियोंको यथासम्भव शीघ्र रिहा करना जो हत्या और घोर हिंसाके जुर्ममें कैद नही किये गये है तथा जिनके कारावासकी अवधि १८ महीनेसे अधिककी नहीं रह गई है।

१. देखिए पृ० ९२-९३।

(३) शेष कैदियोंके मामलोंको एक परामर्श-समितिके सम्मुख प्रस्तुत करना जो प्रत्येक मामलेकी जाँच उसके गुण-दोषके आधारपर करेगी और तदनुसार जैसा वह उचित समझेगी वैसा सरकारके पास सुझाव भेजेगी।

इन सुझावोंपर विचार करने के बाद हर मामलेपर क्या आदेश जारी किया जाये यह सरकार निश्चित करेगी।

(४) परामर्श-समितिका गठन सरकार करेगी जिसमें निम्न ९ सदस्य होंगे:

(१) अध्यक्ष, एक विख्यात सेवा-निवृत्त न्यायाधिकारी होगा;
(२) संयुक्त दलका एक सदस्य;
(३) विधान सभाका एक सदस्य जो कांग्रेस पार्टीका होगा;
(४) विधान सभाका एक सदस्य जो अनुसूचित जातियोंके प्रतिनिधियोंमें से होगा;
(५) विधान सभाका एक सदस्य जो लिबरल पार्टीका होगा;
(६) विधान परिषद्का एक सदस्य, जो कांग्रेस पार्टीका होगा;
(७) विधान मंडलका एक यूरोपीय सदस्य;
(८) एक अन्य मुस्लिम सदस्य; तथा
(९) एक सरकारी अधिकारी।

समितिके सदस्योंके नामोंकी घोषणा यथासंभव शीघ्र ही कर दी जायेगी।

इस योजनाके एक अनिवार्य-अंगके रूपमें सरकारको, आपको तथा कांग्रेसको यह स्वीकार करना होगा कि—

(१) इसके बाद कांग्रेस या कांग्रेसके खुले या छिपे समर्थन पर कोई दूसरी पार्टी इन शर्तोंमें कोई सुधार करवाने का प्रयास नहीं करेगी तथा यह प्रश्न फिर एक राजनैतिक प्रश्न नहीं रह जायेगा;

(२) आप तथा कांग्रेस इस बातके लिए सक्रिय प्रयास करेंगे कि कैदियों की और भी जल्दी रिहाई के लिए किसी भी तरहका आन्दोलन न हो, आतंकवादी कैदियोंसे संबंधित सरकारी नीतिकी आलोचना अखबारोंमें न हो, ऐसे कैदियोंकी रिहाईपर या उसके बाद कोई प्रदर्शन या स्वागत-समारोह न हो, आतंकवादियों या आतंकवादके पक्षमें कोई वक्तव्य न दिया जाये, न भाषण दिया जाये और न कोई लेख लिखा जाये।

(३) आप तथा कांग्रेस भूख-हड़तालके विरुद्ध जनमत तैयार करनेके लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। यदि कहीं ऐसी हड़ताल हुई तो आप तथा कांग्रेस उसकी खुली निन्दा करेंगे।

इन शर्तोंको रखने में बंगाल सरकार उस सीमातक गई है जो आतंकवादके इस नासूरको ठीक करनेकी उसकी अपनी जिम्मेदारीसे मेल खाती है। आतंकवादी घटनाएँ इस प्रान्तके राजनैतिक जीवन में एक अर्सेसे बार-बार होती रही हैं। आतंकवादका पुनः प्रकोप सम्भव न हो सके इसके लिए जनमत तथा उपयुक्त वातावरण तैयार करने और कायम रखने के उद्देश्यसे ही सरकारने ऐसा किया है। सरकारकी यह

उत्कट अभिलाषा है कि जो लोग सचमुच ही यह चाहते हैं कि देशकी राजनैतिक प्रगति अहिंसक और सुव्यवस्थित ढंगसे हो, वे उसके साथ सक्रिय सहयोग करें। मैं यह जानता हूँ कि आप भी हृदयसे यही चाहते हैं, इसीलिए मैं आश्वस्त होकर आपके समर्थनका दावा कर रहा हूँ।

इसलिए यदि इन प्रस्तावोंके सम्बन्धमें आप अपनी सम्मति यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी देनेकी कृपा करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं यह सुझाव दूँगा कि यदि आप श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा बंगाल विधान सभामें कांग्रेस पार्टीके नेता से उनका समर्थन प्राप्त करनेके लिए पत्राचार करें तो यह उचित होगा। . . .

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-१०-१९३८

परिशिष्ट ३

डॉ० ना० भा० खरेका वक्तव्य[1]

२५ जुलाई, १९३८

कार्य-समितिकी बैठकसे ठीक पहले गवर्नरको अपना त्याग-पत्र देकर मैंने जो गलती की थी, उसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अनुशासन भंग करने का दोषी हूँ। एक पुराने कांग्रेसीके नाते मुझे अनुशासनकी कीमत समझनी चाहिए थी। अब[2] मुझे एहसास हो रहा है कि वह गलती कितनी भयंकर थी। उसीके परिणामस्वरूप गवर्नरने अधिनियममें निहित[3] अपने संवैधानिक अधिकारों द्वारा कांग्रेसी मंत्रियोंको बरखास्त कर दिया।

अपना सन्तुलन खो देनेके कारण जो-कुछ हुआ उसके लिए मुझे हृदयसे खेद है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेसके हितोंको मैंने अपने व्यवहारसे जोखिममें डाल दिया है, अतः कांग्रेसके सभी महत्त्वपूर्ण पदोंसे हट जाना मेरा कर्त्तव्य हो गया है। यदि एक तुच्छ सेवककी हैसियतसे मुझे सेवा करने दी जाये तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। मेरे व्यवहारसे कांग्रेसने जो प्रतिष्ठा गँवाई है उसे पुन. प्राप्त करानेके लिए मैं अपनी सामर्थ्यके अनुसार सब-कुछ करूँगा।

कार्य-समिति एक संयुक्त और स्थायी मन्त्रिमण्डल बनानेके लिए जो प्रयास कर रही है मुझे आशा है, उसमें सभी कांग्रेसजन एक होकर उसकी मदद करेंगे; क्योंकि ऐसी अफवाह है कि इस प्रान्तका महाराष्ट्र और महाकोसलके बीच विभाजन

१. देखिए पृ० २४१ और ३४५।
२. गांधीजी ने "अब" शब्द निकाल दिया था।
३. गांधीजी ने "अधिनियम में निहित" वाक्यांश निकाल दिया था।

होनेवाला है। मुझे विश्वास है कि हममें सद्बुद्धि आयेगी और हम महाराष्ट्र और महाकोसलकी बात नहीं सोचेंगे। ऐसे किसी भी विभाजनको रोकनेके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३-९-१९३८

परिशिष्ट ४

मध्य प्रान्तके संकट पर कार्यसमितिका प्रस्ताव[1]

पचमढ़ीमें संसदीय उपसमितिके सदस्यों और सम्बद्ध तीन प्रान्तीय कांग्रेस समितियोंके अध्यक्षोंकी उपस्थितिमें मन्त्रियोंके बीच हुए समझौतेके बाद से जो घटनाएँ हुई हैं उनपर अच्छी तरह विचार करने तथा संसदीय उप-समितिके सदस्योंकी बात सुनने और डॉ० खरेके साथ कई बार बातचीत करने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी अनिच्छापूर्वक इस निर्णयपर पहुँची है कि डॉ० खरेने एकके-बाद-एक जो कार्रवाइयाँकी हैं, और जिनके परिणामस्वरूप अन्तमें उन्होंने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया तथा अपने साथियोंसे भी त्यागपत्र देनेकी माँग की, उन कार्रवाइयोंसे प्रकट होता है कि डॉ० खरे विवेककी भूलोंके दोषी हैं। उनकी इन भूलोंके फलस्वरूप मध्य प्रान्तमें कांग्रेसको हास्यका पात्र बनना पड़ा और उसकी प्रतिष्ठाको भी आँच आई। जल्दबाजीमें कोई कार्रवाई न करने की चेतावनियोंके बावजूद कार्रवाई करके उन्होंने घोर अनुशासनहीनताका भी परिचय दिया है।

डॉ० खरे द्वारा त्यागपत्र दिये जानेके कारण ही जबसे कांग्रेसने कार्यभार संभाला है तबसे गवर्नरको पहली बार अपने विशेषाधिकारोंका प्रयोग करनेका अवसर मिला, जिसके फलस्वरूप डॉ० खरेके तीन साथियोंको बरखास्त कर दिया गया। कार्यकारिणी इस बातपर सन्तोष व्यक्त करती है कि इन तीन कांग्रेसी मन्त्रियोंने संसदीय उप-समितिसे कोई निर्देश प्राप्त किये बिना गवर्नरकी माँगपर त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया और इस तरह उन्होंने कांग्रेसके प्रति अपनी निष्ठाका परिचय दिया।

इसके अतिरिक्त डॉ० खरेने गवर्नरके नया मन्त्रिमण्डल बनाने के निमन्त्रणको स्वीकार करके और कांग्रेसकी जो सामान्य पद्धति है तथा जिससे वे अच्छी तरह अवगत हैं, उसके खिलाफ, संसदीय उप-समिति और कार्यकारिणीको बताये बिना, विशेष रूपसे तब जब उन्हें अच्छी तरहसे मालूम था कि जल्द ही इन दोनोंकी बैठकें होनेवाली हैं, वास्तवमें नया मन्त्रिमण्डल बनाकर और वफादारीकी शपथ-ग्रहण करके अनुशासनहीनताकी कार्रवाई की है।

१. देखिए पृ० २५०-५४।

अपनी इन सभी कार्रवाइयो द्वारा डॉ० खरेने यह सिद्ध कर दिया है कि वे कांग्रेस संस्थामें कोई उत्तरदायित्वपूर्ण पद ग्रहण करने के योग्य नही हैं। और उन्हें तबतक ऐसा ही माना जाना चाहिए जबतक वे एक काग्रेसीके रूपमें अपनी सेवाओं द्वारा अपने सन्तुलित होने तथा कड़े अनुशासनका पालन करने एवं उन्हें जो काम दिया गया हो उसे अच्छी तरहसे पूरा करने की क्षमताका परिचय नहीं देते।

कार्यकारिणी अनिच्छापूर्वक इस निर्णयपर भी पहुँची है कि मध्य प्रान्तके गवर्नरने रातको दिनमें बदलनेके लिए तथा राज्यमें संकटकी स्थिति पैदा करने में जिस जल्दबाजीसे काम लिया है उससे पता चलता है कि जहाँतक उनसे बन पड़े वहाँतक वे कांग्रेसको कमजोर बनाने व उसे बदनाम करनेके लिए उत्सुक थे। कार्यकारिणीकी यह राय है कि जब गवर्नर महोदय यह जानते थे, और वे अवश्य जानते रहे होंगे, कि मन्त्रिमण्डलमें क्या कुछ हो रहा है और संसदीय उप-समितिके क्या निर्देश है, तब उन्होने तीन मन्त्रियोंके त्यागपत्र स्वीकार करनेमें, अन्य तीन मन्त्रियोंसे त्यागपत्र देनेकी माँग करनेमें व उनके इन्कार करने पर उन्हें पदसे अलग कर देनेमें तथा कार्यकारिणीकी बैठककी, जो बहुत जल्द होनेवाली थी, प्रतीक्षा किये बिना तत्काल ही डॉ० खरेको नया मन्त्रिमण्डल बनानेके लिए कहनेमें तथा नये मन्त्रिमण्डलके जो सदस्य उस समय उपस्थित थे उन्हें शपथ ग्रहण करवानेमें जिस जल्दबाजीका परिचय दिया, वह नितान्त अशोभनीय है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३०-७-१९३८

सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

साबरमती संग्रहालय, अहमदाबाद: पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय, जहाँ गांधीजी से सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है।

'अमृतबाजार पत्रिका': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'आर्यन पाथ': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'स्टेट्समैन': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हरिजन': गांधीजी की देखरेखमें हरिजन सेवक संघकी ओरसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'हरिजनबन्धु': गांधीजी की देखरेखमें हरिजन सेवक संघकी ओरसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'हरिजनसेवक': गांधीजी की देखरेखमें हरिजन सेवक संघकी ओरसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स': दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'ए पिलग्रिमेज फॉर पीस' (अंग्रेजी): प्यारेलाल; नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद; १९५०।

'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स' (अंग्रेजी): जवाहरलाल नेहरू द्वारा सम्पादित; एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई; १९५८।

'द पर्शियन मिस्टिक्स' (अंग्रेजी): सरदार जोगेन्द्रसिंह, जॉन मरे, लन्दन; १९३९।

'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद': काका कालेलकर द्वारा सम्पादित; जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा; १९६३।

'प्रेयर्स, प्रेजेज एण्ड साम्स' (अंग्रेजी): डॉ० वी० राघवन द्वारा अनूदित; नटेसन एण्ड कं०, मद्रास; १९३८।

'बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाईने' (गुजराती): मणिबहेन पटेल द्वारा सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९५७।

'बापुना पत्रो – ४. मणिबहेन पटेलने' (गुजराती) : मणिबहेन पटेल द्वारा सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९६०।

'बापुना पत्रो – ७: श्री छगनलाल जोशीने' (गुजराती) : छगनलाल जोशी द्वारा सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९६२।

'बापुना बाने पत्रो' (गुजराती) : इन्टरनेशनल प्रिन्टिंग प्रेस, फीनिक्स, नेटाल; १९४८।

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९६४।

'बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष' : हीरालाल शर्मा; ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबाद; १९५७।

'बापूकी विराट् वत्सलता' : काशिनाथ त्रिवेदी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९६४।

'बेसिक नेशनल एजुकेशन' (अंग्रेजी) : हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेगाँव, वर्धा, सी० पी०।

'मध्य प्रदेश और गांधीजी' : सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय, मध्य प्रदेश; १९६९।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी : स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें सुरक्षित।

प्यारेलालके कागजात : श्री प्यारेलाल, नई दिल्लीके पास सुरक्षित कागजात।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१ अप्रैल, १९३८ -- १४ अक्तूबर, १९३८)

१ अप्रैल : गांधीजी कलकत्ता पहुँचे।
कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक हुई।

२ अप्रैल : गांधीजी ने कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकमें भाग लिया।
दरभंगाके महाराजा और 'स्टेट्समैन' के सम्पादक आर्थर मूर मिलने आये।
गांधीजी ने ख्वाजा नाजिमुद्दीनसे नजरबन्दों एवं राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके सम्बन्धमें बातचीत की।

३ अप्रैल : ख्वाजा नाजिमुद्दीनके साथ हुई बातचीतके सम्बन्धमें गांधीजी ने समाचार-पत्रोंके लिए एक वक्तव्य जारी किया।
कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक जारी रही।

७ अप्रैल : राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके सम्बन्धमें बंगालके गवर्नर लॉर्ड ब्रेबॉर्नसे बातचीत की।
मौलाना आजाद और 'अमृतबाजार पत्रिका' के सम्पादक तुषारकान्ति घोषसे मिले।

८ अप्रैल : प्रेसिडेन्सी जेलके राजनीतिक कैदियोंसे बातचीत की।

९ अप्रैल : ख्वाजा नाजिमुद्दीनसे विचार-विमर्श किया।
राजनीतिक कैदियोंसे मिलनेके लिए अलीपुर जेल गये।

१० अप्रैल : राजनीतिक कैदियोंसे मिलनेके लिए अलीपुर जेल गये।
खादी प्रतिष्ठान, सोदपुर गये।
राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके सिलसिलेमें विचार-विमर्शके लिए ख्वाजा नाजिमुद्दीनसे मिलने गये।

११ अप्रैल : दमदम और अलीपुर जेलके राजनीतिक कैदियोंसे मिले।

१२ अप्रैल : ख्वाजा नाजिमुद्दीनसे मिलने गये।
प्रेसिडेन्सी जेलकी महिला राजनीतिक कैदियोंसे मिले।
गुरुकुल काँगड़ीके लिए संदेश भेजा।

१३ अप्रैल : जलियाँवाला बाग-दिवस उपवास करके मनाया।
राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके सिलसिलेमें बंगाल सरकारके साथ चल रही अपनी बातचीतके बारेमें समाचार-पत्रोंको एक वक्तव्य जारी किया कि इस बातचीतके दौरान आन्दोलन बन्द रखा जाये।
बंगालके कांग्रेसियोंके साथ बातचीत की।
रातको कलकत्तासे दिल्लीके लिए रवाना।

१४ अप्रैल : दिल्ली पहुँचे।

१५ अप्रैल : वाइसरायसे भेंट की।
दिल्लीसे वर्धाके लिए रवाना।

१६ अप्रैल : वर्धा, सेगाँव पहुँचे।

१७ से २० अप्रैल तक : सेगाँवमें रहे।

२१ अप्रैल : विद्यामन्दिर ट्रेनिंग स्कूल, वर्धामें भाषण दिया।

२४ अप्रैल : हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, वर्धामें भाषण दिया।

२७ अप्रैल : सेगाँवसे बम्बईके लिए रवाना।

२८ अप्रैल : बम्बई पहुँचे।
मु० अ० जिन्नासे बातचीत की।
मु० अ० जिन्ना और गांधीजी ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

२९ अप्रैल : मैसूर गोलीकाण्ड तथा उड़ीसाके कार्यवाहक गवर्नरके पदपर श्री डेनकी नियुक्तिके बारेमें समाचार-पत्रोंको वक्तव्य दिये।
सरदार वल्लभभाई पटेल और पुरुषोत्तमदास ठाकुरदाससे बातचीत की।
बम्बईसे पेशावरके लिए रवाना।

१ मई : नौशेरा पहुँचे।
कारसे पेशावर पहुँचे।

४ मई : उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तके गवर्नरसे भेंट की।
इस्लामिया कॉलिजके छात्रोंके समक्ष भाषण दिया।
स्थानीय कांग्रेसी समाजवादियोंसे मिले।

५ मई : दर्रा खैबर और तोरखाम देखने गये।

६ मई : कुलासबेग, सौदजई, शाकबदर, टांगी गये।
चारसद्दाकी सभामें भाषण दिया।
उतमानजई पहुँचे।

७ मई : मर्दान और कालूखाँकी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये।

८ मई : सुबह पेशावर वापस लौट आये।
राजनीतिक सम्मेलनमें भाषण दिया।

९ मई : सुबह पेशावरसे बम्बईके लिए रवाना।

११ मई : बम्बई पहुँचे।

१८ मई : सरदार पृथ्वीसिंह मिलने आये।
कांग्रेसी नेताओंसे बातचीत की।

१९ मई : बम्बईके जिलाधीशको लिखा कि लाहौर षड्यंत्र केसके अभियुक्त सरदार पृथ्वीसिंहने स्वयं ही आत्म-समर्पण कर दिया है।
जवाहरलाल नेहरूसे बातचीत की।

२० मई : मु० अ० जिन्नासे मिलने गये।
सरदार पृथ्वीसिंह गिरफ्तार कर लिये गये।
सरदार पृथ्वीसिंहकी गिरफ्तारीके सम्बन्धमें समाचार-पत्रोंमें एक वक्तव्य दिया।
अमेरिकन एसोसिएटेड प्रेसके जेम्स ए० मिल्ससे भेंट की।
बम्बईसे सेगाँवके लिए रवाना।

२१ मई : सेगाँव पहुँचे।

२८ मई : 'बेसिक नेशनल एजुकेशन' के लिए प्राक्कथन लिखा।

६ जून : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए संदेश भेजा।

१२ जून : सेगाँवमें डॉक्टर ना० भा० खरेसे भेंट की।

१८ जून : भूलाभाई देसाई मिलने आये।

२१ जून : वर्धा शिक्षा-योजनाके प्रशिक्षार्थियों से बातचीत की।

२२-२३ जून : बंगालके राजनीतिक कैदियों तथा हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमें कांग्रेसी नेताओंसे बातचीत की।

२८-२९ जून : डॉ० ना० भा० खरेसे बातचीत की।

६ जुलाई : वर्धा शिक्षा योजनाके प्रशिक्षार्थियों से बातचीत की।

२५ जुलाई : डॉ ना० भा० खरे का त्यागपत्र। गवर्नर द्वारा अन्य मंत्री बरखास्त। मध्य प्रान्तके मंत्रिमंडलीय संकटके बारेमें डॉ० ना० भा० खरे से बातचीत की।

३० जुलाई : मध्य प्रान्तके मंत्रिमंडलीय संकटके सम्बन्धमें समाचार-पत्रोंको वक्तव्य दिया।

३१ जुलाई : सेगाँवमें हैजेका प्रकोप।

१८ अगस्त : स्वास्थ्य-लाभकी दृष्टिसे अनिश्चित कालके लिए मौन धारण किया।

२१ अगस्त : डॉ० ना० भा० खरेकी निन्दा करनेवाले कार्य-समितिके प्रस्तावका विरोध करनेके लिए नागपुरके विद्यार्थियोंके शिष्टमण्डल से बातचीत की।

२७ अगस्त : मध्य प्रान्तके मंत्रिमंडलमें एक हरिजनको शामिल करने की माँगको लेकर अनशन करनेवाले हरिजन सत्याग्रहियोंसे बातचीत की।

२९ अगस्त : हरिजन सत्याग्रहियोंसे उपवास तोड़नेकी अपील की।

५ सितम्बर : डॉ० ना० भा० खरेके बयानके उत्तरमें समाचार-पत्रोंको वक्तव्य दिया।

६ सितम्बर : त्रावणकोरमें पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना की जाँचकी माँग करते हुए समाचार-पत्रोंको एक वक्तव्य दिया।

१९ सितम्बर : सेगाँवसे दिल्लीके लिए रवाना।

२० सितम्बर : दिल्ली पहुँचे।
बीमार बेगम अंसारीको देखने गये।

२१-२२ सितम्बर: 'अहिंसक नागरिक सेना' की अपनी योजनाके सम्बन्धमें कांग्रेस कार्य-समितिके साथ (लिखित रूपमें) विचार-विमर्श किया।

२३ सितम्बर: कांग्रेस कार्य-समितिमें सत्य और अहिंसाके पालनकी आवश्यकतापर भाषण दिया।

२४ सितम्बर: कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकमें भाग लिया।
जयपुर रियासतके पुलिस महानिरीक्षक एफ० एस० यंगसे भेंट की।

२५ सितम्बर: कांग्रेस कार्य-समितिने डॉ० ना० भा० खरेके विरुद्ध निन्दाका प्रस्ताव पास किया।

२ अक्तूबर. कांग्रेस कार्य-समितिने डॉ० ना० भा० खरेको कांग्रेस पार्टीसे निष्कासित कर दिया।

३ अक्तूबर: त्रावणकोरकी परिस्थितिके सम्बन्धमें समाचार-पत्रोंको वक्तव्य दिया।

४ अक्तूबर: राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके सम्बन्धमें समाचार-पत्रोंको वक्तव्य दिया।
दिल्लीसे उ० प० सीमा-प्रान्तके लिए रवाना।

५ अक्तूबर: पेशावर पहुँचे।

९ अक्तूबर: उतमानजई पहुँचे।

१४ अक्तूबर: कैमतांगका खुदाई खिदमतगार इंडस्ट्रियल स्कूल देखने गये।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

आ

ध

न

फ

ब

भ

म

य

र

स

ह